पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

Share Department, Board & Coordination Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075
Tel No: 011-28044857 E-mail: hosd@pnb.co.in

| Scrip Code : PNB | Scrip Code : 532461 |
|---|---|
| The Asstt. Vice President<br>National Stock Exchange of India Limited<br>"Exchange Plaza"<br>Bandra – Kurla Complex, Bandra (E)<br>**Mumbai – 400 051** | The Dy General Manager<br>BSE Limited<br>1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,<br>Dalal Street,<br>**Mumbai – 400 001** |

Date: 03.07.2021

Dear Sir (s),

**Reg.: Annual Report of the Bank for the year 2020-21.**

Pursuant to Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed the Annual Report of the Bank for the year 2020-21.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,

**(Ekta Pasricha)**
**Company Secretary**
Encl: A/a

बढ़ें साथ मिलकर

# उम्मीदों की नयी दिशाएं

# Into a new decade of possibilities

## वार्षिक रिपोर्ट

## Annual Report

2020 - 2021

**श्री. सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव,** प्रबंध-निदेशक एवं सीईओ पंजाब नैशनल बैंक के संस्थापक **पंजाब केसरी स्वर्गीय लाला लाजपत राय जी** को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पीएनबी प्रधान कार्यालय द्वारका, नई दिल्ली में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ।

**Shri. CH. S. S. Mallikarjuna Rao,** MD & CEO paying tribute to **Punjab Kesari Lt. Lala Lajpat Rai ji,** founder Punjab National Bank, On occasion of Republic day at PNB Head office Dwarka, New Delhi

**माननीय श्री. नरेंद्र सिंह तोमर,** कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पीएनबी मुख्य कार्यालय, संसद मार्ग, दिल्ली में **ग्राम संपर्क अभियान** का शुभारंभ करते हुए।
**बाएं से दाएं: डॉ. आर. के. यदुवंशी,** कार्यपालक निदेशक, **माननीय श्री. नरेन्द्र सिंह तोमर,** कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और **श्री. सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव,** प्रबंध-निदेशक एवं सीईओ.

**Inauguration of Gram Sampark Abhiyan** by **Shri. Narendra Singh Tomer,** Hon'ble Minister of Agriculture & Farmers Welfare, Rural Development and Food Processing Industries at PNB Head office, Parliament Street, Delhi .
**From Left to right: Dr. R. K. Yaduvanshi,** Executive Director, **Shri. Narendra Singh Tomar,** Hon'ble Minister of Agriculture & Farmers Welfare, Rural Development and Food Processing Industries and **Shri. CH. S. S. Mallikarjuna Rao,** MD & CEO.

# प्रबंध-निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के डेस्क से

# From the Managing Director and CEO's Desk

सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | CH. S. S. Mallikarjuna Rao

**प्रिय शेयरधारकों,**

मुझे वित्तीय वर्ष 2020-2021 हेतु आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए और वर्ष के दौरान बैंक के कार्य निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं आपसे साझा करते हुए हर्ष हो रहा है। इस वार्षिक रिपोर्ट में विस्तृत कार्य निष्पादन और पहलें दी गई हैं ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 दुनिया भर में चुनौतीपूर्ण रहा है और भारत भी इसका अपवाद नहीं था। यह न केवल सामाजिक रूप से, बल्कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी कठिन समय था। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण अन्य चुनौतियों के अलावा पंजाब नैशनल बैंक में ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के समामेलन से संबंधित अतिरिक्त जिम्मेदारी भी थी।

अभूतपूर्व स्थिति होने के बावजूद, आपका बैंक एक मजबूत संगठन संरचना और तुलन पत्र, निरंतर लाभप्रदता और स्थिर पूंजी स्थिति के साथ अपने विकास पथ पर अग्रसर रहा। समामेलन के अंतर्गत, तीनों बैंकों के व्यापार, मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एकीकरण को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। बढ़ी हुई क्षमता, सामर्थ्य और पहुंच के साथ, व्यापक भौगोलिक उपस्थिति और व्यापक ग्राहक आधार के साथ तालमेल स्थापित किया जा रहा है।इसके अलावा, संशोधित संगठनात्मक संरचना ने विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवसाय की वृद्धि के लिए एक ठोस आधार तैयार किया है। वर्टिकलाइज्ड ग्राहक केंद्रित और डिजिटल क्रेडिट डिलीवरी मॉडल ने हामीदारी ऋण, दक्षता और कार्य वापसी समय (टीएटी) में सुधार किया है । समग्र रूप हो, हमारा प्रयास हमारे हितधारकों की बेहतरी है ।

वर्ष के दौरान, नए वायरस के आने से और संक्रमितों की संख्या में वृद्धि होने के कारण चिंता बढ़ गई थी । मैं, उन सभी हितधारकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने कोविड -19 महामारी के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया और इससे पीड़ित हुए। मैं, अनेकों बाधाओं के बावजूद, ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने में हमारे प्रत्येक कर्मचारियों में से प्रत्येक के योगदान और साहस के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

**Dear Shareholders,**

It is my pleasure to place before you the Annual Report of your Bank for the Financial Year 2020-21 and share highlights of Bank's performance during the year. The detailed performance and initiatives are provided in this Annual report.

The financial year 2020-21 has been challenging across the globe and India was no exception to that. It was tough not only sociologically, but even from the economy perspective. Apart from the challenges on account of the impact of COVID 19 pandemic, there was also an additional responsibility with respect to amalgamation of Oriental Bank of Commerce and United Bank of India into Punjab National Bank.

Despite the unprecedented situation, your Bank endured on its growth trajectory with a strengthened organization structure & balance sheet, sustained profitability and stable capital position. Under amalgamation, the Business, Human Resource and Information Technology (IT) integration of the three Banks were completed in record time. The synergies are being realized with an augmented capacity, capability and reach, with a wider geographical presence and a vast customer base. In addition, the revamped organizational structure has created a solid foundation for business growth with focused attention towards various business segments. The verticalized customer centric & digital credit delivery model has improved credit underwriting, efficiency and turnaround time (TAT). Overall, the endeavour has been to create value for our stakeholders.

During the year, there were heightened concerns on account of new virus mutations and the accumulating human tolls. I extend my deep condolences to all the stakeholders who lost their loved ones and suffered due to the impact of Covid-19 pandemic. I also want to acknowledge the contribution and courage of each of our employees, in providing uninterrupted services to customers, despite the tremendous odds.

# आर्थिक अवलोकन

## वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण संक्रमण की नई लहरों और कोविड-19 के बढ़ते दवाब के कारण अनिश्चितता से भरा हुआ था। वैश्विक स्तर पर, वित्तीय वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही में, इस महामारी ने निजी खपत की मांग, सेवा क्षेत्र और कम कौशल वाले श्रम बाजार और व्यवसायों को प्रभावित किया। दिसंबर 2020 के अंत तक, कई वैक्सीनों को स्वीकृतियां दिए जाने और कुछ देशों में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत किए जाने से उम्मीदें जगी हैं । इसके बावजूद, नए वायरस के बढ़ने और इसके संक्रमितों की संख्या में वृद्धि होने के कारण वैश्विक संभावनाओं में अत्यधिक अनिश्चित बनी रही।

कुछ देशों द्वारा महामारी से जुड़े प्रोटोकॉल और अतिरिक्त नीतिगत उपायों के साथ प्रगतिशील तरीके से सामंजस्य बिठाने के साथ, वर्ष 2021 में मजबूत शुरुआत करने हेतु स्थितियों में सुधार हुआ। व्यापारिक कारोबार की मात्रा पूर्व-महामारी के स्तर पर लौट आई है। अमेरिका और चीन में महामारी के तेजी से घटते प्रभाव; 2021 के लिए अनुकूल विकास की संभावनाओं वाले यूरोपीय देश; और बढ़ते संक्रमण तथा टीकाकरण में धीमी प्रगति के कारण अपेक्षाकृत कम सकारात्मक समग्र दृष्टिकोण के साथ उभरती बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमई) के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति मिश्रित है ।

टीकाकरण के आने से और अर्थव्यवस्थाओं के धीरे-धीरे फिर से खुलने के कारण वैश्विक अनिश्चितता समाप्त हो रही है। विश्व बैंक की जून 2021 की वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि होना तय है। इसी कड़ी में, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने अपने नवीनतम इकॉनोमिक आउटलुक में 2021 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 5.8 प्रतिशत तक संशोधित कर दिया है।

दुनिया भर की सरकारें राहत और प्रोत्साहन उपायों के साथ तेजी से कार्य कर रही हैं। आगे जाकर वैश्विक विकास की निरंतरता नीतिगत समर्थन और जनस्वास्थ्य उपायों पर काफी हद तक निर्भर करेगी।

## भारतीय अर्थव्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2021 की अंतिम तिमाही में 1.6 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात्, महामारी की दूसरी लहर, वायरस के नए बढ़ते दबाव के उभरने और संक्रमण तथा मृत्यु दर में वृद्धि होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

मई 2021 में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2019-20 में

# Economic Overview

## The Global Economy

The global economic outlook was shrouded with uncertainty in view of the new waves of infections and mutant strains of COVID-19. Globally, in the first quarter of FY21, the pandemic impacted private consumption demand, services sector and low-skilled labour market and the Businesses. By end of December 2020, multiple vaccine approvals and the initiation of vaccination program in some countries brought hope. Despite that, the global prospects remain highly uncertain due to new virus mutations and human tolls.

Together with a progressive adaptation to pandemic protocols and additional policy measures by some countries, conditions moved into place for a strong start to the year 2021. Merchandise trade volumes have returned to pre-pandemic levels. The state of the global economy is mixed, with the US and China having rapidly declining effects of the pandemic; European countries with favourable growth prospects for 2021; and emerging market economies (EMEs) with a relatively less positive overall outlook because of resurgence in infections and slow progress on vaccination.

The global uncertainty is waning out owing to vaccine rollouts and gradual reopening of the economies. As per the June 2021 Global Economic prospects of the World Bank, the global economy is set to expand by 5.7 percent in calendar year 2021. In the same line, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in its latest Economic Outlook has revised up the global growth forecast for 2021 to 5.8 percent.

The Governments over the globe are acting faster with relief and stimulus measures. Going forward the sustenance of global growth will significantly rely on policy support and public health measures.

## The Indian Economy

The Indian economy, after having regained positive growth of 1.6 percent in the last quarter of financial year 2021, faced renewed challenges on account of the second wave of the pandemic, emergence of new mutant strains of virus and consequent rise in infections and mortalities.

As per the estimates released by the National Statistical Office (NSO) in May 2021, Real Gross Domestic Product (GDP) contracted by 7.3 percent in

हुई 4.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2020-21 में यह 7.3 प्रतिशत घटा है। वित्तीय वर्ष 2021 के लिए मूल की मतों पर वास्तविक वर्धित सकल मूल्य (जीवीए) में 6.2 प्रतिशत संकुचन होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 21 के लिए, दो क्षेत्रों अर्थात कृषि और बिजली, गैस, पानी तथा अन्य उपयोगिताओं ने वर्धित सकल मूल्य में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। संकुचन की लगातार तीन तिमाहियों के बाद निजी खपत में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और चौथी तिमाही के दौरान सरकारी खर्च बढ़कर 28.3 प्रतिशत हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, अब वित्तीय वर्ष 22 में जीडीपी में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

हालांकि, महामारी की दूसरी लहर ने आर्थिक सुधार को प्रभावित किया है,परन्तु दूसरी लहर के कम होने के संकेत सुस्पष्ट हैं। क्षेत्रीय और विशेष नियन्त्रण के कारण, दूसरी लहर का प्रभाव मुख्य रूप से घरेलू मांग पर पड़ा है। छोटे शहरों और गांवों में लहर के फैलने से ग्रामीण मांग प्रभावित हो सकती है। पिछले साल किए गए असाधारण विस्तार के कारण सरकारी व्यय से सहयोग भी कम हो सकता है।

सकारात्मक पक्ष पर, कृषि और संपर्क रहित सेवाओं जैसी समग्र आपूर्ति परीस्थितियों के विविध पहलू विकास के पुनरुत्थान की दिशा में अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में सुदृढ़ आधार प्रभावों के कारण वृद्धि हुई है, लेकिन सकारात्मक प्रगति के भी प्रमाण दृष्टव्य हैं। इसके अतिरिक्त, टीकाकरण की गति और स्तर आर्थिक सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा।

### बैंकिंग क्षेत्र में विकास

महामारी के कारण, मांग में कमी के कारण बैंक ऋण वृद्धि मंद रही। हालांकि, नवंबर 2020 से, आर्थिक गतिविधियों की सकारात्मक शुरूआत होने के साथ-साथ ऋण पुनरूद्धार के संकेत थे। यह अनुकूल चलनिधि की स्थितियों और अर्थव्यवस्था के क्रमिक अनलॉकिंग द्वारा सुगम हुआ।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2020 के 8.4 प्रतिशत से घटकर मार्च 2021 में 7.5 प्रतिशत रहा। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिसंपत्ति वर्गीकरण पर अंतरिम रोक हटाने के साथ ही, आगामी तिमाहियों में परिसंपत्ति गुणवत्ता की सूक्ष्मता से निगरानी करने की आवश्यकता होगी।

सकारात्मक रूप से देखा जाए तो, उच्च पूंजी बफर, वसूली में सुधार और लाभप्रदता की ओर वापसी के मद्देनजर बैंक तुलन-पत्र में दबाव प्रबंधन बेहतर स्थिति में हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) के पूँजी जोखिम-भारिता परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2020 की

2020-21, as compared to a growth of 4.0 percent in 2019-20. The contraction in Real Gross Value Added (GVA) at Basic Prices for FY21 is estimated at 6.2 percent. For FY21, the two sectors have recorded positive growth in GVA i.e. agriculture and electricity, gas, water & other utilities. Private consumption with a growth of 2.7 percent emerged out of three successive quarters of contraction and the Government spending has surged back to 28.3 percent during the 4th quarter. According to the Reserve Bank of India (RBI), GDP is now projected to grow by 9.5 percent in FY22.

Though the second wave of the pandemic has impaired the economic recovery but signs of the receding of the second wave are evident. On account of regional and specific containment, the second wave's toll is mainly in terms of the hit to domestic demand. Rural demand may be impacted with the wave spreading into smaller cities and villages. The support from Government spending may also moderate from the extraordinary expansion undertaken last year.

On the positive side, several aspects of aggregate supply conditions such as agriculture and contactless services provide tailwinds towards growth revival. Industrial production and exports have surged on strong base effects, but there is also evidence of positive momentum. Going forward, the speed and scale of vaccination will shape the path of economic recovery.

### Developments in the Banking Sector

In view of the pandemic, Bank credit growth remained subdued on account of lack of demand. However, since November 2020, there were signs of credit revival alongside green shoots of recovery in economic activity. This was facilitated by favourable liquidity conditions and a gradual unlocking of the economy.

The Gross Non-Performing Assets (GNPA) ratio of Scheduled Commercial Banks (SCBs) declined to 7.5 percent as at the end of March 2021 from 8.4 percent in March 2020. However, with the lifting of the interim stay on asset classification standstill by the Hon'ble Supreme Court, asset quality will need to be closely monitored in coming quarters.

On a positive side, Banks are better positioned in managing stress in balance sheets in view of higher capital buffers, improvement in recoveries and a return to profitability. The capital to risk-weighted assets ratio (CRAR) of SCBs rose to 16.0 percent by

समाप्ति पर 14.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 की समाप्ति 16.0 प्रतिशत हो गया। आरबीआई के अनुसार, दबाव परीक्षणों से संकेत मिलता है कि भारतीय बैंकों के पास गंभीर दबाव परिदृश्य होने के बावजूद समग्र रूप से पर्याप्त पूंजी है।

कोविड-19 के प्रभाव ने डिजिटलीकरण की बढ़ती भूमिका के साथ, बैंकिंग कारोबार करने के तरीके में दुनिया भर में एक बदलाव की शुरुआत की है। आगे चलकर, निभाव चलनिधि और ब्याज दरें, सरकार द्वारा विकास के उपाय और सामूहिक टीकाकरण अभियान से आर्थिक सुधार में गति की संभावना है। बढ़ती क्षमता उपयोग के साथ-साथ सरकार द्वारा कैपेक्स को आगे बढाने से जीडीपी आउटलुक को समर्थन भी मिलेगा, जिससे ऋण परिदृश्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण की शुरुआत होगी।

## समामेलन

आपका बैंक समामेलित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रथम बैंकों (पीएसबी) में से एक था, जिसने पीएनबी के साथ ईओबीसी और ईयूएनआई की सभी शाखाओं का एकीकरण किया और ग्राहक सेवाओं को प्रभावित किए बिना रिकॉर्ड समय में फिनेकल 7 से 10 में अपग्रेड किया। इसके अलावा,वित्तीय वर्ष के दौरान समामेलित इकाई के लिए 196 संबद्ध एप्लिकेशन्स भी लाइव किए गए।तीनों बैंकों के 18 करोड़ से अधिक ग्राहक अब एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। सभी उत्पादों, नीतियों और प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित कर लिया गया है और तीनों बैंकों में सर्वोत्तम उत्पादों और नीतियों को व्यावसायिक हितों के साथ-साथ ग्राहक और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया है। जहां तक मानव संसाधन (मा.सं.) के एकीकरण का संबंध है, बैंक ने तीनों में से सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत के आधार पर अपनी सभी कर्मचारी कल्याण और लाभ योजनाओं की समीक्षा की और उनमें सामंजस्य स्थापित किया और कार्यनिष्पादन को बढ़ावा देने और कर्मचारियों की संतुष्टि में वृद्धि करने के लिए बैंक की कारोबारी रणनीति के साथ मानव संसाधन को संरेखित किया है। बैंक ने तीनों बैंकों के कार्यात्मक वातावरण को पोषित करने तथा संस्कृति का सहज एकीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक एकीकरण कार्यक्रम भी शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारी की अपेक्षाओं के साथ समामेलित इकाई के कार्यनीतिक बदलावों को संरेखित करना था, जो आगे परस्पर तालमेल बढ़ाने में मदद करेगा। बैंक ने चिन्हित क्षेत्रों में तालमेल बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन शुरू किया है। इसके अंतर्गत, बैंक ने तालमेल बढ़ाने के लिए विभिन्न परिचालन खंडों की पहचान की है जैसे; शाखा/एटीएम युक्तिकरण, बिक्री में कर्मचारियों की पुन: तैनाती, चिन्हित परिसरों की बिक्री, सामंजस्य पूर्ण प्रक्रियाओं के कारण होने वाली आईटी लागत में बचत आदि। व्यवसाय, मानव संसाधन और आईटी एकीकरण पूरा करने के बाद, बैंक का प्रयास अब व्यवसाय को बेहतर बनाने की दिशा में अधिक ध्यान देना है।

end- March 2021 from 14.7 percent at end-March 2020. As per RBI, stress tests indicate that Indian banks have sufficient capital at the aggregate level even in a severe stress scenario.

The impact of COVID-19 has triggered a paradigm shift in the way banking business is undertaken across the globe, with an increasing role of digitalisation. Going forward, accommodative liquidity and interest rates, growth measures by the government and the mass vaccination drive are likely to drive the economic recovery. The Capex push by Government alongwith the rising capacity utilization also to support GDP outlook, ushering in a positive outlook for the credit scenario.

## Amalgamation

Your Bank was one of the first among amalgamated Public Sector Banks (PSBs) to carry out integration of all branches of eOBC and eUNI with PNB and upgraded from Finacle 7 to 10 in record time, without affecting customer services. Further 196 surround applications were also made live for amalgamated entity during the financial year. More than 18 Crore Customers of the three banks are now on same Platform. All the products, policies and processes have been harmonized and the best products and policies across the three banks have been adopted taking into account customer and employee needs along with the business interests. As far as Human Resource (HR) Integration is concerned, the Bank has reviewed and harmonized all of its staff welfare and benefit schemes based on the “Best of three” principle and aligned HR with the business strategy of the Bank to boost performance and enhance the satisfaction of the employees. Bank also initiated Cultural Integration Program in order to ensure nurturing work environment and smooth integration of culture of all three banks. The main objective was to align the strategic shifts of the amalgamated entity with employee’s expectations, which will further help in realizing synergy benefits. Bank has initiated implementation for realization of synergy in the identified areas. Under the same, Bank has identified different operating segments like Branch/ATM rationalization, redeployment of staff to sales, sale of identified premises, savings in IT cost arising due to harmonized processes etc. for synergy benefits. Having completed Business, HR and IT integration, Bank’s endeavour is now to provide greater thrust towards improving business.

## पुनर्गठित संगठनात्मक संरचनाः एक प्रवर्तक

समामेलित इकाई के सुचारू संचालन के लिए, विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकल के गठन के साथ-साथ संगठन संरचना का पुनर्गठन किया गया था। 1 जुलाई, 2020 से तीनों बैंकों के एक इकाई के रूप में कार्य करने के साथ पुनर्गठित संरचना का रोल आउट किया गया है। जबकि, स्तरीय संरचना चार स्तरीय ही रहेगी जिसमें शाखा, मंडल, अंचल और प्रधान कार्यालय शामिल होंगे, नई संरचना के अंतर्गत एक वर्टिकल ऋण संवितरण मॉडल बनाया गया है। एक्स्ट्रा लार्ज कॉर्पोरेट शाखाएं/बड़ी कॉर्पोरेट शाखाएं (ईएलसीबी/एलसीबी), मध्य कॉर्पोरेट केंद्र (एमसीसी), पीएनबी ऋण केंद्र (रैम/आईरैम) तथा अंचल जोखिम प्रबंधन केंद्र (जेडआरएमसी) जैसे वर्टिकलों का गठन ऋण हामीदारी कार्यकुशलता और कार्य-वापसी समय में सुधार के उद्देश्य से किया गया है। नई संरचना के परिणामस्वरूप उच्चतम परिचालन दक्षता और सतत विकास में गति आई है।

**मैं, अब आपके साथ वित्तीय वर्ष 21 के दौरान आपके बैंक की कुछ प्रमुख कार्य-निष्पादन विशेषताओं को साझा करूंगा।**

## वित्तीय प्रदर्शन:

एक चुनौतीपूर्ण वर्ष के बावजूद, बैंक ने 31 मार्च, 2021 को रु.7,39,407 करोड़ सकल वैश्विक अग्रिम और रु.11,06,332 करोड़ सकल वैश्विक जमाराशि के साथ रु.18,45,739 करोड़ के सकल वैश्विक कारोबार के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। कम ऋण मांग के कारण, जमाराशियों में धीमी गति से जाना और वित्त वर्ष 21 के दौरान लगभग 30,000 करोड़ रुपये बल्क जमा कम करना एक रणनीतिक निर्णय था।

45.5 प्रतिशत के कासा शेयर के साथ बैंक की कम लागत वाली सुविधा मजबूत रही। चालू और बचत जमा राशियां(कासा) रु. 4,92,782 करोड़ रहीं। जिसके परिणामस्वरूप, जमा राशियों की वैश्विक लागत 4.44 प्रतिशत पर बनी रही।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, बैंक के लाभप्रदता मानदंड और अनुपात स्थिर रहे। बैंक का परिचालन लाभ रु. 2022 करोड़ के निवल लाभ के साथ रु.22,980 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 21 के दौरान आस्तियों पर प्रतिलाभ और इक्विटी पर प्रतिलाभ क्रमशः 0.15 प्रतिशत और 3.88 प्रतिशत रहा। प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य भी बढ़कर 53.07 रुपये हो गया। वित्त वर्ष 21 के दौरान आय अनुपात की लागत में भी 46.91 प्रतिशत का सुधार हुआ। प्रमुख उत्पादकता पैरामीटर, प्रति कर्मचारी व्यवसाय, मार्च'21 में बढ़कर 1885 लाख रुपये हो गया। इसी तरह, उन्नत दक्षता के संकेत के रूप में, घरेलू और वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में वित्तीय वर्ष 2021 में क्रमशः 2.99 प्रतिशत और 2.88 प्रतिशत का सुधार हुआ।

## Revamped Organizational Structure: An Enabler

For smooth functioning of the amalgamated entity, the organization structure was restructured along with formation of various business verticals. Rollout of the revamped structure has been made with effect from 1st July, 2020 with the three Banks functioning as a single unit. While the layering structure continue to be four tiered involving Branch, Circle, Zone and Head Office, a verticalized credit delivery model has been put in place under the new structure. The Verticals like Extra Large Corporate Branches/Large Corporate Branches (ELCB/LCB), Mid Corporate Centres (MCCs), PNB Loan Points (RAM/iRAM) alongwith Zonal Risk Management Centres (ZRMCs) have been formed with an objective to improve credit underwriting, efficiency and turnaround time. The roll out of the new structure has brought in greater operational efficiency and steady growth momentum.

**I would now share with you some of key performance highlights of your Bank during the FY 21.**

## Financial Performance:

In spite of a challenging year, the Bank reached the mark of Rs. 18,45,739 Crore in gross global business as on 31st March, 2021 with Gross Global Advances at Rs. 7,39,407 Crore and Gross Global Deposit at Rs. 11,06,332 Crore. On account of muted credit demand, it was a strategic decision to go slow in deposits and shed around Rs 30,000 crore of bulk deposits during FY 21.

Bank's low cost franchise remained robust with the CASA share at 45.5 percent. Current and Saving Deposits (CASA) were at Rs. 4,92,782 Crore. As a result, the global cost of deposit was contained at 4.44 percent.

For the FY 2020-21, Bank's profitability parameters and ratios remained stable. Bank's Operating Profit was at Rs. 22,980 Crore along with a Net Profit of Rs. 2022 Crore. Return on Assets and Return on equity stood at 0.15 percent and 3.88 percent respectively during FY 21. Tangible Book value per share also improved to Rs 53.07. Cost to income Ratio also improved to 46.91 percent during FY 21. The key productivity parameter, Business per employee increased to Rs 1885 lakh in March'21. Similarly, as an indication of improved efficiency, domestic and global Net Interest Margin (NIM) improved to 2.99 percent and 2.88 percent respectively in FY21.

## आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता

अधिकांश अवधि (वित्तीय वर्ष 20-21 के दौरान) के कोविड -19 परिदृश्य के बावजूद, 31 मार्च 2021 को बैंक सकल एनपीए रु. 1,04,423 करोड़ के स्तर पर बनाए रखने में सक्षम रहा। जबकि सकल एनपीए अनुपात 14.12 प्रतिशत रहा, निवल एनपीए अनुपात 5.73 प्रतिशत रहा। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 80.14 प्रतिशत के स्तर पर बना रहा।

चूंकि, आस्ति गुणवत्ता में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रही है, इसलिए बैंक इस संबंध में सुधार की दिशा में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग कर रहा है। संगठनात्मक पुनर्गठन के हिस्से के रूप में सस्त्रा वर्टिकल के नाम से एनपीए खातों की वसूली हेतु एक विशिष्ट वर्टिकल बनाया गया है, जो विशेषतया और केंद्रीकृत वसूली अभियानों के लिए है । फील्ड पदाधिकारियों के वसूली संबंधी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए, एक सामान्य वसूली पोर्टल अर्थात; सस्त्रा पोर्टल शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनपीए खातों की प्रभावी निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए, पीएनबी प्राइड एप्प, जियो टैगिंग सक्षम एप्प भी शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान एक विशेष ओटीएस योजना शुरू की गई थी।

ऋण में हामीदारी अंकन मानकों में सुधार लाने के लिए, बैंक ने ऋण प्रबंधन के लिए एक आईटी आधारित समाधान शुरू किया है जिसे **पीएनबी लेंस–** द लेंडिंग सॉल्यूशन नाम दिया गया है। यह प्रणाली रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई ऋणों (रु.25 करोड़ तक) के लिए लागू की गई है । अगले चरण में कॉर्पोरेट मॉड्यूल (रु.25 करोड़ से अधिक) अपनाया जा रहा है। इसके अलावा, डाटा विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋणों के माध्यम से एंड टू एंड डिजिटल ऋण को भी सक्षम किया गया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजी संरक्षण उपायों, सक्रियता से पूंजी जुटाने और बेहतर लाभप्रदता के कारण बैंक की पूंजी पर्याप्तता में सुधार हुआ। 31 मार्च, 2021 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.32 प्रतिशत रहा, जिसमें टियर-I पूंजी 11.50 प्रतिशत और सीईटी-I 10.62 प्रतिशत रही। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने क्यूआईपी के माध्यम से रु. 3,788 करोड़ की इक्विटी पूंजी, टियर- II बॉन्ड के माध्यम से रु. 3,994 करोड़ और एटी-I बॉन्ड के माध्यम से 495 करोड़ रुपये जुटाए। बैंक ने कम जोखिम प्रोफाइल वाले बेहतर रेटेड उधारकर्ताओं को लक्षित करके सतत व्यापार विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। इसी के साथ, बैंक अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीतिक रूप से अच्छी स्थिति में है।

## तकनीकी पहल और डिजीटलीकरण

बैंक मानता है कि इस गतिशील परिदृश्य में डिजिटलीकरण एक लागत प्रभावी अनिवार्यता है और तदनुसार सर्वोत्तम ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने पर केंद्रित है। बैंक ने बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में अनुसंधान करने और तकनीकी समाधान

## Asset Quality and Capital Adequacy

Despite Covid-19 scenario during most of the period (during FY 20-21), Bank was able to contain Gross NPA at the level of Rs. 1,04,423 Crore as on 31st March 2021. While the Gross NPA ratio stood at 14.12 percent, Net NPA ratio was at 5.73 percent. Provision Coverage Ratio (PCR) remained at level of 80.14 percent.

As the asset quality improvement remains one of the top priority, the Bank is making optimum use of technology towards improvement in this regard. An exclusive Vertical for recovery of NPA Accounts, as part of the Organizational restructuring, called SASTRA Vertical has been created for exclusive & focussed recovery operations. In order to support recovery efforts of field functionaries, a common recovery portal i.e. SASTRA Portal has been rolled out. Further, for effective monitoring and follow-up of NPA Accounts, PNB Pride App, a Geo Tagging enabled App, was also rolled out. In addition, a Special OTS Scheme was launched during the year.

Towards improving underwriting standards in credit, Bank has launched an IT based solution for loan management christened as **PNB LenS-** the Lending Solution. This system has been implemented for Retail, Agriculture and MSME Loans (upto Rs. 25 Crore). The Corporate Module (Above Rs. 25 Crore) is being taken up in the next phase. Besides, end to end digital lending has also been enabled through pre-approved personal loans by using data analytics.

The capital adequacy of the Bank improved during the financial year on account of capital conservation measures, proactive capital raising and improved profitability. The Capital Adequacy ratio of the Bank stood at 14.32 percent, as of 31st March, 2021, with Tier-I capital at 11.50 percent and CET1 of 10.62 percent. During FY 2020-21, Bank has raised equity capital of Rs. 3,788 Crore through QIP, Rs 3,994 Crore through Tier-II Bonds and Rs 495 Crore through AT-1 Bonds. The Bank continued with its focus on sustainable business growth by targeting better rated borrowers with low risk profile. Going forward, the Bank is strategically well placed to meet the growing credit needs of the economy.

## Technology Initiatives and Digitalisation

The Bank recognizes that digitization is a cost effective imperative in this dynamic landscape and is accordingly focused on harnessing the power of technology for delivering best customer experience.

विकसित करने हेतु आईआईटी कैंपस में **पीएनबी–आईआईटी कानपुर इनोवेशन सेंटर** की संयुक्त रूप से स्थापना करने के लिए आईआईटी कानपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (FIRST) के साथ हाथ मिलाया।

वर्ष के दौरान, यूपीआई लेनदेन में 123 प्रतिशत की वृद्धि के साथ डिजिटल लेनदेन का प्रतिशत बढ़कर 56 प्रतिशत हो गया है। बैंक के 'वन फॉर ऑल' और 'ऑल फॉर वन' मोबाईल बैंकिंग एप्लिकेशन, **पीएनबी वनएप्प,** ने 31 मार्च 2021 के अंत तक 20 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं को अपने साथ जोड़ा है। एप्प को और अधिक सक्षम किया गया और कई नई कार्यक्षमताओं को जोड़कर इसे अधिक ग्राहक अनुकूल बनाया गया है जैसे 9 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्धता, एनपीएस की सदस्यता और योगदान की सुविधा, डेबिट कार्ड निजीकरण आदि।

वर्ष के दौरान, बैंक ने विदेशी मुद्रा व्यापार के विकास में तेजी लाने के लिए **ट्रेड फाइनेंस रीडिफाइंड** पोर्टल शुरू किया। चरण–I के तहत, पोर्टल का निर्यात मॉड्यूल लागू किया गया है, जिसमें ग्राहक सभी प्रकार के निर्यात बिल अनुरोध ऑनलाइन आसानी से कहीं से भी जमा कर सकते हैं। यह सभी स्वीकृत सीमाओं के डायनामिक डिस्प्ले और आरंभ किए गए लेनदेन के वास्तविक समय स्थिति अपडेट की सुविधा प्रदान करता है। आयात और विदेशी एलसी/बीजी मॉड्यूल विकासाधीन है और इसे चरण–II के तहत शुरू किया जाएगा।

डिजिटल चैनलों पर ग्राहकों को जोड़ने के उद्देश्य से, '**डिजिटल अपनाएं अभियान**' 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था, जहां 83 लाख से अधिक नए ग्राहक जुड़े। इसी तरह, 2 अक्टूबर 2020 को शुरू किए गए '**ग्राम संपर्क अभियान**' में डिजिटल ऑन बोर्डिंग, सामाजिक सुरक्षा और ऋण सुविधाओं के नामांकन हेतु लगभग 30000 शिविरों में 11 लाख ग्राहकों से सम्पर्क किया गया था।

## एमएसएमई लेंडिंग

एमएसएमई क्षेत्र हमारे औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ है और अर्थव्यवस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण विकास कारक है, जो उद्यमिता को बढ़ावा देता है, नवोन्नमेष को प्रेरित करता है और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है। आपका बैंक नई इकाइयों की स्थापना के साथ–साथ मौजूदा व्यावसायिक इकाइयों के विस्तार के लिए उधारकर्ताओं को सभी प्रकार की निधि आधारित और गैर–निधि आधारित सुविधाएं प्रदान करता है। आपके बैंक ने कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज में तहे दिल से भाग लिया तथा पात्र उधारकर्ताओं को पहले ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जा चुका है, जैसे; गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (GECL), दबावग्रस्त एमएसएमई हेतु अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना

Bank joined hands with IIT Kanpur and Foundation for Innovation & Research in Science & Technology (FIRST) to jointly establish the **PNB – IIT Kanpur Innovation Centre** at the IIT Campus to conduct research and develop technological solutions in the Banking & Financial Services sector.

During the year, the percentage share of digital transactions has improved to 56 percent with sharp increase in UPI transactions by 123 percent. Bank's 'One for All' and 'All for One' Mobile Banking application, **PNB ONE app,** has crossed more than 20 million users as at the end of 31st March 2021. The App has been further strengthened and made more customer friendly with addition of many new functionalities such as availability in 9 regional languages, facility for subscription and contribution of NPS, Debit Card Personalization, etc.

During the year, Bank launched **Trade Finance Redefined Portal** to accelerate the growth of forex business. Under Phase – I, the Export Module of the portal has been implemented wherein, the customer can submit all types of export bills request online conveniently from anywhere. It provides the facility of dynamic display of all sanctioned limits and Real time Status updates of the initiated transactions. Import and Foreign LC/BG Module is under development and shall be launched under Phase – II.

With an objective to on-board customers on digital channels, the **'Digital Apnayen Campaign'** was launched on 15th August 2020 where more than 83 Lakh customers were on-boarded. Similarly, in the **'Gram Sampark Abhiyan',** which was launched on 2nd October 2020, 11 Lakh customers were contacted in around 30000 camps for digital on boarding, enrolment for social security and credit facilities.

## MSME Lending

The MSME sector forms the backbone of our industrial sector and constitutes an important growth engine for the economy that promotes entrepreneurship, inspires innovation and boosts employment generation. Your Bank provides all types of fund based and non-fund based facilities to the borrowers for setting up new units as well as expansion of existing business units. Your Bank wholeheartedly participated in the Govt. of India special economic and comprehensive package to fight COVID 19 pandemic and the benefits have already been passed on to eligible borrowers through schemes like Guaranteed Emergency Credit Line (GECL), Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD) for Stressed MSMEs, PM Street

(CGSSD), पीएम स्ट्रीट वेंडर्स की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए गए शिशु ऋण के शीघ्र पुनर्भुगतान पर 2% की ब्याज अनुदान योजना, पीएनबी कोविड-19 आपातकालीन ऋण सुविधा (पीएनबी-सीईसीएफ) आदि।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आपके बैंक द्वारा विभिन्न पहलें की गई हैं जैसे चैनल वित्तपोषण के लिए गठबंधन, एनबीएफसी के साथ ऋणों का सह-वित्तपोषण, नकदी प्रवाह आधारित योजनाएं जैसे पीएनबी जीएसटी एक्सप्रेस ऋण तथा पीएनबी तत्काल योजना, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के लिए पीएनबी शिखर योजना, आदि। एमएसएमई का समर्थन करने के लिए, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों का पुनर्गठन भी किया गया था।

बैंक ने एमएसएमई जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक वर्टिकलाइज्ड ऋण संवितरण मॉडल भी तैयार किया है जिसमें मिड कॉर्पोरेट सेंटर ( रु.50 करोड़ तक के ऋण) और पीएनबी ऋण केंद्र (रु. 1 करोड़ तक के आरएएम ऋण) शामिल हैं।

## जन प्रबंधन

समामेलन के बाद, बैंक का पूरा स्टाफ एक संगठित टीम के रूप में कार्य कर रहा है। समामेलित इकाई के लिए तीनों बैंकों की सर्वोत्तम व्यवहार और नीतियों को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन नीतियों, प्रणाली और प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया गया है। पुन: प्रतिरूपित संगठन संरचना और वर्टिकलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए श्रमशक्ति को भी युक्तिसंगत बनाया गया है। सभी स्तरों पर, तीनों बैंकों के स्टाफ को उचित रूप से समाहित करना सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा, बैंक ने कर्मचारियों की अपेक्षाओं के साथ समामेलित इकाई के रणनीतिक बदलावों को संरेखित करने के लिए सांस्कृतिक एकीकरण की शुरुआत की।

बैंक ने अपने 1,00,000+ कर्मचारियों के समृद्ध प्रतिभाशाली समूह तक अपनी पहुंच को सुगम बनाने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। वर्ष के दौरान, बैंक ने अधिकारियों की कार्यक्षमता के दोहन और क्षमता में सुधार लाने के लिए कार्यनिष्पादन की बेहतर योजना, निगरानी और मूल्यांकन हेतु समामेलित इकाई के अधिकारियों के लिए अपनी डिजिटल कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) लागू की है। बैंक ने पदोन्नति कार्य में तेजी लाई और निर्बाध बैंकिंग परिचालन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु मार्च 2021 से पहले इस प्रक्रिया को पूर्ण किया।

कोविड-19 महामारी को देखते हुए, बैंक ने कार्यक्षेत्र में ज्ञान अर्जन करने की स्थिति को परिवर्तन किया है और इसे मौजूदा कक्षा सामग्री को बेजोड़ गति, पैमाने और गुणवत्ता वाले सशक्त एवं तीव्रतम ई-लर्निंग

Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi), Interest Subvention Scheme of 2% on Prompt Repayment of Shishu Loan Extended Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), PNB COVID-19 Emergency Credit Facility (PNB-CECF), etc.

In order to provide timely financial support to Micro and Small Enterprises various initiatives are taken by your Bank such as Tie-Ups for channel financing, co-lending of loans with NBFCs, cash-flow based schemes like PNB GST Express Loan and PNB Tatkal Scheme, PNB Shikhar Scheme for Jammu and Kashmir and Ladakh, etc. In order to support MSMEs, restructuring of Advances was also undertaken in terms of RBI guidelines.

Bank has also put in place a Verticalized Credit Delivery Model to focus on sectors like MSME that includes Mid Corporate Centres (Loans upto Rs. 50 Crore) and PNB Loan Points (RAM Loans upto Rs. 1 Crore).

## People Management

Post amalgamation, the entire staff of the Bank is working as a unified team. HR policies, system & procedures have been harmonized considering best of the practices & policies of the three banks for the amalgamated entity. Manpower has also been rationalized in view of the re-modelled organization structure and verticalization. Proper mix of staff of all the three banks at all levels has been ensured. Further, Bank initiated Cultural Integration to align the strategic shifts of the amalgamated entity with employee's expectations.

Bank has successfully integrated its Human Resources Management System (HRMS) for enhancing ease of access to its rich talent pool of 1,00,000+ employees. During the year, Bank has implemented its digital Performance Management System (PMS) for officers of the amalgamated entity for better planning, monitoring & evaluating the performance to unlock their potential and improve their efficiency. Bank expedited the promotion exercise and completed the process for FY 2021-22 before March 2021 to ensure uninterrupted Banking operations.

In view of the Covid-19 pandemic, Bank has changed the workplace learning and has shifted from classroom trainings to training through virtual mode by converting

समाधान में परिवर्तित करते हुए वर्चुअल मोड प्रशिक्षणों में बदल दिया है। कर्मचारियों ने आंतरिक कार्यक्रमों और बाहरी संस्थानों के माध्यम से कार्यक्रमों दोनों के जरिए कौशल-संवर्धन कार्यक्रमों में भाग लिया है।

existing classroom material into robust & rapid e-learning solutions having unmatched speed, scale and quality. Employees have undertaken the up-skilling programs both through internal programs and programs through Outside Institutes.

### कोविड-19 महामारी एवं बैंक की पहल

इस समय महामारी के मद्देनजर भविष्य का आर्थिक संकट अनिश्चित बना हुआ है। हालाँकि, महामारी की दूसरी लहर का प्रभाव आर्थिक मोर्चे पर पहली लहर की तुलना में कम गंभीर होगा क्योंकि व्यवसाय परिस्थिति के अनुकूल ढल गए हैं। बैंक ने नियामक के निर्देशों का संज्ञान लिया और अपने ग्राहकों की सभी श्रेणियों के हितों के लिए राहत तथा समर्थन उपायों को लागू किया। देश भर में व्याप्त अभूतपूर्व स्थिति के बावजूद, बैंक ग्राहकों को लगातार बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है और बैंक ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी प्रक्रिया शुरू की है। बैंक ने अपने कर्मचारियों की सहायता करने के लिए वर्क फ्रॉम होम (डब्ल्यूएफएच) की सुविधा, विशेष छुट्टी की सुविधा, कोविड -19 के कारण मृत्यु के मामले में एकमुश्त मुआवजा आदि देने जैसी कई पहल की हैं। इसके अलावा, कोविड -19 से प्रभावित कर्मचारियों की सहायता के लिए, कोविड -19 पीएनबी कर्मचारी सहायता पोर्टल नामक एक पोर्टल शुरू किया गया था। बेहतर ग्राहक सुविधा के लिए बैंकिंग के डिजिटल मोड पर अधिक जोर देना सुनिश्चित किया गया था।

एक सामाजिक रूप से जिम्मेदारी वाली संस्था के नाते और महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए, बैंक ने संगठनों के राहत संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसेंट्रेटर, अन्य जीवन सहायक चिकित्सा उपकरण एम्बुलेंस आदि का योगदान दिया है। बैंक ने पीएम केयर्स फंड में रु. 3.94 करोड़ और रु. 2.79 करोड़ का 8 राज्यों में मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान दिया है।

### Covid-19 Pandemic and Bank's Initiative

The future economic trajectory in view of the pandemic remains uncertain at this juncture. However, the impact of second wave of the pandemic will be less severe than the first wave on economic front since the businesses have adapted to the situation. The Bank took cognisance of Regulator's directives and implemented relief and support measures for the benefits of all the categories of its customers. Despite the unprecedented situation prevailing across the country, the bank has been continuously rendering banking services to customers and has started Video KYC process for opening of Saving Account through online mode. Bank has taken number of initiatives like extending Work from Home (WFH) facility, introduced the facility of special leave, one time compensation in case of death due to Covid-19 etc. to support its employees. Further, to assist staff impacted by Covid-19, a portal christened as "Covid-19 PNB Employee Support Portal" was started. Greater thrust on digital mode of banking was ensured for better customer convenience.

Being a socially responsible organization and in view of the second wave of the pandemic, Bank has contributed oxygen cylinders, concentrators, other life supporting medical equipments, Ambulances, etc. towards relief support of Organizations. Bank has also contributed Rs. 3.94 Crore to PM Cares fund and Rs. 2.79 Crore to Chief Ministers Relief Fund in 8 states.

### पुरस्कार और सम्मान

मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए गर्व हो रहा है कि बैंक की अनेक उपलब्धियां रहीं हैं और विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मंचों पर इन्हें मान्यता प्रदान की गई है। ज्यादातर सम्मान तकनीक के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। **आपके बैंक ने ET-BFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2020 में ET-BFSI मोस्ट इन्नोवेटिव पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ़ द ईयर जीता।** इसके अलावा, आईबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी 2019-20 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल और सर्वश्रेष्ठ आईटी जोखिम और साइबर सुरक्षा पहल नाम की श्रेणियों के तहत पीएनबी संयुक्त उपविजेता रहा।

इसके अलावा, मैसर्स इंफोसिस ने पीएनबी के पथप्रदर्शक प्रोसेस इन्नोवेशन के लिए फिनेकल क्लाइंट इनोवेशन अवार्ड्स 2020 में उप-विजेता अवार्ड से सम्मानित किया। बैंक को लीडर ऑफ़ द ईयर इन बैंकिंग श्रेणी के तहत डीएससीआई एक्सीलेंस अवार्ड भी प्रदान किया

### Awards and Recognitions

I am proud to share with you that Bank has multifarious achievements and has been acknowledged at diverse prestigious national platforms. Majority of the accolades have been in the front of technology. Your Bank won the ET-BFSI **"Most Innovative Public Sector Bank of the Year"** in the ET-BFSI Excellence awards 2020. Further, PNB was Joint runner-up in the IBA Banking technology 2019-20 awards under categories namely "Best Digital Financial Inclusion initiatives" and "Best IT Risk & Cyber Security initiatives".

Also, M/s Infosys awarded PNB with "Runner Up Award" in Finacle Client Innovation Awards 2020 for PNB's path breaking "Process Innovations". Bank was

गया। एसोचैम अवार्ड के अंतर्गत, पीएसबी विलय श्रेणी के तहत पीएनबी को डिजिटल सेवा में उपविजेता घोषित किया गया था।

बैंक सेवाओं को इन्नोवेटिव ट्रेनिंग प्रैक्टिस 2019-20 के लिए इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलप्मेंट (आईएसटीडी) द्वारा बीएफएसआई और आईटी आईटीईएस श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैंक को रिस्पांस टू कोविड गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) के तहत स्कॉच गोल्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मैसर्स बैंकिंग फ्रंटियर मैगजीन ने आपके बैंक के उत्पाद- पीएनबी वेरीफाई के लिए फिनोविटी अवार्ड 2021 प्रदान किया।

## भावी योजनाएँ

वित्तीय वर्ष 2020-21 ने बैंकिंग प्रणाली चार्ट को पीएसबी के बड़े पैमाने पर समामेलन के साथ एक नए क्षेत्र के रूप में देखा। हालांकि, कोविड-19 महामारी को वैश्विक आर्थिक इतिहास की सबसे विकट चुनौती माना गया। इसने डिजिटलीकरण की बढ़ती भूमिका के साथ, दुनिया भर में बैंकिंग व्यवसाय करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव भी शुरू किया है। सकारात्मक पक्ष को देखते हुए, बैंक डिजिटलीकरण और वर्टिकलाइज्ड बिजनेस मॉडल पर अधिक जोर देते हुए आसपास के अवसरों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बैंक का लक्ष्य डिजिटल कैनवास का लाभ उठाकर अपनी पहुंच, उत्पादकता और गुणवत्ता सेवा को बढ़ाना है और उच्च स्तर के डिजिटल जुड़ाव के साथ ग्राहकों की ओर ध्यान केंद्रित करके डिजिटल चैनल अपनाने में वृद्धि करना है।

एकीकरण प्रक्रिया के पूर्ण होने और पुनर्गठित संगठन संरचना के साथ, अब ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग में अग्रणी होने और एमएसएमई के लिए 'पसंदीदा बैंकर' बनने के दृष्टिकोण के साथ कारोबार के विकास पर जोर दिया जा रहा है। रिटेल, कृषि और एमएसएमई खंड के तहत, बैंक मौजूदा भौगोलिक क्षेत्रों में अपने कारोबार का प्रति शाखा शेयर बढ़ाने और कम उपस्थिति वाले क्षेत्रों में अपनी पैठ बढ़ाने की योजना बना रहा है। बैंक नए उभरते क्षेत्रों की वित्तीय जरूरतों और उन ग्रामीण क्षेत्र में भावी व्यावसायिक अवसरों को खोजने की संभावनाओं का भी पता लगाएगा, जो अभी भी काफी हद तक अनछुए हैं।

बैंक अपनी आरामदायक पूंजी स्थिति, लाभप्रदता और पुनर्गठित संगठन संरचना को देखते हुए भविष्य के दबाव का प्रबंधन करने की बेहतर स्थिति में है। बैंक सूक्ष्म निगरानी, बेहतर हामीदारी विवेक, जोखिम नियंत्रण और पूंजी सुधार पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ आस्ति गुणवत्ता सुधार की दिशा में प्रौद्योगिकी के सर्वोतम प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। बेहतर लाभप्रदता के लिए बैंक अपने गैर-ब्याज आय स्रोतों में विविधता लाने का भी प्रयास करेगा।

आगे, बैंक का प्रयास अपनी अंतर्निहित शक्तियों और 126 वर्षों के बैंकिंग अनुभव के आधार पर नए उभरते परिदृश्य के अनुकूल होने के

also given DSCI Excellence Awards 2020 under the category "Security Leader of the Year in Banking". Under ASSOCHAM Awards, PNB was declared Runner up in Digital Service under PSB merged category.

Bank was awarded Second Prize in Services (BFSI & IT/ITES Category) by Indian Society for Training and Development (ISTD) for Innovative Training Practices 2019-20. The Bank was also honoured with Skoch Gold Award under Response to COVID Guaranteed Emergency Credit Line (GECL). M/S Banking Frontier magazine bestowed "Finnoviti Award 2021" for your Bank's Product – PNB Verify.

## Looking Ahead

The FY 2020-21 saw the banking system chart a new territory with large scale amalgamations of PSBs. However, Covid-19 pandemic posed to be the most formidable challenge in the global economic history. It has also triggered a paradigm shift in the way banking business is undertaken across the globe, with an increasing role of digitalisation. Looking at the brighter side, Bank is focussed on leveraging the opportunities around the corner with greater thrust on digitalization and the verticalized business model. Bank aims to increase its outreach, productivity and quality service by leveraging Digital Canvas and increase digital channel adoption by focusing on customer segments with high degree of digital engagement.

With completion of integration process and revamped organisation structure in place, the thrust is now on Business Growth with an approach to be a leader in Rural and Agri Banking and be the 'Preferred Banker' for MSMEs. Under Retail, Agriculture and MSME Segment, Bank plans to increase its business per branch share in existing geographies and enhance its penetration in areas with low presence. Bank will also explore opportunities to address the financing needs of new sunrise sectors and the prospective business opportunities in the rural sector which still remains largely unexplored.

Bank is better positioned in managing future stress in view of its comfortable capital position, profitability and revamped organization structure. Bank will focus on optimum use of technology towards asset quality improvement with close monitoring, greater focus on better underwriting prudence, risk controls and capital improvement. Bank will also endeavour to diversify its non interest income sources, for improved profitability.

Going forward, Bank's endeavor will be to continuously reinvent itself to adapt to the new emerging landscape buttressed by its inherent strengths and 126 years of

लिए स्वयं को लगातार नए सिरे से तैयार करना होगा। हमारा प्रयास भावी पीढ़ी के बैंकिंग संस्थान का निर्माण करना है जो अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्यवान हो।

प्रमुख हितधारकों के रूप में, इस यात्रा के दौरान आपका दृढ समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है और मुझे विश्वास है कि इस दिशा में आपका समर्थन भविष्य में भी जारी रहेगा।

मैं, बोर्ड के सभी सदस्यों को उनके बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं, इस अवसर पर अपने सभी हितधारकों को बैंक में उनके दृढ विश्वास के लिए भी तहेदिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे ग्राहकों से मिल रहे निरंतर समर्थन के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस चुनौतीपूर्ण समय में ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने कर्मचारियों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि यह प्रतिष्ठित संस्थान और भी अधिक ऊंचाइयों को छुएगा और अपने विकास पथ को जारी रखेगा।

आपका,

**(सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव)**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

banking experience. Our endeavor is to build a Next Generation Banking Institution that creates value for all its stakeholders.

As major stakeholders, your unequivocal support throughout this journey has been instrumental for us and I am sure that your support in this direction will continue in future also.

I would like to acknowledge and thank all members of the Board for their valuable support and guidance. I also take this opportunity to wholeheartedly thank all our stakeholders for their unequivocal trust in the Bank. I sincerely express my gratitude for the continuous patronage we have received from our customers. I especially thank all our employees, in providing continuous services to customers in these challenging times. I am confident that this esteemed institution will scale still greater heights and continue its growth trajectory.

Yours Sincerely,

**(CH. S. S. Mallikarjuna Rao)**
Managing Director & CEO

# निदेशक मंडल | Board of Directors

**श्री. सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव**
प्रबंध-निदेशक एवं सीईओ
**Shri. CH. S.S. Mallikarjuna Rao**
Managing Director & CEO

**श्री. संजय कुमार**
कार्यपालक निदेशक
**Shri. Sanjay Kumar**
Executive Director

**श्री. विजय दुबे**
कार्यपालक निदेशक
**Shri. Vijay Dube**
Executive Director

**श्री. अज्ञेय कुमार आज़ाद**
कार्यपालक निदेशक
**Shri. Agyey Kumar Azad**
Executive Director

**श्री. स्वरूप कुमार साहा**
कार्यपालक निदेशक
**Shri. Swarup Kumar Saha**
Executive Director

**श्री. पंकज जैन**
भारत सरकार के नामित निदेशक
**Shri. Pankaj Jain**
Government of India Nominee Director

**श्री. विवेक अग्रवाल**
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक
**Shri. Vivek Aggarwal**
Reserve Bank of India Nominee Director

**डॉ. आशा भंडारकर**
शेयरधारक निदेशक
**Dr. Asha Bhandarkar**
Shareholder Director

**श्री. गौतम गुहा**
शेयरधारक निदेशक
**Shri. Gautam Guha**
Shareholder Director

**श्री. विजय कुमार त्यागी**
मुख्य सतर्कता अधिकारी
**Shri. Vijay Kumar Tyagi**
Chief Vigilance Officer

# मुख्य महाप्रबंधक | Chief General Managers

श्री. राम कुमार
Shri. Ram Kumar

श्री. सुनील सोनी
Shri. Sunil Soni

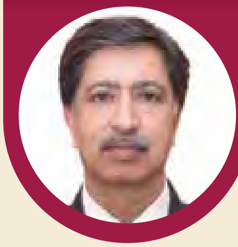

श्री. राजेश वर्मा
Shri. Rajesh Verma

श्री. गौरी प्रसाद शर्मा
Shri. Gauri Prosad Sarma

श्री. विमलेश कुमार
Shri. Vimlesh Kumar

श्री. विशेष कुमार श्रीवास्तव
Shri. Vishesh Kumar Srivastava

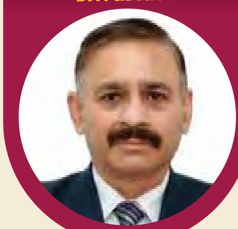

श्री. रजनीश कर्नाटक
Shri. Rajneesh Karnatak

श्री. बिक्कर सिंह मान
Shri. Bikker Singh Mann

श्रीमती. आरती मट्टू
Mrs. Arti Mattoo

श्री. सुरेंद्र कुमार दीक्षित
Shri. Surendra Kumar Dixit

श्री. नसीम अहमद
Shri. Nasim Ahamad

श्री. नबीन कुमार दाश
Shri. Nabin Kumar Dash

श्री. दिलीप कुमार जैन
Shri. Dilip Kumar Jain

श्री. बिनोद कुमार
Shri. Binod Kumar

श्री. अश्वनी कुमार
Shri. Ashwani Kumar

श्री. वी सुन्दरेशन
Shri. V Sundaresan

श्री. आशुतोष चौधरी
Shri. Ashutosh Choudhury

श्री. समीर बाजपेयी
Shri. Sameer Bajpai

# मुख्य महाप्रबंधक | Chief General Managers

## उच्च स्तर पर पदोन्नति I Elevated to higher level

**श्री. देबदत्त चाँद**
कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा
**Shri. Debadatta Chand**
Executive Director, Bank of Baroda

**श्री. राजीव पुरी**
कार्यपालक निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
**Shri. Rajeev Puri**
Executive Director, Central Bank of India

**श्री. ब्रिज मोहन शर्मा**
कार्यपालक निदेशक, केनरा बैंक
**Shri. Brij Mohan Sharma**
Executive Director, Canara Bank

## सेवानिवृत्त I Superannuated

**श्री. विवेक झा**
**Shri. Vivek Jha**

**श्री. चंदर खुराना**
**Shri. Chander Khurana**

# विषय सूची


| | पृष्ठ सं. |
|---|---|
| नोटिस | 2-14 |
| निदेशकों की रिपोर्ट | 15-45 |
| प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण | 47-70 |
| कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षको का प्रमाण पत्र | 71-72 |
| कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट | 73-124 |
| सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट | 125-131 |
| निदेशको की गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र | 132-133 |
| कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट | 135-154 |
| कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट | 155-169 |
| बेसल-III के अंतर्गत प्रकटीकरण | 170-171 |
| **एकल वित्तीय विवरणियां** | 173 |
| - तुलन-पत्र | 174-175 |
| - लाभ-हानि खाता | 176-178 |
| - अनुसूचियां | 179-191 |
| - प्रमुख लेखांकन नीतियां | 192-204 |
| - खातों से संबंधित टिप्पणियां | 205-261 |
| - नकदी प्रवाह विवरण | 262-265 |
| - लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट | 266-277 |
| **समेकित वित्तीय विवरणियां** | 279 |
| - तुलन-पत्र | 280-281 |
| - लाभ-हानि खाता | 282-284 |
| - अनुसूचियां | 285-297 |
| - प्रमुख लेखांकन नीतियां | 298-312 |
| - खातों से संबंधित टिप्पणियां | 313-336 |
| - नकदी प्रवाह विवरण | 337-340 |
| - लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट | 341-350 |


**लेखा परीक्षक**

एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
एम के अग्रवाल एंड कंपनी
ए जॉन मॉरिस एंड कंपनी
एस आर गोयल एंड कंपनी
पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स

**शेयर अंतरण एजेंट**

बीटल फाईनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसिज (प्रा.) लि,
'बीटल हाउस', तृतीय तल,
99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे,
नई दिल्ली - 110062
टेली.नं. 011-29961281/82/83, फैक्स : 011-29961284
ईमेल: beetal@beetalfinancial.com

# *Contents*


| | Page No. |
|---|---|
| Notice | 2-14 |
| Directors' Report | 15-45 |
| Management Discussion and Analysis | 47-70 |
| Auditors' Certificate on Corporate Governance | 71-72 |
| Report on Corporate Governance | 73-124 |
| Secretarial Audit Report | 125-131 |
| Certificate of Non-Disqualification of Directors | 132-133 |
| Business Responsibility Report | 135-154 |
| Corporate Social Responsibility Report | 155-169 |
| Disclosure under Basel-III | 170-171 |
| **Standalone Financial Statements** | 173 |
| - Balance Sheet | 174-175 |
| - Profit & Loss Account | 176-178 |
| - Schedules | 179-191 |
| - Significant Accounting Policies | 192-204 |
| - Notes to Accounts | 205-261 |
| - Cash Flow Statement | 262-265 |
| - Auditors' Report | 266-277 |
| **Consolidated Financial Statements** | 279 |
| - Balance Sheet | 280-281 |
| - Profit & Loss Account | 282-284 |
| - Schedules | 285-297 |
| - Significant Accounting Policies | 298-312 |
| - Notes to Accounts | 313-336 |
| - Cash Flow Statement | 337-340 |
| - Auditors' Report | 341-350 |


**AUDITORS**

S N Dhawan & Co. LLP.
M K Aggarwal & Co.
A John Moris & Co.
S R Goyal & Co.
PSMG & Associates

**SHARE TRANSFER AGENT**

Beetal Financial & Computer Services (P) Limited
'Beetal House', 3rd Floor
99, Madangir, Behind Local Shopping Centre
New Delhi 110062
Tel. No. 011-29961281/82/83, Fax: 011-29961284
e-mail: beetal@beetalfinancial.com

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

**प्रधान कार्यालय: प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075**
(ई-मेल: hosd@pnb.co.in)

# सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की 20वीं वार्षिक आम बैठक **26 जुलाई, 2021, सोमवार को प्रात: 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम)** के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :-

**साधारण कारोबार**

31 मार्च 2021 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखों पर, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन देना तथा स्वीकार करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

**"संकल्प किया जाता है कि** 31 मार्च 2021 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखों, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, तथा, तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्द्वारा **अनुमोदित एवं स्वीकार किया गया।"**

**निदेशक मंडल के आदेश द्वारा**
**कृते पंजाब नैशनल बैंक**

**(एकता पसरीचा)**
**कंपनी सचिव**

**स्थान: नई दिल्ली**
**दिनांक: 29.06.2021**

पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !

punjab national bank
...the name you can BANK upon !

Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075
(e-mail id: hosd@pnb.co.in)

## NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 20th Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank will be held on **Monday, the 26th July, 2021 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2021, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2021, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

To consider and if thought fit, to pass the following Resolution:

**"RESOLVED THAT** the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2021, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2021, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts be and are hereby, **approved and adopted."**

**By order of the Board of Directors**
**For Punjab National Bank**

**(Ekta Pasricha)**
**Company Secretary**

**Place: New Delhi**
**Date: 29.06.2021**

## टिप्पणियाँ:

**1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक**

निरंतर कोविड-19 महामारी और सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं को देखते हुए, एमसीए (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय) ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के माध्यम से कंपनियाँ 31 दिसंबर, 2021 तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से अपनी एजीएम आयोजित करले की अनुमति दी। एमसीए के अनुरूप, सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आम बैठकें आयोजित करने के संबंध में सूचीबद्ध संस्थाओं को छूट भी 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी है।

उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की 20वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसमें सदस्यों की एक सामान्य स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के विनियम 58 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी। 20वीं एजीएम के लिए संभावित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय रहेगा।

शेयरधारक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैंक की एजीएम में नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके, शामिल हो सकते हैं, जो शेयरधारकों के लिए सुबह 10:30 बजे से अर्थात एजीएम शुरू होने के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुला रखा जाएगा। बैंक/एनएसडीएल निर्धारित समय के 30 मिनट बाद वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए विंडो बंद कर सकता है।

शेयरधारक यह नोट करें कि एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों की भागीदारी की अनुमति देती है। बैंक की शेयर पूंजी का 2% या अधिक रखने वाले शेयरधारक, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि एजीएम में पहले-आओ-पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के आधार पर भाग ले सकते हैं।

**2. प्रॉक्सी की नियुक्ति:**

बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारक, स्वयं के अलावा किसी और को उपस्थित करने और मतदान करने हेतु एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए पात्र है और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। पूर्वोक्त दिशानिर्देशों के अनुसरण में इस एजीएम में भाग लेने और शेयरधारकों के लिए वोट डालने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

**3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:**

कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक वीसी/ओएवीएम एवं/या ई-मतदान के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने या मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक उस बैठक, जिसमें यह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रमाणित सत्यप्रति वित्त प्रभाग, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, पंजाब नैशनल बैंक ईस्ट विंग,प्रथम तल,प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में, अथवा संवीक्षक को ई-मेल

## NOTES:

**1. Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)**

In view of the continuing COVID-19 pandemic and social distancing requirements, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide its General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM till 31st December, 2021. In line with MCA, SEBI has vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 also extended the relaxations to listed entities in respect of holding General Meetings through VC/OAVM till 31st December, 2021.

In accordance with the aforesaid Guidelines, the 20th Annual General Meeting (AGM) of the Bank is being conducted through VC/OAVM Facility which does not require physical presence of members at a common venue. Shareholders attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000. The deemed venue for the 20th AGM shall be the Head Office of the Bank.

Shareholders may join the AGM of the Bank through VC/ OAVM facility, by following the procedure as mentioned in the Notice, which shall be kept open for the shareholders from 10:30 a.m. i.e., 30 minutes before the time scheduled to start the AGM. The Bank/NSDL may close the window for joining the VC/OAVM facility 30 minutes after the scheduled time.

Shareholders may note that the VC/OAVM Facility, provided by NSDL, allows participation of at least 1,000 Members on a first-cum-first-served basis. The shareholders holding 2% or more of the share capital of the Bank, Promoter, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc. can attend the AGM without any restriction on account of first-cum-first-served basis.

**2. Appointment of Proxy**

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. Pursuant to the aforesaid Guidelines the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the shareholders is not available for this AGM.

**3. Appointment of an Authorised Representative:**

No person shall be entitled to attend the AGM through VC / OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, shall have been deposited at the Share Department, Punjab National Bank, East Wing, First Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075 or sent to the Scrutinizer by e-mail to Scrutinizer@

Scrutinizer@snaco.net पर भेज दी जाए और इसकी प्रति evoting@nsdl.co.in और hosd@pnb.co.in पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात बुधवार, 21 जुलाई 2021 को समाप्ति समय अर्थात सांय 5.00 बजे से पहले अवश्य जमा करा दी जाए।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

4. **शेयरधारकों का रजिस्टर बंद करना:**

शेयरधारकों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बही मंगलवार, 20 जुलाई 2021 से सोमवार, 26 जुलाई 2021 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

5. **मतदान का अधिकार**

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 3 (2 ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक के किसी भी शेयरधारक को उसके शेयरों के सम्बन्ध में बैंक के शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के 10% से अधिक मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा। यदि कोई भी शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में जिसका नाम पहले है उसे एकमात्र धारक माना जाएगा।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014, के नियम 20 के अनुसार जो शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने के पात्र हैं, वे अपने वोट का प्रयोग इलैक्ट्रानिक साधन के माध्यम से कर सकते हैं।

6. **इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से वोटिंग**

I. सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) के विनियमन 2015 के विनियम 44, स्टाफ एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसरण में और कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 यथासंशोधित के नियम 20 के प्रावधान जो एमसीए परिपत्रों के साथ पठित है की अनुपालना में बैंक अपने शेयरधारकों को एजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में आम बैठक में इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग करने की सुविधा दे रहा है और यह सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से दी जा रही है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि 19 जुलाई 2021 है।

II. वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होंगे और जिन्होंने सुदूर ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना वोट नहीं दिया है, वह वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे। बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) को अधिकृत एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

III. जिन शेयरधारकों ने बैठक से पूर्व दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

IV. रिमोट ई वोटिंग के लिए निर्देश निम्नवत है :-

(i) रिमोट ई वोटिंग की अवधि गुरुवार, 22 जुलाई 2021 से (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और रविवार, 25 जुलाई 2021 (सायं

snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in and hosd@pnb.co.in, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of Wednesday, the 21st July, 2021

No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.

4. **Closure of Register of Shareholders:**

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Tuesday, 20th July, 2021 to Monday, 26th July, 2021 (both days inclusive).

5. **Voting Rights**

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended), no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

6. **Voting through Electronic Means**

I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The Cut-Off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is Monday, 19th July, 2021.

II. Those shareholders, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolution through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Bank has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorized agency for facilitating voting through electronic means.

III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The instructions for remote e-voting are as under:

(i) The remote e-voting period begins on Thursday, 22nd July, 2021 (9:00 a.m.) and ends on Sunday, 25th July,

5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान कट आफ तिथि 19 जुलाई 2021 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारण करते हो या अमूर्त रूप में, वे इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। ई वोटिंग के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग माडयूल हटा दिया जाएगा।

(ii) रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और विधि का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

**चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच**

**क) डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉग इन विधि।**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागार और निक्षेपागार सहभागियों के साथ बनाए गए डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

| शेयरधारकों का प्रकार | लॉग इन का प्रकार |
|---|---|
| एनएसडीएल के साथ डीमैट माध्यम में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | 1. यदि आप एनएसडीएल IDeAS सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवाएं वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉग इन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें जो "IDeAS" अनुभाग के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। वहां आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। बैंक या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा। |

2021 (5:00 p.m.). During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Monday, 19th July, 2021, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

(ii) The details of the process and manner for remote e-voting are explained herein below:

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

**Step 1: Access to NSDL e-Voting system**

**A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat accounts /website of Depositories / Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

| Type of shareholders | Login Method |
|---|---|
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL. | 1. If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under "IDeAS" section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on options available against name of the Bank or e-Voting service provider - NSDL and you will be re-directed to NSDL e-Voting website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining Virtual Meeting & voting during the Meeting. |

| | |
|---|---|
| | 2. यदि आप IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "IDeAS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" पोर्टल का चयन करें या https://eservices.nsdl.com@SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।<br>3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके या तो व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉग इन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (यथा एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। बैंक या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।<br>4. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध वोटिंग अनुभव की सुविधा के लिए एनएसडीएल मोबईल ऐप "एनएसडीएल स्पीडी" भी डाउनलोड कर सकते हैं। एनएसडीएल मोबाइल ऐप, ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर उपलब्ध हैं। |
| सीएसडीएल के साथ डीमैट माध्यम में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | 1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/Easiest का विकल्प चुना है, वे अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग इन कर सकते हैं। बिना किसी अन्य प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए मेंय/मेंयमेज में लॉग इन करने के लिए यूआरएल हैं https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com और न्यू सिस्टम Myeasi पर क्लिक करें।<br>2. Easi/Easiest के सफल लॉग इन के बाद उपयोगकर्ता ई वोटिंग मेनू भी देख सकेगा। मेन्यू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें।<br>3. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/ my easi /Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। |

| | |
|---|---|
| | 2. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS" Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp<br>3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digits demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on options available against name of the Bank or e-Voting service provider - NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining Virtual Meeting & voting during the Meeting.<br>4. Shareholder/Member can also Download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility for seamless voting experience. NSDL Mobile App is available on App Store and Google Play. |
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL | 1. Existing users who have opted for Easi / Easiest, they can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URLs for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi.<br>2. After successful login of Easi/Easiest the user will be also able to see the E Voting Menu. The Menu will have links of e-Voting service provider i.e. NSDL. Click on NSDL to cast your vote.<br>3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/ myeasi/Registration/EasiRegistration |

| | |
|---|---|
| | 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में दिए एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्राप्त करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नम्बर और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाण ीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी अर्थात एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है। |
| व्यक्तिगत शेयरधारक (प्रतिभूतियों को डीमैड माध्यम में रखना) अपने निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं | आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉग इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। बैंक या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता-एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुन: प्रेषित कर दिया जाएगा। |

**आवश्यक सूचना:** जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी भूल गए और पासवर्ड भूल गए विकल्प का उपयोग करें।

निक्षेपागार अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

| लॉग इन का प्रकार | हेल्पडेस्क विवरण |
|---|---|
| एनएसडीएल के साथ डीमैट माध्यम में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं। |
| सीएसडीएल के साथ डीमैट माध्यम में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022-23058738 या 022-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं। |

**ख) डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियों के धारिता वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक माध्यम में प्रतिभूतियों के धारिता वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि।**

| | |
|---|---|
| | 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a link in www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP i.e. NSDL where the e-Voting is in progress. |
| Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants | You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on options available against name of the Bank or e-Voting service provider-NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining Virtual Meeting & voting during the Meeting. |

***Important note:*** Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

| Login type | Helpdesk details |
|---|---|
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL | Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 |
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL | Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 022-23058542-43 |

**B) Login Method for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.**

**एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?**

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्न यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. एकबार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद, 'लॉगइन' आइकॉन पर क्लिक करें जोकि 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के तहत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी, अपना पासवर्ड और स्क्रीन पर दर्शाया गया सत्यापन कोड दर्ज करना होगाद्य वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल सेवाओं यानी (आइडियाज) के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एनएसडीएल की ई-सेवाओं में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।
4. आपके यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

| **शेयर धारित करने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक** | **आपका यूजर आईडी है:** |
|---|---|
| क) एनएसडीएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए | 8 अंकों के ग्राहक आईडी के बाद 8 कैरेक्टर की डीपीआईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपीआईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12****** होगा |
| ख) सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों केलिए। | 16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी बेनिफिशरी आईडी 12************** है तो आपका यूजर आईडी 12************** होगा |
| ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए | इवन नंबर के बाद बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और इवन 101456 है तो यूजर आई 101456001*** होगा। |

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा शेयरधारकों हेतु पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं।

ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुन: प्राप्त करना होगा, जो आपको भेजा गया था। एक बार जब आप अपना 'इनिशियल पासवर्ड' पुन: प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

**How to Log-in to NSDL e-Voting website?**

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are as follows:

| **Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical** | **Your User ID is:** |
|---|---|
| a) For Members who hold shares in demat account with NSDL. | 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******. |
| b) For Members who hold shares in demat account with CDSL. | 16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12************** |
| c) For Members holding shares in Physical Form. | EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank for example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001*** |

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

a) If you are already registered for e-Voting, then you can user your existing password to login and cast your vote.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

(i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के पास पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर आपको भेजा जाता है। अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल से भेजे गए ईमेल को ढूंढें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात् पीडीएफ फ़ाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए पीडीएफ फ़ाइल को खोलने का पासवर्ड आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है, सीएसडीएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी का अंतिम 8 अंक या भौतिक शेयरों के लिए फ़ोलियो नंबर पासवर्ड होगा। पीडीएफ फ़ाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए **प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं** के तहत दिए गए चरणों का पालन करें।

6. यदि आप अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या 'प्रारंभिक पासवर्ड" प्राप्त नहीं किया है या भूल चुके हैं:

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/ Password? पर क्लिक करें। (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं)।

ख) "Physical User Reset Password?" विकल्प (यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण करते हैं) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

ग) यदि आप अभी भी उक्त दो विकल्पों के द्वारा पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट अकाउंट नंबर/फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करके अनुरोध भेज सकते हैं।

घ) शेयरधारक एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर "Terms and Conditions" पर सहतमम पर सही करें।

8. अब, आपको, लॉगिन 'बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "Login" 'बटन पर क्लिक करने के बाद, e-Voting का होम पेज खुल जाएगा।

**स्टेप 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भाग लेने और अपने वोट डालने का विवरण नीचे दिया गया है:**

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कैसे भाग लें और कैसे अपना वोट डालें?

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप सभी कंपनियों के "EVEN" देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र (वोटिंग साईकल) और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।

2. रिमोट ई-वोटिंग के दौरान तथा अपना वोट डालने के लिए पंजाब नैशनल बैंक के "EVEN" का चयन करें। वर्च्युअल बैठक में भाग लेने के लिए आपको "आम बैठक में भाग लें" के तहत दिए गए लिंक "वीसी/ओएवीएम" पर क्लिक करना होगा।

c) How to retrieve your 'initial password'?

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a pdf file. The password to open the pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered**

6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

**Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL eVoting system.**

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.

2. Select "EVEN" of Punjab National Bank to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".

3. उचित विकल्प का चयन करके आप अपना वोट डाल सकते हैं, अर्थात, सहमति या असहमति, सत्यापित/ संशोधित उन शेयरों की संख्या, जिसके लिए आप वोट डालना चाहते है और "सबमिट" पर क्लिक कर दें एवं अपने वोट को "कंफर्म'' भी करें।

4. पुष्टि करने के बाद, "सफलतापूर्वक वोट डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।

5. आप पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प को क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

**एक बार संकल्प पर अपना वोट डालने की पुष्टि करने के बाद आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।**

**शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश**

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, स्क्रूटिनाइज़र को ई-मेल द्वारा Scrutinizer@snaco.net पर evoting@nsdl.co.in पर चिह्नित एक प्रति के साथ भेजना होगा।

2. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" वत "Physical User Reset Password?'' विकल्प पर जाना होगा।

3. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को संदर्भित कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं। या सुश्री पल्लवी, प्रबंधक म्हात्रे को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं (संपर्क संख्या: +91-22-2499 4360; +91-22-2499 4545)

**ऐसे शेयरधारक जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया:**

1. यदि शेयर भौतिक रूप में है, तो कृपया फोलियो नं., शेयरधारक के नाम, शेयर प्रमाणपत्र (सामने एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित स्कैन की गई प्रति बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर स्थानांतरण एजेंट को beetal@beetalfinancial.com ईमेल पर भेजें।

2. यदि शेयर डीमैट मोड में है, तो कृपया शेयरधारक डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी+सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), अपना नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित स्कैन की गई प्रति बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर स्थानांतरण एजेंट को beetal@beetalfinancial.com ईमेल पर भेजें। यदि आप एक डीमैट मोड में रखे प्रतिभूतियों के व्यक्तिगत शेयरधारक है, तो आपसे चरण 1 (क) अर्थात "डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन की विधि" में बताई गई लॉगिन विधि का सन्दर्भ लेने का अनुरोध किया जाता है।

3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावेजों को प्रदान करके ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in को अनुरोध कर सकते है।

3. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

4. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

5. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

**Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.**

**General Guidelines for shareholders**

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to Scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to or Ms. Pallavi Mhatre, Manager at evoting@nsdl.co.in (Contact Nos.: +91-22-2499 4360; +91-22-2499 4545)

**Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:**

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR card by email to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank (STA) at beetal@beetalfinancial.com

2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR Card) to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank (STA) at beetal@beetalfinancial.com. If you are an Individual shareholder, holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at Step 1 (A) i.e. "Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode".

3. Alternatively shareholders may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.

4. 'सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा' पर सेबी के 9 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में डीमैट खाते/निक्षेपागारों की वेबसाइट/निक्षेपागार भागीदारों के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सटीक रूप से अद्यतन करना आवश्यक है।

**एजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार है:-**

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया उसी तरह से है जैसे रिमोट ई-वोटिंग हेतु उपर्युक्त उल्लेख किए गए निर्देश हैं।
2. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाले एवं ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, वो एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
3. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिन व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है, उनका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए यथा उल्लिखित अनुसार ही होगा।

**शेयरधारकों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:**

1. शेयरधारक एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम सुविधा के द्वारा एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। शेयरधारक **"एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का एक्सेस"** हेतु उपरोक्तानुसारक चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि **"ज्वाइन जनरल मीटिंग"** मेन्यू में दिए गए "लिंक वीसी/ओएवीएम" पर क्लिक करें/ सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद, आप बैंक के नाम के सामने "आम बैठक में शामिल हों" मेनू के तहत रखे गए "वीसी/ओएवीएम लिंक" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि जॉइन जनरल मीटिंग मेन्यू के तहत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां बैंक का ईवन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय पर भाग दौड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

   एजीएम से पूर्व या इसके दौरान, तकनीक के प्रयोग के लिए सहायता प्राप्त करने के इच्छुक शेयरधारक द्वारा संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का हेल्पलाइन विवरण वही होगा जो कि रिमोट ई-वोटिंग के लिए दिया गया है।
2. बेहतर अनुभव हेतु शेयरधारक लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, शेयरधारकों को मीटिंग के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने हेतु एक अच्छी गति के साथ इंटरनेट और कैमरे की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेटों या लैपटॉप आदि के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट करने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उक्त रुकावट को कम करने हेतु स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on 'e-Voting facility provided by Listed Companies', Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account/ website of Depositories/ Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

**The instructions for Shareholders for E-Voting on the day of the AGM are as under:-**

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM, however, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. The details of the persons who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same as mentioned for Remote e-voting.

**Instructions for Shareholders for attending the AGM through VC/OAVM are as under:**

1. Shareholders will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Shareholders may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system.** After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under **"Join General meeting"** menu against the name of the Bank. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Bank will be displayed. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

   The Helpline details of the persons who may be contacted by the Shareholder needing assistance with the use of technology, before or during the AGM shall be the same as mentioned for remote e-Voting.
2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience. Further, Shareholders will be allowed to use Camera and should have Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

3. जो शेयरधारक, एजीएम के दौरान एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें अपने नाम, डीपी आईडी का उल्लेख करते हुए अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से अपना अनुरोध भेजकर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करना होगा। आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर, एजीएम शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले अर्थात 24 जुलाई, 2021 को सुबह 11.00 बजे या उससे पहले बैंक की ईमेल आईडी यथा hosd@pnb.co.in पर भेजना होगा। वे शेयरधारक जिन्होंने स्वयं को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

4. शेयरधारक, जो वीसी/ओएविएम के द्वारा एजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले यानी 24 जुलाई, 2021 तक 11:00 सुबह बजे तक अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए बैंक के ईमेल पते अर्थात hosd@pnb.co.in पर अपने प्रश्न प्रश्न बॉक्स के माध्यम से अग्रिम रूप से भेज सकते हैं/ शेयरधारकों द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों को बैठक के दौरान उठाया जाएगा या बैंक द्वारा उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।

5. संस्थागत निवेशक, जो बैंक के शेयरधारक हैं, से अनुरोध किया जाता है कि वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हों।

7. **संवीक्षक**

मैसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यम एवं कंपनी. सचिवालय, को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए बैंक द्वारा संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर अध्यक्ष को दिए गए कुल मतों पर एक समेकित संवीक्षककर्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति लिखित रूप में उक्त पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे तथा स्टॉक एक्सचेंज और बैंक की वेबसाइट पर समेकित संवीक्षककर्ता की रिपोर्ट के साथ परिणाम प्रस्तुत करते हुए तुरंत मतदान के परिणाम घोषित करेगा।

8. **अदावाकृत लाभांश**

शेयरधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि कोई लाभांश राशि इसकी देय तिथि से 7 वर्षों के लिए अदत्त/अदावाकृत रहती है, तो उक्त अदत्त/अदावाकृत राशि को अधिनियम की धारा 10ठ के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) को अंतरित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2011-12 तक लाभांश खाते और वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु अंतरिम लाभांश में अदत्त/अदावाकृत राशि को आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है।

वर्ष 2013-14 (अंतिम) हेतु आईईपीएफ को भुगतान/दावा न किए गए लाभांश को हस्तांतरित किया जाना है। जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश (ओं) प्राप्त/दावा नहीं किया है, वे उक्त राशि का दावा करने के लिए अपना नवीनतम पता, मोबाइल/टेलीफोन नंबर फोलियो नंबर/ डीपी-आईडी और ग्राहक आईडी तथा बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड इत्यादि, देते हुए अनुरोध करें, क्योंकि यह राशि आईईपीएफ को अंतरित करने हेतु देय है। यदि दावा नहीं किया गया है, तो लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंट/प्राप्त लाभांश को नहीं भुनाया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसके दावे के लिए बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें। बैंक के पास पड़े अदत्त/ अदावाकृत लाभांश की वर्षवार सूची बैंक की वेबसाइट (www.pnbindia.in) पर अपलोड की गई है।

3. Shareholders, who would like to express their views/ask questions during the AGM with regard to the business to be transacted at the AGM, need to register themselves as a Speaker by sending their request from their registered email id mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to reach the Bank's email id i.e. hosd@pnb.co.in at least 48 hours in advance before the start of the AGM i.e. on or before 11.00 a.m. on 24th July, 2021. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

4. Shareholders can submit questions in advance with regard to the business to be transacted at the AGM from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to reach the Bank's email id hosd@pnb.co.in atleast 48 hours in advance before the start of the meeting i.e. by 24th July, 2021 by 11:00 a.m. Shareholders who will participate in the AGM through VC/ OAVM can also pose question/feedback through question box option. Such questions by the Shareholders shall be taken up during the Meeting or replied to by the Bank suitably.

5. Institutional Investors, who are shareholders of the Bank, are requested to be present in the AGM through VC/OAVM Facility.

7. **Scrutinizer**

M/s S.N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co, Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting within two working days of conclusion of the AGM and the Chairman or a person authorised by him in writing shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

8. **Unclaimed Dividend**

Shareholders are hereby informed that if any dividend amount remains unpaid/ unclaimed for 7 years from its due date, the said unpaid/unclaimed amount has to be transferred to Investor Education & Protection Fund (IEPF) set up by Central Government pursuant to Section 10B of the Act. The unpaid/unclaimed amount in Dividend Account upto FY 2012-13 and the Interim Dividend for 2013-14 have been transferred to IEPF.

The unpaid/unclaimed dividend for the year 2013-14 (Final) is due to be transferred to IEPF. The shareholders who have not received/claimed the dividend(s) for the year 2013-14 (Final) are requested to claim the same by giving their latest address, Mobile/Telephone No. Folio No. / DP-ID & Client ID and Bank details viz. Bank name, Branch address, Bank account number and IFSC etc. for claiming the amount. If not claimed, the unpaid dividend will be transferred to IEPF in accordance with the applicable guidelines.

Further, the shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/received dividend are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for claiming the same. The year-wise data of unpaid/unclaimed dividend lying with the Bank is available on the Bank's website (www.pnbindia.in).

**9. अन्य सूचना**

क) सेबी के पूर्व कथित परिपत्र के अनुपालन में, 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें बैंक की 20वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना सम्मिलित करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, ई-वोटिंग आदि की प्रक्रिया और विधि का संकेत देते हुए, वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित की जा रही है, जिनकी ईमेल आईडी रजिस्ट्रार और एसटीए अर्थात "बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड"/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (ओं) के साथ पंजीकृत हैं।

ख) शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि 2020-21 की एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

ग) बैंक द्वारा किए गए 'हरित पहल' को ध्यान में रखते हुए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, अपने बैंक के एसटीए के साथी ईमेल आईडी: beetal@beetalfinancial.com) अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करवाएं। इसके अलावा, परिवर्तनों के मामले में, यदि कोई हो, तो उनके नाम, डाक पते, ईमेल पते, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकनों, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि, से संबंधित परिवर्तन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपने डीपी को सूचित किया जा सकता है तथा भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपने एसटीए को सूचित किया जा सकता है।

घ) ऐसे शेयरधारक जिनके पास समान नामों में या संयुक्त नामों में कई फोलियों में विविध फोलियों में शेयर भौतिक रूप में रखे हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्रों को एकल फोलियो में समेकन के लिए एसटीए को भेजें।

ङ) सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 40 के अनुसार, यथासंशोधित, सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियों को, प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन या ट्रांस्पोजिशन हेतु प्राप्त अनुरोध के मामले को छोड़कर, 1 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे देखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए एवं पोर्टफोलियो प्रबंधन की सुगमता हेतु, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग्स को अमूर्त रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। शेयरधारक इस संबंध में सहायता के लिए बैंक या बैंक के एसटीए से संपर्क कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते **पंजाब नैशनल बैंक**

**(एकता पसरीचा)**
**कंपनी सचिव**

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 29.06.2021

**9. Other Information**

a) In compliance with the aforesaid SEBI Circular, the Annual Report for FY 2020-21 containing the Notice of the 20th Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the STA i.e. "Beetal Financial & Computer Services (P) Limited" / Depository Participant(s).

b) Shareholders may also note that the Notice of the AGM and the Annual Report for FY 2020-21 is also being made available on the Bank's website www.pnbindia.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com

c) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their Email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's STA in case of shares held in physical form (email id: beetal@beetalfinancial.com). Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the STA in case the shares are held by them in physical form.

d) Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the STA for consolidation into a single folio.

e) As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listed entities can be transferred only in dematerialized form with effect from, 01st April, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to mitigate the risk associated with physical shares and for ease of portfolio management, shareholders holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Shareholders can contact the Bank or STA for assistance in this regard.

By order of the Board of Directors
for **PUNJAB NATIONAL BANK**

**(Ekta Pasricha)**
**Company Secretary**

Place: New Delhi
Date: 29.06.2021

# निदेशक रिपोर्ट

# Director's Report

#JustOneApp

## प्रगति एक नजर में
## PROGRESS AT A GLANCE

(₹ करोड़ में) (₹ crore)

| क्र. सं.<br>S. No | पैरामीटर<br>PARAMETERS | स्टैंडअलोन पीएनबी<br>Standalone PNB # | | | | | समामेलित पीएनबी<br>Amalgamated PNB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वित्त वर्ष16<br>FY'16 | वित्त वर्ष17<br>FY'17 | वित्त वर्ष18<br>FY'18 | वित्त वर्ष19<br>FY'19 | वित्त वर्ष20<br>FY'20 | वित्त वर्ष21<br>FY'21 |
| 1 | शेयर पूंजी<br>Share Capital | 393 | 426 | 552 | 921 | 1348 | 2096 |
| 2 | आरक्षित निधियां एवं अधिशेष<br>Reserves & Surplus | 37917 | 41672 | 40522 | 43866 | 61010 | 88842 |
| 3 | जमाराशियां<br>Deposits | 553051 | 621704 | 642226 | 676030 | 703846 | 1106332 |
| 4 | निवल अग्रिम<br>Net Advances | 412326 | 419493 | 433735 | 458249 | 471828 | 674230 |
| 5 | कुल आस्तियां<br>Total Assets | 667390 | 720331 | 765830 | 774949 | 830666 | 1260633 |
| 6 | निवेश<br>Investment | 157846 | 186725 | 200306 | 202128 | 240466 | 392983 |
| 7 | शाखाएं (संख्या)<br>Branches (Number) | 6759 | 6937 | 6982 | 6989 | 7040 | 10769 |
| 8 | एटीएम नेटवर्क (संख्या)<br>ATM Network (Number) | 9463 | 10681 | 9668 | 9255 | 9168 | 13781 |
| 9 | कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) (संख्या)<br>Business Correspondents (BCs) (Number) | 7996 | 8091 | 8044 | 8143 | 7500 | 12518 |
| 10 | परिचालन लाभ<br>Operating Profit | 11339 | 14565 | 10294 | 12995 | 14739 | 22980 |
| 11 | कुल प्रावधान<br>Total Provisions | 15313 | 13240 | 22576 | 22971 | 14402 | 20958 |
| 12 | निवल लाभ<br>Net Profit | -3974 | 1325 | -12282 | -9975 | 336 | 2022 |
| 13 | कारोबार/कर्मचारी (₹ लाख में)<br>Business/Employee (₹ lakh) | 1359 | 1417 | 1473 | 1680 | 1821 | 1885 |
| 14 | जमा राशि की वैश्विक लागत (%)<br>Global Cost of Deposit (%) | 5.85 | 5.33 | 4.96 | 5.14 | 5.16 | 4.44 |
| 15 | वैश्विक अग्रिमों पर आय (%)<br>Global Yield on Advances (%) | 9.10 | 8.29 | 7.49 | 7.72 | 7.82 | 7.53 |
| 16 | वैश्विक निवेश पर आय (%)<br>Global Yield on Investment (%) | 7.94 | 7.69 | 7.35 | 7.41 | 7.13 | 6.46 |
| 17 | वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन (%)<br>Global Net Interest Margin (%) | 2.60 | 2.38 | 2.16 | 2.41 | 2.30 | 2.88 |
| 18 | आस्तियों पर प्रतिफल (%)<br>Return on Assets (%) | -0.61 | 0.19 | -1.60 | -1.25 | 0.04 | 0.15 |
| 19 | लागत आय अनुपात (%)<br>Cost to Income Ratio (%) | 46.79 | 39.17 | 56.75 | 47.03 | 44.82 | 46.91 |
| 20 | सकल एनपीए (%)<br>Gross NPAs (%) | 12.90 | 12.53 | 18.38 | 15.50 | 14.21 | 14.12 |
| 21 | निवल एनपीए (%)<br>Net NPAs (%) | 8.61 | 7.81 | 11.24 | 6.56 | 5.78 | 5.73 |
| 22 | पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल III) (%)<br>Capital Adequacy Ratio (Basel III) (%) | 11.28 | 11.66 | 9.20 | 9.73 | 14.14 | 14.32 |

#आंकड़े पूर्व-समामेलन अवधि के लिए स्टैंडअलोन पंजाब नैशनल बैंक वित्तीय परिणामों से संबंधित हैं, इसलिए 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समामेलन पश्चात् वित्तीय परिणामों के साथ तुलनीय नहीं है।

#Figures are related to standalone Punjab National Bank Financial results for pre- amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended March 31, 2021.

# प्रमुख वित्तीय स्थिति
# KEY FINANCIAL POSITION

## समामेलित पीएनबी से संबंधित मार्च 2021 के आकड़े
## MARCH 2021 FIGURES PERTAIN TO AMALGAMATED PNB

### चालू जमाराशियाँ और बचत जमाराशियाँ ( रु. करोड़ )
### Current Deposit & Saving Deposit (Rs. Crore)

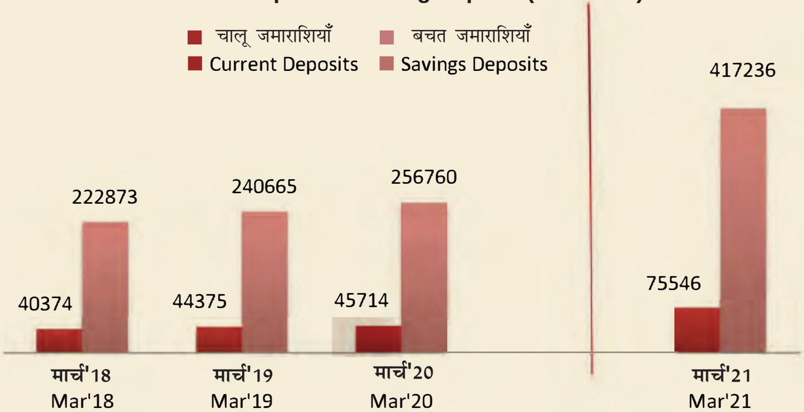


### लागत आय अनुपात (%)
### Cost to Income Ratio (%)

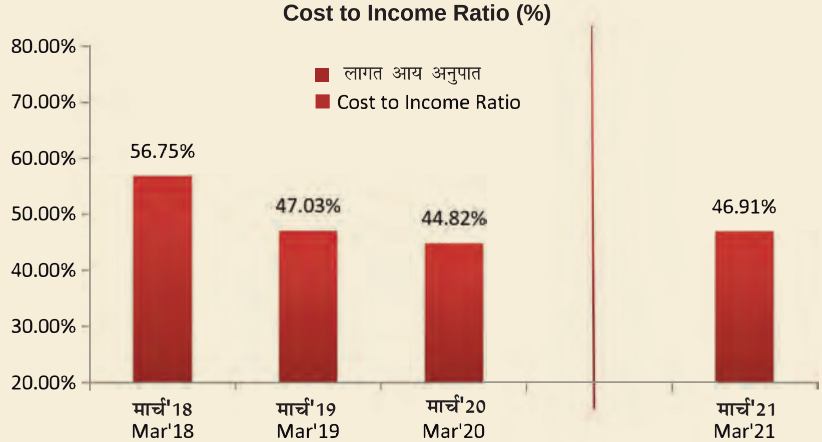


### कासा शेयर (%)
### CASA Share (%)

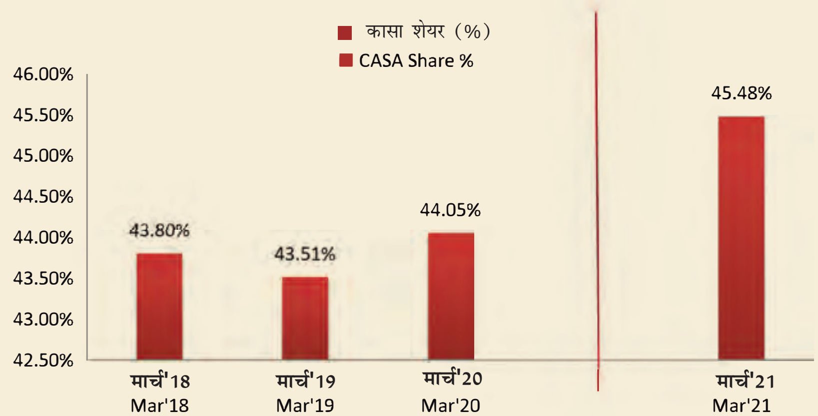

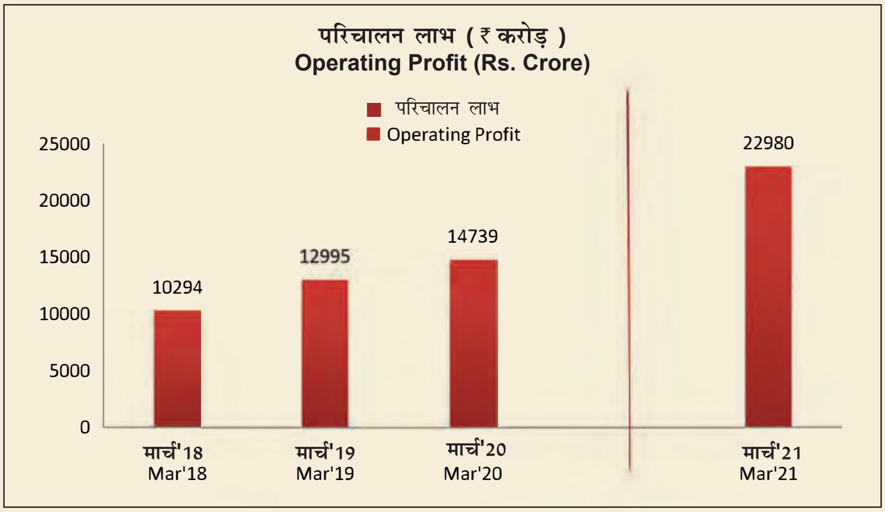
परिचालन लाभ ( ₹ करोड़ )
Operating Profit (Rs. Crore)
परिचालन लाभ
Operating Profit
25000
20000
15000
10000
5000
0
10294
12995
14739
22980
मार्च'18
Mar'18
मार्च'19
Mar'19
मार्च'20
Mar'20
मार्च'21
Mar'21

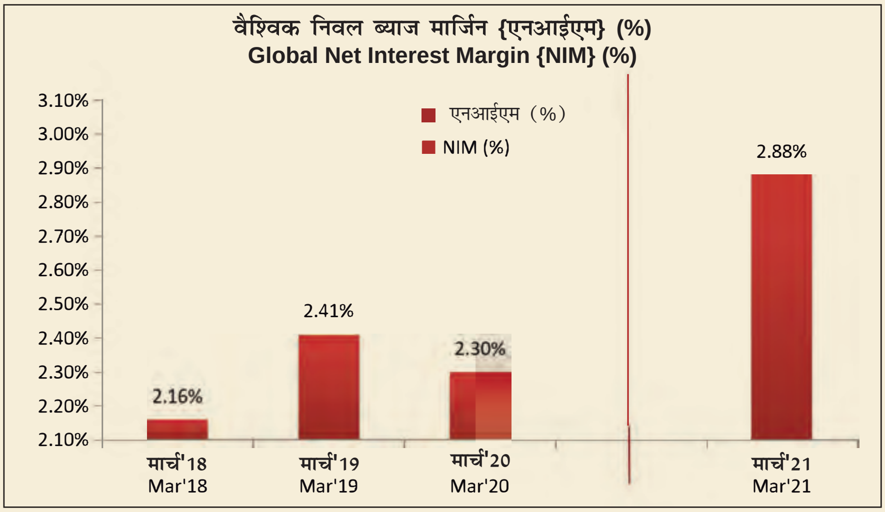
वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन {एनआईएम} (%)
Global Net Interest Margin {NIM} (%)
एनआईएम (%)
NIM (%)
3.10%
3.00%
2.90%
2.80%
2.70%
2.60%
2.50%
2.40%
2.30%
2.20%
2.10%
2.16%
2.41%
2.30%
2.88%
मार्च'18
Mar'18
मार्च'19
Mar'19
मार्च'20
Mar'20
मार्च'21
Mar'21

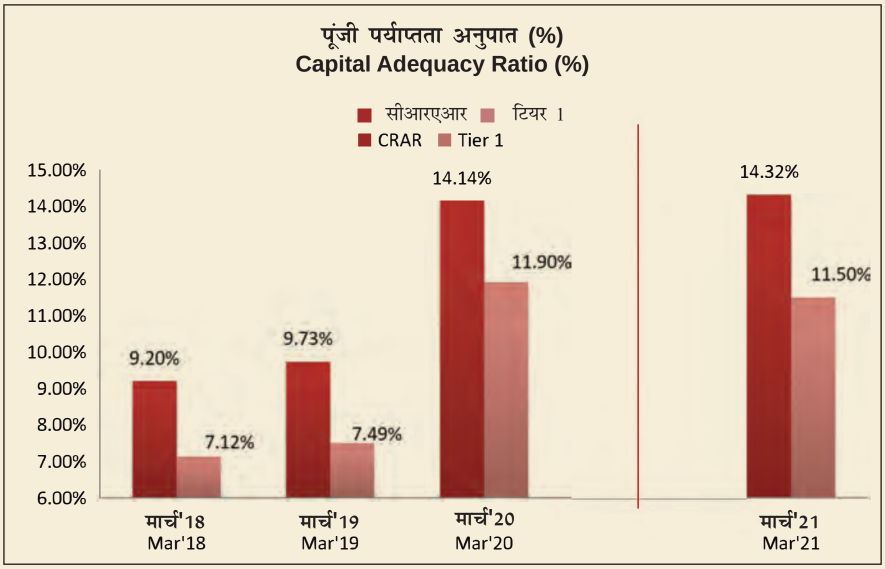
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)
Capital Adequacy Ratio (%)
सीआरएआर
टियर 1
CRAR
Tier 1
15.00%
14.00%
13.00%
12.00%
11.00%
10.00%
9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
9.20%
7.12%
9.73%
7.49%
14.14%
11.90%
14.32%
11.50%
मार्च'18
Mar'18
मार्च'19
Mar'19
मार्च'20
Mar'20
मार्च'21
Mar'21

## निदेशक रिपोर्ट 2020-21

पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, अपनी अंतर्निहित शक्ति और 126 वर्षों के बैंकिंग अनुभव की मदद से उत्कृष्टता की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। संक्रमण की नई लहरों और कोविड-19 के म्युटेंट स्ट्रेंस की वजह से वैश्विक आर्थिक संभावना अनिश्चितता से भरी हुई थी। सकारात्मक वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था को महामारी की दूसरी लहर के कारण नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अभूतपूर्व परिस्थिति के बावजूद, बैंक ने अपने ग्राहकों को लगातार बैंकिंग सेवाएं प्रदान कीं और नए उभरते परिदृश्य के अनुकूल होने के लिए स्वयं को लगातार नए रूप में प्रस्तुत किया। वित्तीय वर्ष के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं मजबूत संगठन संरचना, लाभप्रदता और पूंजीगत स्थिति में सुधार हैं। वर्टिकलाइज्ड, ग्राहक केंद्रित और डिजिटल ऋण वितरण मॉडल के साथ नई संगठनात्मक संरचना ने हामीदारी ऋण, दक्षता और टर्नअराउंड समय में सुधार किया है। समामेलन के तहत व्यवसाय, मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का एकीकरण पूरा करने के पश्चात्, बैंक का प्रयास व्यवसाय को बेहतर बनाने पर अधिक बल देना है।

वर्ष के दौरान, पीएनबी, ग्राहक सेवा को प्रभावित किए बिना ईओबीसी तथा ईयूएनआई का सीबीएस माइग्रेशन करने वाला समामेलित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में पहला बैंक है। जबकि समामेलन के कारण सहक्रियताओं को महसूस किया जा रहा है, बैंक ने बदलते वित्तीय माहौल और ग्राहकों की जरूरतों को संरेखित करने के लिए कई नई पहल कीं।

मार्च, 2021 के अंत में, रु.7,39,407 करोड़ के सकल वैश्विक अग्रिम तथा रु.11,06,332 करोड़ सकल वैश्विक जमा के साथ बैंक का सकल वैश्विक व्यवसाय रु.18,45,739 करोड़ रहा। चालू तथा बचत जमा राशि (कासा), 45.5 प्रतिशत के घरेलू कासा शेयर के साथ रु.4,92,782 करोड़ रहा। इसके अतिरिक्त, बैंक का परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रु.2022 करोड़ के निवल लाभ के साथ रु.22,980 करोड़ था। 31 मार्च, 2021 के अंत में, सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात 14.12 प्रतिशत तथा निवल एनपीए अनुपात 5.73 प्रतिशत रहा। जबकि वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्तीय वर्ष 21 में 2.88 प्रतिशत रहा, जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात सुखद रूप से 14.32 प्रतिशत था।

बैंक की विविध उपलब्धियों को विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर स्वीकार किया गया है। अन्य पुरस्कारों के साथ, आपके बैंक को ईटी-बीएफएसआई एक्सीलेंस अवार्ड 2020 श्रेणी में "मोस्ट इनोवेटिव पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ द इयर" घोषित किया गया। पीएनबी आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2019-20 श्रेणी में संयुक्त रनर अप रहा तथा 'बेस्ट डिजिटल फाइनेंसियल इन्क्ल्यूजन इनिशिएटिव' तथा 'बेस्ट आईटी रिस्क एंड साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव' की श्रेणी के तहत् पुरस्कार प्राप्त किए। बैंक ने इन्हैन्स्ट एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेन्स (ईज) 2.0 इंडेक्स में भी समस्त पीएसबी के मध्य चौथा स्थान प्राप्त किया था एवं विभिन्न विषयों में समस्त पीएसयू बैंकों के मध्य सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त किए।

**''इस पृष्ठभूमि में, आपके निदेशकगण 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21) हेतु बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और इसके लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण सहर्ष आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।''**

**हमारा प्रदर्शन**

**क. वित्तीय प्रदर्शन**

**आस्तियाँ और देयताएं**

31 मार्च 2021 को बैंक की कुल आस्तियां रु.12,60,633 करोड़ रही। जबकि निवल अग्रिम रु.6,74,230 करोड़ रहा, निवेश रु.3,92,983 करोड़ रहा।

## DIRECTORS' REPORT 2020- 21

During the Financial Year (FY) 2020-21, Punjab National Bank (PNB) continued its journey towards excellence backed by its inherent strengths and 126 years of banking experience. The global economic outlook was shrouded with uncertainty in view of the new waves of infections and mutant strains of COVID-19. The Indian economy, after having regained positive growth, faced renewed challenges on account of the second wave of the pandemic. Despite the unprecedented situation, Bank continuously rendered banking services to its customers and continuously reinvented itself to adapt to the new emerging landscape. The highlights of the performance during the financial year are strengthened organization structure, profitability and the improved capital position. The revamped organizational structure, along with the verticalized, customer centric & digital credit delivery model has improved credit underwriting, efficiency and turnaround time (TAT). Having completed Business, Human Resource and Information Technology (IT) integration under amalgamation, Bank's endeavor is to provide greater thrust towards improving business.

During the year, PNB was one of the first among amalgamated Public Sector Banks (PSBs) to carry out CBS migration of the eOBC and eUBI without affecting customer services. While the synergies out of amalgamation are being realized, Bank under took various new initiatives to transform and align with the changing financial environment and customer needs.

As at the end of March, 2021, Bank's Gross Global Business stood at Rs. 18,45,739 Crore with Gross Global Advances at Rs. 7,39,407 Crore and Gross Global Deposit at Rs. 11,06,332 Crore. Current and Saving Deposits (CASA) was at Rs. 4,92,782 Crore with domestic CASA share at 45.5 per cent. In addition, Bank's Operating Profit was at Rs. 22,980 Crore with the Net Profit of Rs. 2022 Crore for the FY 2020-21. As at the end of 31st March, 2021, Gross Non Performing Assets (GNPA) ratio stood at 14.12 per cent and Net NPA ratio was at 5.73 per cent. While Global Net Interest Margin (NIM) was at 2.88 per cent in FY21, Capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) was comfortable at 14.32 per cent.

Bank's manifold achievements have been acknowledged at diverse prestigious national and international platforms. Among other accolades, your Bank was adjudged as the "Most Innovative Public Sector Bank of the year" in the ET-BFSI Excellence awards 2020. PNB was Joint runner-up in the IBA Banking technology Awards 2019-20 and received awards under categories of 'Best Digital Financial Inclusion Initiatives' and 'Best IT Risk & Cyber Security initiatives'. Bank also secured overall 4th Place among all PSBs in Enhanced Access & Service Excellence (EASE) 2.0 index and got highest number of awards amongst all PSU Banks in different themes.

***"Against this backdrop, your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of your Bank for the year ended 31st March, 2021 (FY 2020-21) along with its audited Annual Financial Statements".***

**OUR PERFORMANCE**

**A. FINANCIAL PERFORMANCE**

**Assets and Liabilities**

Total Assets of the Bank was at Rs. 12,60,633 Crore as at 31st March, 2021. While the Net Advances stood at Rs. 6,74,230 Crore, Investment was at Rs. 3,92,983 Crore.

31 मार्च 2021 को देयताओं में, जमाराशियां रु.11,06,332 करोड़ रहीं जबकि उधार राशियाँ रु.42,840 करोड़ रहीं।

**निवल ब्याज आय**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपके बैंक की निवल ब्याज आय रु.30,477 करोड़ रही। जबकि ब्याज आय रु.80,750 करोड़ रही, ब्याज व्यय रु.50,273 करोड़ रही।

**परिचालन लाभ**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपके बैंक का परिचालन लाभ रु.22,980 करोड़ रहा। जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल आय रु.93,562 करोड़ रही, वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल व्यय रु.70,582 करोड़ रहे।

**निवल लाभ**

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु.2022 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

**प्रावधान और आकस्मिकताएँ**

वित्तीय वर्ष 2020-21 में एनपीए हेतु रु. 17,060 करोड़ के प्रावधान के साथ बैंक का किया गया कुल प्रावधान रु. 20,959 करोड़ था। 31 मार्च, 2021 को बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्यूओ सहित) 80.14 प्रतिशत रहा तथा बिना टीडब्ल्यूओ के पीसीआर 63.06 प्रतिशत रहा।

**ख. परिचालन संबंधी प्रमुख बिंदु:**

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक की कुछ परिचालनात्मक विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं:

**वित्तीय**

- बैंक का वैश्विक कारोबार 31 मार्च, 2021 में रु.1845739 करोड़ तक पहुँच गया, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में द्वितीय सर्वाधिक राशि थी।
- रु.4,92,782 करोड़ की कासा जमा राशि भी, घरेलू जमाराशियों में 45.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में द्वितीय सर्वाधिक जमाराशि बनी रही।
- बचत जमाराशि मार्च' 21 को बढ़कर रु.4,17,236 करोड़ हो गई। खुदरा सावधि जमाराशि 31 मार्च, 2021 को रु.5,05,975 करोड़ रही।
- 31 मार्च, 2021 को कोर खुदरा ऋण रु.1,13,047 करोड़ रहा। मार्च'21 में एमएसएमई ऋण बढ़कर रु.1,25,966 करोड़ हो गया।
- आय लागत अनुपात वित्तीय वर्ष 21 में बढ़कर 46.91 प्रतिशत हो गया।

**पूंजी**

बेहतर लाभप्रदता के साथ बैंक द्वारा पूंजी जुटाने के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की पूंजी पर्याप्तता में सुधार हुआ। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने क्यूआईपी के माध्यम से रु.3,788 करोड़, टियर- II बांड के माध्यम से रु.3,994 करोड़ तथा एटी-1 बांड के माध्यम से रु.495 करोड़ जुटाई है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने 15 मई, 2021 को क्यूआईपी के माध्यम से रु.1800 करोड़ की इक्विटी भी जुटाई है। बैंक ने कम जोखिम प्रोफाइल तथा बेहतर रेटिंग वाले उधारकर्ताओं को लक्षित करके सतत व्यापार वृद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। आगे बढ़ते हुए, अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक रणनीतिक रूप से अच्छी स्थिति में है।

On the Liabilities side, Deposits stood at Rs. 11,06,332 Crore while the Borrowings was at Rs 42,840 Crore as on 31st March, 2021.

**Net Interest Income**

The Net Interest Income of your Bank stood at Rs. 30,477 Crore during FY 2020-21. While Interest Income stood at Rs. 80,750 Crore, Interest Expenses was at Rs. 50,273 Crore.

**Operating Profit**

Operating Profit of your Bank during the FY 2020-21 stood at Rs. 22,980 Crore. While the total Income stood at Rs.93,562 Crore during FY 2020-21, total Expenses was Rs. 70,582 Crore in FY 2020-21.

**Net Profit**

Bank has earned a Net Profit of Rs. 2022 Crore in FY 2020-21.

**Provisions and Contingencies**

Total provisions made during FY 2020-21 were at Rs. 20,959 Crore with Provision for NPA at Rs 17,060 Crore. Provision Coverage Ratio (incl. TWO) of the Bank was at a robust 80.14 per cent as at 31st March, 2021 and PCR without TWO was at 63.06 percent.

**B. OPERATIONAL HIGHLIGHTS**

Some of the operational highlights of the Bank during FY 2020-21 are listed below:

**Financial**

- Bank's Global Business reached the mark of Rs.18,45,739 Crore in 31st March, 2021, which was second highest amount among Public Sector Banks (PSBs).
- CASA Deposits at Rs. 4,92,782 Crore also remained second highest amongst PSBs with 45.5 per cent share in Domestic Deposits.
- Savings Deposit grew to Rs. 4,17,236 Crore as on March' 21. Retail Term Deposit was at Rs. 5,05,975 Crore as on 31st March'21.
- Core Retail Loans stood at Rs. 1,13,047 Crore as on 31st March'21. MSME loan grew to Rs. 1,25,966 Crore in March'21.
- Cost to Income Ratio improved to 46.91 per cent in FY21.

**Capital**

The capital adequacy of the Bank improved during the financial year on account of capital raising by the Bank coupled with improved profitability. During FY 2020-21, Bank has raised equity of Rs. 3,788 Crore through QIP, Rs. 3,994 Crore through Tier -II Bonds and Rs 495 Crore through AT-1 Bonds. Further, Bank has also raised equity of Rs. 1800 Crore through QIP on 15th May, 2021. The Bank continued with its focus on sustainable business growth by targeting better rated borrowers with low risk profile. Going forward, the Bank is strategically well placed to meet the growing credit needs of the economy.

**मुख्य बिंदु:**

- 31 मार्च 2021 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्यूआईपी के माध्यम से रु.3,788 करोड़ जुटाने के साथ 14.32% रहा, जिसमें टियर-1 पूंजी 11.50% तथा टियर-1 सामान्य इक्विटी (सीईटी-1) 10.62% रहा।
- बैंक ने वर्ष के दौरान रु. 3,994 करोड़ के टीयर - II बांड जुटाए और 31 मार्च, 2021 को टीयर II पूंजी 2.82% रही।
- बेहतर मूल्यांकित खातों पर ध्यान केन्द्रित करने तथा बैंक की पोर्टफोलियो का मंथन करने के कारण मार्च 2021 में बैंक की ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए) रु.4,90,310 करोड़ रहीं।

**समामेलन के तहत सहक्रियता**

i) **सभी उत्पादों और प्रक्रियाओं का सामंजस्य:** व्यावसायिक हितों के साथ-साथ ग्राहकों और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, पीएनबी, पूर्ववर्ती ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और पूर्ववर्ती यनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूएनआई) के सभी उत्पादों, नीतियों और प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया गया है तथा तीनों बैंकों के सर्वोत्तम उत्पादों और नीतियों को अपनाया गया है और इस संबंध में अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को सूचित किया गया है। समामेलित बैंक के लिए जहां कहीं भी ब्याज दर और सेवा प्रभारों में परिवर्तन हुआ है, उसके संबंध में समस्त ग्राहकों को समय से पूर्व ही सूचित कर दिया गया था।

ii) **भुगतान प्रणालियों का एकीकरण:** कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस), ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) स्विच, डेबिट कार्ड प्रबंधन, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), नैशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी)/रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) इंटरफेस, तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) स्विच, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) मॉड्यूल, स्विफ्ट मॉड्यूल जैसी सभी प्रमुख भुगतान प्रणालियों का एकीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। ईओबीसी और ईयूएनआई के एटीएम, बीएनए का पीएनबी नेटवर्क में माइग्रेशन का कार्य भी पूरा हो गया है।

iii) **अन्य सभी एप्लीकेशन का डेटा एकीकरण/माइग्रेशन:** सभी प्रमुख एप्लीकेशन-प्रणालियों और नेटवर्किंग का एकीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। बैंक समामेलित इकाई में चिह्नित एक जैसे एप्लीकेशन के माइग्रेशन के लिए प्रक्रियारत है।

iv) **मानव संसाधान (एचआर) एकीकरण:** पीएनबी में ईओबीसी तथा ईयूएनआई के समामेलन को एक वर्ष पूरा हो चुका है। इस वर्ष के दौरान, बैंक ने "तीनों में से सर्वोत्तम" सिद्धांत के आधार पर अपने समस्त स्टाफ वेलफेयर और लाभ संबंधी योजनाओं की समीक्षा की है तथा उनमें सामंजस्य स्थापित किया है एवं बैंक की व्यावसायिक रणनीति के साथ मानव संसाधान को संरेखित किया है ताकि बेहतर प्रदर्शन तथा कर्मचारियों की संतुष्टि को बढ़ावा दिया जा सके। बैंक ने भर्ती में कमी करके अपेक्षित मानव संसाधन सहक्रियाओं को वास्तविक रूप देना शुरू कर दिया है।

**Key Highlights**

- The Capital Adequacy ratio of the Bank stood at 14.32 per cent, as of 31st March, 2021, with Tier-1 capital at 11.50 per cent and Common Equity Tier-1 (CET-1) at 10.62 percent, with raising of Rs. 3,788 Crore through QIP.
- Bank raised Tier-II Bonds of Rs.3,994 Crore during the year and Tier II capital stood at 2.82 per cent as on 31st March, 2021.
- The Credit Risk Weighted Assets (RWA) of the Bank were optimized to Rs. 4,90,310 Crore in March 2021 on account of focus on better rated accounts and churning of portfolio of the Bank.

**Synergies under Amalgamation**

i) **Harmonisation of all products and processes:** All the products, policies and processes across PNB, erstwhile Oriental Bank of Commerce (eOBC) and United Bank of India (eUNI) have been harmonized and the best products and policies across the three banks have been adopted taking into account customer and employee needs along with the business interests and communicated to its employees and customers. Change in Rate of Interest and Service charges, wherever affected for the Amalgamated Bank were communicated to all the customers well before time.

ii) **Integration of the payment systems:** Integration of all major payment systems like Core banking Solution (CBS), Automated Teller Machine (ATM) switch, Debit Card Management, Internet Banking, Mobile Banking, Unified payment Interface (UPI), National Electronic fund Transfer (NEFT)/ Real Time gross Settlement (RTGS) interface, Immediate Payment Service (IMPS) switch, Public Financial Management System (PFMS) Module, SWIFT Module has been successfully completed. Migration of ATMs, BNAs of eOBC & eUNI to PNB Network has also been completed.

iii) **Data integration / migration of all other applications:** Integration of all major applications/ systems and networking has been successfully completed. Bank is in process of migration of identified surround applications in amalgamated entity.

iv) **Human Resource (HR) Integration:** The amalgamation of eOBC and eUNI into PNB has completed one year. During the course of this year, the Bank has reviewed and harmonized all of its staff welfare and benefit schemes based on the "Best of three" principle and aligned HR with the business strategy of the Bank to boost performance and enhance the satisfaction of the employees. Bank has started to realize the expected HR synergies by way of reduction in recruitments.

v) **समामेलन से अन्य सहक्रियाएं:** बैंक ने सहक्रिया लाभ हेतु शाखा/एटीएम युक्तिकरण, कर्मचारियों की विक्रय में पुन: तैनाती, पहचान किए गए परिसरों का विक्रय, सामंजस्यपूर्ण प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न होने वाली आईटी लागत में बचत आदि जैसे विभिन्न परिचालन संवर्गों की पहचान की है। बैंक ने चिह्नित क्षेत्रों में तालमेल के लिए कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।

**प्रमुख पहलें:**

**संगठनात्मक संरचना का पुनर्निर्माण:** कुशल ऋण वितरण, बेहतर हामीदारी ऋण प्रदान करने तथा टर्न अराउंड़ समय (टीएटी)के लिए विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकल्स के गठन के साथ-साथ अपनी संगठनात्मक संरचना का पुनर्निर्माण किया है। पुनर्गठित संरचना 01 जुलाई, 2020 से तीनों बैंकों के साथ शुरू हो गई है, जो एक एकल इकाई के रूप में कार्य कर रही है। इस संरचना का स्तर शाखा, मंडल, अंचल और प्रधान कार्यालय के रूप में चार टियर का ही रहेगा, कुछ नए वर्टिकल भी बनाए गए हैं। बैंक की पुनर्गठित संरचना को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है:

- प्रधान कार्यालय में व्यवसाय/सहयोग/नियंत्रण वर्टिकल
- अंचल कार्यालय
- अंचल लेखा परीक्षा कार्यालय
- मंडल कार्यालय
- सामान्य बैंकिंग शाखाएं, पीएनबी ऋण केंद्र (पीएलपी), मिड कॉर्पोरेट केंद्र (एमसीसी), वृहत् कॉर्पोरेट शाखाएँ (एलसीबी)/ अति वृहत् कॉर्पोरेट शाखाएँ (ई-एलसीबी)

**नए संगठनात्मक ढांचे के तहत वर्टिकलाइज्ड ऋण वितरण मॉडल:** दक्षता और टीएटी में सुधार के लिए ऋण हामीदारी मॉडल को नया रूप दिया गया है:

| वर्टिकल का प्रकार | परिभाषा |
|---|---|
| **अति वृहत् कॉर्पोरेट शाखाएँ/ वृहत् कॉर्पोरेट शाखाएँ (ईएलसीबी/एलसीबी)** | संपूर्ण शाखा, विशेष रूप से रु.50 करोड़ से अधिक के कॉर्पोरेट ऋण खातों को सँभालने के लिए विशेष रूप से निर्धारित (ईएलसीबी को रु.500 करोड से अधिक के खाते संभालने हैं) |
| **113 मिड कॉर्पोरेट केंद्र (एमसीसी)** | रु.1 करोड से अधिक तथा रु. 50 करोड़ तक की राशि के ऋण, कॉर्पोरेट, कृषि और एमएसएमई खातों की पूर्व-स्वीकृति मूल्यांकन का कार्य तथा की स्वीकृति पश्चात् निगरानी, के लिए संसाधन केंद्र। |
| **135 पीएनबी ऋण केंद्र (आरएएम/आईआरएएम)** | रु.10 लाख से अधिक तथा रु. 1 करोड़ तक की राशि के ऋण, कॉर्पोरेट, खुदरा, एमएसएमई तथा कृषि खातों की पूर्व-स्वीकृति अनुमोदन के लिए संसाधन केंद्र। |

v) **Other Synergies from amalgamation:** Bank has identified different operating segments like Branch/ ATM rationalization, Redeployment of staff to sales, Sale of identified premises, Savings in IT cost arising due to harmonized processes etc. for synergy benefits. Bank has initiated implementation for realization of synergy in the identified areas.

**Major Initiatives:**

**Revamping of Organizational Structure:** Bank has revamped its organization structure along with formation of various business verticals for efficient credit delivery, improved credit underwriting and Turnaround Time (TAT). Rollout of the revamped structure has been made with effect from 1st July, 2020 with the three Banks functioning as a single unit. While the layering structure continue to be four tiered involving Branch, Circle, Zone and Head Office, some new verticals have also been formed. The revamped structure of Bank is segmented into:

- Business/Support/Control Verticals at Head Office
- Zonal Offices
- Zonal Audit Offices
- Circle Offices
- General Banking Branches, PNB Loan Points(PLPs), Mid Corporate Centre (MCC), Large Corporate Branches (LCB) / Extra Large Corporate Branches (e-LCB)

**Verticalized Credit Delivery Model under new Organizational Structure:** Credit Underwriting Model has been revamped to improve efficiency and TAT:

| Type of Vertical | Definition |
|---|---|
| **Extra Large Corporate Branches/ Large Corporate Branches (ELCB/LCB)** | Complete Branch, specifically designed to handle Corporate Credit Accounts above Rs. 50 Crore (ELCBs to handle above Rs. 500 Crore). |
| **113 Mid Corporate Centers (MCC)** | Processing Centers for Credit, handling Pre-Sanction Appraisal and Post Sanction Monitoring of Corporate, Agriculture & MSME Accounts above Rs. 1 Crore and upto Rs. 50 Crore. |
| **135 PNB Loan Point (RAM/iRAM)** | Processing Centers for Credit, handling Pre-Sanction Appraisal of Retail, Corporate MSME & Agriculture Accounts above Rs. 10 Lakh and upto Rs. 1 Crore. |

**बैंक ने व्यवसाय/सहयोग वर्टिकल का निम्नानुसार पुनर्निर्माण किया है:**

| वर्टिकल | कार्य क्षेत्र |
|---|---|
| **वसूली, समाधान, एनसीएलटी तथा विधिक केंद्र (सस्त्र)** | दक्षता में सुधार करना तथा वसूली कार्रवाई में टीएटी को कम करना |
| **24 अंचल जोखिम प्रबन्धन केंद्र (जेडआरएमसी)** | जोखिम विश्लेषण (रेटिंग तथा परिचालन जोखिम) – स्वतंत्र जोखिम वर्टिकल द्वारा (रु.10 करोड़ तक की रेटिंग का जोखिम मूल्यांकन) प्रक्रिया का विभाजन तथा उसे मजबूत बनाना। |
| **कासा बैक ऑफिस** | खाता खोलना |
| **सरकारी कारोबार वर्टिकल (जीबीवी)** | सरकारी कारोबार का अर्जन |
| **ग्राहक अर्जन केंद्र (सीएसी)** | संस्थागत व्यवसाय अर्जित करना – कॉर्पोरेट, संस्थानों, एचएनआई तथा एनआरआई से देनदारी व्यवसाय पर ध्यान देना |
| **व्यापार वित्त केंद्र (टीएफसी)** | अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त तथा जावक विप्रेषण |

ए. **कार्यशैली का एकीकरण:** संगठनों के समामेलन में प्रगतिशील सहक्रियाओं को प्राप्त करने में कार्यशैली का एकीकरण और उनमें भिन्नताओं का प्रबंधन प्रमुख चुनौतियां हैं। समामेलन के पश्चात् बैंक पीएनबी 2.0 में कार्य करने हेतु बेहतर वातावरण बनाने और तीनों बैंकों की कार्यशैली के सुचारू एकीकरण हेतु प्रतिबद्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए, बैंक ने कार्यशैली एकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यप्रणाली एकीकरण योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य कर्मचारी की अपेक्षाओं के साथ एकीकृत संस्था के रणनीतिक बदलाव को संरेखित करना है, जो आगे सहक्रिया लाभ प्राप्त करने में मददगार होगा। कार्यशैली एकीकरण प्रक्रिया में बैंक ने संगठन के प्रत्येक स्तर को शामिल किया है ताकि बैंक की कार्यशैली को कर्मचारियों की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जा सके।

बी. **मानव संसाधन में की गई तकनीकी पहल:** बैंक ने अपने 1,00,000+ कर्मचारियों के समृद्ध प्रतिभा समूह की सुगमता बढ़ाने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अपनी मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) को सफलतापूर्वक एकीकृत कर लिया है। वर्ष के दौरान, बैंक ने बेहतर तरीके से योजना बनाने, निगरानी करने और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए, समामेलित संस्था के अधिकारियों हेतु अपनी डिजिटल कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) क्रियान्वित कर दी है ताकि उनकी क्षमता को उभारा जा सके तथा उनकी दक्षता एवं प्रभावशीलता को बेहतर बनाया जा सके।

सी. **शिक्षण एवं विकास:** बैंक का हमेशा विश्वास रहा है कि मानव पूंजी को सही आकार देने एवं उसे रूपांतरित करने में शिक्षण तथा विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीखने, भूलने और पुनः सीखने में मानव पूंजी की तत्परता किसी भी संगठन की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाती है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने कार्यस्थल प्रशिक्षण का स्वरुप बदल दिया

**Bank has revamped Business/Support vertical as under:**

| Vertical | Catering Segment |
|---|---|
| **Recovery, Resolution, NCLT & Legal Centre (SASTRA)** | Improve efficiency and reduce TAT in Recovery actions |
| **24 Zonal Risk Management Centre (ZRMC)** | Risk Analysis (Rating & Operations Risk)- Independent risk vertical to segregate and strengthen Risk Assessment processes (approval of rating upto Rs. 10 Crore). |
| **CASA Back Office** | Account Opening |
| **Government Business Vertical (GBV)** | Acquiring of Government Business |
| **Customer Acquisition Centre (CAC)** | Acquiring of Institutional Business - Focuses on liabilities business from Corporates, Institutions, HNIs, and NRIs |
| **Trade Finance Centre (TFC)** | International Trade Finance & Outward Remittance |

a) **Cultural Integration:** Cultural integration and managing cultural differences are major challenges in achieving the progressive synergies in amalgamation of the organizations. Post amalgamation the Bank is committed towards nurturing work environment and smooth integration of culture of all three banks in PNB 2.0. In view of the same, Bank initiated Cultural Integration Program. Main purpose behind the Cultural Integration plan is to align the strategic shifts of the amalgamated entity with employee's expectations, which will further help in realizing synergy benefits. In Cultural Integration process the bank has included each layer of the organization so that Bank's culture can be derived as per the employee's aspirations.

b) **Technological Initiatives in HR:** Bank has successfully integrated its Human Resources Management System (HRMS) for enhancing ease of access & extending guidance to its rich talent pool of 1,00,000+ employees. During the year, Bank has implemented its digital Performance Management System (PMS) for officers of the amalgamated entity for better planning, monitoring & evaluating the performance to unlock their potential and improve their efficiency and effectiveness.

c) **Learning & Development:** Bank has always believed that learning and development plays an important role in shaping and transforming the human capital. Agility of the human capital in learning, unlearning and relearning plays a decisive role in any organization's success. In view of the Covid-19 pandemic, Bank has changed the workplace learning and has shifted from classroom trainings and imparted training

है तथा कक्षा प्रशिक्षण को बदल दिया है एवं मौजूदा कक्षा सामग्री को बेजोड़ गति, स्तर और गुणवत्ता वाले तीव्र ई-लर्निंग समाधान में बदलकर वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया है।

डी. **करियर में प्रगति:** बैंक ने निर्बाध बैंकिंग परिचालन सुनिश्चित करने के लिए पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाई और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रक्रिया मार्च 2021 से पूर्व संपन्न कर ली। इसके अलावा, बैंक अपने कर्मचारियों की आकांक्षाओं को पूरा करने और बैंक की व्यावसायिक जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी नीतियों को लगातार अद्यतित कर रहा है। वर्ष के दौरान, बैंक ने मानव संसाधन की विभिन्न नीतियों को अद्यतित किया है, जैसे; पदोन्नति नीति, स्थानांतरण नीति, प्रशिक्षण नीति तथा विदेशों में स्थानापन्न नीति आदि।

ई. **कोविड-19 प्रेरित पहल:** बैंक ने अपने कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करने के लिए घर से कार्य करने की (डब्लूएफएच) सुविधा प्रदान करने, विशेष छुट्टी की सुविधा, कोविड -19 के कारण मृत्यु के मामले में एकमुश्त मुआवजा देने आदि जैसी कई सुविधाओं की पहल की है।

एफ. **पीएनबी लेंस:** बैंक ने ऋण प्रबंधन के लिए एक आईटी आधारित समाधान शुरू किया है जिसका नाम पीएनबी लेंस - द लेंडिंग सॉल्यूशन है। यह प्रणाली सभी प्रकार के ऋणों (एमएसएमई, कृषि, और खुदरा तथा अन्य ऋण) के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य ऋण प्रसंस्करण और ऋण प्रस्तावों की मंजूरी में हामीदारी मानकों में तेजी लाना और निरंतरता बनाए रखना है।

जी. **सर्वेक्षण और फील्ड से प्रतिक्रिया प्राप्त करना:** बैंक ने समामेलन के बाद उत्पादों और प्रक्रियाओं में किए गए परिवर्तनों के प्रभाव पर कर्मचारी की उचित प्रतिक्रिया की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण के माध्यम से फीडबैक/सुझाव प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। कर्मचारियों के सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर प्रक्रियाओं में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

**अन्य प्रमुख नई पहलें :**

❖ **ग्राम संपर्क अभियान** - (2 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया): लगभग 29973 कैंपों में वर्धित ऋण सुविधाएं, डिजिटल ऑन-बोर्डिंग और सामाजिक सुरक्षा हेतु नामांकन के लिए 11 लाख ग्राहकों से संपर्क किया गया।

❖ **विदेशी मुद्रा व्यापार की वृद्धि में तेजी लाने के लिए, बैंक ने व्यापार वित्त पुनर्परिभाषित पोर्टल लॉन्च किया।** अंतर बैंक बाजार तक सीधी पहुंच के लिए एफएक्स-रिटेल पोर्टल को भी लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

❖ **फिनटेक पहल:** पीएनबी ने चुनौतियों का समाधान करने के लिए अनुसंधान करने और तकनीकी समाधान विकसित करने तथा बीएफएसआई समूह में अवसरों का पता लगाने हेतु फिनटेक नवोन्मेष केंद्र स्थापित करने के लिए आईआईटी कानपुर से हाथ मिलाया है।

❖ **डिजिटल अपनाएं अभियान:** 15 अगस्त, 2020 को शुरू हुआ, 83 लाख से अधिक ग्राहकों ने डिजिटल चैनल को अपनाया। 15 अगस्त, 2020 को अभियान के शुरू होने की तिथि से डिजिटल अपनाने के लिए ग्राहकों की ओर से पीएम केयर निधि में रु.4.20 करोड़ दान किए गए।

through virtual mode by converting existing classroom material into robust rapid e-learning solutions having unmatched speed, scale and quality.

d) **Career Progression:** Bank expedited the promotion exercise and completed the process for FY 2021-22 before March 2021 to ensure uninterrupted Banking operations. Furthermore, the Bank is continuously updating its policies to keep up with the aspirations of its employees and attuning it with the business needs of the Bank. During the year, the Bank has updated various HR policies such as Promotion Policy, Transfer Policy, Training Policy, and Overseas Placement Policy etc.

e) **Covid-19 induced initiatives:** Bank has taken number of initiatives like extending Work from Home (WFH) facility, introduced the facility of special leave, one time compensation in case of death due to Covid-19 etc to support its employees.

f) **PNB Lens:** Bank has launched an IT based solution for loan management christened as PNB LenS- the Lending Solution. This system is being implemented in phased manner for all kind of loans (MSME, Agriculture, and Retail & Other Credit). The objective is to speed up and maintain consistency in underwriting standards in loan processing and sanctioning of credit proposals.

g) **Surveys and Feedback from field:** The bank has initiated steps to capture feedback/suggestions, through survey, to get a better understanding of employee's honest feedback on impact of changes in products & processes made by the Bank post amalgamation. On the basis of outcomes of the employee's survey, necessary modification have been incorporated in the processes.

**Other Key New Initiatives Undertaken:**

❖ **Gram Sampark Abhiyan -** (Launched on 2nd October 2020): 11 Lakh customers were contacted in around 29973 camps with increased credit facilities, digital on boarding and enrolment for social security.

❖ **To accelerate the growth of forex business, Bank launched Trade Finance Redefined Portal.** Fx-Retail portal is also being popularized for direct access to Interbank market.

❖ **Fintech Initiative:** PNB joined hands with IIT Kanpur to set up Fintech Innovation Centre to conduct research and develop technological solutions for addressing the challenges & explore opportunities in BFSI gamut.

❖ **Digital Apnayen Campaign-** Launched on 15th August 2020, more than 83 Lakh customers on-boarded on digital channels. Rs 4.20 Crore donated to PM CARES Fund on behalf of customers for Digital On-boarding since launch on 15th August 2020.

❖ **पीएनबी कार्ड और सेवाएं:** बैंक के क्रेडिट कार्ड व्यवसाय से संबंधित गैर-वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पीएनबी कार्ड और सेवाओं के नाम से बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी निगमित की गई है।

**ग. आस्ति गुणवत्ता**

अधिकांश अवधि के दौरान (वित्तीय वर्ष 20-21 के दौरान) कोविड -19 महामारी की स्थिति होने के बावजूद बैंक 31.03.2021 को सकल एनपीए का रु.1,04,423 करोड़ का स्तर बनाए रखने में सक्षम रहा। आस्ति गुणवत्ता में सुधार, बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बना रहा। प्रोविजन कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31 मार्च, 2021 को 80.14% के संतोषजनक स्तर पर बना रहा।

**नकद वसूली**

वित्तीय वर्ष 20-21 के लिए नकद वसूली कुल रु.11,442 करोड़ रही।

- **उन्नयन**

  वित्तीय वर्ष 20-21 के लिए अपग्रेडेशन रू.2,363 करोड़ रहा ।

- **समाधान तंत्र के माध्यम से उन्नयन**

एनपीए खातों की पुनर्रचना/समाधान करने और राष्ट्रीय कम्पनी विधि (एनसीएलटी) मामलों में वसूली के लिए विशेष रूप से समाधान कक्ष बनाया गया। इस अधिकरण के संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं:

| | | (राशि करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| | पुनः संचरित खाते | |
| | कुल स्वीकृति | |
| | खातों की संख्या | राशि |
| वि.व. 2020-21 | 4 | 3119 |

इसके अलावा, एनसीएलटी में आईबीसी के तहत एनपीए खातों में 4,220 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई थी।

- **मेगा ई-नीलामी**

वित्तीय वर्ष 20-21 के दौरान 10,370 सम्पतियाँ ई-बिक्रय पोर्टल पर अपलोड की गई थी जिसमें से 1052 अचल संपत्ति (आईपी) 10.14 प्रतिशत के अच्छे दर पर सफलतापूर्वक नीलाम की गई।

- **आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को आस्तियों की बिक्री**

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

**(राशि करोड़ रु. में)**

| मदें | | वित्तीय वर्ष 2020-21 |
|---|---|---|
| i. | एआरसी को बेचे गए खातों की संख्या | 1 |
| ii. | बेचे गए खातों की बकाया बही | 18.31 |
| iii. | कुल प्राप्त प्रतिफल (100 प्रतिशत नकद) | 11.01 |

❖ **PNB Cards & Services:** A Wholly owned subsidiary of the bank namely, PNB Cards & Services has been incorporated to undertake the non financial support related to credit card business of the bank.

**C. ASSET QUALITY**

Despite Covid-19 scenario during most of the period (during FY 20-21), Bank is able to maintain Gross NPA at the level of Rs. 1,04,423 Crore as on 31st March 2021. Focus on asset quality continues to be one of the top priorities for the Bank. Provision Coverage Ratio (PCR) continues to satisfactory level of 80.14 per cent as on 31st March 2021.

**Cash Recoveries**

Total Cash Recovery for the FY 20-21 have been Rs. 11,442 Crore.

- **Upgradation**

  Upgradation for FY 20-21 have been Rs. 2,363 Crore.

- **Upgradation Through Resolution Mechanism**

The Resolution Cell was created to exclusively deal with Restructuring/Resolution of NPA accounts and recovery in National Company Law Tribunal (NCLT) cases. The details regarding the same are as under:

| | | (Amount in Rs. Crore) |
|---|---|---|
| | Restructured Accounts | |
| | Total Sanctioned | |
| | No. of A/c's | Amount |
| FY 2020-21 | 4 | 3119 |

Further, a sum of Rs 4,220 Crore was recovered in NPA accounts under IBC in NCLT.

- **Mega E-auctions**

During FY 20-21, 10,370 properties were uploaded on e-Bikray portal. Out of which 1052 Immovable Properties (IPs) were auctioned successfully with success rate of 10.14 per cent.

- **Sale of Assets to Asset Reconstruction Company (ARC)**

Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company (SC/RC) for Asset Reconstruction is as under:

**(Amount in Rs. Crore)**

| Items | | FY 2020-21 |
|---|---|---|
| i. | No. of Accounts sold to ARCs | 1 |
| ii. | Book Outstanding of Accounts Sold | 18.31 |
| iii. | Aggregate consideration received (100 per cent cash) | 11.01 |

- **वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई पहलें**

फील्ड पदाधिकारियों के वसूली प्रयासों का समर्थन करने के लिए, एक सामान्य वसूली पोर्टल अर्थात सस्त्रा पोर्टल शुरू किया गया है जिसमें एकबारगी निपटान (ओटीएस), वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) तथा इरादतन चूककर्ता जैसे 5 अलग-अलग मॉड्यूल हैं। इस सामान्य वसूली पोर्टल के माध्यम से, उधारकर्ता की प्रमुख वसूली कार्यों की स्थिति का पता एक ही स्थान पर लगाया जा सकता है। ओटीएस मॉड्यूल निपटान प्रस्तावों के ऑनलाइन प्रसंस्करण के लिए एक स्वचालित मंच प्रदान करता है। प्रभावी निगरानी के लिए, स्टैंडअलोन डीआरटी और सरफेसी पोर्टलों को सस्त्रा पोर्टल में अलग मॉड्यूल के रूप में पुनः कॉन्फीगर किया गया है। सभी एनसीएलटी मामलों की निगरानी एनसीएलटी मॉड्यूल के माध्यम से की जा रही है जो प्रत्येक मामले की नवीनतम स्थिति को कैप्चर करता है। बैंक के इरादतन चूककर्ता डेटाबेस को एक अलग मॉड्यूल के माध्यम से लोड किया गया है।

इसके अलावा, एनपीए खातों की प्रभावी निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए, सभी सस्त्रा केंद्रों और शाखाओं में पीएनबी प्राइड ऐप भी शुरू की गई थी। यह जियो के टैगिंग सक्षम ऐप फील्ड पदाधिकारियों के दौरा विवरण को रिकॉर्ड और दौरा अधिकारियों के दौरे के स्थान को कैप्चर करने में मदद करता है।

एनपीए खातों की वसूली के लिए विशेष वर्टिकल - संगठनात्मक पुनर्गठन के अंश के रूप में, विशेष और केंद्रित वसूली कार्यों के लिए सस्त्रा वर्टिकल नामक एक अलग वर्टिकल बनाया गया है। वर्टिकल फील्ड में विभिन्न स्तरों पर तैनात अधिकारियों के साथ काम करता है जो विशेष रूप से वसूली के लिए कार्य कर रहे हैं।

**विशेष ओटीएस योजना** - वर्ष के दौरान बैंक ने 5.00 करोड़ रुपये तक के बकाया खातों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है जो एनपीए पोर्टफोलियो के सबसे बड़े हिस्से का निर्माण करता है। और अधिक वसूली के लिए बैंक ने इस हिस्से के लिए एक विशेष ओटीएस योजना शुरू की है। यह योजना चेक बॉक्स मॉडल - गैर विभेदकारी एवं गैर-विवेकाधिकार की है। इस हिस्से में त्वरित और पारदर्शी एकमुश्त निपटान के लिए फील्ड स्तर पर अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 20-21 के दौरान, इस योजना के तहत रु० 1,346 करोड़ के बकाया वाले 54,134 एनपीए खातों के समाधान किए गए थे।

## घ. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और डिजिटलीकरण

**आईटी समामेलन:**

सबल राष्ट्रीय उपस्थिति और वैश्विक पहुंच के साथ "नेक्स्टजेन बैंक" बनाने के लिए 30 अगस्त, 2019 को, माननीय वित्त मंत्री ने दस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चार में समामेलित करने की घोषणा की। 1 अप्रैल, 2020 से भारत के दूसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को जन्म देने के लिए पंजाब नैशनल बैंक के साथ ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को सहायक बैंक के रूप में समामेलित करने की घोषणा की गई थी।

यह वह वर्ष भी था जब पूरी दुनिया कोविड -19 की चपेट में थी और उसके बाद लॉकडाउन हुआ था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के शुरुआती चार से पांच महीनों में, बैंक तब कोविड दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए कम संख्या में कर्मियों के साथ कामकाज कर रहा था। विक्रेता ऑफसाइट काम कर रहे थे। चुनौतियां अधिक थीं। लेकिन बैंक को विश्वास था कि वह इससे बाहर आ जाएगा।

- **Initiatives taken to Improve Asset Quality during FY 2020-21**

In order to support recovery efforts of field functionaries, a common recovery portal i.e. SASTRA Portal has been rolled out which is having 5 different modules like One Time Settlement (OTS), Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI), Debts Recovery Tribunals (DRT), National Company Law Tribunal (NCLT) & Wilful Defaulter. Through this common recovery portal, status of major recovery actions of a Borrower can be ascertained at a single place. OTS Module provides an automated platform for online processing of settlement proposals. For effective monitoring, standalone DRT and SARFAESI Portals have been re-configured as separate modules in the SASTRA Portal. All the NCLT cases are being monitored through NCLT Module which captures the latest status of each case. Wilful defaulter database of the Bank has been loaded through a separate module.

Further, for effective monitoring and follow-up of NPA Accounts, PNB Pride App was also rolled out in all the SASTRA Centres and Branches. This Geo Tagging enabled App helps in recording of field functionaries visit details and captures visit location of the visiting Officials.

Exclusive Vertical for recovery of NPA Accounts - As part of the Organizational restructuring, a separate vertical called SASTRA Vertical has been created for exclusive & focussed recovery operations. The Vertical operates with officers posted at different levels in the field who are exclusively working for recovery.

**Special OTS Scheme -** During the year the Bank has put more focus on accounts with outstanding up to Rs.5.00 Crore which constitutes the largest segment of the NPA Portfolio. For more recovery, the Bank has launched special OTS Scheme for this segment. The scheme is of Check box model – non-discriminatory and non-discretionary. More powers have been delegated at the field level for speedy & transparent one-time settlement in this segment. During FY 20-21, 54,134 NPA accounts with O/S of Rs.1,346 Crores were resolved under the scheme.

## D. INFORMATION TECHNOLOGY (IT) AND DIGITALIZATION

**IT Amalgamation:**

In a bid to create "NextGen Banks" with strong national presence and global reach, on 30th August, 2019, Honorable Finance Minister announced amalgamation of ten public sector banks into four. It was announced to amalgamate Oriental Bank of Commerce and United Bank of India with Punjab National Bank as anchor bank to give birth to India's second largest public sector bank with effect from 1st April, 2020.

This was also the year when the whole world was hit by Covid-19 and the lockdown that ensued.

Initial four to five months of FY 2020-21, Bank was working with lesser number of staff onsite, considering COVID guidelines. Vendors were working offsite. Challenges were abound. But Bank was sure of overcoming it.

निम्नलिखित गतिविधियाँ 0 दिन अर्थात 1 अप्रैल, 2020 को पूरी की गई:

- सभी अलग-अलग सीबीएस (पीएनबी 1.0 का फिनेकल 10, ईओबीसी/ईयूएनआई का फिनेकल 7) में स्कीम कोड, ब्याज दरें और शुल्क एक समान किए गए।
- ग्राहकों के लिए एक समान मानक बुनियादी महत्वपूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए तीनों बैंकों की सभी शाखाओं में 14 इंटरऑपरेबल सेवाएं सक्षम की गई।
- इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के लिए एक समान लैंडिंग पेज बनाया गया था जिसमें संबंधित बैंकों को चुनने और नेविगेट करने का विकल्प था। व्यक्तिगत लिंक अक्षम हो गए।

बैंक के पास न केवल सुगम प्रौद्योगिकी समामेलन था, बल्कि ग्राहक सेवाओं को प्रभावित किए बिना अन्य दो इकाइयों के सीबीएस अंतरण करने वाले एकीकृत पीएसबी में यह पहला था। पूरा कार्य बैंक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भागीदारों के साथ निष्पादित किया। इसके अलावा वित्तीय वर्ष के दौरान समामेलित इकाई के लिए 196 सराउंड एप्लिकेशन भी लाइव किए गए थे।

**वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लागू की गई अन्य पहलें निम्नानुसार हैं:**

ए) **पीएनबी वन और आईबीएस क्षेत्रीय भाषाओं में:** पीएनबी वन और आईबीएस अब 9 भाषाओं में उपलब्ध है: -हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली, तेलुगु और मलयालम।

बी) **मियादी जमा (एफडी) पर ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट (ओडी):** ग्राहक अब मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन का उपयोग करके मियादी जमा पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

सी) **सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि खातों (एसएसवाई) की स्वत: लिंकिंग:** पीपीएफ तथा एसएसवाई खाते जीबीएम में सृजन होने पर इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं (आईबीएस) और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं (एमबीएस) से स्वत: जुड़ जाते है।

डी) **रिटेल इंटरनेट बैंकिंग में बीमा मॉड्यूल का क्रियान्वयन:** जीवन, गैर-जीवन और सामान्य बीमा के लिए क्रमश: निम्नलिखित बीमा प्रदाताओं से इंटरनेट बैंकिंग रिटेल के माध्यम से ग्राहकों के लिए बीमा उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं:

- पीएनबी मेटलाइफ
- बजाज आलियांज जनरल बीमा कंपनी लिमिटेड
- केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा

ई) **इंटरनेट बैंकिंग में भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस):** बीबीपीएस अब पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग रिटेल पोस्ट लॉगिन पर उपलब्ध है। इसमें निम्न की नई कार्यक्षमताओं की विशेषता है:

- बिल भुगतान
- स्थायी अनुदेश
- पिछले 10 लेन-देन फिर से करें
- शिकायत दर्ज करें
- शिकायत ट्रैक करें

Following activities were completed on Day 0 i.e. 1st of April, 2020:

- Scheme codes, interest rates and charges were harmonized in all individual CBSs (Finacle 10 of PNB1.0, Finacle 7 of eOBC/eUNI).
- Enabled 14 interoperable services across all the branches of all the three banks for ensuring uniform standard basic critical services for the customers.
- A common landing page for Internet & Mobile Banking was built with an option to select & navigate to respective banks. Individual links got disabled.

Bank not only had smooth technology amalgamation but also it was the first among amalgamated PSBs to carry out CBS migration of the other two entities without affecting customer services. The whole program was executed by bank with its partners without hiccups. Further 196 surround applications were also made live for amalgamated entity during the financial year.

**Other initiatives implemented during the FY 2020-21 are as follows:**

a) **PNB One and IBS in Regional Languages:** PNB One and IBS is now available in 9 languages:-Hindi, English, Tamil, Gujarati, Punjabi, Marathi, Bengali, Telugu and Malayalam.

b) **Online Overdraft (OD) Against Fixed Deposit (FD):** Customer can now avail the facility of Overdraft against Fixed Deposits using Mobile Banking application.

c) **Auto Linking of Public Provident Funds (PPF) and Sukanya Samriddhi Accounts (SSY) Accounts:** The PPF & SSY Accounts are auto-linked to Internet Banking Services (IBS) and Mobile Banking Services (MBS) on creation in GBM.

d) **Implementation of Insurance Module in IBS Retail:** Insurance products have been made available for Customers through Internet Banking Retail from following Insurance Providers for Life, Non-Life and General Insurance respectively:

- PNB MetLife
- Bajaj Allianz General Insurance Company Ltd
- Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance

e) **Bharat Bill Payment System (BBPS) in Internet Banking:** BBPS is now available on PNB Internet Banking Retail post login. It is featured with new functionalities of:

- Bill Payment
- Standing instructions
- Redo Last 10 Transactions
- Register Complaint
- Track Complaint

एफ) **मोबाइल बैंकिंग में द्वितीय कारक अधिप्रमाणन के रूप में एक बारगी पासवर्ड (ओटीपी):** मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से लेनदेन के लिए लेनदेन पासवर्ड के अलावा प्रमाणीकरण के दूसरे कारक के रूप में ओटीपी जोड़ा गया है।

जी) **मोबाइल बैंकिंग ऐप्प, पीएनबी वन के माध्यम से डेबिट कार्ड की सीमा को अपडेट करने की सुविधा:** ग्राहकों को डेबिट कार्ड के वैयक्तिकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए पीएनबी वन में अनुकूलन किया गया है, जिससे वे पृथक रूप से विभिन्न चैनलों जैसे एटीएम, पीओएस, ईकॉम एवं कॉन्टैक्टलेस के लिए अपने डेबिट कार्ड की लेनदेन सीमा को अपडेट/बदल सकते हैं। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए सक्षम कार्ड के लिए लेनदेन सीमाओं को भी अद्‌यतित/संशोधित किया जा सकता है।

एच) **आईबीएस रिटेल के माध्यम से तत्काल डीमैट खाता खोलना:** इंटरनेट बैंकिंग रिटेल ग्राहकों को एनएसडीएल से तुरंत डीमैट खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई है।

आई) **इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हुए फॉर्म 15जी/15एच जमा करना:** इंटरनेट बैंकिंग रिटेल ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग रिटेल का उपयोग करके फॉर्म 15 जी/15एच जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है।

जे) **एटीएम के माध्यम से कार्डलेस नकद निकासी:** इस कार्यक्षमता में, ग्राहक को राशि दर्ज करने के लिए और साथ ही कार्डलेस नकद आहरण सुविधा के लिए मैन्युअल रूप से चार अंकों का टीपिन (लेनदेन पिन) सेट करने के लिए भी आईबीएस/एमबीएस (वर्तमान में पीएनबी वन के लिए और आईबीएस के लिए क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) में लाइव है) में एक इंटरफेस प्रदान किया जाता है। ऐसा करने के बाद, ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक संदर्भ संख्या भेजी जाएगी, जो 2 घंटे के लिए वैध रहेगी। ग्राहक किसी भी पीएनबी एटीएम से 2 घंटे के भीतर दर्ज की गई राशि को निकाल सकता है। लेनदेन को टीपिन और संदर्भ संख्या द्वारा सत्यापित किया जाएगा। इस सुविधा में दैनिक आहरण की सीमा 10,000 रुपये है।

के) **रात में ओटीपी आधारित नकद आहरण:** बैंक ने अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा अर्थात एक लेनदेन के लिए 10,000/- से अधिक की राशि के लिए रात में 08:00 से प्रात: 08:00 के बीच किए गए लेनदेन के लिए ओटीपी आधारित नकद आहरण लागू किया है। ग्राहक को ओटीपी का उपयोग करना होगा, एटीएम पिन के साथ अधिप्रमाणन के एक अतिरिक्त कारक के रूप में उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। यह कार्यक्षमता फास्ट कैश लेनदेन के लिए भी लागू है। यह कार्यक्षमता केवल ओनस लेनदेन के लिए उपलब्ध है।

एल) **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत मौद्रिक राहत:** भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 1.24 करोड़ महिला लाभार्थियों को निधियों के वितरण के लिए नई प्रक्रिया का अनुकूलन और क्रियान्वयन।

एम) **नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी):** एनएसी को 2020-21 में सफलतापूर्वक लागू किया गया था जिसमें अनधिकृत पहुंच को प्रतिबंधित करने की क्षमता है।

एन) **एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से ऋण खाता खोलना:** यह एक फिनटेक परियोजना है। मैसर्स जकोटा क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित विक्रेता है। इस परियोजना

f) **One Time Password (OTP) as Second Factor Authentication in Mobile Banking:** OTP has been added as second factor of authentication in addition to transaction password for transactions through Mobile Banking.

g) **Facility to update Limits of Debit cards through PNB One, the mobile banking app:** Customization have been made in PNB One for providing the facility to customers for Debit Card Personalization, enabling them to update/ change Transaction Limit of their Debit cards for various channels viz ATM, POS, ECOM & Contactless separately. Further, Transaction Limits for Card enabled for International Transactions can also be updated/ modified.

h) **Instant Demat Account Opening through IBS Retail:** Facility of opening of Demat Account Instantly from NSDL has been provided to Internet Banking Retail customers.

i) **Submission of Form 15G/15H using Internet Banking:** Facility has been provided to Internet Banking Retail Customers for submission of Form 15G/15H using Internet Banking Retail.

j) **Cardless Cash Withdrawal through ATM:** In this functionality, customer is provided with an interface in IBS/MBS (presently live for PNBONE and in Closed User group (CUG) for IBS) for entering amount and also to set four digit TPIN (Transaction PIN) manually for cardless cash withdrawal facility. After doing the same, a reference number will be sent to customer's registered mobile number, which will remain valid for 2 hours. Customer can withdraw the entered amount from any PNB ATM within 2 hours. Transaction will be validated by TPIN and reference number. Daily withdrawal limit with this facility is Rs. 10,000.

k) **OTP Based Cash Withdrawal at Night:** Bank has implemented additional security feature i.e. OTP based cash withdrawal at night for transactions done between 08:00PM to 08:00AM if amount is greater than Rs. 10,000/- for a single transaction. Customer has to use OTP, which is sent on his registered mobile number as an additional factor of authentication along with ATM PIN. This functionality is applicable for fast cash transactions also. The functionality is available for ONUS transactions only.

l) **Monetary relief under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna (PMGKY):** Customization & Implementation of new Process for distribution of funds to 1.24 Crore women beneficiaries as per guidelines issued by Govt. of India.

m) **Network Access Control (NAC):** NAC was implemented successfully in 2020-21 which has the capability to restrict unauthorized access.

n) **Loan Account Opening through Application Programming Interface (API):** This is a FINTECH project. M/S Jacota is the vendor approved for the

में वर्तमान में स्वनिधि ऋण खाता खोलना, सुरक्षा रजिस्टर रखरखाव (एसआरएम) निर्माण,संवितरण और मासिक किस्त के लिए स्थायी निर्देश (एसआई) सभी एपीआई के माध्यम से किया जाता है।

ओ) **मणिपुर ग्रामीण बैंक का फिनेकल 10 अंतरण और पीएफएमएस आरआरबी पर ऑन-बोर्डिंग:** पीएफएमएस आरआरबी पोर्टल पर सीबीएस अंतरण के साथ-साथ यह आरआरबी भी ऑन-बोर्ड है जो पहले से ही पीएनबी द्वारा प्रायोजित अन्य आरआरबी द्वारा उपयोग किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मौजूदा पीएफएमएस सिस्टम फिनेकल 10 में असंगत हो जाएगा और हमारा समाधान पहले से ही आरआरबी के लिए चल रहा है जो फिनेकल 10 पर भी हैं।

पी) **पीएम स्वनिधि:** पीएम सड़क विक्रेता की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) एक ऐसी योजना है, जहां सड़क विक्रेताओं को रु10,000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है। बैंक ने स्वनिधि योजना के तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) पोर्टल द्वारा प्राप्त लीड को संसाधित करने के लिए एकीकरण सेवाएं विकसित की हैं। बैंक द्वारा प्राप्त सभी लीड को बैंक द्वारा ऋण खाता खोलने, ग्राहक विवरण प्राप्त करने, राशि अंतरण और संग्रह एपीआई के लिए पीएम स्वनिधि के चक्र को पूरा करने के लिए एपीआई का उपयोग करके तुरंत संसाधित किया जाता है।

क्यू) **संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई):** संयुक्त देयता समूह ग्रामीण विकास एजेंसी और नाबार्ड द्वारा छोटे किसानों को संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित एक अवधारणा है। यह योजना ईयूएनआई में एक उत्पाद थी जिसे पीएनबी फिनेकल 10 में ईयूएनआई कोर के समामेलन के बाद पीएनबी परिवेश में अंतरण कर दिया गया है। मंच को फिनटेक पैनल में शामिल विक्रेता मैसर्स जैकोटा द्वारा विकसित किया गया है और एकीकरण एपीआई को पीएनबी टीम द्वारा जैकोटा सिस्टम के साथ विकसित किया गया है ताकि ऋण खाता निर्माण, ग्राहकों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने, ऋण वितरण, संग्रह और पैन सत्यापन किया जा सके।

आर) **वास्तविक समय के आधार पर प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (सीईआरएसएआई) की केंद्रीय रजिस्ट्री में प्रतिभूति हित शुल्क पंजीकरण:** यह पोर्टल विकसित किया गया है जिसमें एपीआई एकीकरण के माध्यम से अचल संपत्तियों के लिए पीएनबी और सीईआरएसएआई के बीच प्रतिभूति हित शुल्क के निर्माण के लिए सीबीएस में पहले से मौजूद डेटा को प्राप्त करने के लिए सीबीएस के साथ एकीकरण किया गया है।

एस) **केंद्रीय शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस) पोर्टल** - यह एक इन-हाउस वेब आधारित प्रणाली (वेब एप्लिकेशन और वेब एपीआई) है जिसका उपयोग शिकायतें दर्ज करने और अनुरोधों का निवारण करने के लिए किया जाता है। सीजीआरएमएस पोर्टल में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं:-

- विफल/धोखाधड़ी लेनदेन के लिए डिजिटल (लेन-देन संबंधी) शिकायतें दर्ज करना
- सीजीआरएमएस में ओडीआर (ऑनलाइन विवाद निवारण) का क्रियान्वयन जहां दर्ज की गई सभी शिकायतों (संपर्क केंद्रों पर दर्ज की गई शिकायतों सहित) को सभी एडीसी से ट्रैक किया जा सकता है।

implementation. In this project currently SVANidhi loan account opening, Security Register Maintenance (SRM) creation, disbursement and Standing Instruction (SI) for the EMI all is done through API.

o) **Finacle 10 migration of Manipur Rural Bank and On-Boarding on PFMS RRB:** Along with CBS migration this RRB also on-boarded to PFMSRRB portal which is already being used by other RRBs sponsored by PNB. This is because their existing PFMS system will become incompatible with Finacle 10 and our solution is already running for RRBs which are also on Finacle 10.

p) **PM SVANidhi:** PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) is a scheme where loan up to Rs. 10,000 is provided to street vendors. Bank has developed integration services to process the leads received by Small Industries Development Bank of India (SIDBI) portal under SVANidhi scheme. All the leads received by bank are processed instantaneously using the API exposed by bank for loan account opening, Customer details pull, amount Transfer and collection API to complete the cycle of PM SVANidhi.

q) **Application Programming Interface (API) for Joint Liability group (JLG):** Joint Liability group is a concept established by rural development agency and NABARD to provide institutional credit to small farmers. This scheme was a product in eUNI which is migrated to PNB environment after amalgamation of eUNI Core to PNB Finacle 10. The platform is developed by Fintech Empaneled Vendor M/S Jacota and Integration API has been developed by PNB team for integration with Jacota system to perform loan account creation, fetch additional information about customers, loan disbursal, collection and PAN validation.

r) **Security Interest Charge Registration with Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest (CERSAI) in real time basis:** Portal has been developed which has integration with CBS to fetch the data already present in CBS for creation of security interest charge between PNB and CERSAI for immovable assets through API integration.

s) **Central Grievance Redressal Management System (CGRMS) Portal-** It is an in-house web based system (web application and web APIs) used to lodge complaints and service requests. Following improvements have been made in CGRMS portal: -

- Lodging of digital (transactional) complaints for failed/ fraudulent transactions
- Implementation of ODR (Online Disputes Redressal) in CGRMS where all complaints lodged (including those lodged at Contact Centers) can be tracked from all ADCs.

टी ) **पूर्वानुमोदित व्यक्तिगत ऋण हेतु एपीआईः** ग्राहकों का चयन पूर्व-निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है और ऐसे ग्राहक विकसित ऐप का उपयोग करके पूर्वानुमोदित व्यक्तिगत ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें ग्राहकों द्वारा रु. 2,00,000 तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। एपीआई ऋण वितरण, ऋण खाता बनाने, संपार्श्विक निर्माण, स्थायी अनुदेश (एसआई) बनाने और स्थायी खाता संख्या (पैन) सत्यापन हेतु फिनटेक पोर्टल द्वारा जनरेट किए गए अनुरोध को सीबीएस में अग्रेषित करने में मदद करता है।

### ड. प्रबंधन सूचना प्रणाली

बैंक न केवल निर्णय लेने और संचालन में उत्कृष्टता लाने के लिए बड़े डेटा और छोटे डेटा दोनों की शक्ति का उपयोग करने में विश्वास करता है बल्कि ग्राहक प्रसन्नता में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत अनुभव भी प्रदान करता है।

**उद्यम व्यापी डेटा वेयरहाउस (ईडीडब्लू):** ईडीडब्लू एक डाटा बेस है, जो विभिन्न स्त्रोत्रों एवं एप्लीकेशनों से व्यवसायिक सूचना को केंद्रीयकृत करता है और अनुप्रयोग और प्रबंधन सूचना प्रणाली, निर्णय समर्थन प्रणाली और डाटा खोज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिचालन, कार्यनीतिक, सूचनात्मक और विश्लेषिकी उद्देश्य के लिए इसे उपलब्ध कराता है। यह संगठनात्मक डेटा हेतु सत्यता का एकमात्र स्रोत है और ईडीडब्लू का अंतिम उपयोग बाध्यकारी कार्यनीतिक, परिचालन और विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए विनियामक, एमआईएस रिपोर्टिंग और तदर्थ डेटा आवश्यक है।

**डेटा विश्लेषण:** बैंक ने डेटा एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की स्थापना की है। नए मूल्य-सृजन, क्रॉस-सेल और अप-सेल अवसर, राजस्व में वृद्धि, लागत में कमी, उत्पाद वृद्धि, चैनल अनुकूलन, ऋण-चूक पूर्वानुमान, डिजिटल उपस्थिति में वृद्धि और ग्राहक आधार की जोखिम रूपरेखा में सुधार करने के उद्देश्य के साथ मुख्य तीन वर्टिकल व्यवसाय, नियन्त्रण और सहयोग पर विश्लेषण किया जा रहा है।

पीएनबी की वर्तमान और भविष्य की कार्यनीतिक व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ समन्वय स्थापित करने, प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने के लिए और ईज एजेंडा के तहत बैंक के लिए उन्नत डिजिटल क्षमताएं बनाने की जरूरतों को पूरा करने हेतु, विभिन्न व्यक्तिगत सेगमेंट पर मॉडल आधारित व्यावसायिक लीड तैयार किए जा रहे हैं। टीम मौजूदा ग्राहकों को विश्लेषण आधारित ऋण और गैर-ऋण ऑफर के लिए भी तैयार है।

### च. शाखा नेटवर्क

**घरेलू उपस्थिति**

बैंक के पास 31 मार्च,2021 तक 10769 शाखाओं का सबसे बडा नेटवर्क हैं, जिसमें 1931 महानगरीय, 2257 शहरी, 2680 अर्धशहरी और 3901 ग्रामीण शाखाएं शामिल हैं। ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाएं (आरयूएसयू) कुल शाखा नेटवर्क का 61 प्रतिशत हैं।

**अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति**

वर्तमान में, 2 शाखाओं (1 हांगकांग और 1 दुबई), 2 अनुषंगियों (लंदन और भूटान), 1 संयुक्त उद्यम (नेपाल) और 2 प्रतिनिधि कार्यालयों (म्यांमार और बांग्लादेश) के रूप में बैंक की 7 देशों में अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति हैं।

t) **API for Preapproved Personal Loan:** Customers are selected based on pre-defined criteria and such customer can avail pre-approved personal loan using the app developed where in loan up to Rs. 2,00,000 can be availed by such customers. API helps in pushing the request generated by Fintech Portal to CBS for Loan disbursal, Loan account creation, collateral creation, Standing Instruction (SI) creation and Permanent Account Number (PAN) validation.

### E. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

The Bank believes in harnessing the power of both big data and small data not only to drive decision-making and operational excellence but also to provide personalized experiences to increase customer delight.

**Enterprise-Wide Data Warehouse (EDW):** EDW is a database that centralizes business's information from multiple sources and applications and makes it available for operational, strategic, informative and analytics purpose to cater the need of management information system, decision support system & data mining. It is a single source of truth for organizational data and ultimate utilization of EDW is Regulatory, MIS reporting and ad-hoc data requirement for obligatory, strategic, operational and analytical purposes.

**Data Analytics:** The Bank has set up a Data Analytics Centre of Excellence (CoE). Analytics is being conducted on broadly three verticals- Business, Control and Support, with objective of new value-creation, cross-sell and up-sell opportunity, increasing revenue, cost reduction, product enhancement, channel optimization, default loan prediction, maximizing digital footprint and improve risk profiling of the customer base.

To align with the present and future strategic business requirements of PNB, to gain competitive edge and to cater to the needs of creating advanced digital capabilities for Bank under EASE agenda, Model based business leads are being generated on various personal segment. Team is also geared up for analytics based credit and non-credit offers to existing customers.

### F. BRANCH NETWORK

**Domestic Presence**

The Bank has one of the largest networks of 10769 branches as on 31st March, 2021, comprising of 1931 Metropolitan, 2257 Urban, 2680 Semi Urban and 3901 Rural branches. Rural and Semi Urban Branches (RUSU) comprise around 61 per cent of the Total Branch Network.

**International Presence**

At present Bank has its overseas presence in 7 Countries by way of 2 branches (1 at Hong Kong and 1 at Dubai), 2 Subsidiaries (London and Bhutan), 1 Joint Venture (Nepal) and 2 Representative Offices (Myanmar and Bangladesh).

## छ. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

31 मार्च, 2021 तक, विदेशी मुद्रा कारोबार का संचालन करने के लिए 240 शाखाएं अधिकृत थी एवं केंद्रीकृत रूप से व्यापारिक लेनदेन का संचालन करने के लिये विशिष्ट 4 ट्रेड फाइनेंस सेंटर नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में कार्यरत हैं। बैंक के पास विदेशी पर्यटकों/एनआरआई द्वारा विदेशी मुद्रा नोटों के नकदीकरण की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्रों पर 9 एक्सचेंज ब्यूरो हैं।

**घरेलू विदेशी मुद्रा कारोबार**

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रू.90,105 करोड़ का कुल विदेशी मुद्रा व्यापार कारोबार (निर्यात और आयात सहित) दर्ज किया है।

समग्र रूप से बैंक के आवक विप्रेषण करने के लिए नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा शाखा (आईएसबी) कार्यरत है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने रु.42,718 करोड़ का विप्रेषण कारोबार किया है।

बैंक के पास अनिवासी भारतीयों से विप्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए 17 विनिमय गृहों (11 गल्फ, 1 सिंगापुर, 2 यूएसए, यू.के., कनाडा और सेशल्स में एक-एक) के साथ रुपी ड्रॉइंग व्यवस्था (आरडीए) भी है।

बैंक ने मनी ट्रांसफर सर्विस योजना (एमटीएसएस) के तहत ट्रांसफ़ास्ट वर्ल्डवाइड के साथ विप्रेषण व्यवस्था भी की हैं।

**विदेशी कारोबार**

मार्च 2021 तक बैंक का विदेशी कारोबार रु. 43,266 करोड़ रहा। विदेशी शाखाएं लाभप्रदता में सुधार के लिए कम क्रेडिट जोखिम भार के साथ एक विविध ऋण पोर्टफोलियो बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मध्यम/दीर्घकालिक परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

**विदेशी मुद्रा कारोबार वृद्धि के लिए उठाए गए कदम:**

- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विदेशी मुद्रा कारोबार के संबंध में उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर 65 निर्यातक/ आयातक बैठकें आयोजित की गईं।
- व्यापार वित्त पुनर्परिभाषित पोर्टल: बैंक ने टीएटी में सुधार करने के लिए निर्यात ग्राहकों को दस्तावेज़ स्कैन करने और सीधे बैंक को भेजने की अनुमति देने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। यह एक साथ सूचना डैशबोर्ड जैसी अन्य सुविधाएँ प्रदान करता है जिसमें सीमा उपलब्धता, बिलों की देय तिथि का कैलेंडर, लेनदेन की स्थिति की वास्तविक समय ट्रैकिंग आदि शामिल हैं।
- विदेशी मुद्रा सेवा प्रभार: व्यक्तिगत, विदेशी मुद्रा डिमांड ड्राफ्ट एफसीवाई-डीडी (इश्यू)/एक्सचेंज अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी), से टेलीग्राफिक अंतरण (टीटी), ईईएफसी से चालू खाते (सीए) में राशि का अंतरण/विदेशी मुद्रा में पैकिंग क्रेडिट ऋण (पीसीएफसी)/एफसीबीआरडी के लिए अग्रिम प्राप्ति, आंतरिक विप्रेषण (निर्यात के अलावा), बाह्य विप्रेषण (आयात के अलावा) के संबंध में विदेशी मुद्रा सेवा प्रभारों को तर्कसंगत बनाया गया है।
- निर्यात ऋण पर ब्याज दर को उधारकर्ता की रेटिंग के साथ संरेखित किया गया है।
- व्यापार वित्त ग्राहकों की सहायता के लिए सभी व्यापार वित्त केन्द्रों (टीएफसी) में समर्पित ग्राहक सेवा डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं। संपर्क विवरण पीएनबी कॉर्पोरेट वेबसाइट पर भी दिए गए हैं।

## G. INTERNATIONAL BANKING

As on 31st March, 2021, there were 240 branches authorized to handle Foreign Exchange Business and 4 Trade Finance Centers functioning at New Delhi, Chennai, Kolkata and Mumbai specialized for centralized handling of trade transactions. Bank has 9 Exchange Bureaus at important tourist centers to facilitate encashment of Foreign Exchange Currency Notes by foreign tourists/NRIs.

**DOMESTIC FOREX BUSINESS**

Bank has registered a Foreign Exchange Business Turnover of Rs. 90,105 Crore (Exports and Imports together) for the FY 2020-21.

Bank has an International Service Branch (ISB) functioning at New Delhi for handling Inward Remittances of the Bank as a whole. During FY 2020-21, Bank has handled remittance business of Rs. 42,718 Crore.

Bank also has Rupee Drawing Arrangements (RDA) with 17 exchange Houses (11 in the Gulf, 1 in Singapore, 2 in the USA, 1 each in UK, Canada and Seychelles) to facilitate remittance from NRIs.

The Bank also has remittance arrangement under Money Transfer Service Scheme (MTSS) with Transfast Worldwide.

**OVERSEAS BUSINESS**

Overseas business of the Bank stood at Rs. 43,266 Crore as at March 2021. Overseas branches are focusing on High Quality Medium/Long term Assets to build a diversified loan portfolio with low Credit Risk Weight to improve profitability.

**Steps Initiated for Forex Business growth:**

- 65 Exporter/ Importer meets were conducted on PAN India basis to address their grievances in respect of Forex business during FY 2020-21.
- Trade Finance Redefined Portal: Bank has launched a portal to allow export customers to scan and send documents directly to Bank improving TAT. It simultaneously offers other features like information dashboard which contains limit availability, due date calender of bills, real time tracking of transaction status etc.
- Forex Service Charges: The forex service charges have been rationalized with respect to advance receipt, inward remittance (other than export), outward remittance (other than import) for individual, Foreign Currency Demand Draft FCY-DD (issue)/ Telegraphic Transfer (TT) from Exchange Earners' Foreign Currency (EEFC), transfer of amount from EEFC to Current Account (CA)/ Packing Credit Loan in Foreign Currency (PCFC)/FCBRD.
- Interest rate on Export Credit has been aligned with Rating of the borrower.
- Dedicated customer care desks are made available at all Trade Finance Centre (TFCs) to help trade finance customers. The contact details are also placed on PNB Corporate website.

- एक समर्पित ईमेल आईडी eximcust@pnb.co.in विशेष रूप से व्यापार वित्त ग्राहकों हेतु उनके विदेशी मुद्रा से संबंधित परिचालन मामलों के लिए बनाई गई है, जो आईबीडी की प्रत्यक्ष निगरानी में है।

**ज. कारोबार विविधीकरण**

**बीमा कारोबार:**

- **जीवन बीमा :**

  जीवन बीमा के तहत, बैंक ने निम्नानुसार बीमा कंपनियों, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पीएमएलआई) और केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (चॉइस) के साथ टाई-अप किया है।

  जीवन बीमा कारोबार से बैंक की आय वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 2.94 प्रतिशत से बढ़कर 276.22 करोड़ रुपये हो गई।

  नए उत्पाद:

  1. पीओएस सुरक्षा बाय पीएनबी मेटलाइफ।
  2. सेंचुरी प्लान बाय पीएनबी मेटलाइफ
  3. गारंटीड इनकम 4 लाइफ बाय चॉइस
  4. पेंशन 4 लाइफ बाय चॉइस।

- **गैर-जीवन बीमा:**

  गैर-जीवन बीमा के तहत, बैंक ने निम्नलिखित बीमा कंपनियों, द ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल), बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (बीएजीआईसी), चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड(चोला), केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. (सीएचआईसीएल) एवं स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसएचआईसीएल) के साथ टाई-अप किया है।

  बैंक की कमीशन आय वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 92.65 करोड़ रुपये थी (स्वास्थ्य बीमा- 53.59 करोड़ रुपये और संपत्ति बीमा- 39.06 करोड़ रुपये)। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने आय में वर्ष दर वर्ष 6.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

नए उत्पाद:

1. केयर हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा खुदरा ऋणों की सुरक्षा के लिए समान मासिक किस्त (ईएमआई) सुरक्षा योजना।
2. चोला एमएस द्वारा अपनी तरह की पहली कोविड 19 लाभ योजना, जो केवल बीमित व्यक्ति के कोविड के निदान पर पॉलिसी के तहत कवर किए गए प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान करती है।
3. बजाज आलियांज द्वारा समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जो केवल 68 रुपये के प्रीमियम पर 4 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान करता है।
4. ग्रुप केयर 360 -ग्रामीण: ग्रामीण ग्राहकों को रियायती दर पर एक विस्तृत स्वास्थ्य बीमा उत्पाद को तैयार किया गया है।

- A dedicated email ID eximcust@pnb.co.in has been created exclusively for trade finance customers for their forex related operational issues which is under the direct monitoring of IBD.

**H. BUSINESS DIVERSIFICATION**

**Insurance Business:**

- **Life Insurance:**

  Under Life Insurance, Bank has tie-up with the following Insurance companies, Life Insurance Corporation of India (LIC), PNB MetLife India Insurance Co. Ltd (PMLI) and Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd (CHOICe).

  The Bank's earnings from Life Insurance business grew by 2.94 per cent during FY 2020-21 to Rs. 276.22 Crore.

  New Products:

  1. POS Suraksha by PNB Metlife.
  2. Century Plan by PNB Metlife
  3. Guaranteed Income 4 Life by CHOICe
  4. Pension 4 Life by CHOICe.

- **Non-Life Insurance:**

  Under the Non-Life Insurance, the Bank has tie-up with the following Insurance companies, The Oriental Insurance Co. Ltd. (OICL), Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. (BAGIC), Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd. (CHOLA), Care Health Insurance Co. Ltd. (CHICL), and Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. (SHICL).

  Bank's Commission Income stood at Rs. 92.65 Crore during FY 2020-21 (Health Insurance – Rs. 53.59 Crore & Asset Insurance – Rs. 39.06 Crore). During FY 2020-21, Bank registered a YOY growth of 6.92 per cent in income.

  New Products:

  1. Equated Monthly Installment (EMI) protection plan for protecting retail loans by Care Health Insurance.
  2. First of its kind COVID 19 benefit plan by CHOLA MS which pays an upfront amount of Rs. 50,000 per person covered under the policy simply on diagnosis of COVID of the insured.
  3. Group Personal Accidental Insurance by Bajaj Allianz which provides a Sum Insured of Rs. 4 Lakh at a premium of Rs. 68 only.
  4. Group Care 360 - Rural: A comprehensive Health Insurance product has been designed for rural customers at a subsidized rate.

- **म्यूचुअल फंड:**

  बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान रु. 3.81 करोड़ की आय के मैसर्स प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, मैसर्स यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मैसर्स आदित्य बिड़ला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि., मैसर्स एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लि., मैसर्स डीएसपी इन्वेटमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स फ्रेंकलिन टेंपलटन एसेट मैनेजमेंट (भारत) प्राइवेट लिमिटेड के म्यूचुअल फंड उत्पादों का वितरण और विपणन किया है।

- **डिपॉजिटरी सेवाएँ :**

  डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में, बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में 5,539 डीमैट खाते और 7,514 ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते खोले। इंस्टा डीमैट सुविधा सितंबर 2020 में शुरू की गई थी। वित्त वर्ष 2020-21 में इस सुविधा के माध्यम से 3,268 खाते खोले गए।

- **मर्चेंट बैंकिंग:**

  बैंक के पास निर्गम के लिए बैंकर, ऋणपत्र, न्यासी और व्यापार बैंकर के रूप में कार्य करने का लाइसेंस है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 109 आईपीओ लॉन्च किए गए थे जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 105 आईपीओ लॉन्च किए गए थे। हालांकि, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एएसबीए में अवरुद्ध राशि बढ़कर रु 4,969.91 करोड़ हुई।

**वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान नई पहलें**

**ए. जीवन बीमा एवं गैर-जीवन बीमा कारोबार:**

1. जीवन बीमा के तहत बीमा पॉलिसियों की ऑनलाइन खरीद की सुविधा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परिचालित की गई।
2. इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से संपत्ति और स्वास्थ्य बीमा का ऑनलाइन अनुरोध शुरू किया गया।

**बी. डिपॉजिटरी कारोबार:**

1. डिजिटल चैनल के माध्यम से तुरंत डीमैट खाता खोलने की इंस्टा डीमैट सुविधा एनएसडीएल के सहयोग से शुरू की गई।
2. एनएसडीएल के सहयोग से संभावित ग्राहकों को जागरूकता प्रदान करने के लिए डिपॉजिटरी सर्विसेज पर 8 वेबिनार आयोजित किए गए।

**सी. लीड प्रबंधन प्रणाली:**

अक्टूबर 2020 से सीआरएम के लीड प्रबंधन प्रणाली में मिस्ड कॉल चैनल को जोड़ना, जिसके माध्यम से ग्राहक मिस्ड कॉल देकर बैंक उत्पाद में रुचि व्यक्त कर सकते हैं और बैंक से कॉल बैक प्राप्त करेंगे।

**डी. ग्राहक अधिग्रहण केंद्र (सीएसी) और सरकारी कारोबार वर्टिकल केंद्र (जीबीवी):**

पीएनबी की नई संरचना में, भारत भर के राज्यों की राजधानियों में प्रमुख स्थानों पर 57 ग्राहक अधिग्रहण केंद्र (सीएसी) और राज्यों की राजधानियों में 21 सरकारी व्यावसायिक वर्टिकल केंद्र (जीबीवी) जुलाई 2020 से चालू किए गए हैं।

इन वर्टिकल केंद्रों का मुख्य उद्देश्य मौजूदा/नए कॉर्पोरेट/संस्थागत/सरकारी/रक्षा और पीएसयू ग्राहकों के साथ कार्यनीतिक समन्वय के माध्यम से थोक व्यापार उत्पन्न करने हेतु ध्यान केंद्रित करना है, विशेष रूप से हमारे बैंक से ऋण सुविधा का लाभ लेने

- **Mutual Funds:**

  The Bank is distributing and marketing Mutual Fund products of M/s Principal Asset Management Pvt. Ltd., M/s Nippon Life Asset Management Ltd., M/s UTI Asset Management Company Ltd., M/s Aditya Birla Sunlife Asset Management Company Ltd., M/s LIC Mutual Fund Asset Management Ltd, M/s DSP Investment Managers Pvt Ltd and M/s Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt Ltd. During FY 2020-21, Income of Rs.3.81 Crore was earned.

- **Depository Services:**

  As a Depository Participant, bank opened 5,539 Demat Accounts and 7,514 Online Trading Accounts in FY 2020-21. Insta Demat facility was introduced in September 2020. 3,268 accounts were opened through this facility in FY 2020-21.

- **Merchant Banking:**

  Bank has license to act as a Banker to Issue, Debenture Trustee and Merchant Banker. During FY 2020-21, 109 IPOs were launched whereas 105 IPOs were launched in FY 2019-20. However, the amount blocked in ASBA increased to Rs. 4,969.91 Crore during FY 2020-21.

**New Initiatives during FY 2020-21**

**a. Life Insurance & Non-Life Insurance Business:**

1. The facility for online purchase of Insurance Policies under Life insurance has been made operational through Internet Banking.
2. Online Solicitation of Asset & Health Insurance has been launched through Internet / Mobile Banking.

**b. Depository Business:**

1. Insta Demat facility to open Demat Account instantly through Digital Channel was launched in collaboration with NSDL.
2. 8 Webinars held on Depository Services in collaboration with NSDL for prospective customers to create awareness.

**c. Lead Management System:**

Addition of missed call channel in Lead Management System of CRM with effect from October 2020 through which customer can express interest in bank product by giving a missed call and will receive a call back from bank.

**d. Customer Acquisition Centres (CAC) and Government Business Vertical Centres (GBV):**

In the new revamped structure of PNB, 57 Customer Acquisition Centres (CACs) at major locations & 21 Government Business Vertical Centres (GBVs) at State Capitals across India became operational since July 2020.

The main objective of these vertical centres is for focused approach to generate bulk business through strategic tie ups with existing/new Corporate/ Institutional/Govt./

वालों को बैंक के विभिन्न उत्पादों विशेषकर अन्य पक्ष उत्पाद के क्रॉस सेल/अप सेल की संभावनाओं को खोजना। इसके अलावा, यह संरचना बिक्री/विक्रय बिक्री के अवसरों की खोज करके एचएनआई/एनआरआई ग्राहकों के साथ संबंधों को गहरा करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

### झ. सरकारी कारोबार

विभिन्न लाभार्थियों के लिए केंद्र और राज्यों से धन के अंतरण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की दृष्टि से, बैंक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) एजेंसी खातों की एक बड़ी संख्या के लिए प्रयास करता है। 31 मार्च, 2021 को, पूरे भारत में 3.44 लाख एजेंसी खाते थे। समामेलन के बाद, बैंक नौ अलग-अलग केंद्र सरकार के विभागों का मान्यता प्राप्त बैंकर है। ये संख्या आगे और बढ़ेगी। बैंक विभिन्न राज्य सरकारों के साथ उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गठजोड़ बढ़ा रहा है।

**वर्ष के दौरान सरकारी कारोबार के अंतर्गत बैंक द्वारा की गई कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:**

- सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम): विक्रेताओं, अर्थात् विक्रेताओं और खरीदारों को हमारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध होने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों में पहला बैंक है। इन सेवाओं में जीईएम पूल खाता, ई-पीबीजी (निष्पादन बैंक गारंटी) और ई- ईएमडी (बयाना जमा राशि) शामिल हैं।
- फास्टैग: राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रह परियोजना लागू की गई है और फास्टैग जारी करने के लिए सभी शाखाओं को सक्षम किया गया है।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस): हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एनपीएस विप्रेषण के लिए ऑन-बोर्ड किए गए हैं।
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस): बैंक ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 62 लाख लाभार्थियों को लगभग 3,720 करोड़ रुपये की धनराशि समय पर वितरित की है।
- सक्रिय विपणन के माध्यम से, वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान 1.21 लाख से अधिक पीपीएफ, 61,000 से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते और 53,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिक बचत खाते खोले गए।
- भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अभिदान की सीरीज की मार्केटिंग हमारी शाखाओं द्वारा की गई और 1598 किलोग्राम की बिक्री की गई।
- बैंक लगभग 10 लाख पेंशनभोगियों यथा केंद्र सरकार, रक्षा, रेलवे, दूरसंचार और राज्य सरकार को पेंशन वितरित कर रहा है।
- बैंक विभिन्न राज्यों के साथ एकीकरण कर रहा है और उनके साइबर ट्रेजरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन कर एकत्र कर रहा है और 21 राज्यों में वैट का संग्रह किया जाता है।
- अखिल भारतीय आधार पर करों का संग्रह (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) ऑफ़लाइन और ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। बैंक केंद्र और राज्य सरकार के लिए करों के प्रमुख संग्रहकर्ताओं में से एक है।

Defence & PSU clients, especially those enjoying credit facilities from us by exploring cross sell/up sell bouquet of various Bank products, especially Third Party Product (TPP). In addition, structure also focus on deepening relationship with HNI/NRI clients by exploring up sell/ cross sell opportunities.

### I. GOVERNMENT BUSINESS

With a view to play a more proactive role in the transfer of funds from Centre and States to various beneficiaries, Bank has been making efforts to have a sizeable number of Public Financial Management System (PFMS) agency accounts. As on 31st March, 2021, there were 3.44 lakh agency accounts PAN India. Bank is also an accredited banker to nine different Central government departments post amalgamation. These numbers will further rise. Bank has been increasing tie-ups with various State governments to cater to their specific needs.

**Some of the initiatives taken up by the Bank under Govt. Business during the year are given as under:**

- Govt. E-Market Place (GeM): Bank is the first among nationalized banks to be available on GeM portal for providing our services to vendors, i.e. sellers and purchasers. These services include GeM pool account, e-PBG (Performance Bank Guarantee) & e-EMD (Earnest Money Deposit).
- Fastag: National Electronic Toll Collection Project has been implemented and all branches have been enabled for issuance of Fastags.
- National Pension System (NPS): Four Regional Rural Banks sponsored by our bank have been on-boarded for NPS remittance.
- Public Financial Management System (PFMS): Bank has timely disbursed funds of approximately Rs. 3,720 Crores to about 62 lakh beneficiaries under PM Kisan Samman Nidhi.
- Through active marketing, more than 1.21 lakh PPF, more than 61,000 Sukanya Samridhi Accounts and more than 53,000 Senior Citizen Saving Accounts were opened during the FY 2020-21
- Series of Sovereign Gold Bond subscription launched by Govt of India were marketed by our branches and 1598 Kgs were sold.
- Bank is disbursing pension of approximately 10 lakh pensioners i.e. Central Govt, Defence, Railways, Telecom and state Government.
- Bank is having integration with various states and is collecting online and offline taxes through their Cyber Treasury Portal and collection of VAT is done in 21 States.
- Collection of taxes (Direct & Indirect) is being done through offline and online on PAN India Basis. Bank is one of the major collectors of taxes for Central & State Government.

## ञ. ट्रेजरी परिचालन

31 मार्च 2021 को रु. 3,88,418 करोड़ के औसत निवेश साथ सकल घरेलू निवेश बढ़कर रु. 3,94,889 करोड़ हो गया। निवेश पोर्टफोलियो से ब्याज आय 2020-21 में रु. 24,566 करोड़ रही।

बैंक ने पूरे वित्तीय वर्ष में एसएलआर और गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में सक्रिय रूप से कारोबार किया। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कुल व्यापारिक लाभ रु. 4,350 करोड़ रहा।

कोविड-19 के बाद की अवधि में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न तरलता बढ़ाने के उपायों के कारण 2020-21 के दौरान सिस्टम तरलता अधिशेष जारी रहा। अप्रैल 2020 से बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष तरलता रही है, जो औसत दैनिक तरलता 5 लाख करोड़ रुपये के साथ 31 मार्च, 2021 तक जारी रही। आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपये की घोषणा के खिलाफ 1,00,000 करोड़ रुपये के लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन (टीएलटीआरओ) और 13,000 करोड़ रुपये के टीएलटीआरओ 2.0 जैसे कई तरलता बढ़ाने के उपाय किए हैं। तरलता का प्रबंधन करने के लिए सक्रिय रूप से कई लिखतों जैसे तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत रेपो, फिक्स्ड और साथ ही परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो और एमएसएफ का उपयोग किया है। सालभर में 3,13,295 करोड़ रुपये की राशि के साथ जी-सेक के कई खुले बाजार संचालन (ओएमओ) के साथ-साथ बिक्री और खरीद से जुड़े विशेष ओएमओ सहित राज्य विकास ऋण (एसडीएल) आयोजित किए गए।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक की तरलता की स्थिति अधिशेष बनी रही, जिसे आरबीआई के साथ रिवर्स रेपो संचालनों के साथ-साथ कॉल, ट्राई-पार्टी रेपो ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म (TREPS) और क्लियर कॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (CROMS) जैसे विभिन्न मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से प्रमुख रूप से अभिनियोजन किया गया था।

- **निश्चित आय (एसएलआर/एनएसएलआर)**

  वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक को निश्चित आय लिखतों और अन्य निवेशों की खरीद और बिक्री से 4,100 करोड़ रुपये का व्यापारिक लाभ हुआ है।

  कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में बॉन्ड बाजार में बहुत अधिक अस्थिरता देखी गई है।

  27 मार्च, 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में 75 आधार अंकों की कटौती के साथ-साथ सीआरआर में 100 बीपीएस की कमी के कारण जुलाई 2020 के मध्य तक प्रतिफल में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई थी।

  इसमें 22 मई, 2020 को फिर से दर में 40 आधार अंकों की कटौती की गई, जिससे रेपो दर अपने 4% के वर्तमान स्तर पर आ गई। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बाजार उधार में बजटीय रु. 7.80 लाख करोड़ से लगभग रु.12 लाख करोड़ तक का संशोधन किया गया ताकि निवेशकों की कोविड -19 के कारण हुई कमजोर जोखिम वहन क्षमता से पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके, जिससे संक्षिप्त अवधि के लिए प्रतिफल में वृद्धि होगी।

  जुलाई 2020 के मध्य से, अस्थिरता की कुछ संक्षिप्त अवधि को छोड़कर, बाण्ड बाजार ज्यादातर सीमाबद्ध बने रहे। मई 2020 से ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि और अगस्त 2020 से अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड के लगातार बढ़ने से बॉन्ड बाजारों पर दबाव पड़ा, लेकिन पूरी अवधि के दौरान आरबीआई एकमुश्त/विशेष ओएमओ की घोषणा के साथ सहायक रहा, जिसमें राज्य विकास

## J. TREASURY OPERATIONS

Gross Domestic Investments grew to Rs. 3,94,889 Crore as on 31st March, 2021 with the averageinvestments at Rs. 3,88,418 Crore. Interest income from the investment portfolio stood at Rs. 24,566 Crore for FY 2020-21.

The Bank actively traded in SLR and Non-SLR securities throughout the financial year. Total trading profit for the FY 2020-21 is Rs. 4,350 Crore.

System liquidity continued to be in surplus during 2020-21 on account of various liquidity augmenting measures undertaken by the Reserve Bank of India in the post-COVID-19 period. From April 2020 onwards there has been a surplus liquidity in the Banking system which has continued till 31st March, 2021 with average daily liquidity to the tune of Rs. 5 Lakh Crore. RBI took many liquidity augmenting measures such as Targeted Long Term Repo Operations (TLTRO) of Rs. 1,00,000 Crore and TLTRO 2.0 of Rs. 13,000 Crore against announcement of Rs. 50,000 Crore. It also actively used several instruments to manage liquidity like repo, fixed as well as variable rate reverse repo and MSF under the Liquidity Adjustment Facility (LAF). Numerous open market operations (OMOs) of G-Secs as well as State Development Loans (SDLs) including special OMOs involving simultaneous sale and purchase were conducted throughout the year amounting to Rs. 3,13,295 Crore.

The liquidity position of the bank remained surplus during FY 2020-21 which was deployed majorly through reverse repo operations with RBI as well as in various money market instruments like Call, Tri-party Repo Order Matching Platform (TREPS) and Clear Corp Repo Order Matching System (CROMS).

- **Fixed Income (SLR/NSLR)**

  During FY 2020-21, Bank booked trading profit of Rs. 4,100 Crore from purchase and sale of fixed income instruments and other investments.

  Bond market witnessed a lot of volatility in FY 2020-21 primarily due to the outbreak of COVID-19 pandemic.

  Declining trend of yield was seen till mid of July 2020 due to repo rate cut of 75 basis points by Reserve Bank of India on 27th March, 2020 along with reduction of CRR by 100 bps.

  This was followed by another rate cut of 40 basis points on 22nd May, 2020 bringing the repo rate to its present level of 4 per cent. However, revision of market borrowing by Central Government for FY 2020-21 from the budgeted Rs. 7.80 Lakh Crore to around Rs. 12 Lakh crore to mitigate the unfolding impact of COVID-19 dented risk appetite of the investors leading to the hardening of yields for a brief period.

  Since mid of July 2020, barring some brief period of volatility, bond markets mostly remained range bound. While steady increase in Brent crude oil prices since May 2020 and continuous hardening of U.S. treasury yield since August 2020 exerted pressure on bond markets, but throughout the period RBI remained supportive with the announcement of outright/special

ऋण में ओएमओ की खरीद भी शामिल थी। दिनांकित प्रतिभूतियों की बड़ी आपूर्ति को देखते हुए, आरबीआई ने अधिसूचनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से 1 सितंबर, 2020 और 31 मार्च, 2022 के बीच अधिग्रहित एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए 31 मार्च 2023 तक एनडीटीएल की 22 प्रतिशत की बढ़ी हुई एचटीएम सीमा की विशेष छूट दी।

1 फरवरी, 2021 को, वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सकल बाजार उधार लगभग 12.06 लाख करोड़ रुपये रहा, लेकिन साथ ही, इससे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बाजार उधार में रु. 80,000 करोड़ के बाजार ऋण में वृद्धि हुई जिससे बॉण्ड बाजार में अनिश्चितता आई। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यह अतिरिक्त उधार रु.1.10 लाख करोड़ अधिक था जोकि भारत सरकार द्वारा पहले घोषित किया गया था ताकि जीएसटी कमी को पूरा करने के लिए राज्यों के लिए विशेष विंडो क्रियांवित कर क्षतिपूर्ति की जा सके।

मुद्रास्फीती के दबाव के बावजूद, जो नवंबर 2020 तक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़ों में प्रकट हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपने उदार रुख को बनाए रखा और मुद्रास्फीति के शांत होने के बाद विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किए जाने वाले नीतिगत स्थान की उपलब्धता का संकेत दिया। विकास, जो पहली तिमाही में लगभग 24.4 प्रतिशत तक बड़े पैमाने पर और पुनः दूसरी तिमाही में लगभग 7.4 प्रतिशत तक हुआ, अंततः तीसरी तिमाही में लगभग 0.5 प्रतिशत तक मामूली रूप से विस्तारित हुई और वित्तीय वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 1.6 प्रतिशत तक बढ़ी, जिससे आने वाले समय में पुनः विकसित होने की उम्मीद बढ़ गई है।

- **इक्विटी और म्यूचुअल फंड**

बैंक ने इक्विटी शेयरों में ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड में निवेश से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 227 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। केंद्र सरकार द्वारा वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन की अचानक घोषणा के कारण भारतीय इक्विटी बाजार धराशायी हो गया। हालांकि, निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने अपने निचले स्तर से तेजी से वापसी की है और अब तक के उच्चतम स्तर पर कारोबार करना जारी रखा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा बाजार पहले ही खराब हालत से जूझ चुका है और आने वाली तिमाही में आय में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद कर रहा है क्योंकि देश भर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं। जीएसटी कर संग्रह जैसे आर्थिक संकेतकों ने भी महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है।

- **विदेशी मुद्रा**

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बैंक की शुद्ध विदेशी आय रु. 1,395 करोड़ है। भारतीय रुपया पूरे वर्ष काफी हद तक स्थिर रहा और 72.26-76.92 की व्यापक सीमा में इसने कारोबार किया। अप्रैल 2020 के दौरान इसमें थोड़ा मूल्यह्रास हुआ जिसके कारण यह 76.92 पर आ गया, लेकिन देश द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड एफडीआई प्रवाह के कारण यह वापस आ गया। यह अंततः 31 मार्च, 2021 को 73.11 पर बंद हुआ।

OMOs which even included the OMO purchase in State development loans. For addressing the larger supply of dated securities, RBI granted a special dispensation of enhanced HTM limit of 22 per cent of NDTL till 31st March 2023, for SLR securities acquired between 1st September, 2020 and 31st March, 2022 through a series of notifications.

On 1st February, 2021, Union Budget for FY 2021-22 pegged the gross market borrowing for FY 2021-22 at around Rs.12.06 Lakh Crore, but at the same time, increased the market borrowing for FY 2020-21 by Rs. 80,000 Crore sending jitters in the bond market. This extra borrowing for FY 2020-21 was in addition to the Rs.1.10 Lakh Crore announced earlier by the Government of India to functionalize the special window for compensating the States to meet the GST shortfall.

Despite inflationary pressures, which manifested in CPI based inflation data till November 2020, the Reserve Bank of India Monetary Policy Committee maintained its accommodative stance and indicated the availability of policy space which would be used judiciously once inflation cools down. Growth, which contracted massively by around 24.4 per cent in Q1 and then again by around 7.4 per cent in Q2, finally expanded marginally by around 0.5 per cent in Q3 and by 1.6 per cent in Q4 of FY 2020-21, raising hopes for growth revival in the days ahead.

- **Equity & Mutual Funds**

Bank earned a profit of Rs. 227 Crore in FY 2020-21 from trading in equity shares and investment in mutual funds. Indian equity markets crashed due to the sudden announcement of a nationwide lockdown in March 2020 in order to control the spread of the virus by the Union government. However, Nifty 50 and Sensex have rebounded sharply from its lows and continue to trade at all-time highs as of now.

It appears that the present market has already discounted the worst and is anticipating significant improvement in earnings in the coming quarters due to a strong revival in demand post the mass vaccination drive being carried out across the country. Economic indicators like GST tax collections have also shown significant improvement.

- **Forex**

Net forex income of the bank for FY 2020-21 was Rs. 1,395 Crore. The Indian Rupee remained largely stable throughout the year and traded in a broad range of 72.26–76.92. It experienced a knee jerk depreciation during April 2020 pushing it to 76.92 but recovered on the back of record FDI inflows received by the country. It finally closed at 73.11 on 31st March, 2021.

## ट. ग्राहक सेवा

एक सेवा संगठन होने के नाते, गुणवत्तापूर्ण ग्राहक सेवा प्रदान करना और ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना बैंक का आधारभूत सरोकार हैं बैंक का मानना है कि न केवल नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, बल्कि मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने के लिए भी त्वरित और कार्य - कुशल सेवा प्रदान करना आवश्यक है। बैंक का उद्देश्य उचित ग्राहक सेवा देने और समीक्षा तंत्र के माध्यम से ग्राहकों की समस्याओं और शिकायतों के मामलों को कम करना और इसके बावजूद उत्पन्न होने वाली किसी भी ग्राहक समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करना है।

**ग्राहक सेवा में सुधार के लिए वर्ष के दौरान की गई पहल:**

- बैंक का एक ऑन-लाइन शिकायत निवारण प्रबंधन पोर्टल है इसे केंद्रीयकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस) कहा जाता है, जिसे पहले विक्रेता द्वारा प्रबंधित किया जाता था और इस अवधि के दौरान इन-हाउस पोर्टल को 1 जुलाई, 2020 से विकसित और चालू किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से, ग्राहक को तत्काल पावती मिलती है और वह शिकायत को ट्रैक भी कर सकता है।
- ग्राहक सीजीआरएमएस में, बैंक की वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग सेवा, मोबाइल बैंकिंग सेवा मोबाइल बैंकिंग सेवा और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने अनुरोध/शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- सीजीआरएमएस में नई सुविधाओं को लागू किया गया है जिसमें शिकायत की प्रत्येक उप-श्रेणी के समाधान के लिए विभेदित प्रसंस्करण प्रवाह और समय-सीमाएं हैं, संबंधित पर्यवेक्षी स्तरों पर ऑटो-एस्केलेशन, प्रमुख चरणों में सक्रिय संचार वाले ग्राहकों के लिए मानकीकृत स्थिति के प्रकार हैं।
- बैंक के पास दो अग्रणी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से 24 x 7 x 365 आधार पर अपने ग्राहकों को टेली-बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए गुरुग्राम तथा नोएडा में अत्याधुनिक संपर्क केंद्र हैं। इन दो प्राथमिक केन्द्रों के अतिरिक्त, बैंक ने 11 क्षेत्रीय भाषाओं में अपने ग्राहकों को टेली-बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए देहरादून और भोपाल में दो अन्य संपर्क केंद्र भी स्थापित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आईवीआर के माध्यम से संपर्क केंद्र द्वारा सेवाओं की संख्या 11 तक बढ़ा दी गई है, जिससे वे अधिक ग्राहक अनुकूल बन गए हैं।
- बैंक ने शाखाओं में ग्राहक सेवा के मानक का आंकलन करने के लिए शाखाओं में औचक दौरे किए जाने हेतु ग्राहक सेवा केन्द्र, प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय और मंडल कार्यालयों में अधिकारियों की टीमों का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक के अधिकारियों ने पूरे भारत की शाखाओं के 8,496 औचक दौरे किये। दौरा करने वाले अधिकारियों द्वारा बताई गई कमियों को संबंधित शाखाओं तथा मंडल कार्यालयों के साथ साझा किया गया ताकि उन्हें दूर करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
- बैंक को शिकायतों की स्थिति की समीक्षा बोर्ड की उप-समिति "बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति" द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है। समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं सीईओ महोदय करते हैं।
- बैंक की एक "ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति" है, जो बैंक की ग्राहक सेवा के साथ-साथ भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के ग्राहकों के लिए बैंक की प्रतिबद्धताओं के कोड के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करती है।

## K. CUSTOMER CARE

Being a service organization, providing quality customer service and ensuring customer satisfaction are the prime concerns of the bank. The Bank believes that providing prompt and efficient service is essential not only to attract new customers, but also to retain existing ones. Aim of the Bank is to minimize the instances of customer complaints and grievances through proper customer service delivery and review mechanism and to ensure prompt redressal of any customer complaints and grievances that may arise despite this.

**Initiatives undertaken during the year for improvement in customer service**

- The Bank has an On-line Grievance Redressal Management Portal called Centralized Grievance Redressal Management System (CGRMS), which was earlier managed by the vendor and during the period in-house Portal is developed and made operational from 1st July, 2020. Through this system, the customer gets an immediate acknowledgement and can keep a track of the complaint also.
- Customers can lodge their requests/complaints in the CGRMS through Bank's website, Internet Banking Service, Mobile Banking Service and Mobile App.
- New features are implemented in the CGRMS which are differentiated processing flows and time frames for resolution for each sub-category of complaint, Auto-escalations to respective supervisory levels, Standardized status types for customers with pro-active communication at major steps.
- The Bank has state-of-the-art Contact Centers at Gurugram and Noida to provide tele-banking services to its customers on 24 x 7 x 365 basis through two leading Service Providers. In addition to these two Primary Sites, the Bank has also established two Secondary Contact Centers at Dehradun and Bhopal to provide tele-banking services to its customers in 11 languages. The number of services extended to 11 by Contact Centre through IVR during FY 2020-21 thereby making them more customer friendly.
- The Bank has constituted teams of officials at Customer Care Centre at Head Office, Zonal Offices and Circle Offices to pay incognito visit to branches to assess standard of service. During FY 2020-21, officials of the Bank made 8,496 incognito visits to branches PAN India. Deficiencies pointed out by the visiting officials are being shared with the concerned branches/Circle Offices for taking corrective steps.
- The status of complaints received by the Bank is reviewed by "Customer Service Committee of the Board", a Sub-Committee of the Board, on quarterly basis. The meetings of the Committee are presided over by Managing Director & CEO.
- The Bank has a "Standing Committee on Customer Service", which also reviews customer service of the bank as well as implementation of the Code of Bank's Commitments to Customers of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI).

- दामोदरन समिति की सिफारिशों के अनुसार बैंक का आंतरिक लोकपाल है। यह प्रणाली बैंक द्वारा शिकायतों के निवारण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
- सभी शाखाओं तथा मंडल कार्यालयों में ग्राहक सेवा समितियां ग्राहक सेवा की गुणवत्ता से जुड़े मामले देखती हैं तथा ग्राहक सेवा में सुधार हेतु प्रतिक्रिया/सुझावों की गंभीर रूप से जांच करती हैं। ये समितियाँ माह में एक बार बैठक करती हैं जहाँ कर्मचारी तथा आमंत्रित ग्राहक सेवा से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत करते हैं।
- बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में फील्ड स्टाफ के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें अधिकतम महत्व के मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए सभी शाखाओं में मासिक अंतराल पर पूर्व-निर्धारित तिथि और थीम पर थीम आधारित बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
- बैंक द्वारा 9 सितंबर, 2020 से डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं शुरू की गई हैं। यह एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा ग्राहक 100 केंद्रों पर दो विक्रेताओं के माध्यम से कई वित्तीय / गैर-वित्तीय बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह ग्राहकों को उनके घर से विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, कुल 1,37,262 शिकायतों में से (यथा 31 मार्च, 2020 तक 1,876 शिकायतें बकाया और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 1,35,386 शिकायतें प्राप्त), 31 मार्च, 2021 तक शिकायतकर्ता की संतुष्टि होने तक 1,30,087 शिकायतों का समाधान किया गया था।

## ठ. बैंक में राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन

पंजाब नैशनल बैंक राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में सदैव अग्रणी रहा है। आपके बैंक ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, संसदीय राजभाषा समिति और वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया है। आपके बैंक ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

हम सहर्ष सूचित करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपके बैंक को **"क" क्षेत्र के लिए भारत सरकार के सर्वोच्च ''राजभाषा कीर्ति''** पुरस्कार के तहत **प्रथम पुरस्कार** प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा बैंक के विभिन्न अंचल / मंडल कार्यालयों को **कुल 12 पुरस्कार** प्रदान किए गए और चंडीगढ़ नराकास, जहां हमारा बैंक संयोजक है, ने दूसरा पुरस्कार जीता। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से कुल 196 पुरस्कार हमारे बैंक के विभिन्न कार्यालयों / स्टाफ सदस्यों द्वारा प्राप्त किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, पंजाब नैशनल बैंक ने बैंक में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को और बढ़ाने के लिए कारगर प्रयास जारी रखे। बैंक की योजनाओं और उत्पादों से संबंधित प्रचार और प्रचार अभियानों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। वार्षिक कार्यक्रम और बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित राजभाषा कॉर्पोरेट कार्य योजना में निर्धारित

- The Bank has in place an Internal Ombudsman as per the recommendations of the Damodaran Committee. The system ensures greater transparency in the redressal of grievances by the Bank.
- Customer Service Committees in all the branches and Circle Offices look into the quality of customer service rendered and critically examine the feedback/ suggestions for improvement in customer service. These committees meet once in a month where staff and the invited customers interact freely on service related issues.
- Theme Based Meetings are being conducted at monthly intervals in all branches on a pre-decided date and theme to improve awareness among field staff about bank's products and services, and to sensitize them about the issues of maximum importance.
- Door Step Banking services started by the Bank from 9th September, 2020. It is a facility by which customers can avail many of the financial/non-financial banking services through the two Vendors at 100 centers. It provides convenience to the customers to access different type of banking services from their Door Step.
- For FY 2020-21, out of a total number of 1,37,262 complaints (i.e. 1,876 complaints outstanding as on 31st March, 2020, and 1,35,386 complaints received during FY 2020-21), 1,30,087 complaints were resolved up to the satisfaction of the complainant, till 31st March, 2021.

## L. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Punjab National Bank has always been a pioneer in the implementation of the Official Language Hindi in the Bank. Bank has ensured compliance of the instructions received from the Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Parliamentary Official Language Committee and Ministry of Finance, Department of Financial Services. Bank has achieved most of the targets prescribed in the Annual Programme for the FY 2020-21 issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs and Department of Official Language.

We have pleasure to inform that during FY 2020-21, the Bank has received **1st prize** under the Government of India's highest **"Rajbhasha Kirti" award for 'A' region. Total 12 prizes** were awarded to Bank's various Zonal/ Circle Offices by Regional Implementation Offices of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language and Chandigarh TOLIC where the Bank is convener, won second Prize. During financial year 2020-21, total 196 awards from Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language and various Town Official Language Implementation Committees have been received by various offices / staff members of our Bank.

During the financial year 2020-21, Punjab National Bank has made concerted efforts to increase the progressive use of Official Language in the Bank. Hindi and Regional Languages were used in publicity and promotional campaigns related to the schemes and products of the Bank. Intensive monitoring was done to achieve targets

लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गहन निगरानी की गई। बैंक में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए लाला लाजपत राय शील्ड योजना एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालयों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। बैंक की त्रैमासिक द्विभाषी पत्रिका "पीएनबी प्रतिभा" और क्षेत्रीय कार्यालयों की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित की गई। पीएनबी ने देश भर में 29 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के संयोजक की जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है।

इन समितियों की अर्धवार्षिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई और वर्ष के दौरान हिंदी प्रतियोगिताएं, हिंदी कार्यशालाएं, हिंदी सेमिनार आदि आयोजित किए गए।

**सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति:**

- इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम तथा मोबाइल एप्लिकेशन अर्थात; पीएनबी वन, भीम पीएनबी में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की सुविधा प्रदान की गई है।
- डेबिट कार्ड पर ग्राहक का नाम हिंदी में प्रिंट करने की सुविधा प्रदान की गई।
- ग्राहकों को एटीएम लेन-देन पर्ची हिंदी में जनरेट करने की सुविधा प्रदान की गई है।
- ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में भेजे गए।
- बैंक की वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में उपलब्ध है।
- सभी शाखाओं, मंडलों, अंचलों और प्रधान कार्यालय के प्रभागों की ऑनलाइन हिंदी रिपोर्टिंग राजभाषा वेब पोर्टल पर की गई।
- कोविड-19 महामारी के कारण, वर्चुअल हिंदी कार्यशालाएं, प्रतियोगिताएं, ई-वेबिनार, ई-निरीक्षण का भौतिक मोड के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजन किया गया।
- फिनेकल और एचआरएमएस का द्विभाषीकरण लिंग्विफाई सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया, जिसके माध्यम से ग्राहक पासबुक, सीडीआर/एफडीआर आदि और स्टाफ सदस्य अपना बायो डेटा, वेतन पर्ची, पेंशन और ग्रेच्युटी आदि विवरण हिंदी में भी प्राप्त कर सकते हैं।
- स्टाफ सदस्यों को कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर सितंबर 2020 को हिंदी माह के रूप में मनाया और हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रधान कार्यालय में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा और फील्ड स्तर पर फील्ड पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया।

## ड. पीएनबी की अनुषंगियां और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

### 1. घरेलू

i. **पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड :** वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, राजकोषीय घाटा संबंधी चिंताएं और सीपीआई मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि, एनबीएफसी द्वारा चूकों और कोविड 19 महामारी जैसे प्रतिकूल कारकों और विकास मुद्दों के प्रति आरबीआई द्वारा नीतिगत दरों में क्रमिक कटौती जैसे सकारात्मक कारकों के बीच ऋण बाजार अस्थिर रहा।

set in Annual Programme and Corporate Action Plan of Official Language duly approved by the Board. Prizes were awarded to offices/staff doing excellent work in Hindi under Lala Lajpat Rai Shield Yojana and various other incentive schemes to increase the use of Hindi in the Bank. Quarterly bilingual house magazine of the Bank "PNB Pratibha" and half yearly Hindi magazines of the Zonal Offices were published regularly. PNB has efficiently discharged the responsibility of coordinating 29 Town Official Language Implementation Committees across the country.

Half yearly meetings of these committees were held regularly and Hindi competitions, Hindi workshops, Hindi seminars etc. were organized during the year.

**Progress made in the use of Hindi in Information Technology:**

- Facility of Hindi and other Regional Languages has been provided in Internet Banking and ATMs and mobile applications i.e. PNB One, Bhim PNB.
- Facility to print customer name in Hindi on debit card was provided.
- Customers have been provided the facility to generate ATM transaction slips in Hindi.
- SMS alerts were sent to customers in Hindi and regional languages.
- The Bank's website is available in bilingual form in Hindi and English.
- Online Hindi reporting of all Branches, Circles, Zones and Divisions of Head Office was done on the Official Language web portal.
- Due to COVID-19 pandemic, virtual Hindi workshops, competitions, e-webinars, e-Inspections were organized through digital platforms apart from physical mode.
- Bilingualisation of Finacle and HRMS was done through Linguify software, through which customers can get passbook, CDR / FDR etc. and staff members can get their Bio Data, Salary Slip, Pension and Gratuity details etc. in Hindi also.
- Staff members were provided training on working in Hindi on computer.

During the financial year 2020-21, the Bank celebrated September 2020 as Hindi month all over India and the winners of Hindi competitions were felicitated by Managing Director and CEO in Hindi Diwas Samaroh organized at Head office and by field functionaries at field level.

## M. PNB'S SUBSIDIARIES AND REGIONAL RURAL BANKS

### 1. DOMESTIC

i. **PNB Gilts Ltd:** During FY 2020-21, debt market remained volatile amidst positive factors such as successive policy rate cuts by RBI on account of growth concerns and adverse factors like Covid 19 pandemic, fiscal deficit concerns and sharp increase in CPI inflation.

10-वर्ष के बेंचमार्क प्रतिफल ने वर्ष के दौरान क्रमशः 6.50% और 5.73% के उच्च और निम्न स्तर को छुआ और 31.03.21 को 6.18% पर बंद हुआ।

अस्थिर बाजार दशाओं की पृष्ठभूमि में, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड ने आरबीआई द्वारा अधिदेशित प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों में प्राथमिक डीलर के रूप में अपने सभी दायित्वों को पूरा करना जारी रखा। इसके साथ-साथ, कंपनी का प्रमुख ध्यान परिचालनों के पैमाने को बढ़ाने और नई गतिविधियों को शुरू करने पर भी रहा ताकि पूंजी का कुशलता से उपयोग किया जा सके। तुलन पत्र में काफी वृद्धि हुई है। विपणन और बिक्री कार्यों को मजबूत किया गया।

कंपनी ने कॉर्पोरेट प्राथमिक निर्गमन के प्रबंधक के रूप में ऋण पूँजी बाजार (डीसीएम) व्यवसाय में भी कदम रखा और प्राइम रैंकिंग लीग टेबल में सर्वोच्च दस रैंकिंग (7 वें रैंक) में स्थान प्राप्त किया है।

उपरोक्त के परिणामत:, अस्थिरता के बावजूद, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 249.81 करोड़ रुपये के पीबीटी के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2020-21 दौरान रु० 614.35 करोड़ का कर पूर्व लाभ दर्ज किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कर पूर्व लाभ (पीएटी) रु० 454.12 करोड़ था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान यह 186.35 करोड़ रुपये था। यह स्थापना के बाद से कंपनी द्वारा हासिल किया गया सर्वोच्च कर पश्चात् लाभ है। पूंजीगत पर्याप्तता 31 मार्च, 2021 को 45.58 प्रतिशत (31 मार्च, 2020 तक 32.47%) के जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के साथ मजबूत बना रहा जो पीडी के 15% के न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से अधिक है।

ii. **पंजाब नैशनल बैंक इनवेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड:** कंपनी अपने परिचालन के पहले वर्ष से ही लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है। मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के 4.66 करोड रुपये की शुल्क आधारित आय तथा 7.47 करोड रूपये की कुल आय की तुलना में कंपनी ने मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान 8.02 करोड रूपये की कुल आय के साथ 5.33 करोड रूपये की शुल्क आधारित आय अर्जित की। कर से पूर्व लाभ मार्च 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के 0.82 करोड़ रूपये के मुकाबले मार्च 2021 को समाप्त अवधि के दौरान 1.87 करोड रूपए रहा।

कंपनी कॉर्पोरेट एडवाइजरी, इक्विटी कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी ट्रस्टी नाम के तीन वर्टिकल में कार्य करती है। कॉर्पोरेट एडवाइजरी वर्टिकल में, वर्ष के दौरान पीएनबीआईएसएल ने ऋण सिंडिकेशन, ऋण समाधान और अन्य कॉर्पोरेट सलाहकार असाइनमेंट सहित विभिन्न लेनदेन पर कई प्रमुख व्यापारिक समूहों एवं कॉर्पोरेट ग्राहको को परामर्श दिया है। घरेलू निपुणता एवं चयनित क्षेत्रों की गहरी समझ के साथ पीएनबीआईएसएल ने अपने ग्राहकों के लिए विश्वसनीय तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) तैयार की है और संवितरित की है।

इक्विटी कैपिटल मार्केट वर्टिकल में, पीएनबीआईएसएल ने पीएनबी के योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), टियर II बॉन्ड और अतिरिक्त टियर I बॉन्ड के धन उगाहने वाले लेनदेन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

इन लेनदेनों में भागीदारी, अनुपालन आवश्यकताओं, प्रस्ताव दस्तावेजों के प्रारूपण और उत्पादों की मार्केटिंग पर दिए गए परामर्श से भिन्न है।

The 10-yr benchmark yield touched a high and low of 6.50 per cent and 5.73 per cent respectively during the year and closed at 6.18 per cent as on 31.03.21.

Against the backdrop of volatile market conditions, PNB Gilts Ltd continued to fulfill all its obligations as a Primary Dealer mandated by RBI both in Primary and Secondary market. Alongside, the major focus of the company remained on enhancing the scale of operations and also undertaking new activities so as to utilise capital efficiently. Balance sheet size increased considerably. Marketing and sales functions were strengthened.

Company also forayed into Debt capital market (DCM) business as arrangers to Corporate Primary Issuances and entered into the top ten ranking (7th rank) in the prime ranking league table.

As a result of all the above, despite volatility, Company posted a Profit Before Tax (PBT) of Rs. 614.35 Crore during FY 2020-21 vis-à-vis PBT of Rs. 249.81 Crore during FY 2019-20. Profit After Tax (PAT) amounted to Rs. 454.12 Crores during. FY 2020-21 as against Rs. 186.35 Crore in the previous FY 2019-20. This is the highest PAT achieved by the Company since inception. Capital adequacy remains strong with its capital to risk weighted assets ratio (CRAR) at 45.58 per cent as on 31st March, 2021 (32.47 per cent as on 31st March, 2020), well above the regulatory minimum of 15 per cent for PDs.

ii. **PNB Investment Services Ltd:** The Company is a profit-making company from the first year of its operations. During the year ended March 2021, the Company earned a fee-based income of Rs. 5.33 Crore with a total income of Rs. 8.02 Crore as against a fee based income of Rs. 4.66 Crore and a total income of Rs. 7.47 Crore respectively for the year ended March 2020. Profit before Tax during the period ended March 2021 was Rs. 1.87 Crore as against Rs. 0.82 Crore for the period ended March 2020.

The company operates in three verticals, namely Corporate Advisory, Equity Capital Market and Security Trustee. In the Corporate Advisory Vertical, during the year PNBISL advised many marquee business groups and corporate clients on various transactions, including debt syndication, debt resolution and other corporate advisory assignments. With in-house expertise and deep understanding of select sectors, PNBISL prepared and delivered credible techno-economical viability (TEV) reports to its clients.

In Equity Capital Market Vertical, PNBISL actively participated in PNB's fundraising transactions of Qualified Institutional Placement (QIP), Tier II Bonds and Additional Tier I Bonds.

The involvement in these transactions varied from advising on compliance requirements, drafting of offer documents and marketing of the offerings.

ट्रस्टीशिप (न्यासिता) व्यवसाय में, बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक है और प्रति मामला शुल्क का स्तर नीचे की ओर है। तीव्र प्रतिस्पर्धा के बावजूद, कंपनी ग्राहकों की गुणवत्ता से समझौता किए बिना विकास को बनाए रखने में सफल रही है। ग्राहकों का चयन करते समय एक सतर्क रणनीति अपनाई गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल विश्वसनीय ग्राहक ही ऑन-बोर्ड हों। अपनी त्वरित और गुणवत्तापूर्ण सेवा के साथ, कंपनी अग्रणी बैंकों और कॉरपोरेट्स की एक विश्वसनीय भागीदार बनने की अपनी रणनीति पर कार्य करना जारी रखे हुए है।

समामेलन के एक वर्ष के पूर्ण होने और तीन बैंकों के एक बैंक में सुचारु रूप से सम्मिलित होने के साथ, पीएनबी विविध तरह के ऋण की पेशकश करने की बढ़ी हुई क्षमता के साथ एक मजबूत बैंक के रूप में उभरा है। आक्रामक ग्राहक की पहचान और उत्कृष्ट निष्पादन रणनीतियों के साथ पीएनबीआईएसएल एक विविधतापूर्ण ऋण पुस्तिका के साथ बैंक की वृद्धिशील पहुंच में समामेलित इकाई की इस ताकत को शामिल करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

2. **अन्तर्राष्ट्रीय**

i. **पीएनबी अंतर्राष्ट्रीय लिमिटेड ( पीएनबीआईएल ):** पीएनबीआईएल मूरगेट, इलफोर्ड, वेम्बली, साउथहॉल, लीसेस्टर, बर्मिंघम और वॉल्वरहैम्प्टन में स्थित सात शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से लंदन और मिडलैंड्स में अपने ग्राहकों की सेवा जारी रखे हुए है।

यहाँ तक कि कोविड महामारी के दौरान भी बैंक ने सुचारू एवं सुरक्षित तरीके से अपने ग्राहकों को सभी सेवाएँ प्रदान करना सुनिश्चित किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, पीएनबीआईएल का कुल व्यवसाय 1,523 USD मिलियन से बढ़कर 1,755 USD मिलियन हो गया है जो प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में 15 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है।

बैंक अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए उत्पाद विविधीकरण और डिजिटलीकरण के अपने प्रयास जारी रखे है। वर्ष के दौरान पीएनबीआईएल ने अपने ग्राहकों को अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए बाय-टू-सेल, निर्धारित ब्याज ऋण आदि जैसे नए ऋण उत्पाद पेश किए है। अनुपालन रुपरेखा को सुदृढ़ करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर लाया गया है। बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए बैंक की वेबसाइट को नया रूप दिया गया है। बैंक अपनी पहुंच बढ़ाने और बेहतर चलनिधि प्रबंधन के लिए जमा संग्रहण हेतु "एग्रीगेटर अवधारणा" पर भी कार्य कर रहा है।

ii. **ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड:** ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान, बैंकिंग कंपनी का थिम्पू, भूटान में कॉर्पोरेट कार्यालय है। ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड ने 27 जनवरी, 2010 को एफडीआई और बैंकिंग क्षेत्र में संयुक्त उद्यम दोनों के कॉम्पोनेंट के साथ भूटान में देश के चौथे वाणिज्यिक बैंक के रूप में अपना कार्य शुरू किया था। वर्तमान में बैंक की देश भर में 8 शाखाएँ और 30 एटीएम हैं।

डीपीएनबीएल का कुल कारोबार 31 मार्च 2020 के रु.2534.39 करोड़ से 9.69 % की वर्ष दर वर्ष की वृद्धि दर्शाते हुए 31 मार्च 2021 को बढ़कर रु. 2780.01 करोड़ हो गया। बैंक का कासा अनुपात 31 मार्च 2021 को 38.7% रहा। बैंक का लाभ 31 मार्च, 2020 के 18.48 करोड़ रूपए से बढ़कर 31 मार्च, 2021 को रु.19. 56 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2021 को बैंक की चुकता पूंजी 84 करोड़ रूपए है।

In the Trusteeship business, the market is highly competitive and the per-case fee levels are on a downward trajectory. Despite intense competition, the company has been able to maintain growth without compromising on the quality of clients. A cautious strategy has been adopted while selecting the clients, so as to ensure only credible clients are on-boarded. With its prompt and quality service, the company continues to build on its strategy to be a trusted partner of leading banks and corporates.

With the completion of one year of amalgamation and smooth transitioning of three banks into one, PNB has emerged as a stronger bank with an increased capability to offer credit of different ticket sizes. PNBISL with aggressive client identification and excellent execution strategies is well placed to translate this strength of the amalgamated entity into increased outreach of the bank with a diversified lending book.

2. **INTERNATIONAL**

i. **PNB International Limited (PNBIL):** PNBIL continues to serve its customers in London and Midlands through network of seven branches located at Moorgate, Ilford, Wembley, Southall, Leicester, Birmingham and Wolverhampton.

Even during the Covid pandemic the bank ensured to provide all services to customers in smooth and safe manner. During FY 2020-21, the total business of PNBIL increased from 1,523 USD Million to 1,755 USD Million thus showing growth of 15 per cent under challenging circumstances.

The bank continues its efforts at product diversification and digitalization in order to enhance its services. During the year PNBIL introduced new credit products like Buy-to-Sell, Fixed Interest loans etc. to provide more options to its customers. A new software has been implemented in order to strengthen the compliance framework. The bank's website has been revamped for better customer experiences. The bank is also working on "Aggregator Concept" for deposit mobilization in order to enhance its outreach and better liquidity management.

ii. **Druk PNB Bank Ltd:** Druk PNB Bank Ltd, Bhutan, Banking Company having its corporate office at Thimphu, Bhutan. Druk PNB Bank Ltd has started its operation on 27th January, 2010, in Bhutan as the country's fourth commercial Bank, with a component of both FDI and joint venture in the Banking Sector. Presently Bank has 8 branches and 30 ATMs spread across the country.

Total Business of the DPNBL increased to Rs. 2,780.01 Crore as on 31st March, 2021 from Rs. 2,534.39 Crore as on 31st March, 2020 showing YOY growth of 9.69 per cent. CASA Ratio of the Bank stood at 38.7 per cent as on 31st March, 2021. Profit of the Bank has increased to Rs. 19.56 Crore as on 31st March, 2021 from Rs. 18.48 Crore as on March 31, 2020. Paid up capital of the Bank as on 31st March, 2021 is Rs. 84 Crore.

### 3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ( आरआरबी )

31 मार्च, 2021 को, बैंक द्वारा 9 आरआरबी प्रायोजित हैं जो 4,590 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 185 जिलों को कवर करते हुए ईयूएनआई समामेलित आरआरबी सहित नौ राज्यों बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, मणिपुर एवं त्रिपुरा में कार्यरत है।

i. 31 मार्च, 2021 को पीएनबी प्रायोजित आरआरबी का कुल कारोबार रु. 1,75,224 करोड़ रहा।

ii. 31 मार्च, 2021 को आरआरबी की कुल जमाराशि रु.1,12,446 करोड़ रही। आरआरबी की कासा जमाराशि में 31 मार्च 2021 की रु. 68765 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

iii. 31 मार्च, 2021 को आरआरबी का अग्रिम रु. 62,778 करोड़ रहा।

iv. सभी प्रायोजित आरआरबी (डीबीजीबी पटना, एजीवीबी गुवाहाटी और एमआरबी इम्फाल को छोड़कर) लाभ में हैं और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आरआरबी का संयुक्त शुद्ध लाभ रु. 550 करोड़ है।

v. आरआरबी ने 31 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत 60,23,759 खातों में रुपे एटीएम कार्ड जारी करने के साथ समेकित रूप से 1,87,13,273 खातें खोले हैं।

आरआरबी के कुल अग्रिमों के शुद्ध एनपीए में मार्च 2021 में 4.91 प्रतिशत की गिरावट आई है।

**31 मार्च 2021 तक आरआरबी का वित्तीय प्रदर्शन :**

(राशि रु. करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2020 | 31.03.2021 |
|---|---|---|
| कुल कारोबार | 161918 | 175224 |
| समग्र जमाराशियाँ | 104472 | 112446 |
| समग्र अग्रिम | 57445 | 62778 |
| शुद्ध लाभ | -472 | 550 |
| परिचालन लाभ | 1648 | 3063 |

### ढ़. पुरस्कार एवं सम्मान

बैंक के प्रयास को विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर मान्यता दी गयी है। बैंक को वर्ष 2020-21 के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में की गई पहल हेतु निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:

❖ बैंक ने ईज 2.0 इंडेक्स में सभी पीएसबी के बीच चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। बैंक ने विभिन्न विषयों में सभी पीएसयू बैंकों के बीच सर्वोच्च पुरस्कार निम्नानुसार प्राप्त किए:

- जिम्मेदार बैंकिंग-द्वितीय-उप विजेता
- एफआई और डिजिटलीकरण को तेज करना-द्वितीय-उप विजेता
- शासन और मानव संसाधन-द्वितीय-उप विजेता

❖ ET-BFSI (विख्यात इकोनॉमिक टाइम्स ग्रुप का हिस्सा) ने ET-BFSI एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 में PNB को "वर्ष का सबसे नवोन्मेष सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक'' माना।

### 3. REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

As on 31st March, 2021, there are 9 RRBs sponsored by the bank operating in 9 states namely Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal, Assam, Manipur and Tripura including eUNI amalgamated RRBs covering 185 districts with a network of 4,590 branches

i. Total business of sponsored RRBs as on 31st March, 2021 is Rs. 1,75,224 Crore.

ii. Deposits of RRBs are at Rs. 1,12,446 Crore as on 31st March, 2021. The CASA deposits of the RRBs have increased to Rs. 68765 Crore as on 31st March, 2021.

iii. The advances of the RRBs as on 31st March, 2021 stood at Rs. 62,778 Crore.

iv. The sponsored RRBs are in profit (except DBGB Patna, AGVB Guwahati and MRB Imphal) and combined Net profit of the RRBs during the FY 2020-21 is Rs. 550 Crore.

v. The RRBs have cumulatively opened 1,87,13,273 accounts under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) as on 31st March, 2021 with Rupay ATM Cards issued in 60,23,759 accounts.

There is a decline in Net NPA to total advances of RRBs to 4.91 per cent in March 2021.

**Financial Performance of RRBs as on 31st March, 2021:**

**(Amount in Rs. Crore)**

| Particulars | 31.03.2020 | 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Total Business | 161918 | 175224 |
| Aggregate Deposits | 104472 | 112446 |
| Aggregate Advances | 57445 | 62778 |
| Net profit | -472 | 550 |
| Operating Profit | 1648 | 3063 |

### N. AWARDS AND ACCOLADES

Bank's effort have been recognized at various platforms. The Bank has been conferred the following awards for initiatives taken in the field of Information & Technology for the year 2020-21:

❖ Bank secured overall 4th Place among all PSBs in EASE 2.0 index. Bank received highest number of awards amongst all PSU Banks in different themes as under:

- Responsible Banking-2nd runner up
- Deepening FI & Digitalisation - 2nd runner up
- Governance and HR - 2nd runner up

❖ ET-BFSI (part of renowned Economic Times Group) judged PNB as the *"Most Innovative Public Sector Bank of the Year"* in the ET-BFSI Excellence awards 2020.

❖ पीएनबी निम्नलिखित श्रेणियों के लिए आईबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी 2019-20 पुरस्कारों में संयुक्त उपविजेता रहा:

- सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल
- सर्वश्रेष्ठ आईटी जोखिम और साइबर सुरक्षा पहल

❖ मेसर्स इंफोसिस ने पीएनबी के पथप्रदर्शक "प्रोसेस इनोवेशन" के लिए फिनेकल क्लाइंट इनोवेशन अवार्ड्स 2020 में पीएनबी को "रनर अप अवार्ड" से सम्मानित किया।

❖ "सिक्युरिटी लीडर ऑफ द ईयर इन बैंकिंग" श्रेणी के तहत डीएससीआई एक्सीलेंस अवार्ड 2020।

❖ एसोचैम पुरस्कार - पीएसबी विलय श्रेणी के तहत डिजिटल सेवा के तहत उपविजेता।

❖ इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डीवेलपमेंट (आईएसटीडी) अवार्ड्स फॉर इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रैक्टिस 2019-20-सेवाओं में द्वितीय पुरस्कार (बीएफएसआई और आईटी/ आईटीईएस श्रेणी)।

❖ स्कोच गोल्ड अवार्ड - कोविड गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) पर प्रतिक्रिया। साथ ही बैंक ने निम्नलिखित श्रेणियों में स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2021 जीता:

- विलयकर्ता संस्थाओं के सुरक्षा समाधान का समामेलन।
- गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)
- पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में चैटबॉट
- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली में तकनीकी गिरावट में कमी (एईपीएस)

❖ बैंक के मोबाइल ऐप, पीएनबी वेरिफाई ने पीएनबी रिटेल इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड लेनदेन की सुरक्षा को बढ़ाने वाली अपनी विविध विशेषताओं के लिए फिनोविटी अवार्ड 2021 जीता।

## ण. बैंक की भावी कारोबार योजना

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, बैंक ने इस कठिन समय में ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है।

समामेलन के बाद, पीएनबी के पास व्यापक ग्राहक आधार और उनकी क्रेडिट मांगों के कारण नए अवसर तथा उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन और कॉर्पोरेट अभिशासन क्रियाकलापों को विकसित करने हेतु प्रवर्धन के साथ अच्छी स्थिति में है। शाखाओं, सेवा केंद्रों की बढ़ती संख्या और नए वर्टिकल की शुरूआत के साथ संगठन संरचना में परिवर्तन ने लास्ट माईल डिलीवरी और ऋण हामीदारी को मजबूत किया है। आगे चलकर, बैंक का ध्यान 1) ग्राहक: बेहतर ग्राहक सुविधा के लिए ग्राहक वर्गीकरण, 2) चैनल: संपर्क रहित बैंकिंग पर जोर, कम पैठ वाले बाजारों में विकास के लिए रणनीतिक साझेदारी और ग्राहकों को नए युग के चैनलों में स्थानांतरित करना 3 ) उत्पाद: ग्राहक खंड और मूल्य प्रस्ताव के आधार पर उत्पादों को पुन: व्यवस्थित/ परिष्कृत करना, 4) परिचालन मॉडल: बिक्री और सेवा केंद्र के रूप में शाखा को परिवर्तित करना, 5) प्रौद्योगिकी और विश्लेषिकी 6) मानव संसाधन रणनीति को सरेखित और केंद्र के रूप में वसूली आदि रणनीतिक क्षेत्रों के साथ लाभ संग्रह की पुन: कल्पना पर होगा।

कुल मिलाकर, बैंक का ध्यान ग्राहक केन्द्रीयता, सुदृढ तुलन पत्र, प्रौद्योगिकी और डिजिटल वितरण और मानव संसाधन पर रहेगा। बैंक उभरती स्थिति का सामना करने के लिए डिजिटल रूप से अच्छी तरह

❖ PNB was Joint runner-up in the *IBA Banking technology* 2019-20 awards for the following categories:

- Best Digital Financial Inclusion initiatives
- Best IT Risk & Cyber Security initiatives

❖ M/s Infosys awarded PNB with "Runner Up Award" in Finacle Client Innovation Awards 2020 for PNB's path breaking *"Process Innovations"*

❖ DSCI Excellence Awards 2020 under the category "Security Leader of the Year in Banking"

❖ Assocham Awards – Runner up under Digital Service under PSB merged category.

❖ Indian Society for Training and Development (ISTD) Awards for Innovative Training Practices 2019-20 – Second Prize in Services (BFSI & IT/ITES Category).

❖ Skoch Gold Award – Response to COVID Guaranteed Emergency Credit Line (GECL). Also Bank won Skoch Order of Merit Award 2021 in the following categories:

- Amalgamation of Security Solutions of the merging entities.
- Guaranteed Emergency Credit Line (GECL)
- Chatbot in PNB Internet Banking and Mobile Banking
- Reduction in Technical Decline in Aadhar enabled Payment system ( AePS)

❖ Bank's mobile App, PNB Verify won Finnoviti Award 2021 for its various features enhancing the security of PNB Retail Internet Banking and debit card transactions.

## O. FUTURE BUSINESS PLAN OF THE BANK

Despite the challenges due to COVID-19 pandemic, Bank continued providing uninterrupted services to the customers in these testing times.

Post amalgamation, PNB has new opportunities due to wider customer base and their credit demands and is well positioned with scaling up to devise better risk management and corporate governance practices. Changes in the organization structure in sync with the increased number of branches, service centres and introduction of new verticals have strengthened the last mile delivery and credit underwriting. Going forward, strategic thrust areas for the Bank will be in the area of 1) Customer: Customer segmentation for better customer convenience, 2)Channel: Thrust on contactless banking, strategic partnerships to grow in underpenetrated markets and migrating customers to new age channels 3) Product: Reposition/refine products based on customer segment and value proposition, 4)Operating Model: Transform branch as a sales & service centre, 5) Technology & Analytics 6) Align Human Resource Strategy & Re-imagine collections with recovery as Profit Centre.

Overall, Bank's focus will remain on Customer Centricity, Strengthening Balance Sheet, Technology & Digital Delivery and Human Resources. Bank aspires to be

से सुसज्जित होने की आकांक्षा रखता है और डिजिटल चैनलों, स्वचालन और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्राहकों को जोड़ने का प्रयास करेगा।

बैंक हमेशा लाभ के लिए संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और हमारे सभी हितधारकों के लिए मूल्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वह ग्राहक हों, कर्मचारी हों या निवेशक हों। बेहतर ग्राहक सुविधा और कर्मचारियों की सुरक्षा हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। हितधारकों के लिए अधिक मूल्य सृजित करने के लिए बैंक नए नवाचारों, उत्पादों और प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिक मूल्य वर्धित परिवर्तन करने का प्रयास करेगा।

## त. निदेशक मंडल

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में 5 पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् एक प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और चार कार्यपालक निदेशक सहित 9 निदेशक शामिल थे।

वित्तीय वर्ष'21 के दौरान निदेशक मंडल की सरंचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- ❖ श्री संजय कुमार को 1 अप्रैल, 2020 से बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- ❖ श्री विजय दुबे को 1 अप्रैल, 2020 से बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- ❖ श्री संजय वर्मा, शेयरधारक निदेशक ने 14 जून, 2020 को अपना कार्यकाल पूरा किया।
- ❖ डॉ राजेश यदुवंशी, कार्यपालक निदेशक ने 8 अक्टूबर, 2020 को अपना कार्यकाल पूरा किया।
- ❖ श्री स्वरूप कुमार साहा को 10 मार्च, 2021 से बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- ❖ श्री गौतम गुहा को 18 मार्च, 2021 से बैंक के बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

बोर्ड श्री संजय वर्मा (शेयरधारक निदेशक) और डॉ राजेश कुमार यदुवंशी (कार्यपालक निदेशक) द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी सराहना करता है।

## थ. निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य

निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च' 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु वार्षिक लेखों को बनाने में:

- महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई हैं, के संबंध में उचित स्पष्टीकरण देते हुए लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बनाई गई लेखांकन नीतियों का दृढ अनुपालन किया गया है;
- यथोचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय व आंकलन किए गए हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक की स्थिति और 31 मार्च' 21 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ को सही व स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके;

digitally well-equipped to face the emerging situation and will strive to engage customers through digital channels, encourage automation and digitalization of processes.

Bank is always committed to ensure optimum use of resources to the benefit and create value for all our stakeholders, be it customers, employees or investors. Greater customer convenience and employee safety will always remain our topmost priority. Bank shall endeavor to make more value added transformations through new innovations, products and processes to create more value for stakeholders.

## P. BOARD OF DIRECTORS

The Board of the Bank comprises of 9 Directors including 5 whole time Directors i.e. One Managing Director & CEO and four Executive Directors as on 31st March, 2021.

During the FY 2020-21, the following changes took place in the composition of Board of Directors:

- ❖ Shri Sanjay Kumar has been appointed as Executive Director on the Board of Bank with effect from 1st April, 2020.
- ❖ Shri Vijay Dube has been appointed as Executive Director on the Board of Bank with effect from 1st April, 2020.
- ❖ Shri Sanjay Verma, Shareholder Director completed his tenure on 14th June, 2020.
- ❖ Dr. R. K. Yaduvanshi, Executive Director completed his tenure on 8th October, 2020.
- ❖ Shri Swarup Kumar Saha, has been appointed as Executive Director on the Board of Bank with effect from 10th March, 2021.
- ❖ Shri Gautam Guha, has been appointed as Shareholder Director on the Board of Bank with effect from 18th March, 2021.

The Board wishes to place on record its appreciation for the valuable contribution made by Shri Sanjay Verma (Shareholder Director) and Dr. R. K. Yaduvanshi (Executive Director).

## Q. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31st March'2021:

- The applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended 31st March'21.

- भारत में बैंकों पर लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को समुचित व पर्याप्त सावधानी के साथ रखा गया है;
- "कार्यशील संस्था" के सिद्धांत के आधार पर इन लेखाओं को तैयार किया गया है।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए थे और जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स (आरसीएम) में सुधार के कुछ क्षेत्रें को छोड़कर सभी भौतिक मामलों में बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग पर 31 मार्च 2021 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

**द. आभार**

बैंक को बहुमूल्य सहयोग एवं सतत संरक्षण प्रदान करने तथा इसमें अपना विश्वास बनाए रखने के लिए निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों, बैंक के ग्राहकों, आम जनता तथा शेयरधारकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है।

बैंक के सभी स्तरों पर कार्यरत स्टाफ द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान हेतु निदेशक मंडल उनकी सराहना करता है तथा भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी अनवरत सहभागिता की आशा करता है।

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

**सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India, and;
- The accounts have been prepared based on the principle of "going concern".
- The Internal Financial Controls had been laid down and that in all material respect, the Bank has adequate Internal Financial Controls except certain area of improvements in Risk Control matrix (RCM) and such Internal Financial Controls over Financial Reporting were operating effectively as at 31st March 2021.

**R. ACKNOWLEDGEMENT**

The Board expresses thanks to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Stock Exchanges, Bank's customers, Public and all other Stakeholders for valuable support, continued patronage and confidence reposed in the Bank.

The Board also placed on record its appreciation for the valuable contribution made by the members of the Bank's staff at all levels and looks forward to their continued involvement in achieving the future goals.

**For and on behalf of Board of Directors**

**CH. S. S. Mallikarjuna Rao**
Managing Director & CEO

# प्रबंधक परिचर्चा एवं विश्लेषण

# Management Discussion & Analysis

#JustOneApp

# प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण

## ए. उद्योग संरचना और विकास :

वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वास्थ्य और आर्थिक संकट की दृष्टि से अभूतपूर्व चुनौतियाँ देखी गई। वैश्विक महामारी कोविड-19 "ब्लैक स्वान" घटना के रूप में उभरी है, जिसके कारण आर्थिक स्थिरता को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए दुनिया भर की सरकारों द्वारा असाधारण उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इस परिस्थिति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ऐसे समय में प्रभावित किया जब हम आर्थिक मंदी का सामना कर रहे थे। सरकार और नियामकों ने चलनिधि बढ़ाने और कई वित्तीय और अनुपालन प्रतिबद्धताओं पर राहत प्रदान करने के लिए कई उपायों के साथ एक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करके अपना उत्तरदायित्व निभाया है। कोविड-19 महामारी के कारण बैंकिंग क्षेत्र कम ऋण प्रवाह और अत्यधिक कमियों का सामना कर रहा है। वित्तीय संस्थानों ने खुदरा और संस्थागत ग्राहकों को वित्तीय सहायता प्रदान करते समय वैयक्तिक संपर्क को कम करके, परिचालनों को कम करके प्रभावी उपाय किए हैं।

1 अप्रैल, 2020 से 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का 4 सुदृढ़ और बड़े बैंकों में समामेलन के कारण लगातार बदलते आर्थिक और बैंकिंग परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें बेहतर स्थिति में लाने हेतु भी यह वर्ष महत्वपूर्ण है।

2019-20 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने बेहतर आस्ति गुणवत्ता, मजबूत पूंजी और बफर प्रावधान और दो वर्षों के अंतराल के पश्चात् लाभप्रदता प्रतिफल के साथ मजबूत प्रदर्शन किया। ये सुधार 2020-21 की पहली छमाही में महामारी के दौर में भी जारी रहा, जिसमें अधिस्थगन, आस्ति वर्गीकरण पर विराम और लाभांश भुगतान पर प्रतिबंध का योगदान रहा। जबकि दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) वसूली का प्रमुख माध्यम बना रहा, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) चैनल की वसूली दर में भी सुधार हुआ। हालांकि, वायरस के आसन्न प्रकोप से वसूली प्रक्रिया के प्रभावित होने की आशंका है। नीतिगत उपायों के क्रमिक रोलबैक के साथ आगे बढ़ते हुए, कोविड-19 प्रावधानों, पूंजी जुटाने आदि जैसे अंतर्रोधी उपाय करने के बावजूद आस्ति गुणवत्ता में गिरावट के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

आर्थिक गतिविधियों में धीरे-धीरे तेजी आने से बैंकिंग क्षेत्र के परिदृश्य में सुधार होने की संभावना है। आगे बढ़ते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक सहित विभिन्न एजेंसियों के विकास अनुमानों पर आम सहमति के साथ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.5 % रहने की संभावना है।

भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए महामारी के दीर्घकालिक प्रभाव स्पष्ट नहीं हैं, जब स्थिति सामान्य होगी, तो नए सबक सीखने को मिलेंगे। भविष्य में ऐसी घटनाओं का सामना करने पर परिचालनात्मक लचीलापन कैसे बनाए रखा जाए और नए ऑपरेटिंग मॉडल जैसे कि वैकल्पिक कार्य व्यवस्था और रिमोट सेट-अप में ग्राहकों के साथ बातचीत करने के नए तरीकों को कैसे नया रूप दिया जाए जैसे सबक इनमें शामिल हैं। इसके अलावा, यह महामारी भविष्य की आधारभूत संरचना अर्थात डिजिटल चैनलों और कनेक्टिविटी के माइग्रेशन को और तेज कर सकती है। आगे बढ़ते हुए, बैंकों को इन चुनौतियों के कारण और प्रतिद्वंदियों तथा उभरती वित्तीय प्रौद्योगिकियों के प्रवेश के कारण भी, तेजी से विकसित हो रहे आर्थिक परिदृश्य को अनुकूलित और समायोजित करना होगा।

# MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

## a. Industry Structure & Developments

The financial year 2020-21 witnessed unprecedented challenges in terms of health and economic crisis. The global COVID-19 pandemic emerged as the "black swan" event requiring extraordinary measures from Governments across the globe to help resume economic stability. The situation hit the Indian economy at a time when there was an economic slowdown. The Government and the regulators have responded by providing economic stimulus package with several measures to shore up liquidity and provide forbearance on several financial and compliance commitments. The banking sector has been facing low credit flow and elevated delinquencies due to COVID-19 pandemic. Financial institutions have taken responsive measures by reducing in-person interactions, downsizing operations while providing financial support to retail and institutional customers.

The year also assumes significance because of amalgamation of 10 Public sector Banks (PSBs) into 4 stronger and bigger banks, effective since 1st April, 2020, to better position them for meeting the challenges of an ever changing economic and banking scenario.

During 2019-20, Scheduled Commercial Banks (SCBs) registered a robust performance characterised by improved asset quality, stronger capital and provision buffers, and return to profitability. These improvements continued in first half of 2020-21 even in the face of the pandemic, aided by the moratorium and the standstill in asset classification. While the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) remained the dominant mode of recovery, recovery rate of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002 (SARFAESI) channel also improved. However, the impending outbreak of the virus is likely to impact the recovery process. With gradual rollback of policy measures, deterioration in asset quality may pose challenges, although build-up of buffers like COVID-19 provisions, capital raising etc. may help alleviate the stress.

The outlook for the banking sector is likely to improve with a gradual pick up in economic activity. The outlook for the GDP growth is positive with a consensus in growth projections of various agencies including Reserve Bank of India at 9.5 per cent for FY 2021-22.

While the long-term implications of the pandemic for the Indian financial services sector are uncertain, when normalcy returns, there will be new lessons learnt. These include how to retain operational resilience when confronted with such future events and how to redesign new operating models such as alternate work arrangements and innovative ways to interact with customers in a remote set-up. Furthermore, the pandemic may further accelerate migration to infrastructure of the future i.e. digital channels and connectivity. Going forward, banks will have to adapt and adjust to the rapidly evolving economic landscape due to these challenges and also the entry of niche players and emerging financial technologies.

### बी. अवसर

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, जिसने देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक ऊर्जावान और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र ने स्थानीय और दूरस्थ प्रतिद्वंदियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और त्वरित नवीन सुधारों के बावजूद पैमाने और स्तर की किफायतों जैसे सहक्रियात्मक लाभ के लिए विलय और अधिग्रहण पर काम किया है।

पीएसबी के समामेलन ने उन्हें अपनी ब्रांड छवि को मजबूत करके और लागत तालमेल के साथ अपनी मानव संसाधन शक्ति को केंद्रित करके उन्हें मजबूत बनाया है। इसने परिचालन के दायरे का विस्तार किया है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है, उच्च सौदेबाजी शक्ति प्रदान की है, बड़े पूंजी आधार को सक्षम बनाया है और बाजार में पहुंच को बढ़ाया है। विलय किए गए बैंकों को अब दक्षता, जोखिम विविधीकरण और बड़ी परियोजनाओं को वित्तपोषण की क्षमता के मामले में सुविधा मिली है। कम लागत और सेवाओं की उच्च गुणवत्ता के परिणामस्वरूप दक्षता में वृद्धि होगी। अधिक विविध पोर्टफोलियो के साथ बड़े बैंक कम जोखिम वाले होते हैं जिसके परिणामस्वरूप आय में कम अस्थिरता होती है। नतीजतन, एक बड़े बैंक की उच्च क्रेडिट रेटिंग होती है। इसलिए, इस समेकन प्रक्रिया को 'बड़े बैंकों में सुधारो' के रूप में देखा जा सकता है।' एकीकरण प्रक्रिया लगभग पूरी होने के साथ, ये प्रमुख सहक्रियाएं और लाभ कम होने लगेंगे।

पीएसबी समामेलन घोषणाओं का उद्देश्य अशोध्य ऋण और क्षेत्रीय कारकों के आधार पर बैंकों को पूंजी का अधिक कुशलता से प्रबंधन करने में मदद करना था। हालिया विलय के बाद भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) बैंकिंग परिदृश्य पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं। वे अब भी जमाकर्ताओं से सर्वाधिक राशि जुटा रहे हैं। वे उधारकर्ताओं के विभिन्न समूहों को बड़ी मात्रा में ऋण दे रहे हैं और भारत की संपूर्ण पूंजी निर्माण प्रक्रिया और निवेश स्तर पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने में योगदान कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का अग्रिमों में एक बड़ा हिस्सा होने के कारण, मांग बढ़ने पर कुल वर्धित ऋण के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को निधि देने के लिए पूंजीगत स्थिति को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। अधिकांश बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महामारी से मिले आघात की स्थिति में अपने लचीलेपन में सुधार करने के लिए अग्रसक्रिय होकर अंतर्रोधी उपाय किए हैं। इसे वित्त वर्ष 2021-22 में जारी रखा जाना है। परिचालन दक्षता और ग्राहक सेवाओं को बढ़ाने के लिए शासन सुधार और कार्य योजनाएं पुनर्पूंजीकरण के अभिन्न अंग हैं।

बैंकों के लिए परिवर्तन की आवश्यकता अधिक से अधिक प्रासंगिक होती जा रही है क्योंकि समामेलन ने उनके दायरे का विस्तार किया है। साथ ही, भुगतान प्रणालियों की बात करें तो भारत अग्रणी देशों में से एक के रूप में उभरा है। भारतीय भुगतान प्रणाली की वृद्धि दर अभूतपूर्व रही है, जो हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रही है। इस स्थिति को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण और रोमांचक दोनों है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में जीवित रहने के लिए डिजिटल बैंकिंग अनिवार्य रणनीति बन गई है। डिजिटल बैंकिंग में मजबूत वृद्धि ने, बैंकों के लिए, अपने मौजूदा परिचालन को ओमनी-चैनल के रूप में बदलना और ग्राहकों को समान बैंकिंग अनुभव प्रदान करना अनिवार्य बना दिया है, चाहे वह किसी भी चैनल का हो।

आगे चलकर, बैंकों के पास अर्थव्यवस्था के पारंपरिक क्षेत्रों की जरूरतों को कम किए बिना नए उभरते क्षेत्रों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के अवसर होंगे। बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र में संभावित व्यावसायिक अवसरों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जो अभी भी समर्थन देने के विभिन्न प्रयासों के बावजूद काफी हद तक अनदेखा है। स्टार्ट-अप, नवीकरणीय ऊर्जा, लोजिस्टिक, मूल्य श्रृंखला और ऐसे अन्य संभावित क्षेत्रों के वित्तपोषण में अवसर हैं।

### b. Opportunities

The Indian Banking Sector, which has a crucial part in the country's economic growth, is going through an energizing and challenging stage. The banking sector in India has set out upon mergers and acquisitions to catch the synergistic advantages like economies of scale and degree, even with increasing competition from local and remote players and quick innovative improvements.

The amalgamation of PSBs has made them stronger by consolidating their brand image and concentrating their human resource power with cost synergies on the horizon. It has expanded scale of operations, enhanced global competitiveness, provided higher bargaining power, enabled larger capital base and increased market penetration. The merged Banks now have advantages in terms of efficiency, risk diversification and capacity to finance large projects. Efficiency gains will be achieved resulting from lower cost and higher quality of services. Large banks are less risky with a more diversified portfolio resulting in less volatility in earnings. Hence, this consolidation process may be correctly viewed as 'big bank reforms'. With the integration process almost complete, these key synergies and gains will start seeping in.

PSBs even after the recent mergers dominate the banking scenario. They continue to mobilize the largest amount of funds from the depositors. They continue to disburse larger amount of loan to various groups of borrowers and contribute to dominate the entire capital formation process and investment level of India. With PSBs accounting for a major share in advances, shoring up the capital position is important to fund economic growth through improved credit offtake when demand picks up. Most banks have proactively built buffers during financial year 2020-21 to improve their resilience in the face of the shock from the pandemic. This is to be continued into FY 2021-22. Governance reforms and action plans to enhance operational efficiency and customer services are integral for recapitalisation.

For banks, the need to change is getting more and more relevant as the amalgamations have expanded their scale. Also, India has emerged as one of the leaders when it comes to payment systems. The growth rate of Indian payment systems has been phenomenal, creating new records with each passing day. Sustaining this position is both challenging and exciting. Digital banking has become a must-have strategy, essential to surviving in a highly competitive environment. The strong growth in the digital banking has made it imperative for banks to transform their existing operations into an Omni-channel approach and provide the same banking experience to customers irrespective of the channel.

Going forward, banks will have opportunities to address the financing needs of new sunrise sectors without undermining the needs of traditional sectors of the economy. Banks also need to look at prospective business opportunities in the rural sector which still remains largely unexplored despite various efforts to support it. There are opportunities in financing start-ups, renewables, logistics, value chains and other such potential areas.

## सी. खतरे

भारत में वित्तीय संस्थानों को वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता को बनाए रखने के व्यापक उद्देश्य के भीतर वसूली करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोविड-19 की दूसरी लहर से बाधित क्षेत्रों में आस्ति गुणवत्ता पर नए दबाव पड़ने की उम्मीद है। मौजूदा महामारी संबंधी झटके से बैंकों के बैलेंस शीट पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। अंतर्रोधी उपायों का सक्रिय निर्माण और पूंजी जुटाना, न केवल ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बल्कि वित्तीय प्रणाली में लचीलापन बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ऋणों और अग्रिमों में, निजी बैंकों के बढ़ने के साथ पीएसबी की बाजार में हिस्सेदारी कम हो गई है। जमाओं के मामले में, छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) सहित नए बैंकों के उच्च जमा दरों की पेशकश के साथ, पीएसबी की जमाराशि शेयर पर प्रभाव देखा जा सकता है।

बढ़े हुए वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण ने बैंकों के व्यापार मॉडल, विशेष रूप से सख्त पूंजी और चलनिधि आवश्यकताओं, मैक्रोप्रूडेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और समाधान उपायों के लिए एक चुनौती पेश की है। इन नियमों ने अधिक लचीले बैंकिंग क्षेत्र के निर्माण में योगदान दिया है, जो वर्तमान परिदृश्य में बहुत फायदेमंद है। विभिन्न वित्तीय सेवा खंडों में नए प्रकार के प्रदाताओं ('फिनटेक' और 'बिगटेक') का प्रवेश हुआ है। प्रवेशकों ने लागत कम की है और विभिन्न सेवाओं की गुणवत्ता और सुविधा के साथ-साथ सेवाओं की पहुंच में वृद्धि की है। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद मिली है। घटनाक्रम बैंकों को बहुत प्रभावित करते हैं।

क्रिप्टो करेंसी, ई-वॉलेट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) आदि जैसी डिजिटल आस्तियों से बैंकों को भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हुए, यदि नई पद्धति इन सभी डिजिटल आस्तियों के बीच तेजी से संपर्क बनाती है और वैकल्पिक भुगतान चैनलों के सहज निर्माण की अनुमति देती है, तो चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंकों को कुछ नवोन्मेषी उत्पादों/प्रक्रियाओं के बारे में भी सोचना पड़ा है। आगे बढ़ते हुए, सुरक्षा और डेटा गोपनीयता, उपभोक्ताओं का विश्वास जीतने और डिजिटल बैंकिंग को अपनाने के लिए उत्प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। एक समर्पित शिकायत तंत्र की आवश्यकता के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा में सुधार महत्वपूर्ण होगा।

## डी. खंड-वार या उत्पाद-वार प्रदर्शन

### i. संसाधन जुटाना

मार्च 2021 के अंत में, बैंक की घरेलू जमा राशियाँ बढ़कर ₹10,83,335 करोड़ हो गई। बचत जमाराशि बढ़कर ₹4,17,236 करोड़ हो गई, जबकि चालू जमाराशि बढ़कर ₹75,546 करोड़ हो गई। मार्च 2021 के अंत में, घरेलू जमा में कासा जमा का हिस्सा 45.5 प्रतिशत रहा।

बढ़ती प्रतिस्पर्धा के मौजूदा बैंकिंग परिदृश्य में, खुदरा बैंकिंग उत्पाद बैंक की व्यावसायिक वृद्धि को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, बैंक ने सहायक उत्पादों की पहचान की है और इस सेगमेंट के तहत अधिक से अधिक व्यवसाय जुटाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। कासा सेगमेंट के तहत् ग्राहक विशिष्ट खंड के अंतर्गत अर्थात पीएनबी माई सेलेरी अकाउंट में जमाराशि बढ़कर ₹21,623 करोड़ हो गई, पीएनबी पावर सेविंग (महिलाओं के लिए) खाता में जमाराशि बढ़कर ₹7,577 करोड़ हो गई तथा पीएनबी रक्षक प्लस की जमाराशि बढ़कर ₹1,840 करोड़ रुपये हो गई।

इसके अलावा, सावधि जमा के तहत, पीएनबी सुगम सावधि जमा योजना की पहचान एक सहायक उत्पाद के रूप में की गई है, जिसमें जमाराशि बढ़कर ₹2,07,975 करोड़ हो गई।

## c. Threats

Financial institutions in India have to walk a tightrope of nurturing the recovery within the overarching objective of preserving long-term stability of the financial system. Fresh stress on asset quality is expected to come from segments disrupted by the second wave of COVID-19. The current pandemic related shock is likely to place pressure on the balance sheet of banks. Proactive building of buffers and raising of capital will be crucial not only to ensure credit flow but also to build resilience in the financial system.

Increased financial regulation and supervision poses a challenge to the business models of banks, in particular stricter capital and liquidity requirements, macroprudential instruments and resolution regimes. These rules have contributed to the build up of a more resilient banking sector, which is very beneficial in the current context. There is entry of new types of providers ('FinTech' and 'BigTech') in various financial service segments. The entrants have lowered the costs and enhanced the quality and convenience, as well as the reach, of various services. This has helped to increase financial inclusion. The developments greatly affect banks.

Banks are also facing challenge from digital assets, like crypto currencies, e- wallets, Prepaid Payment Instruments (PPIs) etc. Going forward, if innovation creates faster connectivity between all these digital assets and allow for the seamless creation of alternative payment channels, banks also have to think for some innovative products/ processes to meet the challenges. Moving forward, security and data privacy are going to play a key role in winning consumer confidence and catalysing the adoption of digital banking. Improving Digital literacy and Cyber security will be important alongwith the need for a dedicated grievance mechanism.

## d. Segment-wise or Product wise Performance

### i. Resource Mobilization

The Domestic deposits of the Bank increased to Rs. 10,83,335 Crore as at the end of March 2021. Savings Deposit increased to Rs. 4,17,236 Crore, while Current Deposit increased to Rs. 75,546 Crore. The share of CASA deposit to domestic deposit stood at 45.5 per cent as at end of March 2021.

In the current banking scenario of mounting competition, Retail Banking products play a major role in enhancing the business growth of the Bank. In order to remain competitive, Bank has identified anchor products and special focus is given to mobilize more business under this segment. The deposit under customer specific segment viz PNB my Salary account increased to Rs. 21,623 Crore, PNB Power Saving (for women) account increased to Rs. 7,577 Crore and PNB Rakshak Plus increased to Rs. 1,840 Crore under CASA segment.

Further, under Term Deposit, PNB Sugam Term Deposit scheme has been identified as an anchor product, where the deposit increased to Rs. 2,07,975 Crore.

**ii. ऋण परिनियोजन और वितरण**

मार्च 2021 में बैंक का सकल घरेलू अग्रिम ₹7,19,138 करोड़ रहा। बाह्य रेटिंग 'ए' और उससे ऊपर की रेटिंग के साथ की गई नई स्वीकृतियाँ, स्वीकृतियों का एक बड़ा हिस्सा हैं। इसी प्रकार, बैंक ने अपने एक्सपोजर की गुणवत्ता में सुधार किया है, जैसा कि मार्च 2021 के अंत में ऋण जोखिम-भारित परिसंपत्तियों (आरडब्लुए) में ₹4,90,310 करोड़ की गिरावट के संकेत मिलते है।

समग्र टीएटी को कम करने, मूल्यांकन की दक्षता में सुधार करने, सेवा वितरण के साथ खातों की केंद्रित निगरानी के लिए गुंजाइश प्रदान करने हेतु कुशल कर्मचारियों से लैस संरचना के 2 स्तरों के माध्यम से ऋण के वितरण पर केंद्रित संशोधित ऋण संगठनात्मक संरचना बनाई गई है। इस 2 स्तरीय संरचना को देश के विभिन्न भागों में खोली गई अत्यंत वृहद कॉर्पोरेट शाखा (ईएलसीबी)/वृहद कॉर्पोरेट शाखा (एलसीबी) द्वारा लागू किया जा रहा है। ये ईएलसीबी/ईएलसीबी कुल घरेलू ऋण का लगभग 45 प्रतिशत है।

**iii. ऋण समूहन**

वित्त वर्ष 2021 के दौरान, बैंक के समूहन कक्ष ने 24,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों का विपणन किया है, जिसमें से ₹14,544 करोड़ पीएनबी ने मंजूर किए हैं। इसके अलावा तकनीकी कक्ष ने टेक्नो इकनोमिक बैंकों के कुल ₹3,979 करोड़ के ऋण शेयर का (टीईवी) अध्ययन/वेटिंग रिपोर्ट किया है।

**iv. खुदरा ऋण**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक का कुल खुदरा ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर ₹1,36,137 करोड़ हो गया। इसमें से कोर खुदरा ऋण वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर ₹1,13,047 करोड़ हो गया है।

कोर खुदरा ऋण पोर्टफोलियों के तहत आवास ऋण बढकर ₹71, 414 करोड़, कार/वाहन ऋण बढकर ₹10,278 करोड़ हो गया था तथा बंधक ऋण ₹12,213 करोड़ था।

**नई पहलें:**

क. कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए, और महामारी से प्रभावित हमारे मौजूदा ग्राहकों को राहत प्रदान करने के लिए, बैंक ने "केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों और स्कूलों तथा कॉलेजों सहित सभी प्रतिष्ठित संगठनों/संस्थानों, स्वायत्त निकायों/नर्सिंग होम/अस्पतालों के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, जो बैंक में खातों के माध्यम से अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं, "पीएनबी व्यक्तिगत ऋण योजना-पीएनबी सहयोग कोविड 19" एवं पेंशनभोगियों के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना- "पीएनबी आभार ऋण कोविड 19'' लॉन्च किया था।

ख. खुदरा ऋण पोर्टफोलियो की वृद्धि में तेजी लाने और बाजार में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए, बैंक ने आवास ऋण, कार ऋण और मेरी संपत्ति ऋण के तहत सेवा शुल्क की पूरी छूट प्रदान करते हुए 7 सितंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 की अवधि के लिए "पीएनबी फेस्टिवल बोनांजा'' और 1 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए "पीएनबी नव वर्ष बोनान्ज़ा'' लॉन्च किया था।

ग. ग्राहक को डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उन ग्राहकों को ब्याज दर में रियायत प्रदान की गई है जो सावधि जमा के निमित्त ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाते हैं।

**ii. Credit Deployment and Delivery**

Gross Domestic Advances of the Bank stood at Rs.7,19,138 Crore in March 2021. Fresh Sanctions with external rating 'A' and above formed a major part of the sanctions. Similarly, Bank has improved its quality of exposures as indicated by a decline in Credit Risk-Weighted Assets (RWA) to Rs 4,90,310 Crore as at the end of March 2021.

Revamped organizational structure focused on delivery of credit through 2 tier of structure equipped with skilled staff, created to reduce overall TAT, to improve efficiency of appraisal, provide scope for focussed monitoring of accounts along with Service delivery. This 2 tier structure is being catered by Extra Large Corporate Branch (ELCBs)/ Large Corporate Branches (LCBs), opened in different parts of the country. These ELCBs/LCBs constitute approximately 45 per cent of total domestic credit.

**iii. Loan Syndication**

During FY 2020-21, Bank's syndication cell has marketed proposals amounting Rs. 24,000 Crore, of which proposals for Rs. 14,544 Crore have been sanctioned by PNB. Further Technical Cell conducted Techno Economic Viability (TEV) Study/vetting report of Bank's debt share aggregating to Rs. 3,979 Crore.

**iv. Retail Credit**

During the FY 2020-21, Total Retail credit portfolio of the Bank increased to Rs.1,36,137 Crore. Out of this, the Core Retail Credit has increased to Rs. 1,13,047 Crore in FY 2020-21.

Within the Core Retail Credit Portfolio, Housing Loan increased to Rs. 71,414 Crore, Car/Vehicle Loan increased to Rs. 10,278 Crore and the Mortgage Loan was at Rs. 12,213 Crore.

**New Initiatives:**

a. In light of the COVID-19 outbreak, and to provide relief to our existing customers affected due to pandemic, Bank had launched "PNB Personal Loan Scheme-PNB Sahyog COVID 19" for salaried employees of Central/State Govt./ PSUs and all reputed organisations/institutions including schools and colleges, autonomous bodies/nursing homes/hospitals who are drawing their salary through accounts in Bank and Personal Loan Scheme for Pensioners- "PNB Aabhar Rin Covid19".

b. To accelerate growth of Retail Loan Portfolio and to encash the opportunities available in the market, Bank had launched "PNB Festival Bonanza" for the period 7th September, 2020 to 31st December, 2020 & "PNB New Year Bonanza" for the period 1st January, 2021 to 31st March, 2021 offering full waiver of service charges under Housing Loan, Car Loan and myProperty Loan.

c. In order to encourage the customer to utilize the digital platform, concession in rate of interest has been provided to those customer who avail Online Overdraft Facility against Fixed Deposit.

घ. बैंक ने 8 कार निर्माताओं जैसे मारुति, होंडा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्स मोटर्स, टोयोटा, हुंडई और एमजी हेक्टर के साथ कार ऋण के लिए टाई अप किया है।

**v. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि और उप-क्षेत्रों की बकाया स्थिति निम्नानुसार है:-

**(राशि करोड़ में)**

| बकाया स्थिति | 31.03.2021 |
|---|---|
| प्राथमिकता क्षेत्र ऋण | 298140 |
| जिसमें से: | |
| कृषि क्षेत्र को ऋण | 132185 |
| छोटे और सीमांत किसानों को ऋण | 57392 |
| सूक्ष्म उद्यमों को ऋण | 56136 |
| कमजोर वर्गों को ऋण | 82086 |

**लक्ष्य प्राप्ति:** वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि और अन्य उप-क्षेत्रों के राष्ट्रीय लक्ष्यों के तहत बैंक की उपलब्धि निम्नानुसार है:

**राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति (त्रैमासिक वार्षिक औसत आधार)**

| समायोजित निवल बैंक ऋण का प्रतिशत (एएनबीसी) | लक्ष्य (प्रतिशत में राष्ट्रीय लक्ष्य) | 31/03/2021* |
|---|---|---|
| प्राथमिकता क्षेत्र ऋण | 40.00% | 41.34% |
| जिसमें से: | | |
| कृषि क्षेत्र को ऋण | 18.00% | 18.20% |
| छोटे और सीमांत किसानों को ऋण | 8.00% | 8.38% |
| सूक्ष्म उद्यमों को ऋण | 7.50% | 7.98% |
| कमजोर वर्गों को ऋण | 10.00% | 11.36% |

**वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए त्रैमासिक वार्षिक औसत एएनबीसी: रु. 6,82,197 करोड़।*

**वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रदर्शन की मुख्य बातें:**

- ❖ प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण मार्च 2021 को रु.2,98,140 करोड़ रहा। एएनबीसी में से प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का प्रतिशत निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य 40% की तुलना में 41.34 प्रतिशत है।
- ❖ कृषि क्षेत्र को ऋण मार्च 2021 को रु.1,32,185 करोड़ रहा। एएनबीसी में से कृषि अग्रिमों का प्रतिशत निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य 18 प्रतिशत की तुलना में 18.20 प्रतिशत है।
- ❖ छोटे/सीमांत किसानों (एसएफ/एमएफ) को ऋण मार्च 2021 को रु.57,392 करोड़ रहा। एएनबीसी में से छोटे/सीमांत किसानों को अग्रिम प्रदान किए जाने का प्रतिशत निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य 8 प्रतिशत की तुलना में 8.38 प्रतिशत है।
- ❖ सूक्ष्म (पीएस) उद्यमों को ऋण मार्च 2021 को रु.56,136 करोड़ रहा। एएनबीसी में से सूक्ष्म (पीएस) उद्यमों को अग्रिम प्रदान करने का प्रतिशत निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य 7.50 प्रतिशत की तुलना में 7.98 प्रतिशत है।
- ❖ कमजोर वर्ग को अग्रिम मार्च 2021 को रु.82,086 करोड़ रहा। एएनबीसी के 10 प्रतिशत के राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले यह उपलब्धि 11.36 प्रतिशत है।

d. Bank is having Tie Ups for Car loans with 8 Car manufacturers namely Maruti, Honda, Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Force Motors, Toyota, Hyundai and M G Hector.

**v. Priority Sector**

The outstanding position of Priority Sector, Agriculture and sub-sectors as on 31st March, 2021 is as under:-

**(Amt. Rs in Crore)**

| Outstanding Position | 31.03.2021 |
|---|---|
| Priority Sector Credit | 298140 |
| Out of which: | |
| Loan to Agriculture Sector | 132185 |
| Loan to Small & Marginal farmers | 57392 |
| Loan to Micro enterprises | 56136 |
| Loan to Weaker Sections | 82086 |

**Goals Achievement:** Bank's achievement under National Goals of Priority Sector, Agriculture and other sub-sectors for FY 2020-21 are as under:

**Achievement Of National Goals (Quarterly Annual Average Basis)**

| Percentage to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) | Target (National Goal in Percentage) | 31.03.2021* |
|---|---|---|
| Priority Sector Credit | 40.00% | 41.34% |
| Out of which: | | |
| Loan to Agriculture Sector | 18.00% | 18.20% |
| Loan to Small & Marignal Farmers | 8.00% | 8.38% |
| Loan to Micro Enterprises | 7.50% | 7.98% |
| Loan to Weaker Sections | 10.00% | 11.36% |

**Quarterly annual average ANBC for the Financial Year 2020-21: Rs. 6,82,197 Crore.*

**Performance Highlights of FY 2020-21:**

- ❖ Credit to Priority Sector stood at Rs. 2,98,140 Crore as on March 2021. The percentage of Priority Sector Advances to ANBC is 41.34 per cent as against the prescribed National Goal of 40 Percent.
- ❖ Credit to Agriculture sector stood at Rs. 1,32,185 Crore as on March. The percentage of Agriculture Advances to ANBC is 18.20 per cent against the prescribed National Goal of 18 per cent.
- ❖ Loans to Small/ Marginal Farmers (SF/ MF) stood at Rs. 57,392 Crore as on March 2021. The percentage of advances to SF/ MF farmers to ANBC is 8.38 per cent as against the prescribed National Goal of 8 per cent.
- ❖ Credit to Micro (PS) Enterprises stood at Rs. 56,136 Crore as on March 2021. The percentage of advance to Micro (PS) Enterprises to ANBC is 7.98 per cent as against the prescribed National Goal of 7.50 per cent.
- ❖ Advances to Weaker Section stood at Rs. 82,086 Crore as on March 2021. The achievement is 11.36 per cent as against National goal of 10 per cent of ANBC.

- मार्च 2021 के अंत तक, महिला लाभार्थियों को प्रदान किया गया बैंक ऋण रु.74,566 करोड़ रहा।
- अल्पसंख्यक समुदायों को प्रदान किया गया बैंक ऋण मार्च 2021 के अंत में रु. 34,272 करोड़ रहा।
- मार्च 2021 के अंत में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय को प्रदान किया गया बैंक ऋण रु.7,000 करोड़ रहा।

**कृषि वृद्धि हेतु कार्यनीतियाँ**

- केन्द्रीय प्रायोजित अवसंरचना विकास योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना कोष पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, और मत्स्यपालन ढांचा विकास कोष आदि पर ध्यान केन्द्रित करना।
- क्लस्टर पद्धति के अंतर्गत गहन वित्तपोषण।
- उत्तर पूर्व क्षेत्रों में चाय वित्त-पोषण जैसी योजनाओं पर जोर देना तथा दक्षिण भारत में संभावानाओं को खोजना।
- कृषि मशीनीकरण व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विभिन्न कृषि औजार/ उपकरण कंपनियों के साथ समझौता करना।
- कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण गोदामों आदि जैसी कृषि अवसंरचना गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करना।

**कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर गतिविधियाँ):**

- **कृषक प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी):** बैंक ने 12 कृषक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये हैं। एफटीसी कृषि और संबंद्ध गतिविधियों तथा कम्प्यूटर, कटिंग एंव सिलाई/कढ़ाई और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों पर नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। स्थापना के बाद से, एफटीसी ने 52,254 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 16,24,718 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। ये प्रशिक्षण केंद्र किसानों के खेतों में मृदा परीक्षण सुविधाओं वाली मोबाइल वैन और किसानों को सूचनात्मक वीडियों क्लिप के ऑडियो विजुअल प्रदर्शन के लिए लाइट-एमेटिंग डायोड (एलईडी) से लैस है।
- **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई):** भारत में 75 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के तत्वावधान में) और 2 ग्रामीण विकास केंद्र (पीएनबी पहल) चल रहें हैं, जो कि ग्रामीण आबादी और उनके परिवारों को स्व-रोजगार उद्यम/रोजगार चलाने हेतु कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने में लगे हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, इन केंद्रों में 32,567 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था, जिनमें से 17,975 बीपीएल परिवारों से सम्बद्ध थे और 25,148 महिलाएं थी। स्थापना के बाद से प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या 4,50,707 हैं, जिनमें से 1,78,861 बीपीएल परिवारों से और 2,82,908 महिलाएं थी। हमारे आरएसईटीआई समावेशी विकास के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करके प्रतिभागियों के व्यवस्थापन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।स्थापना के बाद से कुल 2,99,586 उम्मीदवारों का व्यवस्थापन किया जाता हैं।
- **वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी):** हमारे बैंक में 94 वित्तीय साक्षरता केंद्र कार्य कर रहे हैं। 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के दौरान कुल पूछताछ की संख्या 2,04,538 है। 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक वित्तीय शिक्षा, निवारक परामर्श और ग्राहक अधिकारों पर एफएलसी द्वारा आयोजित संगोष्ठियों / कार्यक्रमों / शिविरों की कुल संख्या 6,218 है और इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 2,08,192 है।

- As at the end of March 2021, Bank credit to women beneficiaries stood at Rs. 74,566 Crore.
- Bank credit to Minority Communities stood at Rs. 34,272 Crore, as at the end of March 2021.
- As at the end of March 2021, Bank credit to SC/ST Community stood at Rs. 7,000 Crore.

**Strategies to enhance Agriculture:**

- Focus on centrally sponsored infrastructure development schemes like Agriculture Infrastructure Fund, Animal Husbandry Infrastructure Development Fund, and Fisheries Infrastructure Development Fund etc.
- Intensive financing under cluster approach.
- Thrust on schemes like tea financing in north- east regions and exploring potential in South India.
- Tie-ups with various Agriculture implement/ equipment companies to garner farm mechanisation business.
- Focus on Agriculture infrastructure activities like cold storage, rural godowns etc.

**Corporate Social Responsibility (CSR Activities):**

- **Farmers Training Centres (FTCs):** Bank has established 12 Farmers Training Centres. The FTCs are providing free of cost training on agriculture & allied activities and also for Computers, cutting & tailoring/ embroidery and entrepreneurship development programs. Since inception, FTCs have imparted training to 16,24,718 persons by conducting 52,254 training programs. These Training Centres have been equipped with the Mobile Van having Soil testing facilities at the farmers' fields and Light-emitting diode (LED) for audio visual display of informative video clips to the farmers.
- **Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs):** There are 75 RSETIs (under aegis of Ministry of Rural Development (MoRD)) and 2 Rural Development Centres (PNB initiatives) are operating in India which are engaged in providing training to rural population and their families for skill upgradation to undertake self-employment ventures/Jobs. During FY2020-21, 32,567 persons were trained in these centers out of which 17,975 belong to BPL families and 25,148 were women. Total number of trained candidates since inception is 4,50,707, out of which 1,78,861 were from BPL families and 2,82,908 were women. Our RSETIs are focusing for settlement of participants by ensuring adequate credit for inclusive growth. Total settled candidates are 2,99,586 since inception.
- **Financial Literacy Centres (FLCs):** Our bank has 94 functional Financial Literacy Centers. Total number of enquiries made during the period from 1st April, 2020 to 31st March, 2021 is 2,04,538. Total number of seminars/ programmes/ Camps conducted by FLCs on Financial Education, Preventive Counselling and Customer Rights from 1st April, 2020 to 31st March, 2021 is 6,218 and number of persons attended these programs is 2,08,192.

❖ **पीएनबी विकास - ग्राम अंगीकरण योजना:** योजना का उद्देश्य अन्य हितधारकों (ग्रामीणों, सरकारी प्राधिकरणों, एवं स्थानीय निकायों आदि) के समन्वय से अंगीकृत गांवों को समग्र रूप से विकसित करना है, जिसमें मानव, आर्थिक और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास जैसे:-स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, आदि शामिल हैं। इस योजना के तहत, बैंक ने विभिन्न मंडलों में 295 गांवों को गोद लिया है।

❖ **पीएनबी लाडली:** यह योजना ग्रामीण /अर्ध शहरी क्षेत्रों की बालिकाओं के बीच शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिये है। इस योजना के तहत, बैंक प्रत्येक चिन्हित किये गए गांव की 10 जरूरतमंद छात्राओं को शिक्षा इनपुट हेतु 2500/- एकमुश्त और रू.100/- प्रतिमाह जेब खर्च भत्ते के रूप में प्रदान कर रहा है। चयनित बालिकाओं को 12वीं कक्षा पूरी होने तक हर साल यह सहायता मिलती रहेगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 329 बालिका छात्राओं के बीच रूण 3.42 लाख का वितरण किया गया। अब तक, हमने इस योजना के तहत 31मार्च, 2021 तक 9,691 बालिकाओं को रू. 175.87 लाख वितरित किए हैं।

❖ **पीएनबी किसान बालक शिक्षा प्रोत्साहन योजना:** योजना गरीब कृषि उधारकर्ताओं (जिसमें छोटे किसान, सीमांत किसान, काश्तकार, मौखिक पट्टेदार और कृषि श्रमिक शामिल हैं) के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, वे पात्र हैं बशर्ते उनका ऋण खाता नियमित चल रहा हो। स्थापना के बाद से, योजना के तहत मार्च 2021 तक 1,553 छात्रों को रूपये 47.98 लाख प्रोत्साहन के रूप में दिये गये है।

**vi. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)**

एमएसएमई क्षेत्र हमारे औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ है और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण वृद्धि इंजन का गठन करता है, जो उद्यमिता को बढ़ावा देता है, नवाचार को प्रेरित करता है और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है।

मार्च 2021 के अंत तक, एम. एस. एम. ई. सेगमेंट को रू. 1,25,966 करोड़ का ऋण दिया गया। सूक्ष्म सेगमेंट में रू. 55,929 करोड़ बकाया के साथ, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अग्रिम रु. 1,01,998 करोड़ रहे।

**एमएसएमई व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु की जा रही पहलों का विवरण**

बैंक नई इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ मौजूदा व्यावसायिक इकाइयों के विस्तार के लिए उधारकर्ताओं को सभी प्रकार की निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्रदान करता है। बैंक द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चैनल वित्तपोषण हेतु समझौते, ऋणों का सह-उधार, पीएनबी जीएसटी एक्सप्रेस ऋण और पीएनबी तत्काल योजना, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए पीएनबी शिखर योजना, पीएनबी लैंस के रूप में ऋण समाधान, जीईसीएल और पीएम स्वनिधि योजनाओं आदि के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदत्त उधार जैसी नकदी प्रवाह आधारित योजनाओं जैसी विभिन्न पहलें की गई हैं।

(ए) **गारंटीकृत आपातकालीन ऋण व्यवस्था (जीईसीएल) सुविधा:** इस योजना को कोविड-19 महामारी के दौरान एमएसएमई क्षेत्र को कम लागत पर अत्यंत आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जिससे एमएसएमई अपनी परिचालन देयताओं को पूरा कर सकें तथा अपने व्यवसाय को दुबारा शुरू कर सकें जीईसीएल सुविधा 4 चरणों में क्रियान्वित की गई थी और ये अब एनसीजीटीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों से लेकर 30.09.2021 तक की समयावधि या जारी (ईसीएलजीएस 1.0,2.0,3.0 एवं 4.0 खाते में रखना) रु. 300000 करोड़ की राशि हेतु गारंटी, जो भी कम हो, के सभी स्वीकृत ऋणों पर लागू है।

❖ **PNB VIKAS Village Adoption Scheme:** The objective of the Scheme is to develop the adopted villages in a holistic manner, which includes Human, Economic & other Infrastructure Development like sanitation, drinking water supply, education, electricity, health, etc in co-ordination with the other stake holders (villagers, the Govt. authorities, local bodies etc). Under this Scheme, bank has adopted 295 villages in different Circles.

❖ **PNB Ladli:** The Scheme is meant for popularization of education among girls of Rural / Semi Urban areas. Under the scheme, Bank is providing for education inputs of Rs. 2,500 in lump sum and Rs.100 per month as pocket allowance to 10 needy girl students of each identified villages. Selected girls will continue to get support every year till they complete 12th class. During FY 2020-21, Rs. 3.42 Lakh was distributed amongst 329 girl students. So far, we have distributed Rs.175.87 Lakh to 9,691 girls under this scheme upto 31st March, 2021.

❖ **PNB Kisan Balak Shiksha Protsahan Yojana:** The Scheme has been launched to provide financial assistance to the students of poor agriculture borrowers (comprising of small farmers, marginal farmers, tenant farmers, oral lessees and agriculture labour) are eligible, provided their loan account is running regular. Since inception, Rs.47.98 Lakh has been given as incentive to 1,553 students up to March 2021 under the scheme.

**vi. Micro, Small and Medium Enterprises (MSME):**

The MSME sector forms the backbone of our industrial sector and constitutes an important growth engine for the economy that promotes entrepreneurship, inspires innovation and boosts employment generation.

As at the end of the March 2021, credit to MSME segment stands at Rs. 1,25,966 Crore. The advance to Micro and Small Enterprises stood at Rs. 1,01,998 Crore with outstanding in Micro segment at Rs 55,929 Crore.

**Details of initiatives being taken to boost MSME business**

The Bank provides all types of fund based and non-fund based facilities to the borrowers for setting up new units and expansion of existing business units. In order to provide timely financial support to MSME, various initiatives are taken by bank such as Tie-Ups for channel financing & Original Equipment Manufacturers (OEMs), launch of innovative schemes viz; PNB GST Express Loan and PNB Tatkal Scheme, PNB Shikhar Scheme for Jammu & Kashmir and Ladakh region, lending solutions for loan processing such as PNB LenS, Government induced lending through GECL and PM SVANidhi schemes, etc.

(a) **Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) Facility:** This scheme is formulated to provide much needed relief to the MSME sector at low cost, thereby enabling MSMEs to meet their operational liabilities and restart their businesses. GECL facility is implemented in 4 phases and is now applicable to all loans sanctioned under GECL during the period from the date of issue of these guidelines by NCGTC to 30.09.2021 or till guarantees for an amount of Rs 3,00,000 Crore are issued (taking into account ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 & 4.0), whichever is earlier.

i. **ईसीएलजीएस 1.0:** इस योजना के तहत 29 फरवरी, 2020 तक 50 करोड़ रुपये तक के उधारकर्ता के कुल बकाया ऋण के 20 प्रतिशत तक के अग्रिम की अनुमति दी गई थी।

ii. **ईसीएलजीएस 2.0:** इस योजना ने मौजूदा ईसीएलजीएस 1.0 का दायरा बढ़ाया है जिसमें 29 फरवरी, 2020 तक सभी बैंकों/वित्तीय संस्थानों में रु. 50 करोड़ से अधिक और रु. 500 करोड़ तक के संयुक्त बकाया ऋण सहित कामथ समिति द्वारा यथा अनुशंसित 26 विशिष्ट क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवा अनुभाग पात्र हैं।

iii. **ईसीएलजीएस 3.0:** संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, आतिथ्य (होटल, रेस्तरां, मैरिज हॉल, कैंटीन आदि), यात्रा और पर्यटन, अवकाश और खेल तथा नागरिक उड्डयन (प्रायोजित और अप्रायोजित एयरलाइंस, चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर, एयर एम्बुलेंस और हवाई अड्डे सहित) में सभी व्यावसायिक उद्यम/एमएसएमई) क्षेत्र जिनके देय दिन 29 फरवरी, 2020 तक 60 दिनों तक के हैं, पात्र हैं। आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, अवकाश एवं खेल तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में पात्र उधारकर्ताओं के संबंध में बकाया ऋणों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जो प्रति उधारकर्ता रु.200 करोड़ अधिकतम सीमा के साथ बकाया ऋण (निधि आधारित) के 40 प्रतिशत के अधीन है।

iv. **ईसीएलजीएस 4.0:** कोविड-19 संकट के मद्देनजर व्यावसायिक उद्यमों/एमएसएमई को निरंतर राहत प्रदान करने के लिए, जीईसीएल 4.0 की शुरुआत की गई है, जिसमें मौजूदा अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लीनिक/मेडिकल कॉलेज/लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि के निर्माण में लगी इकाइयां शामिल हैं जिनके हमारे बैंक के साथ 31 मार्च, 2021 तक 90 दिनों तक देय हो चुके हैं और जिन्हें प्रेशर स्विंग एब्सोर्पशन आदि जैसे कम लागत तकनीकों की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपये तक की सहायता की आवश्यकता है।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, बैंक ने रु. 12,935 करोड़ के अग्रिम इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए हैं जिसमें से रु. 11,072 करोड़ की राशि के 1,78,872 खातों का संवितरण किया जा चुका है।

(बी) **तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी योजना( सीजीएसएसडी ):** एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने सीजीटीएमएसई के माध्यम से तनावग्रस्त एमएसएमई के प्रमोटरों को व्यवसाय में इक्विटी/अर्ध इक्विटी के रूप में निवेश के लिए व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने हेतु "गौण ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी)" शुरू की,जो दबावग्रस्त एमएसएमई अग्रिमों के पुनर्गठन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन हेतु पात्र हैं। ऋण सीजीटीएमएसई द्वारा 90 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी के साथ प्रदान किया जाएगा। बैंक ने 15.29 करोड़ रुपये की राशि के 238 खातों को मंजूरी दी है, जिसमें से 175 खातों में 15.20 करोड़ रुपये की राशि 31 मार्च, 2021 तक वितरित की जा चुकी है।

(सी) **पीएम सड़क विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि):** यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र सरकार की योजना है, जो सड़क विक्रेताओं को 10,000/- रुपये तक का वित्त प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जो इस क्षेत्र के लिए आर्थिक वृद्धि के नए अवसर खोलेगा। यह योजना 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में विक्रय में लगे सभी सड़क विक्रेताओं के लिए उपलब्ध है। बैंक ने 2 जुलाई, 2020 को यह योजना शुरू की और 31 मार्च, 2021 को प्राप्त आवेदनों की संख्या 2,02,795 थी, स्वीकृत आवेदन 1,71,383 थे और संवितरित आवेदन 1,52,925 थे। सड़क विक्रेताओं को निरंतर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, उन उधारकर्ताओं को जिन्होंने अपने ऋणों का समय पर/जल्दी भुगतान कर दिया है, उन्हें इस योजना के तहत 20,000 रुपये तक की बढ़ी हुई सीमा के साथ दूसरी किश्त दिया जाना शुरू किया गया है।

i. **ECLGS 1.0:** Under the scheme credit was allowed up to 20 per cent of the borrower's total outstanding credit up to Rs.50 Crore as on 29th February, 2020.

ii. **ECLGS 2.0:** This scheme enlarged the scope of existing ECLGS 1.0 wherein 26 specific sectors and Healthcare segment, as recommended by Kamath Committee, with combined outstanding loans across all Banks/FIs of above Rs. 50 Crore and upto Rs. 500 Crore as on 29th February, 2020 are eligible.

iii. **ECLGS 3.0:** As per the revised guidelines, all Business Enterprises /MSMEs in the Hospitality (hotels, restaurants, marriage halls, canteens etc.), Travel & Tourism , Leisure & Sporting and Civil Aviation (including scheduled and non-scheduled airlines, chartered flight operators, air ambulances and airports) sectors whose days past due are upto 60 days as on 29th February, 2020 are eligible. No ceiling on loans outstanding has been prescribed in respect of eligible borrowers in Hospitality, Travel & Tourism, Leisure & Sporting and Civil Aviation sectors, subject to 40 per cent of the credit outstanding (fund based) with a cap of Rs. 200 Crore per borrower.

iv. **ECLGS 4.0:** To provide continued relief to Business Enterprises/MSMEs in view of COVID-19 crisis, GECL 4.0 has been introduced wherein, existing Hospitals/nursing homes/clinics/medical colleges/units engaged in manufacturing of liquid oxygen, oxygen Cylinders etc having credit facility with our Bank with days past due upto 90 days as on 31st March, 2021 and requiring assistance of upto Rs. 2 Crore for setting up low cost technologies like Pressure Swing Adsorption etc. for on-site oxygen generation.

As on 31st March, 2021, Bank has sanctioned advances amounting to Rs. 12,935 Crore, under the scheme out of which 1,78,872 accounts amounting to Rs. 11,072 Crore have been disbursed.

(b) **Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD) for Stressed MSMEs:** Ministry of MSME, Govt. of India through CGTMSE has introduced "Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD)" to provide personal loans to the promoters of stressed MSMEs for infusion as equity/quasi equity in the business, eligible for restructuring as per Reserve Bank of India guidelines for restructuring of stressed MSME advances. The loans would be provided with a 90 per cent credit guarantee by the CGTMSE. Bank has sanctioned 238 accounts amounting to Rs. 15.29 Crore, out of which 175 accounts amounting to Rs. 15.20 Crore have been disbursed as on 31st March, 2021.

(c) **PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi):** This is a Central Government Scheme launched by Ministry of Housing and Urban Affairs formalized for Street vendors providing finance upto Rs. 10,000 which will open up new opportunities to this sector to move up the economic ladder. The Scheme is available to all street vendors engaged in vending in urban areas as on or before 24th March, 2020. Bank has launched this scheme on 2nd July, 2020 and as on 31st March, 2021, the applications received were 2,02,795, the sanctioned applications were 1,71,383 and the disbursed applications were 1,52,925. With an intent to provide continued support to street vendors, second tranche with enhanced limit of upto Rs. 20,000 under the scheme, for the borrowers who have made timely/early payments of their loans, has been introduced.

(डी) **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत प्रदत्त शिशु ऋण के शीघ्र पुनर्भुगतान पर 2% की ब्याज अनुदान योजना:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने पीएमएमवाई के तहत प्रदत्त शिशु ऋण के शीघ्र पुनर्भुगतान पर 2 प्रतिशत की ब्याज अनुदान योजना तैयार की है। ब्याज अनुदान केवल उन ऋणों के लिए उपलब्ध होगा जो ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक एनपीए नहीं हैं, बी) उस महीने के लिए एनपीए नहीं होना चाहिए जिसके लिए दावा प्रस्तुत किया गया है। जून 2020 से दिसंबर 2020 की अवधि के लिए सभी पात्र 3,57,630 खातों में 655.48 लाख रुपये की ब्याज अनुदान राशि पहले ही जमा की जा चुकी है।

(ई) **पीएनबी कोविड-19 आपातकालीन ऋण सुविधा (पीएनबी-सीईसीएफ):** इस योजना के तहत, उन सभी उधारकर्ताओं के लिए मौजूदा कार्यशील पूंजी सीमा का 10% उपलब्ध है, जो मानक, एसएमए 0 और एसएमए1 श्रेणी के अंतर्गत हैं। बैंक ने 30 सितंबर, 2020 तक योजना के बंद होने तक 2,346.39 करोड़ रुपये के 55,633 खातों को मंजूरी दी है।

(एफ) **उदारीकृत कार्यशील पूंजी मूल्यांकन (एलडब्ल्यूसीए):** एलडब्ल्यूसीए एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए एक मॉडल है, जिनकी सीमा रु. 5 करोड़ है। वित्त वर्ष 2020-21 हेतु 5 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए अनुमानित कारोबार के 33 प्रतिशत तक कार्यशील पूंजी की सीमा का पुनर्मूल्यांकन और स्टॉक पर न्यूनतम 10 प्रतिशत के घटे हुए मार्जिन पर 5 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रस्तावों के लिए संशोधित सीएमए के आधार पर और प्राप्य पर न्यूनतम 15 प्रतिशत संबंधित उधारकर्ताओं को प्रदान किया जा सकता है। बैंक ने 31मई 2020 के अनुसार योजना समाप्ति तक रु. 2160.22 करोड़ की राशि के 30,587 खाते स्वीकृत किए हैं।

(जी) **क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण:** ऋण देने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का उद्देश्य हमारे मौजूदा ग्राहक आधार को बनाए रखने के लिए संबंधित क्लस्टरों में बैंक की हिस्सेदारी को बढ़ाने और उधार देने के नियमों में ढील देकर हमारी बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि करना है। बैंक ने पहले ही अनुकूलित प्रस्तावों यथा रियायती ब्याज दर, सेवा प्रभारों में रियायत और मूल्यांकन आवश्यकताओं में छूट आदि के साथ 55 क्लस्टरों को मंजूरी दे दी है।

(एच) **टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म:** टीआरईडीएस कॉर्पोरेट और सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित अन्य खरीदारों से एमएसएमई की व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण के लिए स्थापित एक संस्थागत तंत्र है। 500 करोड़ रुपये से अधिक के कुल कारोबार वाले सभी कॉरपोरेट्स को अनिवार्य रूप से टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी है। बैंक टीआरईडीएस के तीनों प्लेटफॉर्म यानी आरएक्सआईएल, एम1एक्सचैंज एवं ए.ट्रेड्स का उपयोग करता है। टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म का प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए दिल्ली में एक केंद्रीकृत हब स्थापित किया गया है। 31 मार्च, 2021 को कुल बकाया बिल 1,654 हैं, जिनकी राशि 452.01 करोड़ रुपए है।

(आई) **ई-नवीनीकरण योजना का शुभारंभ:** मूल्यांकन प्रक्रिया की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, टीएटी को कम करने और छोटे उधारकर्ताओं को आसानी प्रदान करने के लिए, ऋण सुविधाओं के स्वत: नवीनीकरण के लिए एक प्रणाली लागू की गई है। यह 2 लाख रुपये तक के जोखिम वाली कार्यशील पूंजी ऋण सुविधाओं के नवीनीकरण के लिए एक सीधी प्रक्रिया (एसटीपी) है। प्रक्रिया पूर्व-निर्धारित व्यावसायिक नियमों पर की जाएगी और प्रक्रिया नोट/अन्य दस्तावेज तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह टीएटी को कम करके मूल्यांकन प्रक्रिया की दक्षता को उत्प्रेरित करेगा और छोटे उधारकर्ताओं को आसानी प्रदान करेगा।

(d) **Interest Subvention Scheme of 2% on Prompt Repayment of Shishu Loan Extended Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY):** Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has formulated Interest Subvention Scheme of 2 per cent on prompt repayment of Shishu loan extended under PMMY. Interest subvention will be available only to loans which are a) Not NPA as per Reserve Bank of India guidelines, as on 31st March, 2020 b) Should not be an NPA for the month for which claim is submitted. Interest subvention amounting Rs. 655.48 Lakh in 3,57,630 accounts has already been credited in all the eligible accounts for the period of June 2020 to December 2020.

(e) **PNB COVID-19 Emergency Credit Facility (PNB-CECF):** Under this scheme, 10 per cent of existing working capital limits is available to all the borrowers which are under Standard, SMA0 and SMA1 category. Bank has sanctioned 55,633 accounts amounting to Rs 2,346.39 Crore till the closure of the scheme as on 30th September, 2020.

(f) **Liberalized Working Capital Assessment (LWCA):** LWCA is a model for MSME borrowers having limits upto Rs. 5 Crore. Reassessment of Working Capital limit up to 33 per cent of projected turnover for FY 2020-21 for loans upto Rs 5 Crore and based on revised CMA for loan proposals more than Rs 5 Crore on a reduced margin of minimum 10 per cent on stocks and minimum 15 per cent on receivable can be provided to the respective borrowers. Bank has sanctioned 30,587 accounts amounting to Rs. 2160.22 Crore till the closure of the scheme as on 31st May, 2020.

(g) **Cluster based approach:** Cluster based approach for lending is intended to increase the Bank's share in respective clusters to retain our existing customer base and increase our market share by offering relaxed lending norms. Bank has already approved 55 clusters with customized offerings viz. concessional ROI, concession in service charges & relaxation in rating requirements etc.

(h) **TReDS Platform:** TReDS is an institutional mechanism set up for financing of trade receivables of MSMEs from corporate and other buyers including Government Departments and Public Sector Undertakings (PSUs). All the corporates having turnover of more than Rs 500 Crore are to be compulsorily on-boarded on TReDS platform. Bank uses all the three platforms of TReDS i.e. RXIL, M1xchange & A. Treds. A Centralized Hub at Delhi has been established to undertake operations on TReDS platform effectively. Total bills outstanding as on 31st March, 2021 are 1,654 amounting to Rs. 452.01 Crore.

(i) **Launch of e-RENEWAL Scheme:** In order to increase efficiency of the appraisal process, reduce TAT and provide ease to small borrowers, a system for automatic renewal of credit facilities is implemented. This is a Straight Through Process (STP) for renewal of working capital credit facilities having exposure upto Rs. 2 Lakh. The process will be done on the pre-defined business rules and there will be no need to prepare process note/other documents. It will catalyze the efficiency of the appraisal process by reducing TAT and provide ease to small borrowers.

(जे) **जम्मू एंव कश्मीर और लद्दाख हेतु पीएनबी शिखर योजना:** केंद्र शासित प्रदेशों में निर्यात सहित व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने विशेष पहलें और रणनीतियां बनाने पर जोर दिया है। इस प्रकार बैंक ने ऋणों के वितरण में तेजी लाने और समय-सीमा के संशोधन के लिए कदम उठाए हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों में लघु अवधि के साथ-साथ दीर्घकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एमएसएमई के लिए पीएनबी शिखर योजना तैयार की गई है।

(के) **पीएनबी जीएसटी एक्सप्रेस ऋण:** जीएसटी पंजीकृत व्यावसायिक उद्यमों, जो कम से कम 6 महीने से जीएसटी भर रहे हैं, को कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु परेशानी मुक्त ऋण प्रदान करना है और व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों, एलएलपी और न्यायसंगत व्यवसाय में लेनदेन करने वाली सहकारी समितियों के लिए लागू है। ऋण राशि की मात्रा नकदी ऋण के रूप में 10 लाख रुपये से अधिक 100 लाख रुपये तक है और इसे सालाना नवीनीकृत किया जाएगा, जिसकी गणना जीएसटी रिटर्न में दर्ज बिक्री के 25 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी। बैंक ने 31 मार्च 2021 तक इस योजना के तहत 195 करोड़ रुपये की राशि के 562 खातों को मंजूरी दी है।

(एल) **पीएनबी तत्काल योजना:** उन व्यावसायिक गतिविधि या व्यवसाय के विस्तार से संबंधित वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परेशानी मुक्त ऋण प्रदान करना जिन्होंने कम से कम पिछले एक वर्ष के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल किया है और विशेष रूप से psbloansin59minutes.com पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन किया है, चाहे वह व्यक्ति, फर्म, कंपनियां, एलएलपी और न्यायसंगत व्यवसाय में काम करने वाली सहकारी समितियां हों। नकदी ऋण या सावधि ऋण के रूप में ऋण राशि की मात्रा रु.1 लाख से अधिक रु.25 लाख तक है। बैंक ने 31 मार्च 2021 तक इस योजना के तहत 190 करोड़ रुपये की राशि के 1280 खातों को मंजूरी दी है।

(एम) **वाणिज्यिक वाहन/निर्माण उपकरण (सीवी/सीई) के लिए मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ समझौता:** बैंक ने 3 प्रतिष्ठित सीवी निर्माताओं यथा मेसर्स टाटा मोटर्स, मेसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा और मेसर्स अशोक लेलैंड के साथ उपरोक्त कंपनियों के वाहन खरीदने के इच्छुक ग्राहकों के वित्तपोषण के लिए बैंक को पसंदीदा वित्त-पोषक के रूप में स्थान देने हेतु समझौता व्यवस्था की है।

(एन) **डीलर वित्तपोषण योजना के तहत इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता व्यवस्था:** बैंक ने इंडियन ऑयल के ईंधन स्टेशन डीलरों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इंडियन ऑयल) के साथ समझौता किया है। यह बैंक को आईओसीएल के विस्तृत डीलरों के नेटवर्क को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।

(ओ) **ऋण प्रबन्धन प्रणाली का शुभारम्भ (एलएमएस):** बैंक ने आईटी आधारित समाधान अर्थात पीएनबी लेंस - ऋण प्रबंधन के लिए ऋण समाधान विकसित/अनुकूलित किया है। 25 करोड़ रुपये तक के सभी मुद्रा/एमएसएमई ऋण प्रस्तावों (नए/नवीकरण/वृद्धि/समीक्षा) को पीएनबी लेंस का उपयोग करके संसाधित किया जाता है। एलएमएस के कार्यान्वयन के बाद, मूल्यांकन प्रक्रिया को मानकीकृत किया जाएगा और ऋण हामीदारी को मजबूत किया जाएगा।

(पी) **psbloansin59minutes.com:** psbloansin59minutes.com के नाम से 59 मिनट के भीतर 5 करोड़ रुपये तक के एमएसएमई ऋणों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी हेतु एक पोर्टल मौजूद है। बैंक मुद्रा पोर्टल पर मुद्रा ऋण के लिए भी शामिल हो गया है। बैंक ने इस पोर्टल पर सैद्धांतिक स्वीकृति को अधिकतम करने के लिए सभी प्रमुख एमएसएमई उत्पादों को पहले ही मूर्त रूप दे दिया है। 31 मार्च 2021 को psbloansin59minutes.com. पोर्टल पर बैंक के प्रदर्शन के अनुसार, एमएसएमई और मुद्रा के लिए प्राप्त कुल आवेदन 27,700 हैं, जिनमें से 19,408 कुल स्वीकृत राशि 788.89 करोड़ रुपये के साथ निपटाए गए हैं।

(j) **PNB Shikhar Scheme for Jammu & Kashmir and Ladakh:** To promote the business activities including exports in the UTs, Government has emphasized to take special initiatives and strategies. The Bank has thus taken steps to fast-track disbursement of the loans and revised timelines. In view of the above, PNB Shikhar Scheme has been formulated for MSMEs to meet short term as well as long term credit requirements in the regions of Jammu & Kashmir and Ladakh.

(k) **PNB GST Express Loan:** To provide hassle free credit to meet working capital requirements to GST registered business enterprises having filed GST for atleast 6 months, and is applicable for individuals, firms, Companies, LLPs, and cooperative societies dealing in lawful business. The quantum of loan amount is above Rs. 10 Lakh to Rs. 100 Lakh in the form of Cash Credit and will be renewed annually, calculated on the basis of 25 per cent of the sales reported in the GST returns filed. Bank has sanctioned 562 accounts, amounting to Rs. 195 Crore under this scheme as on 31st March, 2021.

(l) **PNB TATKAL SCHEME:** To provide hassle free credit to meet financial requirements related to business activity or expansion of business who have filed GST returns at least for the last one year and apply for loan specifically through the psbloansin59minutes.com portal be it Individuals, firms, Companies, LLPs, and cooperative societies dealing in lawful business. The quantum of loan amount is above Rs.1 Lakh to Rs. 25 Lakh in the form of Cash Credit or term Loan. Bank has sanctioned 1,280 accounts, amounting to Rs 190 Crore, under this scheme as on 31st March, 2021.

(m) **Tie Ups with Original Equipment Manufacturers (OEMs) for Commercial Vehicle/Construction Equipment (CV/CE):** Bank has tie-up arrangement with 3 reputed CV Manufactures i.e. M/s Tata Motors, M/s Mahindra & Mahindra and M/s Ashok Leyland to position the Bank as preferred financier for financing customers intending to purchase the vehicles of the aforementioned companies.

(n) **Tie-up arrangement with India Oil Corporation Ltd. under dealer financing scheme:** Bank has entered into tie up arrangement with Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) to cater to the financing needs of Indian Oil's fuel station dealers. It provides an opportunity to the Bank to tap vast dealers' network of IOCL.

(o) **Launch of Loan Management System (LMS):** Bank has developed/customized IT based solution i.e. PNB LenS, a Lending Solution for loan management. All Mudra/MSME loan proposals (fresh/renewal/enhancement/ review) upto Rs. 25 Crore are processed using PNB LenS. After implementation of LMS, assessment process is standardized and credit underwriting is strengthened.

(p) **Psbloansin59minutes.com:** A portal for in-principle approval for MSME loans upto Rs 5 Crore within 59 minutes is in place in the name of psbloansin59minutes.com. Bank has also on boarded for Mudra loans on the Mudra Portal. The Bank has already configured all the flagship MSME products on this portal to maximise in-principle sanctions. As per the performance of the Bank on psbloansin59minutes portal as on 31st March 2021, the total applications received for MSME and MUDRA is 27,700, out of which 19,408 are disposed with a total sanctioned amount of Rs 788.89 Crore.

## vii. वित्तीय समावेशन

बैंक वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में नई पहलें करने में अग्रणी रहा है। बैंक 2012 से कारोबारी प्रतिनिधि (बीसी) सेवाएं प्रदान कर रहा है और उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) और गैर एसएसए क्षेत्र में बीसी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से व्यापक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम लागू कर रहा है। एसएसए कुछ गांवों का समूह है और बैंक की एक आधार शाखा से जुड़ा होता है।

ए. बैंक ने अखिल भारतीय आधार पर बीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और अन्य वित्तीय समावेशन सेवाओं को लागू किया है। पीएमजेडीवाई खातों में 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधाएं पात्र खाताधारकों (आयु वर्ग 18-65) को उपलब्ध करवाई गई है।

बी. शाखाओं में बायोमेट्रिक आधारित आधार दर्ज करना और प्रमाणीकरण।

सी. बीसी स्थलों के साथ-साथ शाखाओं और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, अर्थात प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सुविधाएं, उपलब्ध हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है:

- पीएमजेजेबीवाई: 31 मार्च, 2021 तक, 23.53 लाख ग्राहकों ने नामांकन किया
- पीएमएसबीवाई: 31 मार्च, 2021 तक, 115.78 लाख ग्राहकों ने नामांकन किया
- एपीवाई: 31 मार्च, 2021 तक, 14.45 लाख ग्राहकों ने नामांकन किया

वर्तमान में बैंक, ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी और मेट्रो केंद्रों में 12518 बीसी प्रतिनिधि/बैंक मित्र के माध्यम से बैंक की आवश्यकता के आधार पर बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है।

बीसी प्रतिनिधि/बैंक मित्र बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए माइक्रो एटीएम/लैपटॉप/डेस्कटॉप/मोबाइल/टैब आदि का उपयोग करते हैं। वर्तमान में कियोस्क बैंकिंग समाधान के माध्यम से बीसी स्थानों पर डीएफएस के ईएएसई एजेंडा के अनुसार सेवाओं सहित निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध हैं:

i. बचत खाता खोलना
ii. मियादी जमा रसीद (टीडीआर)/आवर्ती जमा (आरडी) खोलना, टीडी/आरडी नवीनीकरण
iii. नकद जमा (अपना बैंक)
iv. नकद निकासी (हमारे पर), नकद निकासी (हमसे अलग)
v. निधि अंतरण (अपना बैंक), निधि अंतरण अन्य बैंक आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एआईपीएस)/रूपे कार्ड
vi. तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) भारत-नेपाल धन-प्रेषण
vii. शेष राशि पूछताछ (अपना बैंक), शेष राशि पूछताछ (अन्य बैंक)
viii. रुपे डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना, डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना

## vii. Financial Inclusion

Bank has been the pioneer in taking initiative in the area of financial inclusion. Bank is providing Business Correspondents (BCs) services since 2012 & implementing comprehensive Financial Inclusion Program through effective utilization of BCs in Sub Service Area (SSA) & non SSA area. SSA is a cluster of few villages and is linked to one base branch of the Bank.

a. Bank has implemented Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and other financial inclusion services through BCs on PAN India basis. Overdraft facilities up to Rs. 10,000 in PMJDY accounts provided to eligible account holders (age group 18-65).

b. Biometric based Aadhar seeding and authentication at branches.

c. Social security schemes, i.e. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and Atal Pension Yojana (APY) facilities, are available at BC locations as well as branches and through internet banking. The Progress of Social Security Schemes is as under:

- PMJJBY: As on 31st March, 2021, 23.53 Lakh customers enrolled
- PMSBY: As on 31st March, 2021,115.78 Lakh customers enrolled
- APY: As on 31st March, 2021,14.45 Lakh customers enrolled

At present, Bank is providing basic banking services through 12518 BC Agent/ Bank Mitras (PAN India) in Rural, Semi-Urban, Urban and Metro centers depending upon the requirement of the Bank.

The BCs Agent/Bank Mitra use Micro ATM/Laptop/desktop/ Mobile/Tab etc. for providing the banking services. At present following services including services as per EASE agenda of DFS is available at BC locations through Kiosk Banking Solution:

i. Savings Account Opening
ii. Term Deposit Receipt (TDR)/ Recurring Deposit (RD) opening, Renew TD/RD
iii. Cash Deposit (own bank)
iv. Cash Withdrawal (on us), Cash withdrawal (off us)
v. Fund transfer (own bank), Fund transfer (other Bank) Aadhaar Enabled Payment System (AEPS)/RuPay card
vi. Immediate Payment Service (IMPS), National Electronic Funds Transfer (NEFT), Indo-Nepal Remittance
vii. Balance enquiry (own bank), Balance enquiry (other bank)
viii. Apply for RuPay debit cards, Block debit card.

ix. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात सूक्ष्म दुर्घटना मृत्यु बीमा (पीएमएसबीवाई), सूक्ष्म जीवन बीमा (पीएमजेजेबीवाई), पेंशन योजना (एपीवाई) के लिए नामांकन करना।

x. आधार दर्ज करना।

xi. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) तथा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी): क्रेडिट लिंकेज सहित गठन और प्रचार के लिए

xii. पासबुक अपडेट, मिनी स्टेटमेंट

xiii. चैक प्राप्त करना

xiv. नई चेक बुक का अनुरोध करना, चेक का भुगतान रोकना, चेक की स्थिति की जांच करना

xv. एसएमएस अलर्ट/ईमेल स्टेटमेंट (पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल) के लिए अनुरोध।

xvi. भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)

xvii. बैंक द्वारा अनुमोदित सीमा तक वसूली/संग्रहण।

**ई. दृष्टिकोण**

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.3 प्रतिशत की कमी आई है। वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि को 'सकारात्मक विकास दर के पूर्व-महामारी समय' की वापसी और वी-आकार की वसूली की मजबूती के प्रतिबिंब के रूप में देखा गया था। लेकिन दूसरी भयंकर लहर के चलते आर्थिक पुनुरूत्थान प्रभवित हो सकता है। आगे जाकर, बैंकिंग क्षेत्र का दृष्टिकोण इन कारकों के अनुसार आकार लेगा।

**एफ. जोखिम एवं चिंताएं**

बैंक के पास व्यापक जोखिम वहन क्षमता फ्रेमवर्क है। यह दस्तावेज बैंक में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अभिशासन एवं मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क उपलब्ध करने के साथ-साथ जोखिम वहन क्षमता स्टेटमेंट निर्धारित करता है। जोखिम वहन क्षमता को विभिन्न पैरामीटरों पर तथा प्रत्येक पैरामीटर के लिए अलग-अलग जोखिम सीमा और जोखिम के न्यूनतम स्तर के साथ परिभाषित किया गया है। जोखिम वहन क्षमता तथा विभिन्न अन्य सीमाओं के अनुपालन की स्थिति को उच्चतम प्रबंधन को नियमित अंतराल पर प्रस्तुत किया जाता है।

बैंक के पास सुदृढ़ ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क है तथा बैंक ने आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल विकसित किया है। बैंक अपने रेटिंग मॉडल की प्रभावकारिता सुनिश्चित करते हुए इनका आवधिक वैधीकरण भी करता है। बैंक अपने क्रेडिट जोखिम रेटिंग मॉडल की सुदृढ़ता के परीक्षण हेतु माइग्रेशन एवं डिफॉल्टर दर विश्लेषण भी करता है। रेटिंग मॉडलों के आउटपुट बैंक की निर्णय प्रक्रिया (अर्थात क्रेडिट पोर्टफोलियो की लेखापरीक्षा, समीक्षा और निगरानी के अतिरिक्त मंजूरी, मूल्य निर्धारण, ऋण शक्तियां) से जुड़े हैं। बैंक ने कम जोखिम, औसत जोखिम, मध्यम जोखिम, सीमित जोखिम और उच्च जोखिम श्रेणियों के अनुसार एक वांछित पोर्टफोलियों वितरण निर्धारित किया है तथा वांछित पोर्टफोलियो की तुलना में वास्तविक पोर्टफोलियो के कार्यनिष्पादन की निगरानी की जाती है और त्रैमासिक आधार पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किया जाता है। बैंक ने रिटेल बैंकिंग, एसएमई क्षेत्र अग्रिमों तथा कृषि क्षेत्र अग्रिमों के संबंध में स्कोरिंग मॉडल विकसित एवं लागू किए हैं।

आस्तियों के दबाव ग्रस्त बनने तथा अग्रिमों की प्रभावी निगरानी के लिए रु.1.00 करोड़ से अधिक के एक्सपोर हेतु बैंक के पास एक आरंभिक चेतावनी निगरानी उपकरण 'पीएनबी- सजग' (आरंभिक चेतावनी सिग्नल (ईडब्लूएस)+निवारक निगरानी प्रणाली) है। ये प्रक्रियाएँ ऋणों का शीघ्र

ix. Enrol for social security schemes i.e. micro accidental death insurance (PMSBY), micro life insurance (PMJJBY), pension scheme (APY)

x. Aadhaar seeding

xi. Self Help Group (SHG) & Joint Liability Group (JLG): For formation & promotion, including credit linkage

xii. Passbook update, Mini statement

xiii. Cheque collection

xiv. Request new cheque book, Stop payment of cheque, Cheque status enquiry

xv. Request for SMS alert / email statement (registered mobile no./e-mail).

xvi. Bharat Bill Payment System (BBPS)

xvii. Recovery/Collection up to Bank approved limits.

**e. Outlook**

Gross Domestic Product (GDP) during FY 2020-21 has contracted by 7.3 per cent. Growth of 1.6 per cent in GDP during Q4 of FY 2020-21 was seen as a return to 'the pre-pandemic times of positive growth rates' and a reflection of strengthening of V-shaped recovery. But due to the ferocious second wave of pandemic economic revival may be impacted. Going forward, the outlook of the banking sector will be shaped by these factors.

**f. Risks & Concerns**

The Bank has a comprehensive Risk Appetite Framework in place. The document sets out the Risk Appetite Statement along with providing a governance and monitoring framework for its effective implementation within the Bank. Risk Appetite has been defined in terms of different parameters along with the Risk limit and Risk threshold level for each parameter. Status of adherence of risk appetite and various other limits are being put up to Top Management at regular interval.

The Bank has a robust Credit Risk Management framework and has developed in-house credit risk rating models. Bank undertakes periodic validation exercise of its rating models, to ensure that efficacy of these is intact. Bank conducts migration and default rate analysis to test robustness of its credit risk rating models. Output of rating models is linked to decision making in the Bank (viz. sanction, pricing, loaning powers besides audit, review & monitoring of credit portfolio). The Bank has also set a desired portfolio distribution in terms of Low Risk, Average Risk, Medium Risk, Borderline Risk & High Risk categories and the performance of actual portfolio vis-à-vis desired portfolio is monitored. Bank has also developed and implemented scoring models in respect of Retail Banking, MSME sector advances and Farm sector advances.

Bank has in place an early warning monitoring tool 'PNB -SAJAG' (Early Warning Signal (EWS)+Preventive Monitoring System) for exposure above Rs.1.00 Crore to address the issue of monitoring of causes of build-up of stress in assets and for effective monitoring of advances.

और अचूक वितरण और निगरानी करने, मूल्यांकन में एकरूपता लाने और डाटा का संग्रह एवं विश्लेषण करने में सहायक हैं। बैंक ने मैसर्स ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड की सेवाओं की सदस्यता के माध्यम से खुदरा और एमएसएमई खंड (1 करोड़ रुपये तक का एक्सपोजर) के लिए ईडब्ल्यूएस भी लागू किया है, जिसमें हमारे/अन्य बैंकों के साथ खुदरा उधारकर्ताओं और एमएसएमई उधारकर्ताओं (1 करोड़ तक का एक्सपोजर) के क्रेडिट प्रोफाइल में बदलाव पर दैनिक आधार पर ट्रिगर उत्पन्न किए जा रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए फील्ड पदाधिकारियों को भेजे गए हैं।

बैंक में बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना मौजूद है जो बाजार जोखिम अर्थात ब्याज दर जोखिम, इक्विटी मूल्य जोखिम एवं विदेशी विनिमय जोखिम के समग्र प्रबंधन की प्रक्रिया की देखरेख करती है और इसके मापन एवं निगरानी की कार्यप्रणालियों को कार्यान्वित करती है। बाजार जोखिम की अच्छी और विशिष्ट निगरानी के लिए पिछले वर्ष के दौरान बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) का गठन किया गया। ट्रेजरी परिचालन में जोखिम प्रबंधन हेतु दबाव परीक्षण, ड्यूरेशन, संशोधित ड्यूरेशन, पीवी 01, वीएआर जैसे साधनों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा रहा है। पिछले वर्ष के दौरान वीएआर मॉड्यूल को फिनेकल ट्रेजरी में लागू किया गया है। इसके अलावा प्रभावी मूल्य निर्धारण के लिए देश जोखिम एक्सपोर में देश जोखिम प्रीमियम भी पेश किया गया है।

बैंक का आस्ति देयता प्रबंधन किसी भी घटना से निपटने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। किसी भी संभावित चलनिधि संकट से निपटने के लिए बैंक ने आकस्मिक निधीयन योजना बनाई है। बैंक किसी भी तरलता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निरंतर आधार पर अपनी तरल आस्तियों का प्रबंधन कर रहा है।

बैंक में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कार्य हेतु सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना एवं ढांचा मौजूद है जो परिचालन जोखिम के समग्र प्रबंधन की प्रक्रिया की देखरेख करता है। बैंक में सुपरिभाषित ओआरएम नीति के साथ सुदृढ परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएम) हैं। बैंक हिस्टोरीकल हानि डाटा के विश्लेषण, जोखिम नियंत्रण एवं स्व-निर्धारण सर्वेक्षण (आरसीएसए) महत्वपूर्ण जोखिम सूचकों (केआरआई) और परिदृश्य-विश्लेषण आदि द्वारा परिचालन जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी और नियंत्रण/शमन कर रहा है। विविध स्तरों पर डेटा संग्रह एवं प्रबंध सूचना प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखने के लिए बैंक ने एंटरप्राइज वाइड डेटा वेयरहाउस परियोजना के अंतर्गत केंद्रीय सर्वर पर ऑनलाइन परिचालन जोखिम समाधान का भी आरंभ किया है।

बैंक के पास एक व्यापक आतंरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति है जिसे वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है और आईसीएएपी दस्तावेज जिसे अर्ध वार्षिक आधार पर शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत किया जा रहा है। आईसीएएपी पिलर-I और पिलर-II दोनों जोखिमों की देखरेख करता है तथा बैंक को होने वाले विभिन्न जोखिमों के प्रभाव पर समग्र दृष्टि रखने के लिए विभिन्न जोखिमों को मापने/मूल्यांकन करने की प्रक्रिया की जाती है। जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन प्रक्रिया को आईसीएएपी दस्तावेजों में विस्तार से शामिल किया गया है। यह दस्तावेज़ एकल और समेकित दोनों आधार पर तैयार किया जा रहा है।

जिन प्रमुख क्षेत्रों में बैंक का एक्सपोजर है, वहां कोविड के दबाव के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक अलग दबाव परीक्षण अभ्यास आयोजित किया गया था।

**नियामक दिशानिर्देश:** बैंक ने बेसल III के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) की गणना के लिए ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण और परिचालन

These processes help to achieve quick & accurate delivery and monitoring of credit, bring uniformity in the appraisal and facilitate storage of data & analysis thereof. Bank has also implemented EWS for Retail & MSME segment (exposure up to Rs.1 Crore) through subscription to the services of M/s TransUnion CIBIL Ltd wherein on change in credit profile of retail borrowers & MSME borrowers (exposure up to Rs.1 Crore) with our/other banks, triggers are being generated on daily basis and sent to field functionaries for taking necessary action.

The Bank has in place a well-defined organizational structure for market risk management functions, which looks into the process of overall management of market risk viz. interest rate risk, equity price risk & foreign exchange risk, and implements methodologies for measuring and monitoring the same. Market Risk Management Committee (MRMC) has been formed during the last year for better and specific monitoring of Market Risk. Tools like stress testing, Duration, Modified Duration, PV01, VaR etc. are being used effectively in managing risk in the Treasury operations. During last year VaR module has been implemented in Finacle Treasury. Further Country Risk Premium is also introduced in country risk exposure for effective pricing.

Asset Liability Management of the Bank is done on proactive basis to manage any eventuality. Bank has carried out contingency funding plan so as to tide over liquidity crunch if at all it arises. Bank is managing its liquid assets on a continuous basis so as to be able to meet any liquidity requirement.

Bank has in place a well-defined organizational structure and framework for operational risk management functions, which looks into the process of overall management of operational risk. Bank has robust Operational Risk Management (ORM) framework with a well-defined ORM Policy. Bank is identifying, measuring, monitoring and controlling/ mitigating the operational risk by analyzing historical loss data, Risk Control & Self-Assessment Surveys (RCSAs), Key Risk Indicators (KRIs) and Scenario Analysis etc. Bank has also introduced an online OpRisk Solution under Enterprise wide Data Warehouse Project and placed it on central server to take care of various aspects of data capturing and Management Information System (MIS) at various levels.

Bank has in place a comprehensive ICAAP policy updated annually and Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) document which is being put up to Top Management on semi-annual basis. ICAAP addresses both the Pillar-I and Pillar-II risks and to have a holistic view of impact of various risks which the bank is exposed to, an exercise is carried out to quantify / assess various risks. The risk assessment & management processes are covered at length in the ICAAP document. The document is being prepared on both solo and consolidated basis.

A separate stress testing exercise was conducted to assess the impact of COVID stress on major sectors in which Bank has an exposure.

**Regulatory Guidelines:** Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk for computation of Risk Weighted Assets (RWA) under

जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है।जोखिम अभिशासन विभिन्न नीतियों के परिनियोजन के माध्यम से प्रभावित होता है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

बैंक की योजना ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम के लिए आरडब्ल्यूए/ पूंजी प्रभार की गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोण अपनाने की है, जो नियामक से अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन है। बैंक पहले से ही ऋण जोखिम हेतु फाउंडेशन आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (एफआईआरबी) तथा परिचालन जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) एवं उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) को अपनाने के समानांतर संचलन में है। हालांकि, परिचालन जोखिम के लिए टीएसए और एएमए को अब भा. रि. बैं. द्वारा बंद कर दिया गया है। बैंक त्रैमासिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को एफआईआरबी के अनुसार अपनी पूंजी और आरडब्ल्यूए की रिपोर्ट करता है। बैंक ने बाजार जोखिम हेतु आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आईएमए) तथा ऋण जोखिम हेतु उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित (एआईआरबी) दृष्टिकोण को अपनाने हेतु औपचारिक आशय -पत्र भी प्रस्तुत किया है। इस संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है।

बैंक भा. रि. बैं. के प्रारूप दिशानिर्देशों के अनुसार तिमाही आधार पर भारतीय लेखा मानक (भारतएएस) के तहत अनुमानित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना कर रहा है और इसके परिणाम निर्धारित परफोर्मा पर भा. रि. बैं. को प्रस्तुत किए जाते हैं।

बैंक द्वारा पूंजी पर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ (आरएआरओसी) फ्रेमवर्क बनाया गया है; यह बैंक को प्रत्येक ऋण प्रस्ताव के लिए पूंजी पर प्रतिलाभ की तुलना के लिए एकल स्केल प्रदान करेगा, जिससे ऋण संबंधी निर्णय लिए जा सकेंगे। यह व्यवसाय के ज्ञात जोखिमों के अनुरूप प्रतिलाभ उपलब्ध कराने में सहायक होगा, जिससे संस्था का अधिकतम मूल्यवर्धन होगा।

**अन्य प्रमुख पहलें:** बैंक ने अपने फील्ड नियंत्रक कार्यालयों के जोखिम-समायोजित कार्यों की निगरानी आरम्भ कर दी है। फील्ड प्रमुखों को परामर्श है कि उच्च आर्थिक रिटर्न सृजित करने, कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियों/कुल ऋण जोखिम अनुपात एवं आरडब्ल्यूए अनुपात में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निरंतर कमी लाने के लिए स्वयं ही लक्ष्य निर्धारित करें।

मध्यवर्ती अवधि के दौरान प्रतिकूल समाचारों/घटनाओं के प्रभाव को दर्ज करने के लिए, बैंक ने गतिशील रेटिंग मॉडल पेश किया है। इससे उधारकर्ता की फिर से रेटिंग होगी और उसके अनुसार मूल्य निर्धारण में संशोधन होगा।

बैंक ने स्ट्रेस परीक्षण के लिए प्रमुख जोखिम के रूप में परिचालन जोखिम को शामिल करने के लिए अपनी स्ट्रेस परीक्षण नीति के दायरे का विस्तार किया है। स्ट्रेस परीक्षण त्रैमासिक अंतराल पर किए जाते हैं और परिणाम संबंधित समितियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। विभिन्न समूह इकाइयों के लिए स्ट्रेस परीक्षण और पैरेंट बैंक पर उनके प्रभाव का भी विश्लेषण किया जा रहा है।

अनुषंगियों और विदेशी शाखाओं पर ध्यान केन्द्रित करने के अतिरिक्त बैंक ने एसोसिएट्स (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) तथा संयुक्त उद्यमों के समूह जोखिम मूल्यांकन और कार्यनिष्पादन विश्लेषण के विस्तार द्वारा अपने समूह जोखिम निगरानी को और सुदृढ़ किया है। समूह जोखिम नीति पिरामिड दृष्टिकोण पर आधारित है जो शीर्ष पर जोखिम वहन क्षमता के साथ आरम्भ होता है और शासन, प्रक्रियाओं और प्रबंधन रिपोर्टिंग के माध्यम से प्रगति करता है।

बैंक ने प्रतिष्ठा जोखिम की निगरानी की अपनी प्रक्रिया को प्रतिष्ठा जोखिम प्रबंधन नीति में ट्रिगर घटनाओं की दैनिक निगरानी द्वारा व्यापक बना

Basel III. Risk governance is affected through deployment of various policies which are in sync with Reserve Bank of India (RBI) guidelines.

Bank also plans to migrate to advanced approaches for computation of RWA / Capital charge for Credit, Market and Operational Risks subject to approval from the regulator. Bank is already under parallel run for Foundation Internal Rating Based (FIRB) approach for Credit Risk and The Standardized Approach (TSA) & Advanced Measurement Approach (AMA) for Operational Risk. However, TSA and AMA for Operational Risk have now been discontinued by RBI. Bank is reporting its capital and RWA as per FIRB to RBI on quarterly basis. Bank has submitted a formal Letter of Intent for adoption of Internal Models Approach (IMA) for Market risk and Advanced Internal Rating Based (AIRB) approach for Credit Risk. Necessary actions required in this regard have been initiated.

Bank is calculating Expected Credit Loss (ECL) under Indian Accounting Standard (Ind AS) as per the draft guidelines of RBI on quarterly basis and the results are submitted to RBI on prescribed Proforma.

Bank has developed Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) framework which provides Bank with a single scale for comparing the return on capital for each credit proposal to enable credit decisions. It shall help in providing returns commensurate with the risk perceived of the business thereby maximizing the value of the organization.

**Major Initiatives undertaken:** Bank has started monitoring risk-adjusted performance of controlling offices at field to generate healthy economic returns, setting self-targets for Total Credit Risk Weighted Assets/Total credit exposure ratio and achieve consistent reduction in RWA ratio on year-on-year basis.

In order to capture the impact of adverse news/events during intervening period, the bank has introduced Dynamic Rating Model. It will lead to re-rating of the borrower & revision of pricing accordingly.

Bank has expanded the scope of its stress testing policy to include operational risk as major risk for stress test. Stress tests are undertaken at quarterly intervals and results placed to respective committees. Stress test for various group entities and their impact on the parent Bank are also being analyzed.

Bank has further strengthened its Group Risk Monitoring by extending the group risk assessment and performance analysis of associates (including RRBs) and Joint ventures (JVs) in addition to focusing on subsidiaries and overseas branches. Group risk policy is based on pyramid approach starting with risk appetite at top and progressing through, Governance, Processes and Management reporting.

Bank has made its process of monitoring reputation risk comprehensive by daily monitoring of trigger events in

दिया है और अधिक मजबूत जोखिम कैप्चरिंग के लिए अपने प्रतिष्ठित जोखिम मूल्यांकन ढांचे को भी अद्यतन कर रहा है। इन ट्रिगर घटनाओं का विश्लेषण स्टेप्स डिटेलिंग कमेटी के गठन और किसी भी ट्रिगर पॉइंट तक पहुँचने की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई के साथ साथ संकट प्रबंधन की शुरुआत के लिए किया जाता है।

परिचालन जोखिम के संबंध में समेकित दृष्टिकोण रखने के लिए, बैंक ने आरसीएसए, केआरआई, डेटा हानि और आईटी जोखिम जैसे पहले से उपलब्ध उपकरणों को समेकित करके परिचालन जोखिम सूचकांक ढांचा तैयार किया है।

केवाईसी पर भा. रि. बैं. के निर्देशों के अनुपालन में बैंकों को मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) जोखिम मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, बैंक ने एमएल के जोखिम आधारित आंकलन और टीएफ जोखिम के लिए कार्यप्रणाली तैयार की है।

बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय के विभिन्न प्रभागों द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) को तैयार करने/अद्यतनीकरण जैसी सर्वोत्तम पद्धत्तियों को अपना कर तथा परिचालन जोखिम संस्कृति को बढ़ाने के लिए फील्ड नियंत्रक कार्यालयों में "कंट्रोल (CONTROL) तथा "JAGROC" जैसी समितियां स्थापित करके परिचालन जोखिम संस्कृति का प्रसार किया है।

विभिन्न जोखिम कार्यों को अधिक संरचित तरीके से करने के लिए, और जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर कर्मचारियों को सक्रिय करने के लिए, सभी अंचल केंद्रों में अंचल जोखिम प्रबंधन कक्ष (जेडआरएमसी) नामक एक जोखिम वर्टिकल की स्थापना की गई है। यह रेटिंग गुणवत्ता बनाए रखने और रेटिंग के सुचारू वितरण, गुणात्मक ऋण मूल्यांकन और निगरानी, जोखिम पक्ष की समीक्षा, परिचालन जोखिम की पहचान, विश्लेषण, मूल्यांकन, कम करने और निगरानी करने और कुशल निगरानी में सहायता करेगा।

**कोविड 19 महामारी के दौरान ग्राहकों की सहायता के उपाय:**

- **मियादी ऋण किस्तों के भुगतान और नकदी ऋण (सीसी)/ ओवरड्राफ्ट (ओडी) में ब्याज की वसूली पर अधिस्थगन।**

  बैंक ने अपने ग्राहकों को 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक सीसी/ओडी के तहत कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर लगाए गए ब्याज को वित्तपोषित ब्याज मियादी ऋण (एफआईटीएल) में बदलने की योजना पेश की है, जो 31 मार्च, 2021 तक चुकाने योग्य है। एफआईटीएल पर ब्याज उसी ब्याज दर पर देय है जो ग्राहक के सीसी/ओडी खाते पर लागू होता है। अग्रिम के श्रेणी/ प्रकार के बावजूद मियादी ऋण खातों के पूरे पोर्टफोलियो के लिए ब्याज और/या किश्तों का अधिस्थगन 6 माह के लिए अर्थात 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक प्रदान किया गया है और तदनुसार ऐसे सावधि ऋणों के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची भी प्रदान की गई है। शेष अवधि को प्रभावी रूप से 6 महीने तक पूरे बोर्ड में स्थानांतरित किया जा रहा है। तदनुसार ऐसे मीयादी ऋणों के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची के साथ-साथ शेष अवधि को प्रभावी रूप से 6 महीने तक पूरे बोर्ड में अंतरित किया जा रहा है।

- **उधारकर्ताओं को छह माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान।**

  भारत सरकार ने 23 अक्टूबर, 2020 को निर्दिष्ट ऋण खातों (1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020) में उधारकर्ताओं को छह माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान करने की योजना की घोषणा की है, जो संबंधित ऋणदाता संस्थानों द्वारा 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के बीच की अवधि के लिए

Reputational Risk Management Policy and also updating its reputational Risk Assessment framework for more robust risk capturing. These trigger events are analysed for initiation of crisis management along with steps detailing committee composition and action to be taken in case any trigger point is reached.

In order to have consolidated view of Operational Risk, Bank has developed Operational Risk Index framework by consolidating already available tools like RCSA, KRI, Loss Data & IT Risk.

In compliance with RBI directions on KYC requiring banks to carry out Money Laundering (ML) and Terrorist Financing (TF) risk assessment, Bank has developed methodology for Risk Based Assessment of ML & TF Risk.

Bank has adopted the best practices like preparation/ updation of Standard Operating Procedures (SOP) by different divisions of corporate office and dissemination of risk culture by constituting committees namely 'CONTROL' and 'JAGROC' at controlling offices in the field to inculcate operational risk culture.

In order to perform various risk functions in a more structured way, and to sensitize staff on various aspects of Risk Management, a risk vertical named Zonal Risk Management Cell (ZRMC) has been established at all Zonal Centres. The same shall help in maintaining rating quality and smooth dispensation of ratings, Qualitative Credit Assessment and monitoring, Risk Side review, Identify, analyse, evaluate, mitigate and monitor operational risk, and efficient monitoring.

**Measures to Support Customers during the COVID-19 Pandemic:**

- **Moratorium on payments for Term Loan installments and recovery of interest in Cash Credit (CC)/ Overdraft (OD).**

  Bank offered its customers a scheme to convert the interest charged on working capital facilities under CC/OD from 1st March, 2020 till 31st August, 2020 into Funded Interest Term Loan (FITL), repayable upto 31st March, 2021. Interest on FITL is payable at same rate of interest that is applicable on CC/OD account of the customer. Moratorium of interest and/or installments to whole portfolio of term loan accounts irrespective of category/type of advance have been provided for 6 months i.e. from 1st March, 2020 till 31st August, 2020 and accordingly the repayment schedule for such term loans as also the residual tenor is effectively being shifted across the board by 6 months.

- **Grant of ex-gratia payment of difference between compound interest and simple interest for six months to borrowers.**

  The Government of India announced the Scheme for grant of ex-gratia payment of difference between compound interest and simple interest for six months to borrowers in specified loan accounts (1st March, 2020 till 31st August, 2020) on 23rd October, 2020, which mandates ex-gratia payment to certain categories of borrowers by way of crediting the difference between simple interest and

साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर को क्रेडिट करके कुछ श्रेणियों के उधारकर्ताओं को अनुग्रह राशि का भुगतान करने को अनिवार्य बनाता है। तदनुसार, 29 फरवरी, 2020 तक रु.2 करोड़ तक की सुविधा वाले उधारकर्ताओं (एमएसएमई ऋण, खुदरा ऋण) को अनुग्रह भुगतान का लाभ दिया गया है।

इसके अलावा, कोविड महामारी के मद्देनजर ब्याज छूट और अन्य राहत के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 23 मार्च, 2021 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए और "कोविड 19 नियामक पैकेज की समाप्ति के पश्चात परिसंपत्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण" पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 7 अप्रैल, 2021 के अनुदेशानुसार, बैंक ने सभी उधारकर्ताओं को अधिस्थगन अवधि के दौरान लगाए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर को लौटा दिया गया चाहे उनके ऋण का प्रकार और राशि जो भी हो वह / उधारकर्ता जिसको 29 फरवरी, 2020 के अनुसार 2 करोड़ [ऋणदात्री संस्थाओं में सभी सुविधाओं का योग] तक की स्वीकृत सीमा और बकाया राशि के ऋण खाते वाले निर्दिष्ट उधारकर्ता को छह माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के पूर्व-अनुग्रह भुगतान का पूर्व लाभ प्रदान किया गया है।

- **कोविड-19 आपातकालीन ऋण सुविधा (सीईसीएफ)**

बैंक के मौजूदा ग्राहकों के लिए अस्थायी तरलता असंतुलन को पूरा करने के लिए आपाती ऋण व्यवस्था सुविधा (डीएल/ओडी) के माध्यम से पीएनबी कोविड-19 आपातकालीन ऋण सुविधा (पीएनबी - सीईसीएफ) शुरू की गई थी। तथा यह योजना 30/09/20 तक वैध है।

- **कोविड-19 संबंधित तनाव के लिए समाधान फ्रेमवर्क**

अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार को सुविधाजनक बनाने और अंतिम उधारकर्ताओं पर कोविड 19 महामारी के प्रभाव को कम करने के इरादे से, भा. रि. बैं. ने प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत एक विंडो प्रदान करने पर दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि उधारदाताओं को लागू निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, ऐसे एक्सपोजर को मानक के रूप में वर्गीकृत करते समय, स्वामित्व में परिवर्तन के बिना पात्र कॉर्पोरेट एक्सपोजर और व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में समाधान योजना का कार्यान्वयन करने हेतु सक्षम किया जा सके। तदनुसार, कोविड-19 तनाव के कारण अस्थायी समस्याओं का सामना कर रही संभावित व्यवहार्य संस्थाओं के ऋणों (व्यक्तिगत ऋणों सहित) के पुनर्गठन के लिए एक पारदर्शी तंत्र स्थापित करने हेतु बैंक ने कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे संबंधी नीति को मंज़ूरी दी है। विशेष रूप से, नीतिगत ढांचे का उद्देश्य व्यवहार्य इकाइयों को संरक्षित करना है जो कोविड-19 तनाव से प्रभावित हुई हैं और एक व्यवस्थित एवं समन्वित पुनर्गठन कार्यक्रम के माध्यम से समय पर सहायता प्रदान करके लेनदारों और अन्य हितधारकों को होने वाले नुकसान को कम करना हैं।

- **कोविड-19 से संबंधित तनाव 2.0 के लिए समाधान ढांचा (वित्तीय वर्ष 2021-22 में लागू)**

भारत में कोविड-19 महामारी के पुनरुत्थान और महामारी के प्रसार को रोकने के लिए परिणामी रोकथाम उपायों ने वसूली प्रक्रिया को प्रभावित किया और नई अनिश्चितताएं उत्पन्न कीं। व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए संभावित तनाव को कम करने के उद्देश्य से, आरबीआई ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05.05.2021 के माध्यम से "समाधान फ्रेमवर्क - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव के समाधान" की घोषणा की है। तदनुसार, बैंक के बोर्ड ने "समाधान फ्रेमवर्क-2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव के समाधान" के लिए नीति को मंज़ूरी दी है।

compound interest for the period between 1st March, 2020 to 31st August, 2020 by respective lending institutions. Accordingly, Borrowers (MSME Loans, Retail Loans) having facility upto Rs. 2 Crore as on 29th February, 2020 has been given the benefit of ex-gratia payment.

Further, In view of the SC judgement dated 23rd March, 2021 in respect of Interest Waiver and other reliefs in the wake of COVID pandemic and in accordance with the instructions of RBI circular dated 7th April, 2021 on "Asset Classification and Income Recognition following the expiry of Covid 19 regulatory package", Bank has refunded the difference between compound interest and simple interest charged during moratorium period to all borrowers irrespective of type and amount of loan/borrower as against the earlier benefit of ex-gratia payment of difference between compound interest and simple interest for six months provided to specified borrower who have loan accounts having sanctioned limits and outstanding amount of not exceeding Rs. 2 crore [aggregate of all facilities with lending institutions] as on 29th February, 2020.

- **COVID-19 Emergency Credit Facility (CECF)**

PNB COVID-19 Emergency Credit Facility (PNB-CECF) by way of Stand by Line of Credit Facility (DL/OD) was introduced to meet the temporary liquidity mismatch for existing customers of Bank. Scheme was valid till 30.09.2020.

- **Resolution Framework for COVID-19 Related Stress**

With the intent to facilitate revival of economy and mitigate the impact of COVID 19 pandemic on the ultimate borrowers, RBI has issued guidelines for providing a window under the Prudential Framework to enable the lenders to implement a resolution plan in respect of eligible corporate exposures without change in ownership, and personal loans, while classifying such exposures as Standard, subject to specified conditions. Accordingly, Bank approved policy for Resolution Framework for COVID-19 related Stress to put in place a transparent mechanism for restructuring of debts (including personal loans) of potentially viable entities facing temporary problems due to COVID-19 Stress. In particular, the policy framework aimed at preserving viable units that are affected by COVID-19 stress and minimize the losses to the creditors and other stake holders by way of providing timely support through an orderly and coordinated restructuring program.

- **Resolution Framework For Covid-19-Related Stress 2.0 (Implemented In FY 2021-22)**

The resurgence of COVID-19 pandemic in India and the consequent containment measures to check the spread of the pandemic had impacted the recovery process and created new uncertainties. With the objective of alleviating the potential stress to individual borrowers and small businesses, RBI has announced vide their notification dated 05.05.2021 "Resolution Framework – 2.0: Resolution of COVID-19 related stress of Individuals and Small Businesses." Accordingly, Bank has approved policy for "Resolution Framework – 2.0: Resolution of COVID-19 related stress of Individuals and Small Businesses".

## जी. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

### i. ऋण लेखापरीक्षा एवं समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, सभी घरेलू एवं विदेशी दोनों तरह के पात्र ऋण खातों हेतु ऋण लेखापरीक्षा आरंभ की गई थी। एलआरएम नीति के संदर्भ में, वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक के निवल मानक ऋण का 55.79% लेखापरीक्षा का संभावित कवरेज है, जोकि एक वर्ष में आरबीआई और बैंक की नीति की आवश्यकता का कम से कम क्रमश: 30% से 40% है। बैंक ने क्रेडिट ऑडिट ऑनलाइन कार्यक्रम (क्रेडिट ऑडिट मॉड्यूल) की प्रक्रिया भी आरंभ की है जोकि ऋण लेखापरीक्षा का एक पेपरलेस, प्रभावी, सटीक और समय बचाने वाला साधन है।

### ii. आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, वर्ष के दौरान जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ऑनसाइट आरबीआईए के लिए 9658 शाखाओं/इकाइयों में आयोजित की गई थी। सूचना सुरक्षा (आईएस) लेखा परीक्षा 236 कार्यालय/इकाइयों में आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1947 शाखाओं/सेवा इकाईयों में समवर्ती/सतत लेखापरीक्षा की गई, जो आंतरिक/बाह्य लेखापरीक्षकों (सीए फर्म तथा सूचीबद्ध सेवानिवृत्त अधिकारी) द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन थी जोकि दिनांक 31.03.2020 तक बैंक के कुल कारोबार का 61.95 प्रतिशत कवर करती है। सभी शाखाएँ राजस्व लेखा परीक्षा के अधीन थीं।

**वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान की गई नवीनतम गतिविधियां और विकास/नई पहल:**

- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता और नवीनता लाने के लिए समामेलित पीएनबी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और ऑफसाइट निगरानी प्रणाली (ओएसएस) को ऑनलाइन एप्लिकेशन अर्थात eTHIC के माध्यम से स्वचालित किया गया है।
- इसके अलावा बैंक ने बैंक स्तर पर ऐसे जोखिम को कम करने के लिए सीबीएस का उपयोग करके और प्रधान कार्यालय में डेटा डंप विश्लेषण के द्वारा निरंतर आधार पर लेनदेन की समीक्षा करने के लिए ऑफसाइट निगरानी इकाई रूपी एक समर्पित इकाई का गठन किया है। यह बैंक की लेखापरीक्षा और निरीक्षण प्रणाली में एक व्यवस्थित सुधार लाएगा।

### iii. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल)

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पारदर्शी नीति अपनाई है ताकि सभी शाखाओ/कार्यालयों द्वारा नए ग्राहकों तथा मौजूदा ग्राहकों के साथ लेनदेन करते समय इनका कढाई से अनुपालन किया जा सके। केवाईसी से संबन्धित विभिन्न मानदंडो पर आरबीआई के दिशानिर्देशों जैसे केवाईसी अद्यतनीकरण, लाभार्थी स्वामियों की पहचान, यूसीआईसी आदि। मौजूदा केवाईसी दिशानिर्देशों के सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए, बचत और चालू खातों को केंद्रीकृत रूप से खोलने के लिए कासा बैक ऑफिस स्थापित किए गए हैं। साथ ही, ग्राहक दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) की खरीद की गई है।

धन शोधन के परिप्रेक्ष में ग्राहक के लेनदेन की निगरानी के लिए, बैंक ने फरीदाबाद में एक केंद्रीकृत एएमएल प्रकोष्ठ की स्थापना की है जो पूरे बैंक के लिए एएमएल अलर्ट की निगरानी

## g. Internal Control System

### i. Credit Audit and Review

During FY 2020-21, Credit Audit has been undertaken for all eligible loan accounts both domestic and overseas. In terms of LRM Policy, during FY 2020-21, the coverage of audit is 55.79 per cent of Bank's net standard credit as against RBI and Bank's policy requirement of atleast 30 per cent to 40 per cent respectively in a year. The Bank has also started the process of Credit Audit Online Program (Credit Audit Module) which is a paperless, effective, accurate and time saving tool of Credit Audit.

### ii. Internal Audit

During FY 2020-21, Risk Based Internal Audit (RBIA) was commenced/conducted in 9658 branches/ units programmed for onsite RBIA. Information Security (IS) Audit was conducted in 236 office/ units. Concurrent/ Continuous audit was conducted in 1947 branches/ service units in FY 2020-21, by Internal/External Auditors (CA Firms & Empanelled Retired Officers), covering 61.95 per cent of the total business of the Bank as at 31.03.2020 All branches were subject to revenue audit.

**Latest activities and development/ new initiatives taken during FY 2020-21:**

- Internal audit functions of amalgamated PNB and Offsite Surveillance System (OSS), have been automated through an online application i.e. eTHIC to bring out fairness, objectivity, transparency and innovation in the Internal Audit System.
- Further the Bank has formed a dedicated unit of Offsite Surveillance Unit for undertaking transactions review on continuous basis by using CBS Data and undertaking data dump analysis at Head Office to mitigate such risk at Bank level. This shall bring a systemic improvement in Audit & Inspection system of the Bank.

### iii. Know Your Customer(KYC)/Anti Money Laundering (AML)

The Bank has put in place a Board approved and transparent 'Know Your Customer' (KYC) Policy, for ensuring meticulous compliance by all Branches/Offices, while dealing with new as well as existing customers on different parameters such as KYC Updation, Identification of Beneficial Owners, UCIC etc. For strict compliance of extant KYC guidelines, CASA Back offices have been established for centralized opening of Savings & Current accounts. Further, Document Management System (DMS) has been procured for digitalization of customer documents.

For monitoring of customer transactions from money laundering perspective, Bank has established a Centralized AML Cell at Faridabad which monitors AML

करता है। ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऑनसाइट संवेदीकरण कार्यशालाओं के माध्यम से फील्ड स्तर के कर्मचारियों को केवाईसी/एएमएल मामलों पर नियमित रूप से अद्यतन/जागरूक किया जाता है।

**iv. प्रबंध लेखापरीक्षा**

बैंक के पास अपने प्रशासनिक कार्यालयों का लेखा परीक्षण करने के लिए एक जोखिम आधारित प्रबंधन लेखा परीक्षा (आरबीएमए) प्रणाली है।

लेखा परीक्षा बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित जोखिम टेम्पलेट्स तथा जोखिम प्रोफाइल पर आधारित है जो प्रशासनिक कार्यालयों के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया, संचार प्रणाली, कुशल संसाधन उपयोग, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन आदि जैसी विभिन्न क्षेत्रों के कार्यावयन में मौजूद जोखिम धारणाओं को कैप्चर करने के लिए बैंक द्वारा तैयार किया गया है। कम जोखिम वाले तथा सभी प्रधान कार्यालय के प्रभागों को छोड़कर, जिनका दो वर्ष में एक बार ऑडिट किया जाता है, आरबीएमए के अंतर्गत आने वाले सभी प्रशासनिक कार्यालयों की वर्ष में एक बार लेखा परीक्षा की जाती है। उच्च जोखिम रेटिंग वाले प्र.का. प्रभागों की वार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा की जाती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, अनुमोदित वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के आधार पर बैंक द्वारा 115 कार्यालयों जिसमें 84 मंडल कार्यालयों, 13 अंचल कार्यालयों, 4 अंचल लेखापरीक्षा कार्यालयों, 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 1 केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, प्र. का. का 1 प्रभाग 1 घरेलू अनुषंगी और 2 विदेशी अनुषंगी कार्यालयों की भी प्रबंधन लेखापरीक्षा की गई।

**v. सतर्कता**

बैंक का मानना है कि एक संगठन उतना ही मजबूत और ईमानदार होता है, जितना उसके कर्मचारी। कर्मचारी संगठन का चेहरा होते हैं और बैंक अपने सभी हितधारकों को आश्वस्त करता है कि बैंक की पूरी टीम सभी प्रकार के आधिकारिक कारोबार और आचरण में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों अर्थात ईओबीसी और ईयूएनआई, के समामेलन की चुनौतियों के बावजूद, साथ ही वर्ष के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण निरंतर व्यवधान के कारण, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सतर्कता मामलों का निपटान 65 प्रतिशत रहा, जो कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सबसे बड़ा निपटान दर्शाता है। विवेकपूर्ण जांच और सतर्कता प्रशासन में दक्षता के लिए शुरू की गई पहलों के समर्थन में, पिछले कुछ वर्षों से सतर्कता ओवरटोन वाले मामलों की संख्या लगातार घट रही है और वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह घटकर 17.17 प्रतिशत हो गई है।

साथ ही, बैंक ने गुणात्मक और कुशल सतर्कता प्रशासन के लिए कई तकनीकी आधारित समाधान प्रारम्भ किए गए हैं। "स्टाफ जवाबदेही मामलों की ट्रैकिंग और निगरानी" (टीएमएसएसी) पोर्टल विकसित किया गया और जिसका उद्घाटन माननीय सतर्कता आयुक्त द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के दौरान किया गया। इस पोर्टल को अभिलेखों की पहचान के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के साथ एकीकृत किया गया है और इसे सीबीएस के साथ एकीकृत किया जा रहा है। यह पोर्टल ट्रिगर बिंदु से तार्किक निष्कर्ष तक स्टाफ जवाबदेही मामलों की ट्रैकिंग, निगरानी, एमआईएस रिपोर्टिंग और पर्यवेक्षण प्रदान करता है।

alerts for the whole Bank. The field level staff is regularly updated / sensitized on KYC / AML matters through online/ offline training programs and onsite sensitization workshops.

**iv. Management Audit**

Our Bank has prescribed Risk Based Management Audit (RBMA) system for conducting audit of its administrative offices.

The audit is based on Risk Templates and risk profiles duly approved by Board to capture risk perceptions inherent in various areas of functioning of administrative offices including decision making process, communication system, efficient resource utilization, ways and means used to achieve the goals etc. All administrative offices under the scope of RBMA are audited on annual basis except low risk rated offices and all HO Divisions, which are subject to audit once in two years, HO Divisions of High Risk rating are audited on yearly basis.

During the year 2020-21, based on approved Annual Audit Plan, Bank conducted management audit of 115 offices comprising 84 Circle Offices, 13 Zonal Offices, 4 Zonal Audit Offices, 9 Regional Rural Banks, 1 Central Staff College, 1 HO Division, 1 Domestic Subsidiaries and 2 Overseas Subsidiaries.

**v. Vigilance**

Bank believes that an organisation is only as strong and honest as its people. The employees are the face of the organisation and the Bank assures all its stakeholders that the entire team is committed to work with integrity and probity in all types of official dealings and demeanors.

Despite the challenges of amalgamation of two PSBs, viz. eOBC and eUNI, as also continued disruptions on account of COVID-19 pandemic during the year, the disposal of Vigilance Cases was 65 per cent during the FY 2020-21, showing the largest disposal during the last three years. Backed by prudent examination and initiatives rolled out for efficiency in vigilance administration, the number of cases with vigilance overtone are continuously decreasing from the past few years and has come down to 17.17 per cent in FY 2020-21.

Also, the Bank has initiated and rolled out many tech based solutions, for qualitative and efficient Vigilance Administration. A "Tracking and Monitoring of Staff Accountability Cases" (TMSAC) portal has been developed and inaugurated by Hon'ble Vigilance Commissioner during the Vigilance Awareness week 2020. This portal has been integrated with Human Resource Management System (HRMS) for identification of records and is being integrated with CBS. This portal offers tracking, monitoring, MIS reporting and supervising of staff accountability cases from trigger point to logical conclusion.

बैंक का मानना है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है और इस दिशा में बैंक ने निवारक सतर्कता उपायों को बढ़ाया है, चाहे वह प्रशिक्षण, कौशल निर्माण हो या सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पालन हो। प्रशिक्षण पद्धति में आमूल चूल बदलाव किया गया है। प्रशिक्षण कक्ष में बैठ कर प्रशिक्षण लेने के स्थान पर ऑनलाइन प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग और मध्य-व्यवसायी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवारक सतर्कता सत्र भी शुरू किए गए हैं। समामेलित इकाई में सतर्कता कार्यों पर बेहतर समझ और स्पष्टता के लिए, पीएनबी सतर्कता नियमावली को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) नियमावली 2017 और पिछले दो वर्षों में जारी सीवीसी के परामर्श, डीएफएस-एमओएफ के निर्देशों, के आलोक में अद्यतन किया गया है।

बैंक का सतर्कता विभाग एक ई-पत्रिका, "पीएनबी विजिल" प्रकाशित करता है। सतर्कता विभाग ने संचालन में दक्षता हेतु महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में गहन जागरूकता के लिए स्टाफ के लिए निवारक सतर्कता पर ऑनलाइन क्विज़ का आयोजन भी शुरू कर दिया है, जिससे ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि और संगठन में बेहतर अनुपालन संस्कृति विकसित हो रही है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2020 को 27 अक्टूबर, 2020 से 2 नवंबर, 2020 तक ''सतर्कभारत-समृद्धभारत' (Vigilant India; Prosperous India) की थीम पर मनाया गया, ताकि सभी स्थानों पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी मौजूदा कोविड-19 की रोकथाम संबंधी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके और बैंक की ब्रांड रूपी छवि को सुदृण करना सुनिश्चित किया जा सके। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान, बैंक द्वारा कुल 4,69,623 सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई और विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसमें 6,141 ग्राम सभाएं, 1,296 जागरूकता वाक और 5,372 ऑनलाइन क्विज़ तथा स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न ऑनलाइन जागरूकता गतिविधियां शामिल हैं। साथ ही, 5 एम्बुलेंस भी दान की गई और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विभिन्न स्थानों पर 216 सैनिटाइजेशन मशीनें लगाई गई।

**vi. सूचना का अधिकार अधिनियम**

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच बैंक को 8074 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 5693 आवेदनों में मांगी गई जानकारी प्रदान कर दी गई जबकि 1967 आवेदनों के संबंध में यह पाया गया कि उनके उत्तर प्रदान करने से छूट प्राप्त है। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च 2021 तक 414 आवेदन निस्तारण हेतु शेष थे जिन्हें बाद में निर्धारित अवधि में निस्तारित कर दिया गया।

**एच. परिचालनगत निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा**

मार्च, 2021 के अंत तक, सकल वैश्विक अग्रिम 7,39,407 करोड़ रुपये और सकल वैश्विक जमा 11,06,332 करोड़ रुपये के साथ बैंक का सकल वैश्विक कारोबार 18,45,739 करोड़ रुपये रहा। चालू और बचत जमा (कासा) 45.5 प्रतिशत के घरेलू कासा शेयर के साथ 4,92,782 करोड़ रुपये रहा। इसके साथ, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2022 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ के साथ बैंक का परिचालन लाभ 22,980 करोड़ रुपये रहा।

**आई. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में आए महत्वपूर्ण बदलाव जिसमें नियोजित किए गए कर्मचारियों की जानकारी शामिल है**

**i. मानव संसाधन प्रबंधन:**

**कर्मचारियों की कुल संख्या :** निम्नलिखित तालिका में दी गई कर्मचारियों की संख्या/कर्मचारी मार्च 2020 के केवल पीएनबी और मार्च 2021 में समामेलित पीएनबी की है जिसमें सहायक अनुषंगियों में प्रतिनियुक्त कर्मचारी भी शामिल हैं।

The Bank believes that Prevention is better than Cure and in this direction, the Bank has augmented the preventive vigilance measures, be it training, skill building or observance of Vigilance Awareness Week. There has been a paradigm shift in the training methodology. The emphasis has shifted from classroom training to the online training. Preventive Vigilance sessions have also been introduced in the Induction for Management Trainees and mid-career training Programmes. In order to have better understanding and clarity on vigilance functions in amalgamated entity, the PNB vigilance manual has been updated in the light of Central Vigilance Commission (CVC) manual 2017 and directives, advices of CVC, DFS – MOF issued in the last two years .

The Vigilance Department of the Bank has been publishing an e-magazine, "PNB Vigil", and is conducting online monthly quiz on preventive vigilance for staff for deeper awareness of issues of importance leading to efficiency in operations and thereby adding value to the customer satisfaction and better compliance culture in the organisation.

The Vigilance Awareness Week (VAW) 2020 was observed from 27th October, 2020 to 2nd November, 2020 with theme Vigilant India, Prosperous India, to promote awareness and enhance brand image of the Bank while ensuring adherence of extant COVID-19 prevention guidelines issued from time to time by the competent authorities at all locations. During the VAW, total of 4,69,623 Integrity Pledges were administered by Bank and various awareness activities conducted which includes 6,141 Gram Sabhas, 1,296 Awareness Walks and 5,372 Online Quizzes and various online awareness activities at Schools and Colleges. Further, 5 Ambulances were also donated and 216 sanitization machines were installed at various places as part of Corporate Social Responsibility.

**vi. Right to Information Act**

During the period 1st April, 2020 to 31st March, 2021, the Bank received 8,074 applications and provided requisite information to 5,693 applicants while 1967 applications were found exempted. Under the provision of the Act, 414 applications were outstanding as on 31st March, 2021 for disposal, which were subsequently disposed off within the prescribed timeframe.

**h. Discussion on Financial performance with respect to operational performance**

As at the end of March, 2021, Bank's Gross Global Business stood at Rs. 18,45,739 Crore with Gross Global Advances at Rs. 7,39,407 Crore and Gross Global Deposit at Rs. 11,06,332 Crore. Current and Saving Deposits (CASA) was at Rs. 4,92,782 Crore with domestic CASA share at 45.5 per cent. In addition, Bank's Operating Profit was at Rs. 22,980 Crore with the Net Profit of Rs. 2022 Crore for the FY 2020-21.

**i. Material Developments in Human Resources/Industrial Relations front including number of people employed**

**i. Human Resources Management:**

**Total number of employees:** Staff strength/Employees given in the following table are for standalone PNB for March 2020 and amalgamated PNB for March 2021 including those on deputation in the subsidiaries.

### संवर्ग वार कर्मचारी संख्या

| संवर्ग | मार्च, 2020 | | मार्च, 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | कुल स्टाफ का % | संख्या | कुल स्टाफ का % |
| अधिकारी | 31643 | 46.00% | 52913 | 51.98% |
| लिपिक | 20796 | 30.24% | 29313 | 28.79% |
| अधीनस्थ कर्मचारी (पीटीएस सहित) | 16342 | 23.76% | 19576 | 19.23% |
| **कुल** | **68781** | **100.0%** | **101802** | **100.0%** |

### आरक्षण नीति

बैंक भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में समय-समय पर निर्धारित आरक्षण नीति का अनुसरण करता है।

### एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों की संख्या

| संवर्ग | मार्च, 2020 | | | मार्च, 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एससी | एसटी | ओबीसी | एससी | एसटी | ओबीसी |
| अधिकारी | 6868 | 2510 | 6414 | 10697 | 4047 | 11920 |
| लिपिक | 4155 | 998 | 5050 | 5998 | 1622 | 7230 |
| अधीनस्थ कर्मचारी (पीटीएस सहित) | 6712 | 981 | 3855 | 8100 | 1199 | 4220 |
| **कुल** | **17735** | **4489** | **15319** | **24795** | **6868** | **23370** |

### कर्मचारियों का आयु विवरण

कर्मचारियों की औसत आयु में पिछले वर्षों में कमी आई है। पिछले 5 वर्षों में संवर्ग-वार औसत आयु का विवरण निम्नानुसार है :-

**(औसत आयु वर्षों में)**

| को औसत आयु | अधिकारी | लिपिक | अधीनस्थ कर्मचारी | सर्व-सम्मिलित |
|---|---|---|---|---|
| मार्च, 2017 | 44.25 | 38.68 | 36.56 | 40.39 |
| मार्च, 2018 | 43.05 | 38.03 | 36.60 | 39.71 |
| मार्च, 2019 | 42.70 | 38.27 | 36.90 | 39.67 |
| मार्च, 2020 | 40.58 | 39.05 | 37.13 | 39.30 |
| मार्च, 2021 | 39.34 | 38.90 | 39.69 | 39.28 |

### औद्योगिक संबंध

बैंक में कर्मचारी यूनियन/अधिकारी संगठनों के साथ औद्योगिक संबंध पहले की भांति सौहार्दपूर्ण रहे। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष के दौरान बहुमत वाले अधिकारी/कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न भौतिक बैठकें यथा आइआरएम/एमआरएम आयोजित नहीं की गई हांलाकि यूनियन/संघ द्वारा उठाए गए मुद्दे का शीघ्रता से समाधान किया गया।

**ii प्रशिक्षण गतिविधियां**

ईज कार्यसूची के अनुरूप बैंक के पास सुदृढ ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें निम्न शामिल हैं :-

1. **ई-सर्कुलर:** बैंक की वेबसाइट नॉलेज सेंटर पर बैंक के विभिन्न प्रभागों द्वारा उपलब्ध करवाए गए परिपत्रों को समय पर ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करता है। इस वेबसाइट का कहीं भी किसी भी समय इंटरनेट/इंट्रानेट के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है।

### Cadre wise Staff Strength

| Cadre | March, 2020 | | March, 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| | Number | % of Total Staff | Number | % of Total Staff |
| Officer | 31643 | 46.00% | 52913 | 51.98% |
| Clerks | 20796 | 30.24% | 29313 | 28.79% |
| Sub Staff (incl. PTS) | 16342 | 23.76% | 19576 | 19.23% |
| **Total** | **68781** | **100.0%** | **101802** | **100.0%** |

### Reservation Policy

The Bank follows the reservation policy for SCs, STs and OBCs as prescribed by Government of India from time to time.

### Strength of SC/ST/OBC Employees

| Cadre | March, 2020 | | | March, 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SC | ST | OBC | SC | ST | OBC |
| Officer | 6868 | 2510 | 6414 | 10697 | 4047 | 11920 |
| Clerks | 4155 | 998 | 5050 | 5998 | 1622 | 7230 |
| Sub Staff (incl. PTS) | 6712 | 981 | 3855 | 8100 | 1199 | 4220 |
| **Total** | **17735** | **4489** | **15319** | **24795** | **6868** | **23370** |

### Age Profile of the Employees

The average age of overall employees has come down over the years. The movement of cadre-wise average age in the last five years is as under:

**(Average age in years)**

| Average Age as on | Officer | Clerical | Sub Staff | Over All |
|---|---|---|---|---|
| March, 2017 | 44.25 | 38.68 | 36.56 | 40.39 |
| March, 2018 | 43.05 | 38.03 | 36.60 | 39.71 |
| March, 2019 | 42.70 | 38.27 | 36.90 | 39.67 |
| March, 2020 | 40.58 | 39.05 | 37.13 | 39.30 |
| March, 2021 | 39.34 | 38.90 | 39.69 | 39.28 |

### Industrial relations

Industrial Relations in the bank continued to be cordial with workmen union/Officer's association. Due to COVID-19 Pandemic various physical meetings including IRM/MRM were not held with representatives of majority Officers' Association/Workmen during the year. However Issues raised by union/association have been resolved promptly.

**ii. Training Activities**

In alignment with EASE agenda the Bank has a rigorous Electronic platform for e-learning comprising of:

1. **E-Circulars:** 'Knowledge Centre' website of the bank ensures timely upload of latest circulars, approved and forwarded by various divisions of the Bank. The website can be accessed anytime- anywhere through internet/intranet.

2. **पीएनबी नॉलेज पार्क:** पीएनबी नॉलेज पार्क में विविध विषयों पर विस्तृत पाठ्य-सामग्री उपलब्ध है जिन्हें साप्ताहिक आधार पर अद्यतित किया जाता है। इस साइट द्वारा बैंकिंग के विविध पक्षों पर सामाग्री को तुरंत संदर्भित किया जा सकता है।

3. **नॉलेज रेपोजिटरी (ज्ञान कोष):** यह एक वेब व मोबाइल ऐप्प है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की अनेक महत्त्वपूर्ण जानकारी का भंडार है जिसे नॉलेज सेंटर वेबसाइट के नॉलेज रेपोजिटरी(ज्ञान कोष) के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। विभाग नियमित रूप से जानकारी अद्यतन करता रहता है और समय-समय पर उपयोगी जानकारी जोड़ता है। इस ज्ञान भंडार में कर्मचारियों के तत्काल संदर्भ के लिए बैंकिंग समाचार, रुझानों और विश्लेषण के बारे में रोचक वेबसाइटों की भी सूची दी गई है।

4. **पीएनबी सारांश:** पीएनबी सारांश में ग्राहक केन्द्रित जानकारी उपलब्ध है, जिसे फ्रंटलाईन कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के तत्काल संदर्भ हेतु बनाया गया है, एवं इसमें सभी प्रमुख उत्पादों और सेवाओं की सारांश जानकारी उपलब्ध है। इन्हें साप्ताहिक आधार पर अपडेट भी किया जाता है।

5. **पीएनबी यूनिव:-** बैंक का वेब और मोबाइल ऐप्प, एकमात्र ई-लर्निंग मंच है जो पूरे देश और विदेश में सभी कर्मचारियों के लिए 24x7 सुलभ है। इस परस्पर संवादात्मक शिक्षण मोड में विभिन्न फोकस क्षेत्रों के बैंकिंग विषय समाहित हैं जैसे:- ऋण, विदेशी विनिमय, खुदरा ऋण, सीबीएस /आईटी, केवाईसी, एएमएल, भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) विपणन, जोखिम प्रबंधन, बैंक मित्रों हेतु प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि। प्रत्येक कर्मचारी को लॉगिन का एक्सेस दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में हिट की कुल संख्या 83,962 (प्रति दिन औसत हिट - 4,462) विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के साथ 16,28,649 है। बैंक के 72,241 कर्मचारियों ने पीएनबी यूनीव में कम से कम एक कोर्स पूर्ण किया है।

6. **प्रश्न पूछें:-** फील्ड स्टाफ की सहायता के लिए, ज्ञान केंद्र में "प्रश्न पूछें" की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें कर्मचारी संकाय सदस्यों से अपनी शंकाओं का समाधान ऑनलाइन पूछ सकते हैं, जिसके समाधान की समयावधि 24 घंटे से कम है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उठाए गए सभी 64,238 प्रश्नों का उत्तर दिया गया।

7. **फिनेकल 10.0 पर प्रशिक्षण:** पूर्व ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स और पूर्व यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कुल 29,337 कर्मचारियों को ई-लर्निंग के माध्यम से फिनेकल 10.0 पर प्रशिक्षण दिया गया है।

   बैंक ने कुल 178 इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए हैं, जिसमें 68018 कर्मचारियों को बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया है और 2,836 कर्मचारियों के लिए बाहरी संस्थानों के माध्यम से 184 प्रशिक्षण दिया गया है।

   बैंक विभिन्न ग्रेडों के अधिकारियों को विशेषीकृत क्षेत्रों में भारत में स्थित बाह्य प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) हैदराबाद, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) पुणे, कृषि बैंकिंग कॉलेज (सीएबी) (आरबीआई) पुणे, उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षा केंद्र (सीएएफआरएएल), भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) मुंबई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीएआई), बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (बीआईआरडी) लखनऊ, भारतीय प्रशासनिक कार्मचारी महाविद्यालय (एएससीआई), सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सीडीएसी), क्रिसिल, आदि के माध्यम से प्रशिक्षण दिए गए।

2. **PNB Knowledge Park:** PNB Knowledge Park contains exhaustive study material in shape of lessons updated on weekly basis. The site is for quick reference to key areas of banking.

3. **Knowledge Repository:** A web and mobile app has a lot of significant information on varied fields and can be accessed through the Knowledge Repository Section on the Knowledge Centre Website. There is regular update and addition of useful information from time to time. List of interesting websites about Banking News, trends and analysis are also given for ready reference to the employees in this Knowledge Repository.

4. **PNB SARANSH:** PNB SARANSH, containing customer centric information, has been developed for the benefit of the frontline staff and other officials for quick reference, where gist of all major banking products & services are available. These are also updated on weekly basis.

5. **PNB UNIV:** PNB UNIV, Bank's web and mobile app, an exclusive e-learning platform is accessible 24 X 7 to all employees across the country & abroad. This interactive mode of learning covers Banking topics on various focus areas viz. Credit, Foreign Exchange, Retail Banking, CBS/IT, KYC, AML, Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI), Marketing, Risk Management, Train the Trainers programs for BCs etc. Each employee has been provided access for login. The total number of hits in the FY 2020-21 is 16,28,649 with distinctive users of 83,962 (Average hits per day – 4,462). 72,241 employees of the Bank have completed at least one course in PNB UNIV.

6. **Ask a Question:** To provide support to the field, 'Ask a Question' functionality is provided in Knowledge Centre, wherein employees can place their doubts online for getting clarification from faculty members with turnaround time of below 24 hours. Total 64,238 queries have been raised in FY 2020-21 and all the queries stand replied.

7. **Training on Finacle 10.0:** Training on Finacle 10.0 is imparted through e-Learning to all the employees of the erstwhile Oriental Bank of Commerce & erstwhile United Bank of India - Total 29,337 employees.

   Bank has provided a total of 178 In-house Training Programs where in 68018 employees have been imparted training on various aspects of Banking and 184 training through Outside Institutes for 2,836 employees.

   Bank has also imparted training to Officers in different Grades in specialized areas through outside training institutions of repute in India viz. Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT) Hyderabad, National Institute of Bank Management (NIBM) Pune, College of Agricultural Banking (CAB) (RBI) Pune, Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL), Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) Mumbai, Foreign Exchange Dealer's Association of India (FEDAI), Bankers Institute of Rural Development (BIRD) Lucknow, Administrative Staff College of India (ASCI), Centre for Development of Advanced Computing (CDAC), CRISIL, etc.

वर्ष 2020-21 के दौरान, सभी नए भर्ती किए गए अधिकारियों और एसडब्लुओ (765 एमटी+576 विशेषीकृत अधिकारी और 2456 एसडब्लुओ) के लिए "प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित किए गए ताकि उन्हें फील्ड में कार्यग्रहण से पूर्व शाखा के लिए तैयार किया जा सके।

इसके अलावा, मौजूदा कर्मचारियों के लिए ऋण, कृषि, एसएमई, विदेशी विनिमय, नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एनपीए) प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, भूमिका आधारित प्रशिक्षण, एलडीपी आदि जैसे प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र में प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। उच्च ग्रेड/स्केल में पदोन्नति के इच्छुक 14,608 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों (6,611 अधिकारी+3,578 वर्कमेन स्टाफ+4,419 अधीनस्थ संवर्ग) को पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसी प्रकार विभिन्न ग्रेड/स्केल में नव-पदोन्नत अधिकारियों को कार्यात्मक एवं प्रबंधन दक्षता प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि उन्हें बड़ी जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए तैयार किया जा सके।

2,151 लिपिक जिन्हें अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था और 799 अधीनस्थ जिन्हें लिपिक के रूप में पदोन्नत किया गया था, को संवर्ग परिवर्तन प्रशिक्षण दिया गया है। भूमिका परिवर्तन पर 15,075 कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 33,899 कर्मचारियों द्वारा आंतरिक कार्यक्रमों और बाहरी संस्थानों के कार्यक्रमों दोनों के माध्यम से अप-स्किलिंग कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

एनआईबीएससीओएम के माध्यम से 525 वरिष्ठ अधिकारियों (स्केल-IV) के लिए 16 नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। एएससीआई, एनआईबीएम आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 98 और अधिकारियों को नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

**ऑन लोकेशन प्रशिक्षण**

896 ऑन लोकेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए सॉफ्ट स्किल्स सहित विभिन्न छोटे मॉड्यूल पर 6769 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

**वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अन्य पहल :**

- ❖ बैंक के विजन को साकार करने के लिए अन्य कॉरपोरेट बिजनेस वर्टिकल के साथ साझेदारी करके व्यावसायिक प्राथमिकताओं के साथ जुड़ी समामेलित संस्था के लिए नई शिक्षण, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रबंधन नीति तैयार की गई है।
- ❖ महामारी और भौतिक कक्षाओं के बंद होने के कारण, संकाय ने वेब आधारित विचार-विमर्श जैसे द्विपक्षीय कम्यूनीकेशन आदि के माध्यम से प्रतिभागियों को आकर्षित करने के डिज़िटल तरीको को अपनाया है। वेब आधारित डिजिटल शिक्षा ने भौतिक अनुभव की तुलना में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को सम्मिलित होने की अनुमति दी है।
- ❖ प्रबंधन प्रशिक्षुओं के इन्डक्शन प्रशिक्षण के लिए एक समान संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम और निवारक सतर्कता पर तीन दिनों के मॉड्यूल सहित प्रशिक्षण अवधि को 16 सप्ताह से बढ़ाकर 52 सप्ताह करने को मंज़ूरी दी गई है।
- ❖ तृतीय पक्ष के उत्पादों पर बैंकिंग लोकपाल का कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए नोडल अधिकारियों हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- ❖ अधिक शिकायत संभावित शाखाओं में तैनात अधिकारियों के लिए ग्राहक सेवा पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।

During 2020-21,'Induction Training Programmes' were conducted for all newly recruited Officers and SWOs (765 MTs+576 Specialist Officers and 2456 SWOs) to make them branch-ready before joining their duties in the field.

Trainings in key functional area like Credit, Agriculture, SME, Foreign Exchange, NPA Management, Risk Management, Role based Trainings, Leadership Development Programs (LDPs) etc. were conducted. 14,608 SC/ ST/OBC/PWD employees aspiring for promotion to higher grade/ scale (6,611 officers + 3,578 clerical staff + 4,419 Sub-Staff) were provided Pre-promotion trainings. Similarly, Functional & Management skill training were given to newly promoted officials in different Grades/ Scales in order to equip them to take up higher responsibilities.

2,151 Clerks who were elevated as officers and 799 Sub-staff who were elevated as Clerks have been given Cadre Change Training. 15,075 employees have been provided extensive training on Role Change. 33,899 employees have undertaken the up-skilling programs both through internal programs and programs through Outside Institutes.

16 Leadership Development Programs for 525 Senior Officials (Scale-IV) were conducted through NIBSCOM. 98 more officials were provided Leadership Trainings through institute of repute like ASCI, NIBM etc.

**On Location Training**

896 On-Location programs have been conducted, in which 6,769 employees have been imparted training on different small modules, including Soft Skills for front line Staff.

**Other Initiatives for the FY 2020-21:**

- ❖ New Learning, Training, Capacity Building & Knowledge Management Policy was formulated for the amalgamated entity aligned with business priorities partnering with other Corporate Business Verticals for realization of Bank's Vision.
- ❖ Due to pandemic & discontinuation of physical classes, the faculty adopted digital methods of delivery like web based interaction, utilization of online material engaging participants through two way communication etc. Web based digital learning experience permitted inclusion of larger number of trainees vis-a-vis physical experience.
- ❖ A uniform structured training programme for the Induction training of Management Trainees and increase in training duration from 16 weeks to 52 weeks including three days module on preventive vigilance was approved.
- ❖ Exclusive training program for Nodal Officers for officers handling Banking Ombudsman on third party products.
- ❖ Exclusive training program for officers posted in high complaint prone branches on customer service.

- ❖ भारत सरकार के बैंकिंग सुधारों की ईज के अनुरूप और पीएसबी गठबंधन की पहल के अनुसार, डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं पर, जिसके माध्यम से ग्राहक अपने द्वार पर प्रमुख बैंकिंग लेनदेन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, 2,378 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- ❖ फिनेकल 10 पर नवीनतम कार्यक्रम, ईओबीसी की 2,398 शाखाओं और ईयूएनआई की 2,051 शाखाएं जिन्हें फिनेकल 10 में अंतरण के लिए चिन्हित किया था, ईओबीसी और ईयूएनआई के – कुल 12,694 कर्मचारियों को प्रदान किया गया।
- ❖ ग्राहक सेवा अवधारणा पर क्षेत्रीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षण, आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और बाहरी संकाय की सहायता दोनों के माध्यम से प्रदान किया गया था।
- ❖ शाखा प्रभारियों को शुल्क आधारित आय बढ़ाने हेतु एक प्रकार का विशेष कार्यक्रम 4,282 शाखा प्रभारियों को प्रदान किया गया ।
- ❖ बैंक ने इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट (आईएसटीडी) द्वारा बीएफएसआई श्रेणी के तहत इन्नोवेशन ट्रेनिंग प्रेक्टिसेज 2019-20 के लिए 30 वें राष्ट्रीय पुरस्कार में द्वितीय पुरस्कार जीता।
- ❖ बैंक की वेबसाईट पर प्रशिक्षण अवसंरचना के विवरणों को अपलोड किया गया।
- ❖ "बैंकिंग धोखाधड़ी", "प्रमुख प्रतिनिधि संबंध" और "सक्षमकर्ता के रूप में प्रौद्योगिकी" पर केस स्टडी वेबसाइट पर अपलोड की गई।
- ❖ सतर्कता अधिकारियों और अनुशासनिक प्राधिकारियों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण की सीवीसी द्वारा सराहना की गई।

**भावी दिशा**

वित्तीय वर्ष 2020-21 ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बड़े स्तर पर समामेलन के साथ बैंकिंग प्रणाली की एक नई दिशा को देखा है। हालांकि, कोविड -19 महामारी ने आर्थिक परिदृश्य को चुनौती प्रस्तुत की बैंक ने सर्वांगीण विकास प्राप्त करने और लक्षित परिणाम देने के लिए एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। एकीकरण प्रक्रिया के पूरा होने और पुर्नोत्थान संगठन संरचना के साथ, अब ग्रामीण और कृषि बैंकिंग में अग्रणी और एमएसएमई के लिए 'पसंदीदा बैंकर' बनने के दृष्टिकोण के साथ व्यवसाय विकास पर जोर दिया गया है। खुदरा कृषि और एमएसएमई हिस्से के तहत, बैंक की योजना मौजूदा भौगोलिक क्षेत्रों में प्रति शाखा और वॉलेट शेयर में अपना कारोबार बढ़ाने और देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में अपनी पैठ बढ़ाई है।

समामेलन के बाद, बैंक का लक्ष्य डिजिटल कैनवास का लाभ उठाकर अपनी पहुंच, उत्पादकता और गुणवत्ता सेवा को बढ़ाना है और उच्च स्तर के डिजिटल जुड़ाव के साथ ग्राहक खंडों पर ध्यान केंद्रित करके डिजिटल चैनल अपनाने में वृद्धि करना है। बैंक की योजना एनालिटिक्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने और बेहतर उत्पादों की पेशकश और ग्राहकों की खुशी बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की है।

- ❖ In alignment with Govt of India's EASE of banking reforms and as per the initiative of PSB alliance, Training on Doorstep Banking services through which customers can avail major banking transaction services at their Door Step was provided to 2,378 employees.
- ❖ Refresher Program on Finacle 10 provided to employees of eOBC & eUNI employees posted in 2,398 branches of eOBC & 2,051 branches of eUNI identified for migration to Finacle 10 – for a total of 12,694 employees.
- ❖ Training to Field Functionaries on Customer Service Aspects was provided both through internal training program and with the help of Outside Faculty.
- ❖ One of a kind Program for Branch Incumbents on Increasing Fee Based Income has been provided for 4,282 Branch Incumbents.
- ❖ Bank won 2nd prize in the 30th National Award for Innovation Training Practices 2019-20 under BFSI Category by Indian Society for Training & Development (ISTD).
- ❖ Details of Training Infrastructure uploaded on the Bank's Website.
- ❖ Case Studies on "Banking Frauds", "Principal Agent Relationship" & "Technology as Enabler" uploaded on Website.
- ❖ Training provided to Vigilance Officers & Disciplinary Authorities was appreciated by CVC.

**WAY FORWARD**

The FY 2020-21 saw the banking system chart a new territory with large scale amalgamations of PSBs coming into place. However, the Covid-19 pandemic posed a challenge to the economic outlook.

The Bank has adopted a comprehensive and holistic approach to achieve all-round growth and deliver targeted outcomes. With completion of integration process and revamped organisation structure in place, the thrust is now on Business Growth with an approach to be a Leader in Rural and Agriculture Banking and be the 'Preferred Banker' for MSMEs. Under Retail, Agriculture and MSME Segment, the Bank plans to increase its business per branch and wallet share in existing geographies and enhance its penetration in Southern and Western parts of the country.

Post amalgamation, the Bank aims to increase its outreach, productivity and quality service by leveraging the Digital Canvas and increase digital channel adoption by focusing on customer segments with high degree of digital engagement. The Bank plans to establish Analytics as Centre of Excellence and use its capabilities for better product offerings and enhanced customer delight.

# कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

पंजाब नैशनल बैंक के सदस्यगण

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पंजाब नैशनल बैंक द्वारा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 ('सेबी एलओडीआर विनियमन') में यथानिर्दिष्ट, संबंधित वर्ष के दौरान यथा लागू, कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किए जाने की जाँच की है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई थी और कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धतियों तथा उनके क्रियान्वयन तक ही सीमित थीं। यह बैंक की वित्तीय विवरणियों की न तो लेखापरीक्षा है और न ही उनके बारे में अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारे अभिमत तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में ऊपर उल्लिखित सेबी विनियमन में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन इस प्रकार किया है कि इससे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 का खंडन न हो।

हम सूचित करते हैं कि हितधारक संबंध समिति द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध निवेशकों की ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है, जो एक माह से अधिक समय से लंबित हो।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के प्रति, कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन वर्ग ने बैंक कार्यों का संचालन किया है, के प्रति एक आश्वासन है।

कृते एस.एन. धवन एंड कं एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000050एन/एन500045

सनदी लेखाकार सुरिंदर कु. खट्टर
भागीदार
(सदस्य सं.084993)
यूडीआईएन: 21084993एएएएसीएन4479
स्थान: नई दिल्ली

कृते एमके अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001411एन

सनदी लेखाकार अतुल अग्रवाल
भागीदार
(सदस्य सं.099374)
यूडीआईएन: 21099374एएएएईए2496
स्थान: नई दिल्ली

कृते ए जॉन मोरिस एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 007220एस

सनदी लेखाकार जी कुमार
भागीदार
(सदस्य सं.023082)
यूडीआईएन: 21023082एएएएपीजी3661
स्थान: चेन्नई

कृते एस आर गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन:001537सी

सनदी लेखाकार अजय अटोलिया
भागीदार
(सदस्य सं. 077201)
यूडीआईएन: 21077201एएएएडब्लू5092
स्थान: नई दिल्ली

कृते पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 008567सी

सनदी लेखाकार संदीप जैन
भागीदार
(सदस्य सं. 077281)
यूडीआईएन: 21077281एएएआईएन3533
स्थान: नई दिल्ली

**दिनांक: जून 04, 2021**

## AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To the Members of Punjab National Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab National Bank for the year ended on March 31, 2021, as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI LODR Regulations'), as applicable during the relevant year.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was carried out in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us we certify that the Bank has, in all material aspects, complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned SEBI Regulations to the extent these do not contradict the Banking Regulation Act, 1949 and Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For S.N. Dhawan & Co LLP
Chartered Accountants
FRN 000050N/N500045

CA Surinder Kr. Khattar
Partner
(M.NOo.084993)
UDIN : 21084993AAAACN4479
Place: New Delhi

For M K Aggarwal & Co.
Chartered Accountants
FRN 001411N

CA Atul Aggarwal
Partner
(M.NO. 099374)
UDIN: 21099374AAAAEA2496
Place: New Delhi

For A John Moris & Co.
Chartered Accountants
FRN 007220S

CA G Kumar
Partner
(M.NO.023082)
UDIN: 21023082AAAAPG3661
Place: Chennai

For S R Goyal & Co.
Chartered Accountants
FRN:001537C

CA Ajay Atolia
Partner
(M.NO. 077201)
UDIN: 21077201AAAAAW5092
Place: New Delhi

For PSMG & Associates
Chartered Accountants
FRN: 008567C

CA Sandeep Jain
Partner
(M.NO. 077281)
UDIN: 21077281AAAAIN3533
Place: New Delhi

**Date: June 04, 2021**

# निगमित शासन पर रिपोर्ट

# Report on Corporate Governance

#JustOneApp

# कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

## 1. कॉर्पोरेट अभिशासन का सिद्धांत

बैंक निवेशकों एवं अन्य हितधारकों का विश्वास, पारदर्शिता का उच्च मानक निर्धारित करने, कार्यक्षमता में सुधार हेतु नैतिक मूल्यों व संगठन की प्रगति में विश्वास करता है। बैंक पारदर्शिता, व्यावसायिकता व उत्तरदायित्व पर आधारित कॉर्पोरेट अभिशासन के नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हमारा निगमित ढांचा कारोबार, परिचालन एवं प्रकटीकरण कार्यशैली उक्त निगमित शासन के सिद्धांत के पूर्णतया अनुरूप है।

बैंक, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत एक निगमित निकाय है और यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। तथापि, सूचीबद्ध इकाई होते हुए यह सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के प्रावधानों का पालन बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों का तथा इस संबंध में भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, निदेशों आदि का उल्लंघन न किए जाने की सीमा तक करता है।

बैंक का निदेशक मंडल सभी हितधारकों जैसे शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों और व्यापक समाज के लिए मूल्यों का वर्धन करने का प्रयास करता है।

## 2. निदेशक मण्डल

बैंक के बोर्ड का गठन बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबंधन एवं विविध प्रावधान योजना, 1970, के अनुसार किया गया है ।

### 2.1 31.03.2021 के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना उनकी नियुक्ति तिथि, श्रेणी, अन्य समितियों की सदस्यता इत्यादि, निदेशकों के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता का निर्धारण करने वाले चार्ट/मैट्रिक्स के साथ निम्नवत दी गई है:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार एक निदेशक के पास कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग आदि जैसे एक या अधिक विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती) | नियुक्ति तिथि | योग्यता | निदेशक की श्रेणी | अनुभव | कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता | बैंक के निदेशक मंडल की उप-समिति की सदस्यता/अध्यक्षता | एसीबी और कंपनियों में शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता / अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा) | 31.03.2021 को निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की सं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव<br>प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 1.10.2019 | बी.एससी, एलएलबी, सीएआईआईबी | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी | बैंकिंग में 35 से अधिक वर्षों का अनुभव | बैंकिंग | 1. निदेशक मंडल की प्रबंध समिति-अध्यक्ष<br>2. जोखिम प्रबंधन समिति - अध्यक्ष<br>3. आईटी रणनीति समिति<br>4. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखा धड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति - अध्यक्ष<br>5. मानव संसाधान पर बोर्ड की संचालन समिति - अध्यक्ष<br>6. सतर्कता और गैर-सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई मामलों के निपटान की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति - अध्यक्ष<br>7. ग्राहक सेवा समिति - अध्यक्ष<br>8. निदेशकों की पदोन्नति समिति - अध्यक्ष<br>9. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी - अध्यक्ष<br>10. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति - अध्यक्ष | 1. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (हितधारक संबंध समिति- सदस्य)<br>2. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसीबी - सदस्य) | 115 |

## Report on Corporate Governance

### 1. Corporate Governance Philosophy

The Bank believes in enhancing investor and other stakeholders' confidence and setting high standards of transparency, ethical values for improving efficiency and growth of the organization. The Bank is committed to strong Corporate Governance practices based on transparency, professionalism and accountability.

Our corporate structure, business, operations and disclosure practices have been aligned to the above Corporate Governance Philosophy.

The Bank is a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by the Reserve Bank of India. However, being a listed entity, it complies with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.

The Board of the Bank strives to optimize value for all stakeholders like shareholders, employees, customers and the society at large.

### 2. Board of Directors

The Board of the Bank is constituted in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

**2.1 Composition of the Board of Directors as on 31.03.2021 with date of their appointment, category, membership of other committees etc. along with the Chart/Matrix setting out the skills/expertise/competence of the Directors is given below:**

As per Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 a director shall possess special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters namely agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry etc.

| S. No. | Name of Director S/Shri/ Ms. | Date of Appointment | Qualification | Category Of Director | Experience | Skills / Expertise / Competence | Membership/ Chairmanship of Sub-Committees of Board of the bank | Membership/ Chairmanship of ACB and Shareholders/ Investors Grievance Committees in Companies (other than PNB) | No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | 01.10.2019 | B.Sc., LLB, CAIIB | MD & CEO | Over 35 years of experience in Banking | Banking | 1. Management Committee- Chairman<br>2. Risk Management Committee- Chairman<br>3. IT Strategy Committee<br>4. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 Crore & above- Chairman<br>5. Steering Committee of the Board on HR- Chairman<br>6. Committee of the Directors to review Vigilance and Non-Vigilance cases- Chairman<br>7. Customer Service Committee- Chairman<br>8. Directors' Promotion Committee- Chairman<br>9. Appellate Authority and Reviewing Authority- Chairman<br>10. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery- Chairman | 1. PNB Housing Finance Ltd. (Stakeholder Relationship Committee- Member)<br>2. The Oriental Insurance Company Limited (ACB-member) | 115 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11. व्यवसाय समीक्षा समिति-अध्यक्ष<br>12. प्र.का. ऋण अनुमोदन समिति स्तर III - अध्यक्ष<br>13. शेयरधारक निदेशक का चुनाव - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान - अध्यक्ष<br>14. इरादतन चूककर्ताओं और गैर-सहकारी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण की पहचान की समीक्षा के लिए समिति-अध्यक्ष<br>15. हितधारक सबंध समिति<br>16. बोर्ड की पूंजी जुटाव समिति - अध्यक्ष | | |
| 2. | संजय कुमार | 01.04.2020 | एमएससी, सीएआईआईबी, ट्रेजरी, निवेश तथा जोखिम प्रबंधन (डीटीआई-आरएम) में डिप्लोमा | कार्यपालक निदेशक | बैंकिंग में 35 से अधिक वर्षों का अनुभव | बैंकिंग | 1. प्रबंधन समिति<br>2. जोखिम प्रबंधन समिति<br>3. ग्राहक सेवा समिति<br>4. आईटी रणनीति समिति<br>5. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधाड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति<br>6. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी<br>7. सतर्कता और गैर-सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई मामलों के निपटान की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति<br>8. प्र.का. ऋण अनुमोदन समिति स्तर III<br>9. शेयरधारक निदेशक का चुनाव - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान<br>10. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति<br>11. व्यवसाय समीक्षा समिति<br>12. बोर्ड की पूंजी जुटाव समिति | नहीं | 1229 |
| 3 | विजय दुबे | 01.04.2020 | एमबीए, एमएससी (सांख्यिकी), सीएआईआईबी, सीमित इन्सोल्वेंसी परीक्षा में प्रमाणन, वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणन (तीसरे स्तर का अवार्ड) | कार्यपालक निदेशक | बैंकिंग में 35 से अधिक वर्षों का अनुभव | बैंकिंग | 1. प्रबंधन समिति<br>2. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति<br>3. जोखिम प्रबंध समिति<br>4. ग्राहक सेवा समिति<br>5. आईटी रणनीति समिति<br>6. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधाड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति<br>7. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी<br>8. सतर्कता और गैर-सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई मामलों के निपटान की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति | नहीं | 8568 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11. Business Review Committee- Chairman<br>12. HO Credit Approval Committee Level- III- Chairperson<br>13. Election of Shareholder Directors - Voting by Public Sector Banks- Chairman<br>14. Committee for Review of Identification of Wilful Defaulters and Non-Cooperative Borrowers Classification- Chairman<br>15. Stakeholders Relationship Committee<br>16. Capital Raising Committee of Board- Chairman | | |
| 2 | Sanjay Kumar | 01.04.2020 | M.Sc., CAIIB, Diploma in Treasury, Investment and Risk Management (DTIRM) | Executive Director | Over 35 years of experience in Banking | Banking | 1. Management Committee<br>2. Risk Management Committee<br>3. Customer Service Committee<br>4. IT Strategy Committee<br>5. Special Committee of the Board to monitor and follow up Fraud Cases involving Rs.1.00 Cr. and above<br>6. Appellate Authority and Reviewing Authority<br>7. Committee of the Directors to Review Vigilance and Non Vigilance cases<br>8. HO Credit Approval Committee- Level-III<br>9. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks<br>10. Committee of the Board to Monitor the Progress in Recovery<br>11. Business Review Committee<br>12. Capital Raising Committee of Board | NIL | 1229 |
| 3 | Vijay Dube | 01.04.2020 | MBA, M. Sc. (Statistics), CAIIB, Certification in Limited Insolvency Examination, from IBBI Certification in Risk in Financial Services (Level 3 Award) from CISI, London | Executive Director | Over 35 years of experience in Banking | Banking | 1. Management Committee<br>2. Audit Committee of the Board<br>3. Risk Management Committee<br>4. Customer Service Committee<br>5. IT Strategy Committee<br>6. Special Committee of the Board to monitor and follow up Fraud Cases involving Rs.1.00 Cr. and above<br>7. Appellate Authority and Reviewing Authority | NIL | 8568 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 9. प्र.का. ऋण अनुमोदन समिति स्तर III<br>10. शेयरधारक निदेशक का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान<br>11. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति<br>12. व्यवसाय समीक्षा समिति<br>13. बोर्ड की पूंजी जुटाव समिति | | |
| 4 | श्री अज्ञेय कुमार आजाद | 22.01.2019 | कृषि में स्नातक की उपाधि, सीएआईआईबी, एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम (बैंकिंग एंड फाइनेंस) | कार्यपालक निदेशक | बैंकिंग में 35 से अधिक वर्षों का अनुभव | बैंकिंग | 1. प्रबंधन समिति<br>2. जोखिम प्रबंधन समिति<br>3. ग्राहक सेवा समिति<br>4. हितधारक संबंध समिति<br>5. आईटी रणनीति समिति<br>6. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधाड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति<br>7. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी<br>8. सतर्कता और गैर-सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई मामलों के निपटान की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति<br>9. प्र.का. ऋण अनुमोदन समिति स्तर III<br>10. शेयरधारक निदेशक का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान<br>11. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति<br>12. मानव संसाधान पर बोर्ड की संचालन समिति<br>13. व्यवसाय समीक्षा समिति<br>14. बोर्ड की पूंजी जुटाव समिति | नहीं | 505 |
| 5 | स्वरुप कुमार साहा | 10.03.2021 | बीएससी (ऑनर्स), ट्रेजरी, निवेश तथा जोखिम प्रबंधन (डीटीआई-आरएम) में डिप्लोमा, सीएआईआईबी, वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणन | कार्यपालक निदेशक | बैंकिंग में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव | बैंकिंग | 1. प्रबंध समिति<br>2. जोखिम प्रबंध समिति<br>3. ग्राहक सेवा समिति<br>4. आईटी रणनीति समिति<br>5. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधाड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति<br>6. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी<br>7. सतर्कता और गैर-सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई मामलों के निपटान की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति<br>8. प्र.का. ऋण अनुमोदन समिति स्तर III | नहीं | 6494 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8. Committee of the Directors to Review Vigilance and Non Vigilance cases<br>9. HO Credit Approval Committee- Level-III<br>10. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks<br>11. Committee of the Board to Monitor the Progress in Recovery<br>12. Business Review Committee<br>13. Capital Raising Committee of Board | | |
| 4 | Agyey Kumar Azad | 22.01.2019 | Bachelor's degree in Agriculture, CAIIB, Executive Post Graduate Programme in Business Management and Advanced Management Program (Banking & Finance) | Executive Director | Over 35 years of experience in Banking | Banking | 1. Management Committee<br>2. Risk Management Committee<br>3. Customer Service Committee<br>4. Stakeholder Relationship Committee<br>5. IT Strategy Committee<br>6. Special Committee of the Board to monitor and follow up Fraud Cases involving Rs.1.00 Cr. and above<br>7. Appellate Authority and Reviewing Authority<br>8. Committee of the Directors to Review Vigilance and Non Vigilance cases<br>9. HO Credit Approval Committee- Level-III<br>10. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks<br>11. Committee of the Board to Monitor the Progress in Recovery<br>12. Steering Committee of the Board on HR<br>13. Business Review Committee<br>14. Capital Raising Committee of Board | NIL | 505 |
| 5 | Swarup Kumar Saha | 10.03.2021 | B. Sc. (Hons.), Diploma in Treasury, Investment & Risk Management (DTIRM), CAIIB, Certification in Risk in Financial Services | Executive Director | Over 30 years of experience in Banking | Banking | 1. Management Committee<br>2. Risk Management Committee<br>3. Customer Service Committee<br>4. IT Strategy Committee<br>5. Special Committee of the Board to monitor and follow up Fraud Cases involving Rs.1.00 Cr. and above<br>6. Appellate Authority and Reviewing Authority | NIL | 6494 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 9. शेयरधारक निदेशक का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान<br>10. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति<br>11. व्यवसाय समीक्षा समिति<br>12. बोर्ड की पूंजी जुटाव समिति | | |
| 6 | श्री पंकज जैन | 08.08. 2019 | वाणिज्य में स्नातक की उपाधि, एमबीए, इंस्टीटड्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य. | सरकार के नामिती निदेशक | 30 वर्षों से अधिक का प्रशासनिक अनुभव, वे वर्तमान में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में अपर सचिव है। | प्रशासन, प्रबंध, एकाउंट्स एंड कॉस्टिंग | 1. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति<br>2. ग्राहक सेवा समिति<br>3. निदेशकों की पदोन्नति समिति<br>4. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी<br>5. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधाड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति<br>6. सतर्कता और गैर-सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई मामलों के निपटान की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति<br>7. मानव संसाधान पर बोर्ड की संचालन समिति<br>8. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति | सिडबी (एसीबी-सदस्य) | नहीं |
| 7 | श्री विवेक अग्रवाल | 24.07. 2019 | स्नातक अर्थशास्त्र (ऑनर्स), स्नातकोत्तर (अर्थशास्त्र), आर्थिक नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में एमएससी, एमबीए (बैंकिंग और वित्त), सीएआईआईबी, ट्रेजरी और जोखिम प्रबंधन में प्रमाणपत्र, वित्त प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा, कार्मिक प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा | भा.रि.बैं द्वारा नामित निदेशक | भा.रि.बैं में विभिन्न पदों पर कार्य किया, वर्तमान में (भा.रि.बैं), भोपाल के क्षेत्रिय निदेशक | बैंकिंग और अनुपालन | 1. प्रबंधन समिति<br>2. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति<br>3. निदेशकों की पदोन्नति समिति<br>4. सतर्कता और गैर-सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई मामलों के निपटान की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति | नहीं | नहीं |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7. Committee of the Directors to Review Vigilance and Non Vigilance cases<br>8. HO Credit Approval Committee- Level-III<br>9. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks<br>10. Committee of the Board to Monitor the Progress in Recovery<br>11. Business Review Committee<br>12. Capital Raising Committee of Board | | |
| 6 | Pankaj Jain | 08.08.2019 | Bachelor's Degree in commerce, MBA, Associate Member of Institute of Cost Accountants of India | Govt. Nominee Director | Over 30 years of Administrative experience. Presently, Addl. Secretary in D.F.S, Ministry of Finance, GoI. | Administration, Management, Accounts and Costing | 1. Audit Committee of Board.<br>2. Customer Service Committee<br>3. Director's Promotion Committee<br>4. Appellate Authority and Reviewing Authority<br>5. Special Committee of the Board to monitor and follow up Fraud cases involving Rs 1.00 crore and above.<br>6. Committee of the Directors to Review Vigilance and Non Vigilance cases<br>7. Steering Committee of the Board on HR<br>8. Performance Evaluation Committee | SIDBI (ACB- Member) | NIL |
| 7 | Vivek Aggarwal | 24.07.2019 | B.A. (Hons) Economics, MA (Economics), M.Sc. in Economic Policy and International Business, MBA (Banking & Finance), CAIIB, Certificate in Treasury & Risk Management, PG Diploma in Financial Management and PG Diploma in Personnnel Management | RBI Nominee Director | Worked in various capacities at RBI and presently, Regional Director, (RBI) Bhopal. | Banking and Compliance | 1. Management Committee<br>2. Audit Committee of the Board<br>3. Directors' Promotion Committee<br>4. Committee of the Directors to Review Vigilance and Non Vigilance cases | NIL | NIL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | डॉ. आशा भंडारकर | 12.09. 2018 | स्नातक, स्नातकोत्तर (मनोविज्ञान), पीएचडी (व्यवसाय प्रबंधन) | शेयरधारक निदेशक | मानव संसाधन और व्यवसाय प्रबंधन में 40 वर्षों का अनुभव | मानव संसाधन तथा व्यवसाय प्रबंधन | 1. प्रबंध समिति<br>2. हितधारक संबंध समिति- अध्यक्ष<br>3. ग्राहक सेवा समिति<br>4. नामांकन और पारिश्रमिक समिति- अध्यक्ष<br>5. इरादतन चूककर्ताओं और गैर-सहकारी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण की पहचान की समीक्षा के लिए समिति<br>6. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति<br>7. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति - अध्यक्ष<br>8. व्यवसाय समीक्षा समिति<br>9. बोर्ड की पूंजी जुटाव समिति | नहीं | 100 |
| 9 | गौतम गुहा | 18.03. 2021 | स्नातकोत्तर (अंग्रेजी) भूतपूर्व सर्टिफाइड इनफार्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर (सीआईएसए) | शेयरधारक निदेशक | लोक प्रशासन तथा वित्त, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, लेखा और लेखा-परीक्षा में 33 वर्षों का पेशेवर अनुभव | वित्त (लेखा-परीक्षा और लेखा) तथा आईटी | 1. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति<br>2. जोखिम प्रबंध समिति<br>3. आईटी रणनीति समिति<br>4. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधाड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति<br>5. नामांकन और पारिश्रमिक समिति<br>6. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति<br>7. इरादतन चूककर्ताओं और गैर-सहकारी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण की पहचान की समीक्षा के लिए समिति<br>8. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति | नहीं | 500 |

नोट: निदेशक जिन समितियों के सदस्य हैं, उनके नाम का उल्लेख किया गया है तथा समितियों की अध्यक्षता जहां भी लागू है, उसके संबंध में विशेष रूप से इंगित किया गया है।

**2.2 वर्ष के दौरान निम्नलिखित सदस्य निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हुआ:**

| क्रम सं0 | निदेशक का नाम | निदेशक की श्रेणी | समापन तिथि | कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री संजय शर्मा | शेयरधारक निदेशक | 14-06-2020 | अवधि समाप्त |
| 2 | डॉ. आर.के. यदुवंशी | कार्यपालक निदेशक | 08-10-2020 | अवधि समाप्त |

**2.3 समितियों/अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्ड में निदेशकों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण:**

| क्र.सं. | निदेशक के नाम | अन्य सूचीबद्ध संस्था का नाम जिसमें निदेशक बोर्ड का सदस्य है | अन्य सूचीबद्ध संस्थान के बोर्ड/समिति का नाम जहाँ निदेशक अध्यक्ष/सदस्य है | | अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक की श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | बोर्ड | अध्यक्ष | गैर-कार्यपालक अध्यक्ष |
| | | | नामांकन और पारिश्रमिक समिति | सदस्य | |
| | | | हितधारक संबंध समिति | सदस्य | |
| 2. | संजय कुमार | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dr. Asha Bhandarker | 12.09.2018 | B.A., M.A. (Psychology), Ph.D (Business Management) | Shareholder Director | 40 years of experience in HR & Business Management | HR and Business Management | 1. Management Committee<br>2. Stakeholders Relationship Committee- Chairperson<br>3. Customer Service Committee<br>4. Nomination and Remuneration Committee- Chairperson<br>5. Committee for Review of Identification of Wilful Defaulters and Non-Co-operative Borrowers Classification<br>6. Steering Committee of the Board on HR<br>7. Performance Evaluation Committee- Chairperson<br>8. Business Review Committee<br>9. Capital Raising Committee of Board | NIL | 100 |
| 9 | Gautam Guha | 18.03.2021 | M.A. (English), Former Certified Information Systems Auditor (CISA) | Shareholder Director | 33 years of professional experience in Public Administration and Finance, Banking, Information Technology, Accountancy and Auditing | Finance (Audit & Accounts) and IT | 1. Audit Committee of Board- Chairman<br>2. Risk Management Committee<br>3. IT Strategy Committee- Chairman<br>4. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 Crore & above<br>5. Nomination and Remuneration Committee<br>6. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery<br>7. Committee for Review of Identification of Wilful Defaulters and Non-Co-operative Borrowers Classification<br>8. Performance Evaluation Committee | NIL | 500 |

Note: The name of the Committees in which the Director is a member has been mentioned and the Chairmanship has been specifically indicated wherever applicable.

**2.2 The following members ceased to be the Directors during the year:**

| S. No. | Name of Director | Category of Director | Date of Cessation | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shri Sanjay Verma | Shareholder Director | 14.06.2020 | Completion of Tenure |
| 2 | Dr. R. K. Yaduvanshi | Executive Director | 08.10.2020 | Completion of Tenure |

**2.3 Details of membership/chairmanship of Directors in the Committees/Board of other listed entities:**

| Sr. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Name of other Listed Entity in which the Director is a member of the Board | Name of the Board/Committee in other listed entity where the Director is chairman/member | | Category of Directorship in other listed entities |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | PNB Housing Finance Ltd. | Board | Chairman | Non-Executive Chairman |
| | | | Nomination and Remuneration Committee | Member | |
| | | | Stakeholders Relationship Committee | Member | |
| 2 | Sanjay Kumar | NIL | NIL | NIL | NIL |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | विजय दुबे | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 4. | अज्ञेय कुमार आजाद | पीएनबी गिल्ट्स लि. | निदेशक मंडल | अध्यक्ष | गैर-कार्यपालक अध्यक्ष |
| 5. | स्वरुप कुमार साहा | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 6. | पंकज जैन | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 7. | विवेक अग्रवाल | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 8. | डॉ. आशा भंडारकर | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 9. | गौतम गुहा | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |

**2.4 वित्तीय वर्ष में आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :**

| क्र.सं. | बैठक की तिथि | निदेशक मंडल में निदेशकों की कुल संख्या | बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.05.2020 | 9 | 9 |
| 2 | 29.05.2020 | 9 | 9 |
| 3 | 19.06.2020 | 8 | 8 |
| 4 | 29.06.2020 | 8 | 8 |
| 5 | 09.07.2020 | 8 | 8 |
| 6 | 30.07.2020 | 8 | 8 |
| 7 | 21.08.2020 | 8 | 8 |
| 8 | 05.09.2020 | 8 | 8 |
| 9 | 25.09.2020 | 8 | 7 |
| 10 | 10.10.2020 | 7 | 7 |
| 11 | 29.10.2020 | 7 | 7 |
| 12 | 02.11.2020 | 7 | 7 |
| 13 | 04.12.2020 | 7 | 7 |
| 14 | 30.12.2020 | 7 | 7 |
| 15 | 29.01.2021 | 7 | 7 |
| 16 | 05.02.2021 | 7 | 7 |
| 17 | 05.03.2021 | 7 | 7 |
| 18 | 30.03.2021 | 9 | 8 |

**2.5 वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों तथा गत वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति की संख्या इस प्रकार है:**

| क्र.सं | निदेशक का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या | बोर्ड की कितनी बैठकों में उपस्थित हुए | पिछली आम वार्षिक बैठक में उपस्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सीएच.एस.एस.मल्लिकार्जुन राव | 18 | 18 | हाँ |
| 2 | डॉ. आर.के.यदुवंशी | 9 | 8 | हाँ |
| 3 | संजय कुमार | 18 | 18 | हाँ |
| 4 | विजय दुबे | 18 | 18 | हाँ |
| 5 | अज्ञेय कुमार आजाद | 18 | 18 | हाँ |
| 6 | स्वरुप कुमार साहा | 1 | 1 | लागू नहीं |
| 7 | पंकज जैन | 18 | 18 | नहीं |
| 8 | विवेक अग्रवाल | 18 | 18 | नहीं |
| 9 | संजय वर्मा | 2 | 2 | लागू नहीं |
| 10 | डॉ. आशा भंडारकर | 18 | 17 | हाँ |
| 11 | गौतम गुहा | 1 | 1 | लागू नहीं |

लागू नहीं: संबंधित अवधि के दौरान निदेशक नहीं।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Vijay Dube | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 4 | Agyey Kumar Azad | PNB Gilts Ltd. | Board | Chairman | Non-Executive Chairman |
| 5 | Swarup Kumar Saha | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 6 | Pankaj Jain | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 7 | Vivek Aggarwal | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 8 | Dr. Asha Bhandarker | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 9 | Gautam Guha | NIL | NIL | NIL | NIL |

**2.4 Board meetings were held during the year as per details given below:**

| S. No. | Date of the Meeting | Total No. of Directors on the Board | No. of Directors present in the meeting |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.05.2020 | 9 | 9 |
| 2 | 29.05.2020 | 9 | 9 |
| 3 | 19.06.2020 | 8 | 8 |
| 4 | 29.06.2020 | 8 | 8 |
| 5 | 09.07.2020 | 8 | 8 |
| 6 | 30.07.2020 | 8 | 8 |
| 7 | 21.08.2020 | 8 | 8 |
| 8 | 05.09.2020 | 8 | 8 |
| 9 | 25.09.2020 | 8 | 7 |
| 10 | 10.10.2020 | 7 | 7 |
| 11 | 29.10.2020 | 7 | 7 |
| 12 | 02.11.2020 | 7 | 7 |
| 13 | 04.12.2020 | 7 | 7 |
| 14 | 30.12.2020 | 7 | 7 |
| 15 | 29.01.2021 | 7 | 7 |
| 16 | 05.02.2021 | 7 | 7 |
| 17 | 05.03.2021 | 7 | 7 |
| 18 | 30.03.2021 | 9 | 8 |

**2.5 The total number of Board meetings & last Annual General Meeting (AGM) attended by Directors during the Financial Year are as under:**

| S. No. | Name of Director | Board Meetings held during their tenure | Board Meetings attended | Attendance in last AGM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | 18 | 18 | Yes |
| 2 | Dr. R. K. Yaduvanshi | 9 | 8 | Yes |
| 3 | Sanjay Kumar | 18 | 18 | Yes |
| 4 | Vijay Dube | 18 | 18 | Yes |
| 5 | A. K. Azad | 18 | 18 | Yes |
| 6 | Swarup Kumar Saha | 1 | 1 | N.A. |
| 7 | Pankaj Jain | 18 | 18 | No |
| 8 | Vivek Aggarwal | 18 | 18 | No |
| 9 | Sanjay Verma | 2 | 2 | N.A. |
| 10 | Dr. Asha Bhandarker | 18 | 17 | Yes |
| 11 | Gautam Guha | 1 | 1 | N.A. |

N.A.: Not a director during the relevant period.

2.6 वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल निम्नानुसार है:

1. **श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक:**

श्री संजय कुमार ने 01 अप्रैल, 2020 को पंजाब नैशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। यह कार्यभार संभालने से पूर्व, वे 20 सितम्बर 2018 से 31 मार्च 2020 तक पूर्ववर्ती यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक थे।

श्री कुमार, एमएससी हैं तथा उन्होंने वर्ष 1985 में पूर्ववर्ती यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में बैंकिंग में अपने करियर की शुरूआत की थी। वे इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) के सर्टिफाइड एसोसिएट सदस्य हैं। उन्होंने भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान से ट्रेजरी, निवेश और जोखिम प्रबंधन (डीटीआईआरएम) में डिप्लोमा भी किया है।

35 साल से अधिक के करियर में, उन्होंने बैंकिंग के लगभग सभी क्षेत्रें में विशेष रूप से ट्रेजरी, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, ऋण, वसूली तथा ऋण निगरानी एवं शाखा बैंकिंग में कार्य किया है। उन्हें लगभग 25 वर्षों तक फील्ड स्तर के पदों पर कार्य करने का व्यापक अनुभव है और शाखा प्रमुख के रूप में 15 वर्षों की विशद विशेषज्ञता प्राप्त है। कॉर्पोरेट खातों के प्रभारी महाप्रबंधक के रूप में, उन्हें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नामित किया गया था। बाद में, उन्हें विभिन्न कार्यक्षेत्रें जैसे कॉर्पोरेट क्रेडिट, एसएएमवी और ऋण निगरानी के प्रभारी महाप्रबंधक की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई।

2. **श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक:**

श्री विजय दुबे ने 01 अप्रैल, 2020 को पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। यह कार्यभार संभालने से पूर्व, वे 01 नवंबर 2018 से 31 मार्च, 2020 तक पूर्ववर्ती ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यपालक निदेशक थे।

श्री दुबे प्रबंधन अध्ययन संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय (एफएमएस, दिल्ली) से व्यवसाय प्रशासन में और लखनऊ विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में स्नातकोत्तर हैं। वे भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) के प्रमाणित सदस्य हैं। उन्होंने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) से सीमित इन्सोल्वेंसी परीक्षा में व्यावसायिक प्रमाणन प्राप्त किया है। उन्होंने चार्टर्ड इंस्टीटयूट फॉर सिक्योरिटीज एंड इनवेस्टमेंट (सीआईएसआई, लंदन) से वित्तीय सेवाओं में जोखिम (तीनों स्तर के अवार्ड) में पेशेवर प्रमाणन भी प्राप्त किया है।

श्री दूबे को विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं, अर्थात् ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विजया बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आईएफसीआई और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में नेतृत्व, प्रशासनिक, सलाहकार और फील्ड स्तर के पदों की विभिन्न भूमिकाओं का अनुभव प्राप्त है। उनका प्रमुख कार्यकाल देशभर के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में, पंजाब नैशनल बैंक (लगभग 22 वर्ष) और विजया बैंक के साथ था।

उन्होंने विभिन्न वर्टिकल/क्षेत्र और फील्ड स्तर के विभिन्न पदों जैसे क्षेत्रीय प्रमुख, विभिन्न श्रेणियों की शाखाओं के शाखा प्रमुख (कॉर्पोरेट बैंकिंग व्यवसाय सहित) और शिक्षण केंद्र के प्रध ानाचार्य के रूप में नेतृत्व की भूमिकाएँ निभाई हैं।

2.6 **Brief Profile of Directors appointed during the Financial Year is given below:**

1. **Shri Sanjay Kumar, Executive Director:**

Shri Sanjay Kumar assumed the charge as Executive Director of the Punjab National Bank on April 01, 2020. Before taking up this assignment, he was Executive Director of erstwhile United Bank of India from 20th September, 2018 to 31st March, 2020.

Shri Kumar, M.Sc., started his career in Banking in erstwhile United Bank of India in the year 1985 as Probationary Officer. He is a Certified Associate member of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He also holds a Diploma in Treasury, Investment and Risk Management (DTIRM) from Indian Institute of Banking and Finance.

In a career spanning over 35 years, he has served in almost all areas of banking especially Treasury, Corporate Accounts, Credit, Recovery & Credit Monitoring and Branch Banking. He has vast experience of working in field level positions for almost 25 years having rich expertise of Branch Head for 15 years. As the General Manager in-charge of Corporate Accounts, he was designated as Chief Financial Officer (CFO) of United Bank of India. Later on, he was also assigned the responsibilities of General Manager in-charge of different verticals viz. Corporate Credit, SAMV & Credit Monitoring.

2. **Shri Vijay Dube, Executive Director:**

Shri Vijay Dube assumed charge as Executive Director of Punjab National Bank (PNB) on 01st April, 2020. Prior to this, he was Executive Director of erstwhile Oriental Bank of Commerce from 01st November 2018 to 31st March 2020.

Shri Dube is Masters in Business Administration from Faculty of Management Studies, University of Delhi (FMS, Delhi) and Post-Graduate in Statistics from Lucknow University. He is a Certified Member of Indian Institute of Banking & Finance (IIBF). He holds professional certification in Limited Insolvency Examination from Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI). He also holds professional certification in Risk in Financial Services (Level 3 Award) from Chartered Institute for Securities & Investment (CISI, London).

Shri Dube has more than 35 years of experience across Banks/ FI(s) namely, Oriental Bank of Commerce, Vijaya Bank, Punjab National Bank, State Bank of Mysore, IFCI and Oriental Insurance Company Limited, in varied roles of leadership, administrative, advisory and field level positions. His major tenure was with Punjab National Bank (approx 22 years) and Vijaya Bank, across wide geographical spread in the country.

He has held leadership roles in various verticals/ segments and field positions viz. Regional Head, Branch Head of various categories of Branches (including Corporate Banking Business) and Principal of Learning Center.

**3. श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक:**

श्री स्वरूप कुमार साहा ने 10 मार्च, 2021 को पंजाब नैशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। यह कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, वे जून 2020 से बैंक में लखनऊ अंचल के अंचल प्रबंधक (मुख्य महाप्रबंधक) थे।

श्री साहा आईआईएम, बैंगलोर के माध्यम से 2019 में आयोजित बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) के प्रमुख नेतृत्व विकास कार्यक्रम के प्रतिभागियों में से एक थे। उन्होंने सीएएफआरएएल/स्टर्न बिजनेस स्कूल, न्यूयॉर्क द्वारा संचालित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम और एनआईबीएम और केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यूएसए द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भी भाग लिया है।

कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता से विज्ञान में स्नातक, श्री साहा ने बैंकिंग में अपना कैरियर पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में वर्ष 1990 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में शुरू किया था। वे इंडियन इंस्टीटड्यूट ऑफ बैंकर्स (CAIIB) के सर्टिफाइड एसोसिएट सदस्य हैं। उन्होंने भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान से ट्रेजरी, निवेश और जोखिम प्रबंधन (DTIRM) में डिप्लोमा किया है तथा आईटी सुरक्षा, साइबर अपराध और धोखाधड़ी प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रमाणपत्रों के साथ सीआईएसआई, लंदन के सहयोग से आईआईबीएफ से वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया है।

अपने 30 वर्षों से अधिक के करियर में, उन्होंने देश भर में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्हें मानव संसाधान विकास, ट्रेजरी, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, ऋण, जोखिम प्रबंधन, संगठन पुनर्गठन और बोर्ड मामलों में व्यापक अनुभव है। पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रधान कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने ट्रेजरी और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, मानव संसाधन विकास प्रभाग तथा बोर्ड प्रभाग का नेतृत्व किया।

**4. श्री गौतम गुहा, शेयरधारक निदेशक:**

श्री गौतम गुहा को दिनांक 18.03.2021 से 05.10.2023 तक के कार्यकाल के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया है।

श्री गौतम गुहा, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर हैं। वे 1981 से भारत सरकार की भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के सदस्य थे तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, केंद्रीय मंत्रलयों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वे 31 जनवरी 2015 को भारत सरकार के अतिरिक्त उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए।

उन्हें लोक प्रशासन और वित्त, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, लेखा और लेखा परीक्षा में 33 वर्षों का पेशेवर अनुभव है। उन्हें भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में आईटी ऑडिट पहल के लिए टीम लीडर के रूप में 21 अप्रैल, 2008 को 'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता' के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

उन्होंने 25 अप्रैल 2016 से 24 अप्रैल 2019 तक और 21 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

**3. Shri Swarup Kumar Saha, Executive Director:**

Shri Swarup Kumar Saha assumed the charge as Executive Director of Punjab National Bank on March 10, 2021. Before taking up this assignment, he was Zonal Manager (Chief General Manager), Lucknow Zone, in the Bank since June 2020.

Shri Saha was one of the participants for the flagship Leadership Development Program of Banks Board Bureau (BBB) in 2019 conducted through IIM, Bangalore. He has also participated in Advanced Management Program conducted by CAFRAL/ Stern Business School, New York and Leadership Development Program conducted by NIBM & Kellogg School of Management, USA.

Shri Saha, a graduate in Science from University of Calcutta, Kolkata, started his career in Banking in erstwhile Oriental Bank of Commerce in the year 1990 as Probationary Officer. He is a Certified Associate member of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He also holds a Diploma in Treasury, Investment and Risk Management (DTIRM) from Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) and Certificate in Risk in Financial Services from IIBF in collaboration with CISI, London along with various certifications related to IT Security, Cyber Crimes and Fraud Management.

In a career spanning over 30 years, he has worked in different capacities and has worked across the country. He has wide exposure in Human Resource Development, Treasury, International Banking, Credit, Risk Management, Organization Restructuring and Board matters. During his tenure at Head Office of erstwhile Oriental Bank of Commerce, he headed Treasury and International Banking, Human Resource Development Division and Board Division.

**4. Shri Gautam Guha, Shareholder Director:**

Shri Gautam Guha has been elected as Shareholder Director w.e.f 18.03.2021 with a tenure upto 05.10.2023.

Shri Gautam Guha, is a Post Graduate in English Literature from Jadavpur University, Kolkata. He was a member of the Indian Audit & Accounts Service of GoI, since 1981 and has served in different capacities in Indian Audit and Accounts Department, Central Ministries and International Organisations. He retired from the post of Additional Deputy Comptroller and Auditor General of Government of India on 31st January 2015.

He has 33 years of professional experience in Public Administration and Finance, Banking, Information Technology, Accountancy and Auditing. He was awarded Prime Minister's Award for 'Excellence in Public Administration' on April 21, 2008 as Team Leader for IT Audit Initiative in Indian Audit & Accounts Department.

He has also served as a Part Time Non-Official Director on the Board of erstwhile Allahabad Bank from 25th April 2016 to 24th April 2019 and from 21st October 2019 to 31st March 2020.

3. **बोर्ड की उप-समितियां**

बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/भारत सरकार/आईबीए दिशानिर्देशों के संदर्भ में रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों और/या कार्यपालक अधिकारियों की विभिन्न उप-समितियों का गठन किया है।

3.1 **बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)**

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन आरबीआई की पत्र संख्या 5/16/13.100/94 दिनांक 09.04.1994, संख्या बीसी/एडीएमएन/919/16.13.100/95 दिनांक 26.09.1995 और सं. डीओएस. संख्या बीसी/3/08.91.020/97 दिनांक 20.01.97 में निहित तथा आरबीआई के अन्य मौजूदा दिशानिर्देश और सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के तहत आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। समिति के व्यापक भूमिका इस प्रकार हैं:-

- संगठन, संचालन, आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण सहित बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों को दिशा प्रदान करना और उसका पर्यवेक्षण करना तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा कार्यों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरण व रिपोर्टों के संबंध में केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करना और लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए समस्त मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय सूचनाओं का प्रकटीकरण।
- वार्षिक वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, बोर्ड को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व, प्रबंधन के साथ उसकी समीक्षा करना एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन करना।
- संबंधित पक्ष के लेनदेन की समीक्षा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों पर यथा लागू सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 की शर्तानुसार कार्य करना।

कंपनी सचिव सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 की विनियम 18 (1) (ई) की शर्त के अनुसार समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

**31.03.2021र की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | गौतम गुहा | अध्यक्ष |
| 2. | विजय दुबे | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3. | पंकज जैन | भारत सरकार के नामिती निदेशक, सदस्य |
| 4. | विवेक अग्रवाल | भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक,सदस्य |

**आमंत्रितः (सुश्री/श्री)**

| | |
|---|---|
| संजय कुमार | कार्यपालक निदेशक |
| अज्ञेय कुमार आजाद | कार्यपालक निदेशक |
| स्वरुप कुमार साहा | कार्यपालक निदेशक |

3. **Sub-Committees of the Board**

The Board of Directors of the Bank has constituted various Sub-Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India/IBA guidelines.

3.1 **Audit Committee of the Board (ACB)**

**Brief description and terms of reference:**

The Audit Committee of the Board has been constituted in terms of RBI guidelines contained in its letter No. 5/16/13.100/94 dated 09.04.1994, No. BC/ADMN/919/16.13.100/95 dated 26.09.1995 and No.DOS. No. BC/3/08.91.020/97 dated 20.01.97 and other extant guidelines of RBI and as required under SEBI (LODR) Regulations 2015. The broad role of the Committee is as under:-

- Providing direction and overseeing the total audit function of the Bank including the organization, operationalization, quality control of internal audit and inspection including its review and follow up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of RBI.
- To interact with Statutory Central Auditors in respect of approval of quarterly/annual Financial Statements and Reports and also follow up on all the issues raised in the Long Form Audit Report.
- Overseeing the Bank's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- To review with the Management, the Annual Financial Statements and Auditors' report thereon before submission to the Board for approval and also the changes in the Accounting Policies.
- To review related party transactions.
- To discharge the functions in terms of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 to the extent applicable to Public Sector Banks.

The Company Secretary acts as Secretary to the Committee in terms of Regulation 18 (1)(e) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

**Constitution of the committee as on 31.03.2021:**

| S. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1. | Gautam Guha | Chairman |
| 2. | Vijay Dube | Executive Director, Member |
| 3. | Pankaj Jain | Govt. Nominee Director, Member |
| 4. | Vivek Aggarwal | RBI Nominee Director, Member |

**Invitees(S/Shri)**:

| | |
|---|---|
| Sanjay Kumar | Executive Director |
| Agyey Kumar Azad | Executive Director |
| Swarup Kumar Saha | Executive Director |

दिनांक 24.03.2021 से डॉ. आशा भंडारकर के स्थान पर श्री गौतम गुहा को सदस्य एवं समिति का अधयक्ष बनाया गया। श्री विजय दुबे को श्री संजय कुमार के स्थान पर दिनांक 11.03.2021 को समिति का सदस्य बनाया गया।

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों के विवरण:**

| क्र.सं | बैठक की तिथि | समिति के निदेशकों की कुल संख्या | बैठकों में उपस्थित हुए निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.05.2020 | 4 | 4 |
| 2 | 19.06.2020 | 4 | 4 |
| 3 | 29.06.2020 | 4 | 3 |
| 4 | 09.07.2020 | 4 | 4 |
| 5 | 30.07.2020 | 4 | 4 |
| 6 | 21.08.2020 | 4 | 4 |
| 7 | 05.09.2020 | 4 | 4 |
| 8 | 25.09.2020 | 4 | 4 |
| 9 | 29.10.2020 | 4 | 4 |
| 10 | 02.11.2020 | 4 | 4 |
| 11 | 04.12.2020 | 4 | 4 |
| 12 | 30.12.2020 | 4 | 4 |
| 13 | 29.01.2021 | 4 | 4 |
| 14 | 05.02.2021 | 4 | 4 |
| 15 | 05.03.2021 | 4 | 4 |
| 16 | 30.03.2021 | 4 | 4 |

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:**

| क्र.सं | निदेशक का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | कितनी बैठकों में उपस्थित हुए |
|---|---|---|---|
| 1 | संजय वर्मा | 1 | 1 |
| 2 | संजय कुमार | 15 | 15 |
| 3 | पंकज जैन | 16 | 15 |
| 4 | विवेक अग्रवाल | 16 | 16 |
| 5 | विजय दुबे | 1 | 1 |
| 6 | डॉ आशा भंडारकर | 14 | 14 |
| 7 | गौतम गुहा | 1 | 1 |

### 3.2 जोखिम प्रबंधन समिति

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसी) का गठन जोखिम प्रबन्धन पर भा.रि. बैंक पत्र सं. डीबीओडी सं. बीपी-520/21.04.103/2002-03 दिनांक 12.10.2002 एवं सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियमन 20 के अनुसार किया गया है। ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम, जोखिम एकीकरण, सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन और बैंक की विभिन्न जोखिम सीमाएं स्थापित करने तथा बैंक के साइबर सुरक्षा की समीक्षा करने सहित बैंक के संपूर्ण जोखिम के प्रबंधन नीति तैयार करने की संपूर्ण जिम्मेदारी समिति के पास है।

Shri Gautam Guha was made member and Chairman of the Committee w.e.f.24.03.2021 in place of Dr. Asha Bhandarker. Shri Vijay Dube was made member of the Committee on 11.03.2021 in place of Shri Sanjay Kumar.

**Details of meetings held during the Financial Year:**

| S. No. | Date of Meeting | Total No. of Directors of the Committee | No of Directors Present in the Meeting |
|---|---|---|---|
| 1. | 29.05.2020 | 4 | 4 |
| 2. | 19.06.2020 | 4 | 4 |
| 3. | 29.06.2020 | 4 | 3 |
| 4. | 09.07.2020 | 4 | 4 |
| 5. | 30.07.2020 | 4 | 4 |
| 6. | 21.08.2020 | 4 | 4 |
| 7. | 05.09.2020 | 4 | 4 |
| 8. | 25.09.2020 | 4 | 4 |
| 9. | 29.10.2020 | 4 | 4 |
| 10 | 02.11.2020 | 4 | 4 |
| 11 | 04.12.2020 | 4 | 4 |
| 12 | 30.12.2020 | 4 | 4 |
| 13 | 29.01.2021 | 4 | 4 |
| 14 | 05.02.2021 | 4 | 4 |
| 15 | 05.03.2021 | 4 | 4 |
| 16 | 30.03.2021 | 4 | 4 |

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| S. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanjay Verma | 1 | 1 |
| 2 | Sanjay Kumar | 15 | 15 |
| 3 | Pankaj Jain | 16 | 15 |
| 4 | Vivek Aggarwal | 16 | 16 |
| 5 | Vijay Dube | 1 | 1 |
| 6 | Dr. Asha Bhandarker | 14 | 14 |
| 7 | Gautam Guha | 1 | 1 |

### 3.2 Risk Management Committee

**Brief description and terms of reference:**

Risk Management Committee (RMC) has been constituted as per RBI letter DBOD No. BP-520/21.04.103/2002-03 dated 12.10.2002 on risk management and Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations 2015. The Committee has overall responsibility of managing entire risk of the Bank, devising suitable risk management policy including credit, market and operational risks, risk integration, implementation of best risk management practices, setting up various risk limits and review of the cyber security of the Bank.

**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार संरचना:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | सीएच.एस.एस.मल्लिकार्जुन राव, | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष |
| 2 | संजय कुमार | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3 | विजय दुबे | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4 | अज्ञेय कुमार आजाद | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 5 | स्वरुप कुमार साहा | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 6 | गौतम गुहा | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |

दिनांक 24.03.2021 से डॉ. आशा भंडारकर के स्थान पर श्री गौतम गुहा को सदस्य एवं समिति का अध्यक्ष बनाया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

| क्र. सं | बैठक की तिथि | समिति के निदेशकों की कुल संख्या | बैठकों में उपस्थित हुए निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.05.2020 | 6 | 6 |
| 2 | 20.07.2020 | 6 | 6 |
| 3 | 14.08.2020 | 6 | 6 |
| 4 | 04.12.2020 | 5 | 5 |
| 5 | 18.03.2021 | 6 | 6 |

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | कितनी बैठकों में उपस्थित हुए |
|---|---|---|---|
| 1. | सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | 5 | 5 |
| 2. | डॉ आर.के.यदुवंशी | 3 | 3 |
| 3. | संजय कुमार | 5 | 5 |
| 4. | विजय दुबे | 5 | 5 |
| 5. | ए.के.आजाद | 5 | 5 |
| 6. | डॉ आशा भंडारकर | 5 | 5 |
| 7. | स्वरूप कुमार साहा | 1 | 1 |
| 8. | गौतम गुहा | शून्य | शून्य |

### 3.3 हितधारकों की संबंध समिति

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियमन 20 और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली, 2000 की शर्तानुसार समिति का गठन किया गया है। समिति की भूमिका में शामिल हैं:

- बैंक के शेयरधारकों, बांडधारकों और अन्य सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान, जिसमें शेयरों के अंतरण/संचरण वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करना, आम बैठकें आदि से संबंधित अनुरोधा/शिकायतें शामिल हैं।

**Composition as on 31.03.2021:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | MD&CEO, Chairman |
| 2 | Sanjay Kumar | Executive Director, Member |
| 3 | Vijay Dube | Executive Director, Member |
| 4 | A. K. Azad | Executive Director, Member |
| 5 | Swarup Kumar Saha | Executive Director, Member |
| 6 | Gautam Guha | Shareholder Director, Member |

Shri Gautam Guha was made member of the Committee w.e.f. 24.03.2021 in place of Dr. Asha Bhandarker.

Details of meetings held during the financial year:

| S. No. | Date of Meeting | Total No. of Directors of the Committee | No of Directors Present in the Meeting |
|---|---|---|---|
| 1. | 28.05.2020 | 6 | 6 |
| 2. | 20.07.2020 | 6 | 6 |
| 3 | 14.08.2020 | 6 | 6 |
| 4. | 04.12.2020 | 5 | 5 |
| 5. | 18.03.2021 | 6 | 6 |

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| S. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | 5 | 5 |
| 2 | Dr. R. K. Yaduvanshi | 3 | 3 |
| 3 | Sanjay Kumar | 5 | 5 |
| 4 | Vijay Dube | 5 | 5 |
| 5 | A. K. Azad | 5 | 5 |
| 6 | Dr. Asha Bhandarker | 5 | 5 |
| 7 | Swarup Kumar Saha | 1 | 1 |
| 8 | Gautam Guha | NIL | NIL |

### 3.3 Stakeholders' Relationship Committee

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000.The Role of the Committee includes:

- Resolving the grievances of the shareholders, bondholders and other security holders of the Bank including requests/ complaints related to transfer/ transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/ duplicate certificates, general meetings etc.

- शेयर धारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।
- रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण प्रतिनिधि द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।
- अदावी लाभांश की मात्र को कम करने और बैंक के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम ( श्री/श्रीमती ) | |
|---|---|---|
| 1 | डॉ. आशा भंडारकर | शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष |
| 2 | सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य |
| 3 | ए.के.आजाद | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को दिनांक 16.06.2020 को समिति का सदस्य बनाया गया।

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों के विवरण:**

| क्र.सं. | बैठक की तिथि | समिति के निदेशकों की कुल सं. | बैठक में उपस्थित निदेशकों की सं. |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2020 | 3 | 3 |
| 2. | 30.07.2020 | 4 | 4 |

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्य-निदेशकों की उपस्थिति की संख्या:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम ( श्री/श्रीमती ) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | कितनी बैठकों में उपस्थित हुए |
|---|---|---|---|
| 1. | डॉ. आशा भंडारकर | 2 | 2 |
| 2. | सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | 1 | 1 |
| 3. | ए.के.आजाद | 2 | 2 |
| 4. | डॉ. आर. के.यदुवंशी | 2 | 2 |

**वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों/बांडधारकों/प्रतिभूतिधारकों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति :**

वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या – 20

शेयरधारकों की संतुष्टि तक शिकायतों का निपटान न होने की संख्या – 1*

दिनांक 31.03.2021 को लम्बित शिकायतों की संख्या – 1*

* 31.03.2021 को समाप्त तिमाही के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत बैंक के शेयरों से संबंधित नहीं थी और न ही यह सेबी के सूचीबद्ध विनियमों के दायरे में थी।

- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Review of adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- Review of the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the Bank.

**Composition as on 31.03.2021:**

| S. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1. | Dr. Asha Bhandarker | Shareholder Director, Chairperson |
| 2. | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | MD & CEO, Member |
| 3. | A. K. Azad | Executive Director, Member |

The MD & CEO was made a member of the Committee on 16.06.2020.

Details of meetings held during the financial year:

| S. No. | Date of Meeting | Total No. of Directors of the Committee | No of Directors Present in the Meeting |
|---|---|---|---|
| 1. | 15.06.2020 | 3 | 3 |
| 2. | 30.07.2020 | 4 | 4 |

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| S. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Asha Bhandarker | 2 | 2 |
| 2 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | 1 | 1 |
| 3 | A. K. Azad | 2 | 2 |
| 4 | Dr. R K Yaduvanshi | 2 | 2 |

**Status of Shareholders'/bondholders'/Security holders' complaints received during the year:**

Total no. of complaints received during FY 2020-21 – 20

No. of complaints not resolved to the satisfaction of shareholders – 1*

No. of complaints pending as on 31.03.2021 – 1*

**The complaint was received through Stock Exchanges during the quarter ended 31.03.2021. The complaint did not pertain to the shares of the Bank nor it was within the purview of SEBI Listing Regulations. It related to*

यह बैंक के एचआर/परिचालन संबंधी मामले से संबंधित है जिसे स्टॉक एक्सचेंजों को उपयुक्त रूप से सूचित किया गया था जिसके बाद शिकायत बंद कर दी गई थी।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार सुश्री एकता पसरीचा, कंपनी सचिव, बैंक की अनुपालन अधिकारी हैं।

### 3.4 नामांकन समिति एवं पारिश्रमिक समिति

**संक्षिप्त विवरण एवं विचारार्थ विषय:**

बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के आधार पर निदेशक के रूप नामांकन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों के सम्बन्ध में ''उपर्युक्त तथा समुचित मानदंडों'' की स्थिति निर्धारित करने के लिए समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने दिनांक 30.08.2019 की विस्तृत अधिसूचना में आरबीआई मास्टर दिशानिर्देश दिनांक 02.08.2019 द्वारा निर्दिष्ट नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कार्यों को पूरा करने के लिए संयोजन सहित एक एकल नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने का निर्देश दिया है।

**31.03.2021 की स्थिति अनुसार संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम |
|---|---|
| 1. | आशा भंडारकर, शेयरधारक निदेशक - अध्यक्ष |
| 2. | गौतम गुहा, शेयरधारक निदेशक |

समिति के गैर-कार्यात्मक होने के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई क्योंकि लागू दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड में केवल दो निदेशकों को इस समिति में नामित किया जा सकता है। तदनुसार, इस समिति के लिए कोरम की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सका।

### 3.5 प्रबंधन समिति (एमसी)

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

राष्ट्रीयकृत बैंकों की (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/80 की खंड 13 के अनुसार समिति गठित की गई है। समिति निम्नलिखित मदों, जोकि एमडी एवं सीईओ/प्र.का. ऋण अनुमोदन समिति (एचओसीएसी)-III के विवेकाधीन अधिकारों से परे हैं, पर विचार करती है।

क) प्रस्तावों की स्वीकृति (निधि एवं गैर-निधि आधारित)

ख) समझौता/बट्टे खातों के प्रस्ताव

ग) पूँजी और राजस्व खर्च के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव

घ) परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने के मानदंडों में विचलन संबंधी प्रस्ताव

ड.) मुकदमा/अपील दायर करने से संबंधित प्रस्ताव, उनका बचाव करना इत्यादि

च) सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों के अंशपत्रों और ऋण पत्रों में निवेश एवं हामीदारी अंकन का प्रस्ताव

छ) दान से सम्बन्धित प्रस्ताव

ज) निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित कोई अन्य मामला

*HR/operational matter of the Bank which was suitably informed to the Stock Exchanges subsequent to which the complaint was closed*

Ms. Ekta Pasricha, Company Secretary, is the Compliance Officer of the Bank in terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

### 3.4 Nomination & Remuneration Committee

**Brief description and terms of reference:**

The Committee is constituted for undertaking due diligence to determine the "Fit and Proper Criteria" status of the persons to be elected as Directors under clause (i) of sub section 3 of Section 9 of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. Further, Govt. of India vide its notification dated 30.08.2019 directed to constitute a single Nomination and Remuneration Committee for carrying out the functions of both Nomination and Remuneration Committee with the composition as specified by RBI vide its Master Direction dated 02.08.2019. as amended.

**Composition as on 31.03.2021:**

| S. No. | Name of the Director |
|---|---|
| 1. | Asha Bhandarker, Shareholder Director-Chairperson |
| 2. | Gautam Guha, Shareholder Director |

No meeting of the Nomination & Remuneration Committee was held during FY 2020-21 as the Committee is non-functional since only two Directors on the Board can be nominated to this Committee as per the applicable guidelines. Accordingly, the quorum requirement for this Committee was not met.

### 3.5 Management Committee (MC)

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of Clause 13 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970/1980. The Committee considers following matters which are beyond the discretionary powers of MD & CEO/Head Office Credit Approval Committee (HOCAC) III:-

a) Sanctioning of credit proposals (Fund based & Non-Fund based),

b) Loan compromise/write-off proposals,

c) Proposal for approval of capital and revenue expenditure,

d) Proposals relating to acquisition and hiring of premises including deviation from norms for acquisition and hiring of premises,

e) Proposals relating to filing of suits/appeals, defending them etc.

f) Proposals for Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies including underwriting,

g) Proposals relating to Donations,

h) Any other matter referred by the Board.

**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार संरचना :**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष |
| 2. | संजय कुमार | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3. | विजय दुबे | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4. | ए.के. आजाद | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 5. | स्वरूप कुमार साहा | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 6. | विवेक अग्रवाल | भा.रि.बै. के नामिति निदेशक, सदस्य |
| 7. | *डॉ आशा भंडारकर | शेयरधारक निदेशक |

डॉ. आशा भंडारकर (शेयरधारक निदेशक) को दिनांक 24.03.2021 से समिति का सदस्य बनाया गया।

*डॉ. आशा भंडारकर दिनांक 16.06.2020 तक समिति की सदस्य रहीं।

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

आयोजित बैठकों की संख्या: 22

बैठकों की तिथि: 29.04.2020, 19.05.2020, 28.05.2020, 01.06.2020, 15.06.2020, 29.06.2020, 17.07.2020, 30.07.2020, 21.08.2020, 11.09.2020, 25.09.2020, 16.10.2020, 29.10.2020, 13.11.2020, 03.12.2020, 29.12.2020, 19.01.2021, 03.02.2021, 04.03.2021, 18.03.2021, 23.03.2021, 31.03.2021.

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | कितनी बैठकों में उपस्थित हुए |
|---|---|---|---|
| 1. | सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | 22 | 22 |
| 2. | डॉ.आर.के.यदुवंशी | 11 | 11 |
| 3. | संजय कुमार | 22 | 21 |
| 4. | विजय दुबे | 22 | 22 |
| 5. | ए.के.आजाद | 22 | 22 |
| 6. | स्वरूप कुमार साहा (10.03.2021 से) | 03 | 03 |
| 7. | विवेक अग्रवाल | 22 | 22 |
| 8. | डॉ आशा भंडारकर | 6 | 6 |

**Composition as on 31.03.2021:**

| S. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | MD&CEO, Chairman |
| 2 | Sanjay Kumar | Executive Director, Member |
| 3 | Vijay Dube | Executive Director, Member |
| 4 | A. K. Azad | Executive Director, Member |
| 5 | Swarup Kumar Saha | Executive Director, Member |
| 6 | Vivek Aggarwal | RBI Nominee Director, Member |
| 7 | *Dr Asha Bhandarker | Shareholder Director |

Dr. Asha Bhandarker (Shareholder Director) was made member of the Committee w.e.f. 24.03.2021.

*Dr. Asha Bhandarker was also a member of this Committee till 16.06.2020.

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 22

Dates of Meetings: 29.04.2020, 19.05.2020, 28.05.2020, 01.06.2020, 15.06.2020, 29.06.2020, 17.07.2020, 30.07.2020, 21.08.2020, 11.09.2020, 25.09.2020, 16.10.2020, 29.10.2020, 13.11.2020, 03.12.2020, 29.12.2020, 19.01.2021, 03.02.2021, 04.03.2021, 18.03.2021, 23.03.2021, 31.03.2021.

**No. of meetings attended by Member- Directors during the Financial Year:**

| S. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | 22 | 22 |
| 2 | Dr. R. K. Yaduvanshi | 11 | 11 |
| 3 | Sanjay Kumar | 22 | 21 |
| 4 | Vijay Dube | 22 | 22 |
| 5 | A. K. Azad | 22 | 22 |
| 6 | Swarup Kumar Saha (w.e.f. 10.03.2021) | 3 | 3 |
| 7 | Vivek Aggarwal | 22 | 22 |
| 8 | Dr. Asha Bhandarker | 6 | 6 |

## 3.6 प्रधान कार्यालय ऋण अनुमोदन समिति (स्तर -।।।) (प्र.का.;.अ.स-III)

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

प्र.का. ऋण अनुमोदन समिति स्तर,।।। का गठन राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के संदर्भ में और वित्त मंत्रालय (एमओएफ), वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) की अधिसूचना दिनांक 05.12.2011 की शर्तानुसार किया गया है।

यह आठ सौ करोड़ रुपये तक के ऋण प्रस्तावों पर विचार करती है, यदि बैंक का कुल कारोबार दस लाख करोड़ रुपये (हमारे बैंक पर लागू) से अधिक का है। यह समिति एमडी एवं सीईओ की पूर्व में निहित शक्तियों की सीमा तक ओटीएस/समझौता/बट्टा खाता प्रस्तावों पर भी विचार करती है।

**31.03.2021 की स्थिति अनुसार संरचना :**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष |
| 2. | संजय कुमार | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3. | विजय दुबे | कार्यपालक निदेशक |
| 4. | ए.के.आजाद | कार्यपालक निदेशक |
| 5. | स्वरूप कुमार साहा | कार्यपालक निदेशक |
| 6. | मुख्य महाप्रबंधक (ऋण) | सदस्य |
| 7. | मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक (वित्त) | सदस्य |
| 8. | मुख्य महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन) | सदस्य |

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

आयोजित बैठकों की संख्या: 21

बैठकों की तिथि: 23.04.2020, 11.11.2020, 16.05.2020, 08.12.2020, 02.06.2020, 15.12.2020, 26.06.2020, 21.12.2020, 18.07.2020, 31.12.2020, 07.08.2020, 15.01.2021, 07.09.2020, 30.01.2021, 17.09.2020, 24.02.2021, 29.09.2020, 18.03.2021, 08.10.2020, 31.03.2021. 21.10. 2020,

## 3.6 Head Office Credit Approval Committee (Level – III) (HOCAC- III)

**Brief description and terms of reference:**

The HO Credit Approval Committee Level III has been constituted in terms of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance (MoF) notification dated 05.12.2011.

It considers the credit proposals up to eight hundred crore rupees, in case of banks having total business of more than ten lakh crore rupees (applicable on our Bank). The Committee also considers OTS/Compromise/Write off proposals to the extent of powers earlier vested with MD & CEO.

**Composition as on 31.03.2021:**

| S. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | MD&CEO, Chairman |
| 2 | Sanjay Kumar | Executive Director, Member |
| 3 | Vijay Dube | Executive Director, Member |
| 4 | A. K. Azad | Executive Director, Member |
| 5 | Swarup Kumar Saha | Executive Director, Member |
| 6 | Chief General Manager (Credit) | Member |
| 7 | Chief General Manager / General Manager (Finance) | Member |
| 8 | Chief General Manager (Risk Management) | Member |

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 21

Dates of Meetings: 23.04.2020, 11.11.2020, 16.05.2020, 08.12.2020, 02.06.2020, 15.12.2020, 26.06.2020, 21.12.2020, 18.07.2020, 31.12.2020, 07.08.2020, 15.01.2021, 07.09.2020, 30.01.2021, 17.09.2020, 24.02.2021, 29.09.2020, 18.03.2021, 08.10.2020, 31.03.2021. 21.10. 2020,

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य - निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | कितनी बैठकों में उपस्थित हुए |
|---|---|---|---|
| 1. | सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | 21 | 21 |
| 2. | डॉ. आर. के. यदुवंशी | 10 | 10 |
| 3. | संजय कुमार | 21 | 21 |
| 4. | विजय दुबे | 21 | 21 |
| 5. | ए. के. आजाद | 21 | 20 |
| 6. | स्वरूप कुमार साहा | 2 | 2 |

**3.7 वसूली में प्रगति की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति**

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

समिति वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय पत्र एफ.सं.7/112/2012-BOA दिनांक: 21.11.2012 और एफ.सं 7/2/2015- वसूली दिनांक 01.01.2016 की शर्तानुसार गठित की गई है।

- शीघ्र वसूली हेतु एनपीए प्रबंधन और विभिन्न टूलों में प्रभावी उपयोग को सुधारने हेतु तरीकों और रणनीतियों की समीक्षा करना।
- विवेक सम्मत बट्टे खातों सहित एनपीए वसूली में हुई प्रगति की निगरानी।
- डीआरटी/डीआरएटी पर लंबित मामलों/आरसी की स्थिति की समीक्षा।
- ऋण निगरानी तंत्र और अनियमित/कमजोर खातों की समीक्षा और एनपीए की रोकथाम हेतु कदम उठाना।

**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष |
| 2. | संजय कुमार | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3. | विजय दुबे | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4. | ए.के.आजाद | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 5. | स्वरूप कुमार साहा | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 6. | गौतम गुहा | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |

डॉ. आशा भंडारकर के स्थान पर श्री गौतम गुहा दिनांक 24.03.2021 से समिति के सदस्य बने।

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| S. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | 21 | 21 |
| 2 | Dr. R. K. Yaduvanshi | 10 | 10 |
| 3 | Sanjay Kumar | 21 | 21 |
| 4 | Vijay Dube | 21 | 21 |
| 5 | A. K. Azad | 21 | 20 |
| 6 | Swarup Kumar Saha | 2 | 2 |

**3.7 Special Committee of the Board to monitor the progress of recovery**

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of DFS, MoF letter F.No.7/112/2012-BOA dated 21.11.2012 and F.No.7/2/2015-Recovery dated 01.01.2016 to:

- Review the ways and strategies to improve NPA management and effective utilization of various tools to expedite recovery.
- Monitor the progress of recovery in NPAs including prudential written-off accounts.
- Review the status of cases/RCs pending at DRTs/DRATs.
- Review the credit monitoring mechanism and status of irregular/weak accounts and the steps for prevention of NPAs.

**Composition as on 31.03.2021:**

| S. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | MD&CEO, Chairman |
| 2 | Sanjay Kumar | Executive Director, Member |
| 3 | Vijay Dube | Executive Director, Member |
| 4 | A. K. Azad | Executive Director, Member |
| 5 | Swarup Kumar Saha | Executive Director, Member |
| 6 | Gautam Guha | Shareholder Director, Member |

Shri Gautam Guha was made member of the Committee w.e.f. 24.03.2021 in place of Dr. Asha Bhandarker.

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

आयोजित बैठकों की संख्या: 04

बैठकों की तिथियां: 15.06.2020, 11.09.2020, 13.11.2020, 12.03.2021.

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य - निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | कितनी बैठकों में उपस्थित हुए |
|---|---|---|---|
| 1. | सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | 4 | 4 |
| 2. | डॉ. आर. के. यदुवंशी | 2 | 2 |
| 3. | संजय कुमार | 4 | 4 |
| 4. | विजय दुबे | 4 | 4 |
| 5. | ए.के.आजाद | 4 | 4 |
| 6. | स्वरूप कुमार साहा | 1 | 1 |
| 7. | डॉ. आशा भंडारकर | 4 | 4 |
| 8. | गौतम गुहा | शून्य | शून्य |

**3.8 इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण की पहचान की समीक्षा के लिए समिति**

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय :**

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र संख्या 01.07.2014 और पत्र दिनांक: 07.01.2015 की शर्तानुसार इरादतन चूककर्ताओं की पहचानकर समिति आदेशों की समीक्षा करने हेतु समिति गठित की गई। जिसमें इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की गई है। इसके अलावा, आरबीआई अधिसूचना संख्या डीबीआर सं. सीआईडी.बीसी.54/20. 16.064/2014-15 दिनांक: 22.12.2014 में ''असहयोगी उधारकर्ता वर्गीकरण समिति'' के निर्णय की भी समीक्षा की गई है।

दिनांक 19 नवंबर 2019 के एफ.सं. 16/19/2019-बीओ. I के डीएफएस दिशानिर्देशों के अनुसार असहयोगी ऋणी वर्गीकरण समिति की दो अलग-अलग समिति और इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा के लिए समिति के स्थान पर एक एकल समिति का गठन किया गया है।

**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार संरचना :**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. आशा भंडारकर | शेयरधारक निदेशक |
| 3. | गौतम गुहा | शेयरधारक निदेशक |

श्री गौतम गुहा दिनांक 24.03.2021 से समिति के सदस्य बने

**वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई क्योंकि श्री गौतम गुहा के चुनाव से पहले बैंक के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक थे। अब समिति 24.03.2021 से प्रभावी हो गई है, जैसा कि दिशानिर्देशों के अनुसार कोरम पूरा हो गया।**

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 04

Dates of Meetings: 15.06.2020, 11.09.2020, 13.11.2020, 12.03.2021.

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| S. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | 4 | 4 |
| 2 | Dr. R. K. Yaduvanshi | 2 | 2 |
| 3 | Sanjay Kumar | 4 | 4 |
| 4 | Vijay Dube | 4 | 4 |
| 5 | A. K. Azad | 4 | 4 |
| 6 | Swarup Kumar Saha | 1 | 1 |
| 7 | Dr. Asha Bhandarker | 4 | 4 |
| 8 | Gautam Guha | NIL | NIL |

**3.8 Committee for Review of identification of Wilful Defaulters & Non Cooperative Borrowers Classification**

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of RBI Master Circular dated 01.07.2014 and letter dated 07.01.2015 to review the orders of the Committee which has identified willful defaulters. Further, in terms of RBI notification no. DBR.No.CID.BC.54/20.16.064/2014-15 dated 22.12.2014, it also reviews the decision of 'Non-Cooperative Borrower Classification Committee'.

As per, DFS guidelines vide F.No. 16/19/2019-BO.I dated 19th November 2019 in place of two separate committee of Non-Cooperative Borrower Classification Committee and Committee for review of identification of Wilful Defaulters, a single committee has been constituted.

**Composition as on 31.03.2021:**

| S. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | MD&CEO, Chairman |
| 2 | Dr. Asha Bhandarker | Shareholder Director, Member |
| 3 | Gautam Guha | Shareholder Director, Member |

Shri Gautam Guha was made member of the committee w.e.f. 24.03.2021.

***No meeting of this committee was held in FY 2020-21 as there was only one Independent Director on the Board of the Bank before election of Shri Gautam Guha. Now the committee has been functionalized w.e.f. 24.03.2021, as quorum is met as per guidelines.***

## 3.9 रु.1 करोड़ या उससे अधिक की धोखाधाड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

भारतीय रिजर्व बैंक पत्र संख्या RBI/2004.15DBS.FGV(F)संख्या /1004/23.04.01A/2003-04 दिनांक 14.01.2004 की शर्तानुसार रु.1.00 करोड़ तथा इससे अधिक, साथ ही राशि पर विचार किए बिना साइबर धोखाधाड़ी के मामलों की निगरानी तथा समीक्षा हेतु यह विशेष समिति गठित की गई है ताकि:

- प्रणालीगत त्रुटियों की पहचान और उन्हें दूर करने के लिए उपाय प्रस्तुत किए जाएं ।
- सीबीआई/पुलिस जांच की प्रगति, वसूली एवं स्टाफ दायित्व की निगरानी।
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदमों की प्रभावशीलता की समीक्षा।
- निवारक तंत्र को मजबूत करने से संबंधित विचारे गए अन्य उपायों को प्रस्तुत करना ।

**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1 | सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अधयक्ष |
| 2 | संजय कुमार | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3 | विजय दुबे | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4 | ए.के.आजाद | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 5 | स्वरूप कुमार साहा | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 6 | पंकज जैन | सरकारी नामिति निदेशक, सदस्य |
| 7 | गौतम गुहा | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |

श्री गौतम गुहा को 24.03.2021 से डॉ. आशा भंडारकर के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया।

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

आयोजित बैठकों की संख्या : 04

बैठक की तिथियाँ : 29.05.2020, 11.09.2020, 30.12.2020, 30.03.2021.

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या :**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | कितनी बैठकों में उपस्थित हुए |
|---|---|---|---|
| 1. | सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | 4 | 4 |
| 2. | डॉ. आर. के यदुवंशी | 2 | 2 |
| 3. | संजय कुमार | 4 | 4 |
| 4. | विजय दुबे | 4 | 4 |
| 5. | ए. के. आजाद | 4 | 4 |

## 3.9 Special Committee of Board to monitor and follow up Fraud Cases involving Rs. 1 crore and above

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of RBI letter no.RBI/2004.15DBS.FGV(F)No./1004/23.04.01A/2003-04 dated 14.01.2004 for monitoring and reviewing all fraud cases of Rs.1.00 crore and above, as well as cyber frauds irrespective of the amount, so as to:

- Identify the systemic lacunae and put in place measures to plug the same.
- Monitor progress of CBI/Police investigation, recovery & staff accountability.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen the preventive mechanism.

**Composition as on 31.03.2021:**

| S. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | MD&CEO, Chairman |
| 2 | Sanjay Kumar | Executive Director, Member |
| 3 | Vijay Dube | Executive Director, Member |
| 4 | A. K. Azad | Executive Director, Member |
| 5 | Swarup Kumar Saha | Executive Director, Member |
| 6 | Pankaj Jain | Govt. Nominee Director, Member |
| 7 | Gautam Guha | Shareholder Director, Member |

Shri Gautam Guha was made member of the committee w.e.f. 24.03.2021 in place of Dr. Asha Bhandarker.

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 04

Dates of Meetings: 29.05.2020, 11.09.2020, 30.12.2020, 30.03.2021.

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| S. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | 4 | 4 |
| 2 | Dr. R. K. Yaduvanshi | 2 | 2 |
| 3 | Sanjay Kumar | 4 | 4 |
| 4 | Vijay Dube | 4 | 4 |
| 5 | A. K. Azad | 4 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | स्वरूप कुमार साहा | 1 | शून्य |
| 7. | पंकज जैन | 4 | 4 |
| 8. | डॉ. आशा भंडारकर | 3 | 3 |
| 9. | गौतम गुहा | 1 | 1 |

3.10 **सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति:**

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

भा.रि.बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई/2010-11/494/डीबीएस.सीओ. आईटीसी.बीसी.सं.6/31.02.008/2010-11 दिनांकित 29.04.2011 की शर्तानुसार समिति गठित की गई। बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

- सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और पॉलिसी दस्तानवेज का अनुमोदन।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन उपयुक्त कार्यनीति योजना प्रक्रिया प्रभावी ढंग से रख रही है।
- प्रमाणित करना कि कारोबार कार्यनीति सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति के साथ वास्तविक रूप से संबद्ध है।
- यह समीक्षा करना कि आईटी संगठन, संरचना व्यापार मॉडल और उसकी दिशा का पूरक है।
- सुनिश्चित करना कि प्रबंधन के द्वारा कार्यान्वित प्रक्रियाएं एवं प्रथाएं कारोबार के मूल्य को बढ़ाती हैं।
- सुनिश्चित करना कि आईटी निवेश का बजट स्वीकार योग्य है।
- सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक आईटी संसाधनों के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त पद्धति की निगरानी करना और आउटसोर्सिंग तथा आईटी संसाधनों के उपयोग के लिए उच्च स्तरीय दिशा निर्देश प्रदान करना।
- बैंक के विकास को बनाए रखने के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना।
- आईटी जोखिमों एवं नियंत्रणों की ओर से एक्सपोजर के बारे में जागरूक होना और आईटी जोखिमों की प्रबंधन की निगरानी का प्रभावी मूल्यांकन करना।
- आईटी कार्यनीतियों के लागूकरण में उच्च प्रबंधन के प्रदर्शन का आंकलन करना।
- उच्च स्तरीय नीति दिशानिर्देश जारी करना (जैसे जोखिम, निधियन अथवा सोर्सिंग से संबंधित कार्य)
- यह पुष्टि करना कि क्या आईटी या व्यावसायिक ढांचा तैयार किया गया है ताकि बैंक स्तर पर आईटी के समेकित निधियन के लिए संपूर्ण आईटी परिदृश्य से अधिकतम कारोबार मूल्य प्राप्त किया जा सके और आईटी जोखिमों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संसाधनों का प्रबंधन करना।
- आईटी प्रदर्शन उपायों और कारोबार में आईटी के योगदान की समीक्षा करना

**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | गौतम गुहा | शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष |
| 2. | सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Swarup Kumar Saha | 1 | NIL |
| 7 | Pankaj Jain | 4 | 4 |
| 8 | Dr. Asha Bhandarker | 3 | 3 |
| 9 | Gautam Guha | 1 | 1 |

3.10 **I.T. Strategy Committee**

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted as per RBI circular no. RBI/2010-11/494/ DBS.co.ITC. BC.No.6/31.02.008/2010-11 dated 29.04.2011. The broad functions of the IT Strategy Committee of the Board are to:

- Approving IT Strategy and policy document.
- Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
- Reviewing that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- Ensuring that the IT Organization structure complements the business model and its direction.
- Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business.
- Ensuring IT investments represented in the IT budgets are acceptable.
- Monitoring the method that management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high-level direction for sourcing and use of IT resources.
- Ensuring proper balance of IT investments for sustaining Bank's growth.
- Being aware about exposure towards IT risks and controls and evaluating effectiveness of management's monitoring of IT risks.
- Assessing senior management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high level policy guidance (e.g. related to risk, funding and sourcing tasks).
- Confirming whether IT or business architecture is designed, so as to derive the maximum business value from IT overseeing the aggregate funding of IT at bank level and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks.
- Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business goals.

**Composition as on 31.03.2021:**

| S. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1 | Gautam Guha | Shareholder Director, Chairman |
| 2 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | MD&CEO, Member |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | संजय कुमार | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4. | विजय दुबे | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 5. | ए.के.आजाद | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 6. | स्वरूप कुमार साहा | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| | सी.आई.ओ. (सी.जी.एम.-आई.टी) – सदस्य | |
| | **आमंत्रित :** आई.टी. सलाहकार | |

डॉ. आशा भंडारकर के स्थान पर श्री गौतम गुहा को 24.03.2021 से समिति का सदस्य और अध्यक्ष बनाया गया है।

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

आयोजित बैठकों की संख्या : 04

बैठकों की तिथि : 28.05.2020, 14.08.2020, 16.10.2020, 29.01.2021

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों की उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या:**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या | कितनी बैठकों में उपस्थित हुए |
|---|---|---|---|
| 1. | संजय वर्मा | 1 | 1 |
| 2. | डॉ. आशा भंडारकर | 3 | 3 |
| 3. | गौतम गुहा | शून्य | शून्य |
| 4. | सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | 4 | 4 |
| 5. | डॉ. आर.के यदुवंशी | 2 | 2 |
| 6. | संजय कुमार | 4 | 4 |
| 7. | विजय दुबे | 4 | 4 |
| 8. | ए.के.आजाद | 4 | 4 |
| 9. | स्वरूप कुमार साहा | शून्य | शून्य |

### 3.11 ग्राहक सेवा समिति

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

भा.रि.बैंक के पत्र दिनांक 14.08.2004 एवं मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015 के संदर्भ में तिमाही आधार पर बैंक की ग्राहक सेवा समीक्षा हेतु समिति गठित की गई।

**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष |
| 2. | संजय कुमार | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3. | विजय दुबे | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4. | ए. के. आजाद | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 5. | स्वरूप कुमार साहा | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 6. | पंकज जैन | सरकार नामिती निदेशक, सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Sanjay Kumar | Executive Director, Member |
| 4 | Vijay Dube | Executive Director, Member |
| 5 | A. K. Azad | Executive Director, Member |
| 6 | Swarup Kumar Saha | Executive Director, Member |
| | CIO (CGM-IT) - Member | |
| | **Invitees:** I.T. Advisor | |

Shri Gautam Guha was made member and Chairman of the Committee w.e.f. 24.03.2021 in place of Dr. Asha Bhandarker.

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 04

Dates of Meetings: 28.05.2020, 14.08.2020, 16.10.2020, 29.01.2021

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| S. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanjay Verma | 1 | 1 |
| 2 | Dr. Asha Bhandarker | 3 | 3 |
| 3 | Gautam Guha | NIL | NIL |
| 4 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | 4 | 4 |
| 5 | Dr. R. K. Yaduvanshi | 2 | 2 |
| 6 | Sanjay Kumar | 4 | 4 |
| 7 | Vijay Dube | 4 | 4 |
| 8 | A. K. Azad | 4 | 4 |
| 9 | Swarup Kumar Saha | NIL | NIL |

### 3.11 Customer Service Committee

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of RBI letter dated 14.08.2004 and RBI Master Circular dated July 01, 2015 to review customer service of the Bank on quarterly basis.

**Composition as on 31.03.2021:**

| S. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | MD&CEO, Chairman |
| 2 | Sanjay Kumar | Executive Director, Member |
| 3 | Vijay Dube | Executive Director, Member |
| 4 | A. K. Azad | Executive Director, Member |
| 5 | Swarup Kumar Saha | Executive Director, Member |
| 6 | Pankaj Jain | Govt. Nominee Director, Member |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | डॉ. आशा भंडारकर | शेयरधारक निदेशक |
| | **आमंत्रित :**<br>i) ग्राहक सेवा - विशेषज्ञ<br>ii) ग्राहक प्रतिनिधि | |

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

आयोजित बैठकों की संख्या : 05

बैठकों की तिथि : 15.06.2020, 25.09.2020, 29.12.2020, 29.01.2021, 04.03.2021.

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित सदस्य-निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या :**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | कितनी बैठकों में उपस्थित हुए |
|---|---|---|---|
| 1. | सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव | 5 | 5 |
| 2. | डॉ आर. के. यदुवंशी | 2 | 2 |
| 3. | संजय कुमार | 5 | 5 |
| 4. | विजय दुबे | 5 | 5 |
| 5. | ए. के. आजाद | 5 | 5 |
| 6. | स्वरूप कुमार साहा | शून्य | शून्य |
| 7. | पंकज जैन | 5 | 4 |
| 8. | डॉ. आशा भंडारकर | 5 | 5 |

**3.12 सतर्कता/गैर-सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई मामलों के निपटान की समीक्षा हेतु निदेशक समिति**

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

समिति का गठन आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग - सतर्कता अनुभाग, वित्त मंत्रलय सूचना सं. 10/12/90/ वीआईजी/सीवीओ दिनांक 24.10.1990 की शर्तानुसार और तिमाही आधार पर सतर्कता और गैर-सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों के निपटान की समीक्षा हेतु किया गया।

**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1 | सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | एमडी एवं सीईओ, अध्यक्ष |
| 2 | संजय कुमार | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3 | विजय दुबे | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4 | ए. के आजाद | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 5 | स्वरुप कुमार साहा | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 6 | पंकज जैन | सरकार नामित निदेशक, सदस्य |
| 7 | विवेक अग्रवाल | आरबीआई नामित निदेशक, सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Dr. Asha Bhandarker | Shareholder Director, Member |
| | **Invitees:**<br>i) Customer Service - Specialist<br>ii) Customer Representative | |

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 05

Dates of Meetings: 15.06.2020, 25.09.2020, 29.12.2020, 29.01.2021, 04.03.2021.

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| S. No. | Name of Director Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | 5 | 5 |
| 2 | Dr. R. K. Yaduvanshi | 2 | 2 |
| 3 | Sanjay Kumar | 5 | 5 |
| 4 | Vijay Dube | 5 | 5 |
| 5 | A. K. Azad | 5 | 5 |
| 6 | Swarup Kumar Saha | NIL | NIL |
| 7 | Pankaj Jain | 5 | 4 |
| 8 | Dr. Asha Bhandarker | 5 | 5 |

**3.12 Committee of Directors to review disposal of Vigilance/Non-vigilance Disciplinary action cases**

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of Department of Economic Affairs, Banking Division – Vigilance Section, MoF communication no. 10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990 and reviews disposal of vigilance and non-vigilance disciplinary action cases on quarterly basis.

**Composition as on 31.03.2021:**

| S. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | MD&CEO, Chairman |
| 2 | Sanjay Kumar | Executive Director, Member |
| 3 | Vijay Dube | Executive Director, Member |
| 4 | A. K. Azad | Executive Director, Member |
| 5 | Swarup Kumar Saha | Executive Director, Member |
| 6 | Pankaj Jain | Govt. Nominee Director, Member |
| 7 | Vivek Aggarwal | RBI Nominee Director, Member |

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

आयोजित बैठकों की संख्या: 04

बैठकों की तिथि: 29.05.2020, 05.09.2020, 30.12.2020, 05.03.2021

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य - निदेशकों की उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या :**

| क्र. सं. | निदेशक के नाम (श्री/श्रीमती) | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठके | जितनी बैठकों में उपस्थित हुए |
|---|---|---|---|
| 1. | सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | 4 | 4 |
| 2. | डॉ. आर. के. यदुवंशी | 2 | 2 |
| 3. | संजय कुमार | 4 | 4 |
| 4 | विजय दुबे | 4 | 4 |
| 5 | ए. के. आजाद | 4 | 4 |
| 6 | स्वरुप कुमार साहा | शून्य | शून्य |
| 7 | पंकज जैन | 4 | 3 |
| 8 | विवेक अग्रवाल | 4 | 4 |

**3.13 निदेशकों की पदोन्नति समिति**

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

समिति का गठन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग पत्र एफ.सं.4/1/10/96-आई.आर दिनांक 19.11.1997 के शर्तानुसार किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने अपने पत्र संख्या 4/3/1/2012-आईआर दिनांक 16 अप्रैल, 2019 ने स्केल VI से स्केल VII में पदोन्नति के लिए चयन समिति के गठन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।

हालांकि, रुपये 10 लाख करोड़ से अधिक के कारोबार वाले बड़े बैंकों में सीजीएम (स्केल VIII) स्तर की शुरूआत के साथ, भारत सरकार, वित्त मंत्रलय, वित्तीय सेवा विभाग ने अपने पत्र सं. एफ.सं. 4/3/1/2012-आईआर दिनांक 10 मार्च, 2021 द्वारा सूचित किया कि दिनांक 16.04.2019 और 30.08.2019 के पत्रों द्वारा निर्दिष्ट चयन समिति बैंक के बोर्ड से नीचे के उच्चतम स्तर पर अधिकारियों की पदोन्नति के लिए चयन समिति होगी (पंजाब नैशनल बैंक के मामले में स्केल VII से स्केल VIII में पदोन्नति के लिए)।

**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1 | सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | एमडी एवं सीईओ, अध्यक्ष |
| 2 | पंकज जैन | सरकार नामित निदेशक, सदस्य |
| 3 | विवेक अग्रवाल | आरबीआई नामित निदेशक, सदस्य |
| 4 | **आमंत्रित :** दो विशेषज्ञ | |

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 04

Dates of Meetings: 29.05.2020, 05.09.2020, 30.12.2020, 05.03.2021

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| S. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | 4 | 4 |
| 2 | Dr. R. K. Yaduvanshi | 2 | 2 |
| 3 | Sanjay Kumar | 4 | 4 |
| 4 | Vijay Dube | 4 | 4 |
| 5 | A. K. Azad | 4 | 4 |
| 6 | Swarup Kumar Saha | NIL | NIL |
| 7 | Pankaj Jain | 4 | 3 |
| 8 | Vivek Aggarwal | 4 | 4 |

**3.13 Directors Promotion Committee**

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of Government of India (GoI), MoF, Department of Economic Affairs letter F.No. 4/1/10/96-IR dated 19.11.1997. Further, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide its letter no. 4/3/1/2012-IR dated April 16, 2019 issued guidelines regarding composition of selection committee for promotion from Scale VI to Scale VII.

However, with the introduction of CGM (Scale VIII) level in large banks having business of more than Rs.10 lakh crore, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide its letter no. F.No. 4/3/1/2012-IR dated March 10, 2021 conveyed that Selection Committee specified vide letters dated 16.04.2019 and 30.08.2019 shall be the selection committee for promotion of officers to the highest level below the Bank's Board (in case of Punjab National Bank- for promotion from Scale VII to Scale VIII).

**Composition as on 31.03.2021:**

| S. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | MD&CEO, Chairperson |
| 2 | Pankaj Jain | Govt. Nominee Director, Member |
| 3 | Vivek Aggarwal | RBI Nominee Director, Member |
| 4 | **Invitees:** Two Experts | |

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

आयोजित बैठकों की संख्या: 02

बैठकों की तिथि: 17.04.2020, 27.03.2021

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य - निदेशकों की उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या :**

| क्र. सं. | निदेशक के नाम (श्री/श्रीमती) | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठके | जितनी बैठकों में उपस्थित हुए |
|---|---|---|---|
| 1. | सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | 2 | 2 |
| 2. | पंकज जैन | 2 | 2 |
| 3. | विवेक अग्रवाल | 2 | 2 |

## 3.14 अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी समिति

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

समिति का गठन पीएनबी अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमन, 1977 की शर्तानुसार अपीलीय प्राधिकारी/समीक्षा प्राधिकारी के रूप में अपील और समीक्षा मामलों पर विचार करने के लिए किया गया है।

**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1 | सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव | एमडी एवं सीईओ, अध्यक्ष |
| 2 | संजय कुमार | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3 | विजय दुबे | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4 | ए. के. आजाद | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 5 | स्वरुप कुमार साहा | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 6 | पंकज जैन | सरकार नामित निदेशक, सदस्य |

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

आयोजित बैठकों की संख्या: 02

बैठकों की तिथि: 16.10.2020, 05.03.2021

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य - निदेशकों की उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या :**

| क्र. सं. | निदेशक के नाम (श्री/श्रीमती) | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठके | जितनी बैठकों में उपस्थित हुए |
|---|---|---|---|
| 1 | सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | 2 | 2 |
| 2 | डॉ. आर. के. यदुवंशी | शून्य | शून्य |
| 3 | संजय कुमार | 2 | 2 |
| 4 | विजय दुबे | 2 | 2 |
| 5 | ए.के. आजाद | 2 | 2 |
| 6 | स्वरुप कुमार साहा | शून्य | शून्य |
| 7. | पंकज जैन | 2 | 2 |

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 02

Dates of Meetings: 17.04.2020, 27.03.2021

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| S. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | 2 | 2 |
| 2 | Pankaj Jain | 2 | 2 |
| 3 | Vivek Aggarwal | 2 | 2 |

## 3.14 Appellate Authority & Reviewing Authority Committee

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted to consider Appeal and Review cases as Appellate Authority/Reviewing Authority in terms of PNB Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1977.

**Composition as on 31.03.2021:**

| S. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | MD&CEO, Chairman |
| 2 | Sanjay Kumar | Executive Director, Member |
| 3 | Vijay Dube | Executive Director, Member |
| 4 | A. K. Azad | Executive Director, Member |
| 5 | Swarup Kumar Saha | Executive Director, Member |
| 6 | Pankaj Jain | Govt. Nominee Director, Member |

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meeting held: 02

Dates of Meeting: 16.10.2020, 05.03.2021

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| S. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | 2 | 2 |
| 2 | Dr. R. K. Yaduvanshi | NIL | NIL |
| 3 | Sanjay Kumar | 2 | 2 |
| 4 | Vijay Dube | 2 | 2 |
| 5 | A. K. Azad | 2 | 2 |
| 6 | Swarup Kumar Saha | NIL | NIL |
| 7 | Pankaj Jain | 2 | 2 |

3.15 **मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति**

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

समिति का गठन भारत सरकार द्वारा गठित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मानव संसाधन पर अध्ययन के लिए खंडेलवाल समिति की संस्तुतियों द्वारा डीएफएस पत्र एफ.नं.9/18/2009-आईआर दिनांक 21.10.2011 के शर्तानुसार किया गया है।

**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1 | सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | एमडी एवं सीईओ, अधयक्ष |
| 2 | ए के आजाद | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3 | पंकज जैन | सरकार नामित निदेशक, सदस्य |
| 4 | डॉ. आशा भंडारकर | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |
| | **आमंत्रित:** मानव संसाधान विशेषज्ञ | |

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

आयोजित बैठकों की संख्या: 03

बैठकों की तिथि: 11.09.2020, 29.12.2020, 30.03.2021

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य - निदेशकों की उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या :**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठके | जितनी बैठकों में उपस्थित हुए |
|---|---|---|---|
| 1 | सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | 3 | 3 |
| 2 | डॉ. आर. के. यदुवंशी | 1 | 1 |
| 3 | ए. के. आजाद | 2 | 2 |
| 4 | पंकज जैन | 3 | 3 |
| 5 | डॉ. आशा भंडारकर | 3 | 3 |

3.16 **शेयरधारक निदेशकों के चुनाव पर विचार करने के लिए समिति- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान**

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

भारत सरकार, डीएफएस पत्र दिनांक 03.04.2012 के संदर्भ में गठित समिति, उम्मीदवारों के प्रोफाइल और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उन संस्थाओं में निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवारों का निर्णय करता है जिनमें बैंक की हिस्सेदारी है।

**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1 | सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | एमडी एवं सीईओ, अध्यक्ष |
| 2 | संजय कुमार | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |

3.15 **Steering Committee of the Board on HR**

**Brief description and terms of reference:**

The Committee was formed as per the DFS letter F.No.9/18/2009-IR dated 21.10.2011 having recommendations of the Khandelwal Committee on Human Resources Issues of the Public Sector Banks formed by the Govt. of India.

**Composition as on 31.03.2021:**

| S. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1 | Mr. CH. S. S. Mallikarjuna Rao | MD&CEO, Chairman |
| 2 | Mr. A K Azad | Executive Director, Member |
| 3 | Mr. Pankaj Jain | Govt. Nominee Director, Member |
| 4 | Dr. Asha Bhandarker | Shareholder Director, Member |
| | **Invitees:** HR Expert | |

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meeting held: 03

Dates of Meeting: 11.09.2020, 29.12.2020, 30.03.2021

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| S. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | 3 | 3 |
| 2 | Dr. R. K. Yaduvanshi | 1 | 1 |
| 3 | A K Azad | 2 | 2 |
| 4 | Pankaj Jain | 3 | 3 |
| 5 | Dr. Asha Bhandarker | 3 | 3 |

3.16 **Committee to consider election of Shareholder Directors - voting by Public Sector Banks**

**Brief description and terms of reference:**

The Committee, constituted in terms of GoI, DFS letter dated 03.04.2012, decides on the candidates for election as Directors in entities in which Bank is holding a stake considering the profile and background of candidates.

**Composition as on 31.03.2021:**

| S. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | MD&CEO, Chairman |
| 2 | Sanjay Kumar | Executive Director, Member |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | विजय दुबे | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4 | ए.के. आजाद | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 5 | स्वरुप कुमार साहा | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |

**वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड की समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं हुई।**

### 3.17. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति

समिति का गठन डीएफएस अधिसूचना एफ/9/5/2009-आईआर दिनांक 30.08.2019 और एफ/9/5/2009-आईआर दिनांक 14.11.2019 के अनुसार किया गया है। समिति, गुणात्मक और मात्रात्मक मुख्य प्रदर्शन सूचकों (केपीआईएस) को स्थापित करके मुख्य महाप्रबंधकों एवं कार्यपालक निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। इसके अलावा, समिति, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए बोर्ड केपीआई को भी प्रस्तावित करती है।

**31.03.2021 के अनुसार संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम ( श्री/श्रीमती ) | |
|---|---|---|
| 1 | डॉ. आशा भंडारकर | शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष |
| 2 | पंकज जैन | सरकारी नामित निदेशक, सदस्य |
| 3 | गौतम गुहा | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |

**श्री गौतम गुहा को दिनांक 24.03.2021 से समिति का सदस्य बनाया गया था।**

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण**

आयोजित बैठकों की संख्या: 02

बैठकों की तिथि: 05.09.2020, 05.03.2021

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य - निदेशकों की उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या :**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम ( श्री/श्रीमती ) | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठके | जितनी बैठकों में उपस्थित हुए |
|---|---|---|---|
| 1 | संजय वर्मा | शून्य | शून्य |
| 2 | डॉ. आशा भंडारकर | 2 | 2 |
| 3 | पंकज जैन | 2 | 2 |
| 4 | गौतम गुहा | शून्य | शून्य |

### 3.18 व्यवसाय समीक्षा समिति

समिति का गठन बोर्ड द्वारा आयोजित उनकी बैठक दिनांक 19.03.2020 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशानुसार किया गया था। समिति को बैंक के सभी व्यवसाय वर्टिकल की बोर्ड स्तर की समीक्षा सौंपी गई है।

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Vijay Dube | Executive Director, Member |
| 4 | A. K. Azad | Executive Director, Member |
| 5 | Swarup Kumar Saha | Executive Director, Member |

**No meeting of Committee of the Board was held during FY 2020-21.**

### 3.17 Performance Evaluation Committee

The Committee has been formed as per DFS notification F/9/5/2009-IR dated 30.08.2019 and F/9/5/2009-IR dated 14.11.2019. The Committee evaluates the performance of Chief General Managers and Executive Directors by setting up qualitative and quantitative Key Performance Indicators (KPIs). Also, the Committee proposes to the Board KPIs for evaluation of performance of Managing Director and CEO.

**Composition as on 31.03.2021:**

| S. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Asha Bhandarker | Shareholder Director, Chairperson |
| 2 | Pankaj Jain | Govt. Nominee Director, Member |
| 3 | Gautam Guha | Shareholder Director, Member |

**Shri Gautam Guha was made member of the committee w.e.f. 24.03.2021.**

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meeting held: 02

Dates of Meeting: 05.09.2020, 05.03.2021

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| S. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanjay Verma | NIL | NIL |
| 2 | Dr. Asha Bhandarker | 2 | 2 |
| 3 | Pankaj Jain | 2 | 2 |
| 4 | Gautam Guha | NIL | NIL |

### 3.18 Business Review Committee

The Committee has been formed as per the direction given by Board in its meeting held on 19.03.2020. The Committee has been entrusted with the Board level review of all Business Verticals of the Bank.

31.03.2021 के अनुसार संरचना:

| क्र. सं. | निदेशक के नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1 | सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | एमडी एवं सीईओ, अध्यक्ष |
| 2 | संजय कुमार | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3 | विजय दुबे | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4 | ए. के. आजाद | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 5 | स्वरुप कुमार साहा | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 6 | डॉ. आशा भंडारकर | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

आयोजित बैठकों की संख्या: 04

बैठकों की तिथि: 28.05.2020, 24.09.2020, 13.11.2020, 12.03.2021

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य - निदेशकों की उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या :**

| क्र. सं. | निदेशक के नाम | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें | जितनी बैठकों में उपस्थित हुए |
|---|---|---|---|
| 1 | सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | 4 | 4 |
| 2 | डॉ. आर. के. यदुवंशी | 2 | 2 |
| 3 | संजय कुमार | 4 | 4 |
| 4 | विजय दुबे | 4 | 4 |
| 5 | ए. के. आजाद | 4 | 4 |
| 6 | स्वरुप कुमार साहा | 1 | 1 |
| 7 | संजय वर्मा | 1 | 1 |
| 8 | डॉ. आशा भंडारकर | 4 | 4 |

### 3.19 बोर्ड की पूंजी जुटाने वाली समिति

समिति का गठन 09.07.2020 को हुई अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार पूंजी जुटाने से संबंधित विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने के लिए किया गया है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है:

क) पर्याप्त शेयरों का निर्गम और आवंटन: निर्गम का प्रकार, अनुपात, निर्गम का समय और मूल्य, प्रमुख प्रबंधकों, कानूनी सलाहकारों, हामीदारों की नियुक्ति (जो आवश्यक हो) और ऐसी सभी एजेंसियां जो इक्विटी शेयरों की पेशकश में शामिल या संबंधित हो सकती हैं और ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्था / करार आदि करना और निष्पादित करना और जहां बैंक के शेयर सूची हैं वहां स्टॉक एक्सचेंजों पर जारी किए गए इक्विटी शेयरों की सूची तलाश करना।

**Composition as on 31.03.2021:**

| S. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | MD& CEO, Chairman |
| 2 | Sanjay Kumar | Executive Director, Member |
| 3 | Vijay Dube | Executive Director, Member |
| 4 | A. K. Azad | Executive Director, Member |
| 5 | Swarup Kumar Saha | Executive Director, Member |
| 6 | Dr. Asha Bhandarker | Shareholder Director, Member |

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meeting held: 04

Dates of Meeting: 28.05.2020, 24.09.2020, 13.11.2020, 12.03.2021

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| S. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | 4 | 4 |
| 2 | Dr. R K Yaduvanshi | 2 | 2 |
| 3 | Sanjay Kumar | 4 | 4 |
| 4 | Vijay Dube | 4 | 4 |
| 5 | A. K. Azad | 4 | 4 |
| 6 | Swarup Kumar Saha | 1 | 1 |
| 7 | Sanjay Verma | 1 | 1 |
| 8 | Dr. Asha Bhandarker | 4 | 4 |

### 3.19 Capital Raising Committee of Board

The Committee is constituted as per the direction given by Board in its meeting held on 09.07.2020 for deciding on various matters relating to raising of capital including but not limited to:

a) Issue and allotment of equity shares: type of issue, proportion, timing and price of issue, appointment of Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters (as may be necessary) and all such Agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and also to enter into and execute all such arrangement/agreements etc., with such Agencies and to seek the listing of Equity shares issued on the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed.

ख) एक या एक से अधिक किश्तें, कूपन, परिपक्वता, कॉल विकल्प, समय, आवंटन का आधार, आवंटन तिथि और सभी पूर्व जारी / जारी करने के बाद की औपचारिकताओं, बांड जारी करने, रेटिंग एजेंसी/ट्रस्टी, प्रबंधकों/सलाहकार और इश्यू के रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तों में संशोधन बेसल III अनुपालन एटी 1/टीयर II बांड के माध्यम से जुटाई जाने वाली पूंजी की मात्र को अंतिम रूप देना/अनुमोदित करना।

**31.03.2021 के अनुसार संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक के नाम ( श्री/श्रीमती ) | |
|---|---|---|
| 1 | सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव | एमडी एवं सीईओ, अध्यक्ष |
| 2 | संजय कुमार | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3 | विजय दुबे | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4 | ए. के. आजाद | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 5 | स्वरुप कुमार साहा | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 6 | डॉ. आशा भंडारकर | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण**

आयोजित बैठकों की संख्या: 04

बैठकों की तिथि: 19.11.2020, 15.12.2020, 18.12.2020, 21.12.2020

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य - निदेशकों की उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या :**

| क्र. सं. | निदेशक के नाम | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठके | जितनी बैठकों में उपस्थित हुए |
|---|---|---|---|
| 1 | सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव | 4 | 4 |
| 2 | संजय कुमार | 4 | 4 |
| 3 | विजय दुबे | 4 | 4 |
| 4 | ए. के. आजाद | 4 | 4 |
| 5 | स्वरुप कुमार साहा | शून्य | शून्य |
| 6 | डॉ. आशा भंडारकर | 4 | 4 |

**4. निदेशकों का पारिश्रमिक:**

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार वेतन के माध्यम से पारिश्रमिक दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

b) Finalizing/approving the quantum of capital to be raised through Basel III Compliant AT1/Tier II Bonds in one or more tranches, coupon, maturity, call option, timing, basis of allotment, allotment date and all pre issue/post issue formalities, modification in terms and conditions for the issuance of Bonds, appointment of Rating Agency/Trustee, Arrangers/ Advisors and Registrar to the Issue.

**Composition as on 31.03.2021:**

| S. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | MD& CEO, Chairman |
| 2 | Sanjay Kumar | Executive Director, Member |
| 3 | Vijay Dube | Executive Director, Member |
| 4 | A. K. Azad | Executive Director, Member |
| 5 | Swarup Kumar Saha | Executive Director, Member |
| 6 | Dr. Asha Bhandarker | Shareholder Director, Member |

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meeting held: 04

Dates of Meeting: 19.11.2020, 15.12.2020, 18.12.2020, 21.12.2020

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| S. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | 4 | 4 |
| 2 | Sanjay Kumar | 4 | 4 |
| 3 | Vijay Dube | 4 | 4 |
| 4 | A. K. Azad | 4 | 4 |
| 5 | Swarup Kumar Saha | NIL | NIL |
| 6 | Dr. Asha Bhandarker | 4 | 4 |

**4. Remuneration of Directors:**

The Managing Director & CEO and the Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to Whole Time Director(s) during the F.Y. 2020-21 are as under:

| क्र. सं. | नाम ( श्री ) | पद | भुगतान राशि ( रु में ) | पीएफ का अंशदान ( रु ) | मेडिकल ( रु में ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सी.एच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 3122184.00 | 259590.00 | 51977.75 |
| 2 | मुकेश कुमार जैन^ | ओएसडी@ | 7282251.60 | 77077.92 | 8070.00 |
| 3 | बालाकृष्णा अल्से एस.^^ | ओएसडी@ | 5443788.44 | 19525.17 | 0.00 |
| 4 | आर.के.यदुवंशी# | कार्यपालक निदेशक | 7152174.80 | 119225.00 | 116177.15 |
| 5 | ए. के. आजाद | कार्यपालक निदेशक | 2956187.71 | 220170.00 | 2954015.09 |
| 6 | विजय दुबे | कार्यपालक निदेशक | 1446963.24 | 228058.40 | 7200.00 |
| 7 | संजय कुमार | कार्यपालक निदेशक | 2614599.00 | 223470.00 | 78578.00 |
| 8 | स्वरुप कुमार साहा | कार्यपालक निदेशक | 146801.03 | 12547.00 | 0.00 |

(* सेवानिवृति पर ग्रेच्युइटी और छुटी नकदीकरण शामिल है)

^ई ओबीसी के एमडी एवं सीईओ ^^ई ओबीसी के ईडी

@एमओएफ अधिसूचना दिनांक 25.03.2020 के अनुसार पीएनबी में ओएसडी के रूप में 01.04.2020 से नियुक्त किया गया

# दिनांक 08.10.2020 से निदेशक पद से कार्यमुक्त

सेवा अनुबंधों और नोटिस अवधि सहित नियुक्ति की शर्तें सरकार के दिशा-निर्देशानुसार है। किसी भी निदेशक को कोई विच्छेद शुल्क देय नहीं है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का भुगतान नहीं किया गया था। इसके अलावा, बैंक द्वारा किसी भी निदेशक को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया है।

बैंक गैर कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड अथवा उपसमितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं देता। देय शुल्क निम्नानुसार हैं:-

| क्र. सं. | बैठक | प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिये देय शुल्क ( ₹ ) 01.04.2020 से |
|---|---|---|
| (क) | बोर्ड | 70,000/- |
| (ख) | बोर्ड की उप समिति | 35,000/- |
| (ग) | बोर्ड मीटिंग की अधयक्षता के लिए | 20,000/- (उपरोक्त (ए) के अतिरिक्त) |
| (घ) | बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता के लिए | 10,000/- (उपरोक्त (बी) के अतिरिक्त) |

**वर्ष 2020-21 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को भाग लेने के लिए कुल सिटिंग फीस का भुगतान निम्नवत है:**

| क्र.सं. | निदेशक के नाम ( श्री/श्रीमती ) | प्रदत्त बैठक शुल्क ( में ) |
|---|---|---|
| 1 | संजय वर्मा | 2,65,000/- |
| 2 | डॉ. आशा भंडारकर | 24,95,000/- |
| 3 | गौतम गुहा | 1,50,000/- |

**नोट: पूर्णकालिक निदेशकों और भारत सरकार व भा.रि.बैंक के प्रतिनिधि निदेशक को भाग लेने के लिए किसी प्रकार की सिटिंग फीस का भुगतान नहीं किया जाता है।**

| S. No | Name (Shri) | Designation | Emoluments paid (₹)* | PF contri-bution (₹) | Medical (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH. S. S. Mallikarjuna Rao | MD & CEO | 3122184.00 | 259590.00 | 51977.75 |
| 2 | Mukesh Kumar Jain ^ | OSD@ | 7282251.60 | 77077.92 | 8070.00 |
| 3 | Balakrishna Alse S. ^^ | OSD@ | 5443788.44 | 19525.17 | 0.00 |
| 4 | R.K. Yaduvanshi# | Executive Director | 7152174.80 | 119225.00 | 116177.15 |
| 5 | A.K. Azad | Executive Director | 2956187.71 | 220170.00 | 2954015.09 |
| 6 | Vijay Dube | Executive Director | 1446963.24 | 228058.40 | 7200.00 |
| 7 | Sanjay Kumar | Executive Director | 2614599.00 | 223470.00 | 78578.00 |
| 8 | Swarup Kumar Saha | Executive Director | 146801.03 | 12547.00 | 0.00 |

(* includes Gratuity and Leave Encashment on retirement)

^MD & CEO of e- OBC ^^ ED of e-OBC

@ As per MOF notification dated 25.03.2020 appointed as OSD in PNB w.e.f. 01.04.2020

# ceased to be director on 08.10.2020.

Terms of appointment including service contracts and notice period are as per Government guidelines. No severance fee is payable to any Director.

No performance linked incentive was paid to the whole-time directors during financial year 2020-21. Further, no stock options have been issued by the Bank to any of the Director.

The Bank does not pay remuneration to the Non-Executive Directors except sitting fees approved by the Board in terms of Government of India, for attending the meetings of the Board or its sub-committees. The fees payable are as under:-

| Sr. No. | Meeting | Sitting Fees payable per Meeting (₹) w.e.f. 01.04.2020 |
|---|---|---|
| (a) | Board | 70,000/- |
| (b) | Sub-Committee of Board | 35,000/- |
| (c) | For Chairing Board Meeting | 20,000/- (in addition to (a) above) |
| (d) | For Chairing meeting of Board Committee | 10,000/- (in addition to (b) above) |

**The total Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the Year 2020-21 is as under:**

| S. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | Sitting Fee paid (in ₹) |
|---|---|---|
| 1 | Sanjay Verma | 2,65,000/- |
| 2 | Dr. Asha Bhandarker | 24,95,000/- |
| 3 | Gautam Guha | 1,50,000/- |

**Note: No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government of India & RBI.**

5. विवेकाधीन अपेक्षाओं का अनुपालन

| क्र.सं. | गैर अनिवार्य अपेक्षाएं | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|
| क | बोर्ड-गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए पात्र हो सकते हैं। | 31.03.2021 को बैंक के बोर्ड में कोई गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है |
| ख | **शेयरधारकों के अधिकार**- गत छह महीनों के महत्वपूर्ण इवेंट के सार सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धावार्षिक घोषणा शेयरधारकों के प्रत्येक हाउसहोल्ड को प्रेषित की जा सकती हैं। | तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम एनएसई/बीएसई को भेजे जाते हैं/समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाते हैं तथा प्रमुख विशेषताओं सहित बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाते हैं। |
| ग | **लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत** - सूचीब( इकाई असंशोधित लेखापरीक्षा मत के साथ वित्तीय विवरणी की एक व्यवस्था की ओर बढ़ सकती है। | बैंक की वार्षिक वित्तीय विवरणी बिना शर्त है। महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ अनुसूचियों में दी गई हैं जो व्याख्यात्मक प्रकृति की हैं। |
| घ | **आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग** - आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते है। | मुख्य महाप्रबन्धक (निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा) जो आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य देखते हैं, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं । |

5. **Compliance of discretionary requirements**

| Sr. No. | Non Mandatory requirements | Status of implementation |
|---|---|---|
| A | **The Board** - A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expense | There is no Non-Executive Chairman on the Board of Bank as on 31.03.2021 |
| B | **Shareholders' Rights** - A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders. | The quarterly / Annual Financial Results are submitted to NSE/BSE, published in newspapers and placed on Bank's website including highlights. Annual reports are also sent to the shareholders before the AGM in accordance with SEBI guidelines. |
| C | **Modified opinion(s) in audit report** - The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion. | The Bank's Annual Financial Statements are unqualified. Significant Accounting Policies and Notes to Accounts are contained in schedules, which are explanatory in nature. |
| D | **Reporting of internal auditor –** The internal auditor may report directly to the audit committee. | Chief General Manager (Inspection & Audit) who is heading the internal audit functions reports to the Audit Committee of Board. |

6. **कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं के साथ अनुपालन का प्रकटीकरण:**

| विषय सं. | शीर्षक/संक्षिप्त विवरण | अनुपालन की स्थिति |
|---|---|---|
| 17 | निदेशक मंडल | बैंक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और 18 अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक कॉर्पोरेट निकाय है। निदेशक मंडल की संरचना अधिनियम की धारा 9 (3) के प्रावधानों द्वारा शासित होती है, जहां केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों के बीच चुने गए दो निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामांकित किया जाता है। इसके अलावा, बोर्ड की उप-समितियों की संरचना और दायरा भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार और अन्य लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार है जो उपरोक्त रिपोर्ट में वर्णित है। बोर्ड की चर्चाओं का महत्वपूर्ण समय बैंक की व्यावसायिक रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, शासन और जोखिम प्रोफाइल की चर्चा पर लगाया जाता है। बोर्ड की कार्यपद्धित में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। |
| 18 | लेखा परीक्षा समिति | पंजाब नैशनल बैंक के बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना और विचारार्थ विषय आरबीआई के निर्देशों/दिशानिर्देशों के माध्यम से नियंत्रित होती हैं, जिनका अनुपालन किया जाता है। |
| 19 | नामांकन और पारिश्रमिक समिति | नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और विचारार्थ विषय आरबीआई के निर्देशों / दिशानिर्देशों के माध्यम से नियंत्रित होते हैं। |
| 20 | हितधारक संबंध समिति | अनुपालन किया गया |
| 21 | जोखिम प्रबंधन समिति | अनुपालन किया गया |
| 22 | सतर्कता तंत्र | अनुपालन किया गया |
| 23 | संबंधित पक्षों का लेनदेन | अनुपालन किया गया |
| 24 | सूचीबद्ध इकाई की सहायक कंपनी के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन की आवश्यकताएं | अनुपालन किया गया |
| 24ए | सचिवीय लेखा परीक्षा | अनुपालन किया गया |
| 25 | स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में दायित्व | बैंक के बोर्ड की संरचना को उक्त 17 विनियमन के तहत स्पष्ट किया गया है। चूंकि, इस वित्तीय वर्ष के अधिकांश समय केवल एक ही स्वतंत्र निदेशक थे। अत: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक नही हो सकी। |
| 26 | वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों और प्रवर्तकों सहित कर्मचारियों के विषय में दायित्व | अनुपालन किया गया |
| 27 | अन्य कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताएं | अनुपालन किया गया |
| 46 (2) बी से आई तक | वेबसाइट | अनुपालन किया गया |

7. **आम सभा की बैठकें**

शेयरधारकों की पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण इस प्रकार हैं :

| बैठक का प्रकार | दिन, दिनांक एवं समय | स्थान | उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| सत्रहवीं एजीएम | मंगलवार, 18 सितंबर, 2018 प्रात: 10.00 बजे | पीएनबी मल्टी पर्पज हॉल, प्लाट नं 4 सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075 | – 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाते पर परिचर्चा, अनुमोदन एवं अपनाना।<br>– ईएसपीएस आधार (कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) पर कर्मचारियों को 10 करोड़ के इक्विटी शेयर जारी करना और उन्हें आवंटित करना (विशेष प्रस्ताव के माध्यम से पारित)।<br>– भारत सरकार को अधिमानी आधार पर रु.2816 करोड़ के 31.30 करोड़ इक्विटी शेयरों को जारी तथा आवंटित करना) विशेष प्रस्ताव के माध्यम से पारित)। |
| अठारहवीं एजीएम | शुक्रवार, 12 जुलाई, 2019 प्रात: 10.00 बजे | पीएनबी मल्टी पर्पज हॉल, प्लाट नं 4 सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली- 110075 | – 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाते पर परिचर्चा, अनुमोदन एवं अपनाना। |
| उन्नीसवीं एजीएम | मंगलवार, 04 अगस्त, 2020 प्रात: 10.00 बजे | बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से बुलाई गई थी, जिसमें माना गया स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय है। | – 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाते पर परिचर्चा, अनुमोदन एवं अपनाना।<br>– बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से 28707.92 करोड़ की संचित हानियों का विनियोग। (विशेष संकल्प के माध्यम से पारित)<br>– क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ फर्दर पब्लिक ऑफर (एफपीओ)/राइट्स इश्यू या बाजार की स्थितियों के आधार पर इस प्रकार के अन्य अनुमत माध्यमों, जैसा भी उचित हो, लागू कानूनों/दिशानिर्देशों के अनुसार और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन (विशेष संकल्प से पारित) 7000.00 करोड़ तक की राशि के लिए इक्विटी शेयर पूंजी जुटाना |

## 6. Disclosure of compliance with Corporate Governance Requirements:

| Reg. No. | Title/Brief description | Compliance Status |
|---|---|---|
| 17 | Board of Directors | The Bank is a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of Section 9(3) of the Act, where all the directors are appointed / nominated by the Govt. of India except the directors elected from amongst the shareholders, other than Central Government. Further, the constitution and scope of the Sub- Committees of Board is as per extant RBI/GoI and other applicable guidelines as detailed in the Report above.<br>Significant time of the Board discussions is spent on business strategy and execution, compliance, governance and risk management of the Bank.<br>Transparency and independence in functioning of the Board is ensured. |
| 18 | Audit Committee | The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board is governed through RBI's directives / guidelines, which are complied with. |
| 19 | Nomination and Remuneration Committee | The composition & terms of reference of the Nomination and Remuneration Committee is governed through RBI's directives / guidelines. |
| 20 | Stakeholders Relationship Committee | Complied With |
| 21 | Risk Management Committee | Complied With |
| 22 | Vigil Mechanism | Complied With |
| 23 | Related party transactions | Complied With |
| 24 | Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity | Complied With |
| 24A | Secretarial Audit | Complied With |
| 25 | Obligations with respect to independent directors | The composition of the Board of the Bank is as explained under Regulation 17, above.<br>Since, there was only one Independent Director on the Board of the Bank during most of the financial year, no meeting of Independent Directors could be held during FY 2020-21. |
| 26 | Obligations with respect to employees including senior management, key managerial persons, directors and promoters | Complied With |
| 27 | Other corporate governance requirements | Complied With |
| 46 (2) (b) to (i) | Website | Complied With |

## 7. General Body Meetings

The details of Annual General Meetings (AGM) of shareholders during the last three years are as follows:

| Type of Meeting | Day, Date & Time | Venue | Purpose |
|---|---|---|---|
| 17th AGM | Tuesday, September 18, 2018 at 10:00 a.m. | PNB Multipurpose Hall, Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075 | - To discuss, approve & adopt the Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for year ended 31.03.2018.<br>- Issue and allot 10 crore Equity Shares to Employees on ESPS basis (Employee Stock Purchase Scheme) (passed through special resolution)<br>- Issue and allot 31.30 crore Equity Shares amounting to ₹2816 crore to Govt. of India on preferential basis. (passed through special resolution) |
| 18th AGM | Friday, July 12, 2019 at 10:00 a.m. | PNB Multipurpose Hall, Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075 | - To discuss, approve & adopt the Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for year ended 31.03.2019. |
| 19th AGM | Tuesday, August 04, 2020 at 10.00 a.m. | The meeting was convened through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means with the deemed venue being the Head Office of the Bank | - To discuss, approve & adopt the Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for year ended 31.03.2020.<br>- Appropriation of accumulated losses of ₹28707.92 Crore from Share Premium Account of the Bank. (passed through special resolution)<br>- Raising of Equity Share Capital for an amount upto ₹7000.00 Crore through Qualified Institutional Placement (QIP) / Further Public Offer (FPO)/Rights Issue or such other permitted mode as may be deemed appropriate depending upon market conditions, pursuant to applicable laws/guidelines and subject to receipt of requisite approvals. (passed through special resolution) |

**असाधारण आम बैठक** - 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक के शेयर धारकों की एक असाधारण आम बैठक विशेष संकल्प के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करने के लिए बुधावार, 17 मार्च, 2021 को आयोजित की गई:

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से पंजाब नैशनल बैंक के एक निदेशक का चुनाव करना

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, आरबीआई के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में चुने गए निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड पर मास्टर परिपत्र दिनांक 02 अगस्त, 2019 यथा संशोधित तथा नियामक अधिकारियों द्वारा जारी अन्य लागू निर्देश/दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से पंजाब नैशनल बैंक के एक निदेशक का चुनाव करना।

डाक से मताधिकार का प्रयोग **( पोस्टल बैलट )** - बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान डाक के माध्यम से मतदान का कोई कार्य नहीं किया और वर्तमान में कोई कार्य पोस्टल बैलट के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित नही है ।

**8. सेबी ( एलओडीआर ) विनियमन 2015 की अनुसूची V{C( 10 )} के अनुसार अन्य प्रकटीकरण**

8.1 वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण सम्बन्धी पार्टी लेनदेन नहीं हुई है जिससे कि बैंक के हितों का संभावित टकराव हो।

8.2 भारतीय रिजर्व बैंक/आईसीएआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के संबधित पार्टी लेन-देन 31.03.2021 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के खातों के नोट्स (अनुसूची 18) में दर्शाए गये हैं। संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन करने की नीति बैंक की वेबसाइट https://www.pnbindia.in/Regulatory.html पर दी गयी है । यह बैंक में एक प्रमाणिक व्यवस्था है कि निदेशक बोर्ड की तथा अन्य उपसमितियों के विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं, जब उनसे या उनके रिश्तेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

8.3 विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित मामलों के संबंध में गैर-अनुपालन के लिए सेबी/स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बैंक पर लगाए गए जुर्माने का विवरण निम्नानुसार हैं:

| | |
|---|---|
| 2019-20 | फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैंक द्वारा आयोजित निदेशक मंडल की बैठक के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज को पूर्व सूचना नहीं देने हेतु एनएसई और बीएसई ने 10.07.2019 के अपने पत्र के माध्यम से सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 29 (2) और (3) के तहत रुपये 10,000/- प्रत्येक लागू जीएसटी सहित जुर्माना लगाया था। जिसका बैंक द्वारा विधिवत भुगतान किया गया है। |
| 2018-19 | • चेतावनी पत्र - नीरव मोदी ग्रुप, गीतांजलि ग्रुप और अन्य के संबंध में किए गए खुलासे के संबंध में सेबी द्वारा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम) के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन विषय पर एक चेतावनी पत्र क्रमांक SEBI/ CFD/ CMD /OW/ 14304/1/2018 दिनांक 15.05.2018 जारी किया गया था। पत्र में सेबी ने चेतावनी दी थी और सेबी एलओडीआर विनियमों के अनुपालन के संबंध में भविष्य में सतर्क रहने की सलाह दी थी। |

**Extra Ordinary General Meeting -** During the financial year ended 31st March, 2021, an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank was held on Wednesday, 17th March 2021 to transact the following business through ordinary resolution:

To elect **ONE** Director of Punjab National Bank from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs dated August 02, 2019 as amended, and other applicable Directives / Guidelines issued by Regulatory Authorities.

**Postal Ballot -** Bank has not conducted any business by way of postal ballot, during the financial year and at present no business is proposed to be conducted through postal ballot.

**8. Other Disclosures as per Schedule V {C(10)} of SEBI (LODR) Regulations 2015**

8.1 There has been no significant related party transaction during the year that may have had potential conflict of interest with the Bank.

8.2 The Related Party Transactions of the Bank as per RBI / ICAI guidelines are disclosed in the Notes on Accounts (in Schedule 18) of the Balance Sheet as on 31.03.2021. Policy on dealing with Related Party Transactions is available on Bank's website at https://www.pnbindia.in/Regulatory.html. It is an established practice in the Bank that the directors do not take part in the deliberations of the Board and other subcommittees of the Board, when matters relating to them or their relatives are discussed.

8.3 Details of penalties imposed on the Bank by SEBI/Stock Exchanges for non-compliance in respect of matters related to Capital Market during the last three years are as under:

| | |
|---|---|
| 2019-20 | NSE and BSE vide their letter dated 10.07.2019 had imposed a fine of Rs. 10,000/- each plus applicable GST under Regulation 29(2) and (3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 for not giving prior intimation to stock exchange regarding the meeting of the Board of Directors held to consider the proposal of raising of fund by the Bank. The same was duly paid by the Bank. |
| 2018-19 | • A warning letter No. SEBI/CFD/CMD/OW/14304/1/2018 dated 15.05.2018 on the subject: Warning letter- Violation of certain provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations) was issued by SEBI regarding disclosures made in respect of fraudulent transactions of Nirav Modi Group, Gitanjali Group and others. In the letter SEBI had warned and advised to be cautious in future in respect of compliances of SEBI LODR Regulations. |

| | |
|---|---|
| | • एनएसई ने अपने पत्र सं. एनएसई/एलआईएसटी/50816 दिनांक 19.06.2018 के माध्यम से बैंक से अनुरोध किया था कि वह सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियम 30 के तहत आवश्यक किसी भी सूचना के संबंध में भविष्य में पूरी सावधानी बरतें। |
| 2017-18 | • शून्य |

8.4 बैंक ने विजिल मैकेनिजम, व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी स्थापित की है और किसी भी व्यक्ति को लेखा परीक्षा समिति से संपर्क करने से नहीं रोका गया है।

8.5 अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किया गया है तथा गैर अनिवार्य आवश्यकताओं का ग्रहण उक्त पैरा 5 में दिया गया है।

8.6 बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता अपनाई है, जिसका विवरण बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और अनुपालन की पुष्टि के लिए रिपोर्ट के अंत में एक प्रमाणपत्र दिया है।

8.7 'मैटिरियल' अनुषंगी निर्धारण तथा संबंधित पार्टी लेन-देन से निपटने के लिए नीति हेतु वेब लिंक https://www.pnbindia.in/Regulatory.html है।

8.8 कमोडिटी मूल्य जोखिम तथा कमोडिटी हैजिंग गतिविधियाँ शून्य है।

8.9 भारत सरकार को अधिमान्य आबंटन द्वारा जुटाई गई राशि का उपयोग सामान्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए तथा पूंजी पर्याप्तता अनुपातों (बिंदु 11.4 (vi) का संदर्भ लें) को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है ।

8.10 हमने व्यवहारत: कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है कि बोर्ड / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के बोर्ड पर किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या बने रहने से रोका या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

8.11 यह पुष्टि की जाती है कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं हैं जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनिवार्यत: आवश्यक है।

**8.12 बैंक और इसके अनुषंगियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों को सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क निम्नानुसार है:**

| क्र.सं. | कंपनी/सहायक कंपनियों का नाम | राशि (लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | पंजाब नैशनल बैंक | 8353.98 |
| 2 | पीएनबी इंटरनेशनल लिमिटेड | 240.45 |
| 3 | पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड | 40.47 |
| 4 | पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड | 2.28 |
| 5 | ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड | 2.28 |

**8.13 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:**

| | | |
|---|---|---|
| क. | वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या | 11 |
| ख. | वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या | 06 |
| ग. | वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या | 05 |

| | |
|---|---|
| | • NSE vide its letter no. NSE/LIST/50816 dated 19.06.2018 in respect of disclosures made for the above mentioned transactions had requested the Bank to take abundant precaution in future with respect to any intimation required under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations 2015. |
| 2017-18 | • NIL |

8.4 The Bank has established vigil mechanism, whistle blower policy and no person has been denied access to the audit committee.

8.5 Mandatory requirements are complied with and adoption of non-mandatory requirements are given at para 5 above.

8.6 The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management, the text of which is available on the website of the Bank www.pnbindia.in. All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the year under review and a certificate affirming the same is given at the end of report.

8.7 Web link for the policy for determining "material" subsidiary and Policy for dealing with Related Party Transactions is https://www.pnbindia.in/Regulatory.html

8.8 Commodity Price Risks and Commodity hedging activities are Nil.

8.9 The funds raised by the QIP issue have been utilized for the general business purpose and to strengthen the capital adequacy ratios (refer to point 11.14 (vi)).

8.10 We have obtained a certificate from a Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

8.11 It is confirmed that there are no instances where the Board had not accepted any recommendation of any Committee of the board which is mandatorily required, in the financial year 2020-21.

**8.12 The total fees for all services to Statutory Auditors of the Bank and its subsidiaries is as under:**

| Sr. No. | Name of the Company/Subsidiary | Amount (Rs. in Lacs) |
|---|---|---|
| 1. | Punjab National Bank | 8353.98 |
| 2. | PNB International Limited | 240.45 |
| 3. | PNB Gilts Limited | 40.47 |
| 4. | PNB Investment Services Limited | 2.28 |
| 5. | Druk PNB Bank Limited | 2.28 |

**8.13 Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:**

| | | |
|---|---|---|
| a. | Number of complaints filed during FY 2020-21 | 11 |
| b. | Number of complaints disposed off during FY 2020-21 | 06 |
| c. | Number of complaints pending as on end of the FY 2020-21 | 05 |

8.14 हम सेबी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची V के उप-परिच्छेद (2) से (10) की कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट की आवश्यकता के अनुपालन की पुष्टि करते हैं।

8.15 हम पुष्टि करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक की प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग से निलंबित नहीं किया गया था।

**8.16 इसके अतिरिक्त:**

- ➢ बोर्ड के मतानुसार यह पुष्टि की जाती है कि, स्वतंत्र निदेशक सेबी एलओडीआर नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।
- ➢ बैंक इस बात की पुष्टि करता है कि कोई भी निदेशक आपस में संबंधित नहीं है।
- ➢ बैंक अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसका विवरण बैंक की वेबसाइट यानी https://www.pnbindia.in/Regulatory.html पर उपलब्ध है।
- ➢ यह सूचित किया जाता है कि कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व किसी स्वतंत्र निदेशक के इस्तीफे का कोई मामला नहीं है।

**9. बैंक की चार घरेलू अनुषंगियां है, यथा:**

i) पीएनबी गिल्टस लिमिटेड:

ii) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड

iii) पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड'

*पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी गैर-कार्यात्मक है। ब्रोकिंग लाइसेंस सरेंडर कर दिया है और कम्पनी को बंद करने के कदम उठाए जा रहे हैं।

iv) पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड**

** पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड की 16.03.2021 को पीएनबी की क्रेडिट कार्ड सहायक कंपनी के रूप स्थापना की गई है।

पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड एक सूचीबद्ध इकाई है जहां बैंक ने कंपनी के बोर्ड में दो निदेशकों को नामित किया है।

इसके अतिरिक्त, बैंक की दो अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगियाँ है, यथा

i) पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड (पीएनबीआईएल), यूके

ii) ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान।

**10. संचार माध्यम**

तिमाही के वित्तीय परिणाम परिचालन के लिए स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई और बीएसई) को प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही, वित्तीय परिणामों को समाचार विज्ञप्ति के माध्यम से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा हितधारक को भी सूचित किया जाता है।

शेयरधारक संबंधी जानकारी/नोटिस और वित्तीय परिणाम आदि भी व्यापक रूप से परिचालित अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, आर्थिक संबंध, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी), दैनिक जागरण और जनसत्ता में प्रकाशित किए जाते हैं।

तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम और संस्थागत निवेशकों/विश्लेषकों को प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण को स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों जैसे www.nseindia.com और www.bseindia.com के साथ ही बैंक की वेबसाइट (www.pnbindia.in) पर भी प्रकाशित किया जाता है।

8.14 We confirm the compliance of the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations.

8.15 The securities of the Bank were not suspended from trading during FY 2020-21.

**8.16 Further:**

- ➢ It is confirmed that in the opinion of the board, the independent directors fulfill the conditions specified in SEBI LODR regulations and are independent of the management.
- ➢ The Bank confirms that none of the Directors are related inter-se.
- ➢ The Bank conducts familiarization programmes for its independent directors, details of which are available on the website of the Bank i.e.https://www.pnbindia.in/Regulatory.html
- ➢ It is informed that there is no case of resignation of any independent director before the expiry of the tenure.

**9. The Bank has four domestic subsidiaries, namely:**

i) PNB Gilts Ltd.

ii) PNB Investment Services Ltd.

iii) PNB Insurance Broking Pvt. Ltd.*

*PNB Insurance Broking Company is non-functional. The Broking licence has been surrendered and steps are being initiated for winding-up of the Company.

iv) PNB Cards and Services Ltd.**

**PNB Cards and Services Ltd. has been incorporated on 16.03.2021 as Credit Card Subsidiary of PNB.

PNB Gilts Ltd. is a listed entity where the Bank has nominated two Directors on the Board of the Company.

Further, the Bank has two international subsidiaries, namely:

i) Punjab National Bank (International) Limited (PNBIL), UK

ii) Druk PNB Bank Ltd., Bhutan.

**10. Means of Communication**

The quarterly financial results are submitted to the Stock Exchanges (NSE & BSE) for dissemination. Further, the financial results are also communicated to the stake-holders through news releases via print and electronic media.

Shareholder Communications/ Notices and Financial Results etc. are also published in widely circulated English and Hindi newspapers viz. Times of India, Hindustan Times, Business Standard, Financial Express, Economic Times, Navbharat Times, Hindustan Business Standard (Hindi), Dainik Jagran and Jansatta.

The quarterly/ annual financial results and presentations made to institutional investor/ analysts are also placed on the website of the Bank (www.pnbindia.in) besides websites of stock exchanges viz. www.nseindia.com and www.bseindia.com.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां सेबी परिपत्र संख्या: सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 के अनुसार केवल ईमेल द्वारा शेयरधारकों को भेजी गई थी और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों के साथ-साथ बैंक की वेबसाइट पर भी परिचालित की गई थी। उपरोक्त दिशानिर्देशों और सेबी परिपत्र सं.: सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के साथ, वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट की केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेजी जा रही हैं।

## 11. आम शेयरधारकों के लिए सूचना

### 11.1 बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक :

20वीं वार्षिक आम बैठक का कार्यक्रम इस प्रकार है-

दिन, तिथि व समय : *एजीएम नोटिस दिए गए*

स्थान : *विवरण के अनुसार*

### 11.2 वित्तीय कैलेण्डर

| **वित्तीय वर्ष** | **01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक** |
|---|---|
| 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही /वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों को मंजूरी देने एवं विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक। | शुक्रवार, 04 जून, 2021 |
| 20 वें एजीएम का दिनांक और समय | सोमवार, 26 जुलाई, 2021 सुबह 11: 00 बजे। |
| बही समापन तिथि | मंगलवार, 20 जुलाई, 2021 से सोमवार, 26 जुलाई, 2021 (दोनों दिन सम्मिलित) |
| ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ की दिनांक | सोमवार, 19 जुलाई, 2021 |
| ई-वोटिंग की अवधि | गुरूवार, 22 जुलाई, 2021 (सुबह 9:00 बजे) और रविवार 25 जुलाई, 2021 (5:00 बजे) समाप्त होगी |

### 11.3 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लाभांश का ब्यौरा -

(i) **लाभांश:** - बैंक के निदेशक मंडल ने 2020-21 के लिए लाभांश के भुगतान करने की सिफारिश नहीं की है।

(ii) **लाभांश वितरण नीति:**- बैंक के पास लाभांश वितरण नीति है जिसमें लाभांश की घोषणा नहीं की जा सकती के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक व भारत सरकार के दिशानिर्देशों को शामिल करते हुए लाभांश वितरण नीति बनाई गई है। यह लाभांश वितरण नीति बैंक की वेबसाइट https://www-pnbindia.in/Regulatory.html पर उपलब्ध है।

The electronic copies of the Annual Report for FY 2019-20 were sent to the shareholders only by email in view of SEBI Circular No.: SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and was also hosted on the bank's website besides the websites of stock exchanges. Pursuant to the above guidelines and SEBI Circular No.: SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, only electronic copies of Annual Reports for FY 2020-21 are being sent to the shareholders through email.

## 11. General Shareholders' Information

### 11.1 Annual General Meeting of the shareholders of the Bank:

The following is the schedule of the 20th Annual General Meeting:

Day, Date & Time : *As per details given in*

Venue : *AGM Notice*

### 11.2 Financial Calendar

| **Financial Year** | **1st April 2020 to 31st March, 2021** |
|---|---|
| Board Meeting for considering and approving the Audited Financial Results of the Bank for the quarter/financial year ended 31st March, 2021 | Friday, 04th June, 2021 |
| Date & Time of the 20th AGM | Monday, 26th July, 2021 at 11.00 a.m. |
| Book Closure Dates | From Tuesday, 20th July, 2021 to Monday 26th July, 2021 (both days inclusive) |
| Cut-off Date for E-voting | Monday, 19th July, 2021 |
| E- voting period | Thursday, 22nd July, 2021 (9:00 a.m.) and ends on Sunday, 25th July, 2021 (5:00 p.m.) |

### 11.3 Dividend details – Financial Year 2020-21

(i) **Dividend: -** The Board of Directors of the Bank has not recommended payment of dividend for FY 2020-21.

(ii) **Dividend Distribution Policy: -** The Bank has a Dividend Distribution Policy which includes the RBI and Government of India guidelines regarding quantum of Dividend to be distributed and circumstances under which dividend may not be declared. The Dividend Distribution Policy is available at Bank's website at https://www.pnbindia.in/Regulatory.html

## 11.4 (i) स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीकरण:

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:-

| स्टॉक एक्सचेंज | स्टॉक कोड | सूचीकरण की आरम्भिक तिथि |
|---|---|---|
| नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) बान्द्रा - कुर्ला कम्प्लेक्स, मुम्बई | पीएनबी | 24.04.2002 |
| बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड. (बीएसई) पी.जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुम्बई | 532461 | 25.04.2002 |

**(ii) सूचीकरण शुल्क तथा अभिरक्षा शुल्क का भुगतान**

एनएसई तथा बीएसई को वार्षिक सूचीकरण शुल्क तथा एनएसडीएल और सीडीएसएल को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क अद्यतन अदा है।

## 11.5 बही बन्दी की तिथियाँ -

रिमोट ई-वोटिंग के लिए अंतिम तिथि एजीएम नोटिस में दिए गए विवरण के अनुसार

## 11.6 बाजार मूल्य (₹) डाटा/बैंक के शेयरों का प्रदर्शन*

| माह | एनएसई | | | बीएसई | | | संयुक्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उच्च | न्यून | मात्र | उच्च | न्यून | मात्र | मात्र |
| अप्रैल -20 | 33.90 | 29.25 | 398395395 | 33.90 | 29.25 | 17328958 | 415724353 |
| मई -20 | 31.10 | 26.30 | 453303017 | 31.25 | 26.30 | 16438501 | 469741518 |
| जून -20 | 38.40 | 27.00 | 1464736485 | 38.40 | 27.10 | 79935997 | 1544672482 |
| जुलाई -20 | 38.75 | 31.25 | 727973437 | 38.75 | 31.30 | 41646105 | 769619542 |
| अगस्त -20 | 38.60 | 31.85 | 774712310 | 38.60 | 31.90 | 44739159 | 819451469 |
| सितम्बर -20 | 35.75 | 27.65 | 512131593 | 35.75 | 27.65 | 27947880 | 540079473 |
| अक्टूबर -20 | 29.75 | 26.30 | 602217513 | 29.75 | 26.30 | 31909104 | 634126617 |
| नवम्बर -20 | 34.15 | 26.75 | 884102590 | 34.15 | 26.75 | 53437891 | 937540481 |
| दिसंबर -20 | 42.65 | 31.40 | 2577276985 | 42.60 | 31.40 | 203265860 | 2780542845 |
| जनवरी -21 | 37.80 | 31.90 | 2799277203 | 37.80 | 31.90 | 192576376 | 2991853579 |
| फरवरी -21 | 46.35 | 33.10 | 4887302371 | 46.40 | 33.10 | 298095219 | 5185397590 |
| मार्च -21 | 44.30 | 34.80 | 2454141932 | 44.35 | 34.80 | 172940024 | 2627081956 |
| कुल | | | 18535570831 | | | 1180261074 | 19715831905 |

*स्रोत - एनएसई/बीएसई वैबसाइट (www.nseindia.com/www.bseindia.com)

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के शेयर का मूल्य न्यूनतम रु.26.30 तथा अधिकतम रु. 46.40 के बीच ट्रेड हुआ तथा एनएसई एवं बीएसई में कारोबार की कुल मात्र रु. 242.36 करोड़ शेयर के "फ्लोटिंग स्टॉक की तुलना में रु. 1971.58 करोड़ शेयर रही।

## 11.7 बैंक निफ्टी की तुलना में बैंक के शेयर का प्रदर्शन:

बैंक निफ्टी की तुलना में बैंक के शेयर का ग्राफ के रूप में चित्रण नीचे दिया गया है:

## 11.4 (i) Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on the following Stock Exchanges:

| Stock Exchange | Stock Code | Date of Initial Listing |
|---|---|---|
| National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) Bandra - Kurla Complex, Mumbai | PNB | 24.04.2002 |
| Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai | 532461 | 25.04.2002 |

**(ii) Payment of Listing Fee and Custodian charges**

The annual listing fee to NSE & BSE and annual custody charges to NSDL & CDSL have been paid up to date.

## 11.5 Dates of Book Closure -

*As per details given in* Cut-off date for remote e-voting *AGM Notice*

## 11.6 Market Price (₹) Data / Performance of Bank's shares*

| Month | NSE | | | BSE | | | COMBINED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HIGH | LOW | VOLUME | HIGH | LOW | VOLUME | VOLUME |
| Apr-20 | 33.90 | 29.25 | 398395395 | 33.90 | 29.25 | 17328958 | 415724353 |
| May-20 | 31.10 | 26.30 | 453303017 | 31.25 | 26.30 | 16438501 | 469741518 |
| Jun-20 | 38.40 | 27.00 | 1464736485 | 38.40 | 27.10 | 79935997 | 1544672482 |
| Jul-20 | 38.75 | 31.25 | 727973437 | 38.75 | 31.30 | 41646105 | 769619542 |
| Aug-20 | 38.60 | 31.85 | 774712310 | 38.60 | 31.90 | 44739159 | 819451469 |
| Sep-20 | 35.75 | 27.65 | 512131593 | 35.75 | 27.65 | 27947880 | 540079473 |
| Oct-20 | 29.75 | 26.30 | 602217513 | 29.75 | 26.30 | 31909104 | 634126617 |
| Nov-20 | 34.15 | 26.75 | 884102590 | 34.15 | 26.75 | 53437891 | 937540481 |
| Dec-20 | 42.65 | 31.40 | 2577276985 | 42.60 | 31.40 | 203265860 | 2780542845 |
| Jan-21 | 37.80 | 31.90 | 2799277203 | 37.80 | 31.90 | 192576376 | 2991853579 |
| Feb-21 | 46.35 | 33.10 | 4887302371 | 46.40 | 33.10 | 298095219 | 5185397590 |
| Mar-21 | 44.30 | 34.80 | 2454141932 | 44.35 | 34.80 | 172940024 | 2627081956 |
| TOTAL | | | 18535570831 | | | 1180261074 | 19715831905 |

*Source - NSE/BSE website (www.nseindia.com / www.bseindia.com)

The shares of the Bank were traded between a low of ₹26.30 and high of ₹46.40 during the financial year and total volume traded at NSE & BSE was 1971.58 crore shares as against the floating stock of 242.36 crore shares.

## 11.7 Performance of Bank's share price in comparison with Bank Nifty.

The graphical depiction of performance of Bank's share vis-à-vis Bank Nifty is given below:

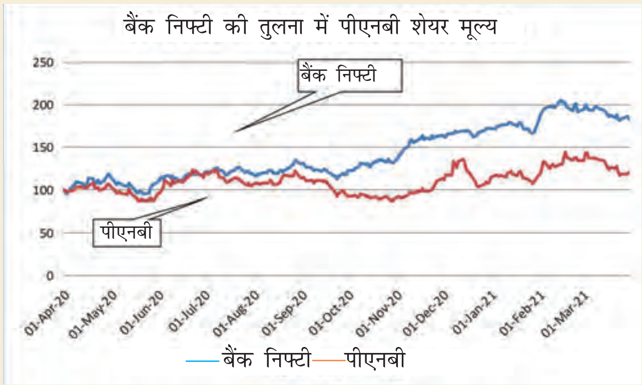


**11.8 प्रति शेयर आंकड़ा:**

| (रु.) | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
|---|---|---|---|
| अंकित मूल्य (रु.) | 2/- | 2/- | 2/- |
| 31 मार्च की समाप्ति पर एनएसई (रु.) | 95.50 | 32.35 | 36.65 |
| आय प्रति शेयर (रु.) | -30.94 | 0.62 | 2.08 |
| लाभांश रु.2/- के प्रति इक्विटी शेयर पर | शून्य | शून्य | शून्य |
| लाभांश (%) | शून्य | शून्य | शून्य |
| बही मूल्य (रु.) | 89.50 | 54.43 | 53.07 |
| प्रदत्त लाभांश लाभ का % | शून्य | शून्य | शून्य |

**11.9 शेयर अंतरण एजेंट (एसटीए)**

बीटल फाइनैंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसज (प्रा.) लि. जोकि सेबी पंजीकृत रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट हैं, 01.01.2013 से बैंक के शेयर अंतरण एजेंट हैं। सम्पर्क विवरण नीचे दिए गए हैं:

बीटल फाइनैंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसज (प्रा.) लि. (यूनिट : पीएनबी)

'बीटल हाउस', तृतीय तल
99, मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे
नई दिल्ली - 110062
दूर. सं. - 011-29961281/82/83, फैक्स : 011- 29961284
ई-मेल - beetal@beetalfinancial.com

**11.10 शेयर अंतरण पद्धति**

(i) भारतीय विनिमय और प्रतिभूति बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015, के विनियम 40(1) यथा संशोधित, के अनुसार, 01 अप्रैल, 2019 से प्रतिभूतियों का अंतरण केवल अमूर्तिकृत रूप में ही किया जा सकता है, प्रतिभूतियों के हस्तांकन (ट्रांसमिशन) या ट्रांसपोजीशन के अनुरोध को छोड़कर । जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर है उनसे अपनी शेयर होल्डिंग को अमूर्त रूप में बदलने पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है।

(ii) मूर्त शेयरों का ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजीशन बैंक की शेयर अंतरण समिति (एसटीसी) के अनुमोदन से एसटीए शेयरधारक द्वारा किया जाता है। एसटीसी को बंद कर दिया गया है और एसटीसी की भूमिका को बैंक की स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी के साथ एकीकृत कर दिया गया है।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयरों का अंतरण बैंक की भागीदारी के बिना निक्षेपागारों अर्थात् राष्ट्रीय निक्षेपागार लिमिटेड, (NSDL) और केन्द्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (CDSL) के माध्यम से किया जाता है।

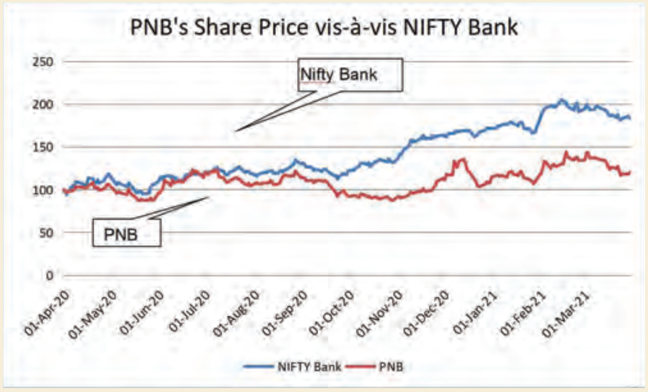


**11.8 Per Share Data:**

| (₹) | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
|---|---|---|---|
| Face Value (₹) | 2/- | 2/- | 2/- |
| Closing as on 31st March -NSE(₹) | 95.50 | 32.35 | 36.65 |
| Earnings per share (₹) | -30.94 | 0.62 | 2.08 |
| Dividend per Equity Share of ₹ 2/- each | Nil | Nil | Nil |
| Dividend (%) | Nil | Nil | Nil |
| Book Value (₹) | 89.50 | 54.43 | 53.07 |
| Dividend payout (% of Net Profit) | Nil | Nil | Nil |

**11.9 Share Transfer Agent (STA)**

Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., a SEBI registered Registrar and Share Transfer Agent (STA) is the Share Transfer Agent of the Bank with effect from 01.01.2013. Contact details are given below:

Beetal Financial & Computer Services (P) Limited (Unit: PNB)
'Beetal House', 3rd Floor
99, Madangir, Behind Local Shopping Centre
New Delhi 110062
Tel. No. 011-29961281/82/83, Fax: 011-29961284
e-mail: beetal@beetalfinancial.com

**11.10 Share Transfer System**

(i) In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended, securities can be transferred only in dematerialized form w.e.f. April 1, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. Shareholders holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form.

(ii) The transmission or transposition of physical shares was effected with the approval of the Stakeholders Relationship Committee of the Bank.

(iii) Transfers of equity shares in electronic form are effected through the Depositories i.e. National Securities Depository Ltd, (NSDL) and the Central Depository Services Ltd. (CDSL) with no involvement of the Bank.

(iv) शेयरधारकों से अमूर्त रूप में रखे गए शेयरों के लिए पते और/या बैंक शासनादेश (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, माइकर कोड इत्यादि) में किसी भी परिवर्तन के मामले में रिकॉर्ड अद्यतित करने के लिए अपने निक्षेपागार सहभागी (DP) को सीधे सूचित करने का अनुरोध किया जाता है।

**11.12 इलैक्ट्रानिक वोटिंग:**

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना नवीनतम ईमेल आईडी अपने डिपाजिटरी सहभागी या एसटीए, जैसी भी स्थिति हो, के साथ पंजीकृत करवा लें ताकि वे रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के लिए सक्षम हो सकें।

**11.13 अदावी शेयर (उचंत) खाते: सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के अनुसार अदावी शेयरों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-**

| | | एफपीओ (2005) | | आईपीओ (2002) | | समामेलन के अनुसरण में दावा न किए गए शेयर # | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | विवरण | शेयर धारकों की संख्या | शेयरों की संख्या | शेयर धारकों की संख्या | शेयरों की संख्या | शेयर धारकों की संख्या | शेयरों की संख्या | शेयर धारकों की संख्या | शेयरों की संख्या |
| 1 | वर्ष के प्रारम्भ अर्थात 01.04.2020 को प्रारंभिक (अंकित मूल्य रु.2/- प्रत्येक) | 351 | 59975 | 58 | 33500 | 54 | 1323 | 463 | 94798 |
| 2 | वर्ष के दौरान शेयर अंतरण के लिए आए शेयरधारकों की संख्या | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | वर्ष के दौरान शेयरधारकों की संख्या जिनको शेयर अंतरित किए गए | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | वर्ष के अंत अर्थात 31.03.2021 (1-3) को बकाया | 351 | 59975 | 58 | 33500 | 54 | 1323 | 463 | 94798 |

*प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक फ्रीज रहेगा जब तक कि इन शेयरों का असली स्वामी दावा नहीं करता।

# ये शेयर पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पूर्ववर्ती यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़े आदावी शेयरों से संबंधित हैं और पीएनबी द्वारा 01.04.2020 को पंजाब नैशनल बैंक में दोनों बैंकों के समामेलन पर जारी किए गए हैं।

**11.14 दिनांक 31 मार्च 2021 की स्थिति अनुसार शेयरधारिता तथा वितरण पैटर्न:**

**(i) शेयरधारिता पैट्रन**

| शेयरधारकों की श्रेणी | % धारित इक्विटी शेयर |
|---|---|
| भारत के राष्ट्रपति | 76.87 |
| एफआईआई/एनआरआई/ओसीबी | 3.14 |
| बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कम्पनियां | 8.14 |

(iv) For shares held in Dematerialized form, shareholders are requested to inform their Depository Participant (DP) directly for updating the records in case of any change in address and/or Bank mandate (Name of Bank, Address, Account No, MICR Code etc).

**11.12 Electronic Voting:**

Shareholders are requested to register their latest email ID with their Depository Participant or STA, as the case may be, for enabling remote e-voting facility.

**11.13 PNB-Unclaimed Shares (Suspense) A/c: The details of unclaimed shares as per SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under:-**

| | | FPO (2005) | | IPO (2002) | | Unclaimed shares issued pursuant to Amalgamation# | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. No | Particulars | No. of Share-holders | No. of Shares | No. of Share-holders | No. of Shares | No. of Share-holders | No. of Shares | No. of Share-holders | No. of Shares |
| 1 | Opening at the beginning of the year i.e. 01.04.2020 (Face Value Rs. 2/- each) | 351 | 59975 | 58 | 33500 | 54 | 1323 | 463 | 94798 |
| 2 | No. of shareholders approached for transfer of shares during the year | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | No. of shareholders to whom shares were transferred during the year | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Outstanding at the end of the year i.e. 31.03.2021 (1-3) | 351 | 59975 | 58 | 33500 | 54 | 1323 | 463 | 94798 |

*Certified that voting rights on these shares remains frozen till the rightful owner claims the said shares.

# These shares relate to the unclaimed shares lying with the erstwhile Oriental Bank of Commerce and erstwhile United Bank of India and issued by PNB pursuant to amalgamation of both the Banks into Punjab National Bank on 01.04.2020.

**11.14 Shareholding and Distribution Pattern as on 31st March 2021:**

**(i) Shareholding Pattern**

| Shareholders' Category | % of Equity shares held |
|---|---|
| President of India | 76.87 |
| FIIs/NRIs/OCBs | 3.14 |
| Banks/Financial Institutions/ Insurance Companies | 8.14 |

| | |
|---|---|
| म्युचुअल फण्ड | 0.94 |
| घरेलू कम्पनियां/ट्रस्टस | 0.76 |
| भारतीय जनसाधारण/ निवासी/वैयक्तिक /एचयूएफ | 9.79 |
| समाशोधन सदस्य | 0.37 |
| **कुल** | **100.00** |

**(ii)** दिनांक 31.03.2021 को शेयरधारकों की संख्या: 14,20,721

**(iii)** प्रत्येक इक्विटी शेयर का सांकेतिक मूल्य (रु.) 2/-

**(iv) वितरण पैटर्न:**

| शेयरधारकों की संख्या | कुल का प्रतिशत | सांकेतिक मूल्य की शेयरधारिता (₹ में) | इक्विटी शेयरों की संख्या | राशि (₹ में) | कुल का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1346127 | 94.75 | तक 5000 | 441886486 | 883772972 | 4.22 |
| 47715 | 3.36 | 5001 से 10000 | 169300043 | 338600086 | 1.62 |
| 15778 | 1.11 | 10001 से 20000 | 115984580 | 231969160 | 1.11 |
| 4303 | 0.30 | 20001 से 30000 | 53711581 | 107423162 | 0.51 |
| 2283 | 0.16 | 30001 से 40000 | 40725186 | 81450372 | 0.39 |
| 1141 | 0.08 | 40001 से 50000 | 26187223 | 52374446 | 0.25 |
| 1891 | 0.13 | 50001 से 100000 | 67700461 | 135400922 | 0.65 |
| 1483 | 0.10 | 100001 एवं इससे अधिक | 9562186665 | 19124373330 | 91.26 |
| **कुल: 1420721** | **100.00** | | **10477682225** | **20955364450** | **100.00** |

**(v) दिनांक 31.03.2021 को भौगोलिक आधार पर शेयरधारकों की स्थिति:**

| | इलैक्ट्रॉनिक | | | | भौतिक रूप में | | | | कुल | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शहर का नाम | धारक | प्रतिशत | शेयर | प्रतिशत | धारक | प्रतिशत | शेयर | प्रतिशत | धारक | प्रतिशत | शेयर | प्रतिशत |
| अहमदाबाद | 48192 | 3.48 | 32035014 | 0.31 | 708 | 2.09 | 102386 | 1.12 | 48900 | 3.44 | 32137400 | 0.31 |
| बैंगलोर | 38110 | 2.75 | 33918377 | 0.32 | 718 | 2.12 | 225296 | 2.46 | 38828 | 2.73 | 34143673 | 0.33 |
| चैन्नई | 28906 | 2.08 | 28758552 | 0.27 | 927 | 2.73 | 416366 | 4.54 | 29833 | 2.10 | 29174918 | 0.28 |
| दिल्ली | 106008 | 7.64 | 8209601188 | 78.42 | 4712 | 13.89 | 1050433 | 11.47 | 110720 | 7.79 | 8210651621 | 78.36 |
| हैदराबाद | 26589 | 1.92 | 27960304 | 0.27 | 645 | 1.90 | 190245 | 2.08 | 27234 | 1.92 | 28150549 | 0.27 |
| कोलकाता | 51158 | 3.69 | 51616983 | 0.49 | 1321 | 3.89 | 331907 | 3.62 | 52479 | 3.69 | 51948890 | 0.49 |
| मुम्बई | 111474 | 8.04 | 1413061679 | 13.50 | 2544 | 7.50 | 630779 | 6.89 | 114018 | 8.03 | 1413692458 | 13.49 |
| एनसीआर अन्य | 46456 | 3.35 | 53217670 | 0.51 | 949 | 2.80 | 235507 | 2.57 | 47405 | 3.34 | 53453177 | 0.51 |
| अन्य | 929902 | 67.05 | 618352855 | 5.91 | 21402 | 63.08 | 5976684 | 65.25 | 951304 | 66.96 | 624329539 | 5.96 |
| कुल | 1386795 | 100.00 | 10468522622 | 100.00 | 33926 | 100.00 | 9159603 | 100.00 | 1420721 | 100.00 | 10477682225 | 100.00 |

**vi) दिनांक 31.03.2021 को शेयरधारकों द्वारा भौतिक रुप में तथा डीमेट रुप में धारित शेयरों का विवरण:**

| क्र. सं. | विवरण | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या | % शेयर धारिता |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मूर्त रुप में | 33926 | 9159603 | 0.09 |
| 2. | डीमैट रुप में | 1386795 | 10468522622 | 99.91 |
| i) | एनएसडीएल | 633463 | 1899320011 | 18.13 |
| ii) | सीडीएसएल | 753332 | 8569202611 | 81.79 |
| | कुल ( 1+2 ) | 1420721 | 10477682225 | 100.00 |

बैंक ने वर्ष के दौरान भारत सरकार को अधिमानी आधार प्रीमियम पर अंकित मूल्य रु.2 के इक्विटी शेयरों की निम्नलिखित की संख्या आवंटित की है:

| इक्विटी शेयरों की संख्या | प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम (राशि रु. में) | प्रति इक्विटी शेयर निर्गम मूल्य (राशि रु. में) | राशि (रु. में) |
|---|---|---|---|
| 106,70,52,910 | 33.50 | 35.50 | 3788,03,78,305 |

| | |
|---|---|
| Mutual Funds | 0.94 |
| Domestic Companies/Trusts | 0.76 |
| Indian Public/Resident Individuals/HUF | 9.79 |
| Clearing Members | 0.37 |
| **Total** | **100.00** |

**(ii)** No. of shareholders as on 31.03.2021 14,20,721

**(iii)** Nominal value of each Equity Share (₹) 2/-

**(iv) Distribution Pattern:**

| No. of Shareholders | % age of Total | Shareholding of Nominal Value of (₹) | No. of Equity Shares | Amount (₹) | %age to Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1346127 | 94.75 | Upto 5000 | 441886486 | 883772972 | 4.22 |
| 47715 | 3.36 | 5001 to 10000 | 169300043 | 338600086 | 1.62 |
| 15778 | 1.11 | 10001 to 20000 | 115984580 | 231969160 | 1.11 |
| 4303 | 0.30 | 20001 to 30000 | 53711581 | 107423162 | 0.51 |
| 2283 | 0.16 | 30001 to 40000 | 40725186 | 81450372 | 0.39 |
| 1141 | 0.08 | 40001 to 50000 | 26187223 | 52374446 | 0.25 |
| 1891 | 0.13 | 50001 to 100000 | 67700461 | 135400922 | 0.65 |
| 1483 | 0.10 | 100001 and above | 9562186665 | 19124373330 | 91.26 |
| **Total: 1420721** | **100.00** | | **10477682225** | **20955364450** | **100.00** |

**v) Geographical spread of Shareholders as on 31.03.2021:**

| | ELECTRONIC | | | | PHYSICAL | | | | TOTAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITY NAME | HOLDER | per % | SHARE | per% | HOLDER | Per% | SHARE | PER% | Holder | Per% | Share | Per% |
| AHMEDABAD | 48192 | 3.48 | 32035014 | 0.31 | 708 | 2.09 | 102386 | 1.12 | 48900 | 3.44 | 32137400 | 0.31 |
| BANGALORE | 38110 | 2.75 | 33918377 | 0.32 | 718 | 2.12 | 225296 | 2.46 | 38828 | 2.73 | 34143673 | 0.33 |
| CHENNAI | 28906 | 2.08 | 28758552 | 0.27 | 927 | 2.73 | 416366 | 4.54 | 29833 | 2.10 | 29174918 | 0.28 |
| DELHI | 106008 | 7.64 | 8209601188 | 78.42 | 4712 | 13.89 | 1050433 | 11.47 | 110720 | 7.79 | 8210651621 | 78.36 |
| HYDERABAD | 26589 | 1.92 | 27960304 | 0.27 | 645 | 1.90 | 190245 | 2.08 | 27234 | 1.92 | 28150549 | 0.27 |
| KOLKATA | 51158 | 3.69 | 51616983 | 0.49 | 1321 | 3.89 | 331907 | 3.62 | 52479 | 3.69 | 51948890 | 0.49 |
| MUMBAI | 111474 | 8.04 | 1413061679 | 13.50 | 2544 | 7.50 | 630779 | 6.89 | 114018 | 8.03 | 1413692458 | 13.49 |
| NCR OTH | 46456 | 3.35 | 53217670 | 0.51 | 949 | 2.80 | 235507 | 2.57 | 47405 | 3.34 | 53453177 | 0.51 |
| OTHERS | 929902 | 67.05 | 618352855 | 5.91 | 21402 | 63.08 | 5976684 | 65.25 | 951304 | 66.96 | 624329539 | 5.96 |
| TOTAL | 1386795 | 100.00 | 10468522622 | 100.00 | 33926 | 100.00 | 9159603 | 100.00 | 1420721 | 100.00 | 10477682225 | 100.00 |

**vi) Details of shares held by the Shareholders in Physical & Dematerialized form as on 31.03.2021**

| S. No. | Particulars | No. of Shareholders | No. of Shares | % Sharehold-ing |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Physical** | **33926** | **9159603** | **0.09** |
| **2.** | **Dematerialized** | **1386795** | **10468522622** | **99.91** |
| i) | NSDL | 633463 | 1899320011 | 18.13 |
| ii) | CDSL | 753332 | 8569202611 | 81.79 |
| | **Total (1+2)** | **1420721** | **10477682225** | **100.00** |

During the year, the Bank has allotted following number of equity shares of the face value Rs.2/- each at a premium to the eligible QIBs under the QIP issue of the Bank:

| Number of Equity shares | Premium per equity share (Amt. in Rs.) | Issue Price per equity share (Amt. in Rs.) | Amount (Rs.) |
|---|---|---|---|
| 106,70,52,910 | 33.50 | 35.50 | 3788,03,78,305 |

बैंक के पूंजीगत अनुपात (समेकित) पूंजी सम्मिश्रण से पहले और बाद में निम्नानुसार हैं:

| अनुपात | 30.09.2020 (पूर्व) | 31.12.2020 (पश्चात) |
|---|---|---|
| सामान्य इक्विटी टियर1 पूंजी अनुपात (%) (बेसल- III) | 9.82 | 10.38 |
| टीयर 1 पूंजी अनुपात (%) (बेसल- III) | 10.64 | 11.19 |
| टीयर 2 पूंजी अनुपात (%) (बेसल- III) | 2.53 | 2.98 |
| कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) (बेसल- III) | 13.17 | 14.17 |

11.15 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई भी परिवर्तनीय विलेख जारी नहीं किया है तथा 31.03.2021 को कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय विलेख बकाया नहीं है।

**11.16 पण्य कीमत जोखिम शून्य है। विदेशी विनिमय जोखिम व हैजिंग से संबंधित गतिविधियों के संबंध में:**

- बोर्ड ने निवेश पॉलिसी को एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग (आईआरएमडी), मिड ऑफिस द्वारा बनाए गए प्रुडेंशियल दिशानिर्देश/बैंक के दिशानिर्देश के समानांतर अनुमोदित किया है जोकि विभिन्न सीमाओं की फिक्सिंग द्वारा कट लॉस/लाभ सीमाएं अपनाना (डीलर/करेंसी आधारित) ओवरनाइट/फॉर्वर्ड ऑपन स्थिति इत्यादि के संभावित भविष्य में होने वाली हानि को परिभाषित करता है। दिन के दौरान ओपन स्थिति के साथ डे लाइट ऑपन स्थिति सीमा फिक्सिंग द्वारा विनिमय जोखिम का समाधान करता है। विभिन्न परिपक्वता अवधि में विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह में अंतर के कारण उत्पन्न विदेशी विनिमय जोखिम को आईजीएल, एजीएल और वीएआर जैसी सीमाओं द्वारा समाधान किया जाता है तथा मिड कार्यालय, आईआरएमडी द्वारा उनकी निगरानी की जाती है।
- सभी मर्चेंट (आयात/निर्यात/आवक प्रेषण/जावक प्रेषण) आधारित लेनदेन अंतर बैंक बाजार में ओटीसी व्युत्पत्ती (स्वैप व फॉर्वर्ड) के माधयम से रक्षित किए जाते हैं।
- एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी के माध्यम से सृजित यूएसडी निधि स्वाभाविक रूप से रक्षित किया जाता है, जैसे ही उसी मुद्रा में निधियों का आगमन और बहिर्गमन होता है। यूएसडी के अलावा उपर्युक्त जमाएं मुद्रा स्वैप तंत्र के माध्यम से यूएसडी में परिवर्तित होती हैं और स्वैप लागत को ध्यान में रखते हुए लाभ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
- बैंक के पास एक सुदृढ़ व सुपरिभाषित एमआईएस है जिसके माध्यम से दैनिक गतिविधियों को प्रत्येक दिन सभी स्तर पर उच्च प्रबन्धन के समक्ष रखा जाता है। इसे मिड कार्यालय, आईआरएमडी द्वारा बनाई गई बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति में परिभाषित किया गया है।

**11.17 प्लांट का स्थान: लागू नहीं**

**11.18 इक्विटी संबंधी मामलों में पत्राचार हेतु पता:**

कम्पनी सचिव
पंजाब नैशनल बैंक
शेयर विभाग,
प्रथम तल, पूर्व विंग, प्लॉट सं. 4, सेक्टर-10,
द्वारका, नई दिल्ली-110075
दूरभाष सं. 011- 28044857
**ई-मेल : hosd@pnb.co.in**

The capital ratios of the Bank (consolidated) before and after the raising of capital are as under:

| Ratio | 30.09.2020 (Pre) | 31.12.2020 (Post) |
|---|---|---|
| Common Equity Tier 1 Capital ratio (%) (Basel- III) | 9.82 | 10.38 |
| Tier 1 Capital ratio (%) (Basel- III) | 10.64 | 11.19 |
| Tier 2 Capital ratio (%) (Basel- III) | 2.53 | 2.98 |
| Total Capital ratio (CRAR) (%) (Basel- III) | 13.17 | 14.17 |

11.15 Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the financial year 2020-21 and there are no outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments as on 31.03.2021.

**11.16 Commodity Price Risks are Nil. As regards foreign exchange risk and hedging activities:**

- Board approved Investment Policy in line with prudential guidelines/Bank guidelines framed by Mid Office, Integrated Risk Management Division (IRMD) is in place which defines potential future losses by fixing various limits such as cut loss/take profit limits (Dealer wise/Currency wise), Overnight/forward open positions etc. Exchange risk associated with intraday open position is also addressed by fixing Daylight Open Position limit. Foreign Exchange risk arising due to mismatch of foreign currency cash flow in different maturity buckets are addressed by limits such as IGL, AGL and VaR fixed and monitored by Mid Office, IRMD.
- All merchant (Export/Import/Inward remittance/Outward remittance) based transactions are hedged through OTC derivatives (swap and forward) in Interbank market.
- USD funds generated through FCNR/EEFC/RFC are naturally hedged as inflow and outflow of fund takes place in the same currency. Aforesaid deposits other than USD are converted into USD through currency swap mechanism and deployed profitably after taking swap cost into account.
- Bank has a robust and well defined MIS through which daily activities are placed before Top Management at all levels every day. The same has been defined in Board approved Investment Policy framed by Mid Office, IRMD.

**11.17 Plant Location: NA**

**11.18 Address for Correspondence in respect of equity related issues:**

The Company Secretary
Punjab National Bank
Share Department, 1st Floor,
East Wing, Plot No.4, Sector-10,
Dwarka, New Delhi - 110075
Tel. No. 011- 28044857
**e-mail: hosd@pnb.co.in**

**11.19 ऑनलाईन शिकायत निवारण प्रणाली:**

बैंक ने शेयरधारकों के प्रश्नों/शिकायतों के समाधान संबंधी पत्रचार में लगने वाले समय को कम करने के लिए एक ऑनलाइन प्रश्न/शिकायत/शिकायतों की समाधान प्रणाली उपलब्ध कराई है। नई प्रणाली के अंतर्गत शेयरधारक हमारी वेबसाईट www.pnbindia.in पर उपलब्ध कराए गए पोर्टल के माध्यम से Investorinfo>others>Online shareholder queries/request/grievances के अंतर्गत अपनी पूछताछ/शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शेयरधारक दर्ज करने की तिथि से लेकर उसके निपटान की तिथि तक शिकायत की स्थिति को देख सकते हैं।

**11.20 सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट**

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए, बैंक ने मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स (प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली) को नियुक्त किया था। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अंत में संलग्न किया जाता है।

**11.21 डिबेंचर न्यासी**

31.03.2021 को बैंक के बॉन्ड के लिए डिबेंचर न्यासी निम्नलिखित हैं:

**1. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड:**
एसियन बिल्डिंग, भूतल,
17, आर कामानी मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट,
मुंम्बई - 400 001.
टेली: (91) (22) 40807006

**2. माइलस्टोन ट्रस्टीशिप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड::**
402ए, हॉलमार्क बिजनेस प्लाजा,
संत ज्ञानेश्वर मार्ग, गुरु नानक हॉस्पीटल के पीछे,
बान्द्रा पूर्व, मुम्बई
फैक्स: ,91 22 6716 7077
टेली: ,91 22 6716 7014

**3. एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड:**
मिस्त्री भवन, चतुर्थ तल, 112 दिनशॉ वछा रोड,
चर्चगेट, मुंबई- 400020
टेली: (91) (22) 43025518

**4. एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड:**
रूबी, दूसरी मंजिल, एस डब्लू,
29, सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम,
मुंबई- 400 028
टेली: (91) (22) 6230 0451

**11.22 संशोधान के साथ सभी क्रेडिट रेटिंग्स की सूची:**

**ए. बैंक की क्रेडिट रेटिंग:**

| रेटिंग एजेंसी | रेटिंग |
|---|---|
| मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज | Ba1/NP/Negative |
| फिच रेटिंग्स | BBB- /F3/Negative |

**11.19 Online grievance redressal system:**

The Bank has made available an online query/grievance/complaint redressal system for reducing the time period involved in correspondence in resolving the shareholders' queries/grievances. Under the new system the shareholder may log in their query/complaint through the portal provided in our website www.pnbindia.in under Investor info ->others ->Online Shareholder queries/requests/grievances. The shareholder will be able to view status of the reference from the date of lodging till its resolution.

**11.20 Secretarial Audit Report:**

For conducting the Secretarial Audit for the FY 2020-21, the Bank has appointed M/s Agarwal S. & Associates (Practicing Company Secretary, New Delhi). The Secretarial Audit Report is annexed at the end of the Corporate Governance Report.

**11.21 Debenture Trustee(s)**

The following are the debenture trustee(s) for the bonds of the Bank as on 31.03.2021:

**1. IDBI Trusteeship Services Ltd:**
Asian Building, Ground Floor,
17, R. Kamani Marg, Ballard Estate,
Mumbai – 400 001.
T: (91) (22) 40807006

**2. MILESTONE TRUSTEESHIP SERVICES PVT. LTD:**
402A, Hallmark Business Plaza,
Sant Dnyaneshwar Marg, Opp. Gurunanak Hospital,
Bandra East, Mumbai
Fax: +91 22 6716 7077
T: +91 22 6716 7014

**3. SBICAP Trustee Company Ltd:**
Mistry Bhawan, 04th Floor, 122 Dinshaw Vachha Road,
Chrchgate, Mumbai- 400020
T: (91) (22) 43025518

**4. Axis Trustee Services Ltd.:**
The Ruby, 2nd Floor, SW,
29, Senapati Bapat Marg, Dadar West,
Mumbai- 400 028
T: (91) (22) 6230 0451

**11.22 List of all credit ratings along with revisions thereto:**

**a. Credit Rating of the Bank:**

| Rating Agency | Rating |
|---|---|
| Moody's Investors Services | Ba1/NP/Negative |
| Fitch Ratings | BBB- /F3/Negative |

## ख. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सावधि जमा को छोड़कर सभी घरेलू ऋण लिखत के लिए बैंक द्वारा लिए गए क्रेडिट रेटिंग का विवरण

| क्र.सं | लिखत | श्रृंखला | आईएसआईएन | केयर | | | इकरा | | | इंडिया रेटिंग | | | | | | ब्रिकवर्क | | | क्रिसिल | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01.04.2020 | 05.10.2020 | 17.11.2020 | 01.04.2020 | 14.08.2020 | 20.11.2020 | 01.04.2020 | 22.05.2020 | 30.06.2020 | 24.09.2020 | 14.10.2020 | 21.10.2020 | 01.04.2020 | 15.10.2020 | 29.10.2020 | 01.04.2020 | 07.07.2020 | 01.09.2020 | 25.09.2020 |
| 1 | एटी -1 | श्रृंखला VII | INE160A08076 | A+/ Credit watch with developing implications | | AA-/ Stable | NIL | | | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | AA/ Stable | AA/ Stable | NIL | | | | | | |
| 2 | एटी -1 | श्रृंखला VIII | INE160A08100 | NIL | | | | | | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | AA/ Stable | AA/ Stable | AA/ Credit Watch with developing implications | AA/ Stable | AA/ Stable | NIL | | | |
| 3 | एटी -1 | श्रृंखला IX | INE160A08118 | NIL | | | | | | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | AA/ Stable | AA/ Stable | AA/ Credit Watch with developing implications | AA/ Stable | AA/ Stable | NIL | | | |
| 4 | एटी -1 | श्रृंखला X | INE160A08126 | NIL | | | | | | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | AA/ Stable | AA/ Stable | AA/ Credit Watch with developing implications | AA/ Stable | AA/ Stable | NIL | | | |
| 5 | एटी -1 | श्रृंखला XI | INE160A08134 | NIL | | | | | | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | AA/ Stable | AA/ Stable | AA/ Credit Watch with developing implications | AA/ Stable | AA/ Stable | AA-/ (Watch) Developing | AA-/ (Watch) Developing | AA-/ Stable | AA-/ Stable |
| 6 | एटी -1 | श्रृंखला XII | INE160A08183 | NIL | | | | | | | | | | | AA/ Stable | NIL | | AA/ Stable | NIL | | | |
| 7 | दीर्घावधि बॉन्ड | श्रृंखला 1 | INE160A08068 | AA-/ Credit watch with developing implications | AA+/ Stable | AA+/ Stable | NIL | | | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AAA/ Stable | AAA/ Stable | NIL | | | AA+/ (Watch) Developing | AA+/Watch Developing | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 8 | दीर्घावधि बॉन्ड | श्रृंखला 2 | INE160A08084 | AA-/ Credit watch with developing implications | AA+ / Stable | AA+ / Stable | AA-/Positive Implications | AA-/ Stable | AA / Stable | NIL | | | | | | | | | AA+/ (Watch) Developing | AA+/ Watch Developing | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 9 | टियर II बेसेल - III | श्रृंखला XIV | INE160A08019 | NIL | | | AA-/Positive Implications | AA- /Hyb Stable | AA/ Hyb Stable | NIL | | | | | | | | | AA+/ (Watch) Developing | AA+/ Watch Developing | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 10 | टियर II बेसेल - III | श्रृंखला XV | INE160A08027 | NIL | | | | | | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AAA/ Stable | AAA/ Stable | NIL | | | AA+/ (Watch) Developing | AA+/ Watch Developing | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 11 | टियर II बेसेल - III | श्रृंखला XVI | INE160A08035 | NIL | | | | | | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AAA/ Stable | AAA/ Stable | NIL | | | AA+/ (Watch) Developing | AA+/ Watch Developing | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 12 | टियर II बेसेल - III | श्रृंखला XVII | INE160A08043 | NIL | | | | | | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AAA/ Stable | AAA/ Stable | NIL | | | AA+/ (Watch) Developing | AA+/ Watch Developing | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 13 | टियर II बेसेल - III | श्रृंखला XVIII | INE160A08050 | NIL | | | | | | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AAA/ Stable | AAA/ Stable | NIL | | | AA+/ (Watch) Developing | AA+/ Watch Developing | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 14 | टियर II बेसेल - III | श्रृंखला XIX | INE160A08092 | AA/ Credit watch with developing implications | AA+/ Stable | AA+/ Stable | NIL | | | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AAA/ Stable | AAA/ Stable | NIL | | | | | | |
| 15 | टियर II बेसेल - III | श्रृंखला XX | INE160A08142 | NIL | | | | | | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AAA/ Stable | AAA/ Stable | NIL | | | AA+/ (Watch) Developing | AA+/ Watch Developing | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 16 | टियर II बेसेल - III | श्रृंखला XXI | INE160A08159 | NIL | | | | | | | | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AAA/ Stable | AAA/ Stable | NIL | | | | AA+/ Stable | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 17 | टियर II बेसेल - III | श्रृंखला XXII | INE160A08167 | NIL | | | | | | | | | | AAA/ Stable | AAA/ Stable | NIL | | | | | | AA+/ Stable |
| 18 | टियर II बेसेल - III | श्रृंखला XXIII | INE160A08175 | NIL | | | | | | | | | | | AAA/ Stable | NIL | | | | | | AA+/ Stable |
| 19 | निम्नतर टियर II | 30.11.2012 | INE141A09132 | NIL | AA+ / Stable | AA+ / Stable | NIL | AA-/ Stable | AA/ Stable | NIL | | | | | | | | | | | | |
| 20 | टियर II बेसेल - III | 27.10.2014 | INE141A08019 | NIL | AA+ / Stable | AA+ / Stable | NIL | AA-/ Hyb Stable | AA /Hyb Stable | NIL | | | | | | | | | | | | |
| 21 | टियर II बेसेल - III | 26.10.2015 | INE141A08035 | | AA+ / Stable | AA+ / Stable | NIL | AA-/ Hyb Stable | AA /Hyb Stable | NIL | | | | | | | | | | | | |
| 22 | टियर II बेसेल - III | 24.06.2016 | INE141A08043 | NIL | AA+ / Stable | AA+ / Stable | NIL | AA-/Hyb Stable | AA/ Hyb Stable | NIL | | | | | | | | | | | | |
| 23 | निम्न टियर II | श्रृंखला-VII | INE695A09087 | NIL | AA+ / Stable | AA+ / Stable | NIL | | | | | | | | | | | | | | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 24 | आईपीडीआई टियर II | श्रृंखला I | INE695A09095 | NIL | AA / Stable | AA / Stable | NIL | | | | | | | | | | | | | | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 25 | टियर II बेसेल - III | श्रृंखला-VIII | INE695A09103 | NIL | | | | | | | | | | | | | AA+/ Stable | AA+/ Stable | NIL | | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 26 | टियर II बेसेल - III | श्रृंखला-IX | INE695A08030 | NIL | | | | | | | | | | | | | AA+/ Stable | AA+/ Stable | NIL | | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 27 | निम्न टियर II | श्रृंखला-X | INE695A08048 | NIL | | | | | | | | | | | | | | | | | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 28 | निम्न टियर II | श्रृंखला XI | INE695A08063 | NIL | | | | | | | | | | | | | | | | | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 29 | जमा प्रमाणपत्र | | | A1+ | A1+ | A1+ | A1+/ outstanding | A1+ | A1+ | NIL | | | | | | | | | | | A1+ | A1+ |

नोट: बैंक ने क्रमशः मई 2020 और सितंबर 2020 के महीनों में ISIN INE160A09322 (पीएनबी 1-0) और ISIN INE141A09116 और INE141A09124 (ई-ओबीसी) वाले बॉन्ड के लिए कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया। इन बांडों की रेटिंग वापस ले ली गई है।

कॉल विकल्प के प्रयोग से पहले ISIN INE160A09322 वाले बांडों को केयर द्वारा एए-/विकासशील प्रभावों के साथ ऋण पर्यवेक्षण का दर्जा दिया गया था, और क्रिसिल द्वारा एए+/(पर्यवेक्षण) विकासशील निहितार्थ शामिल थे।

कॉल विकल्प के प्रयोग से पहले ISIN INE141A09116 वाले बांडों को केयर द्वारा एए/स्थिर और ब्रिकवर्क द्वारा एए/स्थिर तथा INE141A09124 वाले बांडों को केयर द्वारा एए/स्थिर और ब्रिकवर्क द्वारा एए+/स्थिर रेटिंग दी गई थी।

**कृते पंजाब नैशनल बैंक**
**(सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव)**
**प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.06.2021

## b. Details of Credit Rating obtained by the bank during FY 2020-21 for all domestic debt instrument except fixed deposit

| Sr. No. | Instrument | Series | ISIN | CARE | | | ICRA | | | INDIA RATING | | | | | | BRICKWORK | | | CRISIL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01.04.2020 | 05.10.2020 | 17.11.2020 | 01.04.2020 | 14.08.2020 | 20.11.2020 | 01.04.2020 | 22.05.2020 | 30.06.2020 | 24.09.2020 | 14.10.2020 | 21.10.2020 | 01.04.2020 | 15.10.2020 | 29.10.2020 | 01.04.2020 | 07.07.2020 | 01.09.2020 | 25.09.2020 |
| 1 | AT-1 | Series VII | INE160A08076 | A+/ Credit watch with developing implications | | AA-/ Stable | NIL | | | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | AA/ Stable | AA/ Stable | NIL | | | | | | |
| 2 | AT-1 | Series VIII | INE160A08100 | NIL | | | | | | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | AA/ Stable | AA/ Stable | AA/ Credit Watch with developing implica-tions | AA/ Stable | AA/ Stable | NIL | | | |
| 3 | AT-1 | Series IX | INE160A08118 | NIL | | | | | | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | AA/ Stable | AA/ Stable | AA/ Credit Watch with developing implica-tions | AA/ Stable | AA/ Stable | NIL | | | |
| 4 | AT-1 | Series X | INE160A08126 | NIL | | | | | | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | AA/ Stable | AA/ Stable | AA/ Credit Watch with developing implica-tions | AA/ Stable | AA/ Stable | NIL | | | |
| 5 | AT-1 | Series XI | INE160A08134 | NIL | | | | | | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | A/ RWE | AA/ Stable | AA/ Stable | AA/ Credit Watch with developing implica-tions | AA/ Stable | AA/ Stable | AA-/ (Watch) Developing | AA-/ (Watch) Developing | AA-/ Stable | AA-/ Stable |
| 6 | AT-1 | Series XII | INE160A08183 | NIL | | | | | | | | | | | AA/ Stable | NIL | | AA/ Stable | NIL | | | |
| 7 | Long Term Bond | Series 1 | INE160A08068 | AA-/ Credit watch with developing implications | AA+/ Stable | AA+/ Stable | NIL | | | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AAA/ Stable | AAA/ Stable | NIL | | | AA+/ (Watch) Developing | AA+/Watch Developing | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 8 | Long Term Bond | Series 2 | INE160A08084 | AA-/ Credit watch with developing implications | AA+ / Stable | AA+ / Stable | AA-/Posi-tive Implica-tions | AA-/ Stable | AA / Stable | NIL | | | | | | | | | AA+/ (Watch) Developing | AA+/ Watch Developing | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 9 | Tier II Basel - III | Series XIV | INE160A08019 | NIL | | | AA-/Posi-tive Implica-tions | AA- /Hyb Stable | AA/ Hyb Stable | NIL | | | | | | | | | AA+/ (Watch) Developing | AA+/ Watch Developing | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 10 | Tier II Basel - III | Series XV | INE160A08027 | NIL | | | | | | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AAA/ Stable | AAA/ Stable | NIL | | | AA+/ (Watch) Developing | AA+/ Watch Developing | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 11 | Tier II Basel - III | Series XVI | INE160A08035 | NIL | | | | | | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AAA/ Stable | AAA/ Stable | NIL | | | AA+/ (Watch) Developing | AA+/ Watch Developing | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 12 | Tier II Basel - III | Series XVII | INE160A08043 | NIL | | | | | | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AAA/ Stable | AAA/ Stable | NIL | | | AA+/ (Watch) Developing | AA+/ Watch Developing | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 13 | Tier II Basel - III | Series XVIII | INE160A08050 | NIL | | | | | | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AAA/ Stable | AAA/ Stable | NIL | | | AA+/ (Watch) Developing | AA+/ Watch Developing | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 14 | Tier II Basel - III | Series XIX | INE160A08092 | AA/ Credit watch with developing implications | AA+/ Stable | AA+/ Stable | NIL | | | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AAA/ Stable | AAA/ Stable | NIL | | | | | | |
| 15 | Tier II Basel - III | Series XX | INE160A08142 | NIL | | | | | | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AAA/ Stable | AAA/ Stable | NIL | | | AA+/ (Watch) Developing | AA+/ Watch Developing | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 16 | Tier II Basel - III | Series XXI | INE160A08159 | NIL | | | | | | | | AA+/ RWE | AA+/ RWE | AAA/ Stable | AAA/ Stable | NIL | | | | AA+/ Stable | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 17 | Tier II Basel - III | Series XXII | INE160A08167 | NIL | | | | | | | | | | AAA/ Stable | AAA/ Stable | NIL | | | | | | AA+/ Stable |
| 18 | Tier II Basel - III | Series XXIII | INE160A08175 | NIL | | | | | | | | | | | AAA/ Stable | NIL | | | | | | AA+/ Stable |
| 19 | Lower Tier II | 30.11.2012 | INE141A09132 | NIL | AA+ / Stable | AA+ / Stable | NIL | AA-/ Stable | AA/ Stable | NIL | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Tier II Basel - III | 27.10.2014 | INE141A08019 | NIL | AA+ / Stable | AA+ / Stable | NIL | AA-/ Hyb Stable | AA /Hyb Stable | NIL | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Tier II Basel - III | 26.10.2015 | INE141A08035 | | AA+ / Stable | AA+ / Stable | NIL | AA-/ Hyb Stable | AA /Hyb Stable | NIL | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Tier II Basel - III | 24.06.2016 | INE141A08043 | NIL | AA+ / Stable | AA+ / Stable | NIL | AA-/Hyb Stable | AA/ Hyb Stable | NIL | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Lower Tier II | Series-VII | INE695A09087 | NIL | AA+ / Stable | AA+ / Stable | NIL | | | | | | | | | | | | | | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 24 | IPDI Tier I | Series I | INE695A09095 | NIL | AA / Stable | AA / Stable | NIL | | | | | | | | | | | | | | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 25 | Tier II Basel - III | Series-VIII | INE695A09103 | NIL | | | | | | | | | | | | | AA+/ Stable | AA+/ Stable | NIL | | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 26 | Tier II Basel - III | Series-IX | INE695A08030 | NIL | | | | | | | | | | | | | AA+/ Stable | AA+/ Stable | NIL | | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 27 | Lower Tier II | Series-X | INE695A08048 | NIL | | | | | | | | | | | | | | | | | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 28 | Lower Tier II | Series XI | INE695A08063 | NIL | | | | | | | | | | | | | | | | | AA+/ Stable | AA+/ Stable |
| 29 | Certicate Of Deposit | | | A1+ | A1+ | A1+ | A1+/ out-standing | A1+ | A1+ | NIL | | | | | | | | | | | A1+ | A1+ |

Note: Bank exercised call option for bonds having ISIN INE160A09322 (PNB 1.0) and ISIN INE141A09116 & INE141A09124 (e-OBC) in the months of May 2020 & September 2020, respectively. Ratings of these bonds stand withdrawn.

The bonds having ISIN INE160A09322 were rated AA-/Credit watch with developing implications by CARE and AA+/(Watch) Developing by CRISIL prior to the exercise of call option.

The bonds having ISIN INE141A09116 and INE141A09124 were rated AA/Stable by CARE & AA/Stable by Brickwork and AA/ Stable by CARE & AA+/Stable by Brickwork, respectively, prior to the exercise of call option.

**For Punjab National Bank**

Place: New Delhi
Date: 04.06.2021

**(CH. S. S. Mallikarjuna Rao)**
**Managing Director & CEO**

# घोषणा

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 की अनुसूची V (डी) के अनुसार

बैंक ने सभी बोर्ड सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के अधिकारियों के लिए आचार संहिता तैयार की है जिसे बैंक की वेबसाइट https://www.pnbindia.in/model-code-of-conduct.html पर दर्शाया गया है।

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन ने सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के खंड 26 (3) के अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

**कृते पंजाब नैशनल बैंक**

**(सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव)**
**प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.06.2021

# Declaration

(As per Schedule V (D) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank, which is posted on the website of the Bank i.e. https://www.pnbindia.in/model-code-of-conduct.html

The Board Members and Senior Management have affirmed compliance to the Code of Conduct in accordance with Regulation 26(3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

**For Punjab National Bank**

Place: New Delhi
Date: 04.06.2021

**(CH. S. S. Mallikarjuna Rao)**
**Managing Director & CEO**

फॉर्म संख्या-एमआर - 3

# सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सेबी की विनियमन 24 ए (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 के अनुसरण में

**प्रिय,**
**सदस्यगण,**
**पंजाब नैशनल बैंक**

हमने पंजाब नैशनल बैंक (जिसे यहाँ आगे ''बैंक'' कहा गया है) द्वारा लागू संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट सिद्वांतों के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया था कि इससे हमें कॉरपोरेट आचरण सवैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार मिला।

सचिवीय ऑडिट करने के दौरान बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्म्स एवं दाखिल की गई विवरणियों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड के सत्यापन तथा बैंक, इनके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर, हम एतद्-द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने **31 मार्च, 2021** को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन-व्यवस्था हैं, जो इस तरीके से और यहाँ की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्म्स एवं दाखिल की गई विवरणियों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और इसके तहत बनाए गए नियम, (लागू सीमा तक);

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और इसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्र-पारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा के तहत बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश अर्थात:-

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018;

Form No. MR-3

# SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2021

Pursuant to Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

**To,**
**The Members,**
**Punjab National Bank.**

We have conducted the Secretarial Audit of the Compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good Corporate Practices by Punjab National Bank (hereinafter called the "The Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, Minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2021 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board processes and Compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2021 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made there under; (to the extent Applicable);

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011;

(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; (लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999; (लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

(एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008;

(जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार से संबंधित;

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009;

(आई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूतियों की वापसी खरीद (बाय-बैक)], विनियम, 1998 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं है);

(जे) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियमय; 2018

(के) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड - अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी पंजीकरण एजेंसी, विनियम, 2011;

(एल) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम हेतु बैंकर), विनियमन, 1994;

(एम) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी), विनियमन, 1993

(एन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार), विनियमन, 1993

(vi) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, बैंक में प्रचलित अनुपालन प्रणाली के संबंध में और परीक्षण-जांच के आधार पर संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के बाद, बैंक ने विशेष रूप से बैंक में लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

(ए) पूंजी बाजार मध्यस्थों को लागू सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देश, विनियम;

(बी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निदेश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश;

(सी) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970;

(डी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949;

(ई) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970;

(एफ) पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000;

हमने निम्नलिखित के यथा लागू खंडों के साथ भी अनुपालन की जांच की है:

(ए) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी समय-समय पर यथासंशोधित सचिवीय मानक - लागू नहीं।

(d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

(e) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 (Not applicable to the Bank during the Audit Period)

(f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

(g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;

(h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;

(i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

(j) The Securities and Exchange Board of India (Depository & Participants) Regulations 2018;

(k) The Securities and Exchange Board of India (KYC Registration Agency) Regulation 2011;

(l) The Securities and Exchange Board of India (Banker to an Issue) Regulations, 1994;

(m) The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 1993;

(n) The Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993;

(vi) We Further report that, having regard to the compliance system(s) prevailing in the Bank and on examination of the relevant documents and records in pursuance thereof on test check basis, the bank has complied with the following applicable laws to the Bank:

(a) Guidelines, Regulations issued by SEBI as applicable to Capital Market Intermediaries.

(b) Master Direction, Notification and guidelines issued by RBI from time to time.

(c) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970;

(d) The Banking Regulation Act, 1949;

(e) The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;

(f) Punjab National Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2000;

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(a) Secretarial Standards, as amended from time to time, issued by the Institute of Company Secretaries of India-Not Applicable.

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 – लागू सीमा तक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन अनुपालन किया है:

1. *बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई) के तहत एक निदेशक का पद, जो बैंक बोर्ड में रिक्त था, बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से होना चाहिए जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (डों) के अंतर्गत कामगार हैं, जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस तरह से नामित किया जाना था, जैसा कि इस धारा के तहत बनाई गई योजना में निर्दिष्ट किया जाना है।*

2. *बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एफ) के तहत एक निदेशक का पद, जो बैंक बोर्ड में खाली था, बैंक के कर्मचारियों में से एक निदेशक होना चाहिए, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (डों) के अंतर्गत कामगार नहीं हैं, जिसे रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना था।*

3. *बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(जी) के तहत एक निदेशक का पद, जो बैंक के बोर्ड में रिक्त थी, एक निदेशक जो कम से कम पंद्रह साल से चार्टर्ड एकाउंटेंट रहा हो, रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।*

**हम आगे सूचित करते हैं कि** बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत निगमित है, और कॉरपोरेट अभिशासन और बोर्ड की संरचना हेतु तथा बैंक पर लागू होने से संबंधित प्रावधान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियमन 15 (2), के अनुसार संरचना संबंधी आवश्यकताएं और सेबी (एलओडीआर) 2015 में वर्णित कुछ अन्य कॉर्पोरेट अभिशासन प्रावधान, उस सीमा तक बैंक पर लागू नहीं होते जो राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों या निर्देशों के विपरीत हों।

बैंक के निदेशक मंडल में नौ (9) निदेशक हैं, जिनमें पांच (5) कार्यपालक निदेशक (प्रबंध निदेशक सहित), दो (2) गैर- कार्यपालक-नामांकित निदेशक शामिल हैं, जिनमें से एक-एक आरबीआई और भारत सरकार से है, और दो (2) शेयरधारक निदेशक है। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत यथा अपेक्षित बैंक के निदेशक मंडल में निर्दिष्ट निदेशकों की गैर-नियुक्ति/नामांकन की आवश्यक संख्या को छोड़कर बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन पूर्व कथित कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

(b) Securities & Exchange Board of India (Listings Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015-to the extent Applicable.

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc. mentioned above subject to the following observations:

1. *The position of one Director under Section 9(3)(e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, from among such of the employees of the Bank who are workmen under clause (s) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be nominated by the Central Government in such manner as may be specified in a scheme made under this section was vacant on the Board of the Bank.*

2. *The position of one Director under Section 9(3)(f) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, one Director, from among the employees of the Bank who are not workmen under clause (s) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank was vacant on the Board of the Bank.*

3. *The position of one Director under Section9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank was vacant on the Board of the Bank.*

We further report that the Bank is incorporated under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and provisions related to corporate governance and composition of Board for and as applicable to the Bank are provided in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

Further, as per Regulation 15(2) of SEBI(LODR)2015, the requirements w.r.t. composition and certain other corporate governance as stated in SEBI (LODR) 2015, not applicable on Bank, to the extent they contradict with Banking Companies (acquisition and transfer of undertakings) Act, 1970 read with The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, or directives issued by the relevant authorities.

The Board of Directors of the Bank comprises of Nine (9) Directors, constituting five (5) executive directors (Including Managing Director), Two (2) Non-executive-Nominee Directors one each from RBI and Govt of India, and Two (2) Shareholders Directors. The Board of Directors of the Bank is duly constituted **except** for non-appointment/nomination of requisite number of specified Directors on the Board of Directors of the Bank as required under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the aforesaid Laws.

सामान्यत:, सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिए गए थे, कार्यसूची मदों पर और अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगे जाने और प्राप्त करने एवं बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को, यदि कोई हो, बैठक के कार्यवृत्त के एक भाग के रूप में दर्ज और अभिलेखबद्ध किया जाता है।

हम आगे सूचित करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

**हम आगे सूचित करते हैं कि:**

1. केंद्र सरकार द्वारा 04.08.2020 को अधिसूचित और 01.04.2020 से प्रभावी, पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पूर्ववर्ती यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पंजाब नैशनल बैंक में समामेलन की योजना के अनुसार, बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित शेयर विनिमय अनुपात के अनुसार बैंक ने प्रति 2/- रु के अंकित मूल्य के 2,67,30,63,327 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए।

2. बैंक ने सेबी (पूंजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2018 के अध्याय VI, बैंककारी कंपनी अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2000, और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविधा प्रावधान) योजना, 1970 के अनुसार समीक्षा अवधि के दौरान योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के तहत रु.33.50 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित रु35.50 प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर कुल 3,788.04 करोड़ के प्रति 2/- रुपये के अंकित मूल्य के 1,06,70,52,910 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए हैं।

3. 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर निम्नलिखित लिखत जारी किए हैं:
   - रु.10 लाख प्रत्येक के अंकित मूल्य के कुल मिलाकर रु. 3994 करोड़ के बेसल III अनुपालक टियर II बांड सममूल्य पर जारी किए गए।
   - रु.10 लाख प्रत्येक के अंकित मूल्य के कुल मिलाकर रु. 495 करोड़ के बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर I (स्थायी) बांड सममूल्य पर जारी किए गए।

4. 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने नियामक और अन्य परिचालनात्मक जुर्माने (बैंकिंग लोकपाल परामर्शी/अधिनिर्णय, करेंसी चेस्ट जुर्माना, उपभोता न्यायालयों/लोक अदालतों के आदेश आदि सहित) के लिए कुल रु 7,79,28,739 (सात करोड़ उनहत्तर लाख अठाईस हजार सात सौ उनचालीस) का भुगतान किया है।

Generally, adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes, if any.

**We further report that** there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

**We further report that**

1. Pursuant to the Scheme of Amalgamation of erstwhile Oriental Bank of Commerce and erstwhile United Bank of India into Punjab National Bank notified by the Central Government on 04.08.2020 and effective from 01.04.2020, the Bank issued and allotted 2,67,30,63,327 Equity Shares of Face Value of Rs. 2/- each as per the Share Exchange Ratio approved by the Board of the Banks.

2. Bank has issued and allotted 1,06,70,52,910 Equity Shares of Face Value Rs. 2/- each at a price of Rs. 35.50 per equity share, including a premium of Rs. 33.50 per equity share aggregating to Rs. 3,788.04 Crore under Qualified Institutional Placement during the audit period in accordance with the Chapter VI of the SEBI (Issue of capital and disclosure requirements) Regulation 2018, The Banking Companies Act, The Banking Regulations Act, 1949, The Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, and The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

3. During the financial year ended March 31,2021, the Bank has issued the following Debt Instruments on private placement basis:
   - Basel III Compliant Tier II Bonds of Face Value of Rs.10 lakhs each issued at par aggregating to Rs. 3994 Crore.
   - Basel III Compliant Additional Tier I (Perpetual) Bonds of Face Value of Rs. 10 lakhs each issued at par aggregating to Rs. 495 Crore.

4. During the financial year ended March 31,2021, the Bank has paid a total amount of Rs. 7,79,28,739 (Seven Crore Seventy-Nine Lakhs twenty-eight thousand seven hundred thirty-nine) towards Regulatory and other operational penalties (including Banking Ombudsman Advisories/ Awards, Currency Chest Penalties, orders of Consumer Courts/Lok Adalats etc.).

कृते **अग्रवाल एस. एवं एसोसिएट्स**
*कंपनी सचिव,*
*आईसीएसआई विशिष्ट कोड: P2003DE049100*
*पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर: 626/2019*

**पेशेवर कंपनी सचिव का नाम: सचिन अग्रवाल**
**एफसीएस सं.: 5774**
**सी.पी.सं.: 5910**

**स्थान: नई दिल्ली**
**दिनांक : 02.06.2021**
**यूडीआईएन: F005774C000412444**

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो 'अनुलग्नक ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

For **Agarwal S. & Associates,**
*Company Secretaries,*
*ICSI Unique Code: P2003DE049100*
Peer Review Cert. No.: 626/2019

**Name of the Practicing Company Secretary: Sachin Agarwal**
**FCS No.: 5774**
**C P No.: 5910**

**Place: New Delhi**
**Date: 02.06.2021**
**UDIN: F005774C000412444**

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as “Annexure A” and forms an integral part of this report.

**अनुलग्नक-ए**

सदस्य,
**पंजाब नैशनल बैंक,**

**इस पत्र के साथ सम तिथि की हमारी रिपोर्ट को पढ़ा जाना चाहिए।**

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा हेतु हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर अपने मत प्रस्तुत करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधाार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हो रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं प्रथाएं, हमें हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड और खाता-बहियों की सत्यता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं के घटित होने आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन, प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता का और न ही क्षमता या प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्य किए हैं।
7. तालाबंदी/ आवाजाही पर प्रतिबन्ध एवं कोविड-19 के कारण देश में व्याप्त परिस्थितियों ने बैंक के अभिलेखों/ दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन को प्रभावित किया है।

कृते **अग्रवाल एस. एवं एसोसिएट्स**
*कंपनी सचिव,*
*आईसीएसआई विशिष्ट कोड: P2003DE049100*
*पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर: 626/2019*

**पेशेवर कंपनी सचिव का नाम: सचिन अग्रवाल**
**एफसीएस सं.: 5774**
**सी.पी.सं.: 5910**

**स्थान: नई दिल्ली**
**दिनांक : 02.06.2021**

Annexure A

To,
The Members,
Punjab National Bank.

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our Responsibility is to express an opinion on these secretarial records, based on our inspection of records produced before us for Audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank and our report is not covering observations/comments/ weaknesses already pointed out by the other Auditors.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations, happening of events, etc.
5. The Compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis and to give our opinion whether Bank has proper Board-processes and Compliance-mechanism in place or not.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.
7. The prevailing circumstances in the Country on account of Lockdown/ restrictions on movements and Covid 19 have impacted physical verification of the records/ documents of the Bank.

For **Agarwal S. & Associates,**
*Company Secretaries,*
*ICSI Unique Code: P2003DE049100*
Peer Review Cert. No.: 626/2019

**Name of the Practicing Company Secretary: Sachin Agarwal**
**FCS No.: 5774**
**C P No.: 5910**

**Place: New Delhi**
**Date: 02.06.2021**

**निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र**

{भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 के 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद C खंड (10)(i) के अनुसरण में}

सेवा में,
सदस्यगण
पंजाब नैशनल बैंक
प्लाट सं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075

हमने **पंजाब नैशनल बैंक** जिसका **प्रधान कार्यालय प्लॉट नंबर 4 सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली- 110075** (जिसे यहां आगे 'बैंक' कहा गया है) में स्थित है, के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टर, रिकॉर्ड, फर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे बैंक द्वारा हमारे समक्ष भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ, विनियम, 2015 की अनुसूची अ अनुच्छेद सी उप-खंड (10)(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार यह प्रमाणपत्र जारी किए जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और यथावश्यक सत्यापन जैसा आवश्यक समझा जाए (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) और बैंक तथा इसके निदेशकों/अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड के निम्नलिखित निदेशकों में से किसी को भी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रखने से नहीं रोका गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है :

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | डीआईएन/पैन | बैंक में नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | सीएच एस.एस. मल्लिकार्जुन राव | 07667641 | 1 अक्टूबर 2019 |
| 2 | संजय कुमार | 06741352 | 1 अप्रैल 2020 |
| 3 | विजय दुबे | 09107884 | 1 अप्रैल 2020 |
| 4 | अज्ञेय कुमार आजाद | 08985570 | 22 जनवरी 2019 |
| 5 | स्वरुप कुमार साहा | 08963678 | 10 मार्च 2021 |
| 6 | पंकज जैन | 00675922 | 8 अगस्त 2019 |
| 7 | गौतम गुहा | 06894434 | 18 मार्च 2021 |
| 8 | विवेक अग्रवाल | AACPA8516D | 24 जुलाई 2019 |
| 9 | आशा भंडारकर | ADSPB7584M | 12 सितंबर 2018 |

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/ निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर अपना मत व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंध-वर्ग ने बैंक का कार्य संचालन किया है।

कृते **अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट**
**कंपनी सचिव**
आईसीएसआई विशिष्ट कोड:P2003DE049100
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या:626/2019

**व्यावसायिक कंपनी सचिव का नाम: सीएस सचिन अग्रवाल**
**एफसीएस सं.: 5774**
**सी.पी.सं.: 5910**

**स्थान: नई दिल्ली**
**दिनांक: 29 मई 2021**
**यूडीआईएन:** F005774C000392261

**CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS**

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10) (i) of
the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,
The Members of
Punjab National Bank,
Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosure received from the Directors of **Punjab National Bank,** having head office at **Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075** (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10 (i) of the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations/ representations furnished by the Bank & its Director/ officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2021 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any other such Statutory Authority:

| Sr. No. | Name of Director | DIN/PAN | Date of appointment in Bank |
|---|---|---|---|
| 1 | CH S. S. Mallikarjuna Rao | 07667641 | 01st October, 2019 |
| 2 | Sanjay Kumar | 06741352 | 01st April, 2020 |
| 3 | Vijay Dube | 09107884 | 01st April, 2020 |
| 4 | Agyey Kumar Azad | 08985570 | 22nd January, 2019 |
| 5 | Swarup Kumar Saha | 08963678 | 10th March, 2021 |
| 6 | Pankaj Jain | 00675922 | 08th August, 2019 |
| 7 | Gautam Guha | 06894434 | 18th March, 2021 |
| 8 | Vivek Aggarwal | AACPA8516D | 24th July, 2019 |
| 9 | Asha Bhandarker | ADSPB7584M | 12th September, 2018 |

Ensuring the eligibility of the appointment/ continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **Agarwal S. & Associates,**
*Company Secretaries,*
*ICSI Unique Code: P2003DE049100*
Peer Review Cert. No.: 626/2019

**Name of the Practicing Company Secretary: CS Sachin Agarwal**
**FCS No.:5774**
**C P No.: 5910**

**Place: New Delhi**
**Date: 29th May, 2021**
**UDIN: F005774C000392261**

# कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

# Business Responsibility Report

#JustOneApp

## कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

### खंड ए : बैंक के विषय में सामान्य सूचना

1. **बैंक की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)** लागू नहीं
2. **कंपनी का नाम** पंजाब नैशनल बैंक
3. **पंजीकृत पता** पंजाब नैशनल बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट सं. 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075
4. **वेबसाइट** www.pnbindia.in
5. **ई-मेल आईडी** eicsmead@pnb.co.in, mdps@pnb.co.in
6. **रिपोर्ट किया जाने वाला वित्तीय वर्ष** 2020-21
7. **बैंक जिन क्षेत्र (त्रों) में संलग्न है**

| क्र. सं. | क्षेत्र |
|---|---|
| i. | बैंकिंग सेवाएं |
| ii. | सरकारी कारोबार |
| iii. | कृषि बैंकिंग |
| iv. | खुदरा बैंकिंग |
| v. | ट्रेजरी ऑपरेशन |
| vi. | कॉर्पोरेट बैंकिंग |
| vii. | मर्चेंट बैंकिंग |
| viii. | अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग |
| ix. | एजेंसी कारोबार- बीमा, म्यूचुअल फंड, डिपॉजिटरी सेवाएं, आदि |

8. **तीन प्रमुख उत्पाद/सेवाएं बताएं जो बैंक निर्मित करता है/उपलब्ध कराता है (तुलन-पत्र के अनुसार)**

बैंक के उत्पादों और सेवाओं को निम्नलिखित तीन शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:

I. **जमाराशियों** में चालू जमाराशियां, बचत जमाराशियां, सावधि जमाराशियां, आवर्ती जमाराशियां, पूंजी लाभ खाता योजना तथा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना इत्यादि शामिल हैं।

II. **ऋणों एवं अग्रिमों में शामिल हैं:**

क. खुदरा ऋण: आवास ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण, सम्पत्ति के विरूद्ध ऋण आदि।

ख. कृषि ऋण: पीएनबी किसान तत्काल ऋण योजना, पीएनबी कृषक साथी योजना (केएसएस), एसएचजी कोविड तत्काल सहायता ऋण, पीएनबी कृषि कार्ड, पीएनबी किसान तत्काल कार्ड योजना, पीएनबी सोना कृषि ऋण योजना,पीएनबी ग्राम उदय योजना आदि।

ग. एमएसएमई ऋण: पीएनबी स्वनिधि, पीएनबी गारंटीकृत आपातकालीन ऋण व्यवस्था, पीएनबी आपाती ऋण व्यवस्था, पीएनबी ई-गोदाम, पीएनबी बुनकर मुद्रा कार्ड, पीएनबी महिला उद्यमी, पीएनबी सेवा, पीएनबी उद्योग, पीएनबी व्यापार, पीएनबी संजीवनी, पीएनबी जीएसटी एक्सप्रेस, पीएनबी लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड, पीएनबी सामान्य क्रेडिट कार्ड, पीएनबी सत्कार, पीएनबी गुरूकुल, पीएनबी आढ़तिया इत्यादि।

घ. कॉपीरेट ऋण : फ्यूचर लीज रेंटल पर ऋण, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण, मियादी ऋण, परियोजना वित्तपोषण और बुनियादी ढांचा वित्तपोषण, निर्यात वित्तपोषण, बिल वित्तपोषण आदि।

## Business Responsibility Report

### Section A: General Information about the Bank

1. **Corporate Identity Number (CIN) of the Bank** Not Applicable
2. **Name of the Bank** Punjab National Bank
3. **Registered address** Punjab National Bank, Corporate Office, Plot No 4, Sector-10, Dwarka, New Delhi -110075
4. **Website** www.pnbindia.in
5. **E-mail id** eicsmead@pnb.co.in, mdps@pnb.co.in
6. **Financial Year reported** 2020-21
7. **Sector(s) that the Bank is engaged in**

| S.No. | Sectors |
|---|---|
| i. | Banking Services |
| ii. | Government Business |
| iii. | Agriculture Banking |
| iv. | Retail Banking |
| v. | Treasury Operations |
| vi. | Corporate Banking |
| vii. | Merchant Banking |
| viii. | International Banking |
| ix. | Agency Business- Insurance, Mutual Funds, Depository Services, etc. |

8. **List three key products/services that the Bank manufactures/provides (as in balance sheet)**

The Bank's products & services can be broadly categorized under the following three heads:

I. **Deposits** include Current Deposits, Savings Deposits, Term Deposits, Recurring Deposits, Capital Gain Account Scheme, Gold Monetization Scheme etc.

II. **Loans and Advances include:**

a. Retail loans: Housing Loan, Vehicle Loan, Education Loan, Personal loan, Loan against property etc.

b. Agriculture Loans: PNB Kisan Tatkal Rin Yojana, PNB Krishak Sathi Scheme (KSS), SHG Covid Tatkal Sahayata Rin, PNB Krishi Card, PNB Kisan Tatkal Card Yojana, PNB Sona Krishi Rin Yojana, PNB Gram Uday Scheme etc.

c. MSME Loans: PM Svanidhi, PNB Guaranteed Emergency Credit Line, PNB Standby Line of Credit, PNB E-Godam, PNB Weaver Mudra Card, PNB Mahila Udyami, PNB Seva, PNB Udyog, PNB Vyapaar, PNB Sanjeevani, PNB GST Express, PNB Laghu Udyami Credit Card, PNB General Credit Card, PNB Satkaar, PNB Gurukul, PNB Arhatia, etc.

d. Corporate Loans: Loans against Future Lease Rentals, Working Capital financing, Term Loans, Project Finance & Infrastructure Finance, Export Finance, Bill Financing, etc.

**III. अन्य उत्पाद/सेवाएं**

क. नकदी प्रबन्धन सेवाएं
ख. निर्यात/आयात वित्तपोषण
ग. निर्यातकों के लिए स्वर्ण कार्ड योजना
घ. डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं
ङ. म्यूचुअल फण्ड
च. डिपॉजिटरी सेवाएं
छ. मर्चेंट बैंकिंग
ज. विश्व यात्रा कार्ड
झ. एनआरआई सेवाएं
ञ. क्रेडिट/डेबिट कार्ड कारोबार
ट. बीमा सेवाएं
ठ. ऑनलाइन ट्रेडिंग
ड. डिजिटल बैंकिंग सेवाएं
ढ. लॉकर्स

**9. स्थानों की कुल संख्या जहाँ बैंक द्वारा कारोबारी गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं**

**क. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख स्थानों के विवरण प्रदान करें)**

बैंक की निम्नलिखित देशों में विदेशी शाखाओं/अनुषंगी/सहभागी/सयुक्त उद्यम के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है:-

| क्र. सं. | संस्था का नाम | निगमन राष्ट्र | संस्था का स्वरुप | स्वामित्व का अनुपात % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पीएनबी इंटरनेशनल लिमिटेड | यूके | अनुषंगी | 100.00% |
| 2 | ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड | भूटान | अनुषंगी | 51.00% |
| 3 | एवेरेस्ट बैंक लिमिटेड | नेपाल | संयुक्त उद्यम | 20.03% |
| 4 | जेएससी टेंगरी बैंक* | कजाकिस्तान | सहयोगी | 41.64% |
| 5 | शाखा कार्यालय: हांगकांग | हांगकांग | शाखा | 100.00% |
| 6 | शाखा कार्यालय: दुबई | दुबई | शाखा | 100.00% |

*वित्तीय बाजार के विनियमन और विकास के लिए कजाकिस्तान गणराज्य की एजेंसी (एएफआर) ने बैंकिंग, अन्य परिचालन और प्रतिभूति बाजार में गतिविधियाँ करने हेतु 18 सितंबर, 2020 से जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया तथा अस्थाई प्रशासक नियुक्त किया।

**ख. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या**

31 मार्च 2021 को पीएनबी के 24 अंचल कार्यालय (जेडओ), 161 मंडल कार्यालय, 10769 सामान्य बैंकिंग शाखाएं और 1194 अन्य कार्यालय हैं। बैंक की 4 घरेलू अनुषंगी और 13 घरेलू सहयोगी हैं।

**10. बैंक द्वारा सेवित बाजार - स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय**

वृहद शाखा नेटवर्क के साथ दोनों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार।

**खंड बी : बैंक के वित्तीय विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| **I.** | **चुकता पूँजी (रूपये)** | रु.2,096/- करोड़ |
| **II.** | **कुल कारोबार (रूपये)** | रु.18,45,739/- करोड़ |
| **III.** | **कर पश्चात् कुल लाभ (रूपये)** | रु.2022/- करोड़ |

**III. Other Products/Services**

a. Cash Management Services
b. Export/Import Finance
c. Gold Card Scheme for exporters
d. Doorstep Banking Services
e. Mutual Funds
f. Depository Services
g. Merchant Banking
h. World Travel Card
i. NRI Services
j. Credit/Debit Card Business
k. Insurance Services
l. Online Trading
m. Digital Banking Services
n. Lockers

**9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Bank**

**a. Number of International Locations (Provide details of major Locations)**

Bank has overseas presence in the following Countries by way of overseas branches/Subsidiary/Associates/Joint Ventures:-

| S. No. | Name of the Entity | Country of Incorporation | Nature of Entity | Proportion of Ownership % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNB International Ltd. | UK | Subsidiary | 100.00% |
| 2 | Druk PNB Bank Ltd. | Bhutan | Subsidiary | 51.00% |
| 3 | Everest Bank Ltd | Nepal | Joint Venture | 20.03% |
| 4 | JSC Tengri Bank* | Kazakhstan | Associate | 41.64% |
| 5 | BO: Hong Kong | Hong Kong | Branch | 100.00% |
| 6 | BO: Dubai | Dubai | Branch | 100.00% |

*Agency of Republic of Kazakhstan for Regulation and Development of Financial Market (AFR) revoked license of JSC Tengri Bank with effect from 18th September, 2020 to conduct Banking, other operations and activities in the securities market and appointed Temporary Administrator.

**b. Number of National Locations**

PNB has 24 Zonal Offices (ZOs), 161 Circle Offices, 10769 General Banking Branches and 1194 other offices as on 31st March 2021. The Bank has 4 Domestic Subsidiaries and 13 Domestic Associates.

**10. Markets served by the Bank – Local/State/National/International**

Both National and International markets with a large Branch network.

**Section B: Financial Details of the Bank**

| | | |
|---|---|---|
| **I.** | **Paid up Capital (INR)** | Rs 2,096 Crore |
| **II.** | **Total Business (INR)** | Rs 18,45,739 Crore |
| **III.** | **Total Profit after Tax (INR)** | Rs 2,022 Crore |

**IV. कर पश्चात लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर किया गया कुल व्यय**

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान, सीएसआर पहलों पर किया गया कुल व्यय रु.4038.35 लाख है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | नाम | किया गया व्यय (रु. लाख में) (01.04.2020 से 31.03.2021 तक) |
|---|---|---|
| 1 | कृषक प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी) | 385.18 |
| 2 | ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) | 2400.56 |
| 3 | पीएनबी लाडली | 3.42 |
| 4 | प्रधान कार्यालय में सीएसआर | 940.19 |
| 5 | अंचल कार्यालय में सीएसआर | 265.00 |
| 6 | पीएनबी हॉकी अकादमी | 44.00 |
| | **कुल** | **4038.35** |

**5. उन गतिविधियों की सूची जिनमें उपरोक्त व्यय किया गया है:-**

बैंक विभिन्न ट्रस्टों और संस्थानों जैसे पीएनबी कृषक प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) आदि के माध्यम से सामाजिक विकास में योगदान देता हैं।

क. **कृषक प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी):** बैंक ने 12 कृषक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये हैं। एफटीसी कृषि और संबद्ध गतिविधियों तथा कम्प्यूटर, कटिंग और सिलाई/कढाई और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों पर भी नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। स्थापना के बाद से, एफटीसी ने 52,254 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 16,24,718 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। ये प्रशिक्षण केंद्र किसानों के खेतों में मृदा परीक्षण सुविधाओं वाली मोबाइल वैन और किसानों को सूचनात्मक वीडियों क्लिप के ऑडियों विजुअल प्रदर्शन के लिये एलईडी से लैस हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने इसके तहत रु.385.18 लाख खर्च किए।

ख. **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई):** भारत में 75 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) (ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में) तथा 2 ग्रामीण विकास केंद्र (पीएनबी उपक्रम) चल रहें हैं, जो कि ग्रामीण आबादी और उनके परिवारों को स्व रोजगार उपक्रम/रोजगार प्राप्त करने हेतु कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने में लगे हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, इन केंद्रों में 32,567 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 17,975 बीपीएल परिवारों से सम्बद्ध हैं और 25,148 महिलाएं हैं। स्थापना के बाद से प्रशिक्षित उम्मीद्वारों की कुल संख्या 4,50,707 है, जिनमें से 1,78,861 बीपीएल परिवारों से और 2,82,908 महिलाएं हैं। हमारे आरएसईटीआई समावेशी विकास के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करके प्रतिभागियों को बसाने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। स्थापना के बाद से कुल 2,99,586 उम्मीदवार बसाए गए। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने इसके तहत रु.2400.56 लाख खर्च किए।

**IV. Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)**

During the period from 1st April 2020 to 31st March 2021, a sum of Rs 4038.35 Lakh has been incurred on CSR initiatives with details as under:

| S. No. | Name | Amount incurred (Rs. lakh) (01.04.2020 to 31.03.2021) |
|---|---|---|
| 1 | Farmers Training Centres (FTCs) | 385.18 |
| 2 | Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) | 2400.56 |
| 3 | PNB LADLI | 3.42 |
| 4 | CSR at Head Office | 940.19 |
| 5 | CSR at Zonal Office | 265.00 |
| 6 | PNB Hockey Academy | 44.00 |
| | **Total** | **4038.35** |

**5. List of activities in which above expenditure has been incurred:-**

The Bank contributes to social development by way of various Trusts and Institutes such as PNB Farmers' Training Centres (FTCs), Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) etc.

a. **Farmers Training Centres (FTCs):** Bank has established 12 Farmers Training Centres. The FTCs are providing free of cost training on agriculture & allied activities and also for Computers, cutting & tailoring/ embroidery and entrepreneurship development programs. Since inception, FTCs have imparted training to 16,24,718 persons by conducting 52,254 training programs. These Training Centres have been equipped with the Mobile Van having Soil testing facilities at the farmers' fields and LED for audio visual display of informative video clips to the farmers. The Bank spent Rs 385.18 Lakh under this during FY 2020-21.

b. **Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs):** There are 75 RSETIs (under aegis of MoRD) and 2 Rural Development Centres (PNB initiatives) are operating in India which are engaged in providing training to rural population and their families for skill up gradation to undertake self-employment ventures/Jobs. During the FY2020-21, 32,567 persons were trained in these centers out of which 17,975 belong to BPL families and 25,148 were women. Total number of trained candidates since inception is 4,50,707, out of which 1,78,861 were from BPL families and 2,82,908 were women. Our RSETIs are focusing for settlement of participants by ensuring adequate credit for inclusive growth. Total settled candidates are 2,99,586 since inception. The Bank spent Rs 2400.56 Lakh under this during FY 2020-21.

ग. **पीएनबी लाडली:** यह योजना ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों की बालिकाओं के बीच शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिये है। इस योजना के तहत, बैंक प्रत्येक पहचाने गए गांव की 10 जरूरतमंद छात्राओं को शिक्षा सामग्री हेतु रु.2500/- एकमुश्त और रु.100/- प्रतिमाह पॉकेट भत्ते के रूप में प्रदान कर रहा है। चयनित बालिकाओं को 12वीं कक्षा पूरी होने तक हर साल यह सहायता मिलती रहेगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 329 छात्राओं के बीच रु. 3.42 लाख वितरित किए गए। अब तक, हमने इस योजना के तहत 31.03.2021 तक 9691 बालिकाओं को रु. 175.87 लाख वितरित किए हैं।

घ. **पीएनबी किसान बालक शिक्षा प्रोत्साहन योजना:** गरीब कृषि उधारकर्ताओं (छोटे किसानों, सीमांत किसानों, काश्तकारों किसानों, मौखिक पट्टेदारों और कृषि श्रमिकों सहित) के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है, बशर्ते उनका ऋण खाता नियमित चल रहा हो। स्थापना के बाद से, योजनान्तर्गत मार्च 2021 तक 1553 विद्यार्थियों को रु.47.98 लाख की प्रोत्साहन राशि दी गई है।

ङ. **पीएनबी हॉकी अकादमी:** राष्ट्रीय खेल को प्रोत्साहित करने की दिशा में यह एक प्रमुख पहल है। इस अकादमी के माध्यम से, बैंक सभी लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करके युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शिक्षित करता है और उन्हें राष्ट्रीय टीम के लिए तैयार करता है।

च. **मूल सीएसआर गतिविधियों की सूची जिसमें व्यय किया गया है, वह निम्नानुसार है:**

क. आंध्र प्रदेश सरकार की आंध्र-पहल से जुड़ने में अंशदान।

ख. बिहार के मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान।

ग. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान।

घ. कोविड-19 महामारी में जरूरतमंदों को भोजन राशन किट के वितरण के लिए एनजीओ-अर्थ सेवियर फाउंडेशन को अंशदान।

ड. दूरदराज के दिल्ली क्षेत्रों में या रेलवे स्टेशनों/सड़क के किनारे दिहाड़ी मजदूरों/जरूरतमंदों को हैंडबैग/किट, मास्क, पानी की बोतल आदि के लिए अंशदान।

च. माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन द्वारा शुरू किए गए अखिल भारतीय सीएसआर अभियान में मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण और हमारे फील्ड कार्यालयों की मदद से इसे अखिल भारतीय आधार पर आयोजित किया गया था।

छ. पीएनबी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में तमिलनाडु सरकार के तमिलनाडु आपातकालीन चिकित्सा सेवा (टीएनईएमएस) के लिए एक एम्बुलेंस दान की गई।

ज. डिजिटल अपनाएं अभियान से जुड़कर पीएम-केयर्स फंड में अंशदान किया।

झ. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 पर एनजीओ-थाइ किंगडम कम फाउंडेशन को सिलाई मशीन, सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर का वितरण।

c. **PNB LADLI:** The Scheme is meant for popularization of education among girls of Rural / Semi Urban areas. Under the scheme, Bank is providing for education inputs of Rs. 2,500/- in lump sum and Rs.100/- per month as pocket allowance to 10 needy girl students of each identified village. Selected girls will continue to get support every year till they complete 12th class. During FY 2020-21, Rs. 3.42 Lakh was distributed amongst 329 girls students. So far, we have distributed Rs.175.87 Lakh to 9,691 girls under this scheme upto 31st March 2021.

d. **PNB KISAN BALAK SHIKSHA PROTSAHAN YOJANA:** The Scheme has been launched to provide financial assistance to the students of poor agriculture borrowers (comprising of small farmers, marginal farmers, tenant farmers, oral lessees and agriculture labour) are eligible provided their loan account is running regular. Since inception, Rs. 47.98 Lakh has been given as incentive to 1553 students up to March 2021 under the scheme.

e. **PNB Hockey Academy:** It is one of the major Initiatives towards supporting National Game. Through This Academy, the Bank nurtures young and talented players by providing all logistic support and prepares them for the National Team.

f. **List of Core CSR activities in which expenditure has been incurred is as below:**

a. Contribution to Connect to Andhra-Initiative of Govt. of Andhra Pradesh.

b. Contribution to Chief Minister Relief fund-Bihar.

c. Contribution to Chief Minister Relief fund-Uttar Pradesh.

d. Contribution to NGO-Earth Saviour Foundation towards Distribution of food ration kits to Needy in COVID-19 Pandemic.

e. Contribution towards Handbag/kits, masks, water bottles etc. to daily wage workers/needy ones at remote Delhi areas or at railway stations/roadside.

f. Distribution of masks & sanitizers in All India CSR campaign inaugurated by Hon'ble Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan and was organised on PAN India Basis with the help of our Field offices.

g. An Ambulance was donated to Tamil Nadu emergency Medical Services (TN EMS), Govt. Of Tamil Nadu by MD & CEO, PNB in august presence of Hon'ble Chief Minister, Tamil Nadu.

h. Contribution made to PM-Cares Fund in linkage with Digital Apnayein Campaign.

i. Distribution of Sewing Machines, Sanitary Pad Vending machines and Incinerators to NGO-Thy Kingdom Come Foundation on International Women's day 2021.

## खंड सी : अन्य विवरण

1. **क्या बैंक की कोई अनुषंगी कंपनी/कंपनियां है?**

**क. अनुषंगियाँ**

**i. घरेलू अनुषंगियाँ**

| क्र. सं. | संस्था का नाम | स्वामित्व का अनुपात (%) |
|---|---|---|
| 1 | पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड | 100.00% |
| 2 | पीएनबी गिल्टड्स लिमिटेड | 74.07% |
| 3 | पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड* | 81.00% |
| 4 | पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड** | 100.00% |

*कंपनी स्वैच्छिक परिसमापन में थी और पूंजी समाप्त हो गई है और परिसमापक समापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगा।

**कंपनी 16 मार्च 2021 को पंजाब नैशनल बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली क्रेडिट कार्ड सहायक कंपनी के रूप में निगमित हुई है।

**ii. अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगियाँ**

| क्र. सं. | संस्था का नाम | निगमन का देश | स्वामित्व का अनुपात (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | पीएनबी इंटरनेशनल लिमिटेड | यूनाइटेड किंगडम | 100.00% |
| 2 | ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड | भूटान | 51.00% |

**ख. एसोसिएट्स (बैंक की हिस्सेदारी 20% या उससे अधिक)**

**i. घरेलू सहभागी**

| क्र. सं. | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/अन्य सहभागियों के नाम | स्वामित्व का अनुपात (%) |
|---|---|---|
| 1 | दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना | 35.00% |
| 2 | सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक | 35.00% |
| 3 | हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी | 35.00% |
| 4 | पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला | 35.00% |
| 5 | प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद | 35.00% |
| 6 | असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी | 35.00% |
| 7 | बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, मुर्शिदाबाद | 35.00% |
| 8 | मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल | 35.00% |
| 9 | त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला | 35.00% |
| 10 | पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | 32.64% |
| 11 | पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 30.00% |
| 12 | केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 23.00% |
| 13 | इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड | 20.90% |

## Section C: Other Details

1. **Does the Bank have any Subsidiary Company/ Companies?**

**A. Subsidiaries**

**i. Domestic Subsidiaries**

| S. No. | Name of the Entity | Proportion of ownership % |
|---|---|---|
| 1 | PNB Investment Services Limited | 100.00% |
| 2 | PNB Gilts Limited | 74.07% |
| 3 | PNB Insurance Broking Pvt. Ltd.* | 81.00% |
| 4 | PNB Cards and Services Limited** | 100.00% |

*The Company was in voluntary liquidation and capital stands extinguished and liquidator shall be completing the necessary formalities to conclude the winding up procedure.

**The Company has been newly incorporated on 16th March 2021 as wholly owned credit card subsidiary of Punjab National Bank.

**ii. International Subsidiaries**

| S. No. | Name of the Entity | Country of Incorporation | Proportion of Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | PNB International Ltd. | UK | 100.00% |
| 2 | Druk PNB Bank Ltd. | Bhutan | 51.00% |

**B. Associates: (Bank having 20% or more stake)**

**i. Domestic Associates**

| S. No. | Name of Regional Rural Banks / Other Associates | Proportion of Ownership (%) |
|---|---|---|
| 1 | Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna | 35.00% |
| 2 | Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak | 35.00% |
| 3 | Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi | 35.00% |
| 4 | Punjab Gramin Bank, Kapurthala | 35.00% |
| 5 | Prathama UP Gramin Bank, Moradabad | 35.00% |
| 6 | Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati | 35.00% |
| 7 | Bangia Gramin Vikas Bank, Murshidabad | 35.00% |
| 8 | Manipur Rural Bank, Imphal | 35.00% |
| 9 | Tripura Gramin Bank, Agartala | 35.00% |
| 10 | PNB Housing Finance Limited | 32.64% |
| 11 | PNB Metlife India Insurance Co. Limited | 30.00% |
| 12 | Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd. | 23.00% |
| 13 | India SME Asset Reconstruction Co. Ltd | 20.90% |

ii. अंतर्राष्ट्रीय सहभागी

| क्र. सं. | संस्था/सहभागियों का नाम | निगमन का देश | स्वामित्व का अनुपात (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | जेएससी टेंगरी बैंक* | कज़ाकिस्तान | 41.64% |

*वित्तीय बाजार के विनियमन और विकास हेतु कजाकिस्तान गणराज्य की एजेंसी (एएफआर) ने 18 सितंबर 2020 से प्रतिभूति बाजार में बैंकिंग, अन्य संचालन और गतिविधियों का परिचालन करने के लिए जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और अस्थायी प्रशासक नियुक्त किया।

iii. संयुक्त उद्यम: अंतर्राष्ट्रीय

| क्र. सं. | संस्था/ सहभागियों का नाम | निगमन का देश | स्वामित्व का अनुपात (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | एवरेस्ट बैंक लिमिटेड | नेपाल | 20.03% |

iv. प्रतिनिधि कार्यालय

| क्र. सं. | प्रतिनिधि कार्यालयों का नाम | निगमन का देश | स्वामित्व का अनुपात (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | आरओ: बांग्लादेश# | बांग्लादेश | 100.00% |
| 2 | आरओ: म्यांमार# | म्यांमार | 100.00% |

#बांग्लादेश और म्यांमार में प्रतिनिधि कार्यालय (आरओ) ई-यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के आर.ओ. थे। 1 अप्रैल 2020 से समामेलन के बाद, दोनों आर.ओ. पंजाब नैशनल बैंक के आर.ओ. बन गए।

2. **क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की कारोबार उत्तरदायित्व पहलों में सहभागिता करती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगी कंपनी (यों) की संख्या दें।**

नहीं

3. **क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (अर्थात आपूर्तिकर्ता, वितरक इत्यादि) जिसके/जिनके साथ कंपनी कारोबार करती हो, कंपनी की कारोबार उत्तरदायित्व पहलों में सहभागिता करती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत बताएं ? [30% से कम, 30%-60%, 60% से अधिक।**

नहीं

**खंड डी : कारोबार उत्तरदायित्व सूचना**

1. **कारोबार उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण**

क. **कारोबार उत्तरदायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण**

| क्र. सं. | ब्यौरा | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | डीआईएन सं. | 09107884 |
| 2 | नाम | श्री विजय दुबे |
| 3 | पदनाम | कार्यपालक निदेशक |

ii. **International Associates**

| S. No. | Name of Entity/ Associates | Country of incorporation | Proportion of Ownership (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | JSC Tengri Bank* | Kazakhstan | 41.64% |

*Agency of Republic of Kazakhstan for Regulation and Development of Financial Market (AFR) revoked license of JSC Tengri Bank with effect from 18th September 2020 to conduct Banking, other operations and activities in the securities market and appointed Temporary Administrator.

iii. **Joint Venture: International**

| S. No. | Name of Entity/ Associates | Country of incorporation | Proportion of Ownership (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Everest Bank Ltd. | Nepal | 20.03% |

iv. **Representative Offices**

| S. No. | Name of Representative Office | Country of incorporation | Proportion of Ownership (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | RO: Bangladesh# | Bangladesh | 100.00% |
| 2 | RO: Myanmar# | Myanmar | 100.00% |

# Representative Offices (RO) at Bangladesh and Myanmar were RO's of e-United Bank of India. Post amalgamation with effect from 1st April 2020, both the ROs became ROs of Punjab National Bank.

2. **Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)**

No

3. **Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]**

No

**Section D: BR Information**

1. **Details of Director/Directors responsible for BR**

a) **Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR policy/policies**

| S. No. | Particulars | Details |
|---|---|---|
| 1 | DIN No. | 09107884 |
| 2 | Name | Shri Vijay Dube |
| 3 | Designation | Executive Director |

**ख. कारोबार उत्तरदायित्व प्रमुख का विवरण**

| क्र. सं. | ब्यौरा | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | डीआईएन सं. | लागू नहीं |
| 2 | नाम | श्रीमती आरती मट्टू |
| 3 | पदनाम | मुख्य महाप्रबंधक,<br>कार्यनीति प्रबंधन एवं<br>आर्थिक परामर्श प्रभाग |
| 4 | दूरभाष सं. | 011-28044173 |
| 5 | ई-मेल आईडी | artimattoo@pnb.co.in |

**2. सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियाँ (उत्तर हाँ/नहीं में दें)**

| क्र. सं. | प्रश्न | कारोबार नैतिकता | उत्पाद उत्तरदायित्व | कर्मचारियों का हित | हितधारक नियुक्ति व सीएसआर | मानवाधिकार | पर्यावरण | सार्वजनिक नीति | सीएसआर | ग्राहक संबंध |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 # | पी7 | पी8 | पी9 |
| 1 | क्या आपके पास---------- के लिए नीति/नीतियाँ है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| 2 | क्या नीति का निर्धारण संबंधित हितधारकों के परामर्श से किया गया है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| 3 | क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है? यदि हां,तो वर्णन करें? (50 शब्दों में)* | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| 4 | क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है? यदि हां तो क्या यह एमडी/स्वामी/सीईओ/संगत बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है? | बैंक कारोबार उत्तरदायित्व नीतियों के तहत दिशानिर्देश जारी कर रहा है। विभिन्न समितियों/उप-समितियों/बोर्ड/शीर्ष प्रबंधन द्वारा समय-समय पर नीतियों की समीक्षा/मूल्यांकन किया जाता है। | | | | | | | | |
| 5 | क्या कंपनी में नीति के कार्यान्वयन की देखरेख हेतु बोर्ड की विशेष समिति/ निदेशक/अधिकारी हैं? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| 6 | नीति को ऑन-लाइन देखने के लिए लिंक बताएं? | www.pnbindia.in | | | | | | | | |
| 7 | क्या नीति के बारे में सभी प्रासंगिक आंतरिक व बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से सूचित किया गया है ? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| 8 | क्या नीति/नीतियों को लागू करने हेतु कंपनी में कोई आंतरिक संरचना उपलब्ध है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |

**b) Details of the BR Head**

| S. No. | Particulars | Details |
|---|---|---|
| 1 | DIN Number | Not Applicable |
| 2 | Name | Smt. Arti Mattoo |
| 3 | Designation | Chief General Manager,<br>Strategic Management and<br>Economic Advisory Division |
| 4 | Telephone number | 011-28044173 |
| 5 | e-mail id | artimattoo@pnb.co.in |

**2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)**

| S. No. | Questions | Business Ethics | Product Responsibility | Wellbeing of Employees | Stakeholder Engagement & CSR | Human Rights | Environment | Public Policy | CSR | Customer Relations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6# | P7 | P8 | P9 |
| 1 | Do you have policy/policies for....? | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 2 | Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders? | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3 | Does the policy conform to any national /international standards? If yes, specify?(50 words)* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 4 | Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/owner/CEO/appropriate Board Director? | The Bank is issuing guidelines under the Business Responsibility Policies. The Policies are reviewed/ evaluated periodically by various Committees/Sub-Committees/ Board/ Top Management. | | | | | | | | |
| 5 | Does the company have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy? | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 6 | Indicate the link for the policy to be viewed online? | www.pnbindia.in | | | | | | | | |
| 7 | Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders? | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 8 | Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies? | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | क्या नीति/नीतियों से संबंधित हितधारकों की समस्याओं के समाधान हेतु नीति/नीतियों के संबंध में कंपनी में कोई शिकायत निवारण तंत्र है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| 10 | क्या कंपनी ने किसी आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्यचालन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन कराया जाता है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |

*नीतियां सांविधिक/विनियामक दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती हैं।

#पी6 हेतु नीति https://pnbnet.in पर उपलब्ध है

**2क. यदि क्रम सं. 01 के किसी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया व्याख्या करें कि ऐसा क्यों है? (2 विकल्प तक अंकित करें)**

| क्र. सं. | प्रश्न | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कंपनी सिद्धांतों को समझ नहीं पाई है। | लागू नहीं | | | | | | | | |
| 2 | कंपनी ऐसी अवस्था में नही है जहां निर्धारित सिद्धांतों पर नीतियों को निरूपित तथा लागू कर सके। | | | | | | | | | |
| 3 | कंपनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय अथवा जनशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं है। | | | | | | | | | |
| 4 | अगले 6 माह के अंदर ऐसा करने की योजना है। | | | | | | | | | |
| 5 | अगले एक वर्ष के अंदर ऐसा करने की योजना है। | | | | | | | | | |
| 6 | कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें) | | | | | | | | | |

**3. कारोबार उत्तरदायित्व से संबंधित अभिशासन**

- **वह आवृत्ति बताएं जिसमें निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति अथवा सीईओ बैंक के कारोबार उत्तरदायित्व के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए मिलते हैं। 3 माह के भीतर, 3 - 6 माह में, प्रतिवर्ष, एक वर्ष से अधिक अवधि पर।**

  बैंक के कारोबार उत्तरदायित्व निष्पादन के मूल्यांकन हेतु निदेशक मंडल की वार्षिक बैठक होती है।

- **क्या बैंक बीआर अथवा स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) रिपोर्ट का प्रकाशन करता है? इसे देखने के लिए हाईपरलिंक क्या है? इसे कितनी बार प्रकाशित किया जाता है?**

  बीआर रिपोर्ट जो कि वार्षिक रिपोर्ट का भी भाग है, को वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है और इसे बैंक की वेबसाइट पर हाइपरलिंक https://www.pnbindia.in. के तहत 'हमारे बारे में' खंड में भी उपलब्ध करवाया गया है।

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies? | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 10 | Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency? | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

*The policies are formulated considering the statutory/regulatory guidelines.

#The Policy for P6 is available at https://pnbnet.in

**2a. If answer to S.No. 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)**

| S. No. | Questions | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The company has not understood the Principles | NOT APPLICABLE | | | | | | | | |
| 2 | The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles | | | | | | | | | |
| 3 | The company does not have financial or manpower resources available for the task | | | | | | | | | |
| 4 | It is planned to be done within next 6 months | | | | | | | | | |
| 5 | It is planned to be done within the next 1 year | | | | | | | | | |
| 6 | Any other reason (please specify) | | | | | | | | | |

**3. Governance related to BR**

- **Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO meet to assess the BR performance of the Bank. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year.**

  The Board of Directors meets annually to assess the BR performance of the Bank.

- **Does the Bank publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this? How frequently it is published?**

  The BR report which is also a part of the Annual Report is published annually and also made available in the 'About Us' section on the website of the Bank under the hyperlink https://www.pnbindia.in.

## खंड ई : सिद्धांतवार प्रदर्शन

**सिद्धांत 1: कारोबारों को नैतिकता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ स्वयं को संचालित एवं अभिशासित करना चाहिए।**

1. **क्या नैतिकता, रिश्वत व भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल बैंक कंपनी को कवर करती है? हाँ/नहीं क्या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/एनजीओ/अन्य को भी कवर करती है?**

   नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल बैंक को कवर करती है और यह समूह/संयुक्त उद्यमों/अन्य को कवर नहीं करती है। बैंक में एक व्हिसल ब्लोअर नीति है और इसमें नैतिक आचार संहिता एवं संगठन में रिश्वत और भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों के बारे में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों को भी निर्धारित किया है। यह कोड उन सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिन पर बैंक संचालन करेगा और अपने हितधारकों, सरकारी एजेंसियों, नियामकों, मीडिया व अन्य सम्बद्धपक्षों के साथ अपना कारोबार संचालित करेगा।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया? यदि ऐसा है तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।**

| | ग्राहक | शेयरधारक |
|---|---|---|
| 1 अप्रैल 2020 तक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या | 1,876 | 0 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | 1,35,386 | 20 |
| **31 मार्च 2021 तक कुल शिकायतें** | **1,37,262** | **20** |
| वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या | 1,30,087 | 19 |
| **निपटान का प्रतिशत (%)** | **94.77%** | **95%** |
| 31 मार्च 2021 तिमाही के अंत तक शेष अनसुलझी शिकायतों की संख्या | 7,175 | 1 |

**सिद्धांत: II. कारोबार को ऐसे उत्पाद और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों तथा अपने सम्पूर्ण जीवन चक्र के दौरान स्थिरता में सहायक हों।**

क. **अपने ऐसे 3 उत्पादों व सेवाओं की सूची बनाएं जिनकी रुपरेखा में समाज या पर्यावरण से संबंधित चिंताएं, जोखिम तथा/अथवा अवसर शामिल हों।**

बैंक सतत विकास में विश्वास रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि उसके कारोबार मॉडल में पर्यावरण संरक्षण शामिल हो। सामाजिक और पर्यावरण संबंधी विषयों को शामिल करते हुए हमारे कुछ उत्पाद और सेवाएँ नीचे दिए गए हैं:

## Section E: Principle-wise performance

**Principle I: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability**

1. **Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the Bank? Yes/ No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/NGOs /Others?**

   The policy related to ethics, bribery and corruption covers only the Bank and does not extend to the Group/Joint Ventures/Others. The Bank has a whistle blower policy in place and has also laid down certain guiding principles regarding ethical code of conduct and measures to tackle bribery and corruption in the organization. This code sets forth the principles on which the Bank shall operate and conduct its business with its stakeholders, Government agencies, the regulators, media and other concerned parties.

2. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

| | Customer | Shareholder |
|---|---|---|
| No. of complaints pending at the beginning of the financial year as on 1st April 2020 | 1,876 | 0 |
| No of complaints received during the year | 1,35,386 | 20 |
| **Total complaints as on 31st March 2021** | **1,37,262** | **20** |
| No. of complaints disposed off during the year | 1,30,087 | 19 |
| **Percentage (%) of resolution** | **94.77%** | **95%** |
| No. of complaints remaining unresolved at the end of the quarter as on 31st March 2021 | 7,175 | 1 |

**Principle II: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle**

A. **List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.**

The Bank believes in sustainable development and ensures that its business model incorporates environment protection. Some of our products and services incorporating social and environmental concerns are given below:

- **पीएनबी लाडली योजना:** योजना ग्रामीण / अर्ध शहरी क्षेत्रों की लड़कियों के बीच शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए है। इस योजना के अंतर्गत, बैंक प्रत्येक चिन्हित गांव की 10 जरूरतमंद बालिका छात्राओं को शिक्षा निविष्टियों हेतु एकमुश्त रु. 2500और रु.100/- प्रति माह की राशि जेब खर्च भत्ता के लिए प्रदान करता है। चयनित लड़कियों को 12 वीं कक्षा पूरी होने तक हर वर्ष सहायता प्राप्त होती रहेगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, 329 छात्राओं के बीच रु. 3.42 लाख वितरित किए गए। अब तक, हमने इस योजना के तहत 31.03.2021 तक 9,691 लड़कियों को रु.175.87 लाख वितरित किए हैं।

- **पीएनबी किसान बालक शिक्षा प्रोत्साहन योजना:** योजना गरीब कृषि उधारकर्ताओं (जिसमें छोटे किसान, सीमांत किसान, काश्तकार, मौखिक पट्टेदार और कृषि श्रमिक शामिल हैं) के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, वे पात्र हैं बशर्ते उनका ऋण खाता नियमित चल रहा हो। स्थापना के बाद से, योजना के तहत मार्च 2021 तक 1,553 छात्रों को रूपये 47.98 लाख प्रोत्साहन के रूप में दिये गये हैं।

- **पीएनबी विकास - ग्राम अंगीकरण योजना:** योजना का उद्देश्य अन्य हितधारकों (ग्रामीणों, सरकारी अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों आदि) के समन्वय से अंगीकृत गांवों को समग्र रूप से विकसित करना है, जिसमें मानव, आर्थिक और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास जैसे:- स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, आदि शामिल हैं। इस योजना के तहत, बैंक ने विभिन्न मंडलों में 295 गांवों को अंगीकृत किया है।

- **बैंक के कृषक प्रशिक्षण केंद्रों (एफटीसी)** को आदर्श कृषि और ग्रामीण विकास की धुरी के रूप में **"उत्कृष्टता केंद्र''** में परिवर्तित किया गया है। ये (i) फसल विविधीकरण: (ii) औषधीय और सुगंधित फसलों की खेती; (iii) जैविक खाद का उपयोग; (iv) फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी; (v) ट्रैक्टरों की मरम्मत और रखरखाव; (vi) सिंचाई जल का विवेकपूर्ण उपयोग; (vii) सौर ऊर्जा और वर्षा जल का संरक्षण; (viii) पशु स्वास्थ्य आदि के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। स्थापना के बाद से, एफटीसी ने 52,254 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 16,24,718 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया है। इन प्रशिक्षण केंद्रों को किसानों के खेतों में मृदा परीक्षण की सुविधा वाले मोबाइल वैन और किसानों को सूचनात्मक वीडियो क्लिप के दृश्य-श्रव्य प्रदर्शन के लिए एलईडी से लैस किया गया है।

- **आधारभूत संरचना का निर्माण:** प्रत्येक एफटीसी द्वारा विकासात्मक गतिविधियों हेतु एक-एक गाँव को गोद लिया गया है, जिसमें सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण, स्कूलों के लिए कमरे, गाँव की लाइब्रेरी, औषधालय, खेल के मैदान जैसे विकास कार्य तथा, स्कूलों में पंखे, वाटर कूलर आदि उपलब्ध कराना शामिल हैं। ये सभी एफटीसी ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं और जनसामान्य के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कर रहे हैं।

- **PNB LADLI YOJANA,** for promoting girl education: The Scheme is meant for popularization of education among girls of Rural / Semi Urban areas. Under the scheme, Bank is providing for education inputs of Rs. 2,500/- in lump sum and Rs.100/- per month as pocket allowance to 10 needy girl students of each identified village. Selected girls will continue to get support every year till they complete 12th class. During FY 2020-21, Rs. 3.42 Lakh was distributed amongst 329 girls students. So far, we have distributed Rs. 175.87 Lakh to 9,691 girls under this scheme upto 31st March 2021.

- **PNB KISAN BALAK SHIKSHA PROTSAHAN YOJANA:** The Scheme has been launched to provide financial assistance to the students of poor agriculture borrowers (comprising of small farmers, marginal farmers, tenant farmers, oral lessees and agriculture labour) are eligible, provided their loan account is running regular. Since inception, Rs. 47.98 Lakh has been given as incentive to 1,553 students up to March 2021 under the scheme.

- **PNB VIKAS- Village Adoption Scheme:** The objective of the Scheme is to develop the adopted villages in a holistic manner, which includes Human, Economic & other Infrastructure Development like sanitation, drinking water supply, education, electricity, health, etc. in co-ordination with the other stake holders (villagers, the Govt. authorities, local bodies etc). Under this Scheme, bank has adopted 295 villages in different Circles.

- Bank's **Farmers' Training Centres (FTCs)** have been converted into **"Centres of Excellence"** as pivots of exemplary agriculture and rural development. These are providing training regarding (i) crop diversification; (ii) cultivation of medicinal & aromatic crops; (iii) use of organic manure; (iv) post - harvest technologies; (v) repair & maintenance of tractors; (vi) judicious use of irrigation water; (vii) conservation of solar energy & rain water; (viii) animal health etc. Since inception, FTCs have imparted training to 16,24,718 persons by conducting 52,254 training programs. These Training Centres have been equipped with Mobile Vans having Soil testing facilities at the farmers' fields and LED for audio visual display of informative video clips to the farmers.

- **Infrastructure creation:** FTCs have adopted one village each for undertaking developmental activities, wherein developmental works like construction of public conveniences, class-rooms for schools, village library, dispensary, playgrounds and providing fans, water coolers etc. to schools are being undertaken. These FTCs are also providing vocational training to rural women & youth and organizing health check-up camps for the people.

➢ **नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के लिए वित्तपोषण:** बैंक सौर/ ऊर्जा पवन/बायोमास आधारित बिजली उत्पादन आदि जैसी संभावित व्यवहार्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करके नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है, और कृषि उद्देश्यों के लिए सौर वाटर पंपों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है तथा सौर वाटर हीटर और सौर इनवर्टर के उपयोग को बढ़ावा देता है।

**ख. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद की प्रति इकाई (वैकल्पिक) पर संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल इत्यादि) उपयोग के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**

**i. सम्पूर्ण वैल्यू श्रृंखला में सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान गत वर्ष से आई कमी?**

**ii. उपभोक्ताओं द्वारा संसाधन (उर्जा, जल) उपयोग के दौरान गत वर्ष से आई कमी?**

लागू नहीं।

**ग. क्या बैंक में स्थायी स्त्रोतों (परिवहन सहित) के लिए कोई कार्यप्रणाली है? यदि हाँ तो आपके आदानों का कितना प्रतिशत स्थाई रूप से स्त्रोत किया गया? लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण भी दीजिए।**

लागू नहीं।

**घ. क्या बैंक ने अपने कार्य स्थल के आसपास के स्थानीय एवं छोटे उत्पादकों व समुदायों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद हेतु कदम उठाए हैं? यदि हाँ तो स्थानीय एवं छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?**

बैंक एक वित्तीय सेवा प्रदाता संगठन है और यह वस्तुओं की खरीद नहीं करता है। भौतिक मदों को बैंक द्वारा संसाधित नहीं किया जाता हैं। हालाँकि, बैंक अपने उधारकर्ताओं को अपने कच्चे माल का इनपुट सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करता है।

बैंक नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा व्यावसायिक इकाइयों के विस्तार के लिए उधारकर्ताओं को सभी प्रकार की निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्रदान करता है। एमएसएमई को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, बैंक द्वारा विभिन्न पहल की जाती हैं जिसमें श्रृंखलाबद्ध वित्तपोषण के लिए टाई-अप, ऋणों का सह-उधार, नकदी प्रवाह आधारित योजनाओं जैसी नवीन योजनाओं का शुभारंभ - पीएनबी जीएसटी एक्सप्रेस ऋण और पीएनबी तत्काल योजना, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए पीएनबी शिखर योजना, पीएनबी लेंस जैसे ऋण समाधान, जीईसीएल और पीएम स्वनिधि योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा लागू ऋण, आदि शामिल है।

**ङ क्या बैंक में उत्पादों एवं अपशिष्ट के पुनरावर्तन की कोई व्यवस्था है? यदि हाँ, तो उत्पादों तथा अपशिष्ट के पुनरावर्तन का प्रतिशत (पृथक रूप से <5%, 5-10%, >10%) क्या है? लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण भी दीजिए।**

बैंक एक सेवा उन्मुखी संगठन होने के नाते उत्पादों की रीसाइक्लिंग बैंक के लिए लागू नहीं है।

➢ **Financing for renewable energy sources:** Bank encourages the use of renewable energy by financing potentially viable renewable energy projects like solar/ wind/ biomass based power generation etc., and promoting use of solar water pumps for irrigation purposes as well as encouraging use of solar water heaters and solar inverters at household levels.

**B. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):**

**i. Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?**

**ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?**

Not Applicable.

**C. Does the Bank have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.**

Not Applicable.

**D. Has the Bank taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve the capacity and capability of local and small vendors?**

The Bank is a financial service provider organization and is not involved in procurement of goods. Tangible items are not processed by the Bank. However, the Bank encourages its borrowers to obtain their raw material inputs from Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs).

The Bank provides all types of fund based and non-fund based facilities to the borrowers for setting up new units and expansion of existing business units. In order to provide timely financial support to MSME, various initiatives are taken by bank such as Tie-Ups for channel financing, co-lending of loans, launch of innovative schemes like cash flow based schemes - PNB GST Express Loan and PNB Tatkal Scheme, PNB Shikhar Scheme for Jammu & Kashmir and Ladakh, lending solutions such as PNB LenS, Government induced lending through GECL and PM SVANidhi schemes, etc.

**E. Does the Bank have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.**

The Bank is a financial service provider organization. Hence, recycling of waste products doesn't apply to the Bank.

**सिद्धांत 3: कारोबार को समस्त कर्मचारियों के कल्याण को प्रोत्साहित करना चाहिए।**

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।**

   31 मार्च 2021 को कर्मचारियों की कुल संख्या (अनुषंगियों में प्रतिनियुक्ति सहित) 1,01,802 हैं।

2. **कृपया अस्थायी/संविदात्मक/आकस्मिक आधार पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं?**

   शून्य

3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं?**

   31 मार्च 2021 को स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 23,314 है।

4. **कृपया शारीरिक रूप से अक्षम स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं?**

   31 मार्च 2021 को शारीरिक रूप से अक्षम स्थायी कर्मचारियों की संख्या 2,591है।

5. **क्या आपका कोई कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?**

   हाँ।

6. **इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्यों में आपके स्थायी कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है?**

| क्र. सं. | मान्यता प्राप्त अधिकारी संघ का नाम | मान्यता प्राप्त संघ में सदस्यता काप्रतिशत |
|---|---|---|
| 1 | एआईबीओसी | 63.60 |
| 2 | एआईबीओए | 15.41 |
| 3 | आईएनबीओसी | 0.00 |
| 4 | एनओबीओ | 0.12 |
| 5 | बीकेएसएम | 0.12 |
| 6 | अन्य यूनियन | 1.50 |
| | **कुल** | **80.75** |

| क्र. सं. | मान्यता प्राप्त अधिकारी संघ का नाम | मान्यता प्राप्त संघ में सदस्यता का प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1 | एआईबीईए | 68.00 |
| 2 | एनसीबीई | 2.91 |
| 3 | बीईएफआई | 3.50 |
| 4 | एनओबीडब्ल्यू | 2.83 |
| 5 | आईएनबीईएफ | 0.91 |
| 6 | बीकेएसएम | 1.26 |
| 7 | एनयूबीई | 0.02 |
| 8 | अन्य यूनियन | 3.47 |
| | **कुल** | **82.90** |

**Principle III: Businesses should promote the well being of all employees.**

1. **Please indicate the Total number of employees.**

   The total number of employees (including those on deputation in subsidiaries) as on 31st March 2021 was 1,01,802.

2. **Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis.**

   NIL.

3. **Please indicate the Number of permanent women employees.**

   The number of permanent women employees as on 31st March 2021 was 23,314.

4. **Please indicate the Number of permanent employees with disabilities?**

   The number of permanent employees with disabilities as on 31st March 2021 was 2,591.

5. **Do you have an employee association that is recognized by management?**

   Yes.

6. **What percentages of your permanent employees are members of this recognized employee association?**

| S. No. | Name of the Recognized Officers' Association | %age of membership in recognized Association |
|---|---|---|
| 1 | AIBOC | 63.60 |
| 2 | AIBOA | 15.41 |
| 3 | INBOC | 0.00 |
| 4 | NOBO | 0.12 |
| 5 | BKSM | 0.12 |
| 6 | Other Unions | 1.50 |
| | **Total** | **80.75** |

| S. No. | Name of recognized Workmen Union | %age of membership in recognized union |
|---|---|---|
| 1 | AIBEA | 68.00 |
| 2 | NCBE | 2.91 |
| 3 | BEFI | 3.50 |
| 4 | NOBW | 2.83 |
| 5 | INBEF | 0.91 |
| 6 | BKSM | 1.26 |
| 7 | NUBE | 0.02 |
| 8 | Other unions | 3.47 |
| | **Total** | **82.90** |

7. कृपया गत वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्त हुई एवं लंबित रही बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या बताएं?

| क्र. सं. | श्रेणी | वित्तीय वर्ष 21 के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या | वित्तीय वर्ष 21 की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | बाल मजदूरी/ बंधुआ मजदूरी /अनैच्छिक मजदूरी | शून्य | शून्य |
| 2 | यौन उत्पीड़न | 11 | 05 |
| 3 | भेदभावपूर्ण रोजगार | शून्य | शून्य |

8. आपके निम्नलिखित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत को गत वर्ष सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया गया ?

क. स्थायी कर्मचारी : 47.59%

ख. स्थायी महिला कर्मचारी: 26.98%

ग. आकस्मिक/अस्थायी/संविदात्मक कर्मचारी : लागू नहीं

घ. अक्षम कर्मचारी : 48.01%

**सिद्धांत IV : कारोबार को सभी हितधारकों, विशेषकर जो सुविधाहीन, कमजोर एवं अधिकारहीन हैं, उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।**

1. **क्या बैंक ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों की मैपिंग की है?**

जी हाँ, बैंक ने अपने प्रमुख हितधारकों आंतरिक एवं बाह्य दोनों की पहचान की है। बैंक के हितधारक, इसके शेयरधारक, निवेशक, ग्राहक, कर्मचारी, सरकारी और नियामक एजेंसियां हैं। इन पर अधिक ध्यान देने के लिए उन्हें आगे विभिन्न उपवर्गों में बांटा गया है।

2. **उपरोक्त में से क्या बैंक ने सुविधाहीन, कमजोर एवं अधिकारहीन हितधारकों की पहचान की है?**

सरकार और आरबीआई ने वित्तीय समावेशन, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और समाज के अधिकारहीन वर्गों को ऋण देने हेतु कुछ दिशानिर्देश और लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तदनुसार, बैंक ने वंचित, कमजोर और अधिकारहीन हितधारकों की पहचान की है। बैंक उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विविध उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है।

3. **क्या वंचित कमजोर एवं अधिकारहीन हितधारकों के साथ जुडने हेतु बैंक द्वारा कोई विशेष कदम उठाये गए हैं? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में इसका विस्तृत विवरण दें।**

बैंक समाज के अधिकारहीन, बैंक रहित और आर्थिक रूप से बहिष्कृत वर्गों को उन्हें अर्थव्यवस्था में उत्पादक योगदान करने में सक्षम बनाने में सहायता करता हैं। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच इन क्षेत्रों को मजबूत करने तथा उनको सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बैंक विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे पीएमजेडीवाई, पीएमएमवाई, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डीआरआई, पीएमएवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई, एसएसवाई आदि में एक सक्रिय भागीदार रहा है और वंचित और अधिकारहीन हितधारकों के लिए खासतौर पर तैयार उत्पाद और सेवाएं लेकर आया हैं। बैंक एमएसएमई उधारकर्ताओं को नई इकाइयों की

7. **Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.**

| S. No. | Category | No of Complaints filed during FY'21 | No of Complaints pending as at end of FY'21 |
|---|---|---|---|
| 1 | Child labour/forced labour / involuntary labour | NIL | NIL |
| 2 | Sexual harassment | 11 | 05 |
| 3 | Discriminatory employment | NIL | NIL |

8. **What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?**

A. Permanent Employees: .............................. 47.59%

B. Permanent Women Employees: ................. 26.98%

C. Casual/Temporary/Contractual Employees: NA

D. Employees with Disabilities: ....................... 48.01%

**Principle IV: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.**

1. **Has the Bank mapped its internal and external stakeholders?**

Yes, the Bank has identified its key stakeholders, both internal and external. The stakeholders of the Bank are its shareholders, investors, customers, employees, Government and regulatory agencies. They are further segregated into various subsets for an enhanced focus.

2. **Out of the above, has the Bank identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?**

The Government and the RBI have prescribed certain guidelines and targets regarding Financial Inclusion, Priority Sector Lending and lending to the marginalized sections of the society. Accordingly, the Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. It also offers various products and services to cater to their specific needs.

3. **Are there any special initiatives taken by the Bank to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

The Bank helps the marginalized, unbanked and financially excluded sections of the society to enable them to contribute their share to the economy. Access to financial services is of utmost importance to strengthen these marginalized sections and make a significant contribution to their social and economic development. The Bank has been an active participant in various Government schemes such as PMJDY, PMMY, Stand Up India, Start Up India, DRI, PMAY, PMJJBY, PMSBY, APY, SSY, etc. and comes out with products and services specifically for disadvantaged and marginalized stakeholders. Bank also provides fund

स्थापना और मौजूदा व्यावसायिक इकाइयों के विस्तार के लिए निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाएं भी प्रदान करता है जैसे चैनल वित्तपोषण के लिए टाई-अप, ऋणों का सह-उधार, पीएनबी जीएसटी एक्सप्रेस ऋण और पीएनबी तत्काल योजना, पीएनबी लेंस जैसे ऋण समाधान, जीईसीएल और पीएम स्वनिधि योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा प्रेरित ऋण जैसी नकदी प्रवाह आधारित योजनाएं। लघु/सीमांत किसानों, सूक्ष्म / लघु उद्यमों, स्वयं सहायता समूहों, कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यक समुदायों और महिला लाभार्थियों को रियायती दरों पर ऋण दिये जाते हैं। बैंक अधिकारहीन वर्गों को सशक्त बनाने के लिए पीएनबी किसान प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) जैसे विभिन्न ट्रस्ट/केंद्र भी चला रहा हैं। पीएनबी विकास ग्राम अंगीकरण योजना, पीएनबी लाडली, पीएनबी किसान बालक शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं जैसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है जिससे वांछित लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें।

**सिद्धांत V : कारोबार द्वारा मानवाधिकार को सम्मान एवं प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।**

1. **क्या मानवाधिकारों पर कम्पनी की नीति केवल कम्पनी को कवर करती है अथवा यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/गैर सरकारी संगठनों/ अन्य को भी कवर करती हैं ?**

   बैंक द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों क्रमशः सेवारत वर्कमैन और अधिकारियों के लिए लागू द्वीपक्षीय समझौते और अधिकारी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाता है।

   बैंक सभी को मौलिक मानवाधिकार देता है और मानता है कि सभी मानव समान हैं। यह सुनिश्चित करता है कि रंग, जाति, वर्ग, धर्म, निशक्तता, लिंग, सामाजिक स्थिति इत्यादि के आधार पर संगठन में कोई भेदभाव नही होता।

2. **गत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया ?**

   वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय शिकायत समाधान प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस) में प्राप्त ग्राहक शिकायतों की कुल संख्या 1,35,386 है और 1 अप्रैल 2020 को 1876 शिकायतें लंबित थी, जिनका कुल मिलाकर संख्या 1,37,262 है। इनमें से, 94.77% के समाधान प्रतिशत के साथ 1,30,087 शिकायतों का इस अवधि के दौरान समाधान किया गया है।

   वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त की गई शिकायतों की कुल संख्या 20 थी, जिनमें से 31 मार्च, 2021 तक 1 शिकायत लंबित थी, जिसका आज की तिथि तक समाधान कर दिया गया है।

**सिद्धांत VI: कारोबार को पर्यावरण का ध्यान रखने, संरक्षण करने एवं इसे बहाल करने के प्रयास करने चाहिए।**

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है अथवा यह समूह/संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य को भी कवर करती है?**

   बैंक भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देशों / नीतियों के मुद्दों को लागू करता है।

2. **क्या जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कंपनी की कोई नीति/ पहल है? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो वेबपेज आदि का हाईपरलिंक उपलब्ध कराएं।**

   हाँ (हाइपरलिंक उपलब्ध नहीं है)

and non-fund based facilities to MSME borrowers for setting up new units and expansion of existing business units such as Tie-Ups for channel financing, co-lending of loans, cash flow based schemes like PNB GST Express Loan and PNB Tatkal Scheme, lending solutions such as PNB LenS, Government induced lending through GECL and PM SVANidhi schemes. Loans are given at subsidized rates to small/marginal farmers, micro/small enterprises, Self Help Groups, weaker sections, minority communities and women beneficiaries. The Bank also runs various Trusts/centers such as PNB Farmers' Training Centers (FTCs), Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs), Financial Literacy Centres (FLCs) in order to empower the marginalized sections. Welfare schemes such as PNB VIKAS- Village Adoption Scheme, PNB Ladli, PNB KISAN BALAK SHIKSHA PROTSAHAN YOJANA are also undertaken to achieve the desired outcomes.

**Principle V: Businesses should respect and promote human rights**

1. **Does the policy of the Bank on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/Others?**

   Interest of employees is taken care of by the Bank in terms of provisions of Bipartite Settlement and officers regulations applicable for serving workmen and officers respectively.

   The Bank gives basic human rights to all and believes that all humans are equal. It makes sure that no discrimination takes place in the organization on the basis of colour, caste, race, religion, disability, gender, social status etc.

2. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?**

   Total number of customer complaints received in Central Grievance Redressal Management System (CGRMS) during FY 2020-21 was 1,35,386 whereas 1876 complaints were outstanding as on 1st April 2020 totalling 1,37,262. Out of which 1,30,087 have been resolved during the period, with percentage of resolution at 94.77%.

   Total number of shareholder complaints received during FY 2020-21 is 20, out of which 01 complaint was pending as on 31st March 2021, which stands closed as on date.

**Principle VI: Business should respect, protect and make efforts to restore the environment.**

1. **Does the policy related to Principle 6 cover only the Bank or extends to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/others.**

   The Bank implements various Energy conservation guidelines/ policies issued by Government of India.

2. **Does the Bank have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.**

   Yes (hyperlink not available).

3. **क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान व आंकलन करती है? हाँ/नहीं**

हाँ (दिशानिर्देशों/भारत सरकार की नीति के अनुसार)

4. **क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो इसके बारे में 50 शब्दों में या इसके बाद का विवरण दें। इसके अलावा, यदि हाँ, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दर्ज की गई है?**

बैंक के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना नहीं है। हम भारत सरकार/इंडियन बैंक एसोसिएशन/एनजी एफीशियेंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल), आदि द्वारा जारी विभिन्न ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देश /नीतियों को लागू करते है।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, अक्षय ऊर्जा आदि के संबंध में कोई अन्य पहल की है? हां/नहीं। यदि हां तो कृपया वेबपेज आदि का हाइपरलिंक उपलब्ध कराएं।**

हां, बैंक अपने कार्यालय भवनों और आवासीय परिसर में रूफटॉप फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा इकाइयों के उपयोग और प्रचार में सक्रिय रूप से शामिल है। इसके अलावा, इसने हरित भवन पहल और सतत पर्यावरण पहल के संदर्भ में नवीनतम तकनीकी प्रगति का उपयोग करने पर जोर दिया है।

इसके लिए लिंक https://www.pnbindia.in. है।

6. **क्या रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमत सीमाओं के भीतर हैं?**

एक सेवा क्षेत्र संगठन होने के नाते – बैंक किसी भी विषाक्त/खतरनाक प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करता है।

7. **सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त ऐसे कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित (अर्थात जिनका संतोषजनक समाधान नही हो सका) रहे?**

शून्य

**सिद्धांत VII: कारोबार जब लोक एवं विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हों, तो ऐसा जिम्मेदारी पूर्वक किया जाना चाहिए।**

1. **क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड व चैम्बर या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हाँ तो केवल उन मुख्य संस्थाओं के नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबार संबंध है।**

बैंक निम्नलिखित प्रमुख चैम्बर / संघों का सदस्य है:

क) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)

ख) भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)

ग) भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) पूणे

घ) एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)

ड़) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग फेडरेशन (फिक्की)

च) एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद (एएससीआई)

छ) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)

ज) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई)

झ) सार्वजनिक उपक्रमों की स्थायी समिति (एससीओपीई)

3. **Does the Bank identify and assess potential environmental risks? Y/N**

Yes (As per guidelines / policies of Government of India).

4. **Does the Bank have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance report is filed?**

The Bank does not have any project related to Clean Development Mechanism. We implement various Energy conservation guidelines/ policies issued by Government of India/ Indian Banks' Association/ Energy Efficiency Services Limited (EESL), etc.

5. **Has the Bank undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.**

Yes, the Bank is actively involved in utilizing and promoting Rooftop Photovoltaic Solar Power Units at its Office buildings & residential premises. Further, it has laid emphasis on utilizing latest technical advances in terms of Green Building initiative & Sustainable Environment initiatives.

Link for the same is https://www.pnbindia.in.

6. **Are the Emissions/Waste generated by the Bank within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?**

Being a service sector organization, the Bank does not generate any toxic/hazardous pollutants.

7. **Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as at end of Financial Year.**

Nil

**Principle VII: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner**

1. **Is your Bank a member of any trade and chamber or association? If Yes, name only those major ones that your business deals with:**

The Bank is a member of following major chambers/ associations:

a) Indian Banks Association (IBA)

b) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)

c) National Institute of Bank Management (NIBM), Pune

d) Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)

e) Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)

f) Administrative Staff College of India, Hyderabad (ASCI)

g) Confederation of Indian Industry (CII)

h) Institute of Company Secretaries of India (ICSI)

i) Standing Committee of Public Enterprises (SCOPE)

**2. क्या आपने कभी उपरोक्त एसोसिएशनों के माध्यम से जनहित के विकास अथवा सुधार के लिए पैरवी/लॉबिंग की है? हां/नहीं; यदि हां तो कृपया व्यापक क्षेत्रों (ड्राप बॉक्स: अभिशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत कारोबार नीतियां, अन्य) का उल्लेख करें।**

बैंक विभिन्न संगठनों के माध्यम से बैंकिंग तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित सुझाव देता है। बैंक और उसके शीर्ष प्रबंधन नियामक और नीति निर्माताओं द्वारा बनाए गए विभिन्न कार्य दलों का भी हिस्सा हैं। इस प्रकार, नीतियां बनाते समय विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों के संबंध में बैंक द्वारा दिए इनपुट तथा सुझावों पर भी विचार किया जाता है।

**सिद्धांत VIII: कारोबार को समावेशी वृद्धि तथा साम्यिक विकास में सहायता करनी चाहिए।**

**1. क्या कंपनी में सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हां तो इनके विवरण दें।**

बैंक सक्रिय रूप से समाज के बैंक रहित और हाशिए पर रखे गए वर्गों को विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के प्रस्ताव द्वारा सरकार के वित्तीय समावेशन की कार्यसूची का समर्थन करता है। बैंक समय-समय पर प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए (डीएवाई-एनआरएलएम), विभेदक ब्याज दर (डीआरआई), दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) आदि सभी सरकारी योजनाओं में एक उत्सुक भागीदार रहा है।

"समावेशी विकास" को बढ़ावा देने की सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय जागरूकता की कमी है। इसे दूर करने के लिए, बैंक के पास 94 कार्यात्मक वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक ने 12 किसान प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी) स्थापित किए हैं। एफटीसी कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर और कंप्यूटर, कटिंग और सिलाई / कढ़ाई और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए भी मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

**बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ऋण देना:** प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण मार्च 2021 में रु. 2,98,140 करोड़ रहा। तिमाही वार्षिक औसत समायोजित सकल बैंक ऋण (एएनबीसी) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का प्रतिशत निर्धारित 40% के राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले 41.34% है।

क) **कृषि क्षेत्र को ऋण** मार्च 2021 में रु. 1,32,185 करोड़ रहा। तिमाही वार्षिक औसत एएनबीसी में कृषि अग्रिमों का प्रतिशत निर्धारित 18% के राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले 18.20% रहा।

ख) **छोटे/सीमांत किसानों को ऋण** मार्च 2021 में रु.57,392 करोड़ रहा। छोटे/सीमांत किसानों को त्रैमासिक वार्षिक औसत एएनबीसी के लिए अग्रिमों का प्रतिशत 8% के निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले 8.38% रहा।

**2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).**

The Bank puts forth suggestions related to banking and economy through various Associations. Bank and its Top Management also form a part of various working groups set up by the regulator and policy makers. Thus, the Bank's inputs and suggestions regarding various economic and financial issues are considered while formulating the policies.

**Principle VIII: Businesses should support inclusive growth and equitable development**

**1. Does the Bank have specified programmes/initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.**

The Bank actively supports the Government's agenda of financial inclusion by offering various products and services to the unbanked and marginalized sections of the society. The Bank is a keen participant in all Government schemes from time to time, namely Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), Stand Up India, Start Up India, Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM), Differential Rate Of Interest (DRI), Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM), Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), Atal Pension Yojana (APY), Sukanya Samriddhi Yojana (SSY), Basic Saving Bank Deposit Account (BSBDA) etc.

The biggest challenge to fostering "Inclusive growth" is the lack of financial awareness. To address this, the Bank has 94 functional Financial Literacy Centres (FLCs) in place. Further, the Bank has established 12 Farmers Training Centres (FTCs). The FTCs provide free of cost training on agriculture & allied activities and also for computers, cutting & tailoring/embroidery and entrepreneurship development programs.

**Lending Under Priority Sector by the Bank:** Credit to Priority Sector stood at Rs. 2,98,140 Crore as on March 2021. The percentage of Priority Sector Advances to Quarterly annual average Adjusted Net Bank Credit (ANBC) is 41.34% as against the prescribed National Goal of 40%.

(a) **Credit to Agriculture sector** stood at Rs. 1,32,185 Crore as on March 2021. The percentage of Agriculture Advances to Quarterly annual average ANBC is 18.20% against the prescribed National Goal of 18%.

(b) **Credit to Small/ Marginal Farmers** stood at Rs. 57,392 Crore as on March 2021. The percentage of advances to Small/Marginal farmers to Quarterly annual average ANBC is 8.38% as against the prescribed National Goal of 8%.

ग) **सूक्ष्म उद्यमों को ऋण** मार्च 2021 के अनुसार रु. 56,136 करोड़ रहा। त्रैमासिक वार्षिक औसत एएनबीसी के लिए सूक्ष्म उद्यमों को अग्रिम का प्रतिशत 7.50% के निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले 7.98% है।

घ) **कमजोर वर्गों को अग्रिम** मार्च 2021 को रु. 82,086 करोड़ रहा। तिमाही वार्षिक औसत एएनबीसी के 10% के राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 11.36% है।

ड़) **महिला लाभार्थियों को ऋण** मार्च 2021 की समाप्ति तक रु. 74,566 करोड़ है।

च) **अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण** मार्च 2021 की समाप्ति तक रु. 34,272 करोड़ है।

छ) **एससी/एसटी समुदाय को ऋण** मार्च 2021 की समाप्ति तक रु.7000 करोड़ है।

**2. क्या यह कार्यक्रम/परियोजनाएं इन-हाउस टीम/स्वयं संगठन/बाहरी गैर सरकारी संगठन/ सरकारी संरचनाओं/ किसी अन्य संगठन के माध्यम से शुरू की गई हैं?**

हमारे बैंक में समर्पित प्रभाग हैं, अर्थात प्राथमिकता क्षेत्र और वित्तीय समावेशन प्रभाग, एमएसएमई प्रभाग, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कक्ष जो वित्तीय समावेशन अभियान और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत विभिन्न कार्यक्रमों/ परियोजनाओं का कार्य करते हैं। हमारे अंचल कार्यालयों और मण्डल कार्यालयों के माध्यम से भी जमीनी स्तर पर प्रगति की निगरानी की जाती है।

बैंक के प्रधान कार्यालय में एक समर्पित सीएसआर कार्यान्वयन का डेस्क है और अंचल कार्यालयों में नोडल अधिकारी हैं जो सीएसआर कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए गैरसरकारी संगठनों और सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर काम करते हैं। पीएनबी प्रेरणा, बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की जीवनसाथी के साथ-साथ बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारियों का एक संगठन है, जो स्वेच्छा से बैंक के सीएसआर एजेंडे को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे है।

**3. क्या आपने अपनी पहल के प्रभावों का कोई मूल्यांकन किया है?**

बैंक विभिन्न परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा करता है और इनकी स्थिति एवं प्रदर्शन का नियमित रूप से मूल्यांकन करता है। निरंतर निगरानी और मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, बैंक सुधारात्मक कदम उठाने में सक्षम हो गया है और विभिन्न सरकारी प्रायोजित तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य स्तर को पार करते हुए अच्छी प्रगति दिखाई है।

**4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपके बैंक का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - राशि रु० में तथा संचालित की जा रही परियोजनाओं का विवरण दें?**

सामुदायिक विकास कार्यक्रम में बैंक के योगदान को अपनी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से देखा जा सकता है, यथा :-

**क. पीएनबी विकास - ग्राम अंगीकरण योजना:** योजना का उद्देश्य अन्य हितधारकों (ग्रामीणों, सरकारी अधिकारियों, स्थानीय निकायों आदि) के समन्वय से अंगीकृत गांवों को समग्र रूप से विकसित करना है, जिसमें मानव, आर्थिक और अन्य अवसंरचना विकास जैसे स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, आदि शामिल है। इस योजना के अंतर्गत, बैंक ने विभिन्न मंडलों में 295 गांवों को अंगीकृत किया है।

(c) **Credit to Micro Enterprises** stood at Rs. 56,136 Crore as on March 2021. The percentage of advance to Micro Enterprises to Quarterly annual average ANBC is 7.98% as against the prescribed National Goal of 7.50%.

(d) **Advances to Weaker Sections** stood at Rs. 82,086 Crore as on March 2021. The achievement is 11.36% as against National goal of 10% of Quarterly annual average ANBC.

(e) **Credit to women beneficiaries** stood at Rs. 74,566 Crore as at the end of March 2021.

(f) **Credit to Minority Communities** stood at Rs. 34,272 Crore as at the end of March 2021.

(g) **Credit to SC/ST Communities** stood at Rs. 7,000 Crore as at the end of March 2021.

**2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/ government structures/any other organization?**

There are dedicated divisions, namely, Priority Sector and Financial Inclusion Division, MSME Division, Corporate Social Responsibility Cell that undertake various programs/ projects under the financial inclusion drive and Corporate Social Responsibility. The progress at grass-root level is also monitored through our Zonal Offices and Circle Offices.

The Bank has a dedicated CSR Desk at HO and Nodal officers at Zonal Offices which in partnership/association with NGOs and Government institutes work together for making the CSR programs a success. PNB PRERNA, an association of the wives of the senior officials of the Bank alongwith senior lady officials of the Bank, is voluntarily involved in carrying forward the CSR agenda of the Bank.

**3. Have you done any impact assessment of your initiative?**

The Bank undertakes periodic reviews of various projects and regularly assesses their outcomes and performance. As a result of continuous monitoring and evaluation, the Bank has been able to take corrective steps and has shown good progress under various Government sponsored and social security schemes surpassing the budgeted levels.

**4. What is your Bank's direct contribution to community development projects-Amount in INR and the details of the projects undertaken?**

The Bank's contribution to community development program has been made through its various projects such as:

**A. PNB VIKAS-Village Adoption Scheme:** The objective of the Scheme is to develop the adopted villages in a holistic manner, which includes Human, Economic & other Infrastructure Development like sanitation, drinking water supply, education, electricity, health, etc. in co-ordination with the other stake holders (villagers, the Govt. authorities, local bodies etc.). Under this Scheme, bank has adopted 295 villages in different Circles.

ख. **वित्तीय साक्षरता केंद्र:** बैंक के पास 94 कार्यात्मक वित्तीय साक्षरता केंद्र हैं। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान की गई कुल पूछताछ की संख्या 2,04,538 है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक वित्तीय शिक्षा, निवारक परामर्श और ग्राहक अधिकारों पर एफएलसी द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/ कार्यक्रमों/शिविरों की कुल संख्या 6,218 है और इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 2,08,192 है।

ग. **किसान प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी) :** बैंक ने 12 किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। एफटीसी कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर और कंप्यूटर, कटिंग और टेलरिंग / कढ़ाई और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए भी मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हैं। स्थापना के बाद से, एफटीसी ने 52,254 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 16,24,718 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया है। इन प्रशिक्षण केंद्रों को किसानों के खेतों में मृदा परीक्षण सुविधाओं वाली मोबाइल वैन और किसानों को सूचनात्मक वीडियो क्लिप के दृश्य-श्रव्य प्रदर्शन के लिए एलईडी से लैस किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने इसके तहत 385.18 लाख रुपये खर्च किए।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जाए? कृपया लगभग 50 शब्दों में इसे समझाएं।**

पीएनबी विकास- ग्राम अंगीकरण योजना, किसान क्लब, किसान गोष्ठी, आदि जैसी सामुदायिक विकास पहल/ योजनाओं को लागू करते समय बैंक सभी हितधारकों जैसे स्थानीय सरकार, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थानों, स्थानीय निवासियों आदि को सम्मिलित करता है। विकासात्मक गतिविधियों की पहचान स्थानीय एजेंसियों की प्रतिक्रिया और स्थानीय जनसंख्या की जरूरत के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, पंचायतों /स्वयं सहायता समूहों और उनके सदस्यों को गतिविधियों के लाभ की संस्तुति करने हेतु सम्मिलित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप गतिविधियां/ उत्पादों की बेहतर स्वीकार्यता बन जाती है। स्थानीय संगठनों की भागीदारी ऐसे कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने में मदद करती है और समाज में दीर्घकालिक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है।

**सिद्धांत IX: कारोबार को अपने ग्राहकों व उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार ढंग से जुड़ना चाहिए तथा उनको महत्त्व देना चाहिए।**

1. **वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/ उपभोक्ता मामले लंबित रहे?**

वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर 5.23% शिकायतें लम्बित रहीं।

2. **क्या कंपनी उत्पाद के लेबल पर स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य सूचना के अतिरिक्त उत्पाद का अन्य विवरण भी प्रदर्शित करती है? हाँ/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त सूचना)**

वित्तीय उत्पादों के विवरण बैंक की वेबसाइट पर विज्ञापित किए जाते हैं; और पैम्फलेटों एवं ब्रोशरों के माध्यम से इनके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। बैंक द्वारा इलैक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया में भी उत्पादों के विज्ञापन दिए जाते हैं। फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन, यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर भी बैंक ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, जहाँ बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे उत्पादों व सेवाओं की विशेषताओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जाता है।

B. **Financial Literacy Centres:** Bank has 94 functional Financial Literacy Centers. Total number of enquiries made during the period from 1st April 2020 to 31st March 2021 is 2,04,538. Total number of seminars/ programmes/ Camps conducted by FLCs on Financial Education, Preventive Counseling and Customer Rights from 1st April 2020 to 31st March 2021 is 6,218 and number of persons attended these programs is 2,08,192.

C. **Farmers Training Centres (FTCs):** Bank has established 12 Farmers Training Centres. The FTCs are providing free of cost training on agriculture & allied activities and also for Computers, cutting & tailoring/ embroidery and entrepreneurship development programs. Since inception, FTCs have imparted training to 16,24,718 persons by conducting 52,254 training programs. These Training Centres have been equipped with the Mobile Van having Soil testing facilities at the farmers' fields and LED for audio visual display of informative video clips to the farmers. The Bank spent Rs 385.18 Lakh under this during FY 2020-21.

5. **Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.**

The Bank involves all the stakeholders such as local Government, NGOs, Panchayati Raj Institutions, local residents etc. while implementing the community development initiatives/ schemes like PNB VIKAS-Village Adoption Scheme, Kisan Clubs, Kisan Goshthies, etc. The developmental activities are identified based on the feedback of the local agencies and requirement of the local populace. Further, panchayats/ Self Help Groups and their members are involved for advocating the benefits of the activities which results in better acceptability of the activities/ products. The involvement of the local organizations helps in ensuring the success of such programs and helps in facilitating long term positive changes in the society.

**Principle IX: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner**

1. **What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year?**

5.23% of customer complaints are pending as at the end of financial year 2020-21.

2. **Does the Bank display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. /Remarks(additional information)**

The details of various financial products offered by the Bank are advertised on the Bank's website; awareness is also spread via pamphlets and brochures. Bank also advertises its products via print, electronic and social media. It maintains an active presence on various social media platforms such as Facebook, Twitter, LinkedIn and Youtube which effectively advertise various features of the products and services offered by the Bank.

3. **क्या गत 5 वर्षों के दौरान किसी भी हितधारक द्वारा बैंक के विरुद्ध अनुचित व्यापार पद्धतियों, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन तथा/अथवा प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार के संबंध में दायर किया गया कोई मामला वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित रहा? यदि ऐसा है तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।**

इस श्रेणी के तहत तीन मामले लंबित हैं। एक मामला राज्य आयोग मदुरै, राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम (लुधियाना) और पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष एक-एक मामला लंबित है। ये मामले आकस्मिक देयता के अंतर्गत आते हैं और बैंक इनकी तिमाही समीक्षा कर रहा है।

4. **क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्ति का विश्लेषण किया है?**

बैंक अपने ग्राहकों की संतुष्टि को अत्यधिक प्राथमिकता देता है और एक सतत प्रक्रिया के रूप में, विभिन्न संपर्क बिंदुओं और विभिन्न तरीकों के माध्यम से बैंकिंग लेन-देन करने वाले अपने ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर के आंकलन का प्रयास करता है। बैंक ने ग्राहकों को उनकी शिकायत दर्ज करने, यदि कोई हो, और ऑनलाइन अपनी शिकायतों की स्थिति पता करने के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस) को अपनाया है, शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के समाधान पर अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, ग्राहक बैंक के संपर्क केंद्रों में टेली बैंकिंग सेवा के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जो 24x7 आधार पर कार्य करते है।

बैंक, प्रधान कार्यालय में उच्च स्तरीय समिति, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति और ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति की त्रैमासिक बैठकों में विभिन्न क्षेत्रों से नामित ग्राहक प्रतिनिधियों को बैंक/शाखाओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवा की गुणवत्ता पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता है। ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिक्रिया/सुझाव प्राप्त करने के लिए प्रत्येक माह में 10 वें दिन (यदि अवकाश हो तो अगले दिन) सभी शाखाओं में ग्राहकों के साथ मासिक बैठकें भी की जा रही हैं।

बैंक अपने ग्राहकों से सेवा की गुणवत्ता, अपनी शाखाओं के परिवेश आदि के बारे में अपने संपर्क केंद्रों के माध्यम से आउटबाउंड कॉलिंग कर फीडबैक प्राप्त करता है।

3. **Is there any case filed by any stakeholder against the Bank regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as at the end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

Under this category, three cases are pending. One case each is pending before State Commission Madurai, National Consumer Forum (Ludhiana) and Punjab State Consumer Dispute Redressal Commission. These cases fall under contingent liability and Bank is reviewing them quarterly.

4. **Did your Bank carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?**

The Bank gives utmost priority to the satisfaction of its customers and as an ongoing process, tries to measure the satisfaction level of its customers transacting banking business through various touch points and various modes. The Bank has put in place an online Centralised Grievance Redressal Management System (CGRMS) to enable the customers to lodge their grievances, if any, and track the status of their complaints online, complainant can also submit their feedback on the resolution of his/ her grievance. Besides, customers can also register their grievances through Tele Banking Service with the Contact Centers of the Bank, which are functioning on 24 x 7 basis.

The Bank also invites nominated customers representative from different segments in the quarterly meetings of Customer Service Committee of Board & Standing Committee on Customer Service, a high-level committees at Head Office, to have their feedback on the quality of service being rendered by the Bank/Branches. Monthly meetings with customers are also being conducted in all the Branches on 10th Day (if holiday then next day) in every month to obtain feedback/suggestions for making improvement in the quality of customer service.

The Bank is also obtaining feedback from customers about quality of service, ambience of branches, etc. by conducting surveys and making outbound calls through Contact Centers.

# कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट २०२०-२१

# Corporate Social Responsibility Report 2020-21

#JustOneApp

## प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ का संदेश

मुझे वि. व. 21 के लिए, जो संयोगवश हमारे बैंक का 126वां स्थापना वर्ष भी था, पीएनबी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपार संतुष्टि हो रही है। सीएसआर रिपोर्ट, समीक्षाधीन अवधि के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में बैंक द्वारा की गई प्रगति को दर्शाती है।

मैं उन सभी हितधारकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने कोविड -19 महामारी के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया और इससे पीड़ित हुए। पीएनबी में हम, आवश्यकता की इस घड़ी में सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।

महामारी के चलते इस वर्ष हमारी सीएसआर गतिविधियाँ स्वास्थ्य और स्वच्छता की ओर मुख्य रूप से केंद्रित थीं, जबकि हमने विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं के वित्तपोषण द्वारा विकास को उत्प्रेरित करने और गरीबी उन्मूलन के अपने प्रयासों को जारी रखा।

बैंक की, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सीएसआर नीति है जो "समाज को वापस देना" के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। इस सीएसआर नीति में साक्षरता का प्रसार, धर्मार्थ ट्रस्टों को वित्तीय सहायता, स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, समाज के गरीब तबकों को सहयोग करना, विभिन्न अस्पतालों/स्कूलों की सहायता करना आदि जैसे कई पहलुओं को शामिल किया गया है।

बैंक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रचलित सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील है, और हम अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से इन क्षेत्रों के विकास में सार्थक योगदान दे रहे हैं।

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने पीएनबी लाडली नामक एक योजना भी शुरू की है, जिसके तहत बैंक मेधावी बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इस वर्ष बैंक ने इस योजना के तहत शिक्षा में सहयोग करने की प्रतिज्ञा के साथ 329 बालिकाओं को गोद लिया है, जिनमें से 20 छात्राएं असम के माजुली नदी द्वीप से हैं।

पीएनबी किसान बालक शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत, कृषि उधारकर्ताओं (छोटे और सीमांत किसानों, काश्तकारों, मौखिक पट्टेदारों और खेतिहर मजदूरों सहित) के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

## MANAGING DIRECTOR & CEO MESSAGE

It gives me immense satisfaction to place before you the Corporate Social Responsibility (CSR) report of PNB for the FY 21, which coincided with our 126th Foundation Year. The CSR Report brings out progress made by the Bank in the area of Corporate Social Responsibility during the period under review.

I extend my deep condolences to all the stakeholders who lost their loved ones and suffered under the impact of Covid-19 pandemic. We at PNB, stand shoulder to shoulder with everyone in their hours of need.

Our CSR initiatives this year were more focused towards Health and Hygiene due to ongoing pandemic while we continued to sustain our efforts towards catalyzing development and removal of poverty by funding various self-employment schemes.

Bank has a CSR Policy approved by the Board which is guided by the tenet of "Giving back to the society". The policy covers a host of aspects under CSR such as spreading literacy, financial support to charitable trusts, promoting hygiene & health, supporting marginalized sections of the society, aiding various hospitals/schools, etc.

Bank is sensitive to societal and environmental issues prevalent in rural and semi-urban areas, and we are meaningfully contributing to development in these areas through our CSR initiatives.

To promote Girls' education in rural and semi-urban areas, Bank also launched a scheme named PNB Ladli, under which Bank provides scholarship to meritorious girl child. This year Bank has adopted 329 girl child of which 20 girls are from the river island of Majuli in Assam with a pledge to support their education under the scheme.

Under PNB Kisan Balak Shiksha Protsahan Yojana, financial assistance was provided to the students of agricultural borrowers (comprising of small and marginal farmers, tenant farmers, oral lessees and agricultural labourers).

स्थानीय समुदायों के लिए स्थापित कई प्रशिक्षण संस्थान, स्थानीय समुदायों, पंचायतों, गैर सरकारी संगठनों और सूक्ष्म वित्तपोषकों की सक्रिय भागीदारी के साथ चलाए जा रहे हैं। बैंक ने दो ट्रस्ट अर्थात् पीएनबी शताब्दी ग्रामीण विकास ट्रस्ट (पीएनबी सीआरडीटी) और पीएनबी किसान कल्याण ट्रस्ट (पीएनबी एफडब्ल्यूटी) भी स्थापित किए हैं। इनके तत्वावधान में, समाज के वंचित वर्गो को तकनीकी कौशल प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक 12 कृषक प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी), 75 ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान (आरएसईटीआई) और 2 ग्रामीण विकास केंद्र चला रहा है।

पीएनबी विकास योजना में, सीएसआर फंड के माध्यम से विभिन्न कल्याण/ विकासात्मक गतिविधियों के जरिए समग्र विकास के लिए वर्ष के दौरान 126 नए गांवों को गोद लेने के साथ 295 गांवों को इस योजना के तहत कवर किया गया था।

**वर्ष के दौरान:**

- कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 662 से अधिक जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइज़र वितरित किए गए।
- चिकित्सीय सहायता के लिए एम्बुलेंस, मोबाइल डेंटल वैन और आपातकालीन वाहन दान किए।
- बैंक ने ग्राहकों को 'डिजिटल अपनाएं' अभियान के माध्यम से डिजिटल चैनल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके ग्राहकों की ओर से "पीएम केयर्स फंड" में योगदान दिया।
- डिजिटल, क्रेडिट, सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता के प्रमुख विषय के साथ महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर 'ग्राम संपर्क अभियान' शुरू किया गया। 29,000+शिविर आयोजित किए गए और 11 लाख+ग्राहकों से संपर्क किया गया।
- राज्य सरकारों की राहत पहलों का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिया गया।

"पीएनबी प्रेरणा" बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारियों की पत्नियों और वरिष्ठ महिला अधिकारियों की एक संस्था है, जो बैंक के सीएसआर एजेंडे को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही हैं। पीएनबी प्रेरणा, संरक्षण के क्षेत्र में परियोजनाओं पर काम कर रही है जैसे; वृक्षारोपण अभियान, बाल कल्याण और शिक्षा। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, पीएनबी प्रेरणा ने हेल्पएज इंडिया, दिल्ली काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर और अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन को वित्तीय सहायता प्रदान करने में अपना सहयोग दिया।

बैंक जिम्मेदारी लेने में, संबंधों को गहरा करने और हमारे सभी हितधारकों अर्थात हमारे कर्मचारियों, हमारे ग्राहकों, हमारे शेयरधारकों और समग्र रूप से पूरे समाज के साथ जुड़ाव में विश्वास करता है। आगे बढ़ते हुए, हम बेहतर समाज बनाने के लक्ष्य वाले कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से समाज को सहयोग देना जारी रखेंगे। हम इस तरह से व्यवसाय करना जारी रखेंगे जो सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील हो।

अंत में, मैं उन सभी लोगों के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

(सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

A number of training institutes set up for local communities are being run with the active involvement of local chapters, Panchayats, NGOs and micro-financiers. Bank has also set up two trusts i.e. PNB Centenary Rural Development Trust (PNB CRDT) and PNB Farmers' Welfare Trust (PNB FWT). Under their aegis, Bank is running 12 Farmers' Training Centres (FTCs), 75 Rural Self Employment Institutes (RSETIs) and 2 Rural Development Centres for providing technical skills to the underprivileged strata of the society and making them self-dependent.

In PNB VIKAS YOJANA, 295 villages were covered under the scheme with 126 new villages adopted during the year for holistic development through various welfare/developmental activities through CSR fund.

**During the year:**

- Distributed face masks and sanitizers in more than 662 Districts to prevent spread of Covid19.
- Donated Ambulances, Mobile Dental Van and Emergency vehicle for medical assistance.
- Bank contributed to "PM CARES Fund" on behalf of customers by encouraging them for digital channel adoption through 'Digital Apnayen' campaign.
- 'Gram Sampark Abhiyan' was launched on the occasion of 151st birth Anniversary of Mahatma Gandhi with key theme of Digital, Credit, Social Security and Financial Literacy. 29,000+ camps were held and connected with 11 Lakh+ customers.
- Donation to Chief Minister's relief fund to support relief initiatives by the State Governments.

PNB Prerna, an association of wives of the Senior Officials and senior lady Officials of the Bank carried forward the CSR agenda of the Bank successfully. PNB Prerna has been taking up projects in the field of conservation like tree plantation drives, Child welfare and Education. During the period under review, PNB Prerna was involved in providing financial assistance to HelpAge India, Delhi Council of Child Welfare and Earth Saviours foundation.

The Bank believes in growing responsibly, deepening relationships and engagement with all our stakeholders viz. our employees, our customers, our shareholders and the society as a whole. Going forward, we will continue to support the society by way of active participation in programmes aimed at creating a better society. We will continue to conduct business in a manner that is sensitive to societal and environmental issues.

In the end, I would like to express my sincere thanks to all those who contributed towards making Corporate Social Responsibility a success during the year.

(CH. S. S. Mallikarjuna Rao)
Managing Director & CEO

# कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2020-21

**पंजाब नैशनल बैंक का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दृष्टिकोण**

1. पंजाब नैशनल बैंक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को अपने हितधारकों जैसे निवेशकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, व्यावसायिक भागीदार, स्थानीय समुदायों, बड़े पैमाने पर पर्यावरण और समाज के हितों की पहचान करते समय आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थिरता से संचालित करने की प्रतिबद्धता और समाज के जीवन की गुणवत्ता में योगदान के रूप में देखता है। इस रणनीति के केंद्र में वैश्विक स्तर पर जीवंत समुदाय के निर्माण के प्रति हमारे बैंक की अटूट प्रतिबद्धता है। यह प्रतिबद्धता संस्थानों में हमारे निवेश और दीर्घकालिक रूप में सामाजिक विकास में सहायता और वृद्धि हेतु कार्यक्रमों से आती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, जब पूरी दुनिया भयंकर कोविड-19 महामारी से ग्रस्त हुई, तब सीएसआर गतिविधियों का ध्यान राष्ट्र की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की ओर आकर्षित किया गया। बैंक ने बीमारी का सामना करने के लिए विभिन्न राहत उपायों जैसे खाद्य पैकेटों, मास्क एवं सैनिटाइजर, ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस, मेडिकल उपकरणों का वितरण कर अपना योगदान दिया।

2 व्यवसाय रणनीति के साथ सीएसआर की अवधारणाओं को एकीकृत करने के लिए, बैंक निम्नलिखित वचनबद्धताएं करता है:

**2.1 स्थिरता**

पीएनबी परिवर्तन का एक उत्प्रेरक बनने का इरादा रखता है जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को लाभान्वित करेगा। हमारे मुख्य व्यवसाय में और उससे आगे स्थिरता पीएनबी की गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार, हम अपने सभी हितधारकों, समाज और पर्यावरण के लिए जिम्मेदार होने में विश्वास करते हैं।

**2.2 कॉर्पोरेट स्वेच्छा**

हमारी सीएसआर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य "समाज को वापस देना" है। सीएसआर के बारे में हम अपने कर्मचारियों को जो संदेश देते हैं, वह यह है कि आज हम जो कुछ भी करेंगे, उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। इस प्रकार हम स्टाफ सदस्यों की पूर्ण भागीदारी और स्थानीय आबादी की भागीदारी के साथ सीएसआर गतिविधियां करते हैं।

**2.3 सामाजिक निवेश**

सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन होने के नाते, हम कृषक प्रशिक्षण केंद्र और ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान, जो क्रमशः पीएनबी किसान कल्याण न्यास तथा पीएनबी शताब्दी ग्रामीण विकास न्यास की परिधि के अंतर्गत आते हैं, वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र, पीएनबी प्रेरणा और अन्य ऐसी पहलों के माध्यम से समाज में योगदान करते हैं। हम वंचित समुदायों को शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने और उनके भविष्य को आकार देने में मदद करते हैं। इन सभी पहलों को सामाजिक निवेश के रूप में माना जाता है।

# Corporate Social Responsibility Report 2020-21

**Punjab National Bank's Corporate Social Responsibility Approach**

1. Punjab National Bank views Corporate Social Responsibility (CSR) as a commitment to operate in an economically, socially and environmentally sustainable manner, while recognizing the interests of its stakeholders such as investors, customers, employees, business partners, local communities, the environment and society at large and contribute to the quality of life of society. At the heart of this strategy is our bank's unwavering commitment to build vibrant communities across our global footprints. This commitment comes to life through our investment in institutions and programmes to support and enhance community development in a sustainable fashion. During F.Y. 2020-21, as the whole world was suffering from deadly COVID-19 pandemic, focus of CSR activities was towards improving health services of the nation. Bank contributed towards various relief measures like Distribution of food packets, Masks and sanitizers, ambulances in rural areas, medical equipments to counter the disease.

2. To integrate the concept of CSR with Business Strategy, the Bank makes the following commitments:

**2.1 Sustainability**

PNB intends to be a catalyst for change that benefits present and future generations. Sustainability is an integral part of PNB's activities – in our core business and beyond. Thus, we believe in being responsible to all our stake holders, society and the environment.

**2.2 Corporate Volunteering**

"Giving back to the society" is the prime motive behind our CSR activities. The message that we give to our staff regarding CSR is that whatever we do today will have an impact on future generations. Thus we undertake CSR activities with full participation of staff members and participation of local populace.

**2.3 Social Investments**

Being a socially responsible organization, we contribute to society through Farmers Training Centers & Rural Self Employment & Training Institutes which come under the ambit of PNB Farmers Welfare Trust & PNB Centenary Rural Development Trust respectively, Financial Literacy & Credit Counselling Centres, PNB Prerna and other such initiatives. We help the underprivileged communities to overcome unemployment and poverty and shape their own future through education and skill development programmes. All these initiatives are considered as social investment.

किसान प्रशिक्षण केंद्र (FTCs): बैंक ने 12 किसान प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है। एफटीसी कृषि एवं सम्बन्धित गतिविधियों पर नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन प्रशिक्षण केंद्रों को किसानों के खेतों में मृदा परीक्षण सुविधाओं वाली मोबाइल वैन और किसानों को सूचनात्मक वीडियो क्लिप के दृश्य-श्रव्य प्रदर्शन के लिए एलईडी से लैस किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने इसके तहत 385.18 लाख रुपये खर्च किए।

पीएनबी लाडली: यह योजना ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्र की बालिकाओं के बीच शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, 329 छात्राओं के बीच रु. 3.42 लाख का वितरण किया गया।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs): भारत में 75 आरएसईटीआई (ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में) और 2 ग्रामीण विकास केंद्र (पीएनबी की पहलें) कार्यरत हैं जो ग्रामीण आबादी और उनके परिवारों को स्वरोजगार उद्यम/रोजगार के लिए कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, इन केंद्रों में 32,567 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 17,975 बीपीएल परिवारों से थे और 25,148 महिलाएं थीं।

पीएनबी विकास योजना: बैंक की पीएनबी विकास योजना नामक एक योजना है जिसके तहत सीएसआर फंड के माध्यम से विभिन्न कल्याण/विकासात्मक गतिविधियों के तहत समग्र विकास के लिए गांवों को गोद लिया है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, मौजूदा 169 गांवों में 126 नए गांव जोड़े गए, जिससे गांवों की संख्या बढ़कर 295 हो गई।

## वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विशेष पहल

### ग्राम संपर्क अभियान

पंजाब नैशनल बैंक ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन और साक्षरता अभियान "ग्राम संपर्क अभियान'' शुरू किया।

Farmers Training Centres (FTCs): Bank has established 12 Farmers Training Centres. The FTCs are providing free of cost training on agriculture & allied activities. These Training Centres have been equipped with the Mobile Van having Soil testing facilities at the farmers' fields and LED for audio visual display of informative video clips to the farmers. The Bank spent Rs 385.18 Lakh under this during FY 2020-21.

PNB Ladli: Scheme is meant for popularization of education among girls of Rural /Semi urban area. During F.Y. 2020-21, Rs. 3.42 lakhs was distributed among 329 girl students.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs): There are 75 RSETIs (under aegis of MoRD) and 2 Rural Development Centres (PNB initiatives) are operating in India which are engaged in providing training to rural population and their families for skill upgradation to undertake self-employment ventures/Jobs. During the FY2020-21, 32,567 persons were trained in these centers out of which 17,975 belong to BPL families and 25,148 were women.

PNB VIKAS YOJANA: Bank has a scheme titled PNB VIKAS YOJANA under which villages are adopted for their holistic development through various welfare/developmental activities through the CSR Fund. During FY 2020-21, 126 new villages were added to existing 169 villages thus increasing tally of villages to 295.

## Special Initiative During FY 2020-21

### Gram Sampark Abhiyan

The Punjab National Bank launched "Gram Sampark Abhiyan", a nation-wide Financial Inclusion and Literacy Campaign on the occasion of the 151st birth anniversary of Mahatma Gandhi.

"ग्राम संपर्क अभियान'' शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान बाएं से दाएं श्री विजय दुबे, डॉ. आर. के. यदुवंशी कार्यपालक निदेशक, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री तथा श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव, एमडी एवं सीईओ।
From left to right Sh. Vijay Dube, Dr. R. K. Yaduvanshi ED, Sh. Narendra Singh Tomar, Hon'ble Minister of Agriculture & Farmers Welfare, Rural Development and Food Processing Industries and Sh. CH. S. S. Mallikarjuna Rao, MD & CEO during "Gram Sampark Abhiyan" launch event .

यह अभियान 02 अक्टूबर, 2020 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया था और यह केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत योजना के हिस्से के रूप में चार प्रमुख विषयों - डिजिटल, ऋण, सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता पर केंद्रित था। अभियान अवधि के दौरान, 31.12.2020 तक 29000+शिविर आयोजित किए गए और 11 लाख़ ग्राहकों को जोड़ा गया।

It was launched on October 02, 2020 on the occasion of Birth Anniversary of Mahatma Gandhi and was centred around four key themes - Digital, Credit, Social Security and Financial Literacy - as part of Atma Nirbhar Bharat idea of the Central Government. During the campaign period, 29000+ camps were held and connected with 11 lakh+ customers by 31.12.2020.

मंडल कार्यालय हैदराबाद की टीम द्वारा दिनांक 26.11.2020 को मिरयालगुडा (ग्राम गुर्रापुगुडेम) में ग्राम संपर्क अभियान सभा का आयोजन किया गया।
Gram Sampark Abhiyan Sabha being conducted at Miryalguda (Village Gurrapugudem) on 26.11.2020 by CO Hyderabad Team.

## 2.4 स्वास्थ्य

हम इस विचार का पुरजोर समर्थन करते हैं कि स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर, समाज और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक हैं। इस हेतु, हम ऐसे क्षेत्रों में निवेश करते हैं जो इस तरह की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने कोविड-19 महामारी की स्थिति के बीच कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ सीएसआर गतिविधियां संचालित की।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, पीएनबी परिवार ने कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में बहादुरी से कार्य करने वाले फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का समर्थन करने वाली गतिविधियों के साथ-साथ जरूरतमंदों, वृद्ध लोगों की सहायता करके अपने-अपने क्षेत्रों में तीन चरणों में सीएसआर पहल को सफलतापूर्वक पूर्ण किया।

**अभियान का पहला चरण:**

जुलाई 2020 में, बैंक ने बढ़ती महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और जोखिमों को रोकने के लिए भारत सरकार के व्यापक प्रयासों के साथ कोविड-19 के प्रसार से लड़ने के संकल्प के साथ अपना पहला राष्ट्रव्यापी सीएसआर अभियान शुरू किया। हमने देश भर के जरूरतमंद लोगों को कोविड-19 से लड़ने में सहायता करने के लिए 662 से अधिक जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइज़र जैसी राहत सामग्री वितरित की।

## 2.4 Health

We strongly endorse the view that healthy mind and healthy body in a healthy environment is essential for overall growth of society and the nation. Thus, we invest in areas that facilitate such enhancements. During the year 2020-21, the Bank has undertaken CSR activities with the active involvement of staff amid COVID-19 pandemic situation.

During F.Y. 2020-21, PNB Parivar successfully carried out All India CSR campaign against COVID-19 in three phases in their respective regions by helping needy, old age people along with activities supporting frontline workers acting bravely in fight against coronavirus.

**1st phase of the campaign:**

In July 2020, the Bank launched its first nationwide CSR campaign with resolution to fight the spread of COVID-19, accompanying the Government of India's extensive efforts to contain challenges and risks posed by the growing pandemic. We distributed relief materials like face masks and sanitizers in more than 662 districts to the needy people across the country to help them fight against COVID-19.

निर्माण भवन नई दिल्ली से अखिल भारतीय सीएसआर अभियान के शुभारंभ के दौरान बाएं से दाएं डॉ. आर. के. यदुवंशी, कार्यपालक निदेशक, श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव, एमडी एवं सीईओ, डॉ. हर्षवर्धन, माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री।

From left to right Dr. R. K. Yaduvanshi ED, CH. S. S. Mallikarjuna Rao, MD & CEO, Dr. Harsh Vardhan, Hon'ble Minister of science and technology, Minister of health and family welfare and Minister of Earth Sciences on Launch of All India CSR Campaign from Nirman Bhavan New Delhi.

**अभियान का दूसरा चरण:**

20 अगस्त, 2020 को अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत पीएनबी के कर्मचारियों द्वारा देश भर में अंचल कार्यालयों दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, उत्तर में गुरुग्राम, दक्षिण में हैदराबाद, उत्तर-पूर्व में गुवाहाटी, पश्चिम में अहमदाबाद, मध्य भारत में रायपुर और भोपाल द्वारा मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के साथ हुई।

**2nd phase of the campaign:**

On 20th August, 2020 the 2nd phase of the campaign began with PNB employees distributing masks and sanitizers across the country by Zonal offices Delhi, Amritsar, Lucknow , Gurugram in North, Hyderabad in South, Guwahati in North-East, Ahmedabad in West, Raipur and Bhopal in Central India.

बैंक के राष्ट्रव्यापी अभियान के हिस्से के रूप में मास्क और सैनिटाइज़र वितरण कार्यक्रम में सुश्री रीटा जुनेजा, मंडल प्रमुख, हिसार।
Ms. Rita Juneja, CH Hisar in Mask and sanitizer distribution programme as part of Bank's Nation-wide campaign.

मास्क और सैनिटाइज़र वितरण कार्यक्रम में दाएं से श्री एम. सी. भट्ट उप महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय, दिल्ली, श्री राजेश केडिया, उप सीएफओ मोहन मेकिंस लिमिटेड, श्री राजीव बंसल मंडल प्रमुख, गाजियाबाद।
From Right Mr M.C. Bhatt DGM Zonal office Delhi, Mr Rajesh Kedia, Dy CFO Mohan Mekins Ltd, Mr. Rajeev Bansal Circle Head Ghaziabad in Mask and sanitizer distribution programme.

कोविड-19 रोकथाम गतिविधियों के अपने सामाजिक समावेश को व्यापक बनाने की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, बैंक ने भारत के पहले समुदाय आधारित संगठन, हमसफ़र ट्रस्ट के साथ हाथ मिलाया और मुंबई क्षेत्र में एलजीबीटी सदस्यों को फेस मास्क और सैनिटाइज़र वितरित किए।

As part of the commitment to widen its social inclusion of COVID-19 prevention activities, Bank also joined hands with Humsafar Trust, India's first community based organization and distributed face masks and sanitizers to the LGBT members in Mumbai region.

बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री संजय कुमार (बाएं से दूसरे), डॉ. राजेश कुमार यदुवंशी (बाएं से तीसरे) और श्री विजय दुबे (सबसे दाएं) प्रधान कार्यालय, द्वारका, नई दिल्ली में सुविधा प्रबंधन स्टाफ (सबसे बाएं) को कोविड-19 रोकथाम सामग्री वितरित करते हुए।
The Executive Directors of the Bank, Sh. Sanjay kumar (2nd to Left) , Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi ( 3rd to Left) and Sh. Vijay Dube (Extreme Right) distributing COVID-19 prevention materials to the facility management staff (Extreme Left) at Head office, Dwarka, New Delhi.

**अभियान का तीसरा चरण:**

राष्ट्रव्यापी सीएसआर अभियान का तीसरा और अंतिम चरण 25 सितंबर, 2020 को शुरू किया गया था, पूरे भारत में अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से किसानों को सम्मान देने के लिए इसका शीर्षक 'जय जवान जय किसान' रखा गया था।

**स्वास्थ्य के अंतर्गत अन्य पहलें:**

इसके अलावा, अपनी सीएसआर प्रतिबद्धताओं के तहत, बैंक ने 26.10.2020 को दिल्ली स्थित भाऊराव देवरस सेवा न्यास ट्रस्ट को एक आपातकालीन वाहन प्रदान किया, जिसका उपयोग जरूरतमंदों और वंचित समुदायों के रोगियों को एम्स अस्पताल, नई दिल्ली में ले जाने के लिए किया जाएगा।

**3rd phase of the campaign:**

The 3rd and last phase of the Nationwide CSR campaign was commenced on 25th September,2020 which was titled 'Jai Jawan Jai Kisan' to honour the farmers through its rural and semi-urban branches across India.

**Other Initiatives under Health:**

Further, under its CSR commitments, Bank contributed an Emergency Vehicle to Bhaorao Deoras Sewa Nyas Trust situated in Delhi on 26.10.2020 to be used for carrying needy and patients from disadvantaged background to AIIMS Hospital, New Delhi.

छायाचित्र 1: बैंक के संसद मार्ग कार्यालय में सीएसआर कार्यक्रम के दौरान बाएं से दाएं: श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक, पीएनबी, श्री राहुल सिंह, सचिव और प्रबंध ट्रस्टी, भाऊराव देवरस सेवा न्यास, डॉ. हर्षवर्धन, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री, श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव, एमडी एवं सीईओ, पीएनबी।
Pic 1: Left to Right: Sh Vijay Dube, ED PNB, Sh Rahul Singh ,Secretary & Managing Trustee, Bhaorao Deoras Sewa Nyas, Dr. Harsh Vardhan, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Science and Technology and Earth Sciences, CH. S.S. Mallikarjuna Rao, MD & CEO, PNB during a CSR event at Parliament Street Office.

साथ ही, पीएनबी ने बैंक की सीएसआर पहल के हिस्से के रूप में जीपीएस ट्रैकिंग, इन-हाउस एक्स-रे के साथ पूरी तरह से वातानुकूलित मोबाइल डेंटल ट्रीटमेंट वैन प्रदान कर भारतीय सेना को सम्मानित किया।

Also, PNB honoured Indian Army by contributing fully air conditioned Mobile Dental Treatment Van with GPS tracking, in-house x-ray as part of the CSR initiative of the Bank.

श्री आशुतोष चौधरी, अंचल प्रमुख, हैदराबाद (दाएं से तीसरे) ने लेफ्टिनेंट जनरल ए अरुण (बीच में) वाईएसएम एसएम वीएसएम जीओसी, दक्षिण भारत क्षेत्र को एओसी में आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज (एसीडीएस) सिकंदराबाद के लिए समारोह में मोबाइल डेंटल वैन सौंपी।

Sh Ashutosh Choudhary, ZM Hyderabad (3rd from Right) handed-over the Mobile dental van to Lt. Gen. A Arun ( centre) YSM SM VSM GOC, Dakshin Bharat Area in a Ceremony at AOC, for Army College of Dental Sciences (ACDS) Secunderabad.

डेंटल वैन का उपयोग स्कूलों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीणों को दंत चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। डेंटल वैन का इस्तेमाल मुंह के कैंसर की रोकथाम, शिक्षा और जांच के लिए भी किया जाएगा।

The dental van is to be used for providing the dental services to the schools, orphanages, old age homes, senior citizens and villagers. The Dental Van would also be used for oral cancer prevention, education and screening.

- **ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस का योगदान**

  सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2020 के हिस्से के रूप में बैंक ने ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में एम्बुलेंस प्रदान की।

**अंचल कार्यालय, अमृतसर:**

- **Contribution of Ambulances to Government Hospitals in Rural Areas**

  As Part of Vigilance Awareness Week 2020, Bank contributed Ambulances to Hospitals in Rural Areas.

**Zonal Office Amritsar:**

बैंक की एक सीएसआर गतिविधि के तहत श्री ओंकारजीत सिंह, अंचल प्रमुख, अमृतसर (बाएं से दूसरे) श्री आरआर सेठी, सरकारी सिविल सर्जन, अमृतसर और श्री गुरप्रीत सिंह खैरा (आईएएस), डीएम, अमृतसर (दाएं से पांचवें) को राजसांसी के ग्रामीण क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस सौंपते हुए।

Sh. Onkarjeet Singh, ZM, Amritsar (2nd from left) handing over Ambulance to Sh. RR Sethi, Govt. civil surgeon, Amritsar and Sh. Gurpreet Singh Khaira (IAS), DM, Amritsar (5th from right) for Rural area of Rajasansi in a CSR Activity of the Bank.

**अंचल कार्यालय, भोपाल:**

**ZO Bhopal:**

सीएसआर पहल के तहत मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को एम्बुलेंस सौंपते हुए अंचल कार्यालय भोपाल के अधिकारीगण।

ZO Bhopal Officials Handing over Ambulance to Sh. Mahender Singh Sisodia, Panchayat & Rural Development Minister, Madhya Pradesh as part of its CSR Initiative.

**अंचल कार्यालय, चेन्नईः**

**ZO Chennai:**

श्री मोहम्मद मकसूद अली (सबसे बाएं), उप महाप्रबंधक, मंडल प्रमुख, चेन्नई दक्षिण, डॉ. जे. राधाकृष्णन, आईएएस (बाएं से दूसरे), मुख्य सचिव (स्वास्थ्य), तमिलनाडु सरकार को अपनी सीएसआर पहल के हिस्से के रूप में एम्बुलेंस सौंपते हुए।

Sh Mohd. Maqsood Ali (extreme Left), DGM, CH, Chennai South Handing over Ambulance to Dr. J. Radhakrishan, IAS (2nd from Left), Principal Secretary (Health), Govt. of Tamil Nadu as part of its CSR Initiative.

**2.5 हरित पहल**

हम भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 'कैच द रेन' मिशन के माध्यम से मौजूदा इमारतों में वर्षा जल संचयन के लिए प्रयास कर रहे हैं और पर्यावरण के अनुकूल नए निर्माण को प्रोत्साहित कर रहे हैं और अपने विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं। पूरे भारत में सरकार द्वारा लगाए गए कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण वृक्षारोपण जैसी कई अन्य हरित पहल प्रभावी ढंग से नहीं की जा सकीं।

**2.6 सहयोग**

बैंक स्थानीय एजेंसियों के साथ जुड़ा है ताकि स्थानीय जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जा सकें। हम बेहतर पहुंच के लिए स्थानीय लोगों के साथ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर के रूप में काम कर रहे हैं। बैंक बेहतर स्वीकार्यता की सुविधा के लिए स्थानीय पंचायतों/स्वयं सहायता समूहों के साथ भी सहयोग करता है और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद तैयार करता है। स्थानीय संगठनों के साथ हमारे गठजोड़ यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि हम ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन कर रहे हैं जिनके सफल होने की सबसे अधिक संभावना है और दीर्घकालिक सकारात्मक परिवर्तन की सुविधा प्रदान करते हैं।

**2.7 खेलों को बढ़ावा**

बैंक हमारे राष्ट्रीय खेल अर्थात हॉकी को निरंतर बढ़ावा दे रहा है। अप्रैल 2004 में, बैंक ने अपनी वरिष्ठ हॉकी टीम का गठन किया। वरिष्ठ खिलाड़ी बैंक के कर्मचारी हैं।

पेशेवर कौशल विकसित करने के लिए बैंक खिलाड़ियों को सभी रसद सहायता और बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करता है। हॉकी टीम के

**2.5 Green Initiatives**

We are making efforts for rainwater harvesting in existing buildings and encourage environment friendly new constructions and spreading awareness through our various social-media channels among masses through 'Catch The Rain' Mission initiated by Govt. of India. Various other green initiatives like Tree plantations could not be performed effectively due to Government imposed COVID-19 restrictions throughout India.

**2.6 Collaboration**

The Bank engages with local agencies so as to offer facilities as per the local needs and requirements. We are working closely with local people as Business Correspondents and Business Facilitators for improved reach. The Bank also collaborates with local Panchayats / Self Help groups for facilitating better acceptability and devise products as per requirements of local populace. Our alliances with local organizations help ensure that we are supporting programs that are most likely to succeed and facilitate long term positive change.

**2.7 Promotion of Sports**

Bank is continuously promoting our National Sport Hockey. In April 2004, the Bank formed its Senior Hockey team.The senior players are employees of the Bank.

Bank provides all logistics support and infrastructure facilities to the players for developing professional skills.

वरिष्ठ खिलाड़ियों को खेल किट, आहार भत्ता, कोच, आहार विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं, एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड, बीमा आदि प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण, कोई टूर्नामेंट आयोजित नहीं किया गया था।

बैंक ने सुश्री शिवांगी शर्मा, उत्तर-पूर्व क्षेत्र की उत्कृष्ट तैराक को भी रू10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) के मासिक छात्रवृत्ति और स्विमिंग सूट के साथ सहयोग दिया।

**2.8 अन्य सीएसआर पहल**

**ए.** पीएनबी प्रेरणा, बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के जीवनसाथियों के साथ-साथ बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारियों की एक संस्था, बैंक की सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने/प्रदर्शित करने/बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के पहलों का समर्थन करना है।

Senior Hockey team players are provided with playing kit, diet allowance, coach, dietician, physiotherapist's services, astro turf ground, insurance etc.

During the year 2020-21, due to COVID-19 restrictions, there were no tournaments organised.

Bank also supported Ms. Shivangi Sarma, outstanding swimmer from North-East region with Monthly stipend of 10000/- (Ten thousand rupees only) and swimming suit.

**2.8 Other CSR Initiatives**

A. PNB Prerna, an association of the spouses of the senior officials of the Bank as well as senior lady officials of the Bank is performing a vital role in undertaking/ showcasing/ promoting the Bank's CSR activities. The prime objective of the Association is to support the Corporate Social Responsibility initiatives of the Bank.

श्रीमती जानकी मल्लिकार्जुन राव-अध्यक्षा (पीएनबी प्रेरणा) और श्रीमती संगीता कुमार, श्रीमती अंजना दुबे एवं श्रीमती मीरा देवी-उपाध्यक्षाएं, पीएनबी प्रेरणा, पीएनबी प्रेरणा द्वारा आयोजित सीएसआर गतिविधि में कोविड-19 के लिए राहत उपायों के लिए अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन को 1.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए।

Smt. Janaki Mallikarjuna Rao –President (PNB Prerna) and Smt. Sangeeta Kumar, Smt. Anjana Dube, Mrs. Meera Devi-Vice Presidents, PNB Prerna giving financial aid of Rs. 1.00 Lakh to "The Earth Saviours Foundation" for relief measures for COVID-19 in a CSR activity organized by PNB Prerna.

श्रीमती जानकी मल्लिकार्जुन राव-अध्यक्षा (दाएं से दूसरी) और श्रीमती संगीता कुमार, उपाध्यक्षा (सबसे दाएं), पीएनबी प्रेरणा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक सीएसआर गतिविधि में थाय किंगडम कम फाउंडेशन को सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन, इलेक्ट्रिक इंसीनरेटर और सिलाई मशीन प्रदान करते हुए।

Smt. Janaki Mallikarjuna Rao –President (2nd From Right) and Smt. Sangeeta kumar, Vice President (extreme right), PNB Prerna providing Sanitary Pad Vending machines, electric incinerators and sewing machines to "Thy Kingdom Come Foundation" in a CSR activity organized to commemorate International Women's Day.

**बी. पीएम-केयर्स में योगदान:**

बैंक ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर "डिजिटल अपनाएं" नाम से एक अभिनव डिजिटल अभियान शुरू किया था, जो वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जो प्रतिष्ठित डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करता है। पंजाब नैशनल बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बोर्डिंग पर प्रत्येक ग्राहक की ओर से पीएम केयर्स फंड में 5.00 रुपये का योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

**B. Contribution to PM-Cares:**

Bank had launched an innovative digital campaign, named as "DIGITAL APNAYEN," on the 74th Independence Day, which is in line with the Department of Financial Services, Ministry of Finance, GOI guidelines encouraging digital banking under the coveted Digital India Initiative. Punjab National Bank committed to contribute Rs. 5.00 towards the PM CARES Fund on behalf of each customer on boarding on Digital Platform.

श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव, एमडी एवं सीईओ (दाएं) श्री देबाशीष पांडा, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को पूर्व में दिए 40,14,140/- रुपये के योगदान के अलावा 3,53,78,890/- की राशि का चेक सौंपते हुए।

Sh. CH. S. S. Mallikarjuna Rao, MD & CEO (Right) handing over cheque of amount Rs. 3,53,78,890/- in addition to Rs. 40,14,140/- contributed earlier to Sh. Debasish Panda, Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

## सी. राज्य सरकारों को योगदानः

बैंक ने अपनी निरंतर सीएसआर पहल के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों को उनके राहत उपायों में सहायता के लिए योगदान दिया।

## C. Contribution to State Governments:

Bank as part of its continuous CSR initiatives, contributed to different State Governments to support their relief initiatives.

बाएं से दाएंः श्री सर्वानंद सोनोवाल, माननीय मुख्यमंत्री, असम, सीएसआर के तहत बाढ़ राहत उपायों के लिए श्री शिव शंकर सिंह, अंचल प्रमुख, सहयोग राशि प्राप्त करते हुए।

Left to Right: Sh. Sarbananda Sonowal, Hon'ble Chief Minister of Assam receiving contribution amount from Sh. Shio Shankar Singh, Zonal Head, Guwahati for Flood Relief measures under CSR.

# बासेल III के अंतर्गत स्तम्भ 3 प्रकटीकरण- 31.03.2021

**बासेल III के अंतर्गत स्तम्भ 3 प्रकटीकरण (समेकित आधार पर और महत्वपूर्ण अनुपात एकल आधार पर) -31.03.2021**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए बासेल III (समेकित आधार पर और महत्वपूर्ण अनुपात अर्थात पूंजी, एनपीए और उद्योगवार प्रकटीकरण एकल आधार पर) फ्रेमवर्क के अंतर्गत स्तम्भ 3 का प्रकटीकरण बैंक की वेबसाईट पर अलग से प्रदर्शित किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के लिए कृपया हमारी वेबसाईट : www.pnbindia.in > Investor info > Financials > Current Financial year 2020-2021 देखें।

इस खण्ड में निम्नलिखित प्रकटीकरण सम्मिलित है:

| क्र. स. | तालिकाएं | विवरण |
|---|---|---|
| | गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रकटीकरण | |
| 1. | तालिका DF-1 | प्रयोज्यता का दायरा |
| 2. | तालिका DF-2 | पूंजी पर्याप्तता |
| 3. | तालिका DF-3 | ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण |
| 4. | तालिका DF-4 | ऋण जोखिम: मानक दृष्टिकोण के अध्यधीन पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण |
| 5. | तालिका DF-5 | ऋण जोखिम न्यूनीकरण : – मानक दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण |
| 6. | तालिका DF-6 | प्रतिभूतिकरण एकस्पोजर्स: मानक दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण – |
| 7. | तालिका DF-7 | ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम |
| 8. | तालिका DF-8 | परिचालनगत जोखिम |
| 9. | तालिका DF-9 | बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (IRRBB) |
| 10. | तालिका DF-10 | प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम से सम्बन्धित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण |
| 11. | | एकल आधार पर महत्वपूर्ण अनुपात अर्थात पूँजी, एनपीए तथा उद्योग वार एक्सपोजर |
| 12. | तालिका DF-11 | पूंजी की संरचना |
| 13. | तालिका DF-12 | पूंजी की संरचना – मिलान सम्बन्धी अपेक्षाएं |
| 14. | तालिका DF-13 | विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं |
| 15. | तालिका DF-14 | विनियामक पूंजी लिखतों की पूर्ण शर्तें एवं निबन्धन |
| 16. | तालिका DF-16 | इक्विटीज – बैंकिंग बुक स्थिति के लिए प्रकटीकरण |
| 17. | तालिका DF-17 | लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्स्पोजर की संक्षिप्त तुलना 31.03.2021 |
| 18. | तालिका DF-18 | लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टैम्पलेट |
| 19 | | चलनिधि कवरेज अनुपात |

# PILLAR 3 DISCLOSURES UNDER BASEL III - 31.03.2021

**Pillar 3 Disclosures under Basel III (Consolidated Basis and Important Ratios on Solo basis) – 31.03.2021**

Pillar 3 Disclosures under Basel III (Consolidated Basis and Important Ratios i.e: Capital, NPA and Industry wise Exposure on Solo Basis.) Framework for the Year ended March 31, 2021 as per guidelines of RBI have been disclosed separately on Bank's website. For details, please visit our website : www.pnbindia.in > Investor info > Financials > Financial year 2020-2021.

The section contains following disclosures:-

| Sl. No. | Tables | Particulars |
|---|---|---|
| | Qualitative and Quantitative disclosures | |
| 1. | Table DF - 1 | Scope of Application |
| 2. | Table DF - 2 | Capital Adequacy |
| 3. | Table DF - 3 | Credit Risk: General Disclosures |
| 4. | Table DF - 4 | Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardized Approach |
| 5. | Table DF - 5 | Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches |
| 6. | Table DF - 6 | Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach |
| 7. | Table DF - 7 | Market Risk in Trading Book |
| 8. | Table DF - 8 | Operational Risk |
| 9. | Table DF - 9 | Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) |
| 10. | Table DF - 10 | General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk |
| 11. | | Important Ratios i.e Capital, NPA and Industry wise Exposure on Solo Basis |
| 12. | Table DF - 11 | Composition of Capital |
| 13. | Table DF - 12 | Composition of Capital – Reconciliation Requirements |
| 14. | Table DF - 13 | Main features of Regulatory Capital Instruments |
| 15. | Table DF - 14 | Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments. |
| 16. | Table DF - 16 | Equities – Disclosures for Banking Book Positions. |
| 17. | Table DF - 17 | Summary comparison of accounting assets vs leverage ratio exposure measure 31.03.2021 |
| 18. | Table DF - 18 | Leverage ratio common disclosure template |
| 19 | | Liquidity Coverage Ratio. |

# वित्तीय विवरण

# Financial Statement

#JustOneApp

## पंजाब नैशनल बैंक का 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र
## PUNJAB NATIONAL BANK - STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2021

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है)(₹000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | अनुसूची<br>Schedule | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| **पूँजी और देयताएं**<br>**CAPITAL & LIABILITIES** | | | |
| पूँजी<br>**Capital** | 1 | 20955364 | 13475132 |
| आरक्षित निधियाँ और अधिशेष<br>Reserves & Surplus | 2 | 888417727 | 610099730 |
| जमाराशियाँ<br>Deposits | 3 | 11063324728 | 7038463206 |
| उधार<br>Borrowings | 4 | 428403107 | 502254292 |
| अन्य देयताएं और प्रावधान<br>Other Liabilities and Provisions | 5 | 205225232 | 142366757 |
| **जोड़ TOTAL** | | **12606326158** | **8306659117** |
| **आस्तियाँ**<br>**ASSETS** | | | |
| नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा शेष<br>Cash & Balances with Reserve Bank of India | 6 | 439588283 | 383978504 |
| बैंकों के पास जमा शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन<br>Balances with Banks & Money at call & short notice | 7 | 673908762 | 375951792 |
| निवेश<br>Investments | 8 | 3929832540 | 2404656414 |
| अग्रिम<br>Advances | 9 | 6742300802 | 4718277227 |
| अचल आस्तियाँ<br>Fixed Assets | 10 | 110208974 | 72390682 |
| अन्य आस्तियाँ<br>Other Assets | 11 | 710486797 | 351404498 |
| **जोड़ TOTAL** | | **12606326158** | **8306659117** |
| आकस्मिक देयताएं<br>Contingent Liabilities | 12 | 3832797814 | 2108007358 |
| उगाही बिल<br>Bills for Collection | | 404911613 | 280499136 |
| **प्रमुख लेखांकन नीतियां**<br>**Significant Accounting Policies** | 17 | | |
| **लेखा टिप्पणियाँ**<br>**Notes on Accounts** | 18 | | |

1 से 18 तक की अनुसूचियाँ लेखों का अभिन्न अंग हैं।
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

| पी के वार्ष्णेय<br>**P K VARSHNEY**<br>सहायक महाप्रबंधक<br>**ASSISTANT GENERAL MANAGER** | आर के खीची<br>**R K KHICHI**<br>उप महाप्रबंधक<br>**DEPUTY GENERAL MANAGER** | प्रवीण कुमार शर्मा<br>**PRAVEEN KUMAR SHARMA**<br>महाप्रबंधक<br>**GENERAL MANAGER** |
|---|---|---|

डी के जैन
**D K JAIN**
मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ
**CHIEF GENERAL MANAGER & CFO**

स्वरूप कुमार साहा
SWARUP KUMAR SAHA
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

विजय दुबे
VIJAY DUBE
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

संजय कुमार
SANJAY KUMAR
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव
CH. S.S. MALLIKARJUNA RAO
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
MANAGING DIRECTOR & CEO

पंकज जैन
PANKAJ JAIN
निदेशक
DIRECTOR

विवेक अग्रवाल
VIVEK AGGARWAL
निदेशक
DIRECTOR

डॉ. आशा भंडारकर
Dr. ASHA BHANDARKER
निदेशक
DIRECTOR

गौतम गुहा
GAUTAM GUHA
निदेशक
DIRECTOR

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
**As per our report of even date**

कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
For S N Dhawan & Co. LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 000050एन/एन500045
FRN: 000050N/N500045

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
CA Surinder Kr. Khattar
भागीदार
Partner
( सदस्य सं. 084993 )
(M.No. 084993)
स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi

कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी
For M K Aggarwal & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 001411एन
FRN: 001411N

सनदी लेखाकार अतुल अग्रवाल
CA Atul Aggarwal
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 099374 )
(M.No. 099374)
स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi

कृते ए जॉन मोरिस एंड कम्पनी
For A John Moris & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 007220एस
FRN:007220S

सनदी लेखाकार जी कुमार
CA G Kumar
भागीदार
Partner
( सदस्य सं. 023082 )
(M.No. 023082)
स्थान : चेन्नई
Place: Chennai

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
For S R Goyal & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 001537सी
FRN: 001537C

सनदी लेखाकार अजय अटोलिया
CA Ajay Atolia
भागीदार
Partner
( सदस्य सं. 077201 )
(M.No. 077201)
स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi

कृते पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स
For PSMG & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 008567सी
FRN: 008567C

सनदी लेखाकार संदीप जैन
CA Sandeep Jain
भागीदार
Partner
( सदस्य सं. 077281 )
(M.No. 077281)
स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi

दिनांक : 04/06/2021
Date : 04/06/2021
स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi

## पंजाब नैशनल बैंक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का एकल लाभ व हानि लेखा
## PUNJAB NATIONAL BANK - STANDALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2021

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है)(₹000 omitted)

| | विवरण<br>Particulars | अनुसूची<br>Schedule | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2021 | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| I. | **आय**<br>**INCOME** | | | |
| | अर्जित आय<br>Interest earned | 13 | 807497666 | 538000337 |
| | अन्य आय<br>Other Income | 14 | 128118530 | 92741277 |
| | **जोड़ TOTAL** | | **935616196** | **630741614** |
| II. | **व्यय**<br>**EXPENDITURE** | | | |
| | खर्च किया गया ब्याज<br>Interest expended | 15 | 502727913 | 363622425 |
| | परिचालन खर्च<br>Operating expenses | 16 | 203087475 | 119733704 |
| | प्रावधान और आकस्मिक व्यय<br>Provisions and Contingencies | | 209584621 | 144023541 |
| | **जोड़ TOTAL** | | **915400009** | **627379670** |
| III. | **लाभ**<br>**PROFIT** | | | |
| | **वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)**<br>**Net Profit/(Loss) for the year** | | **20216187** | **3361944** |
| | जोड़: लाभ और हानि खाते में शेष निवल<br>Add: Balance in Profit & Loss A/c | | 0 | 0 |
| | विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ<br>Profit available for Appropriation | | **20216187** | **3361944** |
| IV. | **विनियोजन**<br>**APPROPRIATIONS** | | | |
| | **निम्नलिखित को अंतरण:**<br>**Transfer to:** | | | |
| | सांविधिक आरक्षित निधियाँ<br>Statutory Reserves | | 5054047 | 840485 |
| | पूँजी आरक्षित निधियाँ<br>Capital Reserves | | 10361243 | 2036260 |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है)(₹000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | अनुसूची<br>Schedule | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2021 | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ<br>Revenue & Other Reserves | | 0 | 0 |
| निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि<br>Investment Fluctuation Reserve | | 4800897 | 485199 |
| लाभ और हानि खाते में शेष<br>Balance in Profit & Loss Account | | 0 | 0 |
| जोड़ TOTAL | | **20216187** | **3361944** |
| **प्रति शेयर अर्जन रुपयों में ( मूल/ह्रासित )<br>नोमिनल वैल्यू ₹ 2 प्रति शेयर<br>Earning per Share (Rs) (Basic/Diluted)<br>(Nominal Value Rs.2 per share)** | | **2.08** | **0.62** |
| **प्रमुख लेखाकंन नीतियाँ<br>Significant Accounting Policies** | 17 | | |
| **खातों पर टिप्पणियाँ<br>Notes on Accounts** | 18 | | |

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां खातों का एक अभिन्न अंग हैं
Schedules mentioned above form an integral part of the accounts

**पी के वार्ष्णेय**
**P K VARSHNEY**
**सहायक महाप्रबंधक**
**ASSISTANT GENERAL MANAGER**

**आर के खीची**
**R K KHICHI**
**उप महाप्रबंधक**
**DEPUTY GENERAL MANAGER**

**प्रवीण कुमार शर्मा**
**PRAVEEN KUMAR SHARMA**
**महाप्रबंधक**
**GENERAL MANAGER**

**डी के जैन**
**D K JAIN**
**मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ**
**CHIEF GENERAL MANAGER & CFO**

**स्वरूप कुमार साहा**
**SWARUP KUMAR SAHA**
**कार्यपालक निदेशक**
**EXECUTIVE DIRECTOR**

**विजय दुबे**
**VIJAY DUBE**
**कार्यपालक निदेशक**
**EXECUTIVE DIRECTOR**

**संजय कुमार**
**SANJAY KUMAR**
**कार्यपालक निदेशक**
**EXECUTIVE DIRECTOR**

**सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव**
**CH. S.S. MALLIKARJUNA RAO**
**प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**
**MANAGING DIRECTOR & CEO**

**पंकज जैन**
**PANKAJ JAIN**
**निदेशक**
**DIRECTOR**

**विवेक अग्रवाल**
**VIVEK AGGARWAL**
**निदेशक**
**DIRECTOR**

**डॉ. आशा भंडारकर**
**Dr. ASHA BHANDARKER**
**निदेशक**
**DIRECTOR**

**गौतम गुहा**
**GAUTAM GUHA**
**निदेशक**
**DIRECTOR**

<u>समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार</u>

**<u>As per our report of even date</u>**

कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
**For S N Dhawan & Co. LLP**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन 000050एन/एन500045
**FRN: 000050N/N500045**

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
**CA Surinder Kr. Khattar**
भागीदार
**Partner**
( सदस्य सं. 084993 )
**(M.No. 084993)**
स्थान : नई दिल्ली
**Place: New Delhi**

कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी
**For M K Aggarwal & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन 001411एन
**FRN: 001411N**

सनदी लेखाकार अतुल अग्रवाल
**CA Atul Aggarwal**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं. 099374 )
**(M.No. 099374)**
स्थान : नई दिल्ली
**Place: New Delhi**

कृते ए जॉन मोरिस एंड कम्पनी
**For A John Moris & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन 007220एस
**FRN:007220S**

सनदी लेखाकार जी कुमार
**CA G Kumar**
भागीदार
**Partner**
( सदस्य सं. 023082 )
**(M.No. 023082)**
स्थान : चेन्नई
**Place: Chennai**

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
**For S R Goyal & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन 001537सी
**FRN: 001537C**

सनदी लेखाकार अजय अटोलिया
**CA Ajay Atolia**
भागीदार
**Partner**
( सदस्य सं. 077201 )
**(M.No. 077201)**
स्थान : नई दिल्ली
**Place: New Delhi**

कृते पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स
**For PSMG & Associates**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन 008567सी
**FRN: 008567C**

सनदी लेखाकार संदीप जैन
**CA Sandeep JAIN**
भागीदार
**Partner**
( सदस्य सं. 077281 )
**(M.No. 077281)**
स्थान : नई दिल्ली
**Place: New Delhi**

दिनांक : 04/06/2021
**Date : 04/06/2021**
स्थान : नई दिल्ली
**Place : New Delhi**

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची-1 पूँजी<br>SCHEDULE 1 - CAPITAL** | | | | |
| **प्राधिकृत पूँजी<br>Authorised** | | | | |
| प्रत्येक रु.2/- के 15,00,00,00,000 इक्विटी शेयर<br>1500,00,00,000 Equity Shares of Rs. 2 each | 30000000 | | | 30000000 |
| **जारी तथा अभिदत्त<br>Issued & Subscribed** | | | | |
| प्रत्येक रु.2/- के 1047,76,82,225 (पिछले वर्ष 673,75,65,988)<br>1047,76,82,225 (Previous year 673,75,65,988)<br>Equity Shares of Rs. 2 each | 20955364 | | | 13475132 |
| **प्रदत्त<br>Paid Up** | | | | |
| प्रत्येक रु. 2/- के 1047,76,82,225 (पिछले वर्ष 673,75,65,988) इक्विटी शेयर<br>1047,76,82,225 (Previous year 673,75,65,988) Equity Shares of Rs.2 each | 20955364 | | | 13475132 |
| इनमें 2/- रु. प्रत्येक के केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित 805,41,25,685 इक्विटी शेयर शामिल है।<br>(includes equity shares of 805,41,25,685 of Rs. 2 each held by Central Government) | | | | |
| **कुल Total** | | **20955364** | | **13475132** |
| **अनुसूची-2 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष<br>SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS** | | | | |
| I. **सांविधिक आरक्षित निधियाँ<br>Statutory Reserves** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | 94727008 | | 95463772 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि*<br>Addition during the year* | 43091361 | | 0 | |
| जोड़ें : लाभ व हानि विनियोजन खाते से अंतरित<br>Add :Transfer from P&L Appropriation A/c | 5054047 | | 840486 | |
| वर्ष के दौरान कटौती<br>Deduction during the year | 0 | | 1577250 | |
| | | **142872416** | | **94727008** |
| II. **पूंजीगत आरक्षित निधियाँ<br>Capital Reserves** | | | | |
| क) a) **पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियाँ<br>Revaluation Reserve** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | 47586916 | | 35822289 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि*<br>Addition during the year* | 23840556 | | 12732750 | |
| वर्ष के दौरान कटौती<br>Deduction during the year | 3430 | | 230684 | |
| अन्य आरक्षित निधियो में अंतरित<br>Transfer from other Reserve | 1855821 | | 0 | |
| अन्य राजस्व में अंतरण<br>Transfer to Other Reserves | 1275744 | | 737439 | |
| (सम्पत्ति के पुनर्मूल्यन भाग पर मूल्यह्रास के कारण)<br>(being depreciation on revalued portion of property) | | **72004119** | | **47586916** |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| ख) b) **अन्य** **Others** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | 32177240 | | 29634188 | |
| जोड़ें : लाभ-हानि विनियोजन खाते से अंतरित<br>Add :Transfer from P&L Appropriation A/c | 10361243 | | 2036260 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि*<br>Addition during the year* | 116206327 | | 506792 | |
| (रुपये 9268.29 करोड़ के समामेलन आरक्षित निधि सहित )<br>(including Amalgamation Reserve of Rs. 9268.29 Crore) | | | | |
| | | **158744810** | | **32177240** |
| III. **शेयर प्रीमियम** **Share Premium** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | 511885794 | | 355242832 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि*<br>Addition during the year* | 218451415 | | 156642962 | |
| घटाएं: संचित हानियों का विनियोग<br>Less: Appropriation of Accumulated Losses | 287079182 | | 0 | |
| | | **443258027** | | **511885794** |
| IV. **राजस्व तथा अन्य प्रारक्षित निधियां** **Revenue and other Reserves** | | | | |
| क) a) **निवेश प्रारक्षित निधि** **Investment Reserve** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | 3705193 | | 3705193 | |
| जोड़े : लाभ व हानि विनियोजन खाते से अंतरित<br>Add :Transfer from P&L Appropriation A/c | 0 | | 0 | |
| घटाएं : लाभ व हानि विनियोजन खाते को अंतरित<br>Less: Transfer to P&L Appropriation A/c | 0 | | 0 | |
| | | **3705193** | | **3705193** |
| ख) b) **निवेश में घट-बढ़ आरक्षित निधि** **Investment Fluctuation Reserve** | | | | |
| प्राम्भिक शेष<br>Opening Balance | 485199 | | 0 | |
| जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the period* | 101972 | | 0 | |
| जोड़ें : लाभ व हानि विनियोजन खाते से अंतरित<br>Add :Transfer from P&L Appropriation A/c | 4800897 | | 485199 | |
| घटाएं : लाभ व हानि विनियोजन खाते को अंतरित<br>Less: Transfer to P&L Appropriation A/c | 0 | | 0 | |
| | | **5388068** | | **485199** |
| ग) c) **विनिमय घट-बढ़ आरक्षित निधि** **Exchange Fluctuation Reserve** | | | | |
| प्राम्भिक शेष<br>Opening Balance | 4168803 | | 3431300 | |
| जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Add :Addition during the year | 0 | | 813353 | |
| घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती (शुद्ध)<br>Less: Deduction during the year (Net) | 246784 | | 75850 | |
| | | **3922019** | | **4168803** |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| घ) **आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अन्तर्गत विशेष प्रारक्षित निधि**<br>d) **Special Reserve under Sec.36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961** | | | | |
| प्राम्भिक शेष<br>Opening Balance | 14636600 | | 14636600 | |
| अन्य प्रारक्षित निधियों से अंतरित<br>Transferred from Other Reserves | 0 | | 0 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the year* | 18050000 | | 0 | |
| | | **32686600** | | **14636600** |
| ड) **अन्य आरक्षित निधि**<br>e) **Other Reserve** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | 0 | | 0 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि*<br>Addition during the year* | 36547552 | | 6925312 | |
| घटाएं : वर्ष के दौरान आहरण<br>Less: Withdrawal during the year | 10131000 | | 7662751 | |
| जोड़ें : पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों से अंतरित<br>Add: Transfer from Revaluation Reserves | 1275744 | | 737439 | |
| घटाएं : पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में अंतरण<br>Less: Transfer to Revaluation Reserve | 1855821 | | 0 | |
| घटाएं : ब्लॉक खातों के लिए भुगतान<br>Less: Payment for blocked accounts | 0 | | 0 | |
| | | **25836475** | | **0** |
| V. **लाभ-हानि खाते में शेष**<br>**Balance in Profit & Loss Account** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | -99273023 | | -99273023 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि*<br>Addition during the year* | -187806159 | | 0 | |
| घटाएं : शेयर प्रीमियम से विनियोग<br>Less: Appropriation from Share Premium | 287079182 | **0** | 0 | **-99273023** |
| **I, II, III, IV and V का जोड़**<br>**Total of I, II, III, IV and V** | | **888417727** | | **610099730** |

*रिजर्व में जोड़/कटौती में समामेलन की तिथि के अनुसार अंतरिती बैंकों की शेष राशि शामिल है।
*Addition/deduction in Reserves includes balances of transferee banks as at date of amalgamation.

## अनुसूची 3-जमाराशियाँ
## SCHEDULE 3 - DEPOSITS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I. **माँग जमा राशियाँ**<br>**Demand Deposits** | | | | |
| (i) बैंकों से<br>From Banks | 23054098 | | 18431176 | |
| (ii) अन्य से<br>From Others | 732408393 | | 438713302 | |
| | | **755462491** | | **457144478** |
| II. **बचत बैंक जमा राशियाँ**<br>**Savings Bank Deposits** | | **4172367720** | | **2567601188** |
| III. **मीयादी जमा राशिया**<br>**Term Deposits** | | | | |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| क. A. | (i) | बैंकों से<br>From Banks | 291604434 | | 288390024 | |
| | (ii) | अन्य से<br>From Others | 5843890083 | | 3725327516 | |
| | | | | **6135494517** | | **4013717540** |
| | | **I, II व III का जोड़ Total I, II & III** | | **11063324728** | | **7038463206** |
| ख. B. | (i) | भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां<br>Deposits of branches in India | | 10833350640 | | 6864930077 |
| | (ii) | भारत से बाहर स्थिति शाखाओं की जमा राशियाँ<br>Deposits of branches outside India | | 229974088 | | 173533129 |
| | | **ख I व II का जोड Total B (i) & (ii)** | | **11063324728** | | **7038463206** |

## अनुसूची 4- उधार राशियाँ
## SCHEDULE 4 - BORROWINGS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | | **भारत में उधार राशियाँ**<br>**Borrowings in India** | | | | |
| | (i) | भारतीय रिजर्व बैंक से<br>Reserve Bank of India | | 0 | | 188250000 |
| | (ii) | अन्य बैंकों से<br>Other Banks | | 41588257 | | 58498524 |
| | (iii) | अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से<br>Other Institutions and Agencies | | 74503456 | | 30060934 |
| | (iv) | **गैर-जमानती मोचनीय बॉण्ड**<br>**Unsecured Redeemable Bonds** | | | | |
| | क) | टीयर-I बाण्ड (बेमियादी ऋण लिखत)<br>Tier-I Bonds (Perpetual Debt Instruments) | 60450000 | | 52500000 | |
| | ख) | अपर टीयर- II बाण्ड<br>Upper Tier-II Bonds | 0 | | 5000000 | |
| | ग) | टीयर- II पूँजी के लिए अधीनस्थ ऋण<br>Subordinate debts for Tier II Capital | 161140000 | | 65000000 | |
| | घ) | दीर्घावधि इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड<br>Long term infrastructure bonds | 28000000 | 249590000 | 28000000 | 150500000 |
| II. | | **भारत से बाहर उधार राशियाँ**<br>**Borrowings outside India** | | **62721394** | | **74944834** |
| | | **I व II का जोड़ Total of I, II** | | **428403107** | | **502254292** |
| | | **उपर्युक्त I एवं II में शामिल प्रतिभूत उधार**<br>**Secured Borrowings included in I & II above** | | 48679368 | | 188250000 |

## अनुसूची 5- अन्य देयताएं और प्रावधान
## SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | देय बिल<br>Bills Payable | 32084096 | 18119064 |
| II. | अंत: कार्यालय समायोजन (शुद्ध)<br>Inter-Office adjustments(net) | 4303779 | 15441 |
| III. | उपचित ब्याज<br>Interest accrued | 26425325 | 15534796 |
| IV. | आस्थगित कर देयता (शुद्ध)<br>Deferred Tax Liability (Net) | 0 | 0 |
| V. | अन्य (प्रावधानों सहित)<br>Others (including Provisions) | 142412032 | 108697456 |
| | **I, II, III, IV, V का जोड़ Total of I, II, III, IV, V** | **205225232** | **142366757** |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|

## अनुसूची 6- नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष
## SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

| | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| **I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा करेंसी नोटों सहित)<br>Cash in hand (including foreign currency notes)** | 34780165 | 27461724 |
| **II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष<br>Balance with Reserve Bank of India** | | |
| चालू खाते में<br>In Current Account | 404808118 | 356516780 |
| अन्य खातों में<br>In other Account | 0 | 0 |
| **I, II का जोड़ Total of I, II** | **439588283** | **383978504** |

## अनुसूची 7- बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
## SCHEDULE 7- BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

| | 31.03.2021 | | 31.03.2020 | |
|---|---|---|---|---|
| I. भारत में<br>In India | | | | |
| (i) बैंकों के पास जमा शेष<br>Balances with Banks | | | | |
| क) चालू खातों में<br>a) In Current Accounts | 7355186 | | 1761661 | |
| ख) अन्य जमा खातों में<br>b) In Other Deposit Accounts | 70858849 | | 81136778 | |
| | | **78214035** | | **82898439** |
| (ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि<br>Money at Call and Short Notice | | | | |
| क) बैंकों के पास<br>a) with Banks | 0 | | 0 | |
| ख) अन्य संस्थाओं के पास<br>b) with Other Institutions | 275000000 | | 200000000 | |
| | | **275000000** | | **200000000** |
| **कुल Total** | | **353214035** | | **282898439** |
| II. भारत से बाहर<br>Outside India | | | | |
| (i) बैंकों के पास जमा शेष<br>Balances with Banks | | | | |
| क) चालू खातों में<br>a) In Current Accounts | 72042153 | | 17151419 | |
| ख) अन्य जमा खातों में<br>b) In Other Deposit Accounts | 248652574 | | 75901934 | |
| | | 320694727 | | 93053353 |
| (ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि<br>Money at Call & Short Notice | | 0 | | 0 |
| **कुल Total** | | **320694727** | | **93053353** |
| **I और II का समग्र जोड़ Grand Total of I, II** | | **673908762** | | **375951792** |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची 8 - निवेश<br>SCHEDULE 8 - INVESTMENTS** | | | |
| I. | **भारत में निवेश : सकल<br>Investments in India : Gross** | 3947222162 | 2365054225 |
| | घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान<br>Less: Provision for Depreciation | 68314265 | 32794688 |
| | भारत में शुद्ध निवेश<br>Net Investment in India | **3878907897** | **2332259537** |
| (i) | सरकारी प्रतिभूतियां<br>Government Securities | 3437719753 | 2035593755 |
| (ii) | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां<br>Other Approved Securities | 1500 | 842231 |
| (iii) | शेयर<br>Shares | 41323329 | 29216181 |
| (iv) | डिबेंचर और बाण्ड<br>Debentures and Bonds | 343184615 | 208122135 |
| (v) | सहायक और/या संयुक्त उद्यम (प्रायोजित संस्थानों सहित)<br>Subsidiaries and/or joint ventures<br>(including sponsored institutions ) | 16002802 | 6320487 |
| (vi) | अन्य<br>Others | 40675898 | 52164748 |
| | (विभिन्न म्यूचुअल फंड व वाणिज्यिक पत्र आदि में)<br>Various Mutual Funds & Commercial Papers etc. | | |
| | **I का जोड़ TOTAL of I** | **3878907897** | **2332259537** |
| II. | **भारत से बाहर निवेश : सकल<br>Investments Outside India : Gross** | 54524907 | 72487675 |
| | घटाएँ : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान<br>Less: Provision for depreciation | 3600264 | 90798 |
| | भारत से बाहर शुद्ध निवेश<br>Net Investments outside India | **50924643** | **72396877** |
| (i) | स्थानीय प्राधिकरणों सहित सरकारी प्रतिभूतियां<br>Govt. securities including local authorities | 12418643 | 18136138 |
| (ii) | विदेश में सहायक और/अथवा संयुक्त उद्यम<br>Subsidiary and / or Joint ventures abroad | 20772800 | 24188677 |
| (iii) | अन्य<br>Others | 17733200 | 30072062 |
| | **II का जोड़ TOTAL of II** | **50924643** | **72396877** |
| | **I व II का समग्र जोड़ GRAND TOTAL of I, II** | **3929832540** | **2404656414** |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची 9- अग्रिम<br>SCHEDULE 9 - ADVANCES** | | | |
| क<br>A | (i) खरीदे और भुनाये गये बिल<br>Bills purchased and discounted | 6009528 | 4460651 |
| | (ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और माँग पर देय ऋण<br>Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand | 4102805755 | 3115806803 |
| | (iii) मीयादी ऋण<br>Term Loans | 2633485519 | 1598009773 |
| | **जोड़ Total** | **6742300802** | **4718277227** |
| ख<br>B | (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत<br>(इसमें बही ऋणों पर दिए गए अग्रिम शामिल हैं)<br>Secured by tangible assets<br>(Includes advances against Book Debts) | 5246084802 | 3636652675 |
| | (ii) बैंक/सरकार की गारंटियों द्वारा प्रतिभूत<br>Covered by Bank/Government guarantees | 157798152 | 35769607 |
| | (iii) अप्रतिभूत<br>Unsecured | 1338417848 | 1045854945 |
| | **जोड़ Total** | **6742300802** | **4718277227** |
| ग (I)<br>C (I) | **भारत में अग्रिम<br>Advances in India** | | |
| | (i) प्राथमिकता क्षेत्र<br>Priority Sector | 2434427997 | 1539924301 |
| | (ii) सार्वजनिक क्षेत्र<br>Public Sector | 1459717623 | 899300129 |
| | (iii) बैंक<br>Banks | 494 | 45927 |
| | (iv) अन्य<br>Others | 2658628871 | 2085795144 |
| | **जोड़ Total** | **6552774985** | **4525065501** |
| ग (II)<br>C (II) | **भारत से बाहर अग्रिम<br>Advances outside India** | | |
| | (i) बैंको से प्राप्त<br>Due from Banks | 85729498 | 66894807 |
| | (ii) **अन्य से प्राप्य<br>Due from Others** | | |
| | (क) खरीदे और भुनाये गये बिल<br>Bills Purchased & Discounted | 201205 | 13116 |
| | (ख) सामूहिक ऋण<br>Syndicated Loans | 42865484 | 18272238 |
| | (ग) अन्य<br>Others | 60729630 | 108031565 |
| | **जोड़ Total** | **189525817** | **193211726** |
| | **I, II समग्र जोड़ GRAND TOTAL ( Total of I & II )** | **6742300802** | **4718277227** |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 10- अचल आस्तियाँ<br>SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS** | | | | |
| **क<br>A** | **मूर्त आस्तियाँ<br>TANGIBLE ASSETS** | | | |
| **I.** | **परिसर<br>Premises** | | | |
| | पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत/मूल्यांकन पर<br>At cost / valuation as on 31st March of the preceding year | 67964794 | | 55338806 | |
| | जोड़े: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन<br>Add: Revaluation during the year | 1336662 | | 12732750 | |
| | अवधि के दौरान जोड़*<br>Addition during the period* | 37550100 | | 0 | |
| | | **106851556** | | **68071556** | |
| | वर्ष के दौरान कटौती<br>Deduction during the year | 223891 | | 106762 | |
| | | **106627665** | | **67964794** | |
| | अब तक मूल्यहास (पुनर्मूल्याकित राशि सहित)<br>Depreciation to date (Including on revalued amount ) | 16238110 | | 7710517 | |
| | | | **90389555** | | **60254277** |
| **II.** | **अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्स्चर सहित)<br>Other Fixed Assets (Including Furniture & Fixtures)** | | | | |
| | पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर<br>At cost as on 31st March of the preceding year | 48612467 | | 47552951 | |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि*<br>Addition during the period* | 62350805 | | 4018135 | |
| | | **110963272** | | **51571086** | |
| | वर्ष के दौरान कटौती<br>Deduction during the period | 0 | | 2958619 | |
| | | **110963272** | | **48612467** | |
| | अब तक मूल्याहास<br>Depreciation to date | 94304121 | | 37783419 | |
| | | | **16659151** | | **10829048** |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| III **पट्टेवाली आस्तियाँ**<br>**Leased Assets** | | | | |
| पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर<br>At cost as on 31st March of the preceding year | 252386 | | 252386 | |
| | 252386 | | 252386 | |
| वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन<br>Addition/adjustment during the year | 0 | | 0 | |
| वर्ष के दौरान कटौती<br>Deduction during the year | 0 | | 0 | |
| | **252386** | | **252386** | |
| अब तक परिशोधन/पट्टे का समायोजन<br>Amortisation / lease adjustment to date | 252386 | | 252386 | |
| | | **0** | | **0** |
| **I, II, III का जोड़ Total of I, II, III** | | **107048706** | | **71083325** |
| ख **अमूर्त आस्तियाँ**<br>B **INTANGIBLE ASSETS** | | | | |
| **कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर**<br>**Computer Software** | | | | |
| पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर<br>At cost as on 31st March of the preceding year | 6218875 | | 5726045 | |
| वर्ष के दौरान जोड़*<br>Addition during the period* | 6365115 | | 492830 | |
| | **12583990** | | **6218875** | |
| वर्ष के दौरान कटौती<br>Deduction during the year | 0 | | 0 | |
| | **12583990** | | **6218875** | |
| आज तक परिशोधित<br>Amortised to date | 9423722 | | 4911518 | |
| **जोड़ Total** | | **3160268** | | **1307357** |
| **समग्र जोड़ (क + ख)**<br>**GRAND TOTAL (A+B)** | | **110208974** | | **72390682** |

*जोड़ में समामेलन की तिथि के अनुसार अंतरिती बैंकों के शेष शामिल हैं
*Addition includes balances of transferee banks as at date of amalgamation.

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 11-अन्य आस्तियाँ<br>SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS** | | |
| I. उपचित ब्याज<br>Interest accrued | 79447838 | 51072317 |
| II. अग्रिम अदा किया गाया कर/स्रोत पर काटा गया कर<br>Tax paid in advance / tax deducted at source | 97917830 | 34414930 |
| III. लेखन-सामग्री और स्टाम्प<br>Stationery and stamps | 101897 | 91164 |
| IV. दावों के निपटान में प्राप्त गैर-बैंकिग आस्तियां<br>Non-banking assets acquired in satisfaction of claims | 502137 | 540838 |
| V. आस्थगित कर आस्तियाँ (शुद्ध)<br>Deferred tax asset (net) | 270542011 | 199618999 |
| VI. अन्य<br>Others | 261975084 | 65666250 |
| **I, II, III, IV, V, VI का जोड़<br>Total of I, II, III, IV, V, VI** | **710486797** | **351404498** |
| **अनुसूची 12-आकस्मिक देयताएं<br>SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES** | | |
| I (i) बैंक के खिलाफ ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है।<br>Claims against the Bank not acknowledged as debts | 5885772 | 3008084 |
| (ii) अपीलों, सदंर्भो आदि के अधीन विवादित आय कर व ब्याज कर माँगें<br>Disputed income tax and interest tax demands under appeals, references etc. | 98358217 | 11315017 |
| II. आंशिक रुप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं<br>Liability for partly paid investments | 3779855 | 4284715 |
| III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं<br>Liability on account of outstanding forward exchange contracts | 3014003611 | 1541462882 |
| IV. ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ<br>Guarantees given on behalf of constituents: | | |
| (क) भारत में<br>(a) In India | 511837898 | 379131369 |
| (ख) भारत से बाहर<br>(b) Outside India | 20857627 | 13985642 |
| V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व<br>Acceptances, endorsements and other obligations | 132879653 | 131314538 |
| VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से ज़िम्मेदार है<br>Other items for which the Bank is contingently liable | 45195181 | 23505111 |
| **I, II, III, IV, V, VI का जोड़ Total of I, II, III, IV, V, VI** | **3832797814** | **2108007358** |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹000 omitted)

| | विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **अनुसूची 13-अर्जित ब्याज<br>SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED** | | | | |
| I. | अग्रिमों/बिलों का ब्याज/बट्टा<br>Interest/discount on advances/bills | | 533511990 | | 358149621 |
| II. | निवेशों से आय<br>Income on Investments | | 245658228 | | 153326015 |
| III. | भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा शेष और अन्य अंत: बैंक निधियों पर ब्याज<br>Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds | | 18986207 | | 25102217 |
| IV. | अन्य<br>Others | | 9341241 | | 1422484 |
| | **I, II, III, IV का जोड़<br>Total of I, II, III, IV** | | **807497666** | | **538000337** |
| | **अनुसूची 14- अन्य आय<br>SCHEDULE 14 - OTHER INCOME** | | | | |
| I. | कमीशन, विनिमय और दलाली<br>Commission, Exchange and Brokerage | | 38405385 | | 28170031 |
| II. | निवेशों की बिक्री से लाभ<br>Profit on sale of Investments | 45039025 | | 17282013 | |
| | घटाएं: निवेशों की बिक्री से हानि<br>Less: Loss on sale of Investments | 1539940 | | 965685 | |
| | | | 43499085 | | 16316328 |
| III. | म्यूचुअल फंड की इकाइयों से लाभांश आय/इकाइयों के मोचन पर आय<br>Dividend Income from Units of Mutual Fund/ Income on redemption of Units | | 0 | | 0 |
| IV. | निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर से लाभ<br>Profit on revaluation of Investments | 0 | | 0 | |
| | घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन/परिशोधन पर हानि<br>Less: Loss on revaluation of Investments/ Amortization | 0 | | 0 | |
| | | | 0 | | 0 |
| V | भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ<br>Profit on sale of land, buildings and other assets | 50237 | | 439449 | |
| | घटाए: भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि<br>Less: Loss on sale of land, buildings and other assets | 177776 | | 22776 | |
| | | | -127539 | | 416673 |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| VI. विनिमय लेनदेन पर लाभ<br>Profit on exchange transactions | 10600454 | | 6716414 | |
| घटाए: विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन पर हानि<br>Less: Loss on exchange transactions | 5745191 | | 2323056 | |
| | | 4855263 | | 4393358 |
| VII. भारत और विदेशों में सहायक कंपनियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय<br>Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries / companies and / or joint ventures in India & abroad | | 2083624 | | 1541119 |
| VIII विविध आय<br>Miscellaneous Income | | 39402712 | | 41903768 |
| **I, II, III, IV, V, VI तथा VII का जोड़**<br>**Total of I, II, III, IV, V, VI & VII** | | **128118530** | | **92741277** |

## अनुसूची 15- खर्च किया गाया ब्याज
## SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| I. | जमाराशियों पर ब्याज<br>Interest on Deposits | 471500430 | 343748037 |
| II. | भारतीय रिज़र्व बैंक के/अंत: बैंक उधारों पर ब्याज<br>Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings | 8817513 | 6539538 |
| III. | अन्य<br>Others | 22409970 | 13334850 |
| | **I, II, III का जोड़**<br>**Total of I, II, III** | **502727913** | **363622425** |

## अनुसूची 16- परिचालन व्यय
## SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| I. | कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान<br>Payments to and Provisions for employees | 121757358 | 69616787 |
| II. | किराया, कर और बिजली<br>Rent, Taxes and Lighting | 12948888 | 8009799 |
| III. | मुद्रण एवं लेखन सामग्री<br>Printing and Stationery | 1278025 | 892030 |
| IV. | विज्ञापन और प्रचार<br>Advertisement and Publicity | 557910 | 784076 |
| V. | बैंक की संपत्ति पर मूल्याह्रास/परिशोधन<br>Depreciation/Amortisation on Bank's property | 9749180 | 6076793 |
| VI. | निवेशकों की फीस, भत्ते और खर्च<br>Directors' fees, allowances and expenses | 7771 | 19208 |
| VII. | लेखा-परीक्षकों की फीस और खर्च<br>Auditors' fees and expenses | 835398 | 707656 |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| VIII. | विधि प्रभार<br>Law Charges | 745466 | 1017080 |
| IX. | डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि<br>Postage, Telegrams, Telephones, etc. | 2898285 | 2002366 |
| X. | मरम्मत और रख-रखाव<br>Repairs and Maintenance | 4832596 | 3234956 |
| XI. | बीमा<br>Insurance | 14708737 | 7621231 |
| XII. | अन्य व्यय<br>Other expenditure | 32767861 | 19751722 |
| | **I से XII का जोड़**<br>**Total of I to XII** | **203087475** | **119733704** |

## पंजाब नैशनल बैंक
## अनुसूची-17 (एकल) - 31.03.2021
## महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. **लेखे तैयार करने का आधारः**

वित्तीय विवरणियां परम्परागत लागत के आधार पर तैयार की गई हैं तथा समस्त महत्वपूर्ण दृष्टियो से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न हो जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विनियामक मानदण्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र तथा दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानदण्ड (एएस) तथा ज्ञापन व भारत में बैंकिंग उद्योग में मौजूदा प्रथाएं भी शामिल हैं।

विदेशी कार्यालयों के सम्बन्ध में, संबंधित देशों में लागू सांविधिक प्रावधानों और प्रथाओं का पालन किया गया है, अन्यत्र विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त।

वित्तीय विवरणियों को उपचय अवधारणा के साथ कार्यशील संस्था आधार पर तैयार किया गया है तथा लेखांकन नीतियां एवं निरंतर अपनाई गई प्रथाओं के अनुरूप है, जब तक अन्यथा उल्लेखित न हों।

2. **अनुमानों का उपयोग**

वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणियों की तिथि तक रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए आय और व्यय में विचारार्थ अनुमान तथा धारणाएं बनाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेक सम्मत और तर्कसंगत हैं।

इन अनुमानों से भविष्य के परिणाम अलग हो सकते हैं।

वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में पहचाना गया है जिसमें परिणाम ज्ञात/कार्यांवित हुए हैं।

वर्तमान एवं भावी अवधि में लेखांकन अनुमानों में किसी प्रकार का संशोधन भविष्यलक्षी प्रभाव से माना जाता है जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न हो।

3. **राजस्व मान्यता**

3.1 आय/व्यय (पैरा 3.5 में संदर्भित मदों से भिन्न) को सामान्यतः उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

3.2 अग्रिमों और निवेशों को मिलाकर अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की आय की वसूली होने पर माना जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित देशों के विनियम (जिसे इसके पश्चात् समेकित रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार है।

3.3 प्राथमिकता के क्रम में वसूली के विनियोग का तरीका निम्नानुसार होगाः

क) एनपीए खातों की वसूलियां (वसूली कार्रवाई के विधि/स्थिति/चरण पर विचार किये बिना) नीचे उल्लिखित मदों (ख) एवं

## PUNJAB NATIONAL BANK
## SCHEDULE 17: (STANDALONE) 31.03.2021
## SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. **BASIS OF PREPARATION:**

The financial statements have been prepared on historical cost basis and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India unless otherwise stated encompassing applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time, Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices in Banking industry in India.

In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with except as specified elsewhere.

The financial statements have been prepared on going concern basis with accrual concept and in accordance with the accounting policies and practices consistently followed unless otherwise stated.

2. **USE OF ESTIMATES:**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Future results could differ from these estimates.

Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3. **REVENUE RECOGNITION:**

3.1 Income & expenditure (other than items referred to in paragraph 3.5) are generally accounted for on accrual basis.

3.2 Income from Non- Performing Assets (NPAs), comprising of advances and investments, is recognized upon realization, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators in the case of foreign offices (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities).

3.3 Mode of appropriation of recovery in order of priority will be as below:

(a) Recoveries in NPA accounts (irrespective of the mode / status / stage of recovery actions) shall be appropriated in the following order of priority except

(ग) के तहत कवर किए गए मामलों को छोड़कर निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में विनियोजित की जाएगी :-

i. सरफेसी कार्रवाई के अधीन सहित वसूली हेतु किए गए व्यय/ फुटकर खर्च (पूर्व में ज्ञापन देयों में रिकार्ड किये गये)

ii. इसके बाद ब्याज अनियमितताओं/उपचित ब्याज के प्रति

iii. प्रमुख अनियमितताएं अर्थात् खाते में बकाया एनपीए

उपरोक्त में किसी प्रकार की विसंगतियों पर एचओसीएसी-III (एचओसीएसी -III तक की विभिन्न समितियों की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के लिए) और प्रबंधन समिति द्वारा अपनी निहित शक्तियों के तहत प्रस्तावों के लिए विचार किया जा सकता है।

**ख)** हालाँकि, एनसीएलटी के माध्यम से समझौता एवं समाधान/ निपटान के मामले में, वसूली संबंधित समझौता/समाधान निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित की जाएँगी।

**ग)** वाद दायर/डिक्री खातों के मामले में, वसूली निम्नानुसार विनियोजित की जाएगी:

- संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार।
- न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के अभाव में, जैसा कि ऊपर बिंदु (क) में बताया गया है।

3.4 एनपीए की बिक्री, को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा पैरा 5.3 के अंतर्गत प्रकटीकरण के अनुसार लेखांकित किया गया है।

3.5 कमीशन, (सरकारी कारोबार को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराए, व्यापार बैंकिंग लेनदेनों से प्राप्त आय और 'व्यापार' के रूप में नामित रूपया व्युत्पन्नी पर आय वसूली होने पर और बीमा दावों को निपटान पर लेखांकित किया जाता है। अतिदेय देशी बिलों पर ब्याज को वसूली होने पर हिसाब में लिया जाता है और अतिदेय विदेशी बिल पर ब्याज को इसका क्रिस्टलीकरण होने तक क्रिस्टलीकरण पर तथा उसके बाद वसूली होने पर ब्याज में लिया जाता है।

3.6 वाद दायर खातों के मामले में संबंधित कानूनी और अन्या खर्चे लाभ - हानि खाते में डाले जाते हैं और इसकी वसूली होने पर उनकी गणना तदनुसार की जाती है।

3.7 आयकर के रिफंड पर ब्याज से होने वाली आय को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

3.8 ऑपरेटिंग पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के ऊपर आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (लीज़ेस) के अनुसार लाभ-हानि खाते में लिया जाता है।

3.9 क्रेडिट कार्डों पर रिवार्ड प्वाइंट के लिए प्रावधान प्रत्येक श्रेणी में संचित बकाया प्वाइंटों पर आधारित है।

3.10 परिपक्व हो चुकी अप्रदत्त व अदावाकृत मीयादी जमा राशियों पर ब्याज बचत खाते की दर से लगाया जाता है।

3.11 लाभांश (अंतरिम लाभांश को छोड़कर) प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश की गणना की जाती है।

**4. निवेश**

4.1 प्रतिभूतियों में लेनदेन ''निपटान तिथि'' को दर्ज किया जाता है।

for the cases covered under below mentioned points (b) & (c):

i. Expenditure/Out of Pocket Expenses incurred for Recovery, including under SARFAESI Action (Recorded in Memorandum Dues);

ii. Thereafter towards the unrealised/accrued interest.

iii. Principal irregularities i.e. NPA outstanding in the account.

Any exceptions to the above may be considered by HOCAC-III (for proposals falling under the powers of various committee's upto HOCAC-III) & Management Committee for proposals under its vested powers.

**(b)** However, in case of Compromise and Resolution/ Settlement through NCLT, recovery shall be appropriated as per the terms of respective compromise/ resolution settlement.

**(c)** In case of suit filed/decreed accounts, recovery shall be appropriated as under:-

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as mentioned at point (a) above.

**3.4** The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI and as disclosed under Para 5.3.

**3.5** Commission (excluding on Government Business, Insurance Business and Mutual Fund Business), exchange, locker rent and Income on Rupee Derivatives designated as "Trading" are accounted for on realization and insurance claims are accounted for on settlement. Interest on overdue inland bills is being accounted for on realization and interest on overdue foreign bill, till its crystallization is accounted for on crystallization and thereafter on realization.

**3.6** In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted for as such.

**3.7** Income from interest on refund of income tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

**3.8** Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

**3.9** Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points in each category.

**3.10** Interest on unpaid and unclaimed matured term deposits is accounted for at savings bank rate.

**3.11** Dividend (excluding Interim Dividend) is accounted for as and when the right to receive the dividend is established.

**4. INVESTMENTS:**

**4.1** The transactions in Securities are recorded on "Settlement Date".

4.2 निवेशों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए में यथानिर्दिष्ट छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

4.3 नीचे दिए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निवेशों को ''परिपक्वता तक धारित'', ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' तथा ''व्यापार हेतु धारित'' श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखे जाने की मंशा से अर्जित प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में रखा गया है।

ख) बैंक द्वारा अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर उतार - चड़ाव का लाभ उठाते हुए व्यापार हेतु रखे जाने की मंशा से अर्जित प्रतिभूतियों को ''व्यापार हेतु धारित'' निवेशों में वर्गीकृत किया गया है।

ग) जो प्रतिभूतियां उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आतीं उन्हें ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' श्रेणी के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

4.4 अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.5 प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से निम्न मूल्य पर किया जाता है। यदि ऐसे अंतरण पर कोई मूल्यहास हो तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया गया है।

हालांकि प्रतिभूतियों का अंतरण एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के पश्चात् ये प्रतिभूतियां तुरंत पुनर्मूल्यांकित की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान किया जाता है।

निवेश को उसकी खरीददारी के समय ही एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और विभिन्नी श्रेणियों के बीच तत्संबंधी शिफ्टिंग विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाती है।

4.6 किसी निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने में:

(क) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में अदा की गई दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) इत्यादि को अपफ्रंट राजस्व व्ययों के रूप में माना गया है और इसे लागत से बाहर रखा गया है।

(ख) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण/बिक्री की तारीख तक अर्जित ब्याज अर्थात् खंडित अवधि के लिए ब्याज की अधिग्रहण लागत/बिक्री के प्रतिफल से बाहर रखा गया है और इसकी गणना उपचित ब्याज में की गई है न कि देय खाते में।

(ग) निवेशों की सभी श्रेण्यिों के लिए लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के आधार पर किया गया है।

4.7 भारतीय रिज़र्व बैंक/एफआईएमएमडीए के दिशा-निर्देशानुसार, निवेश का मूल्यन निम्नलिखित आधार पर किया गया है:

**परिपक्वता तक धारित :**

(i) ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी के अधीन निवेशों को अर्जन लागत पर लिया गया है।

जहाँ कहीं अंकित मूल्य/प्रतिदान मूल्य से बही मूल्य अधिक हो तो प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति आधार पर परिशोधित किया जाता है। ''निवेशों पर आय'' शीर्ष के अंतर्गत आय के विरूद्ध ऐसे प्रीमियम का परिशोधन प्रदर्शित किया गया है।

(ii) अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में अस्थायी निवेश से भिन्न प्रत्येक व्यक्तिगत निवेशों की प्रकृति में किये गये निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत में से ह्रास को हटाकर किया गया है।

4.2 Investments are classified into six categories as stipulated in form A of the third schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4.3 Investments have been categorized into "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading" in terms of RBI guidelines as under:

(a) Securities acquired by the Bank with an intention to hold till maturity are classified under "Held to Maturity".

(b) The securities acquired by the Bank with an intention to trade by taking advantages of short-term price/ interest rate movements are classified under "Held for Trading".

(c) The securities, which do not fall within the above two categories, are classified under "Available for Sale".

4.4 Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as HTM.

4.5 Transfer of securities from one category to another is carried out at the lower of acquisition cost/ book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

An investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

4.6 In determining acquisition cost of an investment

(a) Brokerage, commission, Securities Transaction Tax (STT) etc. paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses upfront and excluded from cost.

(b) Interest accrued up to the date of acquisition/sale of securities i.e. broken- period interest is excluded from the acquisition cost/sale consideration and the same is accounted in interest accrued but not due account.

(c) Cost is determined on the weighted average cost method for all categories of investments.

4.7 Investments are valued as per RBI/ FIMMDA guidelines, on the following basis:

**Held to Maturity**

(i) Investments under "Held to Maturity "category are carried at acquisition cost.

Wherever the book value is higher than the face value/redemption value, the premium is amortized over the remaining period to maturity on straight line basis. Such amortization of premium is reflected in Interest Earned under the head “Income on investments” as a deduction.

(ii) Investments in subsidiaries/joint ventures/associates are valued at carrying cost less diminution, other than temporary in nature for each investment individually.

(iii) प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।

(iv) उद्यम पूंजी में निवेशों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।

(v) एचटीएम श्रेणी में रखे गए इक्विटी शेयर का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।

**बिक्री हेतु उपलब्ध और व्यापार हेतु रखे गये :**

| क) | **सरकारी प्रतिभूतियां** | |
|---|---|---|
| | **I.** केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां | फिक्सड इनकम मनी मार्किट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) द्वारा यथा प्रकाशित बाजार मूल्यों/परिपक्वता पर आय |
| | **II.** राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां | एफआईएमएमडीए/ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता आय आधार पर |
| ख) | केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा गारंटी वाली प्रतिभूतियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाण्ड (अग्रिमों की प्रकृति के नहीं) | एफआईएमएमडीए/ भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता आय आधार पर |
| ग) | ट्रेजरी बिल | रखाव लागत पर |
| घ) | इक्विटी शेयर | यदि कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अन्यथा नवीनतम तुलन-पत्र (जो एक वर्ष से पुराना न हो) के अनुसार शेयरों के ब्रेक-अप मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी रु.1/- |
| ड़) | अधिमान शेयर | यदि कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अन्यथा भारतीय रिजर्व बैंक/एफआईएमएमडीए मार्गनिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता आय पर किंतु प्रतिदान मूल्य से अधिक नहीं |
| च) | बंधपत्र और डिबेंचर (अग्रिमों की प्रकृति के नहीं) | यदि कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अन्यथा भारतीय रिजर्व बैंक/एफआईएमएमडीए मार्गनिर्देशों के अनुसार, उपयुक्त परिपक्वता आय पर |
| छ) | म्यूचुअल फण्डों के यूनिट | यदि कोट किया गया हो तो स्टॉक एक्सचेंज के भाव के अनुसार और यदि कोट न किया गया हो, तो पुनर्खरीद मूल्य/एनएवी पर |
| ज) | वाणिज्यिक पत्र | रखाव लागत पर |
| झ) | जमा प्रमाणपत्र | रखाव लागत पर |
| ञ) | एआरसीआईएल की प्रतिभूति रसीदें | उद्यम पूँजी निधियों द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आस्ति के निवल आस्ति मूल्य पर (एनएवी) |
| ट) | उद्यम पूँजी निधियाँ | उद्यम पूँजी निधियों द्वारा की गई घोषणा के अनुसार निवल आस्ति मूल्य पर (एनएवी) |
| ठ) | अन्य निवेश | लागत में मूल्य ह्रास को घटकार रखाव लागत पर |

बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित श्रेणी वर्ग में उपर्युक्त मूल्यांकन प्रत्येक स्क्रिप के लिए अलग अलग तिमाही आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक वर्गीकरण के लिए मूल्यह्रास/वृद्धि की जाती है। यदि शुद्ध मूल्यह्रास है

(iii) Investments in sponsored regional rural banks are valued at carrying cost.

(iv) Investment in Venture Capital is valued at carrying cost.

(v) Equity shares held in HTM category are valued at carrying cost.

**Available for Sale and Held for Trading:**

| (a) | **Govt. Securities** | |
|---|---|---|
| | **I.** Central Govt. Securities | At market prices/YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) / Financial Benchmark India Pvt. Ltd (FBIL). |
| | **II.** State Govt. Securities | On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines. |
| (b) | Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds (not in the nature of advances) | On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines |
| (c) | Treasury Bills | At carrying cost |
| (d) | Equity shares | At market price, if quoted, otherwise at breakup value of the Shares as per latest Balance Sheet (not more than one year old), otherwise at Re.1 per company |
| (e) | Preference shares | At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/FIMMDA guidelines. |
| (f) | Bonds and debentures (not in the nature of advances) | At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis as per RBI/FIMMDA guidelines. |
| (g) | Units of mutual funds | As per stock exchange quotation, if quoted; at repurchase price/ NAV, if unquoted |
| (h) | Commercial Paper | At carrying cost |
| (i) | Certificate of Deposits | At carrying cost |
| (j) | Security receipts of ARCIL | At net asset value of the asset as declared by ARCIL |
| (k) | Venture Capital Funds | At net asset value (NAV) declared by the VCF |
| (l) | Other Investments | At carrying cost less diminution in value |

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading is done scrip wise on quarterly basis and depreciation/appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for

तो प्रत्येक वगीकरण के लिए प्रावधान किया जाता है जबकि शुद्ध वृद्धि नहीं दर्शायी जाती। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान पर व्यक्तिगत प्रतिभूति का बही मूल्य बाज़ार हेतु चिह्नित करने के पश्चात् अपरिवर्तित रहती है।

4.8 भारतीय रिजर्व बैंक के एनपीआई वर्गीकरण के विवेकी मानदंडों के अनुरूप निवेश उपयुक्त प्रावधानीकरण तथा आय अमान्यीकरण के अधीन हैं। अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/प्रावधान, अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में वृद्धि के प्रति समंजन (सैट ऑफ) नहीं किया गया है।

एक ईकाई द्वारा प्राप्त् की गई क्रेडिट सुविधा यदि बैंक की बही में एनपीए है, तो उसी ईकाई द्वारा जारी प्रतिभूतियों में कोई भी निवेश एनपीआई के रूप में माना जाएगा और इसका विलोमत: लागू होगा। तथापि एनपीआई अधिमानी शेयरों के संबंध में जहां लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता वहां तद्नुरूपी क्रेडिट सुविधा को एनपीए नहीं माना जाएगा।

प्रतिभूतियों अर्थात बांड, डिबेंचर आदि के मामले में जहां उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया जाता है, वहां प्रावधान वाईटीएम या आईआरएसी मानदंड, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया गया है।

4.9 किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से हुए लाभ अथवा हानि को लाभ व हानि खाते में ले जाया जाता है किंतु 'परिपक्वता हेतु रखे गये' श्रेणी के निवेशों की बिक्री से हुए लाभ के मामले में उसके समतुल्य राशि (सांविधिक रिजर्व में अंतरित की जाने वाली राशि और कर घटाकर) 'पूंजी प्रारक्षित निधि' खाते में विनियोजित की जाती है।

4.10 वापस खरीद व्यवस्था के अन्तर्गत पुन: खरीदी/पुन: बेची गयी प्रतिभूतियों को उनकी मूल लागत पर हिसाब में लिया जाता है।

4.11 रिपो व रिवर्स रिपो के अंतर्गत बेची व खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक उधार व उधारी लेन-देनों के तौर पर लिया जाता है। हालांकि सामान्य सीधी बिक्री/खरीद लेन-देन के मामले में प्रतिभूतियों को अंतरित किया जाता है तथा प्रतिभूतियों का ऐसा संचालन रिपो/रिवर्स रेपो खातों का प्रयोग करके और प्रति प्रविष्टियाँ में प्रदर्शित होता है। उक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता तिथि पर रिवर्स की जाती है। लागत व राजस्व को ब्याज व्यय/आय माना जाता है, जैसा भी मामला हो। रिपो खाते में शेष को अनुसूची 4 (उधारी) तथा रिवर्स रिपो खाते में शेष को अनुसूची 7 (बैंक के पास शेष तथा मांग व अल्प सूचना पर प्राप्त राशि नोटिस) के अंतर्गत रखा जाता है। यह आरबीआई के साथ एलएएफ पर भी लागू होता है।

4.12 व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) लेन-देन व्यापार अथवा प्रतिरक्षा के प्रयोजन से किये गये हैं। व्यापारिक लेन-देन बाजार मूल्य पर है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार अदलाबदली की विभिन्न श्रेणियों का निम्नवत् मूल्यन किया गया है :

**बचाव अदला बदली (हैज स्वैप)**

ब्याज दर अदला-बदली जो ब्याज वाहक आस्ति अथवा देयता की प्रतिरक्षा करती है, को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है, किसी आस्ति अथवा देयता के साथ अभिहित अदलाबदली को छोडकर जो वित्तीय विवरणी में बाजार मूल्य अथवा लागत में से कम कीमत पर लिया जाता है।

अदला बदली की समाप्ति पर लाभ या हानि को अदलाबदली की शेष संविदागत अवधि अथवा आस्ति/देयता की शेष अवधि में से जो भी कम हो, पर माना जाता है।

**व्यापारिक अदला बदली (ट्रेडिंग स्वाप)**

व्यापारिक अदलाबदली की लेन देन को वित्तीय विवरणियों में रिकार्ड किए गए परिवर्तनों सहित बाजार मूल्य पर चिह्नित किया जाता है।

while net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market.

4.8 Investments are subject to appropriate provisioning/de-recognition of income, in line with the prudential norms of Reserve Bank of India for NPI classification. The depreciation/provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.

If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa. However, in respect of NPI preference share where the dividend is not paid, the corresponding credit facility is not treated as NPA.

In case of securities i.e. bonds, debentures, etc. where the credit facilities are availed by the borrowers, the provision has been made on the basis of YTM or IRAC norms whichever is higher.

4.9 Profit or loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss account but, in case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve) is appropriated to "Capital Reserve Account".

4.10 Securities repurchased/resold under buy back arrangement are accounted for at original cost.

4.11 The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).The same is also applicable to LAF with RBI.

4.12 The derivatives transactions are undertaken for trading or hedging purposes. Trading transactions are marked to market. As per RBI guidelines, different categories of swaps are valued as under:-

**Hedge Swaps**

Interest rate swaps with hedge interest bearing asset or liability are accounted for on accrual basis except the swaps designated with an asset or liability that are carried at market value or lower of cost in the financial statement.

Gain or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/ liabilities.

**Trading Swaps**

Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किए गए एक्सचेंज में किये गए डेरीवेटिव्स सौदे एक्सचेंज द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित ब्याज दर पर मूल्यांकित किए जाते हैं और प्राप्त लाभों एवं हानियों को लाभ व हानि खाते में लिया जाता है।

**4.13 विदेशी मुद्रा विकल्प:**

अन्य बैंक के साथ बैक टू बैक कान्ट्रेक्ट के रूप में बैंक द्वारा किया गया विदेशी मुद्रा विकल्प बाजार मूल्य पर नहीं है, क्योंकि इसमें बाजार जोखिम नहीं है।

प्राप्त प्रीमियम को देयता के रूप में रखा गया है और परिपक्वता/निरस्तीकरण पर लाभ व हानि खाते में अन्तरित किया गया है।

**5. ऋण/अग्रिम और इसके लिए प्रावधान**

5.1 अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में किया जाता है और उनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

**(क)** अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

**(ख)** अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, पुनर्गठित अग्रिमों की उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को घटाकर उल्लेखित हैं।

5.2 विदेशी कार्यालयों के संबंध में ऋणों एवं अग्रिमों, का वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भा.रि. बैंक के मानकों, जो भी अधिक हो, के अनुसार किया गया है।

विदेशी शाखाओं में रखे ऋण एवं अग्रिम जो वसूली के रिकार्ड के अलावा अन्य कारणों के लिए मेजबान देश के विनियमों के अनुसार क्षति के रूप में चिन्हित हैं, किंतु जो भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार स्टैण्डर्ड हैं, को मेजबान देश में बकाया राशि की सीमा तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5.3 बेची गई वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित रूप में माना गया है :

**(क)** एससी/आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों की बिक्री हेतु

(i) यदि एससी/आरसी को बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) से नीचे की कीमत पर की गई है तो उस वर्ष कमी को लाभ व हानि खाते में डेबिट करना चाहिए। बैंक एनपीए की बिक्री पर अर्थात् जब बिक्री निवल बही मूल्य से कम कीमत पर की गई हो तो पाई गई कमी को पूरा करने हेतु प्रतिचक्रीय/फ्लोटिंग प्रावधान भी कर सकता है।

(ii) यदि बिकी निवल बही मूल्य की अपेक्षा उच्चर मूल्यो पर की गई है, तो बैंक इस वर्ष इसके लाभ व हानि खातों में प्राप्त राशि में से एनपीए की बिक्री पर अतिरिक्त प्रावधान वापस ले सकता है। तथापि, बैंक एनपीए की बिक्री से अतिरिक्त प्रावधान (जब बिक्री निवल बही मूल्य की अपेक्षा उच्च मूल्य पर की गई है) तभी रिवर्स कर सकता है, जब प्राप्त नकदी (प्रारम्भिक प्रतिफल और/अथवा एसआर/पीटीसी की छूट के माध्यम से) आस्तियों की एनबीवी से अधिक हो। आगे, अतिरिक्त/प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त अतिरिक्त नकदी तक सीमित होगी।

**ख.** अन्य, बैंक/एनबीएफसी/एफआई इत्यालदि को बिक्री की गई वित्तीअय आस्तियों की बिक्री हेतु

(i) निवल बही मूल्यव (एनबीवी) से कम कीमत पर बिक्री करने के मामले में अर्थात् बही मूल्य से प्रावधान घटा कर कमी को उस वर्ष लाभ व हानि खातों से डेबिट करना चाहिए।

Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

**4.13 Foreign Currency Options:**

Foreign currency options written by the bank with a back-to-back contract with another bank are not marked to market since there is no market risk.

Premium received is held as a liability and transferred to the Profit and Loss Account on maturity/cancellation.

**5. LOANS / ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:**

**5.1** Advances are classified as performing and non-performing assets; provisions are made in accordance with prudential norms prescribed by RBI.

**(a)** Advances are classified: Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.

**(b)** Advances are stated net of specific loan loss provisions, provision for diminution in fair value of restructured advances.

**5.2** In respect of foreign offices, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.

Loans and advances held at the overseas branches that are identified as impaired as per host country regulations for reasons other than record of recovery, but which are standard as per the extant RBI guidelines, are classified as NPAs to the extent of amount outstanding in the host country.

**5.3** Financial Assets sold are recognized as under:

**(a)** For Sale of financial assets sold to SCs/RCs

(i) If the sale to SCs/RCs is at a price below the Net Book Value (NBV), (i.e. Book Value less provisions held), the shortfall should be debited to the Profit & Loss account of that year. Bank can also use counter cyclical / floating provisions for meeting the shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the NBV.

(ii) If the sale is for a value higher than the NBV, Bank can reverse the excess provision on sale of NPAs to its profit and loss account in the year, the amounts are received. However, Bank can reverse excess provision (when the sale is for a value higher than the NBV) arising out of sale of NPAs, only when the cash received (by way of initial consideration and/ or redemption of SRs/ PTCs) is higher than the NBV of the asset. Further, reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

**(b)** For Sale of financial assets sold to Other Banks/ NBFCs/FIs etc.

(i) In case the sale is at a price below the Net Book Value (NBV) i.e. Book Value less provision held, the shortfall should be debited to the Profit & Loss A/c of that year.

(ii) यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर है अर्थात बही मूल्य से प्रावधान घटा कर, अतिरिक्त प्रावधान प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा किंतु अन्य गैर निष्पादित वित्तीय परिसम्पतियों की बिक्री खातों और कमी/हानि को पूरा करने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा।

(iii) यदि यहाँ बिक्री लेनदेन में अतिरिक्त प्रावधान से अधिक अधिशेष है तो अधिशेष राशि को लाभ और हानि खातें में लिया जाएगा।

**5.4** पुन:संरचित आस्तियां :

अग्रिमों के पुन: संरचना/पुन: निर्धारण के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। पुनर्संरचित खाते के उचित मूल्य में कमी के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।

बैंक एक पुनर्संरचित खाता उसे मानता है जहां बैंक ने उधारकर्ताओं की वित्तीय कठिनाईयों से संबंधित आर्थिक और विधिक कारणों हेतु उधारकर्ता को रियायत दी है। पुनर्संरचना में सामान्यतया अग्रिमों/प्रतिभूतियों की शर्तों में संशोधन शामिल होगा जिसमें अन्य के अलावा पुनर्भुगतान अवधि/पुनर्भुगतान राशि/किश्तों की राशि/ब्याज की दर/क्रेडिट सुविधाओं का रोल ओवर/अतिरिक्त ऋण सुविधा की स्वीकृति/मौजूदा क्रेडिट सीमाओं में वृद्धि/समझौता जहां निपटारे की राशि के भुगतान के लिए समय तीन महीने से अधिक हो गया हो। पुनर्गठित खाते बैंक द्वारा केवल पुनर्गठन पैकेज के अनुमोदन और कार्यान्वयन के पश्चात् ही इस तरह वर्गीकृत किए जाते हैं।

एनपीए के रूप में वगीकृत मानक खाते हैं और बैंक द्वारा पुनर्संरचना पर एक ही श्रेणी में रखे गए एनपीए खाते केवल तभी अपग्रेड किए जाते हैं जब खाते में सभी बकाया ऋण / सुविधाएं 'निर्दिष्ट अवधि' के दौरान 'संतोषजनक प्रदर्शन' प्रदर्शित करती हैं (अर्थात, उधारकर्ता इकाई से सम्बंधित भुगतान कभी भी बकाया न हो)

'निर्दिष्ट अवधि' का मतलब है कि समाधान योजना (आरपी) के कार्यान्वयन की तिथि से लेकर उस तिथि तक की अवधि जब समाधान योजना के अनुसार बकाया मूलधन का कम से कम 20 प्रतिशत और पुनर्गठन के हिस्से के रूप में स्वीकृत ब्याज पूंजीकरण, यदि है, चुकाया जा चुका हो। बशर्ते निर्दिष्ट अवधि समाधान योजना की शर्तों के तहत अधिस्थगन की सबसे लंबी अवधि के साथ क्रेडिट सुविधा पर ब्याज या मूलधन (जो भी बाद में हो) के पहले भुगतान के शुरू होने से एक वर्ष पहले समाप्त नहीं हो सकती है।

बडे खातों के लिए (अर्थात ऐसे खाते जहां उधारदाताओं का कुल जोखिम 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक है) अपग्रेड करने एवं नियम अनुसार बनाने तथा संतोषजनक कार्यनिष्पादन के प्रतिपादन के अतिरिक्त बैंक ऋण रेटिंग के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त सीआरए द्वारा निर्धारित अवधि के अंत तक उधारकर्ताओं की ऋण सुविधाएं भी निवेश ग्रेड (बीबीबी- या बेहतर) के रूप में आंकी जाएंगी। जबकि रु.500 करोड़ और उससे अधिक के कुल जोखिम वाले खातों को दो रेटिंगों की आवश्यकता होगी, रु.500 करोड से कम वाले खातों को एक रेटिंग की आवश्यकता होगी। यदि रेटिंग सीआरए की आवश्यक संख्या से अधिक प्राप्त की जाती हैं, तो ऐसी सभी रेटिंग अपग्रेड हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए निवेश ग्रेड होगी।

यदि निर्दिष्ट अवधि के दौरान खाते द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन नहीं किया जाता है, तो तत्काल इस खाते को, पुनर्गठन से पहले मौजूद पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार पुन: वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे खातों के लिए भविष्य में अपग्रेड होना उसके एक नए समाधान योजना के कार्यान्वयन एवं उसके बाद संतोषजनक प्रदर्शन के ऊपर निर्भर होगा।

(ii) In case the sale is for a value higher than the Net Book Value (NBV) i.e. Book Value less provision held, the excess provision shall not be reversed but will be utilized to meet the shortfall / loss on account of sale of other Non Performing Financial Assets.

(iii) In case there is overall surplus over and above the excess provision in any of the sale transaction that surplus amount will be taken in the Profit & loss a/c.

**5.4** Restructured Assets:

For restructured/rescheduled advances, provisions are made in accordance with guidelines issued by RBI from time to time. Necessary provision for diminution in the fair value of a restructured account is made.

The bank considered a restructured account as one where the bank, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants concessions to the borrower. Restructuring would normally involve modification of terms of the advances/securities, which would generally include, among others, alteration of repayment period/repayable amount/the amount of installments/rate of interest/roll over of credit facilities/sanction of additional credit facility/enhancement of existing credit limits/ compromise settlements where time for payment of settlement amount exceeds three months. Restructured accounts are classified as such by the Bank only upon approval and implementation of the restructuring package.

Standard accounts classified as NPA and NPA accounts retained in the same category on restructuring by the bank are upgraded only when all the outstanding loan / facilities in the account demonstrate 'satisfactory performance' (i.e., the payments in respect of borrower entity are not in default at any point of time) during the 'specified period'.

'Specified period' means the period from the date of implementation of Resolution plan (RP) up to the date by which at least 20 percent of the outstanding principal debt as per the RP and interest capitalization sanctioned as part of the restructuring, if any, is repaid. Provided that the specified period cannot end before one year from the commencement of the first payment of interest or principal (whichever is later) on the credit facility with longest period of moratorium under the terms of RP.

For the large accounts (i.e., accounts where the aggregate exposure of lenders is Rs 100 crore and above) to qualify for an upgrade, in addition to demonstration of satisfactory performance, the credit facilities of the borrower shall also be rated as investment grade (BBB- or better) as at the end of the 'specified period' by CRAs accredited by the Reserve Bank for the purpose of bank loan ratings. While accounts with aggregate exposure of Rs 500 crore and above shall require two ratings, those below Rs 500crore shall require one rating. If the ratings are obtained from more than the required number of CRAs, all such ratings shall be investment grade to qualify for an upgrade.

In case satisfactory performance during the specified period is not demonstrated, the accounts, immediately on such default, are reclassified as per the repayment schedule that existed before the restructuring. Any future upgrade for such accounts would be contingent on implementation of a fresh RP and demonstration of satisfactory performance thereafter.

5.5 एनपीए पर वर्गीकृत प्रावधानों के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किया गया है। ये प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 में ''अन्य देयताएं व प्रावधान - अन्य'' शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है और निवल एनपीए निकालने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाता है।

5.6 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर निष्पादित अग्रिमों के लिए त्वरित प्रावधान किया गया जिसे बैंक द्वारा पूर्व में एसएमए -2 श्रेणी के अंतर्गत सैन्ट्रल रिपोज़िटरी ऑफ इंफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (सीआरआईएलसी) को विशेष वर्णित खाते में रिपोर्ट नहीं किया जाता था।

5.7 पूर्व वर्षों में बट्टे खाते ऋणों के विरूद्ध वसूल की गई राशि और प्रावधानों को उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है और इसे लाभ-हानि खातें में लिया जाता है।

5.8 देश एक्सपोज़र के लिए प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त किसी देश के एक्सपोज़रों (अपने देश के अलावा अन्य) के लिए भी प्रावधान किया गया है। देशों को सात जोखिम श्रेणियों अर्थात् मामूली, कम, मध्यम, उच्च, बहुत उच्च, प्रतिबंधित और ऑफ क्रेडिट में वगीकृत किया गया है और प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक देश के मामले में यदि बैंक का देश एक्सपोज़र (निवल) कुल वित्त पोषित आस्तियों की 1% से अधिक नहीं है तो ऐसे कंट्री एक्सपोज़र में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। यह प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान 'अन्य'' के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है।

5.9 भारतीय कम्पनियों की स्टेप डाउन अनुषंगियों के सभी एक्स्पोजर का प्रतिनिधित्व करने वाली मानक आस्ति के विरुद्ध 2% का एक अतिरिक्त प्रावधान् किया गया है (सभी ओवरसीज एक्स्पोजरों पर लागू कंट्री जोखिम के अतिरिक्त) ताकि ढांचे की जटिलता होने से उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम को कवर किया जा सके, विभिन्न क्षेत्राधिकार में विभिन्न मध्यवती संस्थाओं की अवास्थिति होने से भारतीय कंपनी और उससे काफी हद तक राजनैतिक और नियामक जोखिम के लिए बैंक एक्स्पोजर हो सकता है। (आरबीआई परि.सं. RBI/2015.16/279 DBR.IBD.BC No. 68/23.37.001/2015-16 दिनांक 31.12.2015). के अनुसार)।

**6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

6.1 जिन परिसरों का पुनर्मूल्यन हो चुका है उन्हें छोड़कर संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण को उनकी परम्परागत लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन को घटाकर दिखाया जाता है पुनर्मूल्यन पर हुई वृद्धि को पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है और पुनर्मूल्यन राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यह्रास को उसमें से कम कर दिया जाता है।

6.2 सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत कर अमूर्त ऑस्तियों के साथ जोड़ दिया गया है।

6.3 खरीददारी की लागत सहित सभी खर्चे जैसे साइट तैयार करना, संस्थापना लागत, पूंजीकरण के समय तक आस्ति पर खर्च की गयी व्यवसायिक फीस लागत में शामिल है। आस्तियों पर खर्च किए गए परिवती खर्चे केवल तभी पूंजीकृत किए जाते हैं जब ऐसी आस्तियों या उनकी कार्यक्षमता से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है।

5.5 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.

5.6 In accordance with RBI guidelines, accelerated provision is made on non-performing advances which were not earlier reported by the Bank as Special Mention Account under "SMA-2" category to Central Repository of Information on Large Credits (CRILC).

5.7 Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized in the profit and loss account.

5.8 Provision for Country Exposure:

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderately low, moderate, moderately high, high & very high and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the "Other liabilities & Provisions – Others".

5.9 An additional provision of 2% (in addition to country risk provision that is applicable to all overseas exposures) against standard assets representing all exposures to step down subsidiaries of Indian Corporates has been made to cover the additional risk arising from complexity in the structure, location of different intermediary entities in different jurisdictions exposing the Indian Company, and hence the Bank, to a greater political and regulatory risk. (As per RBI Cir.No. RBI/2015.16/279 DBR. IBD.BC No. 68/ 23.37.001/ 2015-16 dated 31.12.2015).

**6. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT:**

6.1 Property, Plant & Equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation/amortization, wherever applicable, except those premises, which have been revalued. The appreciation on revaluation is credited to revaluation reserve and incremental depreciation attributable to the revalued amount is deducted there from.

6.2 Software is capitalized and clubbed under Intangible assets.

6.3 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset till the time of capitalization. Subsequent expenditure/s incurred on the assets are capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

## 6.4 मूल्यह्रास

**क.** आस्तियों (भूमि सहित जहां कीमत अलग न की जा सकती हो) पर मूल्यह्रास के लिये प्रावधान आस्ति की प्रत्याशित आयु पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है। कम्प्यूटरों को छोड़कर जहां इसकी गणना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर सीधी रेखा पद्धति से किया जाता है।

**ख.** ऐसी आस्तियों पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर किया गया है

| विवरण | मूल्यह्रास की दर |
|---|---|
| **परिसर** | |
| **फ्रीहोल्ड संपत्ति** | |
| भूमि | शून्य |
| निर्माण लागत पर प्रदान की जाने वाली मूल्यह्रास दर जहाँ भूमि की लागत को अलग किया जाता है और कुल लागत पर जहां भूमि की लागत सुनिश्चित नहीं की जा सकती और उसे अलग नहीं किया जा सकता है | 2.5% (40 वर्ष सीधी रेखा विधि या शेष आयु जो भी कम हो) |
| बेमियादी पट्टे पर ली गई भूमि जहां पट्टे की अवधि का उल्लेख नहीं है | शून्य |
| पट्टे पर ली गई भूमि जहाँ पट्टे की अवधि का उल्लेख है | पट्टे की अवधि पर |
| **भवन** | |
| फ्री होल्ड और पट्टे वाली भूमि पर निर्मित, जहां पट्टे की अवधि 40 वर्ष से अधिक है | 2.50% |
| पट्टे वाली भूमि पर निर्मित जहाँ पट्टे की अवधि 40 वर्ष से कम है | पट्टे की अवधि पर |
| **परिसरों के अतिरिक्त अचल परिसंपत्तियां** | |
| फर्नीचर और फिक्सचर्स – स्टील वस्तुएं | 5.00% |
| फर्नीचर और फिक्सचर्स – लकड़ी की वस्तुएं | 10.00% |
| गद्दे | 20.00% |
| मोबाइल फोन उपकरण | 33.33% |
| मशीनरी, बिजली की वस्तुएं और विविध वस्तुएं | 15.00% |
| मोटर-कारें एवं साईकलें | 15.00% |
| कंप्यूटर, एटीएम और संबंधित वस्तुएं लैपटॉप,आईपैड आदि<br>सर्वर्स, नेटवर्क, उपकरण एवं स्वचालित टेलर मशीन(कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अनिवार्य भाग सॉफ्टवेयर निर्माण के साथ) | 33.33% |
| कार्यालय की रु. 25000.00 से कम राशि की अचल संपत्तियों (कर्मचारियों को छोड़कर) और/अथवा जिसकी सामान्यत: अवधि अधिग्रहण की तिथि से 12 महीनों से कम है, को व्यय के रूप में माना जाना चाहिए।<br>रु. 25000.00 तक के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर/ऑपरेटिंग सिस्टम/डेटा बेस की लागत पर राजस्व प्रभारित किया जाता है। | |

## 6.4 DEPRECIATION:

**A.** Depreciation on assets (including land where value is not separable) is provided on straight-line method based on estimated life of the asset, except in respect of computers where it is calculated on the straight-line method, at the rates prescribed by RBI.

**B.** Depreciation on assets has been provided at the rates furnished below:-

| Particulars | Rate of Depreciation |
|---|---|
| **PREMISES** | |
| **Freehold Properties** | |
| Land | NIL |
| Depreciation to be provided on Construction Cost where the land cost is segregated and on total cost where the land cost is not ascertainable and cannot be segregated. | 2.5% (40 years Straight Line Method or remaining life whichever is lower) |
| Land acquired on perpetual lease where no lease period is mentioned | NIL |
| Land acquired on lease where lease period is mentioned | Over lease period |
| **Building** | |
| Constructed on free hold land and on leased land, where lease period is above 40 years | 2.50% |
| Constructed on leased land where lease period is below 40 years. | Over lease period |
| **FIXED ASSETS EXCEPT PREMISES** | |
| Furniture and fixtures- Steel articles | 5.00% |
| Furniture and fixtures- wooden articles | 10.00% |
| Mattresses | 20.00% |
| Mobile Phone Instruments | 33.33% |
| Machinery, electrical and miscellaneous articles | 15.00% |
| Motor cars and cycles | 15.00% |
| Computers, ATMs and related items, laptop, i pad etc:- Servers, Network, Equipment & Automated Teller Machines (Including software forming an integral part of computer hardware) | 33.33% |
| Items of office fixed assets (excepts to staff) amount less than Rs. 25000.00 and / or having useful life of less than 12 months from the date of acquisition should be recognized as expense. Cost of Application Software / Operating System / Data base amounting upto Rs. 25000.00 are charged to revenue. | |

ग. बैंक के अपने परिसर के अतिरिक्त नई आस्तियों पर मूल्यह्रास की दर उसी दिन से प्रदान की जाती है और वर्ष के दौरान बेची गई/निपटान की गई आस्तियों के मामले में जिस तारीख तक इसे बेचा/निपटान किया जाता है अर्थात दैनिक आधार पर मूल्यह्रास की दर प्रदान की जाती है।

घ. वर्ष के अंत में मौजूद बैंक के अपने स्वामित्व कें परिसरों पर मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिये प्रभारित किया गया है। निर्माण लागत पर तभी मूल्यूहास किया जाता है जब भवन सभी प्रकार से पूरा हो जाता हे। जहां भूमि और भवन की लागत का अलग से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां मूल्यह्रास भवन पर लागू दर से समग्र लागत पर की जाती है।

ड. पट्टाधारित परिसरों के संबंध में, पट्टा प्रीमियम यदि कोई है, पट्टे की संपूर्ण अवधि पर परिशोधित है और पट्टा किराया संबंधित वर्षों में प्रभारित किया जाता है।

च. पुनर्मूल्यन आस्तियों के मूल्यह्रास की दर पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन की गई आस्तियों की शेष उपयोगी आयु के आधार पर निश्चित की जाती है।

7. **आस्तियों की अपसामान्यता**

आस्तियों की रखरखाव लागत को आंतरिक/बाह्य तथ्यों के आधार पर कोई अपसामान्यता दिखाई देने पर प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को समीक्षित किया जाता है।

एक अपसामान्य हानि तभी मानी जाती है जहां एक आस्ति की रखाव लागत इसकी वसूली राशि से ज्यादा होती है। वसूली योग्य राशि आस्ति की निवल बिक्री कीमत और उपयोगिता मूल्य से ज्यादा होती है। उपयोगिता मूल्य के निर्धारण में, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह कर पूर्व छूट दर में प्रयुक्त उसके वर्तमान मूल्य को घटाया जाता है जो उस समय धन के वर्तमान बाजार मूल्य और आस्ति के वगीकृत जोखिमों को दर्शाता है।

अपसामान्यता के पश्चात, यदि कोई है, मूल्यह्रास आस्ति की शेष उपयोगी अवधि में संशोधित रखाव लागत पर किया जाता है।

पूर्व में हुई अपसामान्यता हानि परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढाई या रिवर्स की जाती है।

हालांकि, रिवर्सल के पश्चात रखाव मूल्य उस रखाव मूल्य से ऊपर नहीं बढ़ता है जो यदि कोई अपसामान्यता नहीं हुई हो तो सामान्य मूल्यह्रास प्रभारित करके विद्यमान होगा।

8. **कर्मचारी लाभ**

**भविष्य निधि:**

भविष्य निधि एक सुपरिभाषित अंशदान योजना है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। ये अंशदान लाभ व हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं।

**उपदान:**

उपदान देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है। यह योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है।

**पेंशन:**

पेंशन देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है। यह योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है।

C. Depreciation on fresh additions to assets other than bank's own premises is provided from the day in which the assets are capitalized and in the case of assets sold/disposed off during the year, up to the date in which it is sold/ disposed off i.e. daily basis.

D. The depreciation on bank's own premises existing at the close of the year is charged for full year. The construction cost is depreciated only when the building is complete in all respects. Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

E. In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortized over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year(s).

F. The Revalued assets is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

7. **IMPAIRMENT OF ASSETS:**

The carrying costs of assets are reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors.

An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset.

After impairment, if any, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life.

A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances.

However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

8. **EMPLOYMENT BENEFITS:**

**PROVIDENT FUND:**

Provident fund is a defined contribution scheme as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit & Loss A/c.

**GRATUITY:**

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the bank and is managed by a separate trust.

**PENSION:**

Pension liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the bank and is managed by a separate trust.

बैंक 01.04.2010 को और इसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) चला रहा है। योजना के अनुसार, पात्र कर्मचारी अपने मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते के 10% का अंशदान देते है और बैंक भी उतना ही अंशदान करता है। सम्बन्धित कर्मचारी की पूर्ण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने तक ये अंशदान रखे जाते है। बैंक ऐसे अंशदान से उस वर्ष में व्यय मानता है जिससे यह सम्बंधित है। स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित योगदान राशि को एनपीएस ट्रस्ट में अंतरित कर दिया जाता है।

**क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां:**

उपचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां जैसे अर्जित छुट्टियाँ और बीमारी की छुट्टियाँ (अप्रयुक्त आकस्मिक छुट्टियों सहित) बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर दी जाती हैं।

**अन्य कर्मचारी लाभ:**

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत (एलएफसी), सिल्वर जुबली अवार्ड इत्यादि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाते हैं।

जहां तक विदेश स्थित शाखाओं और कार्यालयों का संबंध है प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को दिए गए लाभों के अलावा अन्य सभी लाभ उन देशों में लागू कानूनों के अनुसार मूल्यांकित और लेखांकित किए गए हैं।

**9. विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेनों का परिवर्तन और शेष**

विदेशी विनिमय में शामिल लेनदेन लेखामानक 11 ''विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव'' के अनुसार लेखांकित किए जाते हैं।

9.1 पूर्ववती लंदन शाखाओं के अग्रिमों को छोड़कर, जिनका भारत में अंतरण की तिथि को लागू विनिमय दरों के आधार पर लेखांकन किया जाता है, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के मार्गनिर्देशन के अनुसार तुलन पत्र तिथि पर विनिमय दरों के आधार पर अन्य सभी मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों व अन्य दायित्वों को प्रारंभिक रूप से कल्पित दर पर दर्ज किया जाता है और समतुल्य भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाता है।

9.2 अचल आस्तियों जिसे परंपरागत दर पर रखा जाता है, से इतर गैर मौद्रिक मदों को लेन-देन की तिथि को प्रभावी विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

9.3 बकाया वायदा विनिमय स्पॉट व वायदा संविदाओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा तुलन पत्र तिथि पर अधिसूचित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है और फलस्वरूप मूल्यांकन पर हुए लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में दिखाया जाता है।

विदेशी विनिमय स्पॉट/फार्वड करार/डील्स (मर्चेंट व इंटर बैंक), जो कि ट्रेडिंग व मर्चट हैज के लिए नहीं किए गए हैं तथा ये तुलन पत्र की तिथि तक बकाया हैं, विनिमय लाभ पर पुनर्मूल्यांकन प्रभाव को हटाने के लिए फेडाई (एफईडीएआई) स्पॉट/फार्वड की समाप्ति पर रिवर्स पुनर्मूल्यांकित होते है। इस तरह के फार्वड विनिमय करार के आरम्भ से उत्पन्न प्रीमियम अथवा छूट को करार के समयावधि में ब्याज व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

9.4 आय तथा व्यय की मदें लेन-देन की तारीख को प्रचलित विदेशी विनिमय दर पर परिवर्तित की जाती हैं।

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 01.04.2010. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. Pending completion of the registration procedures of the employees concerned, these contributions are retained. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate. Upon the receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

**COMPENSATED ABSENCES:**

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave (PL) and Sick Leave (including unavailed casual leave) are provided for based on actuarial valuation.

**OTHER EMPLOYEE BENEFITS:**

Other Employee Benefits such as Leave Fare Concession (LFC), Silver Jubilee Award, etc. are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

**9. TRANSLATION OF FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS & BALANCES:**

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates”.

9.1 Except advances of erstwhile London branches which are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of parking in India, all other monetary assets and liabilities, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are translated in Indian Rupee equivalent at the exchange rates prevailing as on the Balance Sheet date as per Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) guidelines.

9.2 Non-monetary items other than fixed assets which are carried at historical cost are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.

9.3 Outstanding Forward exchange spot and forward contracts are translated as on the Balance Sheet date at the rates notified by FEDAI and the resultant gain/loss on translation is taken to Profit & Loss Account.

Foreign exchange spot/forward contracts/deals (Merchant and Inter-bank) which are not intended for trading/Merchant Hedge and are outstanding on the Balance Sheet date, are reverse re-valued at the closing FEDAI spot/forward rate in order to remove revaluation effect on exchange profit. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortized as interest expense or income over the life of the contract.

9.4 Income and expenditure items are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transaction.

मौद्रिक मदों के निपटान पर उनसे भिन्न दरों पर उत्पन्न विनिमय अंतर जिस पर वे शुरूआत में दर्ज किए गए थे, उस अवधि के लिए जिनमे वे उत्पन्न हुए थे आय या व्यय के रूप में माने जाते हैं।

मुद्रा फ्यूचर व्यापार में खुली स्थिति के विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण खाते में लाभ/हानि दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृहों के साथ निपटाए जाते हैं और ऐसे लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में लिया जाता है।

**9.5 विदेशी शाखाएं/अपतटीय बैंकिंग इकाइयां :**

(i) विदेशी शाखाएं और अपतटीय बैंकिंग यूनिट के परिचालनों को ''गैर समाकलित विदेशी परिचालन'' में वर्गीकृत किया गया है और विदेश में प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को ''समाकलित विदेशी परिचालनों'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ii) समाकलित विदेश परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेनदेनों को और गैर समाकलित विदेशी परिचालनों को लेखांकन मानक – 11 में दिए गए निर्धारण के अनुसार किया गया है।

(iii) गैर समाकलित परिचालनों के लाभ/हानि को विनिमय उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि में जमा/नामे किया जाता है।

**10. आय पर कर**

आयकर व्यय बैंक द्वारा किए गए वर्तमान कर तथा आस्थगित कर व्यय की कुल राशि होता है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22 के प्रावधानों के अनुसार ही वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय की गणना होती है। विदेश में स्थित कार्यालयों में भुगतान किए गए करों को शामिल करने के बाद आय पर कर के लिए लेखांकन किया जाता है जो कि सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के कर नियमों पर आधारित होते हैं।

एमएटी क्रेडिट को एक परिसंपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब विस्तार के लिए इस बात के ठोस प्रमाण हों कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान किया जाएगा।

आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्ति या देयताओं में हुआ परिवर्तन शामिल है। आस्थगित कर आस्ति व देयता, वर्तमान वर्ष के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच के समय अंतराल के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। आस्थगित कर आस्ति व देयता की गणना कर की दर तथा कर नियमों का प्रयोग, जो कि तुलन पत्र तिथि में अधिनियमित या वास्तविक अधिनियमित किया गया हो, किया जाता है। आस्थगित कर आस्ति व देयता में परिवर्तन का प्रभाव लाभ व हानि खातों में दिखाई देता है। आस्थगित कर आस्ति को पहचाना जाता है तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनः आकलित किया जाता है, जो प्रबन्धन के निर्णय पर आधारित होती है कि क्या उनकी वसूली यथोचित/वर्चुअली निश्चित मानी गई हैं।

**11. प्रति शेयर आय**

बैंक की प्रति शेयर आधारभूत और ह्रासित आय की आईसीएआई द्वारा जारी एएस 20 'प्रति शेयर आय' के अनुसार होती है। बेसिक आय प्रति शेयर की गणना वर्ष के लिए विशेषकर ईक्विटी शेयरधारकों को कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के बकाया ईक्विटी शेयर की भारित संख्या से भाग करके प्राप्त की जाती है।

Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognized as income or as expense in the period in which they arise.

Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognized in the Profit and Loss Account.

**9.5 Offices outside India / Offshore Banking Units:**

(i) Operations of foreign branches and off shore banking unit are classified as "Non-integral foreign operations" and operations of representative offices abroad are classified as "integral foreign operations".

(ii) Foreign currency transactions of integral foreign operations and non-integral foreign operations are accounted for as prescribed by AS-11.

(iii) Exchange Fluctuation resulting into Profit / loss of non-integral operations is credited /debited to Exchange Fluctuation Reserve.

**10. TAXES ON INCOME**

Income tax expense is the aggregate amount of current tax including Minimum Alternate Tax (MAT), wherever applicable and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax and deferred tax are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

MAT credit is recognized as an asset only when and to the extend there is convincing evidence that there will be payment of normal income tax during the period specified under the income Tax Act, 1961,

Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably/virtually certain.

**11. Earnings per Share:**

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 -'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic Earnings per Share are computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

12. **प्रावधान, आकस्मिक देयतायें तथा आकस्मिक आस्तियाँ:**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "एएस – 29 प्रावधान आकस्मिक देयतायें तथा आकस्मिक आस्तियाँ" के अनुपालन में, बैंक प्रावधान को केवल तभी मान्यता देता है जब पूर्व घटना के परिणामस्वरुप वर्तमान दायित्व हो तथा जिसके परिणामत: धनों का सम्भावित बहिर्गमन हो, दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ आवश्यक हो तथा जब दायित्व की विश्वसनीय राशि अनुमानित की जा सकती हो।

वितीय विवरणी में आकस्मिक आस्तियों को नहीं लिया जाता है।

13. **बुलियन ट्रांजेक्शन:**

बैंक बुलियन का आयात करता है जिसमें ग्राहकों को प्रेषण आधार पर बेचने के लिए बहुमूल्य मेटल बार शामिल है। आयात विशेषत: बैक – टू – बैक आधार पर होता है तथा ग्राहक को उसका मूल्य सप्लायर द्वारा अंकित मूल्य पर देना होता है। इन बुलियन ट्रांजेक्शनों में बैंक शुल्क अर्जित करता है। शुल्क को कमीशन आय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बैंक स्वर्ण को जमा व उस पर ऋण देता है जिसे प्रदत्त/प्राप्त ब्याज के साथ ब्याज आय/आय के रूप में वर्गीकृत मामले के आधार पर जमाराशि/अग्रिम की तरह माना जाता है।

14. **खंडवार रिपोर्टिंग:**

बैंक, आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 की अनुपालना में बिजनेस खंड की पहचान प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड तथा भौगोलिक खंड को द्वितीय रिपोर्टिंग खंड के रुप में करता है।

15. दिनांक 7 अप्रैल, 2016 के आरबीआई परिपत्र सं. एफआईडीडी.कां. प्लान. बीसी. 23/04.09.01/2015–16 के अनुसार बैंक, पीएसएलसी का विक्रय या क्रय कर प्राथमिकता क्षेत्र के पोर्टफोलियो में व्यापार करता है। इन लेनदेन में जोखिमों या ऋण आस्तियों का कोई अंतरण नहीं है। पीएसएलसी की खरीद के लिए भुगतान किया गया शुल्क 'व्यय' के रूप में माना जाता है और पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को 'अन्य आय' के रूप में माना जाता है।

12. **Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:**

In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and would result in a probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

13. **Bullion Transactions:**

The Bank imports bullion including precious metal bars on a consignment basis for selling to its customers. The imports are typically on a back-to-back basis and are priced to the customer based on price quoted by the supplier. The Bank earns a fee on such bullion transactions. The fee is classified under commission income. The Bank also accepts deposits and lends gold, which is treated as deposits/advances as the case may be with the interest paid / received classified as interest expense/income.

14. **Segment Reporting:**

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

15. The Bank, in accordance with RBI Circular FIDD.CO.Plan. BC.23/ 04.09.01/ 2015-16 dated April 7, 2016, trades in Priority Sector portfolio by selling or buying PSLC. There is no transfer of risks or loan assets in these transactions. The fee paid for purchase of the PSLC is treated as an 'Expense' and the Fee received from sale of PSLCs is treated as 'Other Income'.

**अनुसूची- 18 (एकल)**

खातों से संबंधित टिप्पणियां (एकल) - 31.03.2021

**1. पूँजी**

**पूँजी अनुपात**

(रूपये करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | गतवर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| i. | सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)* | 10.61% | 10.69% |
| ii. | टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)* | 11.49% | 11.91% |
| iii. | टीयर 2 पूंजी अनुपात (%)* | 2.83% | 2.24% |
| **iv.** | **कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)*** | **14.32%** | **14.14%** |
| v. | बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत | 76.87% | 83.19% |
| vi. | जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि**<br>क) समामेलन के कारण: 534.61<br>ख) क्यूआईपी के माध्यम से जुटाई गई पूंजी 3,788.04 | 4322.65** | 16091.00 |
| vii. | जुटाई गई टीयर - I अतिरिक्त पूंजी की राशि<br>जिसमें बेमियादी गैरसंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)<br>बेमियादी ऋण लिखत (पीडीआई) : | 495.00<br>शून्य<br>495.00 | शून्य<br>शून्य<br>शून्य |
| viii. | जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि जिसमें<br>ऋण पूंजी लिखते:<br>अधिमान शेयर पूंजी लिखतें [बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस/प्रतिदेय गैर संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)/ प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)] | 3994.00<br>3994.00<br>शून्य | 1500.00<br>1500.00<br>शून्य |

*बेसल -III पूंजी विनियमन के अनुसार 1 (i से iv) में दी गई सूचना है।

आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16 के अनुसार दिनांक 1 मार्च, 2016 के माध्यम से बैंकों को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व, विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व और आस्थगित कर आस्ति को पूंजी पर्याप्तता की गणना के उद्देश्य से सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में मान्यता देने के लिए विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में विकल्प का प्रयोग किया है।

समामेलन के कारण उत्पन्न समामेलन समायोजन आरक्षित निधियों को सीआरएआर की गणना के उद्देश्य से सीईटी-1 के तहत माना गया है।

**क) तत्कालीन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और तत्कालीन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों को भूतपूर्व के बैंकों में उनके द्वारा रखे गए शेयरों के बदले में 2.00 के 2673063327 इक्विटी शेयर जारी किए गए थे।

ख) क्यूआईपी के माध्यम से

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने सेबी विनियम, 2018 (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ जारी करना) के प्रावधानों के अनुसार अर्हित संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अनुसार योग्य पात्र खरीदारों को नकद के लिए 33.50 प्रति शेयर के प्रीमियम पर 3,788.04 करोड़ के प्रति 2 के अंकित मूल्य वाले 1,06,70,52,910 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। इसके परिणामस्वरूप जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में 213.41 करोड़ और शेयर प्रीमियम खाते में 3,563.91 करोड़ (निर्गम व्यय का निवल) की वृद्धि हुई है।

**SCHEDULE 18 (STANDALONE)**

**NOTES TO ACCOUNTS - 31.03.2021**

**1. Capital**

**Capital Ratio**

(Amount in ₹Crore)

| Sl. No | Particulars | Current Year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| i. | Common Equity Tier 1 Capital ratio (%)* | 10.61% | 10.69% |
| ii. | Tier 1 Capital ratio (%)* | 11.49% | 11.91% |
| iii. | Tier 2 Capital ratio (%)* | 2.83% | 2.24% |
| **iv.** | **Total Capital ratio (CRAR) (%)*** | **14.32%** | **14.14%** |
| v. | Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank | 76.87% | 83.19% |
| vi. | Amount of equity capital raised<br>a) On account of amalgamation: 534.61<br>b) Capital raised by way of QIP 3,788.04 | 4322.65** | 16091.00 |
| vii. | Amount of Additional Tier 1 Capital raised; of which :<br>Perpetual Non- Cumulative Preference Shares(PNCPS):<br>Perpetual Debt Instruments (PDI): | 495.00<br>NIL<br>495.00 | NIL<br>NIL<br>NIL |
| viii. | Amount of Tier 2 Capital raised;<br>of which :<br>Debt Capital instrument:<br>Preference Share Capital Instruments:[ Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non- Cumulative Preference Shares (RNCPS) /Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS) ] | 3994.00<br>3994.00<br><br>NIL | 1500.00<br>1500.00<br><br>NIL |

* Information given in 1 (i to iv) has been given as per Basel III Capital Regulations.

RBI vide circular no. DBR.No.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 dated 1st March, 2016 has given discretion to banks to consider Revaluation Reserve, Foreign Currency Translation Reserve and Deferred Tax Asset for purpose of computation of Capital Adequacy as CET-1 capital ratio. The Bank has exercised the option in the above computation.

Amalgamation adjustment reserve arised on account of Amalgamation has been considered under CET-1 for the purpose of calculation of CRAR.

** a) 2673063327 Equity shares of Rs. 2.00 each issued to shareholders of erstwhile Oriental Bank of Commerce and erstwhile United Bank of India in lieu shares held by them in erstwhile banks.

b) by way of QIP.

During the FY 2020-21 the Bank has issued 1,06,70,52,910 equity shares having Face Value of Rs.2 each for cash to Qualified Eligible Buyers pursuant to Qualified Institutional Placement (QIP) in accordance with the provisions of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 at a premium of Rs.33.50 per share aggregating Rs. 3,788.04 Crore. This has resulted in an increase of Rs.213.41 Crore in the issued and paid up Equity Share Capital and Rs. 3,563.91 Crore (Net of Issue Expenses) in Share Premium Account.

वर्ष के दौरान, बैंक ने निजी स्थानन के माध्यम से 495.00 करोड़ के बेसल III अनुपालन अतिरिक्त टियर-I बांड जारी किए हैं। इसके अलावा, बैंक ने निजी स्थानन के माध्यम से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 3,994 करोड़ के बेसल III अनुपालन टियर II बांड भी जुटाए हैं।

**समामेलन पर नोट**

**पंजाब नैशनल बैंक के साथ तत्कालीन ओरिअंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और तत्कालीन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का समामेलन**

क. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के बाद, भारत सरकार (जीओआई), वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई- 04032020-216535 दिनांक 04 मार्च, 2020 जारी किया, जिसमें 04 मार्च, 2020 को तत्कालीन ओरिएअंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और तत्कालीन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (इसके बाद सामूहिक रूप से अंतरणकर्ता बैंक के रूप में संदर्भित) को पंजाब नैशनल बैंक (बाद में अंतरिती बैंक के रूप में संदर्भित) में समामेलित करने की योजना को अनुमोदन दिया था।

इस योजना के शुरू होने पर, अंतरणकर्ता बैंकों के दायित्वों को अंतरिती बैंक में अंतरित कर कर दिया गया है। भारत के भीतर या बाहर अंतरणकर्ता बैंकों के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में योजना शुरू होने से ठीक पहले अंतरणकर्ता बैंकों के दायित्वों में सभी व्यवसाय, संपत्ति (मूर्त और अमूर्त, चल और अचल सहित), देनदारियां, रिजर्व और अधिशेष और दायित्वों के संबंध में अंतरणकर्ता बैंकों की ऐसी संपत्ति से उत्पन्न होने वाले अन्य सभी अधिकार और हित शामिल हैं।

ख. संबंधित ऑडिट समितियों, संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट और संबंधित बैंकों को जारी की गई निष्पक्षता की राय को ध्यान में रखने के बाद, संबंधित बैंकों के बोर्ड ने शेयर बाजार अनुपात को मंजूरी दे दी है (सभी मामलों में रैंकिंग समरूप) और समान अधिकार संलग्न होंगे उन्हें अंतरिती बैंक के तत्कालीन मौजूदा इक्विटी शेयरों के रूप में, लाभांश के संबंध में, यदि कोई हो, जिसे अंतरिती बैंक द्वारा, इस योजना के प्रारंभ होने पर या उसके बाद घोषित किया जा सकता है):

i. **ओरिएअंटल बैंक ऑफ कॉमर्स** के प्रत्येक 10 रुपये के 1000 इक्विटी शेयरों के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रत्येक 2 रुपये के 1150 इक्विटी शेयर।

ii. **यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया** के प्रत्येक 10 रुपये के प्रत्येक 1000 इक्विटी शेयरों के लिए पंजाब नैशनल बैंक के रुपये 2 के 121 इक्विटी शेयर।

ग. इक्विटी शेयरों के अंश के हकदार के संबंध में, मूल्य का भुगतान नकद में किया गया है।

घ. एएस 14 के पैरा 24 के अनुसार प्रकटीकरण – "समामेलन के लिए लेखांकन'' निम्नानुसार है:

i. समामेलित कंपनियों अर्थात ई-ओबीसी और ई-यूएनआई के व्यवसाय का सामान्य स्वरुप पंजाब नैशनल बैंक अर्थात बैंकिंग व्यवसाय के समान ही है;

During the year, Bank has issued Basel III compliant Additional Tier-I Bonds of Rs.495.00Crore through private placements. Further, the Bank has also raised Basel III compliant Tier II Bonds of Rs. 3,994 Crore during FY 2020-21 through private placements.

**Note on Amalgamation**

**Amalgamation of Erstwhile Oriental Bank of Commerce and Erstwhile United Bank of India with Punjab National Bank**

a. In exercise of power conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings Act, 1970 (5 of 1970) and section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings Act, 1980 (40 of 1980), after consultation with the Reserve Bank of India), the Government of India (GoI), Ministry of Finance, Department of Financial Services issued Gazette Notification no. CG-DL-E- 04032020-216535 dated March 04, 2020, approving the scheme of Amalgamation of erstwhile Oriental Bank of Commerce and erstwhile United Bank of India (collectively referred to as Transferor Banks) into Punjab National Bank (hereinafter referred to as Transferee Bank) on March 04, 2020. This scheme came into force on the April 01, 2020.

On the commencement of this scheme, the undertakings of the Transferor Banks stand transferred to the Transferee Bank. Undertakings of the transferor banks are deemed to include all business, assets (including tangible and intangible, movable and immovable), liabilities, reserves & surplus and all other rights and interests arising out of such property of the Transferor Banks in relation to the undertakings as were immediately before the commencement of scheme, in the ownership, possession, power or control of the Transferor Banks within or outside India.

b. After taking into consideration the recommendation of the respective Audit Committees, Joint Valuation Report and the fairness opinion issued to the respective banks, the Boards of the respective banks had approved the Share Exchange Ratio (ranking pari passu in all respects and shall have the same rights attached to them as the then existing equity shares of the Transferee Bank, including, in respect of dividends, if any, that declared by the Transferee Bank, on or after the commencement of this scheme) as under:-

i. 1150 equity shares of Rs. 2 each of Punjab National Bank for every

1000 equity shares of Rs. 10 each of **Oriental Bank of Commerce.**

ii. 121 equity shares of Rs 2 each of Punjab National Bank for every

1000 equity shares of Rs.10 each of **United Bank of India.**

c. In respect of entitlements to fraction of equity shares, the consideration has been paid in cash.

d. Disclosure as per para 24 of AS 14 – "Accounting for Amalgamations" is as under:

i. The general nature of business of the amalgamating companies i.e. e-OBC and e-UNI is same as that of the business of Punjab National bank i.e Banking;

ii. लेखांकन उद्देश्यों के लिए समामेलन की प्रभावी तिथि 01.04.2020 है

iii. समामेलन को प्रतिबिंबित करने के लिए उपयोग की जाने वाली लेखांकन विधि:

"समामेलन के लेखांकन" पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस-14 की "पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट" पद्धति के तहत और बैंक के साथ 01 अप्रैल 2020 से तत्कालीन ओरिअंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और तत्कालीन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के समामेलन को रिकॉर्ड करने के लिए समामेलन की स्वीकृत योजना के अनुसार समामेलन किया गया।

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित), अंतरणकर्ता बैंक के कर्तव्यों और दायित्वों को अंतरिती बैंक के बही खाते में उनकी मौजूदा वहन राशियों पर और एएस-14 के तहत अपेक्षित लेखा नीतियों में एकरूपता लाने के लिए समायोजन को छोड़कर, 01 अप्रैल, 2020 के अनुसार उसी रूप में दर्ज किया गया।

समामेलन पर ली गई शुद्ध परिसंपत्ति निम्नानुसार है:

रुपए करोड में

| अधिग्रहीत परिसंपत्तियों का विवरण | ई-ओबीसी | ई-यूएनआई | कुल |
|---|---|---|---|
| आरबीआई में नकद और शेष राशि | 10,432.37 | 4,852.96 | 15,285.33 |
| बैंकों में शेष राशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | 5,713.92 | 8,724.68 | 14,438.60 |
| निवेश | 72,938.99 | 58,636.92 | 131,575.91 |
| अग्रिम | 157,888.39 | 67,330.21 | 225,218.60 |
| अचल परिसंपत्तियाँ | 2,443.05 | 1,418.49 | 3,861.54 |
| अन्य परिसंपत्ति | 18,763.90 | 11,839.09 | 30,602.99 |
| **कुल परिसंपत्ति (ए)** | **268,180.62** | **152,802.35** | **420,982.97** |
| **जुटाई गई देनदारियां** | | | |
| आरक्षित और अधिशेष | 15,168.88 | -2,160.70 | 13,008.18 |
| जमा राशि | 230,108.22 | 137,614.60 | 367,722.82 |
| उधार राशियां | 14,016.31 | 2,270.09 | 16,286.40 |
| अन्य दायित्व और प्रावधान | 7,675.18 | 6,233.70 | 13,908.88 |
| **कुल देयताएं (बी)** | **266,968.59** | **143,957.69** | **410,926.28** |
| **जुटाई गई शुद्ध परिसंपत्तियां सी = (ए-बी)** | **1,212.03** | **8,844.66** | **10,056.69** |
| घटाया : | | | |
| (डी) चर्चा अनुसार पीएनबी द्वारा जारी प्रति रु. 2 के अंकित मूल्य के 2,67,30,63,327 शेयर | 315.14 | 219.47 | 534.61 |
| (ई) शेयरों की आंशिक पात्रता के बदले नकद | 0.26 | 0.24 | 0.50 |
| (एफ) समायोजन (शुरुआती तुलन पत्र के अनुसार अवशिष्ट सामंजस्य प्रभाव) | | | 253.29 |
| अंतर अंतरित एफ = (सी-(डी+ई+एफ)) | | | 9,268.29 |

ii. Effective date of amalgamation for accounting purposes is 01-04-2020

iii. The method of accounting used to reflect the amalgamation:

The amalgamation has been accounted under the "pooling of interest" method of AS-14 issued by the Institute of Chartered Accountants of India on "Accounting for Amalgamations", and as per the approved Scheme of Amalgamation to record amalgamation of erstwhile Oriental Bank of Commerce and erstwhile United Bank of India with the Bank w.e.f. April 01, 2020.

All assets and liabilities (including contingent liabilities), duties and obligations of transferor Bank have been be recorded in the books of account of Transferee bank at their existing carrying amounts and in the same form as on April 01, 2020, except for adjustments to bring uniformity of accounting policies as required under AS-14.

The net assets taken over on amalgamation are as under:

Rs. in Crores

| Details of Assets taken over | e-OBC | e-UNI | Total |
|---|---|---|---|
| Cash and Balances with RBI | 10,432.37 | 4,852.96 | 15,285.33 |
| Balance with banks and Money at Call and Short Notice | 5,713.92 | 8,724.68 | 14,438.60 |
| Investments | 72,938.99 | 58,636.92 | 131,575.91 |
| Advances | 157,888.39 | 67,330.21 | 225,218.60 |
| Fixed Assets | 2,443.05 | 1,418.49 | 3,861.54 |
| Other Assets | 18,763.90 | 11,839.09 | 30,602.99 |
| **Total Assets (A)** | **268,180.62** | **152,802.35** | **420,982.97** |
| **Liabilities taken over** | | | |
| Reserves and Surplus | 15,168.88 | -2,160.70 | 13,008.18 |
| Deposits | 230,108.22 | 137,614.60 | 367,722.82 |
| Borrowings | 14,016.31 | 2,270.09 | 16,286.40 |
| Other Liabilities and Provisions | 7,675.18 | 6,233.70 | 13,908.88 |
| **Total Liabilities (B)** | **266,968.59** | **143,957.69** | **410,926.28** |
| **Net Assets taken over C = (A-B)** | **1,212.03** | **8,844.66** | **10,056.69** |
| Less : | | | |
| (D) 2,67,30,63,327 shares of face value of Rs. 2 each issued by PNB as consideration | 315.14 | 219.47 | 534.61 |
| (E) Cash in lieu of fractional entitlement of shares | 0.26 | 0.24 | 0.50 |
| (F) Adjustments (Residual harmonization impacts as per opening Balance Sheet) | | | 253.29 |
| Difference transferred F = (C-(D+E+F)) | | | 9,268.29 |

तदनुसार, समामेलित बैंकों की निवल परिसंपत्ति और समामेलित बैंकों के शेयरधारकों को जारी किए गए शेयरों की राशि के बीच रु.9,268.29 करोड़ (समंजन समायोजन) के अंतर को समामेलन समायोजन रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में तत्कालीन ओरिअंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और तत्कालीन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जिनका 1 अप्रैल 2020 बैंक के साथ विलय कर दिया गया है, का परिचालन शामिल हैं और इसलिए 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के आंकड़े की 31 मार्च 2020 को समाप्त तदनुरूपी वर्ष के साथ तुलना नहीं की जा सकती है।

2. **निवेश**

बैंक के निवेश और निवेश पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रु.करोड़ में)

| विवरण | | चालू वर्ष 31.03.2021 | गत वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| (1) | **निवेशों का मूल्य** | | |
| i | निवेशों का सकल मूल्य | 400174.70 | 243754.19 |
| क | भारत में | 394722.22 | 236505.42 |
| ख | भारत से बाहर | 5452.48 | 7248.77 |
| ii | मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | 7191.44 | 3288.55 |
| क | भारत में | 6831.42 | 3279.47 |
| ख | भारत से बाहर | 360.02 | 9.08 |
| iii | निवेशों का निवल मूल्य | 392983.26 | 240465.64 |
| क | भारत में | 387890.80 | 233225.95 |
| ख | भारत से बाहर | 5092.46 | 7239.68 |
| (2) | **निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में उतार-चढ़ाव** | | |
| i | प्रारम्भिक शेष | 3288.55 | 3997.14 |
| ii | ईओबीसी और ईयूएनआई के समामेलन के कारण परिवर्धन | 2989.22 | - |
| iii | जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान सहित सामंजस्य का प्रभाव, यदि कोई हो | 1038.05 | 35.26 |
| iv | घटाएं : वर्ष के दौरान किए गए अधिक प्रावधान के लिए बट्टे खाते डाली गयी/ प्रतिलिखित राशि | 124.38 | 743.85 |
| v | **अंतिम शेष** | **7191.44** | **3288.55** |

Accordingly, the difference of Rs.9,268.29 Crore (net-off adjustments) between the net assets of amalgamating banks and the amount of shares issued to shareholders of the amalgamating banks has been recognized as Amalgamation Adjustment Reserve.

Standalone Financial Statement for the year ended 31 March 2021 includes operations of erstwhile Oriental Bank of Commerce and erstwhile United Bank of India which are amalgamated with the Bank w.e.f. 1 April 2020 and hence the figures for year ended 31 March 2021 are not comparable with corresponding year ended 31 March 2020.

2. **Investments**

The detail of Investments and the Movement of provision held towards depreciation on investments of the Bank is given below:-

(Amount in ₹ Crore)

| Particulars | | Current Year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| (1) | **Value of Investments** | | |
| i | Gross value of Investments | 400174.70 | 243754.19 |
| a | In India | 394722.22 | 236505.42 |
| b | Outside India | 5452.48 | 7248.77 |
| ii | Provisions for Depreciation | 7191.44 | 3288.55 |
| a | In India | 6831.42 | 3279.47 |
| b | Outside India | 360.02 | 9.08 |
| iii | Net value of Investments | 392983.26 | 240465.64 |
| a | In India | 387890.80 | 233225.95 |
| b | Outside India | 5092.46 | 7239.68 |
| (2) | **Movement of provisions held towards depreciation on investments.** | | |
| i | Opening balance | 3288.55 | 3997.14 |
| ii | Addition on account of amalgamation of eOBC and eUNI | 2989.22 | - |
| iii | Add: Provisions made during the year including effect of Harmonization, if any | 1038.05 | 35.26 |
| iv | Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year | 124.38 | 743.85 |
| v | **Closing balance** | **7191.44** | **3288.55** |

3. **रेपो/प्रतिवर्ती रेपो/चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) लेनदेन (अंकित मूल्य के संबंध में)**

एलएएफ लेनदेन सहित रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेनों के अंतर्गत बेची और खरीदी गयी प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रु.करोड़ में)

| अंकित मूल्य | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | वर्ष के दौरान दैनिक औसत | 31.03.2021 को बकाया |
|---|---|---|---|---|
| **रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां** | | | | |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 188.65 | 0.97 | 0.00 |
| | (0.00) | (783.91) | (212.96) | (0.00) |
| (ii) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| **रिवर्स रेपो के अन्तर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां** | | | | |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 246.96 | 4.29 | 0.00 |
| | (0.00) | (15346.27) | (183.87) | (0.00) |
| (ii) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| **एलएएफ रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां** | | | | |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 21891.00 | 6148.58 | 0.00 |
| | (0.00) | (18825.00) | (1256.81) | (18825.00) |
| (ii) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| **एलएएफ रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां** | | | | |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ | 19000.00 | 68642.00 | 41496.13 | 27500.00 |
| | (0.00) | (48528.00) | (6650.33) | (20000.00) |
| (ii) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |

4. **गैर-एसएलआर निवेश संविभाग**

4.क **गैर एस एल आर निवेशों की निर्गमकर्ता संरचना**

(राशि रुपये करोड़ में)

| क्रम संख्या | निर्गमकर्ता | राशि | निजी स्थानन की मात्रा | "निवेश श्रेणी से नीचे" की प्रतिभूतियों की मात्रा | "बिना रेटिंग की" प्रतिभूतियों की मात्रा | "गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (i) | पीएसयू | 12046.54<br>(11520.07) | 7022.72<br>(2510.17) | 0.00<br>(0.00) | 0.00<br>(0.00) | 2466.33<br>(1720.52) |
| (ii) | एफआई | 11847.21<br>(5624.53) | 8111.88<br>(2086.33) | 0.00<br>(0.00) | 0.00<br>(0.00) | 0.00<br>(0.00) |
| (iii) | बैंक | 6339.24<br>(8303.33) | 2698.79<br>(678.60) | 1575.02<br>(1450.00) | 0.00<br>(0.00) | 0.00<br>(0.00) |
| (iv) | निजी कॉर्पोरेट | 9736.84<br>(6897.48) | 7802.18<br>(5003.23) | 543.63<br>(1260.71) | 0.00<br>(0.00) | 0.00<br>(0.00) |

3. **Repo/Reverse Repo/Liquidity Adjustment Facility (LAF) Transactions** (in face value terms)

The details of securities sold and purchased under Repo and Reverse Repo including LAF transactions are as under:-

(Amount in ₹ Crore)

| Face Value | Minimum outstanding during the year | Maximum outstanding during the year | Daily Average outstanding during the year | Outstanding as on 31.03.2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Securities sold under REPO** | | | | |
| (i) Government Securities | 0.00 | 188.65 | 0.97 | 0.00 |
| | (0.00) | (783.91) | (212.96) | (0.00) |
| (ii) Corporate Debt Securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| **Securities purchased under REVERSE REPO** | | | | |
| (i) Government Securities | 0.00 | 246.96 | 4.29 | 0.00 |
| | (0.00) | (15346.27) | (183.87) | (0.00) |
| (ii) Corporate Debt Securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| **Securities sold under LAF REPO** | | | | |
| (i) Government Securities | 0.00 | 21891.00 | 6148.58 | 0.00 |
| | (0.00) | (18825.00) | (1256.81) | (18825.00) |
| (ii) Corporate Debt Securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| **Securities purchased under LAF REVERSE REPO** | | | | |
| (i) Government Securities | 19000.00 | 68642.00 | 41496.13 | 27500.00 |
| | (0.00) | (48528.00) | (6650.33) | (20000.00) |
| (ii) Corporate Debt Securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |

4. **Non-SLR Investment Portfolio**

4a. **Issuer composition of Non SLR investments:**

(Amount in ₹ Crore)

| Sr. No. | Issuer | Amount | Extent of Private Placement | Extent of 'Below Investment Grade' Securities | Extent of 'Unrated' Securities | Extent of 'Unlisted' Securities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (i) | PSUs | 12046.54<br>(11520.07) | 7022.72<br>(2510.17) | 0.00<br>(0.00) | 0.00<br>(0.00) | 2466.33<br>(1720.52) |
| (ii) | FIs | 11847.21<br>(5624.53) | 8111.88<br>(2086.33) | 0.00<br>(0.00) | 0.00<br>(0.00) | 0.00<br>(0.00) |
| (iii) | Banks | 6339.24<br>(8303.33) | 2698.79<br>(678.60) | 1575.02<br>(1450.00) | 0.00<br>(0.00) | 0.00<br>(0.00) |
| (iv) | Private Corporates | 9736.84<br>(6897.48) | 7802.18<br>(5003.23) | 543.63<br>(1260.71) | 0.00<br>(0.00) | 0.00<br>(0.00) |

| (v) | अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्मम | 3205.02 (3051.17) | 3205.02 (3051.17) | 341.59 (0.00) | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (vi) | अन्य* | 69444.25 (41644.97) | 9567.15 (1247.34) | 662.70 (550.00) | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) |
| (vii) | घटाएः मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | 6880.53 (3288.55) | 3633.25 (1468.83) | 710.00 (820.82) | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) |
| | जोड़ | **105738.57 (73753.00)** | **34774.49 (13108.01)** | **2412.94 (2439.89)** | **0.00 (0.00)** | **2466.33 (1720.52)** |

*अन्य में अनुसूची - 8 के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियों में उल्लिखित रु.57769.30 करोड़ (गत वर्ष रु.36931.00 करोड़) (मूल्यह्रास को घटाकर, यदि कोई हो) की राशि की विशेष सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। ऊपर कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हो सकती। अन्य में यूएस ट्रेजरी, यूएस प्रतिभूतियां/बांड एचकेएमए और चीनी सरकार बांड शामिल है।

### 4ख. अनर्जक गैर- एस एल आर निवेश

**गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेशों में गतिशीलता निम्नानुसार है:**

(राशि रु. करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | गत वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| प्रारम्भिक शेष | 2914.85 | 2084.85 |
| ईओबीसी और ईयूएनआई के समामेलन के कारण परिवर्धन | 2717.64 | - |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन सहित सामंजस्य का प्रभाव, यदि कोई हो | 831.86 | 1237.37 |
| अवधि के दौरान कमी | 993.42 | 407.37 |
| अंतिम शेष | 5470.93 | 2914.85 |
| कुल धारित प्रावधान | 4667.50 | 2156.48 |

### 4ग. एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान एचटीएम श्रेणी मे/से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरणों का कुल मूल्यह 31.03.2020 को स्थित एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बही मूल्य से 5% अधिक नहीं बढ़ा है। (निम्नलिखित लेनदेनों को छोड़कर)

{उक्त वर्णित 5% की सीमा से निम्नलिखित बाहर रहेंगे -(क) लेखा वर्ष के आरम्भ में बैंकों द्वारा स्वीकृत निदेशक मंडल के अनुमोदन से एचटीएम श्रेणी को से एकबार में किया जाने वाला प्रतिभूतियों का अंतरण, (ख) पूर्व में घोषित ओएमओ नीलामी के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को किया जाने वाला विक्रय, (ग) भारत सरकार द्वारा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों की पुर्नखरीद, (घ) लेखा वर्ष की आरंभिक तिमाही में अनुमोदित शिफ्टिंग के अलावा एचटीएम के तहत एसएलआर प्रतिभूतियों पर सीलिंग कम करने के फलस्वरूप एएफएस/एचएफटी को प्रतिभूतियों की बिक्री या अंतरण।

इसलिए आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया जाना है।

| (v) | Subsidiaries / Joint Ventures | 3205.02 (3051.17) | 3205.02 (3051.17) | 341.59 (0.00) | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (vi) | Others* | 69444.25 (41644.97) | 9567.15 (1247.34) | 662.70 (550.00) | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) |
| (vii) | Less: Provision held towards depreciation. | 6880.53 (3288.55) | 3633.25 (1468.83) | 710.00 (820.82) | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) |
| | **Total** | **105738.57 (73753.00)** | **34774.49 (13108.01)** | **2412.94 (2439.89)** | **0.00 (0.00)** | **2466.33 (1720.52)** |

*Others include Special Govt. Securities of ₹57769.30Crore (Previous year: ₹36931.00Crore) (Net of depreciation, if any) shown under Govt. Securities in Schedule 8. Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive. Others also includes US Treasury, US Securities/Bonds HKMA and China Govt. Bond.

### 4b. Non-performing Non-SLR investments

**The movement in Non-performing Non-SLR Investments is given below:-**

(Amount in ₹ Crore)

| Particulars | Current Year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Opening balance | 2914.85 | 2084.85 |
| Addition on account of amalgamation of eOBC and eUNI | 2717.64 | - |
| Additions during the year including effect of Harmonization, if any | 831.86 | 1237.37 |
| Reductions during the year | 993.42 | 407.37 |
| **Closing balance** | **5470.93** | **2914.85** |
| Total provisions held | 4667.50 | 2156.48 |

### 4c. Sale and transfers to / from HTM category

The total value of sales and transfers of securities to / from HTM category during 1st April 2020 to 31st March 2021 has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category as on 31.03.2020 (Excluding following Transactions).

[The 5 percent threshold referred to above will exclude (a) the one- time transfer of securities to/ from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning quarter of the accounting year (b) sales to the Reserve Bank of India under pre-announced OMO auctions, (c) Repurchase of Government Securities by Government of India from banks, (d) Sale of securities or transfer to AFS / HFT consequent to the reduction of ceiling on SLR securities under HTM in addition to the shifting permitted at the beginning quarter of the accounting year].

As such no disclosure is to be made in terms of extant RBI guidelines.

5. व्युत्पन्न

5क. वायदा दर करार/ब्याज दर की अदला बदली (स्वैप)

(राशि रु.करोड़ में)

| विवरण | | चालू वर्ष 31.03.2021 | गत वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| i | अदलाबदली करारों का कल्पित सिद्धांत | 75.00 | 75.00 |
| ii | यदि काउन्टर पार्टियां समझौतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहीं, उनसे होने वाला नुकसान | 0.57 | 0.77 |
| iii | अदलाबदली में शामिल होने पर बैंकों द्वारा अपेक्षित संपाखिर्क प्रतिभूति | शून्य | शून्य |
| iv | अदलाबदली के कारण उत्पन्न ऋण जोखिम$ | शून्य | शून्य |
| v | अदलाबदली बही का उचित मूल्य@ | -3.7931 | -4.5263 |

$ये सभी अदलाबदली सौदे बैंक और एफआई के साथ हैं

@ये सभी अदला-बदली सौदे फैलाने वाले स्वैप हैं और इसका उचित मूल्य बाजार के अंकित मूल्य है।

उपरोक्त ट्रेड इंटरबैंक के साथ रु.75.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु.75.00 करोड) तथा वित्तीय संस्थान रु.0.00 करोड (पिछले वर्ष रु.0.00 करोड) ब्याज दर स्वैप डील है।

वर्तमान वर्ष के लिए क्रेडिट जोखिम (क्रेडिट एक्सपोजर) रु.1.32 करोड़ है तथा (पिछले वर्ष रु1.52 करोड)।

कुल 3 डील की गई जिसमें से 0 डील बैक टू बैक डील, 2 डील जहाँ फिक्स्ड संविदा दर पर भुगतान किया गया तथा फ्लोटिंग दर पर प्राप्त किया गया और शेष 1 डील में फ्लोटिंग दर पर भुगतान किया गया और फिक्सड संविदा दर पर प्राप्त किया गया।

5ख. एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न

(राशि रु. करोड़ में)

| क्रम सं | विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | गत वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| (i) | वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की अनुमानिक मूलधन राशि (लिखतवार)<br>क) ब्याज दर वायदा | शून्य | शून्य |
| (ii) | 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार बकाया एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखतवार)<br>क) ब्याज दर वायदा | शून्य | शून्य |
| (iii) | बकाया एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की ऐसी आनुमानिक मूलधन राशि तथा जो ''अत्यधिक प्रभावी'' नहीं है (लिखतवार) | शून्य | शून्य |

5. Derivatives

5a. Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(Amount in ₹ Crore)

| Particulars | | Current Year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| i | The notional principal of swap agreements | 75.00 | 75.00 |
| ii | Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements | 0.57 | 0.77 |
| iii | Collateral required by the bank upon entering into swaps | NIL | NIL |
| iv | Concentration of credit risk arising from the Swaps$ | NIL | NIL |
| v | The fair value of the swap book@ | -3.7931 | -4.5263 |

$ All these swap deals are with Banks and FI.

@All these swap deals are Treading swap and the fair value is its mark to market value.

"The above Trades are Interest Rate Swap Deal done with Interbank for ₹75.00Crores (Previous year: ₹75.00Crores) and with Financial Institution ₹NIL (Previous year: ₹NIL).

Credit Risk (Credit Exposure) for Current Year ₹1.32Crores (Previous year ₹1.52Crores).

There are total 3 deals out of which No deal is Back to Back Deal, 2 Deals where payment is made at Fixed Contract Rate and received at Floating rate and in remaining 1 deal, payment is made at Floating Rate and received at Fixed Contract Rate".

5b. Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(Amount in ₹ Crore)

| Sl. No. | Particulars | Current Year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| (i) | Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)<br>a) Interest rate futures | NIL | NIL |
| (ii) | Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31ST March 2021 (instrument-wise)<br>a) Interest Rate Futures | NIL | NIL |
| (iii) | Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument-wise) | NIL | NIL |

| (iv) | एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ड की बकाया राशी मार्क–टू–मार्कट वैल्यू "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखतवार) | शून्य | शून्य |
|---|---|---|---|

**5ग. डेरिवेटिव्ज़ में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटीकरण**

**I. गुणात्मक प्रकटीकरण**

बैंक अपने स्वयं के तुलन पत्र की मदों की हैजिंग के लिए और साथ–साथ व्यापार के उद्देश्य से भी व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करता है। व्युत्पन्न उत्पादों के जोखिम प्रबंधन का नियंत्रण एक वरिष्ठ कार्यपालक द्वारा किया जाता है, जो लाइन कार्यप्रणाली से स्वतंत्र रहते हुए उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट करता है। व्यापार की स्थिति दैनिक आधार पर बाजार भाव पर अंकित की जाती है।

व्युत्पन्न नीति का निर्माण एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग द्वारा किया जाता है, जिसमें ऋण जोखिम तथा बाजार जोखिम शामिल हैं।

हैज लेनदेनों का प्रयोग तुलन पत्र प्रबंधन के लिए किया जाता है। रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए सुव्यवस्थित तंत्र विद्यमान है। हेजिंग की नीति और उसकी निगरानी की प्रक्रिया भी विद्यमान हैं।

प्रतिरक्षा और गैर प्रतिरक्षा ट्रेडिंग को रिकार्ड करने के लिए लेखांकन नीति विद्यमान है जिसमें आय पहचान, प्रीमियम और डिस्काउंट सम्मिलित है ।

बकाया अनुबन्धों का मूल्यांकन, प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम को कम किया जा रहा हैं।

**II. मात्रात्मक प्रकटीकरण**

(राशि रूपए करोड़ में)

| क्रम सं | विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | | गत वर्ष 31.03.2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मुद्रा व्युत्पन्न | ब्याज दर व्युत्पन्न | मुद्रा व्युत्पन्न | ब्याज दर व्युत्पन्न |
| 1 | डेरिवेटिव्ज़ (कल्पित मूलधन राशि) | | | | |
| (क) | हैजिंग के लिए | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ख) | ट्रेडिंग के लिए | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2 | मार्कड टू मार्केट पोजिशन | | | | |
| | हैजिंग | | | | |
| | क) आस्ति (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ख) देयता (–) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ट्रेडिंग | | | | |
| | क) आस्ति (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ख) देयता (–) | 0.00 | –3.7931 | 0.00 | –4.5263 |
| 3 | ऋण एक्स्पोजर | 0.00 | 1.3238 | 0.00 | 1.5226 |
| 4 | ब्याडज दर में 1% परिवर्तन का सम्भाव्य प्रभाव (100*पीवी 01) | | | | |
| (क) | हैजिंग डेरिवेटिव पर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ख) | ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.74 |
| 5 | अवधि के दौरान पाये गये 100' पीवी 01 का अधिकतम तथा न्यूनतम | | | | |
| (क) | हैजिंग पर अधिकतम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | न्यूनतम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ख) | ट्रेडिंग पर अधिकतम | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 1.4176 |
| | न्यूनतम | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.7533 |

| (iv) | Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument-wise) | NIL | NIL |
|---|---|---|---|

**5c. Disclosure on risk exposure in derivatives**

**I. Qualitative Disclosures**

The Bank uses derivatives products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes. The risk management of derivative operation is headed by a senior executive, who reports to top management, independent of the line functions. Trading positions are marked to market on daily basis.

The derivative policy is framed by Integrated Risk Management Division, which includes measurement of credit risk and market risk.

The hedge transactions are undertaken for balance sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks are in place. Policy for hedging and processes for monitoring the same is in place.

Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions are in place, which includes recognition of income, premiums and discounts.

Valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and credit risk mitigation are being done.

**II. Quantitative Disclosures**

(Amount in ₹ Crore)

| Sl. No. | Particulars | Current Year 31.03.2021 | | Previous Year 31.03.2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Currency Derivatives | Interest Rate Derivatives | Currency Derivatives | Interest Rate Derivatives |
| 1 | Derivatives (Notional Principal Amount) | | | | |
| (a) | For Hedging | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (b) | For trading | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2 | Marked to Market Positions | | | | |
| | Hedging | | | | |
| | a) Asset (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) Liability (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Trading | | | | |
| | a) Asset (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) Liability (-) | 0.00 | -3.7931 | 0.00 | -4.5263 |
| 3 | Credit Exposure[1] | 0.00 | 1.3238 | 0.00 | 1.5226 |
| 4 | Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) | | | | |
| (a) | On hedging derivatives | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (b) | On trading derivatives | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.74 |
| 5 | Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the period | | | | |
| (a) | On hedging Maximum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Minimum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (b) | On trading Maximum | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 1.4176 |
| | Minimum | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.7533 |

1 बैंक आरबीआई निर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न उत्पादों के क्रेडिट एक्सपोज़र के मापन पर वर्तमान एक्सपोज़र विधि को अपनाया है।

**6. आस्ति गुणवत्ता**

**6क. अनर्जक आस्तियां**

सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए), शुद्ध एनपीए तथा प्रावधानों के उतार चढ़ाव का विवरण निम्नानुसार है: -

(राशि रु.करोड़ में)

| | विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | गत वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| i) | निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (%) | 5.73% | 5.78% |
| | | | |
| ii) | अनर्जक आस्तियों (सकल) में उतार-चढ़ाव | | |
| | प्रारम्भिक शेष | 73478.76 | 78472.70 |
| | ईओबीसी और ईयूएनआई के समामेलन के कारण परिवर्धन | 31686.38 | . |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन सहित सामंजस्य का प्रभाव, यदि कोई हो | 28939.83 | 20751.25 |
| | अवधि के दौरान कमी | 29681.55 | 25745.19 |
| | अंतिम शेष | **104423.42** | **73478.76** |
| | | | |
| iii) | शुद्ध एनपीए में उतार-चढ़ाव | | |
| | प्रारम्भिक शेष | 27218.90 | 30037.66 |
| | ईओबीसी और ईयूएनआई के समामेलन के कारण परिवर्धन | 11100.63 | . |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन सहित सामंजस्य का प्रभाव, यदि कोई हो | 21677.98 | 15386.25 |
| | अवधि के दौरान कमी | 21421.81 | 18205.01 |
| | अंतिम शेष | **38575.70** | **27218.90** |
| | | | |
| iv) | अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों से सम्बन्धित प्रावधानों को छोडकर) | | |
| | प्रारम्भिक शेष | 45843.48 | 48119.81 |
| | ईओबीसी और ईयूएनआई के समामेलन के कारण परिवर्धन | 20391.21 | . |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन सहित सामंजस्य का प्रभाव, यदि कोई हो | 24094.79 | 17820.94 |
| | अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/प्रतिलेखन | 25201.63 | 20097.27 |
| | अंतिम शेष | **65127.85** | **45843.48** |

1. Banks adopt the Current Exposure Method on Measurement of Credit Exposure of Derivative Products as per RBI instructions.

**6. Asset Quality**

**6(a) Non-Performing Assets**

The details of movement of Gross Non-performing Assets (NPAs), Net NPAs and provisions are given below:-

(Amount in ₹ Crore)

| | Particulars | Current Year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| i) | Net NPAs to Net Advances (%) | 5.73% | 5.78% |
| | | | |
| ii) | Movement of NPAs (Gross) | | |
| | Opening balance | 73478.76 | 78472.70 |
| | Addition on account of amalgamation of eOBC and eUNI | 31686.38 | - |
| | Additions during the year including effect of Harmonization, if any | 28939.83 | 20751.25 |
| | Reductions during the year | 29681.55 | 25745.19 |
| | Closing balance | **104423.42** | **73478.76** |
| | | | |
| iii) | Movement of Net NPAs | | |
| | Opening balance | 27218.90 | 30037.66 |
| | Addition on account of amalgamation of eOBC and eUNI | 11100.63 | - |
| | Additions during the year including effect of Harmonization, if any | 21677.98 | 15386.25 |
| | Reductions during the year | 21421.81 | 18205.01 |
| | Closing balance | **38575.70** | **27218.90** |
| | | | |
| iv) | Movement of provision for NPAs (excluding provisions on Standard assets) | | |
| | Opening balance | 45843.48 | 48119.81 |
| | Addition on account of amalgamation of eOBC and eUNI | 20391.21 | - |
| | Additions during the year including effect of Harmonization, if any | 24094.79 | 17820.94 |
| | Write-off/write back of excess provision | 25201.63 | 20097.27 |
| | Closing balance | **65127.85** | **45843.48** |

## 6 बी. संशोधित दिशानिर्देश के अनुसार 31.03.2021 तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | पुन: संरचना का प्रकार | | सीडीआर पद्धति के अंतर्गत | | | | | एसएमई ऋण पुन: संरचना पद्धति के अंतर्गत | | | | | अन्य | | | | | जोड़ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आस्ति वर्गीकरण | | मानक | अवमानक | संदिग्ध | हानि | जोड़ | मानक | अवमानक | संदिग्ध | हानि | जोड़ | मानक | अवमानक | संदिग्ध | हानि | जोड़ | मानक | अवमानक | संदिग्ध | हानि | जोड़ |
| | विवरण | | (ए) | (बी) | (सी) | (डी) | (ई) | (एफ) | (जी) | (एच) | (आई) | (जे) | (के) | (एल) | (एम) | (एन) | (ओ) | | | | | |
| 1 | 1 अप्रैल 2020 को पुन: संरचित खाते (प्रारंभिक आंकडे*) | ऋणियों की संख्या | 3 | 1 | 22 | 2 | 28 | 437 | 124 | 2,467 | 6 | 3,034 | 4721 | 532 | 2180 | 2 | 7435 | 5,161 | 657 | 4,669 | 10 | 10,497 |
| | | बकाया राशि | 913.00 | 28590.50 | 187018.99 | 8639.13 | 225161.62 | 16,023.21 | 23,427.85 | 30,266.83 | 27,381.78 | 97,099.67 | 206699.30 | 74768.51 | 240052.27 | 9381.00 | 530901.08 | 2,23,635.51 | 1,26,786.86 | 4,57,338.09 | 45,401.91 | 8,53,162.37 |
| | | प्रावधान | 155.00 | 460.92 | 1711.43 | 0.00 | 2327.35 | 3,015.99 | 1,709.02 | 19,883.83 | 27,376.78 | 51,985.62 | 9339.65 | 6165.66 | 2156.54 | 0.00 | 17661.84 | 12,510.64 | 8,335.60 | 23,751.80 | 27,376.78 | 71,974.81 |
| 2 | वर्ष 2020-21 के दौरान नए पुन: संरचित (मौजूदा खाते में अतिरिक्त बकाये सहित) | ऋणियों की संख्या | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 984 | 0 | 0 | 0 | 984.00 | 984 | 3 | 7 | 2 | 996 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 21204.53 | 28758.24 | 0 | 49962.77 | 1,323.47 | 2,881.17 | 0.00 | 6.15 | 4,210.79 | 75969.91 | 0 | 0 | 0 | 75969.91 | 77,293.38 | 24,085.70 | 28,758.24 | 6.15 | 1,30,143.47 |
| | | प्रावधान | 0.00 | 555.20 | 2.77 | 0.00 | 557.97 | 179.20 | 228.85 | 457.39 | 0.00 | 865.44 | 6124.84 | 0 | 0 | 0 | 6124.84 | 6,304.04 | 784.05 | 460.16 | 0.00 | 7,548.25 |
| 3 | वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पुन: संरचित मानक श्रेणी में उन्नय | ऋणियों की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | -64 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 68 | -61 | 3 | 0 | 10 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,128.38 | -2,060.42 | -67.96 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2920.74 | 53001.57 | 0 | 55922.31 | 2,128.38 | 860.32 | 52,933.61 | 0.00 | 55,922.31 |
| | | प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.59 | -233.85 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0 | 87.59 | 26.75 | 0 | 114.34 | 232.59 | -146.26 | 28.01 | 0.00 | 114.34 |
| 4 | वित्तीय वर्ष 2020-21 की शुरुआत में पुन: संरचित मानक अग्रिम, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में उच्चतर प्रावधानीकरण औरध या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करने के लिए समाप्त हो जाते हैं और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुन: संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाए जाने की आवश्यकता नहीं है। | ऋणियों की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -666 | 0.00 | 0 | 0 | -666.00 | -666 | 0 | 0 | 0 | -666 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1566.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1566.68 | -1,566.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,566.68 |
| | | प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.33 | -78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.33 |
| 5 | वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पुन: सरचित खातों की अवनति | ऋणियों की संख्या | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | -12 | -26 | -257 | 1 | -294 | 0 | -6 | -7 | 0 | -13 | -12 | -33 | -263 | 4 | -304 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | -28,590.50 | 28590.50 | 19687.23 | 19687.23 | -1,953.19 | -617.62 | 1,835.80 | 4.03 | -730.98 | 0.00 | -22989.47 | -28720.04 | 0.00 | -51709.51 | -1,953.19 | -52,197.59 | 1,706.26 | 19,691.26 | -32,753.26 |
| | | प्रावधान | 0.00 | -460.92 | 460.92 | 0.00 | 0.00 | -1,132.62 | -329.83 | 923.90 | 4.03 | -534.52 | 0.00 | -26.75 | -273.26 | 0.00 | -300.01 | -1,132.62 | -817.50 | 1,111.56 | 4.03 | -834.53 |
| 6 | वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पुन: संरचित खातों को बट्टेखाता (बाहर होना) | ऋणियों की संख्या | -3 | 0 | -20 | -5 | -28 | -34 | -8 | -2,194 | -8 | -2,244 | -1147 | -525.00 | -2163 | -2 | -3837 | -1,184 | -533 | -4,377 | -15 | -6,109 |

## 6b Disclosure of Restructured Accounts (As on 31.03.2021) as per revised guidelines

(Rs in lakhs)

| Sl No | Type of Restructuring -> | | Under CDR Mechanism | | | | | Under SME Debt Restructuring Mechanism | | | | | Others | | | | | Total | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Asset Classification -> | | Standard | Sub-Stand-ard | Doubtful | Loss | Total | Standard | Sub-Stand-ard | Doubtful | Loss | Total | Standard | Sub-Stand-ard | Doubtful | Loss | Total | Standard | Sub-Stand-ard | Doubtful | Loss | Total |
| | Details | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | | | | | |
| 1 | Restructured Accounts as on April 1 2020 **(opening figures*)** | No. of borrowers | 3 | 1 | 22 | 2 | 28 | 437 | 124 | 2,467 | 6 | 3,034 | 4721 | 532 | 2180 | 2 | 7435 | 5,161 | 657 | 4,669 | 10 | 10,497 |
| | | Amount outstanding | 913.00 | 28590.50 | 187018.99 | 8639.13 | 225161.62 | 16,023.21 | 23,427.85 | 30,266.83 | 27,381.78 | 97,099.67 | 206699.30 | 74768.51 | 240052.27 | 9381.00 | 530901.08 | 2,23,635.51 | 1,26,786.86 | 4,57,338.09 | 45,401.91 | 8,53,162.37 |
| | | Provision thereon | 155.00 | 460.92 | 1711.43 | 0.00 | 2327.35 | 3,015.99 | 1,709.02 | 19,883.83 | 27,376.78 | 51,985.62 | 9339.65 | 6165.66 | 2156.54 | 0.00 | 17661.84 | 12,510.64 | 8,335.60 | 23,751.80 | 27,376.78 | 71,974.81 |
| 2 | "Fresh restructuring during the year 2020-21 ( plus addition in O/s **in existing a/cs)"** | No. of borrowers | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 984 | 0 | 0 | 0 | 984.00 | 984 | 3 | 7 | 2 | 996 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 21204.53 | 28758.24 | 0 | 49962.77 | 1,323.47 | 2,881.17 | 0.00 | 6.15 | 4,210.79 | 75969.91 | 0 | 0 | 0 | 75969.91 | 77,293.38 | 24,085.70 | 28,758.24 | 6.15 | 1,30,143.47 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 555.20 | 2.77 | 0.00 | 557.97 | 179.20 | 228.85 | 457.39 | 0.00 | 865.44 | 6124.84 | 0 | 0 | 0 | 6124.84 | 6,304.04 | 784.05 | 460.16 | 0.00 | 7,548.25 |
| 3 | "Upgradations to restructured standard category during the FY 2020-21" | No. of borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | -64 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 68 | -61 | 3 | 0 | 10 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,128.38 | -2,060.42 | -67.96 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2920.74 | 53001.57 | 0 | 55922.31 | 2,128.38 | 860.32 | 52,933.61 | 0.00 | 55,922.31 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.59 | -233.85 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.59 | 26.75 | 0.00 | 114.34 | 232.59 | -146.26 | 28.01 | 0.00 | 114.34 |
| 4 | Restructured standard advances at the beginning of the FY 2020-21, which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 2020-21and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY | No. of borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -666 | 0.00 | 0 | 0 | -666.00 | -666 | 0 | 0 | 0 | -666 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1566.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1566.68 | -1,566.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,566.68 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.33 | -78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.33 |
| 5 | "Downgradations of restructured accounts during the FY 2020-21 | No. of borrowers | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | -12 | -26 | -257 | 1 | -294 | 0 | -6 | -7 | 0 | -13 | -12 | -33 | -263 | 4 | -304 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | -28,590.50 | 28590.50 | 19687.23 | 19687.23 | -1,953.19 | -617.62 | 1,835.80 | 4.03 | -730.98 | 0.00 | -22989.47 | -28720.04 | 0.00 | -51709.51 | -1,953.19 | -52,197.59 | 1,706.26 | 19,691.26 | -32,753.26 |
| | | Provision thereon | 0.00 | -460.92 | 460.92 | 0.00 | 0.00 | -1,132.62 | -329.83 | 923.90 | 4.03 | -534.52 | 0.00 | -26.75 | -273.26 | 0.00 | -300.01 | -1,132.62 | -817.50 | 1,111.56 | 4.03 | -834.53 |
| 6 | Write-offs of restructured accounts during the FY 2020-**21(Exit )** | No. of borrowers | -3 | 0 | -20 | -5 | -28 | -34 | -8 | -2,194 | -8 | -2,244 | -1147 | -525.00 | -2163 | -2 | -3837 | -1,184 | -533 | -4,377 | -15 | -6,109 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बकाया राशि | -913.00 | 0.00 | -185178.79 | -28326.36 | -214418.15 | -237.50 | -42.00 | -23,659.42 | -27,387.93 | -51,326.85 | -61193 | -35403.26 | -146147.58 | -9381.00 | -252124.84 | -62,343.50 | -35,445.26 | -3,54,985.79 | -65,095.29 | -5,17,869.84 |
| | | प्रावधान | -155.00 | -70.47 | -1674.16 | 0.00 | -1899.63 | -297.54 | 0.00 | -19,864.04 | -27,376.78 | -47,538.36 | -2670 | -863.50 | -1129.60 | 0.00 | -4663.10 | -3,122.54 | -933.97 | -22,667.80 | -27,376.78 | -54,101.09 |
| 7 | वित्तीय वर्ष की 31 दिसंबर, 2020 को पुनः संरचित खाते | ऋणियों की संख्या | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 459 | 26 | 19 | 1 | 505 | 3892 | 4 | 17 | 0 | 3913 | 4,351 | 33 | 39 | 1 | 4,424 |
| | (इति शेष आंकड़े') | बकाया राशि | 0.00 | 21,204.53 | 59,188.94 | 0.00 | 80,393.47 | 17,284.37 | 23,588.98 | 8,375.25 | 4 | 49,252.63 | 219909.53 | 19296.52 | 118186.22 | 0.00 | 357392.27 | 2,37,193.90 | 64,090.03 | 1,85,750.41 | 4.03 | 4,87,038.38 |
| | | प्रावधान | 0.00 | 484.73 | 500.96 | 0.00 | 985.69 | 1,997.62 | 1,374.19 | 1,402.34 | 4 | 4,778.18 | 12716.16 | 5363.00 | 780.42 | 0.00 | 18859.58 | 14,713.78 | 7,221.92 | 2,683.72 | 4.03 | 24,623.46 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Amount outstanding | -913.00 | 0.00 | -185178.79 | -28326.36 | -214418.15 | -237.50 | -42.00 | -23,659.42 | -27,387.93 | -51,326.85 | -61193 | -35403.26 | -146147.58 | -9381.00 | -252124.84 | -62,343.50 | -35,445.26 | -3,54,985.79 | -65,095.29 | -5,17,869.84 |
| | | Provision thereon | -155.00 | -70.47 | -1674.16 | 0.00 | -1899.63 | -297.54 | 0.00 | -19,864.04 | -27,376.78 | -47,538.36 | -2670 | -863.50 | -1129.60 | 0.00 | -4663.10 | -3,122.54 | -933.97 | -22,667.80 | -27,376.78 | -54,101.09 |
| 7 | Accounts Restructured as on December 31, 2020 | No. of borrowers | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 459 | 26 | 19 | 1 | 505 | 3892 | 4 | 17 | 0 | 3913 | 4,351 | 33 | 39 | 1 | 4,424 |
| | **(closing figures*)** | Amount outstanding | 0.00 | 21,204.53 | 59,188.94 | 0.00 | 80,393.47 | 17,284.37 | 23,588.98 | 8,375.25 | 4 | 49,252.63 | 219909.53 | 19296.52 | 118186.22 | 0.00 | 357392.27 | 2,37,193.90 | 64,090.03 | 1,85,750.41 | 4.03 | 4,87,038.38 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 484.73 | 500.96 | 0.00 | 985.69 | 1,997.62 | 1,374.19 | 1,402.34 | 4 | 4,778.18 | 12716.16 | 5363.00 | 780.42 | 0.00 | 18859.58 | 14,713.78 | 7,221.92 | 2,683.72 | 4.03 | 24,623.46 |

**6.सी i) 31.03.2021 को तनावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) की धारणीय संरचना की योजना का प्रकटीकरण:**

(राशि रु.करोड़ में)

| विवरण | खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है | कुल बकाया राशि | बकाया राशि | | धारित प्रावधान |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | भाग ए में | भाग बी में | |
| मानक के रूप में वर्गीकृत | 3 | 1600.95 | 472.19 | 1128.76 | 695.17 |
| एनपीए के रूप में वर्गीकृत | 7 | 2848.14 | 1883.78 | 1143.40 | 2018.27 |

**6.सी (ii) 31.03.2021 को रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं)**

(राशि रु.करोड़ में)

| खातों की संख्या जहां एसडीआर लागू की गई है | रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि | | खाते जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन लंबित है, उनके संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि | | खाते जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन हो गया है, उनके संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत |
| शून्य | | | | | | |

**6.सी (iii) रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं)**

(राशि रु.करोड़ में)

| खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। | रिपोर्टिंग तिथि अर्थात् 31.03.2021 को बकाया राशि | | खाते जहां ऋण से इक्विटी में परिवर्तन किया गया है। इक्विटी शेयरों को गिरवी रखा गया है, के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया | | खाते जहां ऋण से इक्विटी में परिवर्तन। इक्विटी शेयरों को गिरवी रखना लंबित हैं, के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया | | खाते जहां नए शेयर जारी करके या प्रवर्तकों के इक्विटी की बिक्री से स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है, के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत |
| शून्य | | | | | | | | |

**6.सी (iv) 31.03.2021 को मौजूदा ऋणों की लचीली संरचना के अनुप्रयोग पर प्रकटीकरण**

(राशि रूपए करोड़ में)

| अवधि | लचीली संरचना में लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या | लचीली संरचना के लिए ली गई ऋण की राशि | | लचीली संरचना के लिए ली गई ऋण की एक्सपोज़र भारित औसत अवधि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | लचीली संरचना लागू करने से पूर्व | लचीली संरचना लागू करने से बाद |
| पिछला वित्तीय वर्ष | शून्य | | | | |
| वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक) | शून्य | | | | |

**6.c (i) Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31.03.2021**

(Amount in ₹ Crore)

| Particulars | No. of accounts where S4A has been applied | Aggregate amount outstanding | Amount outstanding | | Provision Held |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | In Part A | In Part B | |
| Classified as Standard | 3 | 1600.95 | 472.19 | 1128.76 | 695.17 |
| Classified as NPA | 7 | 2848.14 | 1883.78 | 1143.40 | 2018.27 |

**6.c (ii) Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period) as on 31.03.2021**

(Amount in ₹ Crore)

| No. of accounts where SDR has been invoked | Amount outstanding as on the reporting date | | Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending | | Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has been taken place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Classified as Standard | Classified as NPA | Classified as Standard | Classified as NPA | Classified as Standard | Classified as NPA |
| NIL | | | | | | |

**6.c (iii) Disclosures on Change in ownership outside Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period):**

(Amount in ₹ Crore)

| No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership | Amount outstanding as on the reporting date i.e. 31.03.2021 | | Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares is pending | | Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares has taken place | | Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Classified as Standard | Classified as NPA | Classified as Standard | Classified as NPA | Classified as Standard | Classified as NPA | Classified as Standard | Classified as NPA |
| NIL | | | | | | | | |

**6.c (iv) Disclosures on application of Flexible Structuring to Existing Loans as on 31.03.2021:**

(Amount in ₹ Crore)

| Period | No. of borrowers taken up for flexibly structuring | Amount of loans taken up for flexible structuring | | Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Classified as Standard | Classified as NPA | Before applying flexible structuring | After applying flexible structuring |
| Previous Financial Year | NIL | | | | |
| Current Financial Year (From April 2020 to March 2021) | NIL | | | | |

**6.सी (v) कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं)**

(राशि रु.करोड़ में)

| परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन का निर्णय लिया है | रिपोर्टिंग तिथि अर्थात 31.03.2021 को बकाया राशि | | |
|---|---|---|---|
| | मानक के रूप में वर्गीकृत | मानक पुनर्संरचना के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत |
| शून्य | | | |

**6सी (vi)** आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआरण्बीपीबीसी सं. 32/21.04.018/2018-19 दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के अनुसार, आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण के मामलें में प्रावधानों और संबंधित अवधि के लिए आकस्मिकताओं से पहले सूचित लाभ का 10% से अधिक प्रावधान है औरधया आरबीआई द्वारा चिन्हित अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक है, तो बैंकों को आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन का खुलासा करना आवश्यक है।

उपरोक्त परिपत्र के संदर्भ में विचलन, ऊपर निर्दिष्ट सीमा के भीतर हैं, इसलिए वित्त वर्ष 2020 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

**6.डी आस्तियों की पुनःसंरचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनः संरचना कम्पनी (एसआर/आरसी)/एनबीएफसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा**

**क. बिक्रियों का ब्यौरा।**

(राशि रु.करोड़ में)

| | विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | गत वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| 1. | खातों की संख्या | 1 | 3 |
| 2. | कुल मूल्य (डीआई/एसआई को घटाकर, ईसीजीसी और प्रावधानों) | 0.00 | 3.69 |
| 3. | कुल प्रतिफल राशि | 11.01 | 19.48 |
| 4. | पिछले वर्षों (31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान) में अंतरित किए गए खातों के सम्बन्ध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल राशि | 88.26 | 0.00 |
| 5. | निवल बही (3-2) मूल्य से अधिक कुल लाभ / हानि | 11.01 | 15.79 |
| 5.1 | एनबीवी पर हानि (जहाँ बिक्री एनबीवी से कम मूल्य पर हो) | शून्य | शून्य |
| 5.2 | एनबीवी पर लाभ (जहाँ बिक्री एनबीवी से अधिक मूल्य पर हो) | 11.01 | 15.79 |

**6.c (v) Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period):**

(Amount in ₹ Crore)

| No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership | Amount outstanding as on the reporting date i.e. 31.03.2021 | | |
|---|---|---|---|
| | Classified as Standard | Classified as Standard restructured | Classified as NPA |
| NIL | | | |

**6 c (vi)** As per RBI Circular No.DBR.BPBC No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019, in case the additional provisioning for NPA assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and /or additional gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of the published incremental Gross NPAs for the reference period, then the banks are required to disclose divergence from prudential norms on income recognition, assets classification and provisioning.

Divergences in terms of above circular, are within threshold limits as specified above, hence no disclosure is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2020.

**6.d Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company (SC/RC)/NBFC for Asset Reconstruction.**

**A. Details of Sales.**

(Amount in ₹ Crore)

| | Particulars | Current Year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| 1. | No. of Accounts | 1 | 3 |
| 2. | Aggregate value (Net of DI/SI, ECGC & Provisions) | 0.00 | 3.69 |
| 3. | Aggregate consideration | 11.01 | 19.48 |
| 4. | Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years (FY ended 31.03.2021-During current financial year 2020-21 ) | 88.26 | 0.00 |
| 5. | Aggregate gain/loss over net book value (3-2) | 11.01 | 15.79 |
| 5.1 | Loss over NBV (where sale is for value below NBV) | NIL | NIL |
| 5.2 | Gain over NBV (where sale is for value above NBV) | 11.01 | 15.79 |

बी. प्रतिभूति रसीद में निवेशों के बही मूल्य का ब्यौरा

(राशि रु.करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | गत वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| (i) बैंक द्वारा अंडरलाईग के तौर पर बेचे गए एनपीए के द्वारा समर्थित | 2113.77 | 1509.11 |
| (ii)अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचे गए एनपीए के द्वारा समर्थित | शून्य | शून्य |
| कुल | 2113.77 | 1509.11 |

सी. प्रतिभूति रसीदों में निवेश

(राशि रु.करोड़ में)

| | विवरण | पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एस.आर | अधिक से अधिक 5 साल पहले जारी किए गए एसआर लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर | 8 से अधिक साल पहले जारी किए गए एसआर |
|---|---|---|---|---|
| (i) | बैंक द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य | 1930.75 | 118.76 | 64.27 |
| | (i) के विरुद्ध प्रावधान | 534.79 | 15.19 | 64.27 |
| (ii) | अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआरएस का बही मूल्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (ii)के विरुद्ध प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल (i) + (ii) | | 1930.75 | 118.76 | 64.27 |

6.ई. अन्य बैंकों से खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(राशि रूपए करोड़ में)

| | विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | गत वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या | शून्य | शून्य |
| | (ख) कुल बकाया | शून्य | शून्य |
| 2 | (क) इनमें से, वर्ष के दौरान पुन:संरचित खातों की संख्या | शून्य | शून्य |
| | (ख) कुल बकाया | शून्य | शून्य |

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts.

(Amount in ₹ Crore)

| Particulars | Current Year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| (i) Backed by NPAs sold by the bank as underlying | 2113.77 | 1509.11 |
| (ii) Backed by NPAs sold by other banks / financial institution / non banking financial companies as underlying | NIL | NIL |
| TOTAL | 2113.77 | 1509.11 |

C. Investments in Security Receipts:-

(₹ in Crore)

| | Particulars | SRs issued within past 5 years | SR's issued more than 5 years ago but within past 8 years | SR's issued more than 8 years ago |
|---|---|---|---|---|
| (i) | Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying | 1930.75 | 118.76 | 64.27 |
| | Provision held against (i) | 534.79 | 15.19 | 64.27 |
| (ii) | Book values of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institution / non banking financial companies as underlying | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Provision held against (ii) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total (i) + (ii) | | 1930.75 | 118.76 | 64.27 |

6.e Details of Non-performing Financial assets purchased/ sold from / to other banks.

A. Details of Non-performing Financial assets purchased:

(Amount in ₹ Crore)

| | Particulars | Current Year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | (a) No. of accounts purchased during the year | NIL | NIL |
| | (b) Aggregate outstanding | NIL | NIL |
| 2 | (a) Of these, number of accounts restructured during the year | NIL | NIL |
| | (b) Aggregate outstanding | NIL | NIL |

**ख. अनर्जक वित्तीय आस्तियों की बिक्री का ब्यौरा**

(राशि रु.करोड़ में)

| | विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | गत वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | वर्ष के दौरान बेचे गए खातों की संख्या | शून्य | शून्य |
| 2 | कुल बकाया | शून्य | शून्य |
| 3 | कुल प्राप्त प्रतिफल | शून्य | शून्य |

**6.एफ मानक आस्तियों पर प्रावधान**

(राशि रु.करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | गत वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| संचयी शेष (तुलनपत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान" के अन्तर्गत सम्मिलित) | 4755.91 | 2782.43 |

**6.जी आरबीआई परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के संदर्भ में वर्ष के दौरान लागू किए गए समाधान योजनाओं से संबंधित प्रकटीकरण:**

(राशि रु.करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | गत वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| पुन: संरचना आदि के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि | 1869.24 | 956.73 |
| पुन: संरचना आदि के अधीन मानक आस्तियों की राशि | 300.38 | शून्य |
| पुन: संरचना आदि के अधीन अवमानक आस्तियों की राशि | 1568.86 | 956.73 |

**6.एच** अग्रिमों की पुन: संरचना पर एसएमई क्षेत्र विषय पर आरबीआई के परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी 2019, डीओआर.सं.बीपी.बीसी. 34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी 2020, और डीओआर.सं.बीपी.बीसी. 44/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त 2020 के अनुसार दि. 31.03.2021 को पुन: संरचित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रु.करोड़ में)

| पुन: संरचित किए गए खातों की संख्या | राशि |
|---|---|
| 60101 | 3274.16 |

**6.आइ** कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए समाधान फ्रेमवर्क,और नवीनतम दिशानिर्देश, यदि कोई हो, का आरबीआई पत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी. 3/21.04.048/2020-21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार प्रकटीकरण।

**B. Details of non-performing financial assets sold:**

(Amount in ₹ Crore)

| | Particulars | Current Year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | No. of accounts sold during the year | NIL | NIL |
| 2 | Aggregate outstanding | NIL | NIL |
| 3 | Aggregate consideration received | NIL | NIL |

**6.(f) Provisions on Standard Assets**

(Amount in ₹ Crore)

| Particulars | Current Year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Cumulative Balance (included under "Other Liabilities & Provisions" in Schedule 5 to the balance sheet) | 4755.91 | 2782.43 |

**6.(g) Disclosure related to Resolution Plan implemented during the Year in terms of RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019:**

(Amount in ₹ Crore)

| Particulars | Current Year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Total amount of Loan assets subjected to restructuring etc. | 1869.24 | 956.73 |
| The amount of standard assets subjected to restructuring etc. | 300.38 | NIL |
| The amount of Sub-standard assets subjected to restructuring etc. | 1568.86 | 956.73 |

**6.(h)** As per RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 1st January 2019, DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated 11th February 2020 and DOR.No.BP.BC.44/21.04.048/2020-21 dated 06th August 2020 on restructuring of Advances-MSME sector, the details of restructured accounts as on 31.03.2021 are as under:

(Amount in ₹ Crore)

| No. of Accounts Restructured | Amount |
|---|---|
| 60101 | 3274.16 |

**6.(i)** Disclosure in terms of RBI letter DOR.No.BP.BC.3/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 Resolution Framework for COVID-19 - related Stress, and latest guidelines, if any.

क. क्रेडिट कार्ड के अलावा अन्य अग्रिम:

(राशि रु.करोड़ में)

| उधारकर्ता का प्रकार | (ए) इस विंडो के तहत उन खातों की संख्या जहां समाधान योजना लागू की गई है | (बी) योजना के क्रियान्वयन से पहले (ए) में उल्लिखित खातों का एक्सपोज़र | (सी) (बी) की, ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया था | (डी) योजना को लागू करने और कार्यान्वयन के बीच अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करना, यदि कोई हो, शामिल है | (ई) समाधान योजना के क्रियान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि |
|---|---|---|---|---|---|
| व्यक्तिगत ऋण | 6654 | 773.47 | शून्य | शून्य | 77.35 |
| कॉर्पोरेट व्यक्ति* | 11 | 521.45 | शून्य | शून्य | 52.14 |
| जिनमें से, एमएसएमई | 5 | 160.77 | शून्य | शून्य | शून्य |
| अन्य | 207 | 43.14 | शून्य | शून्य | 4.32 |
| **कुल** | **6872** | **1338.06** | **शून्य** | **शून्य** | **133.81** |

*जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है

बी. क्रेडिट कार्ड अग्रिम:

(राशि रु.करोड़ में)

| उधारकर्ता का प्रकार | (ए) इस विंडो के तहत उन खातों की संख्या जहां समाधान योजना लागू की गई है | (बी) योजना के क्रियान्वयन से पहले (ए) में उल्लिखित खातों का एक्सपोजर | (सी) (बी) की, ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया था | (डी) योजना को लागू करने और कार्यान्वयन के बीच अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत स्वीकृत करना, यदि कोई हो, शामिल है | (ई) समाधान योजना के क्रियान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि |
|---|---|---|---|---|---|
| व्यक्तिगत ऋण | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| कॉर्पोरेट व्यक्ति* | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| जिनमें से, एमएसएमई | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| अन्य | 81 | 0.42 | शून्य | शून्य | 0.04 |
| **कुल** | **81** | **0.42** | **शून्य** | **शून्य** | **0.04** |

*जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है

6.जे कोविड 19 नियामक पैकेज - दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के तहत समाधान समय की समीक्षा पर आरबीआई परिपत्र संख्या बीपी.बीसी.62/21.04.048/2020-21 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए उन खातों की संख्या और राशि जिनमें समाधान अवधि बढ़ाई गई थी, निम्नानुसार है:

| | |
|---|---|
| खातों की संख्या जिनमें समाधान अवधि बढ़ाई गई | 12 |
| शामिल राशि (करोड़ में) | 7824.62 |

A. **Advances other than Credit Card:**

(Amount in ₹ Crore)

| Type of borrower | (A) Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window | (B) exposure to accounts mentioned at (A) before implementation of the plan | (C) Of (B), aggregate amount of debt that was converted into other securities | (D) Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation | (E) Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal Loans | 6654 | 773.47 | NIL | NIL | 77.35 |
| Corporate persons* | 11 | 521.45 | NIL | NIL | 52.14 |
| Of which, MSMEs | 5 | 160.77 | NIL | NIL | NA |
| Others | 207 | 43.14 | NIL | NIL | 4.32 |
| **Total** | **6872** | **1338.06** | **NIL** | **NIL** | **133.81** |

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

**B. Credit Card Advances:**

(Amount in ₹ Crore)

| Type of borrower | (A) Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window | (B) exposure to accounts mentioned at (A) before implementation of the plan | (C) Of (B), aggregate amount of debt that was converted into other securities | (D) Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation | (E) Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal Loans | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Corporate persons* | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Of which, MSMEs | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Others Credit Cards | 81 | 0.42 | NIL | NIL | 0.04 |
| **Total** | **81** | **0.42** | **NIL** | **NIL** | **0.04** |

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

**6.(j)** In terms of RBI Cir No. BP.BC.62/21.04.048/2020-21 dated April 17, 2020, on COVID 19 regulatory package – Review of resolution timeline under the prudential framework on resolution of stressed assets, the number of accounts and amount involved in those accounts where the resolution period was extended is given below for the year ended March 31, 2021:

| | |
|---|---|
| No. of Accounts in which Resolution Period Extended | 12 |
| Amount Involved (₹ in Crore) | 7824.62 |

6.के भारत सहित कई देशों में फैल रही कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में अधिक अस्थिरता और वैश्विक और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में अधिक गिरावट आयी है। भारत सरकार ने मार्च 2020 से लॉक डाउन उपायों की श्रृंखला की घोषणा की। इस तरह के लॉकडाउन को विभिन्न सरकारों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्रचलित स्थिति के आधार पर विभिन्न समय पर गतिविधियों के लिए हटा दिया गया और फिर से लगाया गया। कोविड-19 महामारी की वर्तमान दूसरी लहर, जहां भारत में नए मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय/क्षेत्रीय लॉकडाउन उपायों को फिर से लागू किया गया है।

स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और बैंक निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। कोविड -19 महामारी बैंक के परिणामों को किस सीमा तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जो अन्य बातों के अलावा, टीकाकरण अभियान की सफलता सहित अत्यधिक अनिश्चित हैं। बैंक के लिए प्रमुख पहचानी गई चुनौतियाँ नकदी प्रवाह के पतन और विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र से उत्पन्न होंगी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंक सभी स्थान पर स्वयं को तैयार कर रहा है।

6.एल दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर आरबीआई परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के अनुसार, बैंक के पास 15 खातों में 31 मार्च, 2021 के अनुसार रु.2,139.28 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रु.करोड़ में)

| भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र द्वारा प्रभावित ऋण की राशि (ए) | एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि (बी) | एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से 31.03.2021 के अनुसार ऋण की राशि (सी) | 31.12.2020 तक धारित प्रावधान (डी) | 31.03.2021 को समाप्त तिमाही के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान (ई) | 31.03.2021 तक धारित प्रावधान (एफ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,491.98 | 3,605.06 | 3,605.06 | 885.94 | 1,253.34 | 2,139.28 |

6.एम भारतीय बैंकर्स एसोसिएशन के माध्यम से आरबीआई द्वारा जारी कोविड-19 विनियामक पैकेज दिनांक 27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल, 2020 और 23 मई, 2020 से संबंधित आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक मानक के रूप में वर्गीकृत पात्र उधारकर्ताओं को 01 मार्च, 2020 और 31 अगस्त, 2020 के बीच आने वाली किश्तों और/या ब्याज के भुगतान पर यथालागू ऋण अधिस्थगन प्रदान करता है, भले ही 29 फरवरी, 2020 तक अतिदेय हो। अधिस्थगन अवधि, जहां भी दी गई है, आरबीआई की आय मान्यता और अस्ति वर्गीकरण मानदंडों के तहत परिसंपत्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से पिछले दिनों से बाहर रखा जाएगा।

आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2019-20/220 डीओआर.सं.बीपी.बीसी. 63/21.04.048/2020-21 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार, कोविड-19 नियामक पैकेज- आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान 31 मार्च 2021 का प्रकटीकरण%

**6.(k)** COVID - 19 pandemic continues to spread across several countries including India resulting in a significant volatility in Global as well as Indian financial markets and a significant decline in global and local economic activities. The Govt. of India announced a series of lock down measures from March 2020 onwards. Such lockdowns were lifted and re-imposed for activities by various governments at various points of time depending on the situation prevailing in their respective jurisdictions. The current second wave of COVID 19 pandemic, wherever the number of new cases have increased significantly in India, has resulted in re-imposition of localized/regional lockdown measures in various parts of the country.

The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on ongoing basis. The extent to which the Covid-19 pandemic will impact the Bank's results will depend on future developments, which are highly uncertain including among other things, the success of vaccination drive. The major identified challenges for the Bank would arise from eroding cash flows and extended working capital cycles. The Bank is gearing itself on all the fronts to meet these challenges.

**6.(l)** In terms of RBI Circular DBR No. BP. BC 45/21.04.048/ 2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, the Bank is holding additional provision of Rs.2,139.28 Crore as on March 31, 2021 in 15 accounts as detailed below:

(Amount in ₹ Crore)

| Amount of loans impacted by RBI Circular (a) | Amount of loans to be classified as NPA (b) | Amount of loans as on 31.03.2021 out of (b) classified as NPA (c) | Provision held as on 31.12.2020 (d) | Additional provision made during quarter ended 31.03.2021 (e) | Provision held as on 31.03.2021 (f) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,491.98 | 3,605.06 | 3,605.06 | 885.94 | 1,253.34 | 2,139.28 |

**6.(m)** In accordance with the RBI guidelines relating to COVID-19 Regulatory Package dated March 27, 2020, April 17, 2020 and May 23, 2020 and clarification dated May 06, 2020 issued by RBI through Indian Bankers Association, the Bank granted moratorium on the payment of instalments and/or interest, as applicable, falling due between March 01, 2020 and August 31, 2020 to eligible borrowers classified as Standard, even if overdue, as on February 29, 2020. The moratorium peiod, wherever granted, shall be excluded from the number of days past due for the purpose of asset classification under RBI's Income Recognition and Asset Classification norms.

Disclosure in terms of RBI circular RBI/2019-20/220 DOR. No.BP.BC.63/21.04.048/2020-21 dated April 17, 2020, COVID-19 regulatory Package-- Asset Classification and Provisioning 31st March 2021:

| क्र०सं० | विवरण | राशि (रु. करोड़ में) |
|---|---|---|
| (i) | 29.02.2020 के अनुसार एसएमए/अतिदेय श्रेणियों में संबंधित राशि, जहां ऋणस्थगन/अधिस्थगन को पैराग्राफ 2 और 3 के अनुसार बढ़ाया गया था | 75219.48 |
| (ii) | संबंधित एसएमए 2 राशियाँ जहाँ परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभों को बढ़ाया गया था | 7559.38 |
| (iii) | उपर्युक्त उल्लिखित परिपत्र के पैरा 5 के अनुसार चतुर्थ तिमाही वित्तीय वर्ष 2020 और प्रथम तिमाही वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान किए गए प्रावधान<br>चतुर्थ तिमाही वित्तीय वर्ष 2020 में किया गया प्रावधान: 415.40 करोड़<br>प्रथम तिमाही वित्तीय वर्ष 2021 में किया गया प्रावधान: 611.76 करोड़ | 1027.16 |
| (iv) | गिरावट और शेष प्रावधानों के लिए संबंधित लेखा अवधि के दौरान प्रावधान को उपरोक्त उल्लखित परिपत्र के पैरा 6 के अनुसार समायोजित किया गया है<br>द्वितीय तिमाही वित्तीय वर्ष 2021 में किया गया प्रावधान: 31.85 करोड़<br>तृतीय तिमाही वित्तीय वर्ष 2021 में किया गया प्रावधान: 549.27 करोड़<br>चतुर्थ तिमाही वित्तीय वर्ष 2021 में किया गया प्रावधान: 446.04 करोड़ | 1027.16 |
| (v) | उपरोक्त उल्लखित परिपत्र के पैरा 6 के अनुसार 31.03.2021 को धारित अवशिष्ट प्रावधान | शून्य |

**6.एन** "कोविड 19 नियामक पैकेज की समाप्ति के बाद परिसंपत्ति वर्गीकरण और आय मान्यता" पर आरबीआई के परिपत्र दिनांक 07.04.2021 के निर्देशानुसार, बैंक उन सभी उधारकर्ताओं सहित वह सभी जिन्होंने अधिस्थगन अवधि अर्थात 01.03.2020 से 31.08.2020 के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाएं प्राप्त की है, को प्राभारित 'ब्याज पर ब्याज' को प्रतिदाय/समायोजित करेगा, भले ही अधिस्थगन का पूर्ण या आंशिक रूप से लाभ उठाया गया है या नहीं। इन निर्देशों के अनुसरण में, विभिन्न सुविधाओं के लिए प्रतिदाय/समायोजित की जाने वाली राशि की गणना के लिए पद्धति को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा अन्य उद्योग भागीदारोंधनिकायों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसे सभी ऋणदात्री संस्थानों द्वारा अपनाया जाएगा। तदनुसार, आईबीए ने अपने पत्र दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रतिदायधसमायोजन के लिए अंतिम रूप दी गई कार्यप्रणाली को सूचित किया है।

तदनुसार, बैंक ने इसके लिए रु.328.00 करोड़ रुपये की अनुमानित देनदारी बनाई है और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ब्याज आय से इसे घटा दिया है।

**6.ओ** दिनांक 03 सितंबर, 2020 के आदेश में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गजेंद्र शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य की रिट याचिका में, निर्देश दिया है कि जिन खातों को 31 अगस्त, 2020 तक एनपीए घोषित नहीं किया गया था, उन्हें अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया

| S. No. | Particulars | Amount (Rs. in Crore) |
|---|---|---|
| (i) | Respective amounts in SMA/overdue categories as on 29.02.2020, where moratorium/deferment was extended in terms of paragraph 2 and 3 | 75219.48 |
| (ii) | Respective SMA2 amounts where asset classification benefits were extended | 7559.38 |
| (iii) | Provision made during Q4 FY 2020 and Q1 FY 2021 in terms of paragraph 5 of above mentioned circular<br>Provision made in Q4 FY 2020: 415.40 Crores<br>Provision made in Q1 FY 2021: 611.76 Crores | 1027.16 |
| (iv) | Provision adjusted during the respective accounting period against slippages and the residual provisions in terms of paragraph 6 of above mentioned circular<br>Provision made in Q2 FY 2021: 31.85 Crores<br>Provision made in Q3 FY 2021: 549.27 Crores<br>Provision made in Q4 FY 2021: 446.04 Crores | 1027.16 |
| (v) | Residual provisions held as on 31.03.2021 in terms of paragraph 6 of above mentioned circular | NIL |

**6.(n)** In accordance with the instructions of RBI circular dated 07.04.2021 on "Asset Classification and Income Recognition following the expiry of Covid 19 regulatory package", the Bank shall refund/adjust 'interest on interest' charged to all borrowers including those who had availed of working capital facilities during moratorium period i.e.01.03.2020 to 31.08.2020, irrespective of whether moratorium had been fully or partially availed or not availed. Pursuant to these instructions, the methodology for calculation of the amount to refunded/adjusted for different facilities shall be finalized by the Indian Bank Association (IBA) in consultation with other industry participants/bodies, which shall be adopted by all the lending institutions. Accordingly, IBA vide its letter dated 19.04.2021 has informed methodology finalised for refund/adjustment as per Supreme Court judgement.

Accordingly, the Bank has created an estimated liability of Rs.328.00 Crore towards the same and has reduced the same from interest income for the year ended March 31, 2021.

**6.(o)** In the order dated September 03, 2020, Hon'ble Supreme Court of India in writ petition Gajendra Sharma vs. Union of India & Others, has directed that accounts which were not declared as NPA till August 31, 2020 shall not be declared

जाएगा। उसी के आधार पर, बैंक ने किसी भी खाते को जो 31 अगस्त, 2020 तक एनपीए नहीं था को एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है। विवेकसम्मत होकर, बैंक ने 31.12.2020 तक 2,519.99 करोड़ रुपये (अमान्य ब्याज के लिए 430.63 करोड़ रुपये सहित) का आकस्मिक प्रावधान किया है। भारत के माननीय सवोच्च न्यायालय का उपरोक्त आदेश दिनांक 23.03.2021 के आदेश के अनुसरण में निष्प्रभावी हो गया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई परिपत्र दिनांक 07.04.2021 के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2021 तक मौजूदा आईआरएसी मानदंडों के अनुसार इन उधारकर्ता खातों को वर्गीकृत किया है और उपरोक्त अतिरिक्त प्रावधानों को उलट दिया है।

**6.पी** आरबीआई पत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.15199/21.04.048/2016-17 दिनांक 23 जून 2017 (आरबीआई सूची-1) और पत्र सं. डीबीआर. बीपी.1908/21.04.048/2017-18 दिनांक 28 अगस्त, 2017 (आरबीआई सूची-2) के संदर्भ में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत स्वीकार किए गए खातों के लिए 31 मार्च, 2021 (सकल एनपीए अग्रिमों का 100%) तक बैंक के पास कुल 8,374.53 करोड़ रुपये (आरबीआई सूची 1 और सूची 2 खातों का सकल प्रावधान) का प्रावधान है। (पिछले वर्ष रु. 9474.27 करोड़; सकल बकाया का 98.51% )।

**6.क्यू** आरबीआई की अधिसूचना आरबीआई/2021-22/28 DOR.STR. REC.10/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के अनुसार, बैंकों को सलाह दी जाती है कि उन्हें अपने संबंधित बोर्डों के पूर्वानुमोदन से अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु 31 दिसंबर, 2020 तक उनके पास मौजूद फ्लोटिंग प्रोविजन/काउंटरसाइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर का 100 प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति है। बैंक ने अपने निदेशक मंडल से अपेक्षित पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया है और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान की आवश्यकता के निमित्त रु.384.37 करोड़ के फलोटिंग प्रावधान का उपयोग किया है।

**7. कारोबारी अनुपात:**

| विवरण | | चालू वर्ष 31.03.2021 | गत वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| i. | कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय | 6.09% | 6.21% |
| ii. | कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय | 0.97% | 1.07% |
| iii. | कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ | 1.73% | 1.70% |
| iv. | आस्तियों पर प्रतिफल | 0.15% | 0.04% |
| v. | प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम)(रुपये करोड़ में) | 18.85 | 18.14 |
| vi. | प्रति कर्मचारी लाभ (रूपये करोड़ में) | 0.02 | 0.01 |

नोट: कार्यशील निधियां बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के तहत फॉर्म एक्स में भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट की गई कुल आस्तियों (संचित घाटे के अलावा, यदि कोई हो) के मासिक औसत पर आधारित हैं।

as NPA till further orders. Based on the same, the Bank has not classified any account as NPA which was not NPA as on August 31, 2020. As a matter of prudence, the Bank made a contingent provision of Rs. 2,519.99 Crore (including Rs. 430.63 crore for derecognised interest) till 31.12.2020. The above order of the Hon'ble Supreme Court of India stood vacated pursuant to order dated 23.03.2021.

In view of the above, as per the instructions of RBI Circular dated 07.04.2021, the Bank has classified these borrower accounts as per extant IRAC norms as on March 31, 2021 and reversed the above additional provisions.

**6.(p)** In terms of RBI Letter no. DBR.No.BP.15199/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017 (RBI List-1) and Letter no. DBR.BP.1908/21.04.048/2017-18 dated August 28, 2017 (RBI List-2) for the accounts admitted under the provisions of Insolvency & Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of Rs.8,374.53 Crore (Aggregate provision of RBI List 1 and List 2 accounts) as on March 31, 2021 (100% of Gross NPA advances). (Previous Year Rs.9474.27 Crore; 98.51% of Gross outstanding).

**6.(q)** As per RBI notification RBI/2021-22/28 DOR.STR. REC.10/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021, Banks are advised that they are permitted to utilize 100 percent of floating provision/countercyclical provisioning buffer held by them as on December 31, 2020 for making specific provisions for non-performing assets with the prior approval of their respective Boards. The Bank has obtained requisite prior approval from its Board of Directors and has utilized floating provision amounting to Rs.384.37 Crore against the requirement for specific provision for non-performing assets in the year ended March 31, 2021.

**7. Business Ratios**

| Particulars | | Current Year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| i. | Interest Income as a percentage to Working Funds | 6.09% | 6.21% |
| ii. | Non-Interest Income as a percentage to Working Funds | 0.97% | 1.07% |
| iii. | Operating profit as a percentage to Working Funds | 1.73% | 1.70% |
| iv. | Return on Assets | 0.15% | 0.04% |
| v. | Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in Crores) | 18.85 | 18.14 |
| vi. | Profit per employee (₹ in Crores) | 0.02 | 0.01 |

Working Funds are based on Monthly Average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under section 27 of the Banking Regulation Act 1949.

## 8. आस्ति – देयता प्रबन्धन

### आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप

(राशि रु.करोड़ में)

| परिपक्वता स्वरूप | जमा राशियां | अग्रिम | निवेश (सकल) | उधार | विदेशी मुद्रा आस्तियां | विदेशी मुद्रा देयताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 दिन | 20520.49 | 16128.39 | 1910.00 | 1036.63 | 9793.24 | 2176.36 |
| | (9454.09) | (3441.29) | (113.50) | (5344.38) | (1718.42) | (162.33) |
| 2-7 दिन | 35708.26 | 12068.99 | 0.00 | 2047.99 | 3325.82 | 2105.48 |
| | (14005.96) | (7510.29) | (0.00) | (5020.20) | (698.02) | (216.93) |
| 8-14 दिन | 23269.92 | 3591.04 | 67.95 | 442.51 | 1691.08 | 578.86 |
| | (7648.41) | (3607.59) | (183.03) | (10048.98) | (1540.63) | (786.71) |
| 15-30 दिन | 46738.14 | 13522.03 | 111.08 | 1754.65 | 4357.79 | 2020.57 |
| | (11771.74) | (16401.25) | (69.55) | (1687.33) | (1260.33) | (3195.55) |
| 31 दिन मे 2 माह तक | 94230.66 | 17271.10 | 1889.28 | 2175.02 | 8910.76 | 10083.31 |
| | (21650.54) | (21619.88) | (2274.40) | (1166.58) | (3846.43) | (3337.57) |
| 2 माह से अधिक और 3 माह तक | 54349.73 | 35792.87 | 3338.13 | 1707.95 | 5030.01 | 6035.05 |
| | (19573.91) | (17782.35) | (4728.59) | (1822.46) | (1261.14) | (3767.70) |
| 3 माह से अधिक और 6 माह तक | 39107.03 | 31552.78 | 31289.04 | 798.86 | 11501.24 | 3484.00 |
| | (48408.74) | (16858.80) | (11665.74) | (274.91) | (2353.81) | (1833.39) |
| 6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक | 21725.45 | 40628.93 | 13932.06 | 4093.95 | 9851.78 | 14425.41 |
| | (56289.22) | (34021.42) | (7625.80) | (3028.70) | (8544.74) | (11768.05) |
| 1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक | 149933.49 | 156657.00 | 32733.51 | 6761.45 | 13511.39 | 5397.55 |
| | (134762.95) | (203772.03) | (16265.19) | (6745.14) | (9072.36) | (6114.38) |
| 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक | 295530.93 | 223015.17 | 34349.96 | 8303.00 | 7989.34 | 2626.00 |
| | (173326.76) | (46838.74) | (9390.26) | (6305.31) | (5126.81) | (3886.85) |
| 5 वर्ष से अधिक | 325218.37 | 124001.78 | 280553.69 | 13718.30 | 2011.47 | 2381.15 |
| | (206954.00) | (99974.08) | (191438.10) | (8781.44) | (1947.99.) | (2301.22) |
| **कुल** | **1106332.47** | **674230.08** | **400174.70** | **42840.31** | **77973.92** | **51313.74** |
| | **(703846.32)** | **(471827.72)** | **(243754.16)** | **(50225.43)** | **(37370.68)** | **(37370.68)** |

## 9. एक्सपोज़र्स

### 9.क स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर:

(राशि रु.करोड़ में)

| श्रेणी | | चालू वर्ष 31.03.2021 | गतवर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| (अ) | प्रत्यक्ष एक्सपोजर | | |
| i. | आवासीय सम्पत्ति बंधक : आवासीय सम्पत्ति, जो ऋणी द्वारा अधिकार में ली गई है या ली जायेगी या किराये पर दी गई है, पर बन्धक द्वारा पूर्णत: प्रतिभूत ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत आवास ऋण | 29937.09 | 22115.13 |
| | अन्य आवासीय बंधक | 65491.77 | 51319.49 |
| | **कुल-योग** | **95428.86** | **73434.62** |

## 8. Asset Liability Management

### Maturity Pattern of certain item of Assets and Liabilities

(Amount in ₹ Crore)

| Maturity Pattern | Deposits | Advances | Investments (Gross) | Borrowings | Foreign Currency Assets | Foreign Currency Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 20520.49 | 16128.39 | 1910.00 | 1036.63 | 9793.24 | 2176.36 |
| | (9454.09) | (3441.29) | (113.50) | (5344.38) | (1718.42) | (162.33) |
| 2 to 7 days | 35708.26 | 12068.99 | 0.00 | 2047.99 | 3325.82 | 2105.48 |
| | (14005.96) | (7510.29) | (0.00) | (5020.20) | (698.02) | (216.93) |
| 8 to14 days | 23269.92 | 3591.04 | 67.95 | 442.51 | 1691.08 | 578.86 |
| | (7648.41) | (3607.59) | (183.03) | (10048.98) | (1540.63) | (786.71) |
| 15 to 30 days | 46738.14 | 13522.03 | 111.08 | 1754.65 | 4357.79 | 2020.57 |
| | (11771.74) | (16401.25) | (69.55) | (1687.33) | (1260.33) | (3195.55) |
| 31 days to 2 months | 94230.66 | 17271.10 | 1889.28 | 2175.02 | 8910.76 | 10083.31 |
| | (21650.54) | (21619.88) | (2274.40) | (1166.58) | (3846.43) | (3337.57) |
| Over 2 months & upto 3 months | 54349.73 | 35792.87 | 3338.13 | 1707.95 | 5030.01 | 6035.05 |
| | (19573.91) | (17782.35) | (4728.59) | (1822.46) | (1261.14) | (3767.70) |
| Over 3 months & upto 6 months | 39107.03 | 31552.78 | 31289.04 | 798.86 | 11501.24 | 3484.00 |
| | (48408.74) | (16858.80) | (11665.74) | (274.91) | (2353.81) | (1833.39) |
| Over 6 months & upto 1 yr | 21725.45 | 40628.93 | 13932.06 | 4093.95 | 9851.78 | 14425.41 |
| | (56289.22) | (34021.42) | (7625.80) | (3028.70) | (8544.74) | (11768.05) |
| Over 1 yr & upto 3 yrs | 149933.49 | 156657.00 | 32733.51 | 6761.45 | 13511.39 | 5397.55 |
| | (134762.95) | (203772.03) | (16265.19) | (6745.14) | (9072.36) | (6114.38) |
| Over 3 yrs & upto 5 yrs | 295530.93 | 223015.17 | 34349.96 | 8303.00 | 7989.34 | 2626.00 |
| | (173326.76) | (46838.74) | (9390.26) | (6305.31) | (5126.81) | (3886.85) |
| Over 5yrs | 325218.37 | 124001.78 | 280553.69 | 13718.30 | 2011.47 | 2381.15 |
| | (206954.00) | (99974.08) | (191438.10) | (8781.44) | (1947.99.) | (2301.22) |
| **Total** | **1106332.47** | **674230.08** | **400174.70** | **42840.31** | **77973.92** | **51313.74** |
| | **(703846.32)** | **(471827.72)** | **(243754.16)** | **(50225.43)** | **(37370.68)** | **(37370.68)** |

## 9. Exposures:

### 9.(a) Exposure to Real Estate Sector :

**(Amount in ₹ Crore)**

| Category | | Current Year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| (A) | Direct Exposure | | |
| i. | Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented Housing Loans classified as Priority Sector | 29937.09 | 22115.13 |
| | Other residential Mortgages | 65491.77 | 51319.49 |
| | **SUB-TOTAL** | **95428.86** | **73434.62** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ii. | **वाणिज्यिक स्थावर संपदा** – गैर निधि आधारित सीमाओं सहित<br>वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक के सृजन द्वारा प्रतिभूत ऋण (इनमें कार्यालय का भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा गोदाम का स्थान, भूमि पर किया गया विकास और निर्माण आदि शामिल होंगे।)<br>निधि आधारित<br>गैर निधि आधारित | 21976.72<br>1371.76 | 17874.48<br>540.53 |
| | **कुल-योग** | **23348.48** | **18415.01** |
| iii. | बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एम बी एस) और अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर में निवेश – | | |
| (क) | -आवासीय | 0.00 | 0.00 |
| (ख) | -वाणिज्यिक स्थावर संपदा | 0.00 | 0.00 |
| ( आ ) | **अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र** | | |
| | राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कम्पनियाँ (एच एफ सी) हेतु एफबी व एनएफबी एक्सपोज़र विदेशी कार्यालयों सहित:<br>बैंक द्वारा आवास कम्पनियों एवं कॉर्पोरेशन में किया गया निवेश | 35320.59<br>6188.37 | 22825.65<br>3227.33 |
| | **कुल योग** | **41508.96** | **26052.98** |
| | **स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल ऋण** | **160286.30** | **117902.61** |

**9.ख पूँजी बाजार को एक्सपोजर**

(राशि रु.करोड़ में)

| विवरण | | **चालू वर्ष** 31.03.2021 | **गतवर्ष** 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| 1. | इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जो निगमित ऋण की मूल निधि में ही एक मात्र निवेश नहीं है | 3194.24 | 3471.62 |
| 2. | शेयरों (आईपीओध ईएसओपी सम्मिलित हैं) परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए व्यष्टियों को शेयरोंधबंध पत्रों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर या अप्रतिभूत अग्रिम | 2.03 | 1.67 |
| 3. | किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में रखा गया हो । | शुन्य | शुन्य |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ii. | Commercial Real Estate – including NFB Limits Lending secured by mortgages on Commercial Real Estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, industrial or warehouse space, land acquisition, development and construction etc.)<br>Fund Based<br>Non Fund Based | 21976.72<br>1371.76 | 17874.48<br>540.53 |
| | **SUB-TOTAL** | **23348.48** | **18415.01** |
| iii. | Investments in Mortgaged Backed Securities (MBS) and other securitized exposures – | | |
| (a)<br>(b) | - Residential<br>- Commercial Real Estate | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 |
| (B) | Indirect Exposure | | |
| | FB & NFB Exposure to National Housing Bank (NHB) & Housing Finance Companies (HFCs) Including Foreign Offices<br>Investments made by the Bank in Housing Companies & Corporations. | 35320.59<br>6188.37 | 22825.65<br>3227.33 |
| | **Sub Total** | **41508.96** | **26052.98** |
| | **Total Exposure to Real Estate Sector** | **160286.30** | **117902.61** |

**9.(b) Exposure to Capital Market**

**(Amount in ₹ Crore)**

| **Particulars** | | **Current Year 31.03.2021** | **Previous Year 31.03.2020** |
|---|---|---|---|
| 1. | Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt. | 3194.24 | 3471.62 |
| 2. | Advances against shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs) convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds. | 2.03 | 1.67 |
| 3. | Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security. | NIL | NIL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति तक प्रतिभूति दी गई हो अर्थात् जहाँ परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय ऋण पत्रों/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर नहीं करती हैं। | 440.26 | 806.33 |
| 5. | स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से दी गई गारंटियाँ | 174.98 | 157.63 |
| 6. | संसाधनों के बढ़ने की संभावना में नयी कम्पनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शेयरों/बॉण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर या अन्य प्रतिभूति पर या बिना प्रतिभूति के निगमित कंपनियों को स्वीकृत ऋण | शुन्य | शुन्य |
| 7. | संभावित इक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के प्रति कम्पनियों को पूरक ऋण | शुन्य | शुन्य |
| 8. | शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राइमरी इश्यू के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा हामीदारी प्रतिबद्धताएं | शुन्य | शुन्य |
| 9. | मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त | शुन्य | शुन्य |
| 10. | उद्यम पूँजी निधियों (पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों) को दिए गए समस्त ऋण इक्विटी के समान ही माने जाएंगे और इसलिए पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) के अनुपालन के लिए माने जाएंगे। | 714.76 | 580.04 |
| 11. | म्यूचुअल फंड को अग्रिम | 3000.00 | 3000.00 |
| **पूँजी बाज़ार को कुल एक्सपोजर** | | **7526.27** | **8017.29** |

जोखिम पूंजी निधि में वीसीएफ में रु.337.07 करोड़ का बकाया निवेश और रु.377.69 करोड़ की राशि का आहरण न करने की प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।

**9.सी जोखिम श्रेणीवार देश सम्बन्धी एक्सपोजर**

31.03.2021 को कुल निवल निधिक एक्सपोज़र रू. 66771.96 करोड़ है। 31.12.2020 को बैंक (पीएनबी 2.0) की कुल आस्तियां रू. 1254934.00 करोड़ है, कुल आस्तियों 1% रू. 12549.34 करोड़ है। यूएई "कम जोखिम श्रेणी" अर्थात् 'ए2' में है। बैंक ने 31.12.2020 को किसी भी देश में 12549.34 करोड़ यानी बैंक की कुल संपत्ति का 1% से अधिक का एक्सपोजर नहीं बढ़ाया है। इसलिए, 31.03.2021 को देश के जोखिम एक्सपोजर के संबंध में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances. | 440.26 | 806.33 |
| 5. | Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers. | 174.98 | 157.63 |
| 6. | Loans sanctioned to corporate against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources. | NIL | NIL |
| 7. | Bridge loans to companies against expected equity flows/issues. | NIL | NIL |
| 8. | Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds. | NIL | NIL |
| 9. | Financing to stock brokers for margin trading | NIL | NIL |
| 10. | All exposures to Venture Capital funds* (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposures ceilings (both direct and indirect) | 714.76 | 580.04 |
| 11. | Advances to Mutual Funds | 3000.00 | 3000.00 |
| **Total Exposure to Capital Market** | | **7526.27** | **8017.29** |

*Venture Capital funds include outstanding investment in VCF for ₹337.07 Crores and undrawn commitments amounting to ₹377.69 Crores.

**9.(c) Risk Category wise Country Exposure**

Total Net Funded Exposure as on 31.03.2021 is ₹66771.96 Crores. Total assets of the Bank (PNB 2.0) as on 31.12.2020 were ₹1254934.00 Crores, 1% of total asset ₹12549.34 Crore. Bank did not exceed the exposure in any country beyond ₹12549.34 Crores i.e. 1% of Total Assets of the Bank as on 31.12.2020. Hence, no provision is required with respect to country risk exposure as on 31.03.2021.

(राशि रु.करोड़ में)

| जोखिम श्रेणी | ईसीजीसी रेटिंग | 31.03.2021 को निधिक एक्सपोजर (शुद्ध) | 31.03.2021 को रखा गया प्रावधान (चालू वर्ष) | 31.03.2020 को निधिक एक्सपोजर (शुद्ध) (गत वर्ष) | 31.03.2020 को धारित प्रावधान (गत वर्ष) |
|---|---|---|---|---|---|
| नगण्य | ए1 | 39892.90 | 0.00 | 33500.95 | 19.18 |
| कम | ए1 | 21570.31 | 0.00 | 15598.90 | 21.98 |
| सामान्य से कम | बी1 | 5302.52 | 0.00 | 5.04 | |
| सामान्य | बी2 | 1.82 | 0.00 | 156.27 | 0.00 |
| सामान्य से उच्च | सी1 | 4.41 | 0.00 | 18.56 | 0.00 |
| उच्च | सी2 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| अति उच्च | डी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **कुल** | | **66771.96** | **0.00** | **49280.03** | **41.16** |

**9.डी** 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार बैंक द्वारा एकल/समूह उधारकर्ता सीमा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित प्रूडेंशियल एक्सपोजर सीमा से अधिक होने वाले क्रेडिट एक्सपोजर के सम्बन्ध में बैंक का प्रकटीकरण

31.03.2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जहां बैंक रु.55507 करोड़ के टीयर 1 कैपिटल के आधार पर किसी भी व्यक्तिगत और समूह खातों के संबंध में बड़े एक्सपोजर (एलई) फ्रेमवर्क के अनुसार विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीलिंग को पार कर गया है, उन खातों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

(राशि रु.करोड़ में)

| क्र. सं. | उधारकर्ता का नाम | निर्धारित सीमा | एक्सपोजर (31.03.2021 को) | 31.03.2021 को टियर I पूंजी के प्रतिशत के रूप मे कुल एक्सपोजर | बकाया (31.03.2021 को) | 31.03.2021 को टियर 1 पूंजी के% के रूप में एलई फ्रेमवर्क के अनुसार कुल बकाया एक्सपोज़र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| व्यक्तिगत | | | | | | |
| 1. | भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड | 11101.40 (टियर- I पूंजी का 20%) | 11356.43 | *20.46% | 11356.43 | 20.46% |
| ''समूह | | | | | | |
| शून्य | | | | | | |

*आरबीआई परिपत्र दिनांक 03.06.2019 ने बैंक के बोर्ड की शक्ति के तहत एकल प्रतिपक्ष के 20% की सीमा से अधिक 5% का उत्तोलन दिया है। बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 05.03.2021 में एजेंडा संख्या ए-3 के माध्यम से इसकी पुष्टि की थी।

**एल एंड ए परिपत्र संख्या 106/2020 दिनांक 04.06.2020 के अनुसार 30.06.2021 तक वैध बैंक के पात्र पूंजी आधार के 25% से 30% तक जुड़े प्रतिपक्षों के समूह के लिए बैंक के एक्सपोजर में वृद्धि की अनुमति दी है।

31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यक्तिगत और समूह खातों (उपर्युक्त को छोड़कर) के सभी एक्सपोजर (छूट प्राप्त एक्सपोजर के अलावा) एलई फ्रेमवर्क के अनुसार निर्धारित नियामक सीमाओं के भीतर हैं।

**(Amount in ₹ Crore)**

| Risk Category | ECGC Rating | Funded Exposure (net) as at 31.03.2021 (Current Year) | Provision held as at 31.03.2021 (Current Year) | Funded Exposure (net) as at 31.03.2020 (Previous Year) | Provision held as at 31.03.2020 (Previous Year) |
|---|---|---|---|---|---|
| Insignificant | A1 | 39892.90 | 0.00 | 33500.95 | 19.18 |
| Low | A2 | 21570.31 | 0.00 | 15598.90 | 21.98 |
| Moderately Low | B1 | 5302.52 | 0.00 | 5.04 | |
| Moderate | B2 | 1.82 | 0.00 | 156.27 | 0.00 |
| Moderately High | C1 | 4.41 | 0.00 | 18.56 | 0.00 |
| High | C2 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| Very high | D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | | **66771.96** | **0.00** | **49280.03** | **41.16** |

**9.(d)** Bank's Disclosure in respect of Credit Exposures where the same had exceeded the Prudential Exposure limits as per Large Exposure (LE) framework prescribed by RBI for Individual/Group Borrowers for the financial year ended 31.03.2021.

Details of accounts where Bank has exceeded prudential exposure ceilings as per Large Exposure (LE) framework in respect of any Individual and Group Accounts based on Tier – 1 Capital of ₹55507 Crores for the financial year ended 31.03.2021 are as below:-

**(Amount in ₹ Crore)**

| S. No. | Name of the Borrower | Prescribed Ceiling | Exposure (as on 31.03.2021) | Total Exposure as % of Tier-1 Capital as on 31.03.2021 | Outstanding (as on 31.03.2021) | Total Outstanding Exposure as per LE Framework as % of Tier – 1 Capital as on 31.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual | | | | | | |
| 1. | Indian Railway Finance Corporation Ltd | 11101.40 (20% of Tier-I Capital) | 11356.43 | *20.46% | 11356.43 | 20.46% |
| **Group | | | | | | |
| NIL | | | | | | |

*RBI Circular dated 03.06.2019 has given leverage of 5% over and above the ceiling of 20% of single counterparty under the Bank's Board Power. The same was ratified by the Board in its meeting dated 05.03.2021 vide Agenda No. A-3.

**As per L & A Circular no. 106/2020 dated 04.06.2020 has allowed increase in Bank's Exposure to a Group of Connected Counterparties from 25% to 30% of the eligible capital base of the bank valid upto 30.06.2021.

All the exposure (other than exempted exposure) of Individual and Group Accounts (Except as mention above) for the financial year ended 31.03.2021 are within the prescribed regulatory limits, as per LE Framework.

9.ई. अप्रतिभूत अग्रिम:

(राशि रु.करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | चालू वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| अप्रतिभूत अग्रिम | 133841.78 | 104585.49 |
| 1. अग्रिमों की वह कुल राशि जिसके लिए अमूर्त आस्तियां जैसे अधिकारों पर ऋण भार, अनुज्ञप्तियों, प्राधिकारों आदि को ''अप्रतिभूत अग्रिम'' के अन्तर्गत अनुसूची 9 में शामिल किया गया है। | 21528.37 | 12224.19 |
| 2. ऊपर 1 में निर्दिष्ट अनुसार अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य | 22525.02 | 14044.03 |

10.ए आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्मानों का प्रकटीकरण :

| क्र. सं. | विवरण | गत वर्ष 31.03.2021 | वर्तमान वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| 1. | आरबीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना | पीएसएस अधिनियम की धारा 30 के संदर्भ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई ने दिनांक 13 नवम्बर 2020 के आदेश के तहत, पत्र सं. डीपीएसएस.सीओ पीडी.सं. 74/ 02.10.002/ 2010-11 दिनांक 8 जुलाई 2010, जिसके माध्यम से बैंक को इस भुगतान प्रणाली को लागू करने से पहले प्राधिकरण प्राप्त करने की सलाह दी गई थी, के द्वारा जारी आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन कर अप्रैल, 2010 से आरबीआई के अनुमोदन/ प्राधिकार के बिना ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड (डीपीएनबीएल), भूटान के साथ द्विपक्षीय एटीएम साझाकरण व्यवस्था के संचालन के लिए बैंक पर 1.00 करोड़ का जुर्माना लगाया। | 1. आरबीआई द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.06.2019 के माध्यम से "अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानक/एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) मानकों और बैंक द्वारा "चालू खाता'' पर जारी विभिन्न निर्देशों का पालन न करने पर 5 मिलियन रुपये (रूपए पांच मिलियन) का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। |

[बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4), के साथ पठित धारा 47 उप धारा ए खंड 1 उप खंड सी के प्रावधान के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की किसी अन्य अपेक्षाओं, अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट आदेश, नियम या शर्त के गैर-अनुपालन के लिए लगाया गया जुर्माना।]

10.बी एसजीएल प्रतिभूतियों में उछाल का प्रकटीकरण :

01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान एसजीएल प्रतिभूतियों में उछाल का विवरण शून्य है (गत वर्ष: शून्य)

**लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित अन्य प्रकटीकरण**

9.(e) Un secured Advances

**(Amount in ₹ Crore)**

| Particulars | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Unsecured Advance | 133841.78 | 104585.49 |
| 1. Total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. has been included in Sch.9 under 'Unsecured Advances' | 21528.37 | 12224.19 |
| 2. Estimated value of Intangible Securities as stated at 1 above | 22525.02 | 14044.03 |

**10.A Disclosure of Penalties imposed by the RBI:**

| Sl. No. | Particulars | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| 1. | Penalties imposed by the RBI | In exercise of powers conferred in terms of Section 30 of the PSS Act RBI vide speaking order dated 13th November 2020 imposed upon bank, a penalty of ₹1.00 Crore for operating a bilateral ATM sharing arrangement with Druk PNB Bank Ltd. (DPNBL), Bhutan since April, 2010 without approval / authorization from RBI, in violation of RBI instructions issued vide letter DPSS.CO. PD.No. 74/ 02.10.002/ 2010-11 dated July 8, 2010, wherein bank was advised seek authorization before implementing this payment system | 1. RBI vide letter dated 25.06.2019 has imposed a monetary penalty of ₹5.00 million (₹Five Million) on observance of non-compliance with various directions issued by RBI on "Know Your Customer (KYC) norms / Anti Money Laundering (AML) Standards" and Opening of Current Account" by the Bank. 2. RBI vide Penal order dated 31.07.2019 has imposed a monetary penalty of ₹5.00 million (₹Five Million) for non-compliance with certain provisions of "Reserve bank of India (Frauds classification and reporting by commercial banks and select FIs) directions 2016". |

[Penalties imposed by RBI under the provision of Section 47 sub-section A clause 1 sub clause c read with Section 46(4) of the Banking Regulation Act, 1949, for contraventions of any of the provisions of the Act or non-compliance with any other requirements of the Banking Regulation Act, 1949; order, rule or condition specified by Reserve Bank of India under the Act.]

**10.B Disclosure of Bouncing of SGL:**

Particulars of Bouncing of SGL securities during the period 01.04.2020 to 31.03.2021 is NIL (Previous year: NIL)

**Other Disclosures required by Accounting Standards**

11. लेखा मानक – 5 अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व-अवधि मद और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम लेखांकन नीतियों और प्रणालियों का पालन करते हुए तैयार किए गए हैं, जैसा कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एनपीए खातों में वसूली के विनियोजन को छोड़कर वार्षिक वित्तीय विवरणों में पालन किया गया था।

31 मार्च, 2020 के बाद, बैंक ने अपने एनपीए खातों में वसूली के विनियोग के लिए अपनी लेखा नीति को वसूली के विनियोग की पूर्ववती नीति जिसमें पहले प्रभारों के विरुद्ध वसूली फिर मूल अग्रिम राशि तथा दर्ज/अमान्य आय विनियोजित की जाती थी, को नई नीति से प्रतिस्थापित कर दिया है जिसमें पहले प्रभारों के विरुद्ध वसूली फिर मूल के विरुद्ध दर्ज ब्याज/अमान्य ब्याज तथा शेष राशि विनियोजित की जाएगी। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में 611.97 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

12. लेखा मानक – 9 राजस्व मान्यता

आय की कुछ मदों को लेखा नीति संख्या 3 (5) के अनुसार वसूली आधार पर किया गया है। बहरहाल, उक्त आय मान्यता महत्वपूर्ण नहीं मानी गई है।

13. लेखा मानक-10 सम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरण

(i) 31 मार्च, 2021 समाप्त होते वर्ष के लिए आस्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए किए गए कुल मूल्यह्रास का ब्यौरा

(राशि रु. करोड़ में)

| आस्ति श्रेणी | चालू वर्ष 31.03.2021 | गत वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| परिसर | 159.02 | 95.52 |
| अन्य अचल आस्तियाँ | 668.91 | 424.24 |
| पट्टे वाली आस्तियाँ | 0.00 | 0.00 |
| कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | 146.99 | 87.82 |
| कुल | 974.92 | 607.58 |

(ii) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने बाह्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से प्राप्त रिपोर्टो के आधार पर ई-यूएनआई की अचल संपत्तियों (अनुसूची 10 का हिस्सा) का पुनर्मूल्यांकन किया है। पुनर्मूल्यांकन अधिशेष राशि रु.123,99,91,253.37 पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा की गई है।

14. लेखा मानक 11- विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन

विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित में उतार-चढ़ाव

(राशि रु. करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | गत वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 416.88 | 343.13 |
| लाभ और हानि खाते में परिवर्तन के कारण अवधि के दौरान वृद्धि/कटौती | -0.59 | 81.34 |
| आस्तियों और देयताओं के परिवर्तन के कारण अवधि के दौरान वृद्धि/कटौती | -24.09 | -7.59 |
| **इतिशेष** | **392.20** | **416.88** |

**11. Accounting Standard - 5 Net Profit or Loss for the period, Prior Period items and Change in Accounting Policy**

The financial results for the year ended March 31, 2021 have been prepared following the Accounting Policies and practices as those followed in the annual financial statements for the year ended March 31, 2020, except appropriation of recoveries in NPA accounts.

After March 31, 2020, the Bank has changed its accounting policy for appropriation of recovery in NPA accounts from the earlier policy of appropriating recovery first against charges recorded then principal advance amount and balance towards recorded/derecognized income, to the new policy of appropriation of recovery first against the charges recorded, followed by recorded interest/derecognized interest and balance against the principal. This change in accounting policy has resulted in increase in profit before tax by Rs.611.97Crore for year ended March 31, 2021.

**12. Accounting Standard - 9 Revenue Recognition:**

Certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy No. 3.5. However, the said income is not considered to be material.

**13. Accounting Standard - 10 Properties, Plant and Equipment.**

(i) Break-up of total depreciation for the year ended March 31, 2021 for each class of assets.

**(Amount in ₹ Crore)**

| Class of assets | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Premises | 159.02 | 95.52 |
| Other fixed assets | 668.91 | 424.24 |
| Leased assets | 0.00 | 0.00 |
| Computer software | 146.99 | 87.82 |
| **Total** | **974.92** | **607.58** |

(ii) During the current financial year the Bank has Revalued Immovable Properties (forming part of Schedule 10) of e-UNI based on the reports obtained from external independent valuers. The revaluation surplus amounting to ₹123,99,91,253.37 is credited to the Revaluation Reserve.

**14. Accounting Standard - 11 Changes in foreign exchange rates:**

**Movement of foreign currency translation reserve**

**(Amount in ₹ Crore)**

| Particulars | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Opening balance | 416.88 | 343.13 |
| Addition/Deduction during the year due to change in Profit & Loss account | -0.59 | 81.34 |
| Addition/Deduction during year due to translation of Assets & Liabilities | -24.09 | -7.59 |
| **Closing Balance** | **392.20** | **416.88** |

## 15. लेखा मानक -15 (आर) - कर्मचारी लाभ:

| लेखा मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार प्रकटीकरण |
|---|
| लेखा नीति के अनुरूप तथा लेखा मानक - 15 (संशोधित)के अनुसार, रोजगार लाभ की संक्षिप्त स्थिति निम्नवत है : |
| ए. परिभाषित लाभ योजनाएं |

**तालिका I - प्रमुख बीमांकिक मान्यता तथा इन मान्यताओं का आधार**

| बीमांकिक मान्यता | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| बट्टा दर | 6.85% | 6.90% | 6.55% | 6.45% | 6.55% | 6.45% |
| योजना आस्तियों के प्रतिफल की संभावित दर | 6.85% | 6.90% | 6.55% | 6.45% | लागू नहीं | लागू नहीं |
| वेतन में वृद्धि की दर | - | - | 6.00% | 5.99% | 6.00% | 5.99% |
| महंगाई राहत वृद्धि दर | 5.80% | 5.80% | - | - | - | - |
| पलायन दर | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |

**तालिका II दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

(सभी राशि रुपये करोड़ में)

| | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | अवधि की शुरूआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 29043.14 | 27,743.93 | 3229.08 | 3,282.54 | 1944.29 | 1,844.42 |
| जोड़े | पूर्ववती ओबीसी और यूएनआई के पीवीओ | 16605.01 | - | 1601.39 | - | 1142.62 | - |
| जोड़े | ब्याज लागत | 3043.60 | 2,111.94 | 274.85 | 200.56 | 199.11 | 130.03 |
| जोड़े | चालू सेवा लागत | 508.01 | 286.78 | 252.96 | 162.25 | 212.19 | 125.12 |
| जोड़े | पिछली सेवा लागत | - | - | - | | - | - |
| घटाएं | प्रदत्त लाभ | (2979.81) | (1,743.64) | (697.05) | (561.16) | (646.57) | (352.35) |
| (ए) | दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ) (संतुलनकारी आंकड़े) | 135.40 | 644.13 | (262.45) | 144.89 | 594.39 | 197.07 |
| | अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 46355.35 | 29,043.14 | 4398.78 | 3229.08 | 3446.03 | 1944.29 |

**तालिका III योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**

| | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | अवधि की शुरूआत में दायित्वों का उचित मूल्य | 29011.95 | 27,472.21 | 3118.63 | 3,085.70 | - | - |
| जोड़ें | पूर्ववर्ती ओबीसी और यूएनआई का उचित मूल्य | 13296.92 | - | 1409.10 | | 141.89 | - |
| जोड़ें | योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिफल | 2813.19 | 2,090.75 | 263.49 | 192.41 | 9.36 | - |
| जोड़ें | कर्मचारियों द्वारा अंशदान | 4937.20 | 856.96 | 440.24 | 339.24 | 2944.68 | 352.35 |
| घटाया | प्रदत्त लाभ का भुगतान | (2979.81) | (1,743.64) | (697.05) | (561.16) | (363.48) | (352.35) |

## 15. Accounting Standard -15 (R) – Employees Benefits:

| DISCLOSURE IN ACCORDANCE WITH AS-15 (R): |
|---|
| In line with the accounting policy and as per the Accounting Standard – 15(R), the summarized position of employment benefits is as under: |
| A. Defined benefit Plans |

**TABLE I - Principal Actuarial Assumptions and the basis of these assumptions**

| Actuarial Assumptions | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| Discount Rate | 6.85% | 6.90% | 6.55% | 6.45% | 6.55% | 6.45% |
| Expected Return on Plan Assets | 6.85% | 6.90% | 6.55% | 6.45% | NA | NA |
| Rate of Escalation In salary | - | - | 6.00% | 5.99% | 6.00% | 5.99% |
| Dearness Relief Escalation Rate | 5.80% | 5.80% | - | - | - | - |
| Attrition Rate | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |

**TABLE II - Changes in Present value of the obligation**

(ALL AMOUNTS IN CRORES)

| | | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | Present value of Obligation at the beginning of period | 29043.14 | 27,743.93 | 3229.08 | 3,282.54 | 1944.29 | 1,844.42 |
| Add | PVO of erstwhile OBC & UNI | 16605.01 | - | 1601.39 | - | 1142.62 | - |
| Add: | Interest Cost | 3043.60 | 2,111.94 | 274.85 | 200.56 | 199.11 | 130.03 |
| Add: | Current Service Cost | 508.01 | 286.78 | 252.96 | 162.25 | 212.19 | 125.12 |
| Add: | Past Service Cost | - | - | - | - | - | - |
| Less: | Benefits paid | (2979.81) | (1,743.64) | (697.05) | (561.16) | (646.57) | (352.35) |
| (A) | Actuarial loss / (gain) on obligations (Balancing Figure) | 135.40 | 644.13 | (262.45) | 144.89 | 594.39 | 197.07 |
| | Present value of Obligation as at the end of the period | 46355.35 | 29,043.14 | 4398.78 | 3229.08 | 3446.03 | 1944.29 |

**TABLE III - Changes in the FV of the Plan Assets**

| | | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 * | 31.03.2020 |
| | FAIR value of Plan Assets, at the beginning of period | 29011.95 | 27,472.21 | 3118.63 | 3,085.70 | - | - |
| Add | Fair value of erstwhile OBC & UNI | 13296.92 | - | 1409.10 | | 141.89 | - |
| Add: | Expected return on Plan assets | 2813.19 | 2,090.75 | 263.49 | 192.41 | 9.36 | - |
| Add: | Contributions by Bank | 4937.20 | 856.96 | 440.24 | 339.24 | 2944.68 | 352.35 |
| Less: | Benefits Paid | (2979.81) | (1,743.64) | (697.05) | (561.16) | (363.48) | (352.35) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (बी) | दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ) (संतुलनकारी आंकड़े) | (347.66) | 335.67 | (32.33) | 62.44 | 47.16 | – |
| | अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 46731.79 | 29,011.95 | 4502.08 | 3118.63 | 2779.62 | – |

*अर्हक बीमा पॉलिसी के रूप में।

## तालिका IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल

| | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिफल | 2813.19 | 2,090.75 | 263.49 | 192.41 | 9.36 | – |
| जोड़: | योजना आस्तियों पर बीमांकिक (हानि)/लाभ | (347.66) | 335.67 | (32.33) | 62.44 | 47.16 | – |
| | योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल | 2465.53 | 2426.42 | 231.16 | 254.85 | 56.52 | – |

## तालिका V – शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/अभिज्ञात हानि

| | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| अवधि के लिए दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि | (135.40) | (644.13) | 262.45 | (144.89) | (594.39) | (197.07) |
| अवधि के लिए योजना आस्तियों पर बीमांकिक (हानि)/लाभ | (347.66) | 335.67 | (32.33) | 62.44 | 47.16 | 0.00 |
| अवधि के लिए कुल लाभ/हानि | 483.06 | 308.46 | (230.12) | 82.45 | 547.23 | 197.07 |
| **अवधि में मान्य शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि** | 483.06 | 308.46 | (230.12) | 82.45 | 547.23 | 197.07 |
| वर्ष के अंत में अनभिज्ञात बीमांकिक (लाभ)/हानि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## तालिका VI. तुलनपत्र में मान्य राशि :

| | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 46355.35 | 29,043.14 | 4398.78 | 3,229.08 | 3446.03 | 1,944.30 |
| घटाएं | योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 46731.79 | 29,011.95 | 4502.08 | 3,118.63 | 2779.62 | – |
| | अन्तर | (376.44) | 31.19 | (103.30) | 110.45 | 666.41 | 1,944.30 |
| | अनभिज्ञात | | | | | | |
| | ट्राजिशनल देयतायें | – | – | – | – | – | – |
| घटाएं | अनभिज्ञात गत सेवा लागत – निहित लाभ – आगे ले जाया गया | – | – | – | – | – | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (B) | Actuarial (loss) / gain on Plan Assets (Balancing Figure) | (347.66) | 335.67 | (32.33) | 62.44 | 47.16 | - |
| | FAIR value of Plan Assets as at the end of the period | 46731.79 | 29,011.95 | 4502.08 | 3118.63 | 2779.62 | - |

*In form of qualifying insurance policy.

## TABLE IV - Actual Return on Plan Assets

| | | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | Expected return on Plan Assets | 2813.19 | 2,090.75 | 263.49 | 192.41 | 9.36 | - |
| Add: | Actuarial (loss) / gain on Plan Assets | (347.66) | 335.67 | (32.33) | 62.44 | 47.16 | - |
| | Actual Return on Plan Assets | 2465.53 | 2426.42 | 231.16 | 254.85 | 56.52 | - |

## TABLE V - Net Actuarial (Gain) / loss Recognized

| | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| Actuarial gain / (loss) for the period - Obligations | (135.40) | (644.13) | 262.45 | (144.89) | (594.39) | (197.07) |
| Actuarial gain / (loss) for the period - Plan Assets | (347.66) | 335.67 | (32.33) | 62.44 | 47.16 | 0.00 |
| Total (Gain) / Loss for the period | 483.06 | 308.46 | (230.12) | 82.45 | 547.23 | 197.07 |
| Actuarial (gain) or loss recognised in the period | 483.06 | 308.46 | (230.12) | 82.45 | 547.23 | 197.07 |
| Unrecognised Actuarial (gain) / loss at the end of the year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## TABLE VI - Amount recognised in Balance Sheet

| | | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | Present value of Obligation | 46355.35 | 29,043.14 | 4398.78 | 3,229.08 | 3446.03 | 1,944.30 |
| Less | FAIR value of Plan Assets, | 46731.79 | 29,011.95 | 4502.08 | 3,118.63 | 2779.62 | - |
| | Difference | (376.44) | 31.19 | (103.30) | 110.45 | 666.41 | 1,944.30 |
| | Unrecognised Transitional Liabilty | - | - | - | - | - | - |
| Less | Unrecognised Past Service cost - vested benefits Carried Forward | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | तुलनपत्र में मान्य देयताएं | (376.44) | 31.19 | (103.30) | 110.45 | 666.41 | 1,944.30 |
| | लेखा मानक - 15 (R) के पैरा 55 के अन्तर्गत निर्धारित नकारात्मक राशि | | | | | | |
| | भावी अंशदानों में कटौती और उपलब्ध भावी कटौती का वर्तमान मूल्य | | | | | | |
| | **लेखा मानक - 15 (R) (संशोधित) पैरा 59 (बी) अनुसार परिणामी आस्ति** | - | - | - | - | | |

## तालिका VII. लाभ व हानि खाते में मान्य व्यय

| | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | चालू सेवा लागत | 508.01 | 286.78 | 252.96 | 162.25 | 212.19 | 125.12 |
| जोड़: | ब्याज लागत | 3043.60 | 2,111.94 | 274.85 | 200.56 | 199.11 | 130.03 |
| घटाएं | योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिफल | (2813.19) | (2,090.75) | (263.49) | (192.41) | (9.36) | - |
| जोड़: | वर्ष के दौरान मान्य शुद्ध बीमांकित (लाभ) /अथवा हानि | 483.06 | 308.46 | (230.12) | 82.45 | 547.23 | 197.07 |
| जोड़: | गत सेवा लागत-मान्य | - | - | - | - | - | - |
| | **लाभ व हानि खाते की विवरणी में मान्य व्यय** | 1221.48 | 616.44 | 34.20 | 252.85 | 949.16 | 452.22 |

## तालिका VIII. तुलनपत्र में मान्य होने वाली शुद्ध देयता में घट-बढ़

| | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | प्रारम्भिक शुद्ध देयता | 31.19 | 271.72 | 302.75 | 196.84 | 1944.30 | 1,844.42 |
| जोड़: | पूर्ववर्ती ओबीसी और यूएनआई की प्रारंभिक शुद्ध देयता | 3308.09 | - | - | - | 1000.72 | - |
| जोड़: | व्यय | 1221.48 | 616.44 | 34.20 | 252.85 | 949.16 | 452.22 |
| घटाएं: | संदत्त अंशदान | (4937.20) | (856.96) | (440.24) | (339.24) | (2944.68) | (352.35) |
| घटाएं: | कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभ | - | - | - | - | (283.09) | - |
| | अंतिम शुद्ध देयता (चालू अवधि में तुलन-पत्र में मान्य देयता) | (376.44) | 31.19 | (103.29) | 110.45 | 666.41 | 1,944.30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liability Recognised in the Balance Sheet | (376.44) | 31.19 | (103.30) | 110.45 | 666.41 | 1,944.30 |
| | Negative amount determined under Paragraph 55 of AS-15 (R) | - | - | - | - | - | - |
| | Present value of available refunds and reductions in future contributions | - | - | - | - | - | - |
| | Resulting asset as per Paragraph 59 (b) of AS-15 (R) | - | - | - | - | - | - |

## TABLE VII - Expense to be recognized in Profit and loss Account

| | | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | Current Service Cost | 508.01 | 286.78 | 252.96 | 162.25 | 212.19 | 125.12 |
| Add: | Interest cost | 3043.60 | 2,111.94 | 274.85 | 200.56 | 199.11 | 130.03 |
| Less: | Expected return on Plan assets | (2813.19) | (2,090.75) | (263.49) | (192.41) | (9.36) | - |
| Add: | Net Actuarial (gain) / loss recognised in year | 483.06 | 308.46 | (230.12) | 82.45 | 547.23 | 197.07 |
| Add: | Past Service Cost-Recognised | - | - | - | - | - | - |
| | Expenses recognised in the statement **of profit and** loss | 1221.48 | 616.44 | 34.20 | 252.85 | 949.16 | 452.22 |

## TABLE VIII- Movement in Net Liability to be recognized in Balance Sheet

| | | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | Opening Net Liability | 31.19 | 271.72 | 302.75 | 196.84 | 1944.30 | 1,844.42 |
| Add | Opening Net liability of Erstwhile OBC & UNI | 3308.09 | - | - | - | 1000.72 | - |
| Add: | Expense | 1221.48 | 616.44 | 34.20 | 252.85 | 949.16 | 452.22 |
| Less: | Contributions Paid | (4937.20) | (856.96) | (440.24) | (339.24) | (2944.68) | (352.35) |
| Less: | Benefits paid by the company | - | - | - | - | (283.09) | - |
| | Closing Net Liability (Liability recognised in B/S in current period) | (376.44) | 31.19 | (103.29) | 110.45 | 666.41 | 1,944.30 |

## तालिका IX. वर्तमान अवधि के लिए राशि

| | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 46355.35 | 29,043.14 | 4398.78 | 3,229.08 | 3446.03 | 1,944.30 |
| योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 46731.79 | 29,011.95 | 4502.08 | 3,118.63 | 2779.62 | |
| अमान्य गत सेवा लागत से पूर्व अधिशेष/(घाटा) | 376.44 | (31.19) | 103.30 | (110.45) | (666.41) | (1,944.30) |
| योजना देयताओं में अनुभाविक समायोजन –(हानि)/लाभ | (1016.12) | 3,982.16 | (243.27) | 37.11 | 744.92 | 161.94 |
| **योजना आस्तियों में अनुभाविक समायोजन– (हानि)/लाभ** | 347.66 | (335.67) | 32.33 | (62.44) | (47.16) | - |

## TABLE IX -Amount for the current Period

| | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| Present value of Obligation | 46355.35 | 29,043.14 | 4398.78 | 3,229.08 | 3446.03 | 1,944.30 |
| FAIR value of Plan Assets | 46731.79 | 29,011.95 | 4502.08 | 3,118.63 | 2779.62 | |
| Surplus / (Deficit) before unrecognised past service cost | 376.44 | (31.19) | 103.30 | (110.45) | (666.41) | (1,944.30) |
| Experience Adjustments in Plan Liabilities -(loss) / Gain | (1016.12) | 3,982.16 | (243.27) | 37.11 | 744.92 | 161.94 |
| Experience Adjustments in Plan Assets (loss) / gain | 347.66 | (335.67) | 32.33 | (62.44) | (47.16) | - |

## तालिका X. योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना आस्तियों का प्रतिशत)

(प्रतिशत में)

| | पेंशन | | उपदान | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ | 3.78% | 6.23% | 8.00% | 11.00% |
| राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ | 13.91% | 23.24% | 13.00% | 21.00% |
| उच्च किस्म के कॉर्पोरेट बॉण्ड | 5.67% | 6.84% | 3.00% | 3.00% |
| सूचीबद्ध कम्पनियों के इक्विटी शेयर | 0.60% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
| संपत्ति | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| विशेष जमा योजनाएं | 5.50% | 8.19% | 7.00% | 10.00% |
| निर्गमकर्ता द्वारा चलाई गई निधियाँ | 59.94% | 39.50% | 54.00% | 38.00% |
| अन्य बैंक जमाराशियां और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) | 10.60% | 15.76% | 15.00% | 17.00% |
| **कुल जोड़** | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

## TABLE X -Major Categories of Plan Assets (as percentage of Total Plan Assets)

(In Percentage)

| | PENSION | | GRATUITY | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| Government Of India Securities | 3.78% | 6.23% | 8.00% | 11.00% |
| State Govt Securities | 13.91% | 23.24% | 13.00% | 21.00% |
| High Quality Corporate Bonds | 5.67% | 6.84% | 3.00% | 3.00% |
| Equity Shares of listed companies | 0.60% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
| Property | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Special deposit scheme | 5.50% | 8.19% | 7.00% | 10.00% |
| Funds managed by Insurer | 59.94% | 39.50% | 54.00% | 38.00% |
| Other- Bank Deposits and CDs | 10.60% | 15.76% | 15.00% | 17.00% |
| TOTAL | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

## तालिका XI. आगामी वर्ष के दौरान एंटरप्राईज़ के अंशदान का श्रेष्ठतम अनुमान

| | पेंशन (निधिक) | | उपदान (निधिक) | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2022 | 31.03.2021 | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| आगामी वर्ष के दौरान बैंक का श्रेष्ठतम अंशदान का अनुमान | 2720.00 | 860.00 | 10.00 | 190.00 |

## TABLE XI -Enterprise's best estimate of contribution during next year

| | PENSION (funded) | | GRATUITY (funded) | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2022 | 31.03.2021 | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| Bank's best estimate of Contribution during next year | 2720.00 | 860.00 | 10.00 | 190.00 |

## तालिका XII. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)

| विवरण | आकस्मिक छुट्टी तथा बीमारी की छुट्टी नहीं ली गई( गैर निधिक) | | छुट्टी किराया रियायत (गैर निधिक) | | सिलवर जुबली बोनस (गैर निधिक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| दायित्व का वर्तमान मूल्य | 71.73 | 75.33 | 217.68 | 213.74 | 15.91 | 9.15 |
| संक्रमणशील देयता का प्रारम्भिक शेष | - | - | - | - | - | - |
| वर्ष के दौरान मान्य संक्रमणशील देयता | - | - | - | - | - | - |

## TABLE XII- Other Long Term employee benefits (Unfunded)

| Particulars | Sick Leave & Un availed Casual leave (Unfunded) | | Leave Fare concession (unfunded) | | Silver Jubiliee Bonus (unfunded) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| Present Value of Obligation | 71.73 | 75.33 | 217.68 | 213.74 | 15.91 | 9.15 |
| Opening Balance of Transitional Liability | - | - | - | - | - | - |
| Transitional Liability recogized in the year | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संक्रमणशील देयता का इतिशेष | - | - | - | - | - | - |
| | तुलनपत्र में मान्य देयता | 71.73 | 75.33 | 217.68 | 213.74 | 15.91 | 9.15 |

| | विवरण | धारणा का आधार |
|---|---|---|
| | बट्टा दर | दायित्वों की अनुमानित अवधि तथा मुद्रा के अनुरूप अवधि के सरकारी बंध पत्रों (एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित) पर तुलन पत्र की तिथि को बाजार प्राप्तियों के अनुसार बट्टा दर निर्धारित की गयी है। |
| | योजना आस्तियों पर प्रतिफल की संभावित दर | यह माना जाता है कि संबंधित योजना परिसंपत्तियों पर पेंशन और उपदान प्रति वर्ष 6.85% और 6.55% होगा। |
| | वेतन वृद्धि दर (एसईआर) | आईबीए द्वारा प्रदान किए गए व्यापक मार्गदर्शन के आधार पर, बैंक के लिए एसईआर 6.00% (मूल वेतन वृद्धि 2.8% और डीए 5.8% प्रति वर्ष, 6.0% की कुल वेतन वृद्धि) |
| | ह्रास दर | पिछले अनुभव और स्वैच्छिक आहरण से संबंधित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में ह्रास दर 1% निर्धारित की गयी है। |

**परिभाषित अंशदान योजना :**

"बैंक ने 1.04.2010 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू अंशदान योजना को परिभाषित किया है। यह योजना पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एनपीएस ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित है। राष्ट्रीय सिक्योरटी डिपाजिटरी लि. को एनपीएस के लिए केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

योगदान का विवरण इस प्रकार है:

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान=रु.747.67 करोड़ [बैंक+कर्मचारी योगदान] (गत वर्ष: रु.391.68 करोड़ (बैंक+ कर्मचारी योगदान))

**16. लेखा मानक 17 - खंडवार रिपोर्टिंग**

**खंड पहचान**

**I प्राथमिक (व्यावसायिक खंड):**

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं:

**i. ट्रेज़री**

ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों और व्युत्पन्न अनुबंधों में व्यापार शामिल है। ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रूप से निवेश पोर्टफोलियो पर व्यापार संचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल है।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Closing Balance Of Transitional Liability | - | - | - | - | - | - |
| | Liabity Recognized in balance Sheet | 71.73 | 75.33 | 217.68 | 213.74 | 15.91 | 9.15 |

| | Particulars | Basis of assumption |
|---|---|---|
| | Discount Rate | Discount Rate has been determined by reference to market yields at the balance Sheet date on Government bonds (published by FBIL) of term consistent with currency and estimated term of the obligations. |
| | Expected Rate of Return on Plan Assets | It is assumed that return on the plan assets pertaining to the pension and gratuity fund will be 6.85% and 6.55% pa respectively. |
| | Salary Escalation Rate (SER) | Based on the broad guidance provided by IBA, SER for the bank has been taken at 6.0% (Basic Pay increase of 2.8% and DA increase of 5.8% pa with overall salary escalation of 6.0%) |
| | Attrition Rate | Attrition rate is assumed at 1% taken with reference to past experience and expected future experience related to voluntary withdrawals. |

**Defined Contribution Plans:-**

"The Bank has Defined Contribution Plan applicable to all categories of employees joining the Bank on or after 01.04.2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS.

The details of contribution is as under:-

During the financial year ended March 31, 2021=₹747.67 Crores [Bank + Employee contribution] (Previous year: ₹391.68 Crores (Bank + Employee contribution))

**16. Accounting Standard – 17 Segment Reporting**

**Segment Identification**

**I. Primary (Business Segment):**

The following are the primary segments of the Bank:-

**i. Treasury**

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. **कॉपीरेट/थोक बैंकिंग**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी. 81/21.04.018/2006-07 दिनांक 18 अप्रैल 2007, कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में रुपये 5.00 करोड़ और उससे अधिक के जोखिम वाले उधारकर्ताओं की उधार गतिविधियां शामिल हैं।

iii. **खुदरा बैंकिंग**

खुदरा बैंकिंग खंड में उन उधारकर्ता खातों को शामिल किया गया है जिनका एक्सपोजर रुपये 5.00 करोड़ से कम है।

iv. अन्य बैंकिंग परिचालन खंड जो उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हैं, इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

II. **माध्यमिक ( भौगोलिक खंड )**

1. घरेलू संचालन-भारत में संचालन वाली शाखाएं/कार्यालय
2. विदेशी परिचालन-भारत के बाहर परिचालन वाली शाखाएं/ कार्यालय और भारत में परिचालन वाली अपतटीय बैंकिंग इकाइयां।

IV. **आवंटन का आधार:**

ब्याज आय का आवंटन विभिन्न खंडों से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर किया जाता है।

थोक बैंकिंग/खुदरा बैंकिंग खंड/अन्य बैंकिंग खंड द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होने वाले व्यय आवंटित किए जाते हैं।

प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी की गणना उस विशेष खंड की संपत्ति और देनदारियों के आधार पर की जाती है।

बैंक के पास कुछ सामान्य संपत्तियां और देनदारियां हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, और उन्हें असंबद्ध माना जाता है।

**( राशि रु. करोड़ में )**

**भाग-ए: व्यावसायिक खंड**

| क्र. सं. | | विवरण | वर्तमान वर्ष 31.03.2021 ( लेखा परीक्षित ) | गत वर्ष 31.03.2020 ( लेखा परीक्षित ) |
|---|---|---|---|---|
| i. | | **खंड राजस्व** | | |
| | क) | ट्रेजरी | 31527.87 | 19578.45 |
| | ख) | कॉपीरेट/थोक बैंकिंग | 31720.52 | 23525.26 |
| | ग) | खुदरा बैंकिंग | 26300.90 | 18746.32 |
| | घ) | अन्य बैंकिंग परिचालन | 4012.33 | 1224.13 |
| | | **कुल** | **93561.62** | **63074.16** |
| ii. | | **खंड परिणाम** | | |
| | क) | ट्रेजरी | 9605.06 | 6123.23 |
| | ख) | कॉपीरेट/थोक बैंकिंग | -7023.60 | -6027.22 |
| | ग) | खुदरा बैंकिंग | 4127.28 | 2780.88 |
| | घ) | अन्य बैंकिंग परिचालन | 1106.80 | 322.00 |
| | | **कुल** | **7815.54** | **3198.89** |
| iii. | | गैर आबंटित व्यय | 4336.14 | 2459.90 |
| iv. | | परिचालन लाभ | 22980.08 | 14738.55 |
| v. | | कर हेतु प्रावधान | 1457.78 | 402.79 |
| vi. | | असाधारण मदें | 0.00 | 0.00 |
| vii. | | शुद्ध लाभ | 2021.62 | 336.20 |

ii. **Corporate / Wholesale Banking**

As per the RBI guidelines DBOD.No.BP.BC.81/21.04.018/ 2006-07 dated 18th April 2007, the Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of Rs. 5.00 Crores and above.

iii. **Retail Banking**

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than Rs. 5.00 Crores.

iv Other Banking Operations Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II **Secondary (Geographical Segment)**

i Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii. Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India.

IV. **Basis of allocation:**

The interest income is allocated on the basis of actual interest received from different segments

Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment/other banking segment.

Capital employed for each segment is calculated based on the assets and liabilities of that particular segment.

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

**(Amount in ₹ Crore)**

**PART A: BUSINESS SEGMENTS**

| Sl. No. | | Particulars | Current Year 31.03.2021 Audited | Previous Year 31.03.2020 Audited* |
|---|---|---|---|---|
| i. | | **Segment Revenue** | | |
| | a) | Treasury | 31527.87 | 19578.45 |
| | b) | Corporate/Wholesale Banking | 31720.52 | 23525.26 |
| | c) | Retail Banking | 26300.90 | 18746.32 |
| | d) | Other Banking Operations | 4012.33 | 1224.13 |
| | | **Total** | **93561.62** | **63074.16** |
| ii. | | **Segment Results** | | |
| | a) | Treasury | 9605.06 | 6123.23 |
| | b) | Corporate/Wholesale Banking | -7023.60 | -6027.22 |
| | c) | Retail Banking | 4127.28 | 2780.88 |
| | d) | Other Banking Operations | 1106.80 | 322.00 |
| | | **Total** | **7815.54** | **3198.89** |
| iii. | | Unallocated Expenses | 4336.14 | 2459.90 |
| iv. | | Operating Profit | 22980.08 | 14738.55 |
| v. | | Provision for Tax | 1457.78 | 402.79 |
| vi. | | Extraordinary Items | 0.00 | 0.00 |
| vii. | | Net Profit | 2021.62 | 336.20 |

| अन्य सूचना: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| viii. | **खंड आस्तियाँ** | | | |
| | क) | ट्रेजरी | 428936.22 | 265150.86 |
| | ख) | कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 513012.15 | 363834.17 |
| | ग) | खुदरा बैंकिंग | 245913.43 | 157080.35 |
| | घ) | अन्य बैंकिंग परिचालन | 26709.05 | 15340.04 |
| | उप जोड़ | | 1214570.85 | 801405.42 |
| | (ङ) | गैर आबंटित आस्तियाँ | 46061.77 | 29260.49 |
| | कुल आस्तियाँ | | **1260632.62** | **830665.91** |
| ix. | **खंड देयताएं** | | | |
| | क) | ट्रेजरी | 413086.54 | 254198.87 |
| | ख) | कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 494055.77 | 348806.10 |
| | ग) | खुदरा बैंकिंग | 236826.65 | 150592.19 |
| | घ) | अन्य बैंकिंग परिचालन | 25722.12 | 14706.43 |
| | **उप जोड़** | | **1169691.08** | **768303.59** |
| | (ङ) | गैर आबंटित आस्तियाँ | 4.23 | 4.84 |
| | कुल देयताएं | | 1169695.31 | 768308.43 |
| **x.** | **नियोजित पूंजी** | | | |
| | क) | ट्रेजरी | 15849.68 | 10951.99 |
| | ख) | कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 18956.38 | 15028.07 |
| | ग) | खुदरा बैंकिंग | 9086.78 | 6488.16 |
| | घ) | अन्य बैंकिंग परिचालन | 986.93 | 633.61 |
| | **उप जोड़** | | **44879.77** | **33101.83** |
| | (ङ) | गैर आबंटित आस्तियाँ | 46057.54 | 29255.65 |
| | **कुल देयताएं नियोजित पूंजी** | | **90937.31** | **62357.48** |

**भाग ख: भौगोलिक खंड**

| क्र. सं. | विवरण | | वर्तमान वर्ष 31.03.2021 (लेखा परीक्षित) | गत वर्ष 31.03.2020 (लेखा परीक्षित) |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **राजस्व** | | | |
| | **क)** | **घरेलू** | 92767.74 | 61764.25 |
| | **ख)** | **अंतर्राष्ट्रीय** | 793.88 | 1309.91 |
| | **कुल** | | **93561.62** | **63074.16** |
| **2.** | **आस्तियाँ** | | | |
| | a) | **घरेलू** | 1214829.81 | 793295.23 |
| | b) | **अंतर्राष्ट्रीय** | 45802.81 | 37370.68 |
| | **कुल** | | **1260632.62** | **830665.91** |

नोट

1. खंडवार देयताएं उनकी संबंधित खंड आस्तियों के अनुपात में वितरित की गई हैं।

2. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पिछली अवधि के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए पुन: समूहन/पुन: वर्गीकृत किया गया है।

   *पूर्व-समामेलन अवधि के लिए आंकड़े स्टैंडअलोन बैंक के वित्तीय से संबंधित हैं, इसलिए समामेलन के बाद वित्तीय आकड़ों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

| Other Information: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| viii. | **Segment Assets** | | | |
| | a) | Treasury | 428936.22 | 265150.86 |
| | b) | Corporate/Wholesale Banking | 513012.15 | 363834.17 |
| | c) | Retail Banking | 245913.43 | 157080.35 |
| | d) | Other Banking Operations | 26709.05 | 15340.04 |
| | Sub Total | | 1214570.85 | 801405.42 |
| | e) | Unallocated Assets | 46061.77 | 29260.49 |
| | **Total Assets** | | **1260632.62** | **830665.91** |
| ix. | **Segment Liabilities** | | | |
| | a) | Treasury | 413086.54 | 254198.87 |
| | b) | Corporate/Wholesale Banking | 494055.77 | 348806.10 |
| | c) | Retail Banking | 236826.65 | 150592.19 |
| | d) | Other Banking Operations | 25722.12 | 14706.43 |
| | **Sub Total** | | **1169691.08** | **768303.59** |
| | e) | Unallocated Liabilities | 4.23 | 4.84 |
| | Total Liabilities | | 1169695.31 | 768308.43 |
| **x.** | **Capital Employed** | | | |
| | a) | Treasury | 15849.68 | 10951.99 |
| | b) | Corporate/Wholesale Banking | 18956.38 | 15028.07 |
| | c) | Retail Banking | 9086.78 | 6488.16 |
| | d) | Other Banking Operations | 986.93 | 633.61 |
| | **Sub Total** | | **44879.77** | **33101.83** |
| | e) | Unallocated Liabilities | 46057.54 | 29255.65 |
| | **Total Capital Employed** | | **90937.31** | **62357.48** |

**PART B: GEOGRAPHICAL SEGMENTS**

| Sl. No | Particulars | | Current Year 31.03.2021 (Audited) | Previous Year 31.03.2020 (Audited)* |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Revenue** | | | |
| | a) | Domestic | 92767.74 | 61764.25 |
| | b) | International | 793.88 | 1309.91 |
| | **Total** | | **93561.62** | **63074.16** |
| **2.** | **Assets** | | | |
| | a) | Domestic | 1214829.81 | 793295.23 |
| | b) | International | 45802.81 | 37370.68 |
| | **Total** | | **1260632.62** | **830665.91** |

Note:

1. Segment Liabilities are distributed in the ratio of their respective Segment Assets.

2. Figures of the previous period have been re-grouped /re-classified wherever necessary.

   *Figures are related to standalone Bank's financials for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financials.

17. आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 18 के अनुसार संबधित पार्टी

संबंधित पार्टियों के नाम तथा बैंक के साथ उनके संबंध

**मुख्य प्रबंधन कार्मिक :**

i) श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ii) डॉ. राजेश कुमार यदुवंशी, कार्यपालक निदेशक, 08.10.2020 तक
iii) श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक
iv) श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक
v) श्री अज्ञेय कुमार आजाद, कार्यपालक निदेशक, 30.04.2021 तक
vi) श्री स्वरूप कुमार साहा, 31.03.2021 से

**अनुषंगियाँ:**

i) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
ii) पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनैशनल) लिमिटेड, यू. के
iii) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड
iv) ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान
v) पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लि.

16.03.2021 को शामिल को पूंजी लगाई गाई थी

**सहयोगी संस्थाएं:**

i) पीएनबी मेटलाइफ इंडिया एंश्योरेंस कं. लि.
ii) जेएससी (टेंगडी बैंक) अल्माती, कजाकिस्तान
iii) पीएनबी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड
iv) केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ एंश्योरेंस कं. लि.#
v) इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कं. लि.*
vi) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
vii) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मण्डी
viii) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
ix) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
x) यूपी ग्रामीण बैंक, मोरादाबाद
xi) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
xii) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल
xiii) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल
xiv) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला
xv) एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल

@पीएनबी ने बांड इक्विटी के रूप में रु700.48/- पर विचार दर पीएनबी मेटलाइफ में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है

एएफआर ने 18.09.2020 से जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अस्थायी प्रशासक ने 28 सितंबर 2020 को जेएससी टेंगरी बैंक की परिसमापन प्रक्रिया के लिए मुकदमा दायर किया है। 15.02.2021 को, जेएससी तेंगरी बैंक के परिसमापन पर निर्णय अपील न्यायालय द्वारा लागू हुआ। 19.02.2021 को टेंगरी बैंक के परिसमापन आयोग ने बैंक के परिसमापन की जानकारी प्रकाशित की।

#समामेलन के बाद 01.04.2020 से केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पीएनबी की सहयोगी बन गई है।

*पीएनबी 1.0 के समय, ईओबीसी और ईयूएनआई ने भारत एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईएसएआरसी) में क्रमशः 9%, 1.90% और 10% का निवेश किया था। विलय के बाद, आईएसएआरसी को 01.04.2020 से पीएनबी के एक सहयोगी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।पीएनबी 2.0 के पास आज की तारीख में 20.90% की हिस्सेदारी है।

17. **Disclosure of Related Parties as per AS –18 issued by ICAI**

**Names of the related parties and their relationship with the Bank:**

**Key Management Personnel (KMP):**

i) Shri CH S S Mallikarjuna Rao, Managing Director & CEO
ii) Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi, Executive Director, up to 08.10.2020
iii) Shri Sanjay Kumar, Executive Director
iv) Shri Vijay Dube, Executive Director
v) Shri Agyey Kumar Azad, Executive Director, up to 30.04.2021
vi) Shri Swarup Kumar Saha, w.e.f. 10.03.2021

**Subsidiaries:**

i) PNB Gilts Limited
ii) Punjab National Bank (International) Ltd.UK
iii) PNB Investment Services Ltd.
iv) Druk PNB Bank Ltd. Bhutan
v) PNB Cards and Services Ltd*

*Incorporated on 16.03.2021. The Capital was infused on 06.04.2021

**Associates:**

i) PNB Metlife India Insurance Company Ltd@
ii) JSC (Tengri Bank), Almaty, Kazakhstan^
iii) PNB Housing Finance Limited
iv) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.#
v) India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.*
vi) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna
vii) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi
viii) Punjab Gramin Bank, Kapurthala
ix) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak
x) Prathama UP Gramin Bank, Moradabad
xi) Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati
xii) Bangiya Gramin Vikas Bank, West Bengal
xiii) Manipur Rural Bank, Imphal
xiv) Tripura Gramin Bank, Agartala
xv) Everest Bank Limited, Kathmandu, Nepal

@PNB has acquired 30% stake in PNB Metlife India Insurance Company Ltd at consideration of ₹700.48/- as brand equity.

^AFR revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020. Temporary Administrator has filed law suit for liquidation process of JSC Tengri Bank on 28th September 2020. On 15.02.2021, the decision on liquidation of JSC Tengri Bank came into force by the Appeal Court. On 19.02.2021, the Liquidation commission of Tengri Bank published information of liquidation of the Bank.

#After amalgamation Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd become an associate of PNB w.e.f. 01.04.2020.

*Earlier PNB 1.0, eOBC and eUNI had investment of 9%, 1.90% and 10% respectively in India SME Asset Reconstruction Co. Ltd (ISARC). Post-merger, ISARC has been classified as an associate of PNB w.e.f. 01.04.2020. PNB 2.0 is having share holding of 20.90% as on date.

## संबंधित पार्टियों के साथ लेन देन

(राशि लाखों में)

| मदें/संबंधित पार्टी | मूल** (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार) | | अनुषंगियां ** | | सहयोगी/संयुक्त उद्यम | | मुख्य प्रबंधन कार्मिक | | मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020-21 | अधिकतम बकाया राशि | 2020-21 | अधिकतम बकाया राशि | 2020-21 | अधिकतम बकाया राशि | 2020-21 | अधिकतम बकाया राशि | 2020-21 | अधिकतम बकाया राशि | 2020-21 | अधिकतम बकाया राशि |
| पारिश्रमिक | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | 3.45 | - | - | - | 3.45 | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | (1.89) | - | - | - | (1.89) | - |
| उधार | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| जमाराशि | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 754.11 | 2168.76 | - | - | - | - | 754.11 | 2168.76 |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (2685.54) | - | - | - | - | - | (2685.54) | - |
| जमाराशियों का नियोजन | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 384.19 | 384.19 | - | - | - | - | 384.19 | 384.19 |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (151.33) | (151.33) | - | - | - | - | (151.33) | (151.33) |
| अग्रिम (आईबीपीसी उधार) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 7500.00 | 7501.00 | - | - | - | - | 7500.00 | 7501.00 |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (6080.00) | - | - | - | - | - | (6080.00) | - |
| अग्रिम (आईबीपीसी उधार) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 7500.00 | 7501.00 | - | - | - | - | 7500.00 | 7501.00 |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (6080.00) | - | - | - | - | - | (6080.00) | - |
| अग्रिम (अन्य) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 1937.14 | 1949.64 | - | - | - | - | 1937.14 | 1949.64 |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (2011.17) | (2024.10) | - | - | - | - | (2011.17) | (2024.10) |
| निवेश | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 1873.77 | 1873.77 | - | - | - | - | 1873.77 | 1873.77 |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (525.32) | - | - | - | - | - | (525.32) | - |
| डिबेंचर में निवेश | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| गैर निधिक प्रतिबद्धताएं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ली गयी लीजिंग/एचपी व्यवस्था | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दी गयी लीजिंग/एचपी व्यवस्था | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अचल आस्तियों की खरीद | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अचल अस्तियों की बिक्री | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| जमाराशियों पर चुकाया गया ब्याज | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 7.47 | 7.47 | - | - | - | - | 7.47 | 7.47 |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (16.83) | - | - | - | - | - | (16.83) | - |
| आईबीपीसी पर चुकाया गया ब्याज | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 495.51 | 495.51 | - | - | - | - | 495.51 | 495.51 |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (373.81) | - | - | - | - | - | (373.81) | - |
| अन्य पर चुकाया ब्याज | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| आईबीपीसी पर प्राप्त ब्याज | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 426.68 | 426.68 | - | - | - | - | 426.68 | 426.68 |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (347.11) | - | - | - | - | - | (347.11) | - |
| अन्य प्राप्त ब्याज (वसूली ऋण ब्याज) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 18.67 | - | - | - | - | - | 18.67 | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (20.47) | - | - | - | - | - | (20.47) | - |
| सेवाएं प्राप्त करना | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| सेवाएं प्रदान करना | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| प्रबन्धन संविदाएं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| प्राप्त लाभांश | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (69.64) | - | - | - | - | - | (69.64) | - |
| बैंक प्रभार | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| प्राप्त कमीशन | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| बांड पर चुकाया गया ब्याज | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 4.76 | 4.76 | | | | | 4.76 | 4.76 |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | | | | | | |
| अन्य आय | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 21.29 | - | | | | | 21.29 | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (43.90) | - | | | | | (43.90) | - |

**अनुषंगियों और कुछ सहयोगी संस्थाओं के साथ हुए लेनदेन का प्रकटीकरण लेखा मानक - 18 ''सम्बन्धित पाटी प्रकटीकरण'' के पैरा 9 के मद्देनजर नहीं किया गया है जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को उनकी ऐसी अन्य सम्बन्धित पार्टियों से लेनदेन में से किसी से सम्बन्धित सूचना देने से छूट देता है जो राज्य द्वारा नियंत्रित हों।

इसके अलावा, एएस 18 के पैरा 5 के संदर्भ में, बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति में लेन-देन का खुलासा नहीं किया गया है, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंधी शामिल हैं।

## Transactions with Related Parties:

**(Amount in ₹ Crores)**

| Items/ Related Party | Parent** (as per ownership or control) | | Subsidiaries** | | Associates/ Joint ventures | | Key Management Personnel | | Relatives of Key Management Personnel | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020-21 | Maximum amount outstanding | 2020-21 | Maximum amount outstanding | 2020-21 | Maximum amount outstanding | 2020-21 | Maximum amount outstanding | 2020-21 | Maximum amount outstanding | 2020-21 | Maximum amount outstanding |
| Remuneration | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | 3.45 | - | - | - | 3.45 | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | (1.89) | - | - | - | (1.89) | - |
| Borrowings | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deposits | N.A | N.A | N.A | N.A | 754.11 | 2168.76 | - | - | - | - | 754.11 | 2168.76 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (2685.54) | - | - | - | - | - | (2685.54) | - |
| Placement of Deposits | N.A | N.A | N.A | N.A | 384.19 | 384.19 | - | - | - | - | 384.19 | 384.19 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (151.33) | (151.33) | - | - | - | - | (151.33) | (151.33) |
| Advances (IBPC borrowings) | N.A | N.A | N.A | N.A | 7500.00 | 7501.00 | - | - | - | - | 7500.00 | 7501.00 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (6080.00) | - | - | - | - | - | (6080.00) | - |
| Advances (IBPC lending) | N.A | N.A | N.A | N.A | 7500.00 | 7501.00 | - | - | - | - | 7500.00 | 7501.00 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (6080.00) | - | - | - | - | - | (6080.00) | - |
| Advances (Others) | N.A | N.A | N.A | N.A | 1937.14 | 1949.64 | - | - | - | - | 1937.14 | 1949.64 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (2011.17) | (2024.10) | - | - | - | - | (2011.17) | (2024.10) |
| Investments | N.A | N.A | N.A | N.A | 1873.77 | 1873.77 | - | - | - | - | 1873.77 | 1873.77 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (525.32) | - | - | - | - | - | (525.32) | - |
| Investments in Debentures | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non funded Commitments | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leasing/ HP arrangements availed | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leasing/ HP arrangements provided | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchase of fixed assets | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sale of Fixed Assets | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest paid on Deposits | N.A | N.A | N.A | N.A | 7.47 | 7.47 | - | - | - | - | 7.47 | 7.47 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (16.83) | - | - | - | - | - | (16.83) | - |
| Interest Paid on IBPC | N.A | N.A | N.A | N.A | 495.51 | 495.51 | - | - | - | - | 495.51 | 495.51 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (373.81) | - | - | - | - | - | (373.81) | - |
| Interest Paid Others | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest received on IBPC | N.A | N.A | N.A | N.A | 426.68 | 426.68 | - | - | - | - | 426.68 | 426.68 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (347.11) | - | - | - | - | - | (347.11) | - |
| Interest received Others (Loan Interest Recovered) | N.A | N.A | N.A | N.A | 18.67 | - | - | - | - | - | 18.67 | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (20.47) | - | - | - | - | - | (20.47) | - |
| Receiving of Services | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| Rendering of Services | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| Management contracts | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| Dividend received | N.A | N.A | N.A | N.A | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (69.64) | - | - | - | - | - | (69.64) | - |
| Bank Charges | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| Commission Received | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| Interest Paid on Bonds | N.A | N.A | N.A | N.A | 4.76 | 4.76 | | | | | 4.76 | 4.76 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | | | | | | |
| Other Income | N.A | N.A | N.A | N.A | 21.29 | - | | | | | 21.29 | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (43.90) | - | | | | | (43.90) | - |

**The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of para-9 of AS-18 'Related Party Disclosure', which exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also state controlled.

Further, in terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

नोट:-

i. जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुन: समूहित/ पुन: व्यवस्थित/ पुन: वर्गीकृत किया गया है।

ii. जहाँ भी आंकड़े कोष्ठक में दिए गए पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

iii. पिछले वर्ष के आंकड़े पूर्व-समामेलन अवधि के लिए बैंक के वित्तीय स्टैंडअलोन से संबंधित हैं, इसलिए यह समामेलन के बाद के वित्तीय के साथ तुलनीय नहीं हैं।

**18. लेखा मानक एएस-19 पट्टा**

i. ऑपरेटिंग पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर शामिल होते हैं, जो कि बैंक के विकल्प पर प्रत्येक 5 वें वर्ष के अंत में सामान्य रूप से नवीकरणीय होते हैं।

ii. परिचालन पट्टे के लिए लाभ व हानि के खाते में पट्टा पहचान भुगतान की राशि रु.790.74 करोड़ है।.

iii. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31.03.2021 को रद्द करने योग्य पट्टा: शून्य

**19. लेखा मानक 20 – प्रति शेयर अर्जन**

| क्र. सं. | विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | पिछले वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| क | ईपीएस – मूल / ह्रासित (रु.में) | 2.08 | 0.62 |
| ख | कर के पश्चात गणक के रूप में उपयोग की गई राशि पर लाभ/(हानि) (रु. 000 में) | 20216187 | 3361944 |
| ग | शेयरों का अंकित मूल्य | रु.2.00 प्रत्येक | रु.2.00 प्रत्येक |
| घ | डिनोमिनेटर के रूप में प्रयोग किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | 9705896011 | 5460952184 |

**20. (i) लेखा मानक – 22 : आय पर करों के सम्बन्ध में लेखांकन**

**बैंक ने लेखा नीति सं. 10. के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों और देयता की पहचान की है जिसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:**

**(राशि रु. करोड़ में)**

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | पिछले वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| आस्थगित कर आस्तियां | | |
| छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान | 1226.76 | 754.99 |
| पेंशन और उपदान के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 |
| अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | 25408.50 | 19596.11 |
| कर योग्य हानि (आगे ले जाया गया) | 1335.18 | 0.00 |
| अन्य आकस्मिकताएं | 55.00 | 0.00 |
| जोड़ | 28025.44 | 20351.10 |

Note:-

I. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

II. Figures in the bracket wherever given relates to previous year.

III. Figures of previous year relates to standalone Bank's financials for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financials

**18. Accounting Standard AS -19 Lease**

i. Operating lease primarily comprise office premises, which are renewable at the option of the bank normally at the end of every 5th years.

ii. Amount of lease payment recognized in P & L Account for operating lease is ₹790.74Crores.

iii. As per information available, Non-cancellable lease as on 31.03.2021: Nil

**19. Accounting Standard 20 - Earnings Per Share**

| Sl. No. | Particulars | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| A | EPS - Basic / Diluted (in ₹) (Non Annualized) | 2.08 | 0.62 |
| B | Amount used as numerator Profit/ (Loss) after tax (₹ in 000) | 20216187 | 3361944 |
| C | Nominal value of share | ₹2.00 each | ₹2.00 each |
| D | Weighted average number of equity shares used as the denominator | 9705896011 | 5460952184 |

**20. (i) Accounting Standard 22- Accounting for taxes on Income**

**The Bank has recognized deferred tax assets and liability as per accounting policy no. 10. Major components of which are set out below:**

**(Amount in ₹Crore)**

| Particulars | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Deferred Tax Assets | | |
| Provision for Leave encashment | 1226.76 | 754.99 |
| Provision for Pension & Gratuity | 0.00 | 0.00 |
| Provision for bad & doubtful debts | 25408.50 | 19596.11 |
| Taxable loss (carried forward) | 1335.18 | 0.00 |
| Other Contingencies | 55.00 | 0.00 |
| Total | 28025.44 | 20351.10 |

| आस्थगित कर देयताएं | | |
|---|---|---|
| अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास | -164.13 | -115.29 |
| आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत कटौती | 1135.37 | 504.49 |
| जोड़ | 971.24 | 389.20 |
| आस्थगित कर आस्तियाँ (शुद्ध) | 27054.20 | 19961.90 |

वर्ष 31.03.21 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए आस्थगित कर आस्ति रु.1426 करोड़ लाभ और हानि खाते (पिछले वर्ष: क्रेडिट रु.1381.80 करोड़) में नामे की गई है।

**( ii ) वर्तमान कर:** 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने वर्तमान कर के लिए लाभ और हानि खाते से रु31.78 करोड़ (पिछले वर्ष: रु1784.58 करोड़) नामे किया है। भारत में वर्तमान कर की गणना विदेशी अधिकार क्षेत्र पर भुगतान किए गए करों के लिए उचित राहत लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

**( iii )** विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांगों में बैंक द्वारा विभाग/भुगतान द्वारा समायोजित विवादित राशि सहित "अन्य आस्तियों" के तहत प्रदर्शित होने के स्रोत पर कटौती किए गए गए अग्रिम/कर में कर भुगतान शामिल है।

रु.9835.82 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1131.50 करोड़) की विवादित आयकर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि बैंक की राय, इन मुद्दों पर विशेषज्ञ की राय और/अथवा बैंक की अपीलों पर हुए निर्णय के अनुसमर्थन के अनुसार किए गए परिवर्धन/अस्वीकृतियां धारणीय नहीं है।

बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115बीएए के तहत उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया है और आयकर अधिनियम 1961 के पूर्व प्रावधान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आय पर करों को मान्यता देना जारी रखने का विकल्प चुना है।

**21. लेखा मानक 23: समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिसएटों में निवेशों के लिए लेखांकन**

चूँकि बैंक की अपनी सहयोगी संस्थाओं में भागीदारी प्रकृति का निवेश है और बैंक को उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का अधिकार है, अत: बैंक की समेकित वित्तीय विवरणियों में ऐसे निवेशों को मान्यता दी गई है।

**22. लेखा मानक 24 : परिचालन बंद होना**

दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बंद नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप देयताओं की शैडिंग और आस्तियों का भुगतान हुआ हो तथा किसी परिचालन को सम्पूर्ण रूप से समाप्त करने का ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे उक्त प्रभाव पड़े ।

**23. लेखा मानक 28 आस्तियों की अपसामान्यता**

बैंक की आस्तियों में एक बड़ा हिस्सा वित्तीय आस्तियों का है जिनपर लेखा मानक 28 आस्तियों की अपसामान्यता लागू नहीं है। बैंक की राय में इन आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) की उक्त मानक की शर्त के अधीन अपेक्षित पहचान के लिए 31.03.2021 को किसी महत्वपूर्ण सीमा तक अपसामान्यता नहीं है।

| Deferred Tax Liabilities | | |
|---|---|---|
| Depreciation on fixed assets | -164.13 | -115.29 |
| D eduction u/s 36(1) (viii) of Income Tax Act 1961 | 1135.37 | 504.49 |
| Total | 971.24 | 389.20 |
| Deferred Tax Assets (Net) | 27054.20 | 19961.90 |

The deferred tax assets ₹1426 Crore for the year 31.03.2021 (FY 2020-21) is debited to Profit & Loss Account (Previous year: Credited ₹1381.80 Crore).

**(ii) Current Tax:** During the financial year ended 31.03.2021 the bank has debited to Profit & Loss Account ₹31.78 Crores (Previous year: debited ₹1784.58 Crores) on account of current tax. The current Tax in India has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 after taking appropriate relief for taxes paid on foreign jurisdiction.

**(iii)** Tax Paid in advance/Tax deducted at source appearing under "Other Assets includes disputed amount adjusted by the department/paid by the Bank in respect tax demands for various assessment years.

No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of ₹9835.82 Crore (Previous Year: ₹1131.50 Crore) as in the bank's view, duly supported by expert opinion and/or decision in bank's own appeals on same issues, additions / disallowances made are not sustainable.

The Bank has evaluated the options available under section 115BAA of Income Tax Act 1961 and opted to continue to recognise the taxes on income for the financial year 2020-21 as per the earlier provision of Income Tax Act 1961.

**21. Accounting Standard 23- Accounting for Invest ments in Associates in Consolidated financial Statements**

Since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

**22. Accounting Standard 24 - Discontinuing Operations**

During the period from 01.04.2020 to 31.03.2021, the bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety which have the above effect.

**23. Accounting Standard 28 – Impairment of Assets**

A substantial portion of the bank's assets comprises 'financial assets' to which Accounting Standard 28 'Impairment of Assets' is Not Applicable. In the opinion of the bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) to any material extent as at 31.03.2021 requiring recognition in terms of the said standard.

24. लेखा मानक 29 : प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ :

i) देयताओं के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव*

(राशि रु. करोड़ में)

| विवरण | वेतन बकाया | कानूनी मामले/ आकस्मिकताएं |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 911.91 | 29.35 |
| | (713.72) | (25.01) |
| ईओबीसी और ईयूएनआई के समामेलन के कारण वृद्धि | 461.75 | 43.02 |
| | – | – |
| वर्ष के दौरान जोड़ा / प्रदान किया गया, जिसमें सामंजस्य के प्रभाव शामिल हैं, यदि कोई हो। | 1564.66 | 5.93 |
| | (515.96) | (6.17) |
| अवधि के दौरान प्रयुक्त राशियां | 2316.96 | 0.23 |
| | (317.76) | (0.00) |
| अवधि के दौरान रिवर्स | 577.36 | 3.87 |
| | (0.00) | (1.83) |
| 31.03.2021 को शेष | 44.00 | 74.20 |
| | (911.91) | (29.35) |
| बहिर्वाह /अनिश्चिताओं का समय | वास्तविक भुगतान पर | निपटान / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह |
| | वास्तविक भुगतान पर | निपटान / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह |

* अन्य के लिए प्रावधान को छोड़कर

ii) आकस्मिक देयताओं पर अनुसूची - 12 देखें :

क्रम संख्या(I),(II), (III), (IV), (V) व(VI) की ऐसी देयताएं अदालत /पंचाट /अदालती समझौतों के निष्कर्षों, अपीलों की निपटान, मांगी जा रही राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तों, सम्बद्ध पार्टियों द्वारा की गयी माँगों पर क्रमश: आश्रित हैं।

25. लाभ व हानि खाते में व्यय शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये गये ''प्रावधान व आकस्मिकताएं'' का विवरण निम्नलिखित है:

(राशि रु. करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | पिछले वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (निवल) | 599.20 | -366.35 |
| अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल) | 17059.51 | 14464.08 |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | 1207.58 | 494.90 |
| आयकर के लिए प्रावधान (एफबीटी और धनकर सहित) | 1457.78 | 402.79 |

24. **Accounting Standard -29 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

**i) Movement of provisions for liabilities***

**(Amount in ₹ Crore)**

| Particulars | Salary arrears | Legal cases/ contingencies |
|---|---|---|
| Opening Balance | 911.91 | 29.35 |
| | (713.72) | (25.01) |
| Addition on account of amalgamation of eOBC and eUNI | 461.75 | 43.02 |
| | - | - |
| Addition / Provided during the year including effect of Harmonization, if any | 1564.66 | 5.93 |
| | (515.96) | (6.17) |
| Amounts used during the period | 2316.96 | 0.23 |
| | (317.76) | (0.00) |
| Reversed during the period | 577.36 | 3.87 |
| | (0.00) | (1.83) |
| Balance as at 31.03.2021 | 44.00 | 74.20 |
| | (911.91) | (29.35) |
| Timing of outflow/ uncertainties | On actual Payment | Outflow on settlement / crystallization |
| | On actual Payment | Outflow on settlement / crystallization |

*Excluding provisions for others

**ii) Refer Schedule-12 on contingent liabilities**

Such liabilities at S.No.(I), (II), (III), (IV), (V) & (VI) are dependent upon the outcome of Court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively.

**25. Break up of "Provisions and Contingencies" shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account is as follows:**

**(Amount in ₹ Crore)**

| Particulars | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Provisions for depreciation on investment (net) | 599.20 | -366.35 |
| Provision towards NPAs (net) | 17059.51 | 14464.08 |
| Provision towards Standard Assets | 1207.58 | 494.90 |
| Provision made towards Income Tax (including Fringe Benefit Tax & Wealth Tax) | 1457.78 | 402.79 |

| अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं: | 634.39 | -593.07 |
|---|---|---|
| विवरण : / 31.03.2021 / 31.03.2020 | | |
| मानक पुन:संरचित / 47.93 / -426.72 | | |
| बट्टे खाते में डाले गए और अन्य / 568.10 / -171.23 | | |
| पुन:संरचित सीडीआर-एफआईटीएल / 18.36 / 4.88 | | |
| जोड़ | 20958.46 | 14402.35 |

26. **अस्थायी प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है:**

**(राशि रु. करोड़ में)**

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | पिछले वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 360.25 | 360.25 |
| ईओबीसी और ईयूएनआई के समामेलन के कारण वृद्धि | 24.12 | – |
| वर्ष के दौरान किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा सामंजस्य के प्रभाव सहित, यदि कोई हो | 0.00 | 0.00 |
| वर्ष के दौरान किए गए आहरण द्वारा कमी का उद्देश्य और राशि | 384.37 | 0.00 |
| इतिशेष | शून्य | **360.25** |

27. **प्रारक्षित निधियों से राशि निकालना:**

**(राशि रु. करोड़ में)**

| क्र. सं. | प्रारक्षित निधि | निकाली गई राशि | उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| 1. | अन्य निधि (अवरुद्ध खाता) | 0.00 (0.0003420) | अंतर शाखा जमा प्रविष्टियों के विरुद्ध 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए दावा प्राप्त किया गया है। |
| 2. | अन्य निधि | 1013.10 (766.27) | धोखाधड़ी की रिपोर्ट किए गए खातों पर छूट |
| 3. | अन्य निधि | 185.58 (0..00) | पुनर्मूल्यांकन परिसर के सामंजस्य के कारण पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि का पुन: स्थापन। |
| 4. | पुनर्मूल्यन निधि | 127.57 (73.74) | आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को निपटाया गया और पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यह्रास को राजस्व आरक्षित निधि में अंतरित किया गया |
| 5. | पुनर्मूल्यन निधि | 0.00 (157.73) | अतिरिक्त एटी1 बांड्स के लिए कूपन भुगतान |
| 6. | शेयर प्रीमियम | 28707.92 (000) | अतिरिक्त एटी1 बांड्स के लिए कूपन भुगतान |

| Other Provision and Contingencies: | 634.39 | -593.07 |
|---|---|---|
| Detail: / 31.03.2021 / 31.03.2020 | | |
| Standard Restructured / 47.93 / -426.72 | | |
| Written off & others / 568.10 / -171.23 | | |
| Restructured CDR-FITL / 18.36 / 4.88 | | |
| Total | 20958.46 | 14402.35 |

26. **Break-up of Floating Provisions is as follows:**

**(Amount in ₹ Crore)**

| Particulars | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Opening balance | 360.25 | 360.25 |
| Addition on account of amalgamation of eOBC and eUNI | 24.12 | - |
| Quantum of floating provisions made during the year including effect of Harmonization, if any | 0.00 | 0.00 |
| Purpose and amount of draw down made during the year | 384.37 | 0.00 |
| Closing balance | NIL | 360.25 |

27. **Draw Down from Reserves:**

**(Amount in ₹ Crore)**

| Sr. No. | Reserves | Amount drawn | Purpose |
|---|---|---|---|
| 1 | Other Reserves (Blocked Account) | 0.00 (0.0003420) | Claim has been received during the period ended 31st March 2021 against Inter Branch Credit entries |
| 2. | Other Reserves | 1013.10 (766.27) | Dispensation on Fraud reported accounts |
| 3. | Other Reserves | 185.58 (0.00) | Reinstatement of Revaluation reserve due to Harmonization of revalued premises. |
| 4. | Revaluation reserves | 127.57 (73.74) | Revaluation surplus of Assets disposed off and Depreciation on revalued portion transferred to Revenue Reserve |
| 5. | Statutory Reserve | 0.00 (157.73) | Coupon Payment for Additional AT1 Bonds |
| 6. | Share Premium | 28707.92 (0.00) | Appropriation of accumulated loss from share premium. |

28. शिकायतों और शिकायत निवारण प्रकटीकरण (एटीएम से संबंधित शिकायतों सहित सीजीआरएम में प्राप्त शिकायतें)

ग्राहकों से और बैंकिंग लोकपाल (ओबीओ) के कार्यालयों से बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

| क्र. सं. | | विवरण | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| **बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें** | | | | |
| 1. | | वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या | 3831 | 31430 |
| 2. | | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | 1306250 | 1328290 |
| 3. | | वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या | 1282799 | 1356818 |
| | 3.1 | जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या | 441362 | 459601 |
| 4. | | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | 27282 | 2902 |
| **ओबीओ से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें** | | | | |
| 5. | | बैंकों को ओबीओ से प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या | 18428 | 10755 |
| | 5.1 | क्र.सं. 5 में से, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या | 16195 | 8813 |
| | 5.2 | क्र.सं. 5 में से, बीओ द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या | 1423 | 482 |
| | 5.3 | क्र.सं. 5 में से, बैंक के खिलाफ बीओ निर्णय पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या | 12** | 14* |
| 6. | | निर्धारित समय में लागू नहीं किए गए निर्णय की संख्या (अपील करने वालों के अलावा) | 0 | 0 |

नोट: अनुरक्षणीय शिकायतें विशेष रूप से बीओ योजना 2006 में उल्लिखित आधारों पर और योजना के दायरे में आने वाली शिकायतों को संदर्भित करती हैं।

*वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जारी किए गए 14 अधिनिर्णय में से, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान शिकायतकर्ता को 13 अधिनिर्णय की राशि का भुगतान किया गया है और बैंक द्वारा 1 अधिनिर्णय में अपील दायर की गई है और यह निपटान के लिए आरबीआई स्तर पर लंबित है।

**वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जारी किए गए 12 अधिनिर्णय में से, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 8 अधिनिर्णय की राशि का भुगतान किया गया है, 19.03.2021 को जारी 1 अधिनिर्णय में राशि का भुगतान 16.04.2021 को किया गया है और 3 अधिनिर्णय में अपील दायर की गई है।

28. **Disclosure on Complaints and grievance redress**

**(Complaints received in CGRMs, including ATM related complaints)**

Summary Information on Complaints received by the bank from customers and from the Offices of Banking Ombudsman (OBOs)

| Sr. No. | | Particulars | Current Year | Previous year |
|---|---|---|---|---|
| **Complaints received by the bank from its customers** | | | | |
| 1. | | Number of complaints pending at beginning of the year | 3831 | 31430 |
| 2. | | Number of complaints received during the year | 1306250 | 1328290 |
| 3. | | Number of complaints disposed during the year | 1282799 | 1356818 |
| | 3.1 | Of which, number of complaints rejected by the bank | 441362 | 459601 |
| 4. | | Number of complaints pending at the end of the year | **27282** | **2902** |
| **Maintainable complaints received by the bank from OBOs** | | | | |
| 5. | | Number of maintainable complaints received by the banks from OBOs | 18428 | 10755 |
| | 5.1 | Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by BOs | 16195 | 8813 |
| | 5.2 | Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by BOs | 1423 | 482 |
| | 5.3 | Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by BOs against bank | 12** | 14* |
| 6. | | Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed) | 0 | 0 |

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specially mentioned in BO Scheme 2006 and covered within the ambit of the scheme.

*Out of 14 Awards issued during the FY 2019-20, amounts in 13 Awards have been paid to the complainant during the FY 2019-20 and Appeal has been filed in 1 Award by the Bank and the same is pending at RBI level for disposal.

**Out of 12 Awards issued during the FY 2020-21, amounts in 8 Awards have been paid during the FY 2020-21, amount in 1 Award issued on 19.03.2021 has been paid on 16.04.2021 and Appeal has been filed in 3 Awards.

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

| शिकायतों के आधार, (अर्थात संबंधित शिकायतें) | वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि /कमी | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | क्र. सं. 5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| **चालू वर्ष** | | | | | |
| आधार–1 एटीएम/डेबिट कार्ड | 2118 | 1198388 | (–)7.47 | 20905 | 127 |
| आधार–2 खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई | 29 | 27961 | 89.16 | 2165 | 1080 |
| आधार–3 इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग | 20 | 14887 | 74.48 | 320 | 62 |
| आधार–4 अग्रिम | 163 | 5361 | 30.18 | 380 | 207 |
| आधार-5 वरिष्ठ नागरिकों/नि:शक्तजनों के लिए पेंशन और सुविधाएं | 62 | 3425 | 42.06 | 232 | 106 |
| **अन्य** | 1439 | 56228 | 1630.62 | 3280 | 1437 |
| **जोड़** | **3831** | **1306250** | **–1.66** | **27282** | **3019** |
| **पिछले वर्ष** | | | | | |
| आधार–1 एटीएम/डेबिट कार्ड | 30481 | 1295198 | –33.76 | 2118 | 15 |
| आधार–2 खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई | 1 | 14782 | 57.64 | 29 | 2 |
| आधार–3 इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग | 4 | 8532 | –1359 | 20 | 0 |
| आधार–4 अग्रिम | 73 | 4118 | –27.28 | 163 | 38 |
| आधार-5 वरिष्ठ नागरिकों/नि:शक्तजनों के लिए पेंशन और सुविधाएं | 20 | 2411 | –37.88 | 62 | 4 |
| **अन्य** | 851 | 3249 | –64.98 | 1439 | 96 |
| **जोड़** | **31430** | **1328290** | **–33.37** | **3831** | **155** |

Top five grounds of complaints received by the bank from customers

| Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to) | Number of complaints pending at the beginning of the year | Number of complaints received during the year | % Increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year | Number of complaints pending at the end of the year | Of 5, number of complaints pending beyond 30 days |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Current Year** | | | | |
| Ground – 1 ATM/ Debit cards | 2118 | 1198388 | (-)7.47 | 20905 | 127 |
| Ground – 2 Account opening/ difficulty in operations of accounts | 29 | 27961 | 89.16 | 2165 | 1080 |
| Ground – 3 Internet/ Mobile/ Electronic banking | 20 | 14887 | 74.48 | 320 | 62 |
| Ground – 4 Advances | 163 | 5361 | 30.18 | 380 | 207 |
| Ground – 5 Pension and facilities for senior citizens/ differently abled | 62 | 3425 | 42.06 | 232 | 106 |
| Others | 1439 | 56228 | 1630.62 | 3280 | 1437 |
| Total | 3831 | 1306250 | -1.66 | 27282 | 3019 |
| | **Previous Year** | | | | |
| Ground – 1 ATM/Debit cards | 30481 | 1295198 | -33.76 | 2118 | 15 |
| Ground – 2 Account opening/ difficulty in operations of accounts | 1 | 14782 | 57.64 | 29 | 2 |
| Ground – 3 Internet/ Mobile/ Electronic banking | 4 | 8532 | -13.59 | 20 | 0 |
| Ground – 4 Advances | 73 | 4118 | -27.28 | 163 | 38 |
| Ground – 5 Pension and facilities for senior citizens/ differently abled | 20 | 2411 | -37.88 | 62 | 4 |
| Others | 851 | 3249 | -64.98 | 1439 | 96 |
| **Total** | **31430** | **1328290** | **-33.37** | **3831** | **155** |

**29. बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) का प्रकटीकरण**

"बैंक ने यूनाइटेड किंगडम में प्रूडेंसियल रेग्युलेशन अथोरिटी (पीआरए) को यू.के. स्थित अपनी अनुषंगी पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनैशनल) लिमिटेड के संबंध में एक चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है जिसमें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि यदि पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनैशनल) लिमिटेड, यूके अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताएं पूरी न कर पाए तो बैंक उसे वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।"

उक्त के अतिरिक्त बैंक द्वारा कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया गया है अत:, चुकौती आश्वासन पत्र के अंतर्गत कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है।

यूके के नियामक प्रूडेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी (पीआरए) ने अपने पत्र दिनांक 02.09.2015 द्वारा बैंक को 'वॉच लिस्ट' के तहत रखा है। कोई विशेष प्रतिबंध या दंड नहीं थे। पीआरए ने अपने पत्र दिनांक 12.02.2021 के माध्यम से पीएनबीआईएल को अपनी 'वॉच लिस्ट' से हटा दिया है।

**30. (i) बैंक द्वारा प्रारम्भ किए गए म्यूचुअल फंड व्यवसाय सहित बीमा ब्रोकिंग एजेंसी और बैंक बीमा कारोबार के संबंध में प्रकटीकरण:**

**(राशि रु. करोड़ में)**

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | पिछले वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| बीमा ब्रोकिंग एजेंसी और बैंक द्वारा किए गए म्यूचुअल फंड व्यवसाय सहित बैंक बीमा कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क/ब्रोकरेज/पारिश्रमिक का विवरण: | | |
| (i) जीवन बीमा कारोबार: | 276.21 | 181.26 |
| (ii) गैर जीवन बीमा कारोबार: | 92.65 | 59.69 |
| (iii) म्यूचुअल फंड कारोबार | 3.81 | 2.22 |
| **जोड़** | **372.67** | **243.17** |

**(ii) प्रकटीकरण: थर्ड पार्टी उत्पादों के संबंध में कमीशन/प्रोत्साहन के सम्बन्ध में/प्राप्त शुल्क:**

**(राशि रु. करोड़ में)**

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | पिछले वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) | 8.42 | 2.15 |
| अटल पेंशन योजना (एपीवाई) | 11.56 | 0.96 |
| आधार पर आय/कमीशन | 3.50 | 3.55 |
| प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | 2.93 | 6.56 |
| पेंशन | 115.14 | 89.60 |
| कर और अन्य | 44.30 | 45.33 |
| सरकार जमा योजना | 12.77 | 9.21 |
| करेंसी चेस्ट | 1.88 | 1.35 |

**29. Disclosure of Letter of Comfort (LoC) issued by Bank**

"The Bank has issued a Letter of Comfort to Prudential Regulation Authority (PRA), the regulator in United Kingdom, committing that the bank shall provide financial support to its subsidiary, Punjab National Bank (International) Ltd., UK so that it meets its financial commitments as and when they fall due".

Apart from the above, the Bank has not issued any Letter of Comfort and therefore, there are no cumulative financial obligations under Letter of Comfort.

The Prudential Regulatory Authority (PRA), regulator of UK, has vide its letter dated 02.09.2015 put the Bank under 'watch list'. There were no specific restrictions or penalties. PRA vide its letter dated 12.02.2021 has removed PNBIL from its 'watch list'.

**30. (i) Disclosure in respect of Insurance broking agency and Bancassurance Business including Mutual Fund Business undertaken by the bank:**

**(Amount in ₹ Crore)**

| Particulars | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Details of Fees/Brokerage/ Remuneration earned in respect of the Insurance broking agency and Bancassurance Business including Mutual Fund Business undertaken by the bank | | |
| (i) Life Insurance Business: | 276.21 | 181.26 |
| (ii) Non-life Insurance Business: | 92.65 | 59.69 |
| (iii) Mutual Fund Business | 3.81 | 2.22 |
| **TOTAL** | **372.67** | **243.17** |

**(ii) Disclosure: Fee/Commission/ Incentive earned/ received in respect of 3rd party Products:**

**(Amount in ₹ Crore)**

| Particulars | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Prime Minister Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) | 8.42 | 2.15 |
| Atal Pension Yojna (APY) | 11.56 | 0.96 |
| Income / Commission on Aadhar | 3.50 | 3.55 |
| Prime Minister Suraksha Bima Yojna | 2.93 | 6.56 |
| Pension | 115.14 | 89.60 |
| Taxes & Others | 44.30 | 45.33 |
| Govt. Deposit Scheme | 12.77 | 9.21 |
| Currency Chest | 1.88 | 1.35 |

31.I. जमा राशियों, अग्रिमों, ऋण जोखिमों और अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीयकरण :

(क) जमा राशियों का केन्द्रीयकरण

(राशि रु. करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | पिछले वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि | 40565.38 | 25972.00 |
| बैंक की कुल जमा राशि की तुलना में 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशि का % | 3.77% | 3.69% |

नोट: उक्त का आंकड़ों में (अंतर बैंक) बैंक द्वारा धारित जमा शामिल नहीं है।

(ख) अग्रिमों का केन्द्रीयकरण :

(राशि रु. करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | पिछले वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| 20 सबसे बड़े ऋणियों के कुल अग्रिम | 122259.97 | 91982.19 |
| बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणियों के अग्रिमों का % | 16.53% | 19.49% |

(ग) एक्सपोजर का केन्द्रीयकरण :

(राशि रु. करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | पिछले वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| 20 सबसे बड़े ऋणियों/ग्राहकों को दिया गया कुल एक्सपोजर | 150466.09 | 115190.45 |
| ऋणियों/ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर में 20 सबसे बड़े प्रदत्त एक्सपोजर का | 15.23% | 19.29% |

(घ) अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीयकरण:

(राशि रु. करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | पिछले वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| सर्वोच्च 4 एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर | 12999.41 | 11524.84 |

(ड) प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात:

(राशि रु. करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | पिछले वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात | 80.14% | 77.79% |

**31. I. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs:**

**(a) Concentration of Deposits:**

**(Amount in ₹ Crore)**

| Particulars | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Total Deposits of twenty largest depositors | 40565.38 | 25972.00 |
| Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank | 3.77% | 3.69% |

Note: The above deposit figures not include (Inter Bank) deposit held by Bank.

**(b) Concentration of Advances:**

**(Amount in ₹ Crore)**

| Particulars | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Total Advances of twenty largest borrowers | 122259.97 | 91982.19 |
| Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the bank | 16.53% | 19.49% |

**(c) Concentration of Exposures**:

**(Amount in ₹ Crore)**

| Particulars | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Total Exposures of twenty largest borrowers/customers | 150466.09 | 115190.45 |
| Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposures of the bank on borrowers/customers | 15.23% | 19.29% |

**(d) Concentration of NPAs**:

**(Amount in ₹ Crore)**

| Particulars | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Total Exposure to top four NPA accounts | 12999.41 | 11524.84 |

**(e) Provisioning Coverage Ratio:**

**(Amount in ₹ Crore)**

| Particulars | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Provisioning Coverage Ratio | 80.14% | 77.79% |

## II- क्षेत्रवार अग्रिम:

(राशि रु. करोड़ में)

| क्र. सं. | क्षेत्र | चालू वर्ष 31.03.2021 | | | पिछले वर्ष 31.03.2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल बकाया अग्रिमें | सकल एनपीए | इन क्षेत्रों में कुल अग्रिमों में से सकल एनपीए का प्रतिशत | कुल बकाया अग्रिमें | सकल एनपीए | इन क्षेत्रों में कुल अग्रिमों में से सकल एनपीए का प्रतिशत |
| अ. | **प्राथमिक क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | कृषि एवं सहायक गतिविधियाँ | 103023.38 | 21481.70 | 20.85 | 69961.6 | 12995.37 | 18.58 |
| 2. | प्राथमिक क्षेत्र के ऋणों के लिए पात्र औद्योगिक क्षेत्रों को अग्रिम | 45382.05 | 9544.18 | 21.03 | 17807.02 | 4065.17 | 22.83 |
| 3. | सेवाएं | 80409.18 | 17081.34 | 21.24 | 52626.67 | 8671.96 | 16.48 |
| 4. | खुदरा और अन्य | 41086.77 | 2522.42 | 6.14 | 18723.30 | 1246.83 | 6.66 |
| | उप-जोड; (अ) | 269901.38 | 50629.64 | 18.76 | 159118.25 | 26979.33 | 16.96 |
| आ. | **गैर प्राथमिक क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | कृषि एवं सहायक गतिविधियाँ | 9799.74 | 407.97 | 4.16 | 16168.22 | 469.03 | 2.90 |
| 2 | इंडस्ट्री | 148470.25 | 28648.15 | 19.30 | 128667.00 | 23911.27 | 18.58 |
| 3 | सेवाएं | 139820.54 | 9771.09 | 6.99 | 148316.17 | 19996.82 | 13.48 |
| 4. | खुदरा और अन्य | 171415.51 | 14966.57 | 8.73 | 64658.65 | 2122.31 | 3.28 |
| | उप-जोड़ (अ) | 469506.04 | 53793.78 | 11.46 | 357810.05 | 46499.43 | 13.00 |
| | कुल जोड़ (अ+आ) | 739407.42 | 104423.42 | 14.12 | 516928.29 | 73478.76 | 14.21 |

## III. अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव:

(राशि रु. करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | पिछले वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| सकल अनर्जक आस्तियों की प्रारम्भिक अधिशेष | 7347876 | 7847270 |
| ईओबीसी और ईयूएनआई के समामेलन के कारण वृद्धि | 3168638 | – |
| वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए) सामंजस्य के प्रभाव सहित, यदि कोई हो | 28939.83 | 2075125 |
| **उप जोड़ (ए)** | **13410497** | **9922395** |
| कमी: | | |
| (i) उन्नतिकरण | 236304 | 159841 |
| (ii) वसूली (उन्नत किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) | 1144153 | 1078169 |
| (iii) तकनीकी/विवेकसम्मत राईट-ऑफ | 1220243 | 979299 |
| (iv) ii के अतिरिक्त अन्य राइट-ऑफ़ | 367455 | 357210 |
| **उप जोड़ (बी)** | **2968155** | **2574519** |
| **सकल अनर्जक आस्तियॉ इतिशेष (ए-बी)** | **10442342** | **7347876** |

## II. Sector-wise advances:

**(Amount in ₹ Crore)**

| Sl. No. | Sector | Current Year 31.03.2021 | | | Previous Year 31.03.2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Outstanding Total Advances | Gross NPAs | Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector | Outstanding Total Advances | Gross NPAs | Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector |
| A | **Priority Sector** | | | | | | |
| 1. | Agriculture and allied activities | 103023.38 | 21481.70 | 20.85 | 69961.26 | 12995.37 | 18.58 |
| 2. | Advances to industries sector eligible as priority sector lending | 45382.05 | 9544.18 | 21.03 | 17807.02 | 4065.17 | 22.83 |
| 3. | Services | 80409.18 | 17081.34 | 21.24 | 52626.67 | 8671.96 | 16.48 |
| 4. | Retails & Others | 41086.77 | 2522.42 | 6.14 | 18723.30 | 1246.83 | 6.66 |
| | Sub-total (A) | 269901.38 | 50629.64 | 18.76 | 159118.25 | 26979.33 | 16.96 |
| B | Non Priority Sector | | | | | | |
| 1. | Agriculture and allied activities | 9799.74 | 407.97 | 4.16 | 16168.22 | 469.03 | 2.90 |
| 2. | Industry | 148470.25 | 28648.15 | 19.30 | 128667.00 | 23911.27 | 18.58 |
| 3. | Services | 139820.54 | 9771.09 | 6.99 | 148316.17 | 19996.82 | 13.48 |
| 4. | Retails & Others | 171415.51 | 14966.57 | 8.73 | 64658.65 | 2122.31 | 3.28 |
| | Sub-total (B) | 469506.04 | 53793.78 | 11.46 | 357810.05 | 46499.43 | 13.00 |
| | Total (A+B) | 739407.42 | 104423.42 | 14.12 | 516928.29 | 73478.76 | 14.21 |

## III. Movement of Gross NPAs:

**(Amount in ₹ Crore)**

| Particulars | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Gross NPAs Opening balance | 73478.76 | 78472.70 |
| Additions on account of amalgamation of eOBC and eUNI | 31686.38 | - |
| Additions (Fresh NPAs) during the year including effect of Harmonization, if any | 28939.83 | 20751.25 |
| **Sub-total (A)** | **134104.97** | **99223.95** |
| Less: | | |
| (i) Up gradations | 2363.04 | 1598.41 |
| (ii) Recoveries (Excluding recoveries made from upgraded accounts) | 11441.53 | 10781.69 |
| (iii) Technical /Prudent Write-offs | 12202.43 | 9792.99 |
| (iv) Write-offs other than TWO | 3674.55 | 3572.10 |
| **Sub-total (B)** | **29681.55** | **25745.19** |
| **Gross NPAs Closing balance (A-B)** | **104423.42** | **73478.76** |

**IV. तकनीकी राईट-ऑफ तथा इसमें की गई वसूलियों का विवरण :**

**(राशि रु. करोड़ में)**

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | पिछले वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| तकनीकी/विवेकसम्मत राईट-ऑफ के प्रारंभिक शेष | 49095.75 | 39302.76 |
| ईओबीसी और ईयूएनआई के समामेलन के कारण वृद्धि | 28501.52 | - |
| जोड़: 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकसम्मत राईट-ऑफ, जिसमें सामंजस्य का प्रभाव भी शामिल है, यदि कोई हो | 18040.70 | 13574.55 |
| **उप जोड़ (ए)** | **95637.97** | **52877.31** |
| घटाएं : (बी) वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी/विवेकसम्मत राईट-ऑफ से खातों में की गई कमी | 5838.28 | 3781.56 |
| **अंतिम शेष (ए- बी)** | **89799.69** | **49095.75** |

V. **ओवरसीज आस्तियां, एनपीए व राजस्व:**

**(राशि करोड रु में)**

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | पिछले वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| कुल आस्तियाँ | 45802.81 | 37370.68 |
| कुल एनपीए (सकल) | 2340.67 | 1734.18 |
| कुल राजस्व | 1365.21 | 1539.82 |

VI. **31.03.2021 को बैंक द्वारा प्रायोजित ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है) निम्नानुसार हैं:**

| प्रायोजित विशेष प्रयोजन के नाम | |
|---|---|
| **घरेलू** | **विदेशी** |
| शून्य | शून्य |

**32. क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स**

जब कभी पीएनबी ग्लोबल क्रेडिट कार्ड धारक अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीददारी करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड के अंक प्रदान किया जाता है। ये अंक उन्होंने व्यापारिक संस्था न पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करते समय जारी किए जाते हैं। कार्डधारक इन एकत्रित अंकों को रिडीम कर सकता है। रिवॉर्ड अंकों के कारण देय राशि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और दैनिक आधार पर विभिन्न् प्रावधान खाते में क्रेडिट किया जाता है क्योंकि यह राशि परिमाण योग्य होती है।

**बकाया रिवॉर्ड अंकों (क्रेडिट कार्ड) तथा उनके संबंध में किए गए प्रावधान की स्थिति निम्नलिखित है:**

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | पिछले वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| बकाया शेष रिवॉर्ड अंक | 206320567 | 309185884 |
| इन अंकों के लिए किया गया प्रावधान (रु.करोड़ में) | 2.58 | 3.86 |

**IV. Detail of Technical write-offs and the recoveries made there on:**

**(Amount in ₹ Crore)**

| Particulars | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts | 49095.75 | 39302.76 |
| Additions on account of amalgamation of eOBC and eUNI | 28501.52 | - |
| Add : Technical / Prudential write-offs during the year ended 31.03.2021 including effect of Harmonization, if any | 18040.70 | 13574.55 |
| **Sub-total (A)** | **95637.97** | **52877.31** |
| Less : Reduction made from previously technical / prudential written-off accounts during the year (B) | 5838.28 | 3781.56 |
| **Closing balance (A-B)** | **89799.69** | **49095.75** |

**V. Overseas Assets, NPAs and Revenue**:

**(Amount in ₹ Crore)**

| Particulars | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Total Assets | 45802.81 | 37370.68 |
| Total NPAs (Gross) | 2340.67 | 1734.18 |
| **Total Revenue** | **1365.21** | **1539.82** |

**VI. Off-balance sheet SPVs sponsored by the Bank (which are required to be consolidated as per accounting norms) as on 31.03.2021 are as under:**

| Name of the SPV sponsored | |
|---|---|
| **Domestic** | **Overseas** |
| NIL | NIL |

**32. Reward Points of Credit Card**

PNB Global Credit Card holders are rewarded as and when they make purchases through usage of Credit Card. Reward Points are generated at the time of usage of Credit Card by Cardholder at merchant Establishment. Card holder can redeem the accumulated reward points. The amount payable on account of reward points is charged to Profit and Loss account and credited to Sundry Provision Account on daily basis.

**Position of outstanding reward points of Credit Cards and Provision thereon:**

| Particulars | Current year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Balance Reward Points outstanding | 206320567 | 309185884 |
| Provision held for these points (₹ in Crore)* | 2.58 | 3.86 |

*क्रेडिट कार्ड के संबंध में रिवॉर्ड पॉइंट्स के प्रति 1 पॉइंट के लिए रु. 0.50 का प्रावधान किया गया है। रिडेम्पशन के पिछले चलन के आधार पर, पिछले वर्ष के अनुमानित आधार पर संचित रिवॉर्ड पॉइंट्स के @ 25% का प्रावधान किया गया है।

### 33. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

**प्रतिभूति आस्तियों की बकाया राशि: 31.03.2021**

| क्र.सं. | | | विवरण | सं./रु. करोड़ में |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | प्रतिभूतिकरण लेन-देनों के लिए बैंक द्वारा प्रयोजित एसपीवी की संख्या * | शून्य |
| 2. | | | बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूत आस्तियों की कुल राशि | शून्य |
| 3. | | | तुलन पत्र की तिथि को एमआरआर की अनुपालना में बैंक द्वारा रोके गए एक्सपोजर की कुल राशि | शून्य |
| | क) | | ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर | |
| | | | आरंभिक हानि | |
| | | | अन्य | शून्य |
| | ख) | | ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर | |
| | | | आरंभिक हानि | |
| | | | अन्य | |
| 4 | | | एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेन-देनों के लिए एक्सपोजर राशि | |
| | क) | | ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर | |
| | | i) | निजी प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर | |
| | | | आरंभिक हानि | |
| | | | अन्य | शून्य |
| | | ii) | तृतीय पक्ष प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर | |
| | | | आरंभिक हानि | |
| | | | अन्य | |
| | ख) | | ऑन-बैलेंस शीट एक्सपोजर | |
| | | i) | निजी प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर | |
| | | | आरंभिक हानि | |
| | | | अन्य | शून्य |
| | | ii) | तृतीय पक्ष प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर | |
| | | | आरंभिक हानि | |
| | | | अन्य | |

*यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित एसपीवी की रिपोर्ट की जा सकती है।

*The provision held against Rewards points in respect of Credit Cards has been worked out at ₹ 0.50 for 1 point. Based on past trend of redemption, provision has been made @25% of accumulated Reward points on estimated basis as in the previous year.

### 33. Disclosures relating to Securitization

**OUTSTANDING AMOUNT OF SECURITISED ASSETS: 31.03.2021**

| Sl. No | | | Particulars | No/₹. in crore |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | No of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions* | NIL |
| 2. | | | Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank | NIL |
| 3. | | | Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet | |
| | a) | | Off-balance sheet exposures | |
| | | | First loss | |
| | | | Others | NIL |
| | b) | | On-balance sheet exposures | |
| | | | First loss | |
| | | | Others | |
| 4 | | | Amount of exposures to securitization transactions other than MRR | |
| | a) | | Off-balance sheet exposures | |
| | | i) | Exposure to own securitizations | |
| | | | First loss | |
| | | | Others | NIL |
| | | ii) | Exposure to third party securitizations | |
| | | | First loss | |
| | | | Others | |
| | b) | | On-balance sheet exposures | |
| | | i) | Exposure to own securitizations | |
| | | | First loss | |
| | | | Others | NIL |
| | | ii) | Exposure to third party securitizations | |
| | | | First loss | |
| | | | Others | |

*Only the SPVs relating to outstanding securitization transactions may be reported here

34. क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप (सीडीएस)

31.03.2021 को सीडीएस की बकाया स्थिति

| क्र.सं. | पीएनबी की स्थिति | प्रतिपक्षकार | राष्ट्रीय मूलधन राशि (राशि रु. करोड़ में) | लेनदेन की तिथि | मूल्य तिथि | परिपक्वता तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | | | |

35. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएएफ) को अंतरण:

(राशि रु. करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | गत वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष | 2323.62 | 1931.83 |
| ईओबीसी और ईयूएनआई के समामेलन के कारण निधियों में वृद्धि | 1481.06 | – |
| जोड़: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित की गई राशि | 784.59 | 446.56 |
| कमी: वर्ष के दौरान क्लेम के निमित्त डीईएएफ द्वारा की गई राशि प्रतिपूर्ति | 103.47 | 54.77 |
| **डीईएएफ को अंतरित की गई राशि का अंतिम शेष *** | **4485.80** | **2323.62** |

**आकस्मिक देयताएं- अन्य, मदों के रूप में परिलक्षित होगी, जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है" वित्तीय विवरणों की अनुसूची 12 के तहत दर्शाया गया है।

36. अरक्षित विदेशी करेंसी एक्सपोजर (यूएफसीई):

बैंक ने मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम को प्रतिबंधित में लगी करेंसी को नियंत्रण करने हेतु एक नीति बनाई है तथा इसे बैंक की वर्तमानऋण प्रबंधन एवं जोखिम नीति में निम्नानुसार शामिल किया गया है:

"आरबीआई ने आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर में पूंजी एवं प्रावधान आवश्यकताओं के सम्बन्ध में दिशानिर्देश दिए हैं कि तिमाही के अंत में वार्षिक ईबीआईडी के साथ बैंक करेंसी के अनुसार उधारकर्ताओं के खातों में अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर पर नियंत्रण रखेगा। खातों में 0 से 80 बीपीएस की श्रेणी तक के वृद्धिशील प्रावधान, जो कि कुल क्रेडिट एक्स्पोजर एवं पूंजी की आवश्यकता, मानक आस्ति प्रावधान एवं पूंजी की आवश्यकता और सम्भवत: उससे होने वाली हानि के लिए उधारकर्ता को अपने खातों में वहन करना होगा। इस तरह के खातों में प्रावधान की आवश्यकतानुसार एक्स्पोजर्स के लिए बैंक में एक अलग चार्ज व्यवस्थित है, जिसकी लागत उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी। बैंक की वित्तीय विवरणी में एक समुचित डिस्क्लोजर भी बनाया जाएगा।"

(राशि रु. करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | पिछले वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| आवश्यक कुल वृद्धिशील प्रावधान | 87.91 | 47.87 |
| धारित वृद्धिशील पूंजी | 167.18 | 147.73 |

बैंक ने 15 जनवरी 2014 के आरबीआई परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 82/21.06.200/2013-14 के अनुसार अरक्षित विदेशी करेंसी एक्सपोजर (यूएफसीई) के लिए देयता का अनुमान लगाया है और 31.03.2021 को रु.87.91 करोड़ का प्रावधान रखता है।

**34. Credit Default Swaps (CDS)**

**CDS Outstanding position as on 31.03.2021**

| Sr. No. | Position of PNB | Counter Party | Notional Principal (Amount in ₹ Crore) | Deal Date | Value Date | Maturity Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIL | | | | | | |

**35. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF):**

**(Amount in ₹ Crore)**

| Particulars | Current Year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Opening balance of amount transferred to DEAF | 2323.62 | 1931.83 |
| Addition on account of amalgamation of eOBC and eUNI | 1481.06 | - |
| Add : Amounts transferred to DEAF during the year | 784.59 | 446.56 |
| Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims during the year | 103.47 | 54.77 |
| Closing balance of amounts transferred to DEAF* | 4485.80 | 2323.62 |

*Reflected as "Contingent Liability - Others, items for which the bank is contingently liable" under Schedule 12 of the financial statements.

**36. Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE):**

The Bank has framed a policy to manage currency induced credit risk and has been incorporated the same in bank's current Credit Management & Risk Policy as follows:

"In terms of RBI guidelines, Bank monitors the currency wise Un-hedged Foreign Currency Exposure in the books of borrowers at quarter ends along-with the Annualized Earnings before Interest & Depreciation (EBID). The incremental provision (ranging from 0 to 80 bps on total credit exposure, over and above the standard asset provisioning) and capital requirement will depend on likely loss (due to foreign currency fluctuation), that borrowers may face due to their un-hedged forex exposure in their books. Bank maintains separate charge and provisioning requirement on account of such exposures which may impact the cost to the borrowers. Appropriate disclosures in the financial statements of the bank shall also be made."

**(Amount in ₹ Crore)**

| Particulars | Current Year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Total Incremental Provision required | 87.91 | 47.87 |
| Incremental capital held | 167.18 | 147.73 |

The Bank has estimated the liability for Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) in terms of RBI Circular DBOD.NO.BP.BC.82/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and is holding a provision of ₹ 87.91Crores as on 31.03.2021

## 37. इंट्रा-ग्रुप एक्स्पोजर

(राशि रु. करोड़ में)

| | विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | पिछले वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| क) | इंट्रा-ग्रुप एक्पोजर की कुल राशि | 8126.08 | 6124.69 |
| ख) | शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्स्पोजर की कुल राशि | 8126.08 | 6124.69 |
| ग) | उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्स्पोजर में से इंट्रा ग्रुप एक्स्पोजर का प्रतिशत | 0.82% | 1.03% |
| घ) | इंट्रा ग्रुप एक्पोजर पर सीमा का उल्लंघन का व्यौरा एवं नियामक कारवाई, यदि कोई हो | लागू नहीं | लागू नहीं |

## 38. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

<u>चलनिधि कवरेज अनुपात पर गुणात्मक प्रकटीकरण</u>

बैंक ने 1 जनवरी, 2015 से चलनिधि कवरेज अनुपात पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन किया है।

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता पूर्ण चलनिधि आस्तियां रहे। जिससे कि चलनिधि दबाव परिदृश्य के अंतर्गत 30 दिनों के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कम हानि पर/बिना किसी हानि के पहुचांते हुए आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

**<u>एलसीआर के दो घटक है:</u>**

i) उच्च गुणवत्ता पूर्ण चलनिधि आस्तियों के स्टॉक का मूल्य (HQLAs) दी न्यूमरेटर।

ii) कुल शुद्ध नकदी प्रवाह: 30 दिनों के लिए दबाव परिदृश्य में कुल अनुमानित नकदी का बहिर्गमन घटाव कुल अनुमानित नकदी का आगमन (इनफ्लो) द डिनोमिनेटर

**<u>एलसीआर की परिभाषा :</u>**

<u>उच्च गुणवतापूर्ण चलनिधि आस्तियों का स्टॉक (एचक्यूएलएएस)</u> ≥ 90% (01.10.2020 से प्रभावी)

अगले 30 दिनों के पश्चात् कुल शुद्ध नकदी बहिर्गमन

नीचे दिए न्यूनतम आवश्यक स्तर की टाईम लाईन के साथ बैंक पर एलसीआर की आवश्यकता एक बाध्यता बन गई है:

| | 1 जनवरी, 2015 | 1 जनवरी, 2016 | 1 जनवरी, 2017 | 1 जनवरी, 2018 | 1 जनवरी, 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| न्यूनतम एलसीआर | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |

(आरबीआई ने 30 सितंबर, 2020 तक न्यूनतम एलसीआर आवश्यकता को 100% से घटाकर 80% और 01 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक 90% कर दिया है, 17 अप्रैल, 2020 से प्रभावी )

चतुर्थ तिमाही वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, 90% विनियामक अपेक्षाओं के समेकित स्तर पर दैनिक औसत एलसीआर 190.97% (दैनिक अवलोकनों के साधारण औसत पर आधारित रहा।

## 37. Intra-Group Exposures

(Amount in ₹ Crore)

| | Particulars | Current Year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| a) | Total amount of intra-group exposures | 8126.08 | 6124.69 |
| b) | Total amount of top-20 intra group exposures | 8126.08 | 6124.69 |
| c) | Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrower/customers | 0.82% | 1.03% |
| d) | Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action, if any | NA | NA |

## 38. Liquidity Coverage Ratio (LCR)

**<u>QUALITATIVE DISCLOSURE ON LIQUIDITY COVERAGE RATIO</u>**

The bank has implemented RBI guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) from 1st January 2015.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be readily converted into cash at little/no loss of value to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a liquidity stress scenario.

**<u>LCR has two components</u>**:

(i) The value of the stock of High Quality Liquid Assets (HQLA)–The Numerator.

(ii) Total Net Cash Outflows: Total expected cash outflows minus Total expected cash inflows, in stress scenario, for the subsequent 30 calendar days - The denominator.

**<u>Definition of LCR</u>**:

<u>Stock of high quality liquid assets (HQLAs)</u> ≥ 90% (w.e.f 01.10.2020)

Total net cash outflows over the next 30 calendar days

The LCR requirement has become binding on the banks with the following minimum required level as per the time-line given below:

| | Jan 1, 2015 | Jan 1, 2016 | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2018 | **Jan 1, 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum LCR | 60% | 70% | 80% | 90% | **100%** |

(Effective from April 17, 2020, RBI has reduced minimum LCR requirement from 100% to 80% upto September 30, 2020 and to 90% from October 01, 2020 to 31 March, 2021)

For Q4 FY'2020-21, the daily average LCR was 190.97% (based on simple average of daily observations) at consolidated level, as against the regulatory requirement of 90%.

बैंक के एलसीआर का मुख्य घटक, पर्याप्त उच्च गुणवत्ता पूर्ण चलनिधि आस्तियां हैं (एचक्यूसएलए) जिससे हर समय बैंक की चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा खुदरा एवं छोटे कारोबारी ग्राहकों को बुनियादी फंडिंग की जा सके। खुदरा और छोटे कारोबारी ग्राहक बैंक के कुल जमा पोर्टफोलिओ का लगभग 72.15% योगदान करते हैं जो 31.03.2021 को 5/10% का लो रन ऑफ फैक्टर आकर्षित करता है।

**उच्च गुणवत्ता पूर्ण चल आस्ति की संरचना (एचक्यूएलए)**

एचक्यूएलए में स्तर 1 व स्तर 2 आस्तियां समाविष्ट हैं। स्तर 2 आस्तियों को उनकी बाजार क्षमता और कीमत अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए स्तर2ए एवं स्तर 2 बी में विभाजित किया गया है।

**स्तर 1**- आस्तियां वे आस्तियां हैं जो उच्चप्रवाही हैं। 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए स्तर 1 आस्तियों में हाथ में नकदी, अधिक सीआरआर का, न्यूनतम एसएलआर से अधिक सरकारी प्रतिभूतियाँ, विदेशी सॉवरेन द्वारा जारी या गारंटी प्रदत्त विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ एमएसएफ व एफएएलएलसीआर जिनका मूल्य रु. 323041.48 करोड़ (दैनिक अवलोकनों के साधारण औसत पर आधारित) है।

स्तर 2ए व 2बी वे आस्तियां हैं जो न्यून प्रवाही हैं और जिनकी भार राशि रु. 9810.15 करोड़ (दैनिक अवलोकनों के साधारण औसत पर आधारित) है 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान दैनिक अवलोकन औसत एचक्यूएलए का अलग- अलग विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

| उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियाँ (एचक्यूएलए) | एचक्यूएलए में औसतन योगदान% |
|---|---|
| स्तर 1 आस्तियां | |
| हाथ में नगदी | 0.83% |
| अतिरिक्त सीआरआर शेष | 0.38% |
| आवश्यक न्यूनतम एसएलआर के अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ | 37.24% |
| अनिवार्य आवश्यकताओं एसएलआर के भीतर सरकारी प्रतिभूतियाँ एमएसएफ के अंतर्गत आरबीआई द्वारा (वर्तमान में एनडीटीएल का 3 प्रतिशत की सीमा तक) स्वीकृत सीमा तक | 9.67% |
| बेसल II मानकीकृत एप्रोच के अंतर्गत 0% जोखिम भार वाली विदेशी स्वायतों द्वारा जारी या गारंटी की गई विपणनयोग्य प्रतिभूतियाँ | 0.59% |
| चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि लेने की सुविधा एफएलएसीआरआर (वर्तमान में एलडीटीएल के 15% की) | 48.34% |
| **कुल स्तर 1 आस्तियाँ** | **97.05%** |
| **कुल स्तर 2ए आस्तियाँ** | **2.83%** |
| **कुल स्तर 2बी आस्तियाँ** | **0.12%** |
| **एचक्यूएलए का कुल स्टाक** | **100.00%** |

**निधीयन स्त्रोतों का संकेन्द्रण**

इस मैट्रिक में उन निधियों के स्रोतों जिनका आहरण चलनिधि जोखिमों के अधीन है, शामिल है। इसका उद्देश्य प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष और प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पादधलिखत से अपेक्षित इसके निधीयन की निगरानी द्वारा बैंक के निधीयन संकेन्द्रण को व्यक्त करना है, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के

The main drivers of LCR of the bank are High Quality Liquid Assets (HQLAs) to meet liquidity needs of the bank at all times and basic funding from retail and small business customers. The retail and small business customer's contribute about 72.15% of total deposit portfolio of the bank which attracts low run-off factor of 5/10% as on 31.03.2021.

**Composition of High Quality Liquid Assets (HQLA)**

HQLAs comprises of Level 1 and Level 2 assets. Level 2 assets are further divided into Level 2A and Level 2B assets, keeping in view their marketability and price volatility.

Level-1assets are those assets which are highly liquid. For quarter ended March 31, 2021, the Level-1 asset of the bank includes Cash in Hand, Excess CRR, Government Securities in excess of minimum SLR, Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereign, MSF and FALLCR totalling to Rs. 323041.48 cr (based on simple average of daily observations).

Level-2A & 2B assets are those assets which are less liquid and their weighted amount comes to Rs. 9810.15 cr (based on simple average of daily observations). Break-up of daily observation Average HQLA during quarter ended March 31, 2021 is given hereunder:

| High Quality Liquid Assets (HQLAs) | Average %age contribution to HQLA |
|---|---|
| **Level 1 Assets** | |
| Cash in hand | 0.83% |
| Excess CRR balance | 0.38% |
| Government Securities in excess of minimum SLR requirement | 37.24% |
| Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 3 per cent of NDTL) | 9.67% |
| Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach | 0.59% |
| Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio – FALLCR (presently to the extent of 15 per cent of NDTL) | 48.34% |
| **Total Level 1 Assets** | **97.05%** |
| **Total Level 2A Assets** | **2.83%** |
| **Total Level 2B Assets** | **0.12%** |
| **Total Stock of HQLAs** | **100.00%** |

**Concentration of Funding Sources**

This metric includes those sources of funding, whose withdrawal could trigger liquidity risks. It aims to address the funding concentration of bank by monitoring its funding requirement from each significant counterparty and each significant product/ instrument. As per RBI guidelines, a "significant counterparty/Instrument/

अनुसार “महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष/लिखत/उत्पाद” को एकल प्रतिपक्ष लिखत/उत्पाद या बैंक के कुल दायित्व का 1% से अधिक दायित्व वाले प्रतिपक्षी से जुडे या सम्बद्ध समूह के रुप में परिभाषित किया गया है।

31.03.2021 तक बैंक के पास कोई महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा/उधार) नहीं है। बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ताओं का 31 मार्च, 2021 तक बैंक की कुल देयता का 3.69% है। महत्वपूर्ण उत्पाद / साधन में वचत निधि, करंट डिपॉजिट, जमा प्रमाणपत्र और अंतर बैंक जमा वित्तपोषण जो कि व्यापक रूप से फैला हुआ है और बैंक के लिए संकेन्द्रण जोखिम को सृजित नहीं कर सकता है।

**व्युत्पन्न एक्स्पोजर**

बैंक के पास व्युत्पन्न में कम एक्स्पोजर है, जो कि चलनिधि तरलता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालता है।

**मुद्रा असंतुलन**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मुद्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है यदि उस मुद्रा की कुलदेयता बैंक की कुलदेयता का 5 प्रतिशत या इससे अधिक है। हमारे मामले में, इस मानक पर केवल यूएसडी (बैंक की कुल देयताओं का 12.36%) आती है जिसका एलसीआर होरिजन में कुल बाह्यप्रवाह पर प्रभाव प्रबंधित किया जा सकता है क्योंकि बैंक के तुलन पत्र के आकार को देखते हुए इसका प्रभाव बहुत ही कम है।

**समूह की इकाइयों के बीच तरलता प्रबंधन और अंत:क्रिया के केंद्रीकरण का स्तर**

समूह इकाइयां स्वयं तरलता का प्रबंधन कर रही हैं। बैंक ने तनाव की अवधि में समूह की तरलता की आवश्यकता का ध्यान रखने के लिए एक समूह-व्यापी आकस्मिक निधि योजना बनाई है।

product” is defined as a single counterparty/Instrument/product or group of connected or affiliated counter-parties accounting in aggregate for more than 1% of the bank’s total liabilities.

The bank has no significant counterparty (deposits/borrowings) as at 31.03.2021. Top 20 depositors of the bank constitute 3.69% of bank’s total Deposit as at March 31, 2021. The significant product/ instrument include Saving Fund, Current deposit and Core Term Deposit, the funding from which are widely spread and cannot create concentration risk for the bank.

**Derivative exposure**

The bank has low exposure in derivatives having negligible impact on its liquidity position.

**Currency Mismatch**

As per RBI guidelines, a currency is considered as “significant” if the aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank’s total liabilities. In our case, only USD (12.36% of bank’s total liabilities) falls in this criteria whose impact on total outflows in LCR horizon can be managed easily as the impact is not large considering the size of balance sheet of the bank.

**Degree of centralization of liquidity management and interaction between group’s units**

The group entities are managing liquidity on their own. However, the bank has put in place a group-wide contingency funding plan to take care of liquidity requirement of the group as a whole in the stress period.

तरलता कवरेज अनुपात पर मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि रु. करोड़ में)

| | | मार्च 21 को समाप्त तिमाही | | दिसम्बर 20 को समाप्त तिमाही | | सितम्बर 20 को समाप्त तिमाही | | जून 20 को समाप्त तिमाही | | मार्च 20 को समाप्त तिमाही | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)* | कुल निर्धारित मूल्य (औसत)* | कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)* | कुल निर्धारित मूल्य (औसत)* | कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)* | कुल निर्धारित मूल्य (औसत)* | कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)* | कुल निर्धारित मूल्य (औसत)* | कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)* | कुल निर्धारित मूल्य (औसत)* |
| | दैनिक जांच की साधारण औसत के आधार पर | 64 डाटा प्वाइंट | | 62 डाटा प्वाइंट | | 62 डाटा प्वाइंट | | 65 डाटा प्वाइंट | | 65 डाटा प्वाइंट | |
| उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति | | | | | | | | | | | |
| 1 | कुल उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) | | 332851.63 | | 335642.93 | | 336516.01 | | 309844.57 | | 201447.06 |
| कैश आउटफ्लो | | | | | | | | | | | |
| 2 | छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा जिनमें से | 789288.43 | 73786.10 | 780068.34 | 73032.51 | 772215.14 | 72256.94 | 760733.78 | 71184.11 | 477726.43 | 44514.28 |
| (i) | स्थिर जमा | 102854.97 | 5142.75 | 99486.56 | 4974.33 | 99291.51 | 4964.58 | 97785.44 | 4889.27 | 65167.36 | 3258.37 |
| (ii) | कम स्थिर जमा | 686433.46 | 68643.35 | 680581.78 | 68058.18 | 672923.63 | 67292.36 | 662948.33 | 66294.83 | 412559.08 | 41255.91 |
| 3 | असुरक्षित थोक धन, जिनमें से: | 229423.85 | 121768.79 | 213310.47 | 111194.59 | 205831.80 | 105808.02 | 216949.24 | 111404.43 | 143999.06 | 75293.40 |
| (i) | आपरेशनल जमा (सभी प्रतिपक्षों) | 0.00 | 0.00 | 511.45 | 127.86 | 700.99 | 175.25 | 607.79 | 151.95 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) | गैर परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षों) | 229423.85 | 121768.79 | 212799.02 | 111066.73 | 205130.81 | 105632.77 | 216341.45 | 111252.48 | 143999.06 | 75293.40 |
| (iii) | असुरक्षित ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | सुरक्षित थोक वित्त पोज़ण | | | | | | | | | | 0.00 |
| 5 | अतिरिक्त आवश्यकताओं, जिनमें से | 100893.38 | 9437.56 | 102403.95 | 11447.65 | 106386.15 | 11924.01 | 105889.18 | 11565.44 | 75779.03 | 7753.16 |
| (i) | व्युत्पन्न जोखिम और अन्य जमानत के आवष्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह | 48.35 | 48.35 | 2.11 | 2.11 | 4.31 | 4.31 | 102.03 | 102.03 | 1170.15 | 1170.15 |
| (ii) | ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) | क्रेडिट और तरलता की सुविधाये | 100845.03 | 9389.21 | 102401.84 | 11445.54 | 106381.84 | 11919.70 | 105787.15 | 11463.41 | 74608.88 | 6583.01 |
| 6 | अन्य संविदात्मक दायित्वों के वित्त पोषण | 0.00 | 0.00 | 2514.22 | 2514.22 | 2786.71 | 2786.71 | 3970.30 | 3970.30 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | अन्य आकस्मिक वित्त पोषण के दायित्व | 81130.81 | 2711.36 | 103193.71 | 3557.41 | 99639.94 | 3524.63 | 92698.68 | 3140.97 | 57380.46 | 1822.03 |
| 8 | कुल कैश आउटफ्लो | | 207703.81 | | 207703.81 | | 207703.81 | | 207703.81 | | 207703.81 |
| नकदी प्रवाह | | | | | | | | | | | |
| 9 | सुरक्षित ऋण (जैसे रेपो रिवर्स) | 44085.97 | 0.00 | 40356.26 | 0.00 | 44080.58 | 0.00 | 38445.05 | 0.00 | 29720.81 | 0.00 |
| 10 | पूरी तरह से प्रदर्शन कर जोखिम से अंतर्वाह | 35519.81 | 30858.93 | 22569.15 | 19261.52 | 16540.84 | 15311.77 | 18531.53 | 13722.69 | 16853.12 | 13362.68 |
| 11 | अन्य नकदी प्रवाह | 2548.99 | 2548.99 | 4363.82 | 4363.82 | 7651.87 | 7651.87 | 7294.02 | 7294.02 | 5348.29 | 5348.29 |
| 12 | कुल नकदी प्रवाह | 82154.77 | 33407.92 | 67289.24 | 23625.35 | 68273.29 | 22963.64 | 64270.60 | 21016.71 | 51922.21 | 18710.97 |
| 13 | कुल HQLA | | 332851.63 | | 335642.93 | | 336516.01 | | 309844.57 | | 201447.06 |
| 14 | कुल नेट नकद बहिर्वाह | | 174295.89 | | 178121.03 | | 173336.67 | | 180248.54 | | 110671.90 |
| 15 | चलनिधि कवरेज अनुपात (%) | | 190.97 | | 188.44 | | 194.14 | | 171.90 | | 182.02 |

जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित और प्रमाणित किया गया है और लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है।

## QUANTITATIVE DISCLOSURE ON LIQUIDITY COVERAGE RATIO

(Amount in ₹ Crore)

| | | Quarter ended Mar'21 | | Quarter ended Dec'20 | | Quarter ended Sep'20 | | Quarter ended June'20 | | Quarter ended Mar'20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total Unweighted Value (average)* | Total Weighted Value (average) | Total Unweighted Value (avrage) | Total Weighted Value (average) | Total Unweighted Value (average) | Total Weighted Value (average) | Total Unweighted Value (average) | Total Weighted Value (average) | Total Unweighted Value (average)* | Total Weighted Value (average) |
| Based on the simple average of daily observations | | 63 Data Points | | 64 Data Points | | 66 data Points | | 59 Data Points | | 64 Data Points | |
| High Quality Liquid Assets | | | | | | | | | | | |
| 1 | Total High Quality Liquid Assets (HQLA) | | 332851.63 | | 335642.93 | | 336516.01 | | 309844.57 | | 201447.06 |
| | Cash Outflows | | | | | | | | | | |
| 2 | Retail deposits and deposits from small business Customer of which | 789288.43 | 73786.10 | 780068.34 | 73032.51 | 772215.14 | 72256.94 | 760733.78 | 71184.11 | 477726.43 | 44514.28 |
| (i) | Stable deposits | 102854.97 | 5142.75 | 99486.56 | 4974.33 | 99291.51 | 4964.58 | 97785.44 | 4889.27 | 65167.36 | 3258.37 |
| (ii) | Less stable deposits | 686433.46 | 68643.35 | 680581.78 | 68058.18 | 672923.63 | 67292.36 | 662948.33 | 66294.83 | 412559.08 | 41255.91 |
| 3 | Unsecured wholesale funding, of which: | 229423.85 | 121768.79 | 213310.47 | 111194.59 | 205831.80 | 105808.02 | 216949.24 | 111404.43 | 143999.06 | 75293.40 |
| (i) | Operational deposits (all counterparties) | 0.00 | 0.00 | 511.45 | 127.86 | 700.99 | 175.25 | 607.79 | 151.95 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) | Non-operational deposits (all counterparties) | 229423.85 | 121768.79 | 212799.02 | 111066.73 | 205130.81 | 105632.77 | 216341.45 | 111252.48 | 143999.06 | 75293.40 |
| (iii) | Unsecured debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Secured wholesale funding | | | | | | | | | | 0.00 |
| 5 | Additional requirements, of which | 100893.38 | 9437.56 | 102403.95 | 11447.65 | 106386.15 | 11924.01 | 105889.18 | 11565.44 | 75779.03 | 7753.16 |
| (i) | Outflows related to derivative exposures and other | 48.35 | 48.35 | 2.11 | 2.11 | 4.31 | 4.31 | 102.03 | 102.03 | 1170.15 | 1170.15 |
| (ii) | Outflows related to loss of funding on debt products | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) | Credit and liquidity facilities | 100845.03 | 9389.21 | 102401.84 | 11445.54 | 106381.84 | 11919.70 | 105787.15 | 11463.41 | 74608.88 | 6583.01 |
| 6 | Other contractual funding obligations | 0.00 | 0.00 | 2514.22 | 2514.22 | 2786.71 | 2786.71 | 3970.30 | 3970.30 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Other contingent funding obligations | 81130.81 | 2711.36 | 103193.71 | 3557.41 | 99639.94 | 3524.63 | 92698.68 | 3140.97 | 57380.46 | 1822.03 |
| 8 | Total Cash Outflows | | 207703.81 | | 201746.38 | | 196300.31 | | 201265.24 | | 129382.86 |
| | Cash Inflows | | | | | | | | | | |
| 9 | Secured lending (e.g. reverse repos) | 44085.97 | 0.00 | 40356.26 | 0.00 | 44080.58 | 0.00 | 38445.05 | 0.00 | 29720.81 | 0.00 |
| 10 | Inflows from fully performing exposures | 35519.81 | 30858.93 | 22569.15 | 19261.52 | 16540.84 | 15311.77 | 18531.53 | 13722.69 | 16853.12 | 13362.68 |
| 11 | Other cash inflows | 2548.99 | 2548.99 | 4363.82 | 4363.82 | 7651.87 | 7651.87 | 7294.02 | 7294.02 | 5348.29 | 5348.29 |
| 12 | Total Cash Inflows | 82154.77 | 33407.92 | 67289.24 | 23625.35 | 68273.29 | 22963.64 | 64270.60 | 21016.71 | 51922.21 | 18710.97 |
| 13 | TOTAL HQLA | | 332851.63 | | 335642.93 | | 336516.01 | | 309844.57 | | 201447.06 |
| 14 | Total Net Cash Outflows | | 174295.89 | | 178121.03 | | 173336.67 | | 180248.54 | | 110671.90 |
| 15 | Liquidity Coverage Ratio (%) | | 190.97 | | 188.44 | | 194.14 | | 171.90 | | 182.02 |

As compiled and certified by the Management and relied upon by the Auditors.

**39. तरलता कवरेज अनुपात: मात्रात्मक प्रकटीकरण पूंजीगत माप और एक्सपोजर मूल्यांकन अनुपात का प्रकटीकरण:**

**( राशि रु. करोड़ में )**

| विवरण | चालू वर्ष 31.03.2021 | पिछले वर्ष 31.03.2020 |
|---|---|---|
| पूंजीगत मूल्यमान | 58842.95 | 49107.96 |
| एक्सपोजर मूल्यमान | लीवरेज अनुपात = 1346316.11 के परिकलित हेतु कुल एक्सपोजर | लीवरेज अनुपात = 860226. 05 के परिकलित हेतु कुल एक्सपोजर |
| लीवरेज अनुपात (%) | 4.37% | 5.71% |

**40. अन्य टिप्पणियाँ**

क. I. आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने पांच वर्ष से अधिक की अंत: शाखा प्रविष्टियों को राशि को अवरुद्ध खाते में अंतरित करने का कार्य किया है। तदनुसार, रु. 8.65 करोड़ की राशि (समायोजन के बाद की निवल राशि) को अनुसूची 5 में ''अन्य देयताएं - अन्य'' शीर्षक के अन्तर्गत अलग से शामिल किया गया है।

ख. परिसर सहित:-

I. परिसर सहित रु. 2.26 करोड़ (शुद्ध मूल्यहास) {लागत रु. 4.12 करोड़ } की राशि की संपत्तियां स्वत्व विलेख के पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रही है।

II. परिसर में रु. 82.36 करोड़ की प्रगति पर पूंजीगत कार्य शामिल है।

ग. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन वित्त वर्ष 2020-21 में 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान की गई खरीद के लिए किया गया है और अधिनियम के अनुसार विक्रेताओं को समय पर भुगतान किया गया है। चूंकि विक्रेताओं से भुगतान/मांग में कोई देरी नहीं हुई है, इसलिए 31 मार्च, 2021 (वित्त वर्ष 2020-21) को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई दंडात्मक ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है।

घ. सेबी के तहत सूचना (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 बैंक द्वारा जारी असुरक्षित बांडों के लिए विनियम 52(4) के प्रावधानों के अनुसार पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पात्र ऋण लिखतों को छोड़कर:

| क्र. सं. | पीएनबी बांड सीरीज | आईएस आईएन सं. | ब्याज भुगतान की तिथि | उक्त भुगतान किया गया है या नहीं | रेटिंग आईसी आरए | रेटिंग सीए आरई | रेटिंग इंडिया रेटिंग | रेटिंग क्रिसिल | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दीर्धावधि के बांड (उधार) सीरिज I (8.23%) | INE 160A 08068 | 09.02. 2021 | भुगतान | लागू नहीं | AA+ | AAA | AA+ | शून्य |
| 12 | दीर्धावधि के बांड (उधार) सीरिज I (8.35%) | INE 160A 08068 | 24.03. 2021 | भुगतान | लागू नहीं | AA+ | AAA | AA+ | शून्य |

ड. आरबीआई के पत्र सं. बीपीसी.7201/21.04.132/2017-18 दिनांक 08-02.2018 की अनुपालन में, बैंक ने पंजाब राज्य सरकार को दिए गए अग्रिम टर्म लोन (LTL) के संबंध में 31.03.2021 को मौजूदा बकाया रु.2075.40 करोड़ का 5% अर्थात रु.103.77 करोड़ का प्रावधान किया है।

**39. Disclosure Leverage Ratio: Capital measure and the Exposure measure along with Leverage Ratio:**

**(Amount in ₹ Crore)**

| Particulars | Current Year 31.03.2021 | Previous Year 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Capital measure | 58842.95 | 49107.96 |
| Exposure measure | Total Exposure for the calculation of Leverage ratio = 1346316.11 | Total Exposure for the calculation of Leverage ratio = 860226.05 |
| Leverage Ratio (%) | 4.37% | 5.71% |

**40. Other Notes**

a. As per RBI guidelines, the Bank worked out the amount of Inter Branch Credit entries outstanding for more than 5 years to create a Blocked Account. Accordingly, a sum of ₹8.65Crores (net of adjustments since carried out has been included under "Other Liabilities-others" in Schedule-5).

b. Premises includes:-

i. Premises includes properties amounting to ₹2.26Crore (Net of Depreciation) {Cost ₹4.12 Crore} are awaiting registration of title deeds.

ii Premises includes Capital work in progress of ₹82.36Crore.

c. Guidelines given in Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 have been complied with for purchases made during FY ended March 31, 2021 in FY 2020-21 and payments have been made to the Vendors in time as per Act. Since there had been no delay in payment/demand from venders, so no penal interest has been paid during FY ended March 31, 2021 (FY 2020-21).

d. Information under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in terms of the provisions of Regulation 52(4) for unsecured bonds issued by bank excluding Debt instruments eligible for meeting capital requirement:

| Sl. No. | PNB BONDS SERIES | ISIN NO. | DATE OF PAYMENT OF INTEREST | Whether the same has been paid or not | Rating ICRA | Rating CARE | Rating India Rating | Rating CRISIL | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Term Bonds (Borrowing) series I (8.23 %) | INE 160A 08068 | 09.02.2021 | Paid | NA | AA+ | AAA | AA+ | NIL |
| 2 | Long Term Bonds (Borrowing) series II (8.35 %) | INE 160A 08084 | 24.03.2021 | Paid | AA | AA+ | NA | AA+ | NIL |

e. In compliance of RBI letter no. BPC.7201/21.04.132/2017-18 dated 08.02.2018, Bank has made a provision of ₹103.77 Crore being 5 % of the existing outstanding of ₹2075.40 Crore as on 31.03.2021 in respect of Advance to Government of Punjab Long term Loan (LTL).

च. आरबीआई परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/376 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. 92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18.04.2016 के अनुसार प्रावधानीकरण मानकों में संशोधन के कारण धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधान:

(राशि रु. करोड़ में)

| श्रेणी | 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या | 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी में शामिल राशि | 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा | गैर परिशोधित प्रावधान वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित' से नामे |
|---|---|---|---|---|
| उधारी | 153@ | 10872.49 | 4083.88 | 1013.10 |
| गैर-उधारी धोखाधड़ी | 561# | 75.02 | 54.99 | - |
| **कुल** | **714** | **10947.51** | **4138.87** | **1013.10** |

@153 खातों में से, 13 पुराने खाते पर धोखाधड़ी मामले हैं और आरबीआई को सामंजस्य के कारण रु. 854.49 करोड़ को बढ़ाया और अद्यतन किया गया है।

# 561 खातों में से, 1 पुराना खाता पर धोखाधड़ी का मामला है और आरबीआई को सामंजस्य के कारण रु.18.00 करोड़ को बढ़ाया और अद्यतन किया गया है।

छ. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) का विवरण

(राशि रु. करोड़ में)

| क्र. सं. | पीएसएलसी के प्रकार | वर्ष के दौरान खरीदा गया पीएसएलसी | वर्ष के दौरान बिक्री किया गया पीएसएलसी |
|---|---|---|---|
| 1 | कृषि | 9998.50 | 0.00 |
| 2 | लघु एवं सीमांत कृषक | 0.00 | 0.00 |
| 3 | सूक्ष्म उद्यम | 0.00 | 0.00 |
| 4 | सामान्य | 0.00 | 0.00 |
| **कुल** | | **9998.50** | **0.00** |

ज "अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त), बीमाकर्ता/बीमा कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों हेतु आईएनडी एएस को रोडमैप के रूप में केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमओसी) द्वारा प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18 जनवरी 2016 के माध्यम से जारी किया गया। आईएनडी एएस, एमसीए की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 से बैंक पर लागू था, जिसे आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति (2017-18/2642) दिनांक 5 अप्रैल 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आस्थगित कर दिया गया था। आरबीआई ने आईएनडी एएस के कार्यान्वयन को तब तक के लिए टाल दिया है जब तक कि उसके परिपत्र संख्या डीबीआर.न.बीपी. बीसी.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22.03.2019 को रद्द न कर दिया जाए। तथापि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से आईएनडी एएस (भारतीय लेखांकन मानक) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की है। बैंक के पास कार्यान्वयन के लिए एक योजनाबद्ध रणनीति है और इस कार्य में काफी प्रगति हुई है। चालू लेखांकन ढांचे और आईएनडी एएस के बीच असमानताओं की पहचान करने के लिए बैंक ने निदानकारी

f. Provisioning pertaining to fraud accounts due to amendment in provisioning norms as per RBI Circular no. RBI/2015-16/376 DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/ 2015-16 dated 18.04.2016:

(₹ in Crores)

| Category | Number of Frauds reported during the Financial Year ended 31.03.2021 | Amount involved in fraud reported during the Financial Year ended 31.03.2021 | Quantum of provision made during the Financial Year ended 31.03.2021 | Quantum of unamortized provision debited from 'other reserve' as at the end of the year |
|---|---|---|---|---|
| Borrowal | 153@ | 10872.49 | 4083.88 | 1013.10 |
| Non-Borrowal Frauds | 561# | 75.02 | 54.99 | - |
| **Total** | **714** | **10947.51** | **4138.87** | **1013.10** |

@Out of 153 accounts, 13 accounts are old fraud cases & ₹854.49 Crores have been enhanced & updated to RBI due to harmonization.

# Out of 561 accounts, 1 account is old fraud case & ₹18.00 Crores have been enhanced & updated to RBI due to harmonisation.

g. Details of Priority Sector Lending Certificate (PSLCs)

(₹ in Crores)

| Sr. No. | Types of PSLCs | PSLC bought during the year | PSLC sold during the year |
|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | 9998.50 | 0.00 |
| 2 | Small and Marginal Farmers | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Micro Enterprises | 0.00 | 0.00 |
| 4 | General | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | | **9998.50** | **0.00** |

h. IND AS roadmap for scheduled commercial banks (excluding regional rural banks), insurers/insurance companies and non-banking financial companies (NBFCs) was issued by Union Ministry of Corporate Affairs (MCA) through press release dated 18 January 2016. IND AS was applicable to the Bank in accordance with the MCA press release from financial year 2018-19 which was deferred to financial year 2019-20 vide RBI's Press Release (2017-18/2642) dated 5 April 2018. RBI has further deferred implementation of IND AS till further notice vide its Circular no DBR.BP.BC. No. 29/21.07.001/2018-19 dated 22.03.2019. However, the Bank had commenced the process of IND AS (Indian Accounting Standards) implementation since financial year 2016-17. The Bank has a well-planned strategy for Ind AS implementation and has made substantial progress in this regard. The Bank has completed a diagnostic study to identify the differences between the current accounting

अध्ययन पूरा किया है। "इस निदानकारी अध्ययन के आधार पर बैंक ने प्रभाव का परिमाण निर्धारित किया है और सितंबर 2016 को समाप्त हुई छमाही के लिए प्रारूप वित्तीय विवरण दायर किया है तथा जून 2017 में समाप्त तिमाही में भारतीय रिज़र्व बैंक को दायर किया था। जून 2018 को समाप्त तिमाही से बैंक हर तिमाही में आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों के प्रारूप का संकलन कर रहा है और अपनी आवश्यकतानुसार आरबीआई को प्रस्तुत कर रहा है। अतः आरबीआई द्वारा संक्रमण की तारीख के बाद बैंक आईएनडी एएस को लागू करेगा।

झ. वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-23032020-218862 दिनांक 23 मार्च, 2020 के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 में संशोधन का अनुपालन करने के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 की आवश्यकताओं और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप-धारा (2BBA), बैंक ने 28,707.92 करोड़ रुपये के संचित नुकसान को विनियोजित किया है। 06 अगस्त, 2020 को अपने शेयर प्रीमियम खाते से। उक्त विनियोग का बैंक की चुकता पूंजी, पूंजी पर्याप्तता, उत्तोलन अनुपात और निवल मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

ञ. जेएससी टेंगरी बैंक (बैंक के एक सहयोगी) के स्थानीय बैंकिंग नियामक ने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया और अस्थायी प्रशासक नियुक्त है, जो 18.09.2020 से प्रभावी है। अस्थायी प्रशासक ने 28.09.2020 को जेएससी टेंगरी बैंक की परिसमापन प्रक्रिया के लिए मुकदमा दायर किया। 15.02.2021 को, जेएससी टेंगरी बैंक के परिसमापन पर निर्णय अपील न्यायालय द्वारा लागू किया गया। 19.02.2021 को, टेंगरी बैंक के परिसमापन आयोग ने बैंक के परिसमापन की जानकारी प्रकाशित की। वर्ष के दौरान, बैंक ने रुपये के निवेश के लिए प्रावधान किया है। जेएससी टेंगरी बैंक में 341.59 करोड़। इसके अलावा, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, जेएससी टेंगरी बैंक में जमा करने के लिए 351.29 करोड़ रुपये का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है।

40. I. जहाँ कहीं आवश्यक हो पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनः समूहित / पुनः व्यवस्थित /पुनः श्रेणीबद्ध किया गया है।

II. जहां कहीं भी आंकड़े कोष्ठक में दिए गए दिए गए हैं (मद संख्या 15 को छोड़कर: लेखा मानक 15 - कर्मचारी लाभ) वे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

III. पिछले वर्ष के आंकड़े पूर्व-समामेलन अवधि के लिए स्टैंडअलोन बैंक के वित्तीय से संबंधित हैं, इसलिए पोस्ट समामेलन वित्तीय के साथ तुलनीय नहीं हैं

framework and IND AS. The Bank has since submitted Proforma Financial Statements for the half year ended September 2016 and for the quarter ended June 2017 with the Reserve Bank of India. From the quarter ended June 2018, Bank is compiling the Proforma Ind AS Financial Statements every quarter and submitting to RBI as per their requirement. The Bank will implement Ind AS once the transition date is conveyed by RBI.

i. In terms of notification no.CG-DL-E-23032020-218862 dated March 23, 2020 issued by the Ministry of Finance (Department of Financial Services) containing amendment in Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, after complying with the requirements of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and sub - section (2BBA) of section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Bank has appropriated accumulated losses of Rs.28,707.92 Crore from its share premium account on August 06, 2020. The said appropriation has no impact on Bank's Paid-up capital, Capital Adequacy, Leverage Ratio and Net Worth.

j. The local Banking Regulator of JSC Tengri Bank (an associate of the Bank) revoked its license w.e.f. 18.09.2020 and appointed Temporary Administrator. The Temporary Administrator filed law suit for liquidation process of JSC Tengri Bank on 28.09.2020. On 15.02.2021, the decision on liquidation of JSC Tengri Bank came into force by the Appeal Court. On 19.02.2021, the Liquidation commission of Tengri Bank published information of liquidation of the Bank. During the year, the Bank has made provision for investment of Rs. 341.59 Crore in JSC Tengri Bank. Further, during the year ended March 31, 2021, provision of Rs. 351.29 Crore towards deposit in JSC Tengri Bank has been made.

40. I. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

II. Figures in the bracket wherever given (except Item no. 15: Accounting Standard 15 - Employees Benefits) relates to previous year.

III. Figures of previous year relates to standalone Bank's financials for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financials.

# पंजाब नैशनल बैंक का 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह का विवरण
## PANJAB NATIONAL BANK - STATEMENT OF STANDALONE CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| | विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| अ.<br>A. | परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह<br>**Cash Flow from Operating Activities** | | | |
| | कर के पश्चात निवल लाभ<br>Net Profit after Tax | | 20216187 | 3361944 |
| | कर के लिए प्रावधान<br>Provision for Tax | | 14577796 | 4027884 |
| (I) | कर से पूर्व निवल लाभ<br>**Net Profit before taxes** | (i) | **34793983** | **7389828** |
| (II) | निम्नलिखित के लिए समायोजन:<br>Adjustments for: | | | |
| | अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास<br>Depreciation on fixed assets | | 9749180 | 6076793 |
| | निवेशों (निवल) पर मूल्यह्रास/(निर्मोचन)<br>Depreciation/(Release) on Investments (net) | | 2582615 | (3650117) |
| | अनुषंगी/संयुक्त उद्यमों में निवेशों (निवल) पर मूल्यह्रास/(निमीचन)<br>Depreciation/(Release) on Investments in Subsidiary/JV | | 3415876 | - |
| | अर्नजक आस्तियों पर प्रावधान<br>Provisions for non performing assets | | 170595149 | 144640764 |
| | मानक आस्तियों के लिए प्रावधान<br>Provision on Standard Assets | | 12738676 | 730724 |
| | अन्य प्रावधान (निवल)<br>Other Provision (net) | | 5680957 | (1712296) |
| | अनुषंगी/अन्य से लाभांश<br>Dividend from Subsidiary / Others | | (1397262) | (946071) |
| | अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि(शुद्ध)<br>Profit / Loss on sale of Fixed Assets (net) | | 127538 | (416673) |
| | बांण्ड पर चुकाया गया ब्याज<br>Interest paid on Bonds | | 19928701 | 11762046 |
| | **उपयोग Sub Total** | **(ii)** | **223421430** | **156485170** |
| | **परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ**<br>**Operating Profit before Changes in Operating Assets and Liabilities** | **(i+ii)** | **258215413** | **163874998** |
| (III) | **परिचालन आस्तियों व देयताओं में शुद्ध परिवर्तन के लिए समायोजन**<br>**Adjustment for net change in Operating Assets and Liabilities** | | | |
| | निवेशों में ह्रास/(वृद्धि)<br>Decrease / (Increase) in Investments | | (216725666) | (379176654) |
| | अग्रिमों में ह्रास/(वृद्धि)<br>Decrease / (Increase) in Advances | | 53122453 | (281163389) |
| | अन्य आस्तियों में ह्रास/(वृद्धि)<br>Decrease / (Increase) in Other Assets | | (62359792) | (13791168) |
| | जमा राशियों में (वृद्धि)/ह्रास<br>Increase / (Decrease) in Deposits | | 347698406 | 278161845 |
| | उधारों में (वृद्धि)/ह्रास<br>Increase / (Decrease) in Borrowings | | (271804555) | 120995141 |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| | विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| | अन्य देयताओं व प्रावधानों में (वृद्धि)/ह्रास<br>Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions | | (94661892) | 6206589 |
| | | **(iii)** | **(244731046)** | **(268767636)** |
| | **परिचालनों से उत्पन्न नकदी**<br>**Cash generated from Operations** | **(i+ii+iii)** | 13484367 | (104892639) |
| | प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी को घटाकर)<br>Direct Taxes paid (net off refund) | | (1563105) | (21233338) |
| **क.**<br>**A.** | **परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी**<br>**Net Cash from Operating Activities** | **(क)**<br>**(A)** | **11921262** | **(126125977)** |
| **ख.**<br>**B.** | **निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**<br>**Cash Flow from Investing Activities** | | | |
| | अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री को घटाकर)<br>Purchase of Fixed Assets (net off Sales) | | (7746451) | (3300263) |
| | अनुषंगियों/ अन्यों से प्राप्त लाभांश<br>Dividend recd from Subsidiary/Others | | 1397262 | 946071 |
| | अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों/ अन्यों में निवेश<br>Investment in Subsidiary/Others | | (2042483) | (40652) |
| | **निवेश कार्यकलापों में (प्रयुक्त) निवल नकदी**<br>**Net Cash from/(used) in Investing Activities** | **(ख)**<br>**(B)** | **(8391672)** | **(2394843)** |
| **ग.**<br>**C.** | **वित्तीयन कार्यकलापों से (प्रयुक्त) नकदी प्रवाह से**<br>**Cash flow from Financing Activities** | | | |
| | शेयर/पूंजी आवेदन राशि/शेयर प्रीमियम<br>Share Capital/Share Application Money/Share Premium | | 37773245 | 160910000 |
| | बॉण्डों का निर्गमध(मोचन)<br>Issue/(Redemption) of Bonds | | 35089407 | (12000000) |
| | बॉण्डों पर प्रदत्त ब्याज<br>Interest paid on Bonds | | (19928701) | (13339296) |
| | समामेलन के परिणामस्वरूप आंशिक पात्रता के लिए ई-ओबीसी और ई-यूएनआई के शेयरधारक को प्रदत्त नकदी<br>Cash paid to Shareholder of e-OBC & e-UNI towards fractional entitlement consequent to amalgamation | | (5012) | - |
| | **वित्तीयन कार्यकलापों से (प्रयुक्त) निवल नकदी से**<br>**Net Cash from/(used) Financing Activities** | **(ग)**<br>**(C)** | **52928939** | **135570704** |
| **घ.**<br>**D.** | **समामेलन के कारण प्राप्त तथा नकदी तुल्य**<br>**Cash and Cash Equivalents received on account of amalgamation** | **(घ)**<br>**(D)** | 297108220 | - |
| **ङ.**<br>**E.** | **नकदी तथा नकदी तुल्यों में निवल परिवर्तन**<br>**Net Change in Cash and Cash Equivalents** | **(क+ख+ग+घ)**<br>**(A+B+C+D)** | **353566749** | **7049884** |
| | **वर्ष के आरम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य**<br>**Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year** | | | |
| | भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष<br>Cash and Balances with Reserve Bank of India | | 383978504 | 321291338 |
| | बैंकों के पास शेष राशि और मांग व अल्प सूचना पर प्राप्य धन<br>Balances with Banks & Money at Call & Short Notice | | 375951792 | 431589074 |
| | | | **759930296** | **752880412** |

| (₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted) | | |
|---|---|---|
| विवरण<br>Particulars | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
| **वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य**<br>**Cash and Cash Equivalents at the end of the year** | | |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष राशि<br>Cash and Balances with Reserve Bank of India | 439588283 | 383978504 |
| बैंकों के पास शेष राशि और मांग व अल्प सूचना पर प्राप्य धन<br>Balances with Banks & Money at Call & Short Notice | 673908762 | 375951792 |
| | **1113497045** | **759930296** |

**टिप्पणियाँ:-**

1 प्रदत्त प्रत्यक्ष करों (प्रतिदान को घटाकर) को परिचालन कार्यकलापों से उद्धत माना गया है तथा इन्हें निवेश एवं वित्तीयन कार्यकलापों के मध्य विभक्त नहीं किया गया है।

2 माइनस में दिए गए सभी आंकड़ें 'नकदी बाह्य प्रवाह' को दर्शाते हैं।

3 31.03.2020 के आंकड़े समामेलन पूर्व पंजाब नैशनल बैंक स्टैंडअलोन से संबंधित हैं, इसलिए इनकी 31.03.2021 के समामेलन पश्चात के वित्तीयन के साथ तुलना नहीं की जा सकती।

4 पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर पुन: एकत्रित किया गया है।

**Notes :-**

1 Direct taxes paid (net off refund) are treated as arising from operating activities and are not bifurcated between investing and financing activities.

2 All figures in bracket represents "Cash Out Flow"

3 Figures of 31.03.2020 are related to standalone pre amalgamated Punjab National Bank, hence not comparable with post amalgamation financials of 31.03.2021

4 Figures of previous period have been regrouped wherever considered necessary to conform current period classification.

**पी के वार्ष्णेय**
**P K VARSHNEY**
**सहायक महाप्रबंधक**
**ASSISTANT GENERAL MANAGER**

**आर के खीची**
**R K KHICHI**
**उप महाप्रबंधक**
**DEPUTY GENERAL MANAGER**

**प्रवीण कुमार शर्मा**
**PRAVEEN KUMAR SHARMA**
**महाप्रबंधक**
**GENERAL MANAGER**

**डी के जैन**
**D K JAIN**
**मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ**
**CHIEF GENERAL MANAGER & CFO**

**स्वरूप कुमार साहा**
**SWARUP KUMAR SAHA**
**कार्यपालक निदेशक**
**EXECUTIVE DIRECTOR**

**विजय दुबे**
**VIJAY DUBE**
**कार्यपालक निदेशक**
**EXECUTIVE DIRECTOR**

**संजय कुमार**
**SANJAY KUMAR**
**कार्यपालक निदेशक**
**EXECUTIVE DIRECTOR**

**सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव**
**CH. S.S. MALLIKARJUNA RAO**
**प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**
**MANAGING DIRECTOR & CEO**

| पंकज जैन<br>PANKAJ JAIN<br>निदेशक<br>DIRECTOR | विवेक अग्रवाल<br>VIVEK AGGARWAL<br>निदेशक<br>DIRECTOR | डॉ. आशा भंडारकर<br>Dr. ASHA BHANDARKER<br>निदेशक<br>DIRECTOR | गौतम गुहा<br>GAUTAM GUHA<br>निदेशक<br>DIRECTOR |
|---|---|---|---|

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

**As per our report of even date**

| कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी<br>For S N Dhawan & Co. LLP<br>सनदी लेखाकार<br>Chartered Accountants<br>एफआरएन 000050एन\एन500045<br>FRN: 000050N/N500045 | कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी<br>For M K Aggarwal & Co.<br>सनदी लेखाकार<br>Chartered Accountants<br>एफआरएन 001411एन<br>FRN: 001411N | कृते ए जॉन मॉरिस एंड कंपनी<br>For A John Moris & Co.<br>सनदी लेखाकार<br>Chartered Accountants<br>एफआरएन 007220एस<br>FRN:007220S |
|---|---|---|
| सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर<br>CA Surinder Kr. Khattar<br>भागीदार<br>Partner<br>( सदस्य सं. 084993 )<br>(M.No. 084993)<br>स्थान: नई दिल्ली<br>Place: New Delhi | सनदी लेखाकार अतुल अग्रवाल<br>भागीदार<br>CA Atul Aggarwal<br>Partner<br>( सदस्य सं. 099374 )<br>(M.No. 099374)<br>स्थान: नई दिल्ली<br>Place: New Delhi | सनदी लेखाकार जी कुमार<br>CA G Kumar<br>भागीदार<br>Partner<br>( सदस्य सं. 023082 )<br>(M.No. 023082)<br>स्थान: चेन्नई<br>Place: Chennai |
| कृते एस आर गोयल एंड कंपनी<br>For S R Goyal & Co.<br>सनदी लेखाकार<br>Chartered Accountants<br>एफआरएन 001537सी<br>FRN: 001537C | कृते पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स<br>For PSMG & Associates<br>सनदी लेखाकार<br>Chartered Accountants<br>एफआरएन 008567सी<br>FRN: 008567C | |
| सनदी लेखाकार अजय अटोलिया<br>CA Ajay Atolia<br>भागीदार<br>Partner<br>( सदस्य सं. 077201 )<br>(M.No. 077201)<br>स्थान: नई दिल्ली<br>Place: New Delhi | सनदी लेखाकार संदीप जैन<br>CA Sandeep Jain<br>भागीदार<br>Partner<br>( सदस्य सं. 077281 )<br>( M.No. 077281)<br>स्थान: नई दिल्ली<br>Place: New Delhi | |

दिनांक : 04/06/2021
Date : 04/06/2021
स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi

# लेखापरीक्षकों का स्वतंत्र प्रतिवेदन

**पंजाब नैशनल बैंक के सदस्यों के लिए**

**एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट**

**अभिमत**

1. हमने संलग्न पंजाब नैशनल बैंक एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक का तुलन पत्र और लाभ और हानि लेख तथा समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक जानकारी के सारांश सहित एकल वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिसमें समाप्त वर्ष की इस तिथि के लिए हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं और ट्रेजरी प्रभाग और 45 अन्य कार्यालय और सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 5881 शाखाएं और अन्य कार्यालय और स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2 विदेशी शाखाओं का रिटर्न शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हमारे द्वारा तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा किया जाता है। बैलेंस शीट में लाभ और हानि लेख और नकदी प्रवाह विवरण बैंक की 6103 शाखाओं और अन्य कार्यालयों से रिटर्न है जो लेखा परीक्षा के अध्यधीन नहीं किए गए हैं, भी शामिल है। इन लेखापरीक्षित शाखाओं में 8.90 प्रतिशत अग्रिम, 29.31 जमा, 6.65 प्रतिशत ब्याज आय और 28.55 प्रतिशत ब्याज व्यय होता है।

2. हमारी राय में और हमारी सवीत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण बैंक के लिए अपेक्षित तरीके से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ('अधिनियम') द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करता है और आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है और:

   ए. दिए गए नोट्स के साथ पठित तुलन पत्र सभी आवश्यक विवरणों सहित एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और सही प्रकार से बनाया गया है ताकि 31 मार्च, 2021 को बैंक के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा सके;

   बी. इस नोट के साथ पठित लाभ और हानि लेखा सही लाभ शेष दर्शाता है; तथा

   सी. उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

**अभिमत का आधार**

3. हमने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानकों (एस ए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जि़म्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ खंड में वर्णित किया गया है। भारत में एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त

# INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**To the Members of Punjab National Bank**
**Report on Audit of the Standalone Financial Statements**

**Opinion**

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of the Punjab National Bank ("the Bank) which comprise the Balance Sheet as at 31 March, 2021, and the Profit and Loss account and the Cash Flow Statement for the year then ended and notes to Standalone Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are included returns for year ended on that date of 20 branches, treasury division and 45 other offices audited by us and 5881 branches and other offices audited by statutory branch auditors and 2 foreign branches audited by local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Profit and Loss account and the Cash Flow Statement are the returns from 6103 branches and other offices of the bank which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.90 percent of advances, 29.31 percent of deposits, 6.65 percent of interest income and 28.55 percent of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (the 'Act') in the manner so required for Bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

   a. the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31 March, 2021;

   b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit and

   c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

**Basis for Opinion**

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements' section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe

किए हैं, वे हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

**प्रमुख लेखा परीक्षा मामले**

4. प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। ये मामले एकल वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के सन्दर्भ में समग्र रूप से देखे गए और अपना मत बनाने में, हमने इन मामलों पर अलग मत नहीं दिया है। हमने अपनी रिपोर्ट में वर्णित किए जाने हेतु महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निम्न वर्णित मामलों को निर्धारित किया हैं।

| मुख्य लेखा-परीक्षा मामले | लेखा-परीक्षा में कैसे हमारे मामले को दर्शाया गया है। |
|---|---|
| <u>अग्रिम - वर्गीकरण और प्रावधानीकरण</u><br><br>(लेखा नीति संख्या 5 के साथ पठित एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 9 का संदर्भ लें,)<br><br>अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार इन पर प्रावधानीकरण किया गया है। आस्ति वर्गीकरण, आय निर्धारण और प्रावधानीकरण कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) द्वारा किया गया है। विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत एनपीए के प्रावधानीकरण की सीमा मुख्य रूप से इसकी अवधि अन्तर्निहित प्रतिभूति की वसूली योग्यता पर आधारित है ।<br><br>विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित उपयोग या प्रतिभूति के गलत मूल्य निर्धारण की स्थिति में, क्योंकि प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण में उच्च स्तर का अनुमान और मूल्यांकन होता है, अग्रिमों का वहन मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से वस्तुत: गलत तरीके से प्रस्तुत किया सकता है, और एकल वित्तीय विवरणों में अग्रिमों की राशि के महत्व को देखते हुए अग्रिमों का वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण को हमारी लेखा-परीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है।<br><br><u>निवेश - मूल्यांकन, और गैर-निष्पादित निवेश के लिए पहचान एवं प्रावधान</u><br><br>(लेखा नीति संख्या 4 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 का संदर्भ लें,) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियां, बांड्स, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति की रसीद और | हमारी लेखापरीक्षा पद्धति में आस्तियों के वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्र, दिशा-निर्देश और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश और बैंक के आंतरिक निर्देश और प्रक्रियायों को सम्मिलित किया गया और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गया।<br><br>• अग्रिमों से संबंधित आय शिनाख्त, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया गया और समझा गया।<br><br>• डिजाइन और क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रासंगिक नियंत्रणों के संचालनात्मक प्रभावशीलता का जाँच परीक्षण किया, जिसमें अग्रिमों से संबंधित आय शिनाख्त, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया के संयोजन की जांच भी शामिल है।<br><br>• किसी भी अग्रिम खाते में अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाने के लिए बड़े और दबावग्रस्त अग्रिमों के जांच परीक्षण के आधार पर प्रलेखनों, परिचालन/प्रदर्शन और अग्रिम खातों की निगरानी की समीक्षा की गई, हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं/संबंधित प्रभागों के संबंध में आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्गीकरण की जांच की गई। शाखा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में, हमने उनकी रिपोर्टों पर भरोसा किया है।<br><br>इसके अतिरिक्त हमने जांच परीक्षण के आधार पर किसी प्रतिकूल विशेषताओं। टिप्पणियों वाले अग्रिमों का पता लगाने के लिए ऋण लेखा-परीक्षा, निरीक्षण |

that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Key Audit Matters**

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

| Key Audit Matters | How our matter was addressed in the audit |
|---|---|
| <u>Advances – classification and provisioning</u><br><br>(Refer Schedule 9 to the Standalone Financial Statements, read with the Accounting Policy No.5)<br><br>The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The asset classification, income recognition and provisioning is done by Core Banking Solution(CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security.<br><br>In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in the Standalone Financial Statements the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit. | Our audit approach included an understanding of the Bank's software, circulars, guidelines and directives of the Reserve Bank of India and the Bank's internal instructions and procedures in respect of the assets classification and its provisioning and adopted the following audit procedures:<br><br>• Evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the Relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.<br><br>• Test checked the design and implementation as well as operational effectiveness of relevant controls, including involvement of manual process in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances<br><br>• Reviewed the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, examination of classification as per prudential norms of the RBI, in respect of the branches / relevant divisions audited by us. In respect of the branches audited by the branch statutory auditors, we have placed reliance on their reports.<br><br>Further we have reviewed on test check basis the reports of the credit audit, inspection audit, risk |
| <u>Investments – valuation, and identification and provisioning for Non-Performing Investments</u> | |

| | |
|---|---|
| स्वीकृत प्रतिभूतियों के निवेश शामिल है, जिन्हें परिपक्व होने वाली, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए आयोजित होने वाली इन तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।<br><br>निवेशों का मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान और अनुकूल गैर-मान्यता आय और उस पर प्रावधान करना, आरबीआई के संबंधित परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। उपरोक्त प्रतिभूति के प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफबीआईएल दरें, बीएसई/एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण, म्यूचुअल फंड के मामले में एनएवी (NAV) और प्रतिभूति रसीदें आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकडे/सूचना का संग्रह शामिल है। कुछ निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित होते हैं जिनमें अंतर्निहित धारणाओं सहित सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरण ों पर आधारित मूल्यांकन के लिए मूल्य का निर्धारण आदि शामिल होते हैं। इसलिए, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित की गई कीमत सही द्योतक नहीं हो सकती, लेकिन आज तक के निवेशों का एक निष्पक्ष निर्धारण हो सकता है। इसलिए निवेश के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे वित्तीय विवरणों में निवेश की राशि के महत्व को देखते हुए, उक्त को हमारे लेखापरीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा का मामला माना गया है। | लेखा-परीक्षा, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा, समवती लेखा-परीक्षा, नियामक लेखा-परीक्षा की रिर्पोटो की समीक्षा की है और बैंक सिस्टम से जारी रिपोर्ट की समीक्षा की।<br><br>हमारा परिणाम:<br><br>लेनदेन के महत्व को देखते हुए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के परिणाम उचित और संतोषजनक पाए गए।<br><br>भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ सहित निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण की रचना, क्रियान्वयन, परिचालन प्रभाव का परीक्षण एवं समीक्षा शामिल की गई है और गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन से संबंधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, निवेशों से संबंधित प्रावधान/अवमूल्यन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हैद्य<br><br>▪ हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा और मूल्यांकन किया है।<br><br>▪ निवेश के चयनित नमूने के लिए (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर निवेश की सभी श्रेणियों को कवर करते हुए) हमने आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ शुद्धता और अनुपालन का परीक्षण किया है।<br><br>▪ हमने एनपीआई की पहचान, और आय के अनुकूल परिवर्तन और प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का आंकलन और मूल्यांकन किया।<br><br>हमारा परिणाम:<br><br>लेनदेन के महत्व को देखते हुए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के परिणाम उचित और संतोषजनक पाए गएद्य |
| सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का आंकलन:<br><br>आईटी आईआरएसी निर्माण सहित आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई विभिन्न रिपोर्टों, लेनदेनों की रिकॉर्डिंग के संबंध में नियंत्रण रखता है।<br><br>नियामकों आदि के लिए अन्य अनुपालन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है।इस तरह की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर और अन्य संबद्ध प्रणालियों के प्रभावी कार्य पर निर्भर है। | हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल हैं: -<br><br>• विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना<br><br>• सिस्टम में डेटा की फीडिंग को समझना और बैंक में मौजूद आईटी सिस्टम से वित्तीय जानकारी और स्टेटमेंट को निकालना। |

| | |
|---|---|
| (Refer Schedule 8 to the Standalone Financial Statements, read with the Accounting Policy No.4)<br><br>Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trade.<br><br>Valuation of Investments, identification of Non-performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. The valuation of each category (type) of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of mutual funds & security receipts etc. Certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. Hence, the price discovered for the valuation of these Investments may not be the true representative but only a fair assessment of the Investments as on date. Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements the same has been considered as Key Audit Matter in our audit. | based internal audit, concurrent audit, regulatory audit to ascertain the advances having any adverse features / comments, and reviewed the reports generated from the Bank's system.<br><br>Our Results:<br><br>The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality of the transactions.<br><br>Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, implementation, operating effectiveness of internal controls and audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments as per RBI guidelines.<br><br>▪ We reviewed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments.<br><br>▪ For selected sample of investments (covering all categories of investments based on nature of security) we tested accuracy and compliance with the RBI Master circulars and directions.<br><br>▪ We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision.<br><br>Our Results:<br><br>The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality. |
| Assessment of Information Technology (IT):<br><br>IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC, preparing. | Our audit approach included: -<br><br>▪ Understanding the coding system adopted by the Bank for various categories of customers.<br><br>▪ Understanding the feeding of the data in the system and going through the extraction of the financial information and statements from the IT system existing in the Bank.<br><br>▪ Checking of the user requirements for any changes in the regulations/ policy of the Bank. |

| | |
|---|---|
| हमने इसे प्रमुख लेकापरीक्षा मामले के रूप में माना है क्योंकि नियंत्रण में किसी भी चूक, सत्यापन विफलताएं, गलत इनपुट डेटा और डेटा के गलत निष्कर्षण के परिणामस्वरूप प्रबंधन और विनियामकों को डेटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है। | • बैंक के नियमों/नीति में किसी भी बदलाव के लिए उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जाँच करना।<br>• सिस्टम द्वारा नमूना आधार पर जनरेट रिपोर्टो की समीक्षा करना।<br>हमारा परिणाम<br>हालांकि, सिस्टम को सिस्टम से इनपुट/आउटपुट डेटा की पाई गई कमियों को नियंत्रित करने की क्षमता को सशक्त करने की आवश्यकता है |
| **मुकदमेबाजी और आकस्मिक देयताएँ**<br>प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सहित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन तथा बैंक पर अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।<br>बैंक मूल्यांकन, मामले के तथ्य, उनके स्वयं के निर्णय, पूर्व अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह, जहाँ भी आवश्यक माना जाता है, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।<br>हमने उपर्युक्त क्षेत्र को मुकदमों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसे कानून की व्याख्या में निर्णय की प्रयोज्यता की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय/कानून की व्याख्या के अंतर्गत संबंधित विषय के विश्लेषण पर केंद्रित की गई थी। | हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल थे:-<br>• कर मुकदमों और आकस्मिक देयताओं की वर्तमान स्थिति को जानना।<br>• विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों से प्राप्त आदेशों और/या संचार की जांच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना<br>• प्रस्तुत किए गए आधारों के संदर्भ में विचाराधीन विषय के गुणदोष और उसमें उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सलाह का मूल्यांकन; तथा<br>• जहां भी आवश्यक हो, कानूनी और कर सलाहकारों की राय का सहारा लिया जाता है। |

**महत्वपूर्ण मामले**

5. हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

ए. एनपीए खातों में वसूली के विनियोग की लेखा नीति में परिवर्तन के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 11।

बी. एकल वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 6 (के), जो कि नोवल कोरोना वायरस (कोविड19) के प्रकोप के कारण फैली अनिश्चितताओं और प्रबंधन द्वारा किए गए बैंक के व्यावसायिक कार्यों पर इसके प्रभाव के मूल्यांकन का वर्णन करता है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

| | |
|---|---|
| Other compliances to regulators etc. is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems.<br>We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators. | ▪ Reviewed the reports generated by the system on sample basis.<br>Our Result<br>However, the system needs to be strengthened for its efficacy to control persisting deficiencies of input/output data from the system. |
| **Litigation & Contingent Liabilities**<br>Assessment of Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes and various other claims filed by other parties upon the Bank not acknowledged as debts.<br>The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advices from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and the Balance Sheet.<br>We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of litigations which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved. | Our audit approach included: -<br>• Going through the current status of the tax litigations and contingent liabilities;<br>• Examining the orders and/or communication received from various Tax Authorities/ Judicial forums and follow up action thereon;<br>• Evaluating the merits of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice ; and<br>• Wherever required, reliance is placed on the opinion of legal and tax consultants. |

**Emphasis of Matter**

5. We draw attention to following:

a. Note No. 11 of the Standalone Financial Statements regarding change in accounting policy of appropriation of recovery in NPA accounts.

b. Note No. 6 (k) to the Standalone Financial Statements, which describes the uncertainties due to outbreak of novel corona virus (COVID 19) and the management's assessment of its impact on the business operations of the Bank.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

## एकल वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारियों के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल है (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जिसे हमने अनुलग्नक, यदि कोई हो, सहित इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट तथा निदेशकों की रिपोर्ट से पहले प्राप्त किया है, या जो हमें इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के जारी होने के समय प्राप्त किया था, जो उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

   वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी और बासेल III के तहत पीलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं हैं और हम इस बारे में किसी भी रूप में आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं/नहीं करेंगे।

   वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व उपरोक्त पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करना है कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

   यदि, हमने इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर कार्यनिष्पादन किया है, तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी के तथ्य गलत हैं, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

   जब हम अनुलग्नक सहित, यदि कोई है, निदेशक रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई भौतिक रूप से अशुद्ध विवरण है, तो हमें इस मामले को शासन प्रभारियों को सूचित करना होगा।

## एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा शासन प्रभारियों के उत्तरदायित्व

7. बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों सहित आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक के वित्तीय प्रदर्शन, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शातें हैं। इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए भौतिक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है।

## Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), which we obtained prior to the date of this auditor's report or which we obtained at the time of issue of this auditors' report, and Directors' Report, including annexures, if any, thereon, which is expected to be made available to us after that date.

   Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

   If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

   When we read the Directors' Report, including annexure, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

## Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन प्रचलित मुद्दों के रूप में बैंक के कारोबार जारी रखने क्षमता का आकलन करने प्रकटीकरण, यथा लागू, प्रचलित मुद्दों से संबंधित मामले और लेखांकन का प्रचलितरूप का उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो बैंक को समाप्त करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, के लिए उत्तरदायी है।

**वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व**

8 हमारा उद्देश्य इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से एकल वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने के लिए हो जिसमें हमारी सम्मति भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए (SAs) द्वारा किया गया लेखापरीक्षा सदैव मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि, व्यक्तिगत या समग्र रूप से, वे इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए (SAs) के अनुसार एक लेखापरीक्षा के खंड के रूप में, हम व्यवसायी निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षण में व्यवसायी संदेहवाद को बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- एकल वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरणों के जोखिम पहचानें और उनका आकलन करें, क्या वे धोखाधडी या त्रुटि के कारण है, इन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करें और कार्रवाई करें, तथा लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करें जो हमारे विचार को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण गलत विवरणी का पता न लगने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अभिभाविता शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन संबंधी विषय के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता के निष्कर्ष के आधार पर तथा, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के खुलासे हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की हमारी रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक एक कार्यशील संस्था रूप के रूप में जारी नहीं रह सकता है।

In preparing the Standalone Financial Statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements**

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- To obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम शासन प्रभारियों के साथ अन्य मामलों सहित, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध विस्तार तथा समयसीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो जिसमें आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया गया हो के संबंध में चर्चा करते हैं, जो लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई हों।

हम उन शासन प्रभारियों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में उनके साथ संवाद करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा उपाय जहां भी लागू हो, पर प्रभाव डालने के लिए उचित माने जा सकते हैं।

शासन प्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के संबंध में कोई सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करते या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हमने यह पाया हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले को सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक हित के लाभ पर भारी पड़ सकते हैं।

**अन्य मामले**

9. हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरण में शामिल 5881 शाखाओं तथा अन्य कार्यालयों एवं 2 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों /सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना 31 मार्च 2021 को रु.3,77,399.05 करोड़ के अग्रिम और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रु.31,358. 39 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में समझा गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों /सूचनाओं की लेखा-परीक्षा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और हमारे विचार से जहाँ तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, यह पूरी तरह शाखा के लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर आधारित है।

10. जैसा कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 के नोट नं. 1 में बताया गया है, पूर्ववर्ती ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पूर्ववती यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जिनका समामेलन 1 अप्रैल 2020 को बैंक के साथ कर दिया गया है, के परिचालन शामिल हैं तथा इसीलिए 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के आंकड़े 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के साथ तुलनीय नहीं हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**Other Matters**

9. We did not audit the financial statements / information of 5881 branches and other offices and 2 foreign branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect advances of 3,77,399.05 Crore as at 31 March 2021 and total revenue of Rs. 31,358.39 Crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

10. As stated in Note no. 1 of the Schedule 18 of the Standalone Financial Statement for the year ended 31 March 2021 includes operations of erstwhile Oriental Bank of Commerce and erstwhile United Bank of India which are amalgamated with the Bank w.e.f. 1 April 2020 and hence the figures for year ended 31 March 2021 are not comparable with corresponding year ended 31 March 2020.

Our opinion is not modified in respect of these matter.

**विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

11. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन पत्र एवं लाभ और हानि खाते तैयार किए हैं;

12. उक्त 7 से 9 परिच्छेद में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की आवश्यकतानुसार और इसके अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

    क. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

    ख. बैंक के लेन-देन, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए;और

    ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणों को हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाया गया है।

13. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

    क. हमारी राय में, बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित खाता-बहियां यथोचित रूप से रखी हैं, जैसाकि यह हमारी उन बहियों की जांच से प्रकट होता है और हमारे द्वारा विजिट नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त की गई हैं;

    ख. इस रिपोर्ट द्वारा देखे गए तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह की विवरणियाँ, लेखा बही के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाती हैं;

    ग. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा पर्याप्त ध्यान रखा गया है; और

    घ. हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करता है जब तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते।

14. आरबीआई द्वारा 19.05.2020 को जारी उत्तरवर्ती पत्र के साथ पठित "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से सांविधिक लेखा-परीक्षकों के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों" पर जारी पत्र संख्या डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019- 20 दिनांक 17 मार्च, 2020, के द्वारा आवश्यकतानुसार, हम उपरोक्त पत्र के परिच्छेद 2 में निर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार आगे रिपोर्ट करते हैं:

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

11. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

12. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 7 to 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

13. We further report that:

    a. in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

    b. the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

    c. the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

    d. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

14. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001 /2019- 20 dated 17 March 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated 19 May 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

क. हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं, जिस सीमा तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते।

ख. वित्तीय लेनदेनों या मामलों पर ऐसा कोई विचार या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

ग. चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।

घ. खातों के रखरखाव और बैंक के उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई शर्त, रोक या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई हैद्य

ड. वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध क में दी गई है। हमारी रिपोर्ट, 31 मार्च 2021 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

a. In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b. There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.

c. As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualification from being a director of the bank under sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Bank.

d. There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e. Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at 31 March 2021.

| | | |
|---|---|---|
| कृते एस.एन. धवन एंड कं एलएलपी<br>सनदी लेखाकार<br>एफआरएन 000050एन/ एन500045 | कृते एमके अग्रवाल एंड कं.<br>सनदी लेखाकार<br>एफआरएन 001411एन | कृते ए जॉन मोरिस एंड कं.<br>सनदी लेखाकार<br>एफआरएन 007220एस |
| सनदी लेखाकार सुरिंदर कु. खट्टर<br>भागीदार<br>(सदस्य सं.084993)<br>यूडीआईएन: 21084993 एएएएसीएन4479<br>स्थान: नई दिल्ली | सनदी लेखाकार अतुल अग्रवाल<br>भागीदार<br>(सदस्य सं.099374)<br>यूडीआईएन: 21099374 एएएएईए2496<br>स्थान: नई दिल्ली | सनदी लेखाकार जी कुमार<br>भागीदार<br>(सदस्य सं.023082)<br>यूडीआईएन: 21023082 एएएएपीजी3661<br>स्थान: चेन्नई |
| कृते एस आर गोयल एंड कं.<br>सनदी लेखाकार<br>एफआरएन:001537सी | कृते पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स<br>सनदी लेखाकार<br>एफआरएन: 008567सी | |
| सनदी लेखाकार अजय अटोलिया<br>भागीदार<br>(सदस्य सं. 077201)<br>यूडीआईएन: 21077201 एएएएडब्लू5092<br>स्थान: नई दिल्ली | सनदी लेखाकार संदीप जैन<br>भागीदार<br>(सदस्य सं. 077281)<br>यूडीआईएन: 21077281 एएएएआईएन3533<br>स्थान: नई दिल्ली | |

**दिनांक: जून 04, 2021**

| | | |
|---|---|---|
| For S.N. Dhawan & Co LLP<br>Chartered Accountants<br>FRN 000050N/ N500045 | For M K Aggarwal & Co.<br>Chartered Accountants<br>FRN 001411N | For A John Moris & Co.<br>Chartered Accountants<br>FRN 007220S |
| CA Surinder Kr. Khattar<br>Partner<br>(M.NO.084993)<br>UDIN : 21084993 AAAACN4479<br>Place: New Delhi | CA Atul Aggarwal<br>Partner<br>(M.NO. 099374)<br>UDIN: 21099374 AAAAEA2496<br>Place: New Delhi | CA G Kumar<br>Partner<br>(M.NO.023082)<br>UDIN: 21023082 AAAAPG3661<br>Place: Chennai |
| For S R Goyal & Co.<br>Chartered Accountants<br>FRN:001537C | For PSMG & Associates<br>Chartered Accountants<br>FRN: 008567C | |
| CA Ajay Atolia<br>Partner<br>(M.NO. 077201)<br>UDIN: 21077201 AAAAAW5092<br>Place: New Delhi | CA Sandeep Jain<br>Partner<br>(M.NO. 077281)<br>UDIN: 21077281 AAAAIN3533<br>Place: New Delhi | |

**Date: June 04, 2021**

# अनुलग्नक "ए"

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट हेतु

**हमारी उस तिथि की रिपोर्ट के अनुभाग 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 14 में संदर्भित)**

**भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") पत्र डीओएस.एआरजी संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई संप्रेषण") द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।**

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ 31 मार्च, 2021 तक की पंजाब नैशनल बैंक ("बैंक") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को लेखापरीक्षित किया है, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सम्मिलित है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व है। इन उत्तरदायित्व में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रचना, क्रियान्वयन और रखरखाव, जो बैंक की नीतियों के पालन सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे और अपनी परिसंपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत यथोपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी निहित है।

### लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक मत व्यक्त करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षक (एसए) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना

# ANNEXURE "A"

## TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**(Referred to in paragraph 14 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)**

**Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated 17 March, 2020 (as amended) (the "RBI communication")**

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Punjab National Bank ("the Bank") as of 31 March, 2021 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches

### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

### Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk.

शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक चूक के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा मत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यकतानुसार दर्ज किया गया है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन वर्ग और निदेशकों के प्राधिकारणानुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) बैंक की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव हो सकता है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें गठबंधन की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अभिभाव शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के हो सकते हैं और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अध्यधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट से विवरण में भौतिक चूक हो सकती है।

### अभिमत

हमारे मतानुसार राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर चर्चा के आधार पर, बैंक के पास सभी पहचाने गए जोखिमों को कैप्चर करने के साथ साथ जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स (आरसीएम) में सुधार के कुछ क्षेत्रों और ट्रेजरी, नियंत्रण विवरण, प्रवासन और समाधान सहित सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के नियंत्रण और साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग पर इन नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता को छोड़कर सभी मामलों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए

The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

### Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

### Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

### Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls except certain area of Improvements in Risk Control Matrix (RCM) including capturing of all identified risks and controls of all business processes including treasury process, control descriptions and also operational effectiveness of these controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2021, based on the criteria for internal financial control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated

आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर 31 मार्च 2021 से प्रभावी ढंग से परिचालित है।

**अन्य मामलें**

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहां यह 4781 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, जो उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले में हमारे मत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

| | | |
|---|---|---|
| कृते एस.एन. धवन एंड कं एलएलपी<br>सनदी लेखाकार<br>एफआरएन 000050एन/ एन500045 | कृते एमके अग्रवाल एंड कं.<br>सनदी लेखाकार<br>एफआरएन 001411एन | कृते ए जॉन मोरिस एंड कं.<br>सनदी लेखाकार<br>एफआरएन 007220एस |
| सनदी लेखाकार सुरिंदर कु. खट्टर<br>भागीदार<br>(सदस्य सं.084993)<br>यूडीआईएन: 21084993 एएएएसीएन4479<br>स्थान: नई दिल्ली | सनदी लेखाकार अतुल अग्रवाल<br>भागीदार<br>(सदस्य सं.099374)<br>यूडीआईएन: 21099374 एएएएईए2496<br>स्थान: नई दिल्ली | सनदी लेखाकार जी कुमार<br>भागीदार<br>(सदस्य सं.023082)<br>यूडीआईएन: 21023082 एएएएपीजी3661<br>स्थान: चेन्नई |
| कृते एस आर गोयल एंड कं.<br>सनदी लेखाकार<br>एफआरएन:001537सी | कृते पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स<br>सनदी लेखाकार<br>एफआरएन: 008567सी | |
| सनदी लेखाकार अजय अटोलिया<br>भागीदार<br>(सदस्य सं. 077201)<br>यूडीआईएन: 21077201 एएएएएडब्लू5092<br>स्थान: नई दिल्ली | सनदी लेखाकार संदीप जैन<br>भागीदार<br>(सदस्य सं. 077281)<br>यूडीआईएन: 21077281 एएएएआईएन3533<br>स्थान: नई दिल्ली | |

**दिनांक: जून 04, 2021**

in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**Other Matters**

Our aforesaid report insofar as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 4781 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in the respect of this matter.

| | | |
|---|---|---|
| For S.N. Dhawan & Co LLP<br>Chartered Accountants<br>FRN 000050N/ N500045 | For M K Aggarwal & Co.<br>Chartered Accountants<br>FRN 001411N | For A John Moris & Co.<br>Chartered Accountants<br>FRN 007220S |
| CA Surinder Kr. Khattar<br>Partner<br>(M.NO.084993)<br>UDIN : 21084993 AAAACN4479<br>Place: New Delhi | CA Atul Aggarwal<br>Partner<br>(M.NO. 099374)<br>UDIN: 21099374 AAAAEA2496<br>Place: New Delhi | CA G Kumar<br>Partner<br>(M.NO.023082)<br>UDIN: 21023082 AAAAPG3661<br>Place: Chennai |
| For S R Goyal & Co.<br>Chartered Accountants<br>FRN:001537C | For PSMG & Associates<br>Chartered Accountants<br>FRN: 008567C | |
| CA Ajay Atolia<br>Partner<br>(M.NO. 077201)<br>UDIN: 21077201 AAAAAW5092<br>Place: New Delhi | CA Sandeep Jain<br>Partner<br>(M.NO. 077281)<br>UDIN: 21077281 AAAAIN3533<br>Place: New Delhi | |

**Date: June 04, 2021**

# समेकित वित्तीय विवरण

# Consolidated Financial Statement

#JustOneApp

# पंजाब नैशनल बैंक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का समेकित तुलन पत्र
# PUNJAB NATIONAL BANK - CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH '2021

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| विवरण<br>PARTICULARS | अनुसूची<br>Schedule | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| **पूंजी एवं देयताएं<br>CAPITAL & LIABILITIES** | | | |
| पूंजी<br>Capital | 1 | 20955364 | 13475132 |
| आरक्षित निधियाँ और अधिशेष<br>Reserves & Surplus | 2 | 904387960 | 625288604 |
| अल्पांश हित<br>Minority Interest | 2 A | 4867891 | 3606862 |
| जमाराशियाँ<br>Deposits | 3 | 11137168634 | 7102543673 |
| उधार<br>Borrowings | 4 | 522981398 | 625124091 |
| अन्य देयताएं और प्रावधान<br>Other Liabilities and Provisions | 5 | 206889382 | 144534066 |
| **जोड़ TOTAL** | | **12797250630** | **8514572428** |
| **आस्तियां<br>ASSETS** | | | |
| नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष<br>Cash and Balances with Reserve Bank of India | 6 | 442672702 | 386037885 |
| बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि<br>Balances with Banks & Money at call & short notice | 7 | 690671589 | 391519590 |
| निवेश<br>Investments | 8 | 4043689598 | 2537824716 |
| ऋण एवं अग्रिम<br>Loans & Advances | 9 | 6793457722 | 4768533386 |
| अचल आस्तियां<br>Fixed Assets | 10 | 110487064 | 72619818 |
| अन्य आस्तियां<br>Other Assets | 11 | 716271955 | 358037033 |
| **जोड़ TOTAL** | | **12797250630** | **8514572428** |
| आकस्मिक देयताएं<br>Contingent Liabilities | 12 | 3853879479 | 2132993342 |
| वसूली के लिए बिल<br>Bills for Collection | | 404937556 | 280526000 |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एंव लेखों पर टिप्पणियां<br>Significant Accounting Policy & Notes on Accounts | 18 | | |

1 से 18 तक की अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग है।
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

| पी के वार्ष्णेय<br>P K VARSHNEY<br>सहायक महाप्रबंधक<br>ASSISTANT GENERAL MANAGER | आर के खीची<br>R K KHICHI<br>उप महाप्रबंधक<br>DEPUTY GENERAL MANAGER | प्रवीण कुमार शर्मा<br>PRAVEEN KUMAR SHARMA<br>महाप्रबंधक<br>GENERAL MANAGER |
|---|---|---|

डी के जैन
D K JAIN
मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ
CHIEF GENERAL MANAGER & CFO

स्वरूप कुमार साहा
SWARUP KUMAR SAHA
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

विजय दुबे
VIJAY DUBE
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

संजय कुमार
SANJAY KUMAR
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव
CH. S.S. MALLIKARJUNA RAO
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
MANAGING DIRECTOR & CEO

पंकज जैन
PANKAJ JAIN
निदेशक
DIRECTOR

विवेक अग्रवाल
VIVEK AGGARWAL
निदेशक
DIRECTOR

डॉ. आशा भंडारकर
Dr. ASHA BHANDARKER
निदेशक
DIRECTOR

गौतम गुहा
GAUTAM GUHA
निदेशक
DIRECTOR

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
**As per our report of even date**

कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
For S N Dhawan & Co. LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 000050एन/एन500045
FRN: 000050N/N500045

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
CA Surinder Kr. Khattar
भागीदार
Partner
( सदस्य सं. 084993 )
(M.No. 084993)
स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi

कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी
For M K Aggarwal & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 001411एन
FRN: 001411N

सनदी लेखाकार अतुल अग्रवाल
CA Atul Aggarwal
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 099374 )
(M.No. 099374)
स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi

कृते ए जॉन मोरिस एंड कम्पनी
For A John Moris & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 007220एस
FRN:007220S

सनदी लेखाकार जी कुमार
CA G Kumar
भागीदार
Partner
( सदस्य सं. 023082 )
(M.No. 023082)
स्थान : चेन्नई
Place: Chennai

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
For S R Goyal & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 001537सी
FRN: 001537C

सनदी लेखाकार अजय अटोलिया
CA Ajay Atolia
भागीदार
Partner
( सदस्य सं. 077201 )
(M.No. 077201)
स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi

कृते पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स
For PSMG & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 008567सी
FRN: 008567C

सनदी लेखाकार संदीप जैन
CA Sandeep Jain
भागीदार
Partner
( सदस्य सं. 077281 )
(M.No. 077281)
स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi

दिनांक : 04/06/2021
Date : 04/06/2021
स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi

# पंजाब नैशनल बैंक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा
# PUNJAB NATIONAL BANK - CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT OF FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH '2021

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| विवरण<br>PARTICULARS | अनुसूची<br>Schedule | 31.03.2021 को समाप्त अवधि<br>Period Ended As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को समाप्त अवधि<br>Period Ended As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| **I. आय<br>INCOME** | | | |
| अर्जित आय<br>Interest earned | 13 | 818663969 | 549184752 |
| अन्य आय<br>Other Income | 14 | 131244494 | 93876516 |
| **जोड़ TOTAL** | | **949908464** | **643061268** |
| **II. व्यय<br>EXPENDITURE** | | | |
| खर्च किया गया ब्याज<br>Interest expended | 15 | 508045768 | 369974733 |
| परिचालन खर्च<br>Operating expenses | 16 | 205157711 | 121504951 |
| प्रावधान और आकस्मिकताएँ<br>Provisions and Contingencies | | 215180723 | 147948253 |
| **जोड़ TOTAL** | | **928384201** | **639427936** |
| अल्पांश हित से पूर्व मूल व सहायक संस्थाओं का वर्ष के लिए समेकित लाभ<br>Consolidated Net Profit for the year of the parent & subsidiaries before Minority Interest | | 21524262 | 3633333 |
| घटाएं : अल्पांश हित<br>Less : Minority Interest | | 1326173 | 464850 |
| अल्पांश हित घटाने के पश्चात मूल व सहायक संस्थाओं का वर्ष के लिए समेकित लाभ<br>Consolidated Net Profit for the year of the parent & subsidiaries after Minority Interest | | 20198089 | 3168483 |
| सहायक संस्थाओं में अर्जन का अंश (शुद्ध)<br>Share of earnings in Associates (net) | 17 | 5421613 | 1216005 |
| वर्ष के लिए समूह का समूहजन्य समेकित शुद्ध लाभ<br>Consolidated Net Profit for the year attributable to the group to the group | | **25619702** | **4384488** |
| जोड़ें : समूह का स्रोतजन्य आगे लाया गया समेकित लाभ<br>Add : Brought forward consolidated profit attributable to the group | | 17020113 | -84889110 |
| घटाएं: प्रारंभिक समायोजन<br>Less: Opening Adjustment | | -2111658 | 0 |
| **विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ<br>Profit available for Appropriation** | | **40528157** | **-80504622** |

## पंजाब नैशनल बैंक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा
## PUNJAB NATIONAL BANK - CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT OF FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH '2021

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है)(₹ 000 omitted)

| विवरण<br>PARTICULARS | अनुसूची<br>Schedule | 31.03.2021 को समाप्त अवधि<br>Period Ended As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को समाप्त अवधि<br>Period Ended As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| **विनियोजन<br>APPROPRIATIONS** | | | |
| आरक्षित निधियों को अंतरण (निवल)<br>Transfer to Reserves (Net) : | | | |
| सांविधिक आरक्षित निधि<br>Statutory Reserve | | 6172953 | 1397352 |
| पूँजी आरक्षित निधि - अन्य<br>Capital Reserve - Others | | 10361243 | 2036260 |
| विनिमय घट - बढ़ आरक्षित निधि<br>Investment Fluctuation Reserve | | 4800897 | 485199 |
| राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधि<br>Revenue & Other Reserve | | 0 | -1053382 |
| आयकर के अनुसार विशेष आरक्षित निधि<br>Special Reserve as per Income Tax | | 6874 | 0 |
| प्रस्तावित लाभांश<br>Proposed Dividend | | 1805101 | 320694 |
| समेकित तुलन-पत्र में ले जाया गया जमा शेष<br>Balance carried over to consolidated Balance Sheet | | 17381089 | -83690745 |
| | | **40528157** | **-80504622** |
| **प्रति शेयर अर्जन (रु. में) (मूल/ डाइल्युटिड)<br>Earnings per Share (In Rs.) (Basic/ Diluted)** | | **2.64** | **0.80** |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा लेखा टिप्पणियाँ<br>Significant Accounting Policy & Notes on Accounts | **18** | | |

**पी के वार्ष्णेय**
**P K VARSHNEY**
**सहायक महाप्रबंधक**
**ASSISTANT GENERAL MANAGER**

**आर के खीची**
**R K KHICHI**
**उप महाप्रबंधक**
**DEPUTY GENERAL MANAGER**

**प्रवीण कुमार शर्मा**
**PRAVEEN KUMAR SHARMA**
**महाप्रबंधक**
**GENERAL MANAGER**

**डी के जैन**
**D K JAIN**
**मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ**
**CHIEF GENERAL MANAGER & CFO**

**स्वरूप कुमार साहा**
**SWARUP KUMAR SAHA**
**कार्यपालक निदेशक**
**EXECUTIVE DIRECTOR**

**विजय दुबे**
**VIJAY DUBE**
**कार्यपालक निदेशक**
**EXECUTIVE DIRECTOR**

**संजय कुमार**
**SANJAY KUMAR**
**कार्यपालक निदेशक**
**EXECUTIVE DIRECTOR**

सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव
**CH. S.S. MALLIKARJUNA RAO**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
**MANAGING DIRECTOR & CEO**

पंकज जैन
**PANKAJ JAIN**
निदेशक
**DIRECTOR**

विवेक अग्रवाल
**VIVEK AGGARWAL**
निदेशक
**DIRECTOR**

डॉ. आशा भंडारकर
**Dr. ASHA BHANDARKER**
निदेशक
**DIRECTOR**

गौतम गुहा
**GAUTAM GUHA**
निदेशक
**DIRECTOR**

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
**As per our report of even date**

कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
**For S N Dhawan & Co. LLP**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन 000050एन/एन500045
**FRN: 000050N/N500045**

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
**CA Surinder Kr. Khattar**
भागीदार
**Partner**
( सदस्य सं. 084993 )
**(M.No. 084993)**
स्थान : नई दिल्ली
**Place: New Delhi**

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
**For S R Goyal & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन 001537सी
**FRN: 001537C**

सनदी लेखाकार अजय अटोलिया
**CA Ajay Atolia**
भागीदार
**Partner**
( सदस्य सं. 077201 )
**(M.No. 077201)**
स्थान : नई दिल्ली
**Place: New Delhi**

कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी
**For M K Aggarwal & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन 001411एन
**FRN: 001411N**

सनदी लेखाकार अतुल अग्रवाल
**CA Atul Aggarwal**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं. 099374 )
**(M.No. 099374)**
स्थान : नई दिल्ली
**Place: New Delhi**

कृते पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स
**For PSMG & Associates**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन 008567सी
**FRN: 008567C**

सनदी लेखाकार संदीप जैन
**CA Sandeep Jain**
भागीदार
**Partner**
( सदस्य सं. 077281 )
**(M.No. 077281)**
स्थान : नई दिल्ली
**Place: New Delhi**

कृते ए जॉन मोरिस एंड कम्पनी
**For A John Moris & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन 007220एस
**FRN:007220S**

सनदी लेखाकार जी कुमार
**CA G Kumar**
भागीदार
**Partner**
( सदस्य सं. 023082 )
**(M.No. 023082)**
स्थान : चेन्नई
**Place: Chennai**

दिनांक : 04/06/2021
**Date : 04/06/2021**
स्थान : नई दिल्ली
**Place : New Delhi**

# समेकित खातों की अनुसूची ( पंजाब नैशनल बैंक )
# SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED ACCOUNTS (PUNJAB NATIONAL BANK)

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची-1 पूँजी**<br>**SCHEDULE 1 - CAPITAL** | | | | |
| **प्राधिकृत पूँजी**<br>**Authorised Capital**<br>प्रत्येक ₹ 2 के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर<br>(1500,00,00,000 Equity shares of Rs. 2 each) | 30000000 | | | 30000000 |
| **जारी तथा अभिदत्त**<br>**Issued & Subscribed**<br>प्रत्येक ₹ 2/- के 1047,76,82,225 इक्विटी शेयर<br>(पिछले वर्ष 673,75,65,988)<br>1047,76,82,225 (Previous year 673,75,65,988) Equity Shares of Rs. 2 each Equity Shares of ₹ 2 each} | 20955364 | | | 13475132 |
| **प्रदत्त**<br>**Paid up**<br>प्रत्येक रु. 2/- के 1047,76,82,225 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 673,75,65,988)<br>1047,76,82,225 (Previous year 673,75,65,988)<br>Equity Shares of Rs. 2 each<br>(इनमें रु. 2/- प्रत्येक के केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित 805,41,25,685 इक्विटी शेयर शामिल है।)<br>(includes equity shares of 805,41,25,685 of Rs. 2 each held by Central Government) | 20955364 | | | 13475132 |
| **जोड़ TOTAL** | **20955364** | | | **13475132** |
| **अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ और अधिशेष**<br>**SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS** | | | | |
| **I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ**<br>**Statutory Reserve** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | 97414617 | | 97781171 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the year | 44210267 | | 1397353 | |
| जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान समायोजन<br>Add/(Less) : Adjustment during the year | 4647271 | **146272155** | -1763906 | **97414617** |
| **II. पूंजीगत आरक्षित निधियाँ**<br>**Capital Reserve** | | | | |
| **क. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियाँ**<br>**a. Revaluation Reserve** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | 47586916 | | 35822289 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the year | 23840556 | | 12732750 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन<br>Less: Deduction during the year | 3430 | | 230684 | |
| घटाएं: अन्य आरक्षित निधियों में अंतरित<br>Less : Transfer to Other Reserves | -580077 | | 737439 | |
| (संपत्ति के पुर्नमूल्यन भाग पर मूल्यह्रास के कारण)<br>(being Depreciation on revalued portion of Property) | | **72004119** | | **47586916** |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| **ख. अन्य**<br>**b. Others** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | 32138572 | | 30102313 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the year | 126638970 | **158777542** | 2036259 | **32138572** |
| (रुपए 9268.29 करोड़ की समामेलन आरक्षित सहित)<br>(including Amalgamation Reserve of Rs. 9268.29 Crores) | | | | |
| **II.क. समेकन पर आरक्षित पूंजी (कुल)**<br>**II.A. Capital Reserve on consolidation (Net)** | | **742114** | | **665331** |
| **III. राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियाँ**<br>**Revenue and Other Reserve** | | | | |
| **क. निवेश आरक्षित निधि**<br>**a. Investment Reserve** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | 4171834 | | 4171834 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the year | 0 | | 0 | |
| घटाएं: समायोजन<br>Less: Adjustment | -466641 | | 0 | |
| घटाएं: लाभ व हानि खाते को अंतरित<br>Less: Trf to P & L Account | 0 | **3705193** | 0 | **4171834** |
| **ख. निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि**<br>**b. Investment Fluctuation Reserve** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | 485199 | | 0 | |
| जोडें: समायोजन<br>Add : Adjustment | 568613 | | 0 | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Add :Addition during the year | 4800897 | | 0 | |
| जोड़ें: लाभ-हानि विनियोजन खाते से अंतरित<br>Add: Transfer from P&L Appropriation A/c | 0 | **5854709** | 485199 | **485199** |
| **ग. अन्य निधि**<br>**c. Other Reserve** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष*<br>Opening Balance* | -10037750 | | -8816695 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the year | 35194137 | | 5883074 | |
| जोड़ें: पुनर्मूल्यन निधि से अंतरित<br>Add: Transfer from Revaluation Reserve | 1275744 | | 737439 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी<br>Less: Withdrawal during the year | 10131000 | | 7662751 | |
| घटाएं: अस्थायी दायित्व (एएस-15)<br>Less: Transistory Liability (AS-15) | 0 | | 0 | |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| घटाएं: इंटरब्लॉक खातों के लिए भुगतान<br>Less: Payment for Interblocked accounts | 0 | | 0 | |
| घटाएं: पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन<br>Less: Adjustment relating to prior years | 0 | | 0 | |
| जोडें/(घटाएं): वर्ष के दौरान समायोजन<br>Add/(Less) : Adjustment during the year | -2028626 | **14272504** | -178818 | **-10037750** |
| **घ. विनिमय घटबढ़ आरक्षित निधि**<br>**d. Exchange Fluctuation Reserve** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | 9768860 | | 6655748 | |
| जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि (शुद्ध)<br>Add: Addition during the year (Net) | 6874 | | 2355871 | |
| जोडें/(घटाएं): वर्ष के दौरान समायोजन(शुद्ध)<br>Add/(Less) : Adjustment during the year | -605202 | **9170533** | 757241 | **9768860** |
| **IV. शेयर प्रीमियम**<br>**Share Premium** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | 512149170 | | 355506208 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the year | 218451415 | | 156642962 | |
| जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान समायोजन<br>Add/(Less) : Adjustment during the year | -287079182 | **443521403** | 0 | **512149170** |
| **V. विशेष आरक्षित निधि**<br>**Special Reserve** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | 14636600 | | 14636600 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the year | 18050000 | | 0 | |
| अन्य आरक्षित निधियों से अंतरित<br>Transfer from other reserve | 0 | | 0 | |
| जोड़े/घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन<br>Add/(Less) : Adjustment during the year | 0 | **32686600** | 0 | **14636600** |
| **VI. लाभ-हानि खाते में शेष**<br>**Balance in Profit & Loss Account** | | **17381089** | | **-83690745** |
| **I,II,,III,IV,V,VI का जोड़**<br>**Total I, II, III, IV, V, VI** | | **904387960** | | **625288603.97** |

## अनुसूची 2अ - अल्पांश हित
## SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST

| | | |
|---|---|---|
| उस तारीख को अल्पांश हित जब मूल तथा सहायक संस्था का सम्बन्ध अस्तित्व में आया<br>Minority Interest at the date on which the parent subsidiary relationship came into existence | **1492521** | **1492521** |
| परवर्ती वृद्धि<br>Subsequent increase | **3375370** | **2114341** |
| **तुलन पत्र की तारीख को अल्पांश हित**<br>**Minority Interest at the date of balance sheet** | **4867891** | **3606862** |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 3 – जमाराशियाँ<br>SCHEDULE 3 - DEPOSITS** | | | | |
| **क. I माँग जमा राशियाँ<br>DEMAND DEPOSITS** | | | | |
| (i) बैंकों से<br>From Banks | 22842872 | | 17922405 | |
| (ii) अन्य से<br>From Others | 742151705 | **764994577** | 447642181 | **465564586** |
| **II बचत बैंक जमा राशियाँ<br>SAVINGS BANK DEPOSITS** | | **4184935663** | | **2578935307** |
| **III मीयादी जमा राशियाँ<br>TERM DEPOSITS** | | | | |
| (i) बैंकों से<br>From Banks | 292690816 | | 291016254 | |
| (ii) अन्य से<br>From Others | 5894547578 | **6187238394** | 3767027525 | **4058043779** |
| **I, II व III का जोड़<br>TOTAL of I, II, III** | | **11137168634** | | **7102543673** |
| **ख.** (i) भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियाँ<br>Deposits of branches In India | | 10832750973 | | 6822317525 |
| (ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमा राशियाँ<br>Deposits of branches outside India | | 304417662 | | 280226147 |
| **I, II का जोड़<br>TOTAL of i, ii** | | **11137168634** | | **7102543673** |

**अनुसूची 4 – उधार**
**SCHEDULE 4 - BORROWINGS**

| | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|
| **I. भारत में उधार<br>Borrowings in India** | | |
| (i) भारतीय रिजर्व बैंक<br>Reserve Bank of India | 0 | 205427200 |
| (ii) अन्य बैंकों<br>Other Banks | 59022003 | 87084173 |
| (iii) अन्य संस्थाओं और एजेंसियों<br>Other Institutions and Agencies | 150401376 | 107047209 |
| (iv) बॉण्ड (टीयर-I, टीयर-II, गौण ऋण सहित)<br>Bonds (including Tier-I, Tier-II, Subordinated Debts) | 222836625 | 123784975 |
| (v) दीर्घावधि इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड<br>Long Term Infrastructure Bonds | 28000000 | 28000000 |
| **II. भारत से बाहर उधार<br>Borrowings Outside India** | 62721394 | 73780534 |
| **I, II का जोड़<br>TOTAL of I, II** | **522981398** | **625124091** |
| **उपर्युक्त I एवं II में शामिल प्रतिभूत उधार**<br>Secured Borrowings included in I & II above | 48679368 | 205427200 |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान<br>SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS** | | | | | |
| I. | देय बिल<br>Bills payable | | 32201876 | | 18240440 |
| II. | अंत: कार्यालय समायोजन (शुद्ध)<br>Inter-office adjustments (net) | | 4360620 | | 32895 |
| III. | उपचित ब्याज<br>Interest accrued | | 27338959 | | 16538080 |
| IV. | अन्य (प्रावधानों सहित)<br>Others (including Provisions) | | 142987927 | | 109722651 |
| | **I, II, III, IV का जोड़<br>TOTAL OF I, II, III, IV** | | **206889382** | | **144534066** |
| **अनुसूची 6 – नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष<br>SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA** | | | | | |
| I. | हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा करेंसी नोटों सहित)<br>Cash in hand ( including Foreign Currency Notes) | | 34978582 | | 27621822 |
| II. | भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष<br>Balance with Reserve Bank of India | | | | |
| | (i) चालू खाते में<br>in Current account | 407694120 | | 358416063 | |
| | (ii) अन्य खातों में<br>in Other Accounts | 0 | 407694120 | 0 | 358416063 |
| | **I, II का जोड़<br>TOTAL Of I, II** | | **442672702** | | **386037885** |
| **अनुसूची 7 – बैंकों के पास जमाशेष तथा माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन<br>SCHEDULE 7- BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE** | | | | | |
| **I.** | **भारत में<br>In India** | | | | |
| | (i) बैंकों के पास जमा शेष<br>Balance with Banks: | | | | |
| | (क) चालू खातों में<br>(a) In Current accounts | 7963155 | | 1425691 | |
| | (ख) अन्य जमा खातों में<br>(b) In Other Deposit accounts | 70907649 | **78870804** | 81185578 | **82611269** |
| | (ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन<br>Money at Call and Short Notice: | | | | |
| | (क) बैंको के पास<br>(a) with Banks | 0 | | 5004052 | |
| | (ख) अन्य संस्थाओं के पास<br>(b) with Other Institutions | 275000000 | **275000000** | 200000000 | **205004052** |
| | **जोड़ ( i एवं ii )<br>TOTAL ( i & ii )** | | **353870804** | | **287615321** |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| **II. भारत से बाहर<br>Outside India** | | | | |
| (i) चालू खातों में<br>In Current accounts | 88148212 | | 27066434 | |
| (ii) अन्य जमा खातों में<br>In Other Deposit accounts | 248652574 | | 75901934 | |
| (iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन<br>Money at Call & Short Notice | 0 | | 935900 | |
| **जोड़ TOTAL** | | **336800786** | | **103904268** |
| **समग्र जोड़ ( I और II )<br>GRAND TOTAL ( I & II )** | | **690671589** | | **391519590** |

## अनुसूची 8 - निवेश
## SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

| | | |
|---|---|---|
| **I. भारत में निवेश<br>Investments in India in** | | |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियां<br>Government Securities | 3530567964 | 2149135466 |
| (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां<br>Other approved securities | 1500 | 842231 |
| (iii) शेयर<br>Shares | 41097438 | 28985412 |
| (iv) ऋण पत्र और बॉण्ड<br>Debentures and Bonds | 365056218 | 227633231 |
| (v) सहायक संस्थाओं में निवेश (इक्विटी पद्धति पर)<br>Investment in Associates (on equity method) | 29907690 | 17431924 |
| (vi) अन्य<br>Others<br>(यूटीआई और उसके यूनिट-64 में प्रारम्भिक पूँजी)<br>(Initial Capital in UTI and its units- 64)<br>(विभिन्न म्यूचुअल फंड व वाणिज्यिक पत्र आदि में)<br>(Various Mutual Funds & Commercial Paper etc.) | 40675898 | 53115173 |
| **I का जोड़<br>TOTAL of I** | **4007306708** | **2477143437** |
| **II. भारत से बाहर निवेश<br>Investments outside India** | | |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियां<br>Government Securities | 13665008 | 24403924 |
| (ii) एसोसिएट्स में निवेश (इक्विटी पद्धति पर)<br>Investment in Associates (on equity method) | 2855326 | 6036601 |
| (iii) अन्य निवेश<br>Other investments | 19862555 | 30240753 |
| **II का जोड़<br>TOTAL of II** | **36382889** | **60681278** |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| **III.** | **भारत में निवेश<br>Investments in India** | | |
| | (i) निवेशों का सकल मूल्य<br>Gross value of Investments | 4075805693 | 2510060175 |
| | (ii) घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का जोड़<br>Less: Aggregate of Provisions for Depreciation | 68498985 | 32916738 |
| | (iii) शुद्ध निवेश<br>Net Investment | **4007306708** | **2477143437** |
| **IV.** | **भारत से बाहर निवेश<br>Investments outside India** | | |
| | (i) निवेशों का सकल मूल्य<br>Gross value of Investments | 40168516 | 60964233 |
| | (ii) घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का जोड़<br>Less: Aggregate of Provisions for Depreciation | 3785627 | 282955 |
| | (iii) शुद्ध निवेश<br>Net Investments | **36382889** | **60681278** |
| | **(I), (II) का कुल जोड़<br>GRAND TOTAL of (I), (II)** | **4043689598** | **2537824716** |

## अनुसूची 9 – अग्रिम
## SCHEDULE 9 - ADVANCES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **क.<br>A.** | i) खरीदे और भुनाये गये बिल<br>Bills Purchased and discounted | 7081138 | 5496316 |
| | ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और माँग पर देय ऋण<br>Cash Credits, overdrafts and loans repayable on demand | 4106563892 | 3124482068 |
| | iii) मीयादी ऋण<br>Term Loans | 2679812692 | 1638555002 |
| | **जोड़<br>Total** | **6793457722** | **4768533386** |
| **ख.<br>B.** | i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इनमें बही ऋणों पर दिए गये अग्रिम शामिल हैं)<br>Secured by Tangible Assets (including advances against book debts) | 5291554439 | 3683540021 |
| | ii) बैंक/सरकार की गारंटियों द्वारा प्रतिभूत<br>Covered by Bank/Govt.Guarantees | 158869762 | 36775770 |
| | iii) अप्रतिभूत<br>Unsecured | 1343033520 | 1048217595 |
| | **जोड़<br>Total** | **6793457721** | **4768533385** |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|
| **ग. (I) भारत में अग्रिम**<br>**C. (I) Advances in India** | | |
| i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र<br>Priority Sector | 2434427997 | 1539924301 |
| ii) सार्वजनिक क्षेत्र<br>Public Sector | 1459717623 | 899300129 |
| iii) बैंक<br>Banks | 2223673 | 2247609 |
| iv) अन्य<br>Others | 2654538219 | 2088809468 |
| **जोड़**<br>**Total** | **6550907512** | **4530281508** |
| **ग. (II) भारत से बाहर अग्रिम**<br>**C. (II) Advances outside India** | | |
| i) बैंकों से प्राप्य<br>Due from banks | 85729694 | 65730533 |
| ii) अन्य प्राप्य<br>Due from others | | |
| खरीदे और भुनाए गये बिल<br>(a) Bills purchased & discounted | 201205 | 13116 |
| (ख) मीयादी ऋण<br>(b) Term Loans | 86831018 | 55772125 |
| (ग) अन्य<br>(c) Others | 69788293 | 116736103 |
| **जोड़**<br>**Total** | **242550210** | **238251877** |
| **ग ( I ) व ग ( II ) का कुल जोड़**<br>**GRAND TOTAL of C (I) & C (II)** | **6793457722** | **4768533385** |

## अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ
## SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **I. परिसर ( भूमि सहित )**<br>**Premises (including Land)** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | 68023738 | | 55397750 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Add: Addition during the year | 37550100 | | 0 | |
| जोड़े: पूनर्मूल्यन<br>Add: Revaluation | 1336662 | | 12732750 | |
| | 106910500 | | 68130500 | |
| घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ<br>Less :Deductions during the year | 223891 | | 106762 | |
| | 106686609 | | 68023738 | |
| घटाएं : अब तक मूल्यह्रास<br>Less :Depreciation to date | 16271001 | **90415608** | 7747461 | **60276277** |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| **II. अन्य अचल आस्तियाँ** (फर्नीचर और फिक्सर सहित)<br>**Other Fixed Assets** (including furniture & fixtures) | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | 49335261 | | 48214613 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Add: Addition during the year | 62385605 | | 4072613 | |
| | 111720866 | | 52287226 | |
| घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ<br>Less :Deductions during the year | 10039 | | 2958765 | |
| | 111710828 | | 49328461 | |
| घटाएं : अब तक मूल्यह्रास<br>Less :Depreciation to date | 94890632 | **16820196** | 38348372 | **10980090** |
| **III. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर**<br>**Computer Software** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | 6409684 | | 5886371 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Add: Addition during the year | 6420517 | | 530113 | |
| | 12830201 | | 6416484 | |
| घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ<br>Less :Deductions during the year | 0 | | 0 | |
| | 12830201 | | 6416484 | |
| घटाएं : अब तक परिशोधित<br>Less: Amortised to date | 9579607 | **3250594** | 5053798 | **1362686** |
| **IV. पट्टेवाली आस्तियाँ**<br>**Leased Assets** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष<br>Opening Balance | 257787 | | 257787 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Add: Addition during the year | 0 | | 0 | |
| | 257787 | | 257787 | |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ<br>Deductions during the year | 4461 | | 0 | |
| | 253326 | | 257787 | |
| घटाएं : अब तक मूल्यह्रास<br>Less:Depreciation to date | 252660 | **666** | 257022 | **766** |
| **I, II, III, IV का जोड़**<br>**TOTAL OF I, II, III, IV** | | **110487064** | | **72619818** |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 11- अन्य आस्तियाँ<br>SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS** | | | | |
| I. | उपचित ब्याज<br>Interest accrued | | 81623829 | 54002955 |
| II. | अग्रिम अदा किया गया कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधानों का शुद्ध)<br>Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions) | | 100013199 | 35326904 |
| III. | लेखन - सामग्री और स्टाम्प<br>Stationery and Stamps | | 103983 | 94318 |
| IV. | दावों के निपटान के प्राप्य गैर-बैकिंग आस्तियाँ<br>Non Banking assets acquired in satisfaction of claims | | 502137 | 540838 |
| V. | आस्थगित कर आस्तियाँ (शुद्ध)<br>Deferred Tax asset (net) | | 270214592 | 200637431 |
| VI. | अन्य<br>Others | | 263814214 | 67434587 |
| | **I, II, III, IV, V, VI एंव VII का जोड़<br>TOTAL of I, II, III, IV, V, VI and VII** | | **716271955** | **358037033** |
| **अनुसूची 12-आकस्मिक देयताएं<br>SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES** | | | | |
| I. | (i) | बैंक(समूह) के विरूद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है।<br>Claims against the Bank (Group) not acknowledged as debts | 5885772 | 3119607 |
| | (ii) | अपीलों, संदर्भो आदि के अधीन विवादित आय कर व ब्याज कर माँगें<br>Disputed income tax and interest tax demands under appeal, references, etc. | 98410177 | 11315017 |
| II. | आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं<br>Liability for partly paid investments | | 3779855 | 4284715 |
| III. | बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं<br>Liability on account of outstanding forward exchange contracts | | 3032324765 | 1563385987 |
| IV. | ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियां<br>Guarantees given on behalf of constituents | | | |
| | (क) (a) | भारत में<br>In India | 512601822 | 379813514 |
| | (ख) (b) | भारत से बाहर<br>Outside India | 22356114 | 16056808 |
| V. | स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व<br>Acceptance, Endorsements and Other obligations | | 133325793 | 131512583 |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| | विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| VI. | ऐसी अन्य मदें जिनके लिए बैंक (समूह) आकस्मिक रूप से ज़िम्मेदार है<br>Other items for which the Bank (Group) is contingently liable | | 45195181 | | 23505111 |
| | **I, II, III, IV, V, VI का जोड़<br>TOTAL of I, II, III, IV, V, VI** | | **3853879479** | | **2132993342** |

## अनुसूची 13-अर्जित ब्याज और लाभांश
## SCHEDULE 13 - INTEREST AND DIVIDENDS EARNED

| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| I. | अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा<br>Interest/discount on Advances/Bills | 536828156 | 361562538 |
| II. | निवेशों से आय<br>Income on Investments | 253470127 | 160937394 |
| III. | भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष और अन्य अंत: बैंक निधियों पर ब्याज<br>Intt on balances with Reserve Bank of India & other inter-bank funds | 19024245 | 25307297 |
| IV. | अन्य<br>Others | 9341442 | 1377524 |
| | **I, II, III, IV का जोड़<br>TOTAL of I, II, III, IV** | **818663969** | **549184752** |

## अनुसूची 14 - अन्य आय
## SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

| | | 31.03.2021 | | 31.03.2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | कमीशन, विनिमय और दलाली<br>Commission, Exchange & Brokerage | | **38791927** | | **28382552** |
| II. | भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ<br>Profit on sale of land, buildings and other assets | 50399 | | 439449 | |
| | घटाएं: भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि<br>Less: Loss on sale of land, buildings and other assets | 177776 | **-127377** | 22776 | **416673** |
| III. | विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन से लाभ<br>Profit on Exchange Transaction | 10566604 | | 6724647 | |
| | घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन से हानि<br>Less:Loss on Exchange Transaction | 5745191 | **4821413** | 2323056 | **4401591** |
| IV. | निवेशों की बिक्री से लाभ<br>Profit on sale of Investments | 47884435 | | 18184250 | |
| | घटाएं : निवेशों की बिक्री से हानि<br>Less : Loss on sale of investments | 1743044 | **46141391** | 1039847 | **17144403** |
| V. | विविध आय<br>Miscellaneous Income | | **41617140** | | **43531297** |
| | **I, II, III, IV, V का जोड़<br>TOTAL of I, II, III, IV, V** | | **131244494** | | **93876516** |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 15 - खर्च किया गया ब्याज<br>SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED** | | | | | |
| I. | जमाराशियों पर ब्याज<br>Interest on Deposits | | 472825775.58 | | 344869382 |
| II. | भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज<br>Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings | | 8891544 | | 6710107 |
| III. | अन्य<br>Others | | 26328448 | | 18395244 |
| | **I, II, III का जोड़<br>TOTAL of I, II, III** | | **508045768** | | **369974733** |
| **अनुसूची 16 -परिचालन व्यय<br>SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES** | | | | | |
| I . | कर्मचारियों को भुगतान और उसके लिए प्रावधान<br>Payment to and provisions for employees | | 122967220 | | 70600248 |
| II. | किराया, कर और बिजली<br>Rent, Taxes and Lighting | | 13092091 | | 8143876 |
| III. | मुद्रण और लेखन - सामग्री<br>Printing & Stationery | | 1297451 | | 907588 |
| IV. | विज्ञापन और प्रचार<br>Advertisement & Publicity | | 563643 | | 795018 |
| V. | बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास<br>Depreciation on bank's property | 9822322 | | 6144401 | |
| | घटाएं: पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि के साथ समायोजित<br>Less: Adjusted with Revaluation Reserve | 0 | 9822322 | 0 | 6144401 |
| VI. | निदेशकों की फ़ीस, भत्ते और खर्च<br>Directors' Fees, allowances and expenses | | 12502 | | 23337 |
| VII. | लेखा-परीक्षकों की फ़ीस और खर्च (सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षक, शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित)<br>Auditors' fees and expenses (including statutory auditor of subsidiaries, branch auditors' fees & expenses) | | 864210 | | 738693 |
| VIII. | विधि प्रभार<br>Law charges | | 954021 | | 1159341 |
| IX. | पॉस्टेज, टेलीग्राम, दूरभाष आदि<br>Postage,Telegrams,Telephones, etc. | | 2943745 | | 2047518 |
| X. | मरम्मत और रख-रखाव<br>Repairs & Maintenance | | 4899521 | | 3316743 |
| XI. | बीमा<br>Insurance | | 14719067 | | 7629080 |
| XII. | अन्य व्यय<br>Other expenditure | | 33021919 | | 19999107 |
| | **I से XII का जोड़<br>TOTAL of I to XII** | | **205157711** | | **121504951** |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|

## अनुसूची -17 सहायक संस्थाओं में अर्जन/हानि का हिस्सा
## SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS/LOSS IN ASSOCIATES

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क)<br>(a) | भारत में सहायक संस्थाओं में अर्जनों का हिस्सा<br>Share of Earnings in Associates in India | 5454562 | 1232677 |
| (ख)<br>(b) | भारत के बाहर सहायक संस्थाओं में अर्जनों का हिस्सा<br>Share of Earnings in Associates outside India | -32949 | -16672 |
| | **जोड़ (क एवं ख)**<br>**TOTAL of (a & b)** | **5421613** | **1216005** |

# पंजाब नैशनल बैंक

**अनुसूची - 18 समेकित वित्तीय विवरण - 31.03.2021**

**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियाँ**

**<u>महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां</u>**

**1. तैयार करने का आधार**

समेकित वित्तीय विवरणियां परम्परागत लागत के आधार पर तैयार की गई हैं तथा समस्त महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदण्ड, आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र तथा दिशानिर्देश, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कम्पनी अधिनियम, 2013, लेखांकन मानदण्ड (एएस) तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ज्ञापन व भारत में बैंकिंग उद्योग में मौजूदा प्रथाएं भी शामिल हैं।

विदेशी इकाइयों के सम्बन्ध में संबंधित विदेशी राष्ट्रों में लागू सांविधिक प्रावधानों और प्रथाओं का पालन किया गया है, अन्य स्थान पर निर्दिष्ट को छोड़कर।

वित्तीय विवरणियों को उपचय अवधारणा के साथ कार्यशील संस्था आधार पर तैयार किया गया है तथा लेखांकन नीतियों तथा पद्धतियों का पालन किया गया है, जब तक इसका उल्लेख न हो।

**अनुमानों का उपयोग**

समेकित वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणियों की तिथि तक रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए आय और व्यय में लिए गए अनुमान तथा धारणाएं बनाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवकेसम्मत और तर्कसंगत हैं।

भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया है जिसमें परिणाम ज्ञात कार्यान्वित हुए हैं।

वर्तमान एवं भविष्य में लेखांकन अनुमानों में किसी प्रकार का संशोधन भावी आधार पर किया जाता है जब तक कि अन्यथा उल्लेख ना किया गया हो।

**2. समेकन प्रक्रिया**

**अनुषंगियाँ :**

i) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
ii) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड
iii) पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनैशनल) लिमिटेड, यू.के
iv) ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान
v) पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लि.*

*16/03/2021 को निगमित। 06/04/2021 को पूंजी लगाई गई।

# PUNJAB NATIONAL BANK

**SCHEDULE 18: CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT 31.03.2021**

**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS**

**<u>SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES</u>**

**1. BASIS OF PREPARATION:**

The consolidated financial statements have been prepared on historical cost basis and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, unless otherwise stated, encompassing applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), circulars and guidelines issued by RBI from time to time, Banking Regulation Act 1949, Companies Act, 2013, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices in Banking industry in India.

In respect of foreign entities, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with except as specified elsewhere.

The financial statements have been prepared on going concern basis with accrual concept and in accordance with the accounting policies and practices consistently followed unless otherwise stated.

**Use of Estimates**

The preparation of consolidated financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Future results could differ from these estimates.

Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

**2. CONSOLIDATION PROCEDURES:**

**Subsidiaries:**

i) PNB Gilts Ltd.
ii) PNB Investment Services Ltd.
iii) Punjab National Bank (International) Ltd., UK.
iv) Druk PNB Bank Ltd, Bhutan.
v) PNB Cards and Services Ltd*

*Incorporated on 16.03.2021. The Capital was infused on 06.04.2021.

**सहयोगी कंपनियां:**

i) पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि@

ii) जेएससी (टेंगरी बैंक) अल्माटी,कज़ाखिस्तान

iii) पीएनबी हाउसिंग फाईनेंस लि

iv) केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड#

v) इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड*

vi) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना

vii) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मण्डी

viii) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला

ix) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक

x) प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद

xi) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी

xii) बंगिय ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल

xiii) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल

xiv) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

xv) एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल

** पीएनबी ने ब्रांड इक्विटी के रूप में रु700.48/- के प्रतिफल पर पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।

^एएफआर ने जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस 18.09.2020 को रद्द कर दिया। अस्थायी प्रशासक ने 28 सितंबर, 2020 को जेएससी टेंगरी बैंक की परिसमापन प्रक्रिया के लिए मुकदमा दायर किया है। जेएससी टेंगरी बैंक के परिसमापन का निर्णय अपील कोर्ट द्वारा 15.02.2021 को लागू हुआ। परिसमापन आयोग ने 19.02.2021 को बैंक के परिसमापन की जानकारी प्रकाशित की।

#समामेलन के पश्चात् केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 01.04.2020 से पीएनबी की सहायक कंपनी बन गई।

*इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईएसएआरसी) में पूर्ववर्ती पीएनबी 1.0 ने 9%, ईओबीसी ने 1.90% और ईयूएनआई ने 10% का निवेश किया है। विलय के पश्चात्, आईएसएआरसी को 01.04.2020 से पीएनबी की सहायक कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस तिथि को पीएसबी 2.0 की शेयरधारिता 20.90% है

2.1 समूह (ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार 5 अनुषंगियां और 15 सहायक कंपनियां सम्मिलित हैं) की समेकित वित्तीय विवरणियां निम्नलिखित आधार पर तैयार की गई हैं:

i) पंजाब नैशनल बैंक (मूल बैंक) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां

ii) लेखा मानक 21 के अनुसार, मूल बैंक की सम्बंधित मदों के साथ अनुषंगियों की मदों अर्थात् आस्तियों, देयताओं, आय तथा व्ययों को परस्पर पंक्ति दर पंक्ति एकत्रित करते हुए तथा महत्वपूर्ण अन्त: शेषों समूह लेनदेनों को हटाकर, उनके प्रबंधन द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित प्राप्त आँकड़ों के आधार पर वसूल न हुए लाभ हानि को हटाने के पश्चात् तथा जहाँ कहीं जरूरी था वहां समान लेखांकन नीतियों के अनुरूप आवश्यक समायोजन करने के पश्चात् तैयार किए गए हैं। अनुषंगी कम्पनियों के वित्तीय विवरण मूल बैंक की रिपोर्टिंग तिथि अर्थात् 31 मार्च, 2021 को ही तैयार किए गए।

**Associates:**

i) PNB Metlife India Insurance Company Ltd@

ii) JSC (Tengri Bank), Almaty, Kazakhstan^

iii) PNB Housing Finance Limited

iv) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.#

v) India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.*

vi) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna

vii) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi

viii) Punjab Gramin Bank, Kapurthala

ix) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak

x) Prathama UP Gramin Bank, Moradabad

xi) Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati

xii) Bangiya Gramin Vikas Bank, West Bengal

xiii) Manipur Rural Bank, Imphal

xiv) Tripura Gramin Bank, Agartala

xv) Everest Bank Limited, Kathmandu, Nepal

@PNB has acquired 30% stake in PNB Metlife India Insurance Company Ltd at consideration of ₹700.48/- as brand equity.

^AFR revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020. Temporary Administrator has filed law suit for liquidation process of JSC Tengri Bank on 28th September 2020. On 15.02.2021, the decision on liquidation of JSC Tengri Bank came into force by the Appeal Court. On 19.02.2021, the Liquidation commission of Tengri Bank published information of liquidation of the Bank.

#After amalgamation Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd become an associate of PNB w.e.f. 01.04.2020.

*Earlier PNB 1.0, eOBC and eUNI has investment of 9%, 1.90% and 10% respectively in India SME Asset Reconstruction Co. Ltd (ISARC). Post-merger, ISARC has been classified as an associate of PNB w.e.f. 01.04.2020. PNB 2.0 is having share holding of 20.90% as on date.

2.1 Consolidated financial statements of the Group (comprising of 5 Subsidiaries and 15 Associates as per detail given above) have been prepared on the basis of:

i) Audited financial statements of Punjab National Bank (Parent/the Bank),

ii) As per AS 21, line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of subsidiaries with the respective item of the parent after eliminating material intra-group balances/transactions, unrealized profit/losses and making necessary adjustments, wherever required, to conform to uniform accounting policies, based on data received from these subsidiaries, duly audited/ certified by their Management. The financial statements of the subsidiaries are drawn up to the same reporting date as that of parent i.e. 31st March 2021.

iii) विदेशी अनुषंगियों का विदेशी मुद्रा अंतरण निम्नवत आधार पर किया गया हैं:

(i) आय व व्यय अवधि के दौरान उपलब्ध भारित औसत दरों पर

(ii) आस्तियाँ व देयताएं रिपोर्टिंग तिथि को लागू दरों पर

विदेशी मुद्रा अंतरण के परिणामस्वरूप आय अंतर को चाहे वह लाभ अथवा हानि हो, आरक्षिति निधियों और अधिशेष – विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व के अधीन सम्मिलित किया गया है।

iv) जहां वोटिंग पावर में समूह का 20% और इससे अधिक अंश है, वहां सहायक संस्थाओं में निवेशों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-मानक - 23 के अनुसार इक्विटी पद्धति द्वारा किया गया है।

2.2 अनुषंगियों में इसके निवेश के समूह की लागत तथा समूह के अनुषंगियों की इक्विटी के भाग के बीच के अंतर को साख/पूँजी आरक्षित निधि माना गया है।

2.3 समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) अनुषंगी में जिस तिथि को निवेश किया गया है उस तिथि को अल्पांश हित को देय इक्विटी की राशि, तथा

ख) मूल बैंक तथा अनुषंगी के मध्य संबंध निर्मित होने की तिथि से इक्विटी शेयर के परिचालनों में अल्पसंख्या के शेयर।

**मूल बैंक द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

**3. राजस्व मान्यता**

3.1 आय और व्यय (पैरा 3.5 में संदर्भित मदों से भिन्न) को सामान्यत: उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है ।

3.2 अग्रिमों और निवेशों को मिलाकर अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की पहचान, भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित देशों (जिसे इसके पश्चात सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी संदर्भित किया जाएगा) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के पश्चात् की गई है।

3.3 प्राथमिकता के क्रम में वसूली के विनियोजन का तरीका निम्नानुसार होगा:

(क) नीचे उल्लिखित बिंदुओं (बी) और (सी) के तहत आने वाले मामलों को छोड़कर एनपीए खातों की वसूलियां (वसूली कार्रवाई के मोड/स्थिति/स्तर के बावजूद) निम्नलिखित प्राथमिकता के क्रम में विनियोजित की जाएगी:-

i. सरफेसी कार्रवाई के अधीन सहित वसूली हेतु किया गया व्यय/फुटकर खर्च (ज्ञापन बकाया में रिकॉर्ड किये गये)

ii. इसके बाद, अप्राप्त/उपचित ब्याज की ओर

iii. प्रमुख अनियमितताएं अर्थात् खाते में बकाया एनपीए

उपरोक्त के किसी भी अपवाद के मामलों पर प्रधान कार्यालय ऋण अनुमोदन समिति-III (प्रधान कार्यालय ऋण अनुमोदन समिति-III तक की विभिन्न समितियों की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के

iii) Foreign currency translation of overseas subsidiaries has been done as under:

(i) Income and Expenditure – at weighted average rates prevailing during the period.

(ii) Assets and Liabilities - at rates applicable at reporting date.

The resultant foreign currency translation difference, whether gain or loss, has been included under Reserves and Surplus - Foreign Currency Translation Reserve.

iv) Investments in associates, where the group holds 20% or more of the voting power, have been accounted for using the equity method in terms of Accounting Standard – 23 issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

2.2 The difference between cost to the Group of its investment in the subsidiaries and the group's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as Goodwill/Capital Reserve.

2.3 Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consists of:

a) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investments in a subsidiary is made; and

b) The minority share of movements in equity since date of parent-subsidiary relationship came into existence.

**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOLLOWED BY THE PARENT.**

**3. REVENUE RECOGNITION**

3.1 Income & expenditure (other than items referred to in paragraph 3.5) are generally accounted for on accrual basis.

3.2 Income from Non- Performing Assets (NPAs), comprising of advances and investments, is recognized upon realization, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators in the case of foreign offices (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities)

3.3 Mode of appropriation of recovery in order of priority will be as below:

(a) Recoveries in NPA accounts (irrespective of the mode / status / stage of recovery actions) shall be appropriated in the following order of priority except for the cases covered under below mentioned points (b) & (c):

i. Expenditure/Out of Pocket Expenses incurred for Recovery, including under SARFAESI Action (Recorded in Memorandum Dues);

ii. Thereafter towards the unrealised/accrued interest.

iii. Principal irregularities i.e. NPA outstanding in the account.

Any exceptions to the above may be considered by HOCAC-III (for proposals falling under the powers of

लिए) और प्रबंधन समिति द्वारा अपनी निहित शक्तियों के तहत प्रस्तावों के लिए विचार किया जा सकता है।

ख) हालांकि, एनसीएलटी के माध्यम से किए जाने वाले समझौते और समाधान/निपटान के मामले में, संबंधित समझौता/समाधान निपटान के अनुसार वसूली विनियोजित की जाएगी।

ग) दाखिल वाद/डिक्री वाले खातों के मामले में, वसूली निम्नानुसार विनियोजित की जाएगी

- संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार।
- न्यायालय से विशिष्ट निर्देशों के अभाव में, जैसा कि ऊपर बिंदु (क) में उल्लेख किया गया है।

3.4 एनपीए की बिक्री, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा पैरा 5.3 के अंतर्गत खुलासे के अनुसार लेखांकित किया जाता है।

3.5 कमीशन, (सरकारी कारोबार, बीमा कारोबार और म्युचुअल फंड कारोबार को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराए, "व्यापार" के रूप में नामित रूपया व्युत्पन्नी पर आय वसूली और बीमा दावों को निपटान पर लेखांकित किया जाता है। अतिदेय अंतर्देशीय बिलों पर ब्याज की वसूली और अतिदेय विदेशी बिल पर ब्याज का लेखा-जोखा किया जा रहा है, जब तक कि इसके क्रिस्टलीकरण और उसके बाद प्राप्त इसके क्रिस्टलीकरण का हिसाब नहीं दिया जाता है।

3.6 वाद दाखिल खातों के मामले में संबंधित कानूनी और अन्य खर्चे लाभ - हानि खाते से वसूल किये जाते हैं और इसकी वसूली होने पर इसी प्रकार इनकी गणना की जाती है।

3.7 आयकर के रिफंड पर ब्याज से होने वाली आय को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

3.8 ऑपरेटिंग लीज़ पर ली गई आस्तियों के लिए वृद्धि लागत सहित लीज़ का भुगतान लीज़ अवधि के उपर आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (लीज़ेस) के अनुसार लाभ-हानि खाते में लिया जाता है।।

3.9 क्रेडिट कार्डों पर रिवार्ड प्वाइंट के लिए प्रावधान प्रत्येक श्रेणी में संचित बकाया प्वाइंटों पर आधारित है। ।

3.10 अदत्त और परिपक्व हो चुकी मियादी जमाओं पर ब्याज की गणना बचत खाते की दर पर की जाती है।

3.11 लाभांश (अंतरिम लाभांश को छोड़कर) की गणना लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश की गणना की जाती है।

**4 निवेश**

4.1 प्रतिभूतियों में लेनदेन ''निपटान तिथि'' को दर्ज किया जाता है।

4.2 निवेशों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए में यथानिर्दिष्ट छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

4.3 नीचे दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निवेशों को ''परिपक्वता तक रखे गए'', ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' तथा ''व्यापार हेतु रखे गए'' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैं।

ए.) बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखे जाने की मंशा से अर्जित प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक रखी गईं' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

various committee's upto HOCAC-III) & Management Committee for proposals under its vested powers.

(b) However, in case of Compromise and Resolution/ Settlement through NCLT, recovery shall be appropriated as per the terms of respective compromise/ resolution settlement.

(c) In case of suit filed/decreed accounts, recovery shall be appropriated as under:-

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as mentioned at point (a) above.

3.4 The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI and as disclosed under Para 5.3.

3.5 Commission (excluding on Government Business, Insurance Business and Mutual Fund Business), exchange, locker rent and Income on Rupee Derivatives designated as "Trading" are accounted for on realization and insurance claims are accounted for on settlement. Interest on overdue inland bills is being accounted for on realization and interest on overdue foreign bill, till its crystallization is accounted for on crystallization and thereafter on realization.

3.6 In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted for as such.

3.7 Income from interest on refund of income tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

3.8 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

3.9 Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points in each category.

3.10 Interest on unpaid and unclaimed matured term deposits is accounted for at savings bank rate.

3.11 Dividend (excluding Interim Dividend) is accounted for as and when the right to receive the dividend is established.

**4. INVESTMENTS**

4.1 The transactions in Securities are recorded on "Settlement Date".

4.2 Investments are classified into six categories as stipulated in form A of the third schedule to the Banking Regulation Act, 1949..

4.3 Investments have been categorized into "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading" in terms of RBI guidelines as under:

(a) Securities acquired by the Bank with an intention to hold till maturity are classified under "Held to Maturity".

बी) बैंक द्वारा अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर प्रवृत्तियों का लाभ उठाते हुए व्यापार हेतु रखे जाने की मंशा से अर्जित प्रतिभूतियों को ''व्यापार हेतु रखे गए'' निवेशों में वर्गीकृत किया गया है।

सी) जो प्रतिभूतियां उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आतीं हैं उन्हें ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' श्रेणी के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

4.4 अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.5 प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से न्यूनतम पर किया जाता है। यदि ऐसे अंतरण पर कोई मूल्यह्रास हो तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया गया है।

हालांकि प्रतिभूतियों का एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के पश्चात ये प्रतिभूतियां तुरंत पुनर्मूल्यांकित की जाती है और परिणामस्वारूप मूल्यह्रास, यदि कोई है, प्रदान किया जाता है।

किसी निवेश की खरीद के समय ही उसे एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और विभिन्न श्रेणियों के बीच तत्संबंधी शिफ्टिंग विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

4.6 किसी निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने में:

क) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में संदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) इत्यादि आरंभिक राजस्व व्ययों के रूप में मानी गयी है और इसे लागत से बाहर रखा गया है।

ख) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण/बिक्री की तारीख तक अर्जित ब्याज अर्थात् खंडित अवधि के लिए ब्याज अधिग्रहण लागत/बिक्री के मूल्य से बाहर रखा गया है और इसकी गणना अर्जित ब्याज में की गई है न कि देय खाते में।

ग) निवेशों की सभी श्रेणियों के लिए लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के आधर पर किया गया है।

4.7 निवेश का मूल्यन भारतीय रिजर्व बैंक/एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार, निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

**परिपक्वता तक रखे गए :**

(i) ''परिपक्वता तक रखे गये'' श्रेणी के अधीन निवेशों को अर्जन लागत पर लिया जाता है।

जहाँ कहीं अंकित मूल्य/प्रतिदान मूल्य से बही मूल्य अधिक हो तो प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को ''निवेशों पर आय'' शीर्ष के अंतर्गत अर्जित ब्याज में कटौती के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

(ii) अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में निवेश का मूल्यन अस्थायी निवेश से भिन्न प्रत्येक व्यक्तिगत निवेशों के रूप में किये गये रखरखाव में से ह्रास हटाकर अर्जन लागत पर किया जाता है।

(iii) प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों का मूल्य रखाव लागत पर किया जाता है।

(iv) उद्यम पूंजी में निवेशों का मूल्य रखाव लागत पर किया जाता है।

(v) एचटीएम श्रेणी में रखे गए इक्विटी शेयरों का मूल्य रखाव लागत पर किया जाता है।

(b) The securities acquired by the Bank with an intention to trade by taking advantages of short-term price/ interest rate movements are classified under "Held for Trading".

(c) The securities, which do not fall within the above two categories, are classified under "Available for Sale".

4.4 Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as HTM.

4.5 Transfer of securities from one category to another is carried out at the lower of acquisition cost/ book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

An investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

4.6 In determining acquisition cost of an investment

(a) Brokerage, commission, Securities Transaction Tax (STT) etc. paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses upfront and excluded from cost.

(b) Interest accrued up to the date of acquisition/sale of securities i.e. broken- period interest is excluded from the acquisition cost/sale consideration and the same is accounted in interest accrued but not due account.

(c) Cost is determined on the weighted average cost method for all categories of investments.

4.7 Investments are valued as per RBI/ FIMMDA guidelines, on the following basis:

**Held to Maturity**

(i) Investments under "Held to Maturity "category are carried at acquisition cost.

Wherever the book value is higher than the face value/redemption value, the premium is amortized over the remaining period to maturity on straight line basis. Such amortization of premium is reflected in Interest Earned under the head "Income on investments" as a deduction.

(ii) Investments in subsidiaries/joint ventures/associates are valued at carrying cost less diminution, other than temporary in nature for each investment individually.

(iii) Investments in sponsored regional rural banks are valued at carrying cost.

(iv) Investment in Venture Capital is valued at carrying cost.

(v) Equity shares held in HTM category are valued at carrying cost.

बिक्री हेतु उपलब्ध और व्यापार हेतु रखे गये :

| क) | सरकारी प्रतिभूतियां | |
|---|---|---|
| | I. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां | फिक्सड इंकम मनी मार्किट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए)/ फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) द्वारा यथा प्रकाशित बाजार मूल्यों/वाईटीएम पर |
| | II. राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां | एफआईएमएमडीए/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता प्राप्ति आधार पर |
| ख) | केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा गारंटी वाली प्रतिभूतियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाण्ड (अग्रिमों की प्रकृति के नहीं) | एफआईएमएमडीए भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता प्राप्ति आधार पर |
| ग) | ट्रेजरी बिल | रखाव लागत पर |
| घ) | इक्विटी शेयर | यदि कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अन्यथा नवीनतम तुलन-पत्र (जो एक वर्ष से पुराना न हो) के अनुसार शेयरों के ब्रेक-अप मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी रु0.1/- |
| ड.) | अधिमान शेयर | यदि कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर या भारतीय रिजर्व बैंक/एफआईएम एमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता पर किंतु प्रतिदान मूल्य से अधिक नहीं |
| च) | बंधपत्र और डिबेंचर (अग्रिमों की प्रकृति के नहीं) | यदि कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर या भारतीय रिजर्व बैंक /एफआईएमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार, उपयुक्त परिपक्वता प्रतिफल पर |
| छ) | म्यूचुअल फण्डों के यूनिट | यदि कोट किया गया हो तो स्टॉक एक्सचेंज के भाव के अनुसार और यदि कोट न किया गया हो तो पुनर्खरीद मूल्य / एनएवी पर |
| ज) | वाणिज्यिक पेपर | रखाव लागत पर |
| झ) | जमा प्रमाणपत्र | रखाव लागत पर |
| ञ) | एआरसीआईएल की प्रतिभूति रसीदें | एआरसीआईएल द्वारा घोषित आस्ति के शुद्ध आस्ति मूल्य पर |
| ट) | उद्यम पूँजी निधियाँ | उद्यम पूँजी निधियों द्वारा घोषित शुद्ध आस्ति मूल्य पर |
| ठ) | अन्य निवेश | रखाव लागत में से ह्रास घटाकर |

बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु रखे गए वर्ग में उपर्युक्त मूल्यांकन प्रत्येक स्क्रिप वार तिमाही आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक वर्गीकरण के लिए मूल्यह्रास/वृद्धि जोड़ी जाती है। यदि शुद्ध मूल्यह्रास है तो प्रत्येक वर्गीकरण के लिए प्रावधान किया जाता है जबकि शुद्ध वृद्धि नहीं दर्शायी जाती। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान पर व्यक्तिगत प्रतिभूति का बही मूल्य बाज़ार हेतु चिह्नित करने के पश्चात् अपरिवर्तित रहती है।

4.8 भारतीय रिजर्व बैंक के एनपीआई वर्गीकरण के विवेकी मानदंडों के अनुरूप निवेश उपयुक्त प्रावधानीकरण/आय अमान्यीकरण के अधीन हैं। अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/प्रावधान अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में वृद्धि के समक्ष समंजन (सैट ऑफ) नहीं किया गया है।

**Available for Sale and Held for Trading**

| (a) | Govt. Securities | |
|---|---|---|
| | I. Central Govt. Securities | At market prices/YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) / Financial Benchmark India Pvt. Ltd (FBIL). |
| | II. State Govt. Securities | On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines. |
| (b) | Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds (not in the nature of advances) | On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines |
| (c) | Treasury Bills | At carrying cost |
| (d) | Equity shares | At market price, if quoted, otherwise at breakup value of the Shares as per latest Balance Sheet (not more than one year old), otherwise at Re.1 per company |
| (e) | Preference shares | At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/ FIMMDA guidelines. |
| (f) | Bonds and debentures (not in the nature of advances) | At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis as per RBI/FIMMDA guidelines. |
| (g) | Units of mutual funds | As per stock exchange quotation, if quoted; at repurchase price/ NAV, if unquoted |
| (h) | Commercial Paper | At carrying cost |
| (i) | Certificate of Deposits | At carrying cost |
| (j) | Security receipts of ARCIL | At net asset value of the asset as declared by ARCIL |
| (k) | Venture Capital Funds | At net asset value (NAV) declared by the VCF |
| (l) | Other Investments | At carrying cost less diminution in value |

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading is done scrip wise on quarterly basis and depreciation/appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market.

4.8 Investments are subject to appropriate provisioning/ de-recognition of income, in line with the prudential norms of Reserve Bank of India for NPI classification. The depreciation/provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.

यदि किसी इकाई द्वारा प्राप्त की गई क्रेडिट सुविधा बैंक की बही में एनपीए है तो उसी ईकाई द्वारा जारी प्रतिभूतियों में कोई भी निवेश इसके विपरीत भी एनपीआई के रूप में माना जाएगा। फिर भी एनपीआई अधिमानी शेयरों के संबंध में जहां लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता वहां क्रेडिट सुविधा को एनपीए नहीं माना जाएगा।

प्रतिभूतियों अर्थात बांड, डिबेंचर आदि के मामले में, जहां उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है प्रावधान वाईटीएम या आईआरएसी मानदंड, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया गया है।

4.9 किसी भी श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में ले जाया जाता है किंतु 'परिपक्वता तक रखे गये' श्रेणी के निवेशों की बिक्री से हुए लाभ के मामले में उसके बराबर की राशि (टैक्स घटाकर तथा सांविधिक रिजर्व को अंतरित की जाने वाली राशि) 'पूंजी प्रारक्षित निधि' खाते में विनियोजित की जाती है।

4.10 वापस खरीद व्यवस्था के अन्तर्गत पुन:खरीदी/पुन: बेची गयी प्रतिभूतियों को उनकी मूल लागत पर हिसाब में लिया जाता है।

4.11 रिपो/रिवर्स रिपो के अंतर्गत बेची व खरीदी गई प्रतिभूतियों को जमानती ऋण व उधारी ट्रांजेक्शंस के तौर पर रखा जाता है। हालांकि सामान्य आउटराईट बिक्री/खरीद ट्राजेक्शन के मामले में प्रतिभूतियों को अंतरित किया जाता है तथा प्रतिभूतियों के ऐसे दौर का प्रजोड़ रिपो/रिवर्स रिपो व काउंट्रा प्रविष्ठियों में प्रदर्शित होता है। उक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता तिथि पर रिवर्स हो जाती है। लागत व राजस्व को ब्याज व्यय/आय माना जाता है जैसा भी मामला हो। रिपो खाते में बैलेंस को अनुसूची 4 (उधारी) तथा रिवर्स रिपो खाते में बैलेंस को अनुसूची 7 (बैंक के पास बैलेंस तथा मनी एट कॉल व शोर्ट नोटिस) के अंतर्गत रखा जाता है। यह आरबीआई के साथ एलएएफ पर भी लागू होता है।

4.12 व्यापार अथवा प्रतिरक्षा के प्रयोजन से व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) लेन-देन किये गये हैं। व्यापारिक लेन-देन बाजार मूल्य पर है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार अदलाबदली की विभिन्न श्रेणियों का निम्नवत् मूल्यन किया गया है:

**प्रतिरक्षा अदला बदली (हैज स्वाप)**

ब्याज दर अदला-बदली जो ब्याज वाहक आस्ति अथवा देयता की प्रतिरक्षा करती है, को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है, किसी आस्ति अथवा देयता के साथ अभिहित अदलाबदली को छोड़कर जो वित्तीय विवरणी में बाजार मूल्य अथवा कम कीमत पर लिया जाता है।

अदला बदली की समाप्ति पर लाभ व हानियों की अदलाबदली के कमीतर बकाया संविदागत जीवन अथवा आस्ति/देयता की शेष अवधि पर माना जाता है।

**व्यापारिक अदला बदली (ट्रेडिंग स्वाप)**

व्यापारिक अदलाबदली का लेन देन वित्तीय विवरणियों में रिकार्ड किए गए परिवर्तनों सहित बाजार मूल्य की तुलना में चिह्नित किया जाता है।

व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रविष्ट किए गए विनिमय व्यापार डेरीवेटिव्स एक्सवचेंज द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित ब्याज दर पर मूल्यांकित किया जाता है और प्राप्त लाभों एवं हानियों को लाभ व हानि खाते में लिया जाता है।

4.13 **विदेशी मुद्रा विकल्प**

अन्य बैंक के साथ बैक टू बैक कान्ट्रेक्ट के रूप में बैंक द्वारा किया गया विदेशी मुद्रा विकल्प बाजार मूल्य पर नहीं है, क्योंकि इसमें बाजार जोखिम नहीं है।

If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa. However, in respect of NPI preference share where the dividend is not paid, the corresponding credit facility is not treated as NPA.

In case of securities i.e. bonds, debentures, etc. where the credit facilities are availed by the borrowers, the provision has been made on the basis of YTM or IRAC norms whichever is higher.

.4.9 Profit or loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss account but, in case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve) is appropriated to "Capital Reserve Account".

4.10 Securities repurchased/resold under buy back arrangement are accounted for at original cost..

4.11 The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).The same is also applicable to LAF with RBI.

4.12 The derivatives transactions are undertaken for trading or hedging purposes. Trading transactions are marked to market. As per RBI guidelines, different categories of swaps are valued as under:-

**Hedge Swaps**

Interest rate swaps with hedge interest bearing asset or liability are accounted for on accrual basis except the swaps designated with an asset or liability that are carried at market value or lower of cost in the financial statement.

Gain or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/ liabilities.

**Trading Swaps**

Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

4.13 **Foreign currency options**

Foreign currency options written by the bank with a back-to-back contract with another bank are not marked to market since there is no market risk.

प्राप्त प्रीमियम को देयता के रूप में रखा गया है और परिपक्वता/ निरस्तीकरण पर लाभ व हानि खाते में अन्तरित किया गया है।

**5. ऋण/अग्रिम और इसके लिए प्रावधान:**

5.1 अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में किया जाता है और उनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

(ए) अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदेहास्पद एवं हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(बी) अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, पुनर्गठित अग्रिमों की उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के निवल को कहा जाता है।

5.2 विदेशी कार्यालयों के संबंध में ऋणों एवं अग्रिमों का वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भा.रि.बैंक के मानकों जो भी अधिक शक्तिशाली हो, के अनुसार किया गया है।

ओवरसीज़ शाखाओं में हुए ऋण एवं अग्रिमों जो वसूली के रिकार्ड के अलावा अन्य कारणों के लिए होस्ट कंट्री विनियमों के अनुसार हानि के रूप में चिह्नित हैं, किंतु जो भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक हैं, होस्ट कंट्री में मौजूदा बकाया राशि को एनपीए के रूप में वगीकृत किया जाता है।

**5.3 बेची गई वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित रूप में पहचाना गया:**

क. एससी/आरसी को बेची गई वित्तीतय आस्तियों की बिक्री हेतु

i) यदि एससी/आरसी को बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से नीचे की कीमत पर की गई है तो उस वर्ष कमी के लाभ व हानि खाते से डेबिट करना चाहिए। बैंक एनपीए की बिक्री पर अर्थात् जब बिक्री निवल बही मूल्य से कम कीमत पर की गई हो तो पाई गई कमी हेतु प्रतिचक्रीय/फ्लोटिंग प्रावधान भी कर सकता है।

(ii) यदि बिकी निवल बही मूल्य की अपेक्षा उच्च मूल्य पर की गई है, तो बैंक इस वर्ष इसके लाभ व हानि खातों में प्राप्त राशि में से एनपीए की बिक्री या अतिरिक्त प्रावधान वापस ले सकता है। तथापि, बैंक अतिरिक्त प्रावधान (जब बिक्री निवल बही मूल्य की अपेक्षा उच्च मूल्य पर की गई है) एनपीए की बिक्री से तभी निकाली जा सकती है, केवल जब प्राप्त नकदी (प्रारम्भिक प्रतिफल और/ अथवा एसआर/पीटीसी की छूट के माध्यम से आस्तियों की नकदी की अपेक्षा उच्च है। आगे अतिरिक्त प्रावधान का निरसन आस्ति के एनबीवी पर प्राप्त अतिरिक्त नकदी के प्रभाव तक सीमित होगी।

ख. अन्य बैंक/एनबीएफसी/एफआई इत्यामदि को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों की बिक्री हेतु

i) निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर बिक्री करने के मामले में अर्थात् बही मूल्य से कम प्रावधान करने पर कमी को उस वर्ष लाभ व हानि खातों से डेबिट करना चाहिए।

ii) निवल बही मूल्य (एनबीवी) की अपेक्षा उच्च मूल्य पर बिक्री के मामले में अर्थात् बही मूल्य से कम प्रावधान करने पर, अतिरिक्त प्रावधान वापस नहीं किया जाएगा किंतु अन्य गैर निष्पादित वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री खातों पर होने वाली कमी/हानि पाए जाने पर उसका उपयोग किया जाएगा।

iii) यदि किसी भी बिक्री लेनदेन में अतिरिक्त प्रावधान अधिक और कुल अधिशेष से ज्यादा है तो अधिशेष राशि को लाभ और हानि खाते में लिया जाएगा।

Premium received is held as a liability and transferred to the Profit and Loss Account on maturity/cancellation

**5. LOANS / ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:**

5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets; provisions are made in accordance with prudential norms prescribed by RBI.

(a) Advances are classified: Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.

(b) Advances are stated net of specific loan loss provisions, provision for diminution in fair value of restructured advances.

5.2 In respect of foreign offices, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.

Loans and advances held at the overseas branches that are identified as impaired as per host country regulations for reasons other than record of recovery, but which are standard as per the extant RBI guidelines, are classified as NPAs to the extent of amount outstanding in the host country.

**5.3 Financial Assets sold are recognized as under:**

(a) For Sale of financial assets sold to SCs/RCs

(i) If the sale to SCs/RCs is at a price below the Net Book Value (NBV), (i.e. Book Value less provisions held), the shortfall should be debited to the Profit & Loss account of that year. Bank can also use counter cyclical / floating provisions for meeting the shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the NBV.

(ii) If the sale is for a value higher than the NBV, Bank can reverse the excess provision on sale of NPAs to its profit and loss account in the year, the amounts are received. However, Bank can reverse excess provision (when the sale is for a value higher than the NBV) arising out of sale of NPAs, only when the cash received (by way of initial consideration and/ or redemption of SRs/ PTCs) is higher than the NBV of the asset. Further, reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

*(b) For Sale of financial assets sold to Other Banks/ NBFCs/FIs etc.*

(i) In case the sale is at a price below the Net Book Value (NBV) i.e. Book Value less provision held, the shortfall should be debited to the Profit & Loss A/c of that year.

(ii) In case the sale is for a value higher than the Net Book Value (NBV) i.e. Book Value less provision held, the excess provision shall not be reversed but will be utilized to meet the shortfall / loss on account of sale of other Non Performing Financial Assets.

(iii) In case there is overall surplus over and above the excess provision in any of the sale transaction that surplus amount will be taken in the Profit & loss a/c.

5.4 **पुनर्गठित आस्तियां :**

अग्रिमों के पुनर्गठन/पुनर्सूचीबद्ध के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। पुनर्गठित खाते के उचित मूल्य में कमी के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।

बैंक एक पुनर्गठित खाता उसे मानता है जहां बैंक ने उधारकर्ताओं की वित्तीय कठिनाईयों से संबंधित आर्थिक और विधिक कारणों हेतु उधारकर्ता को रियायत दिया है। पुनर्गठन में सामान्यतया अग्रिमों/प्रतिभूतियों की शर्तों में संशोधन शामिल होगा जिसमें अन्य के अलावा पुनर्भुगतान अवधि/पुनर्भुगतान राशि/किश्तों की राशि/ब्याज की दर/क्रेडिट सुविधाओं के ऊपर पुनः पैसा लगाना/अतिरिक्त ऋण सुविधा की स्वीकृति/मौजूदा क्रेडिट सीमाओं में वृद्धि/समझौता जहां निपटारे की राशि के भुगतान के लिए समय तीन महीने से अधिक समय हो गया हो। पुनर्गठित खाते बैंक द्वारा केवल पुनर्गठन पैकेज के अनुमोदन और कार्यान्वयन के पश्चात् ही इस तरह वर्गीकृत किया जाता है।

मानक खाते एनपीए के रूप में वर्गीकृत किये गए हैं एवं बैंक द्वारा पुनर्गठन पर उसी श्रेणी में बनाए गए एनपीए खाते केवल तभी अपग्रेड किए जाते हैं जब खाते में सभी बकाया ऋणधसुविधाएं 'निर्दिष्ट अवधि' के दौरान 'संतोषजनक प्रदर्शन' प्रदर्शित करती हैं (अर्थात, उधारकर्ता इकाई से सम्बंधित भुगतान कभी भी बकाया न हो)

'निर्दिष्ट अवधि'का मतलब है कि संकल्प योजना (आरपी) के कार्यान्वयन की तिथि से लेकर उस तिथि तक की अवधि जब संकल्प योजना के अनुसार बकाया मूलधन का कम से कम 20 प्रतिशत और पुनर्गठन के हिस्से के रूप में स्वीकृत ब्याज पूंजीकरण, यदि है, चुकाया जाता हो। बशर्ते निर्दिष्ट अवधि संकल्प योजना की शर्तों के तहत अधिस्थगन की सबसे लंबी अवधि के साथ क्रेडिट सुविधा पर ब्याज या प्रिंसिपल (जो भी बाद में हो) के पहले भुगतान के शुरू होने से एक वर्ष पहले समाप्त नहीं हो सकती है।

बडे खातों के लिए (अर्थात ऐसे खाते जहां उधारदाताओं का कुल जोखिम 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक है) अपग्रेड करने के लिए पात्रता प्राप्त करने हेतु तथा संतोषजनक कार्यनिष्पादन के प्रतिपादन के अतिरिक्त बैंक ऋण रेटिंग के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत सीआरए द्वारा निर्धारित अवधि के अंत तक उधारकर्ताओं की ऋण सुविधाएं भी निवेश ग्रेड (बीबीबी- या बेहतर) के रूप में आंकी जाएंगी। जबकि रु.500 करोड़ और उससे अधिक के कुल जोखिम वाले खातों को दो रेटिंगों की आवश्यकता होगी, रु.500 करोड़ से कम वाले खातों को एक रेटिंग की आवश्यकता होगी। यदि रेटिंग सीआरए की आवश्यक संख्या से अधिक प्राप्त की जाती हैं, तो ऐसी सभी रेटिंग अपग्रेड करने एवं नियमानुसार करने के लिए निवेश ग्रेड होगी।

यदि निर्दिष्ट अवधि के दौरान खाते द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार के चूक पर तत्काल इस खाते को, पुनर्गठन से पहले मौजूद पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार पुनः वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे खातों के लिए भविष्य में अपग्रेड होना उसके एक नए संकल्प योजना के कार्यान्वयन एवं उसके संतोषजनक प्रदर्शन के ऊपर निर्भर होगा।

5.5 एनपीए पर वर्गीकृत प्रावधानों के अतिरिक्त, सामान्य प्रावधान भी भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार स्टैंडर्ड आस्तियों के लिए किया गया है। ये प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 में ''अन्य देयताएं व प्रावधान - अन्य '' शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है और नेट एनपीए होने पर विचार नहीं किया जाता है।

5.4 **Restructured Assets**

For restructured/rescheduled advances, provisions are made in accordance with guidelines issued by RBI from time to time. Necessary provision for diminution in the fair value of a restructured account is made.

The bank considered a restructured account as one where the bank, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants concessions to the borrower. Restructuring would normally involve modification of terms of the advances/securities, which would generally include, among others, alteration of repayment period / repayable amount/ the amount of installments / rate of interest/ roll over of credit facilities/sanction of additional credit facility / enhancement of existing credit limits / compromise settlements where time for payment of settlement amount exceeds three months. Restructured accounts are classified as such by the Bank only upon approval and implementation of the restructuring package.

Standard accounts classified as NPA and NPA accounts retained in the same category on restructuring by the bank are upgraded only when all the outstanding loan / facilities in the account demonstrate 'satisfactory performance' (i.e., the payments in respect of borrower entity are not in default at any point of time) during the 'specified period'.

'Specified period' means the period from the date of implementation of Resolution plan (RP) up to the date by which at least 20 percent of the outstanding principal debt as per the RP and interest capitalization sanctioned as part of the restructuring, if any, is repaid. Provided that the specified period cannot end before one year from the commencement of the first payment of interest or principal (whichever is later) on the credit facility with longest period of moratorium under the terms of RP.

For the large accounts (i.e., accounts where the aggregate exposure of lenders is Rs 100 crore and above) to qualify for an upgrade, in addition to demonstration of satisfactory performance, the credit facilities of the borrower shall also be rated as investment grade (BBB- or better) as at the end of the 'specified period' by CRAs accredited by the Reserve Bank for the purpose of bank loan ratings. While accounts with aggregate exposure of Rs 500 crore and above shall require two ratings, those below Rs 500crore shall require one rating. If the ratings are obtained from more than the required number of CRAs, all such ratings shall be investment grade to qualify for an upgrade.

In case satisfactory performance during the specified period is not demonstrated, the accounts, immediately on such default, are reclassified as per the repayment schedule that existed before the restructuring. Any future upgrade for such accounts would be contingent on implementation of a fresh RP and demonstration of satisfactory performance thereafter.

5.5 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.

5.6 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर निष्पादित अग्रिमों के लिए किए गए त्वरित प्रावधान जिसे बैंक द्वारा पूर्व में एसएमए-2 श्रेणी के अंतर्गत सैन्ट्रल रिपोज़िटरी ऑफ इंफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (सीआरआईएलसी) को विशेष वर्णित खाते में रिपोर्ट नहीं किया जाता था।

5.7 पूर्व वर्षों में बट्टे खाते ऋणों के विरूद्ध वसूल की गई राशि और प्रावधानों को उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्यों में विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है और इसे लाभ-हानि खाते में लिया जाता है।

5.8 **कंट्री एक्सपोज़र के लिए प्रावधान**

आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त किसी देश के एक्सपोज़रों (अपने देश के अलावा अन्य) के लिए भी प्रावधान किया गया है। देशों को सात जोखिम श्रेणियों अर्थात् निरर्थक, कम, मध्यम से कम, मध्यम, मध्यम से उच्च, उच्च, बहुत उच्च, में वर्गीकृत किया गया है और प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक देश के मामले में यदि बैंक का देश एक्सपोज़र (निवल) कुल वित्त पोषित आस्तियों की 1% से अधिक नहीं है तो ऐसे कंट्री एक्सजपोज़र में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है।

5.9 भारतीय कॉपोरेट की अनुषंगियों को स्टेप डाउन के एक्स्पोजर को स्टैंडर्ड आस्ति बनाने के विरुद्ध 2% का एक अतिरिक्त प्रावधान (सभी ओवरसीज एक्स्पोजरों पर लागू कंट्री जोखिम के अतिरिक्त) को ढांचे में कम्प्लैक्सिटी होने से उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम को कवर करने के लिए, भारतीय कम्पनी को विभिन्न ज्यूरिडिक्शंस में अलग अलग इंटरमिडियरी एंटाईटेल्स के स्थान पर बनाया गया है। इस प्रकार, बैंक अधिक राजनैतिक व रेगुलेटरी जोखिम के लिए एक्पोज हो जाएगा। (आरबीआई परि.सं. RBI/2015.16/279 DBR.IBD.BC No. 68/23.37.001/2015-16 दिनांक 31.12.2015) के अनुसार)।

6. **संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण**

6.1 जिन परिसरों का पुनर्मूल्यन हो चुका है उन्हें छोड़कर संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण को उनकी परम्परागत लागत पर दिखाया जाता है और पुनर्मूल्यन पर हुयी वृद्धि को पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है और पुनर्मूल्यन राशि में आरोप्य बढ़ता हुआ मूल्यह्रास उसमें से कम कर दिया जाता है।

6.2 सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत कर अमूर्त ऑस्तियों के साथ जोड़ दिया गया है।

6.3 खरीददारी की लागत सहित सभी खर्चे जैसे साइट तैयारी, संस्थापन लागत, पंजीकरण के समय तक आस्ति पर खर्च की गयी व्यावसायिक फीस लागत में शामिल है। आस्तियों पर खर्च किए गए परिवर्ती खर्चे केवल तभी पूंजीकृत किए जाते हैं जब ऐसी आस्तियों या उनकी कार्यक्षमता से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है।

6.4 **मूल्यह्रास**

क. आस्तियों (भूमि सहित जहां कीमत अलग न की जा सकती हो) कम्प्यूटरों को छोड़कर जहां इसकी गणना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है, को छोड़कर, पर मूल्यह्रास के लिये प्रावधान आस्ति की प्रत्याशित आयु के आधार पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है।

5.6 In accordance with RBI guidelines, accelerated provision is made on non-performing advances which were not earlier reported by the Bank as Special Mention Account under "SMA-2" category to Central Repository of Information on Large Credits (CRILC).

5.7 Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized in the profit and loss account.

5.8 **Provision for Country Exposure:**

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderately low, moderate, moderately high, high & very high and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the "Other liabilities & Provisions – Others".

5.9 An additional provision of 2% (in addition to country risk provision that is applicable to all overseas exposures) against standard assets representing all exposures to step down subsidiaries of Indian Corporates has been made to cover the additional risk arising from complexity in the structure, location of different intermediary entities in different jurisdictions exposing the Indian Company, and hence the Bank, to a greater political and regulatory risk. (As per RBI Cir. No. RBI/ 2015.16/279 DBR. IBD.BC No. 68/ 23.37.001/ 2015-16 dated 31.12.2015).

6. **PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT**

6.1 Property, Plant & Equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation/amortization, wherever applicable, except those premises, which have been revalued. The appreciation on revaluation is credited to revaluation reserve and incremental depreciation attributable to the revalued amount is deducted there from.

6.2 Software is capitalized and clubbed under Intangible assets.

6.3 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset till the time of capitalization. Subsequent expenditure/s incurred on the assets are capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

6.4 **DEPRECIATION**

A. Depreciation on assets (including land where value is not separable) is provided on straight-line method based on estimated life of the asset, except in respect of computers where it is calculated on the straight-line method, at the rates prescribed by RBI.

ख ऐसी आस्तियों पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया गया है:

| विवरण | मूल्यह्रास की दर |
|---|---|
| **परिसर** | |
| **फ्रीहोल्ड संपत्ति**<br>भूमि | शून्य |
| निर्माण लागत पर प्रदान की जाने वाली मूल्यह्रास दर जहाँ भूमि की लागत को अलग किया जाता है और कुल लागत पर जहां भूमि की लागत सुनिश्चित नहीं की जा सकती और उसे अलग नहीं किया जा सकता है। | 2.5% (40 वर्ष सीधी रेखा विधि या शेष जीवन जो भी कम होता है) |
| बेमियादी पट्टे पर ली गई भूमि जहां पट्टे की अवधि का उल्लेख नहीं है | शून्य |
| पट्टे पर ली गई भूमि जहाँ पट्टे की अवधि का उल्लेख है | पट्टे की अवधि पर |
| **भवन** | |
| फ्री होल्ड और पट्टे वाली भूमि पर निर्मित, जहां पट्टे की अवधि 40 वर्ष से अधिक है | 2.50% |
| पट्टे वाली भूमि पर निर्मित जहाँ पट्टे की अवधि 40 वर्ष से कम है | पट्टे की अवधि पर |
| **परिसर को छोड़कर अचल आस्तियां** | |
| फर्नीचर और फिक्सचर्स – स्टील वस्तुएं | 5.00% |
| फर्नीचर और फिक्सचर्स – लकड़ी की वस्तुएं | 10.00% |
| गद्दे | 20.00% |
| मोबाइल फोन उपकरण | 33.33% |
| मशीनरी, बिजली की और विविध वस्तुएं | 15.00% |
| मोटर-कारें एवं साईकलें | 15.00% |
| कंप्यूटर, एटीएम और संबंधित वस्तुएं लैपटॉप,आईपैड आदि:-<br>सर्वर, नेटवर्क, उपकरण और स्वचालित टेलर मशीनें (कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंश सॉफ्टवेयर सहित) | 33.33% |
| रु.25000.00 से कम राशि की और/या अधिग्रहण की तिथि से 12 महीने से कम की उपयोगी जीवन वाली कार्यालय की अचल आस्तियों (कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली आस्तियों को छोड़कर) को व्यय के रूप में माना जाना चाहिए।<br>रु. 25000.00 तक की राशि के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर/ऑपरेटिंग सिस्टम/डेटा बेस की लागत राजस्व से वसूली जाती है। | |

B. Depreciation on assets has been provided at the rates furnished below:-

| Particulars | Rate of Depreciation |
|---|---|
| **PREMISES** | |
| **Freehold Properties**<br>Land | NIL |
| Depreciation to be provided on Construction Cost where the land cost is segregated and on total cost where the land cost is not ascertainable and cannot be segregated. | 2.5% (40 years Straight Line Method or remaining life whichever is lower) |
| Land acquired on perpetual lease where no lease period is mentioned | NIL |
| Land acquired on lease where lease period is mentioned | Over lease period |
| Building | |
| Constructed on free hold land and on leased land, where lease period is above 40 years | 2.50% |
| Constructed on leased land where lease period is below 40 years. | Over lease period |
| **FIXED ASSETS EXCEPT PREMISES** | |
| Furniture and fixtures- Steel articles | 5.00% |
| Furniture and fixtures- wooden articles | 10.00% |
| Mattresses | 20.00% |
| Mobile Phone Instruments | 33.33% |
| Machinery, electrical and miscellaneous articles | 15.00% |
| Motor cars and cycles | 15.00% |
| Computers, ATMs and related items, laptop, i pad etc:-<br>Servers, Network, Equipment & Automated Teller Machines (Including software forming an integral part of computer hardware) | 33.33% |
| Items of office fixed assets (excepts to staff) amount less than Rs. 25000.00 and / or having useful life of less than 12 months from the date of acquisition should be recognized as expense.<br>Cost of Application Software / Operating System / Data base amounting upto Rs. 25000.00 are charged to revenue. | |

ग. बैंक के अपने परिसर के अतिरिक्त आस्तियों के नए एडिशन पर जिन आस्तियों को उपजोड़ में लाया जा रहा है मूल्यह्रास की दर उसी दिन से प्रदान की जाती है और वर्ष के दौरान बेची गई/निपटान की गई आस्तियों के मामले में जिस तारीख तक इसे बेचा/निपटान किया जाता है अर्थात दैनिक आधार पर मूल्यह्रास की दर प्रदान की जाती है।

घ. बैंक के अंत में मौजूद बैंक के अपने स्वामित्व कें परिसरों पर मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिये प्रभारित किया गया है। निर्माण लागत को तभी मूल्यूह्रास किया जाता है जब भवन सभी प्रकार से पूरा हो जाता हे। जहां भूमि और भवन की लागत का अलग से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां मूल्यूह्रास दर पर भवन पर लागू समग्र लागत पर प्रदान की जाती है।

ङ. पट्टाधारित परिसरों के संबंध में, पट्टा प्रीमियम यदि कोई है, पट्टे की संपूर्ण अवधि पर परिशोधित है और पट्टा किराया संबंधित वर्षो में प्रभारित किया जाता है।

च. पुनर्मूल्यन आस्तियों के मूल्यह्रास की दर पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन की गई आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन के आधार पर निश्चित की जाती है।

## 7. आस्तियों की अपसामान्यता

आस्तियों की लागत क्षमता में आंतरिक/बाह्य तथ्यों के आधार पर कोई अपसामान्यता दिखाई पड़ती है तो प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को समीक्षित किया जाता है।

एक अपसामान्य हानि तभी मानी जाती है जहां कही एक आस्ति की रखाव लागत इसकी वसूली राशि से ज्यादा होती है। वसूली योग्य राशि आस्ति की निवल बिक्री कीमत और उपयोगिता मूल्य से ज्यादा होती है। उपयोगिता मूल्य के निर्धारण में, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह कर पूर्व छूट दर में प्रयुक्त उसके वर्तमान मूल्य को घटाया जाता है जो उस समय धन के वर्तमान बाजार मूल्य और आस्ति के वर्गीकृत जोखिमों को दर्शाता है।

अपसामान्यता के पश्चात, यदि कोई है, मूल्यह्रास से पूर्ण आस्ति पर इसके शेष उपयोगी जीवन के संसोधित रखाव लागत पर प्रदान किया जाता है।

पूर्व में हुई अपसामान्यगता हानि परिस्थितियों से परिवर्तन के आधार पर बढ़ती या घटती है।

हालांकि, प्रतिगमना रिवर्सल के पश्चात क्षमता मूल्य उस मूल्य से ऊपर नहीं बढ़ती है जिसे यदि कोई अपसामान्याता नहीं हुई है तो सामान्यता मूल्यह्रास प्रभारित करके किया जाना है।

## 8. कर्मचारी फायदे

- **भविष्य निधि**

भविष्य निधि एक सुपरिभाषित अंशदान योजना है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। ये अंशदान लाभ व हानि खाते में चार्ज किए जाते हैं।

- **उपदान**

उपदान देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है। यह योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है।

- **पेंशन**

पेंशन देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है। यह योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है।

C. Depreciation on fresh additions to assets other than bank's own premises is provided from the day in which the assets are capitalized and in the case of assets sold/disposed off during the year, up to the date in which it is sold/ disposed off i.e. daily basis.

D. The depreciation on bank's own premises existing at the close of the year is charged for full year. The construction cost is depreciated only when the building is complete in all respects. Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

E. In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortized over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year(s).

F. The Revalued assets is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

## 7. IMPAIRMENT OF ASSETS

The carrying costs of assets are reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors.

An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset.

After impairment, if any, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life.

A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances.

However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

## 8. EMPLOYMENT BENEFITS

- **PROVIDENT FUND:**

Provident fund is a defined contribution scheme as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit & Loss A/c.

**GRATUITY:**

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the bank and is managed by a separate trust.

- **PENSION:**

Pension liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the bank and is managed by a separate trust.

बैंक ने एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) का परिचालन किया है यह उन सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने 01.04.2010 के बाद बैंक ज्वाईन किया हो, के लिए है। योजना के अनुसार, पात्र कर्मचारी अपनी बेसिक वेतन प्लस डीए का 10% का जोड़दान, बैंक से मैचिंग जोड़दान सहित देते है। सम्बन्धित कर्मचारी का पूर्ण रजिस्ट्रेशन प्रणाली लम्बित है उनका जोड़दान रखा गया है। इन वार्षिक जोड़दान को बैंक पहचान करता है तथा सम्बन्धित वर्ष के लिए उस पर ब्याज, व्यय के तौर पर देता है। स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या (पीआरएएन) रसीद प्राप्त होने पर समेकित जोड़दान राशि को एनपीएस ट्रस्ट में अंतरित कर दिया जाता है।

- **क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां**

उपचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां जैसे अर्जित छुट्टियाँ और बीमारी की छुट्टियाँ (अप्रयुक्त आकस्मिक छुट्टियों सहित) बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर दी जाती हैं।

- **अन्य कर्मचारी लाभ**

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत (एलएफसी), सिल्वर जुबली अवार्ड इत्यादि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाते हैं।

जहां तक विदेश स्थित शाखाओं और कार्यालयों का संबंध है प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को दिए गए लाभों के अलावा अन्य सभी लाभ उन देशों में लागू कानूनों के अनुसार मूल्यांकित और लेखांकित किए गए हैं।

**9. विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेनों का परिवर्तन और शेषः**

विदेशी विनिमय में शामिल लेनदेन एएस 11 ''विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव'' के अनुसार लेखांकित किए जाते हैं।

9.1 पूर्ववर्ती लंदन शाखाओं के अग्रिमों को छोड़कर, जिनका भारत में अंतरण की तिथि को लागू विनिमय दरों के आधार पर परिवर्तन किया जाता है, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के मार्गनिर्देशन के अनुसार तुलन पत्र तिथि पर विनिमय दरों के आधार पर मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों व अन्य दायित्वों को प्रारंभिक रूप से कल्पित दर पर दर्ज किया जाता है और समतुल्य भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाता है।

9.2 अचल आस्तियों जिसे एतिहासिक दर पर ले जाया जाता है, से इतर गैर मौद्रिक मदों को लेन-देन की तिथि को प्रभावी विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

9.3 बकाया वायदा विनिमय स्पॉट व वायदा संविदाओं को तुलन पत्र तिथि को फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है और फलस्वरूप मूल्यांकन पर हुए लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में दिखाया जाता है।

विदेशी विनिमय स्पॉट/फार्वड करार/डील्स (मर्चेंट व इंटर बैंक), जो कि ट्रेडिंग व मर्चट हैज के लिए प्रजोड़ नहीं किए जाते हैं तथा ये तुलन पत्र की तिथि तक बकाया होते हैं, विनिमय लाभ पर पुनर्मूल्यांकन प्रभाव को हटाने के लिए फेडाई (एफईडीएआई) स्पॉट/फार्वड की समाप्ति पर रिवर्स पुनर्मूल्यांकित है। इस तरह के फार्वड विनिमय करार के आत्मसात से उत्पन्न प्रीमियम अथवा छूट करार के समयावधि में ब्याज व्यय या आय के रूप में परिशोधित किए गए है।

9.4 आय तथा व्यय की मदें लेन-देन की तारीख को प्रचलित विदेशी विनिमय दर पर परिवर्तित की जाती हैं।

मौद्रिक मदों के निपटान पर उनसे भिन्न। दरों पर उत्पन्न विनिमय अंतर जिस पर वे शुरूआत में दर्ज किए गए थे, उस अवधि के लिए वे उत्पन्न आय या व्यय के रूप में माने जाते हैं।

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 01.04.2010. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. Pending completion of the registration procedures of the employees concerned, these contributions are retained. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate. Upon the receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

- **COMPENSATED ABSENCES:**

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave (PL) and Sick Leave (including unavailed casual leave) are provided for based on actuarial valuation.

- **OTHER EMPLOYEE BENEFITS**:

Other Employee Benefits such as Leave Fare Concession (LFC), Silver Jubilee Award, etc. are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

**9. TRANSLATION OF FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS & BALANCES:**

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates".

9.1 Except advances of erstwhile London branches which are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of parking in India, all other monetary assets and liabilities, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are translated in Indian Rupee equivalent at the exchange rates prevailing as on the Balance Sheet date as per Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) guidelines.

9.2 Non-monetary items other than fixed assets which are carried at historical cost are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction..

9.3 Outstanding Forward exchange spot and forward contracts are translated as on the Balance Sheet date at the rates notified by FEDAI and the resultant gain/loss on translation is taken to Profit & Loss Account.

Foreign exchange spot/forward contracts/deals (Merchant and Inter-bank) which are not intended for trading/Merchant Hedge and are outstanding on the Balance Sheet date, are reverse re-valued at the closing FEDAI spot/forward rate in order to remove revaluation effect on exchange profit. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortized as interest expense or income over the life of the contract.

9.4 Income and expenditure items are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transaction.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognized as income or as expense in the period in which they arise.

भावी मुद्रा व्यापार में खुली स्थिति के विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण खाते में लाभ/हानि दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृहों के साथ निपटाए जाते हैं और ऐसे लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में लिया जाता है

**9.5 विदेश स्थित शाखाएं / अपतटीय बैंकिंग इकाइयां :**

(i) विदेशी शाखाएं और अपतटीय बैंकिंग यूनिट के परिचालनों को ''गैर समाकलित विदेशी परिचालनों'' में वर्गीकृत किया गया है और विदेश में प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को '' समाकलित विदेशी परिचालनों '' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. समाकलित विदेश परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेनदेनों को और गैर समाकलित विदेशी परिचालनों को लेखांकन मानक – 11 में दिए गए निर्धारण के अनुसार किया गया है।

iii. गैर समाकलित परिचालनों के लाभ/हानि को विनिमय घट-बढ़ प्रारक्षित निधि में जमा/नामे किया जाता है।

**10. आय पर कर**

आयकर व्यय बैंक द्वारा किए गए वर्तमान कर तथा आस्थगित कर व्यय की कुल राशि होता है। आयकर एक्ट, 1961 तथा एकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के प्रावधानों के अनुसार ही वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय की गणना होती है। विदेश में स्थित कार्यालयों पर भुगतान किए गए करों को शामिल करने के बाद आय पर कर के लिए एकाउंटिंग की जाती है जो कि सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के कर नियमों पर आधारित होते हैं।

वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्ति या देयताओं में परिवर्तनो का समायोजन और आगे ले जाए गई हानि होता है। आस्थगित कर आस्ति व देयता, वर्तमान वर्ष के लिए एकाउंटिंग आय और करयोग्य आय के बीच के समय अंतराल के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पहचान की जाती है। आस्थगित कर आस्ति व देयता की गणना कर की दर तथा कर नियमों का प्रजोड़, जो कि तुलन पत्र तिथि में अधिनियमित या वास्तविक अधिनियमित किया गया हो, किया जाता है। आस्थगित कर आस्ति व देयता में परिवर्तन का प्रभाव लाभ व हानि खातों में दिखाई देता है। आस्थगित कर आस्ति को पहचाना जाता है तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुन: आंका जाता है, जो प्रबन्धन की विसम्मति पर आधारित होती है जैसे कि उनकी प्राप्ति यथोचित/वास्तव में निश्चित हो।

**11. प्रति शेयर पर आय**

बैंक की प्रति शेयर आधारभूत आय रिपोर्ट आईसीएआई द्वारा जारी 'प्रति शेयर पर आय' और एएस 20 के अनुसार होती है। बेसिक आय प्रति शेयर की गणना वर्ष के लिए विशेषकर इक्विटी शेयरधारकों को टैक्स के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के बकाया ईक्विटी शेयर की औसतन संख्या से भाग करके प्राप्त की जाती है।

**12. प्रावधान, आकस्मिक देयतायें तथा आकस्मिक आस्तियाँ**

एएएस 29 के अनुसार 'चार्टड एकाउंटेंड संस्थान द्वारा जारी प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियाँ, बैंक इनके प्रावधान की पहचान केवल तभी करता है जब पूर्व घटना के परिणामस्वरुप वर्तमान दायित्व हो तथा जिसके परिणामत: संसाधनों का सम्भावित बहिर्गमन हो जो दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ के लिए आवश्यक हो तथा जब दायित्व की विश्वसनीय राशि अनुमानित की जा सकती हो।

Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

**9.5 Offices outside India / Offshore Banking Units:**

(i) Operations of foreign branches and off shore banking unit are classified as "Non-integral foreign operations" and operations of representative offices abroad are classified as "integral foreign operations".

(ii) Foreign currency transactions of integral foreign operations and non-integral foreign operations are accounted for as prescribed by AS-11.

(iii) Exchange Fluctuation resulting into Profit / loss of non-integral operations is credited /debited to Exchange Fluctuation Reserve.

**10. TAXES ON INCOME**

Income tax expense is the aggregate amount of current tax including Minimum Alternate Tax (MAT), wherever applicable and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax and deferred tax are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

MAT credit is recognized as an asset only when and to the extend there is convincing evidence that there will be payment of normal income tax during the period specified under the income Tax Act, 1961,Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably/virtually certain.

**11. Earnings per Share:**

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 -'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic Earnings per Share are computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

**12. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:**

In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and would result in a probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

वितीय विवरणी में आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं होती है।

13. **बुलियन ट्रांजेक्शन :**

बैंक बुलियन का आयात करता है जिसमें ग्राहकों को बेचने के लिए एक करार पर आधारित बहुमूल्य मेटल बार शामिल है। आयात बैक टू बैक पर विशेष रुप से आधारित है तथा ग्राहक को उसका मूल्य सप्लायर द्वारा अंकित मूल्य पर देना होता है। इन बुलियन ट्रांजेक्शनों में बैंक शुल्क अर्जित करता है। शुल्क को कमीशन आय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बैंक गोल्ड को जमा व उस पर ऋण देता है जिसे ब्याज व्यय/आय की तरह ब्याज भुगतान मामले के आधार पर क्लासीफाईड जमाराशि / उधार की तरह पेशकश किया जाता है।

14. **खंडवार रिपोर्टिंग**

बैंक, आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 की अनुपालना में बिजनेस खंडों की पहचान प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड तथा भौगोलिक खंड को सेकेंडरी रिपोर्टिंग खंड के रुप में करता है।

15. 7 अप्रैल, 2016 को आरबीआई परिपत्र सं. FIDD.CO.Plan.BC.23/04.09.01/2015-16 के अनुसार बैंक, पीएसएलसी का विक्रय या क्रय कर प्राथमिकता क्षेत्र के पोर्टफोलियो में व्यापार करता है। इन लेनदेन में जोखिमों या ऋण आस्तियों का कोई अंतरण नहीं है। पीएसएलसी की खरीद के लिए भुगतान किया गया शुल्क 'व्यय'के रूप में माना जाता है और पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को 'अन्य आय'के रूप में माना जाता है।

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

13 **Bullion Transactions:**

The Bank imports bullion including precious metal bars on a consignment basis for selling to its customers. The imports are typically on a back-to-back basis and are priced to the customer based on price quoted by the supplier. The Bank earns a fee on such bullion transactions. The fee is classified under commission income. The Bank also accepts deposits and lends gold, which is treated as deposits/advances as the case may be with the interest paid / received classified as interest expense/income.

14 **Segment Reporting**

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

15 The Bank, in accordance with RBI Circular FIDD.CO.Plan.BC.23/ 04.09.01/ 2015-16 dated April 7, 2016, trades in Priority Sector portfolio by selling or buying PSLC. There is no transfer of risks or loan assets in these transactions. The fee paid for purchase of the PSLC is treated as an 'Expense' and the Fee received from sale of PSLCs is treated as 'Other Income'.

# लेखों पर टिप्पणियां

1. **समामेलन पर टिप्पणियाँ**

**पंजाब नैशनल बैंक के साथ पूर्ववती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का समामेलन**

क. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपजोड़ कर, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से, 4 मार्च 2020 को पंजाब नैशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (आगे सम्मिलित रूप से अंतरणकर्ता बैंक के रूप में संदर्भित) के समामेलन की योजना को अधिसूचित किया है (आगे अंतरिती बैंक के रूप में संदर्भित)। यह योजना 01 अप्रैल, 2020 को लागू होगी।

योजना के शुरू होने पर, अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रम, अंतरिती बैंक में अंतरित तथा निहित हो जाएंगे। अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों में सभी व्यवसाय, आस्तियाँ (मूर्त और अमूर्त, चल और अचल सहित), देनदारियां वर्तमान या आकस्मिक रिजर्व तथा अधिशेष और अन्य सभी अधिकारों और हितों को शामिल समझा जाएगा, जो अंतरणकर्ता की इन उपक्रमों से संबंधित ऐसी संपत्ति से उत्पन्न हुए हैं जो इस योजना के शुरू होने से ठीक पहले भारत के भीतर या बाहर अंतरणकर्ता बैंकों के स्वामित्त्व, कब्जे, अधिकार या नियंत्रण में थे।

ख. संबंधित लेखा-परीक्षा समितियों की अनुशंषा, संबंधित बैंकों को जारी की गई संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट और निष्पक्ष मत को ध्यान में रखने के बाद, संबंधित बैंकों के बोर्ड ने शेयर विनिमय अनुपात (सर्वथा समरूप रैंकिंग और उनसे जुड़े अधिकार अंतरिती बैंक के उस समय के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान होंगे जिसमें लाभांश, यदि कोई हो, शामिल होगा जिस के संबंध में घोषणा अंतरिती बैंक द्वारा इस योजना के प्रारंभ होने पर या उसके बाद की जा सकती है) निम्नानुसार अनुमोदित किया है:

(i) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के 10 रुपये प्रत्येक के 1000 इक्विटी शेयरों के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रत्येक 2 रुपये के 1150 इक्विटी शेयर।

(ii) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के 10 रुपये के प्रत्येक के 1000 इक्विटी शेयरों के लिए पंजाब नैशनल बैंक के 2 रुपये प्रत्येक के 121 इक्विटी शेयर।

ग. इक्विटी शेयरों के अंश की पात्रता के संबंध में, प्रतिफल का भुगतान नकद में किया जाएगा।

घ. एएस 14 के पैरा 24 के अनुसार प्रकटीकरण - "समामेलन के लिए लेखांकन" निम्नानुसार है:

i) समामेलित कंपनियों अर्थात ई-ओबीसी और ई-यूएनआई के कारोबार की सामान्य प्रकृति पंजाब नैशनल बैंक के कारोबार अर्थात बैंकिंग; की तरह ही है ;

ii) लेखांकन उद्देश्यों के लिए समामेलन की प्रभावी तिथि 01-04-2020 है

iii) समामेलन को प्रतिबिंबित करने के लिए उपयोग की जाने वाली लेखांकन की विधि:

# NOTES TO ACCOUNTS

1. **Note on Amalgamation**

**Amalgamation of Erstwhile Oriental Bank of Commerce and Erstwhile United Bank of India with Punjab National Bank**

a. In exercise of power conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings Act, 1970 (5 of 1970) and section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings Act, 1980 (40 of 1980), after consultation with the Reserve Bank of India), the Government of India (GoI), Ministry of Finance, Department of Financial Services issued Gazette Notification no. CG-DL-E- 04032020-216535 dated March 04, 2020, approving the scheme of Amalgamation of erstwhile Oriental Bank of Commerce and erstwhile United Bank of India (collectively referred to as Transferor Banks) into Punjab National Bank (hereinafter referred to as Transferee Bank) on March 04, 2020. This scheme came into force on the April 01, 2020.

On the commencement of this scheme, the undertakings of the Transferor Banks stand transferred to the Transferee Bank. Undertakings of the transferor banks are deemed to include all business, assets (including tangible and intangible, movable and immovable), liabilities, reserves & surplus and all other rights and interests arising out of such property of the Transferor Banks in relation to the undertakings as were immediately before the commencement of scheme, in the ownership, possession, power or control of the Transferor Banks within or outside India.

b. After taking into consideration the recommendation of the respective Audit Committees, Joint Valuation Report and the fairness opinion issued to the respective banks, the Boards of the respective banks had approved the Share Exchange Ratio (ranking pari passu in all respects and shall have the same rights attached to them as the then existing equity shares of the Transferee Bank, including, in respect of dividends, if any, that declared by the Transferee Bank, on or after the commencement of this scheme) as under:-

(i) 1150 Equity Shares of Rs . 2 each of Punjab National Bank for every 1000 equity shares of Rs. 10 each of **Oriental Bank of Commerce** .

(ii) 121 Equity shares of Rs. 2 each of Punjab National Bank for every 1000 equity shares of Rs. 10 each of **United Bank of India** .

c. In respect of entitlements to fraction of equity shares, the consideration has been paid in cash.

d. Disclosure as per para 24 of AS 14 – "Accounting for Amalgamations" is as under:

i. The general nature of business of the amalgamating companies i.e. e-OBC and e-UNI is same as that of the business of Punjab National Bank i.e Banking;

ii. Effective date of amalgamation for accounting purposes is 01-04-2020

iii. The method of accounting used to reflect the amalgamation:

समामेलन का लेखा-जोखा एएस-14 की "पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट" पद्धति के तहत भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा "एकाउंटिंग फॉर अमेल्गमेशन" पर जारी किया गया है, और बैंक के साथ 01 अप्रैल 2020 से प्रभावी पूर्ववती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पूर्ववती यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के समामेलन को रिकॉर्ड करने के लिए स्वीकृत योजना के अनुसार किया गया है।

सभी आस्तियां और देयताएं (आकस्मिक देनदारियों सहित), हस्तांतरणकर्ता बैंक के कर्तव्यों और दायित्वों को अंतरिती बैंक के खाते की बही में उनकी मौजूदा वहन राशियों पर और उसी रूप में 01 अप्रैल, 2020 को, समायोजन के अलावा एएस-14 के तहत आवश्यक लेखा नीतियों की एकरूपता लाने के लिए दर्ज किया गया है।

समामेलन पर ली गई शुद्ध आस्ति इस प्रकार है:

| अधिग्रहीत आस्तियों का विवरण | ई-ओबीसी | ई-यूएनआई | जोड़ |
|---|---|---|---|
| आरबीआई के पास नकद और जमा शेष | 10,432.37 | 4,852.96 | 15,285.33 |
| बैंकों के पास जमा शेष और कॉल और शॉर्ट नोटिस पर राशि | 5,713.92 | 8,724.68 | 14,438.60 |
| निवेश | 72,938.99 | 58,636.92 | 131,575.91 |
| अग्रिम | 157,888.39 | 67,330.21 | 225,218.60 |
| अचल आस्तियां | 2,443.05 | 1,418.49 | 3,861.54 |
| अन्य आस्तियां | 18,763.90 | 11,839.09 | 30,602.99 |
| कुल आस्ति (क) | **268,180.62** | **152,802.35** | **420,982.97** |
| ली गई देयताएं | | | |
| आरक्षित निधियां और अधिशेष | 15,168.88 | -2,160.70 | 13,008.18 |
| जमाराशियां | 230,108.22 | 137,614.60 | 367,722.82 |
| उधार | 14,016.31 | 2,270.09 | 16,286.40 |
| अन्य देयताएं और प्रावधान | 7,675.18 | 6,233.70 | 13,908.88 |
| देयताओं का जोड़ (बी) | **266,968.59** | **143,957.69** | **410,926.28** |
| अधिगृहित निवल आस्तियां | | | |
| सी = (ए-बी) | **1,212.03** | **8,844.66** | **10,056.69** |
| घटाएं : | | | |
| (डी) रुपये 2 के अंकित मूल्य के 2,67,30,63,327 शेयर प्रत्येक पीएनबी द्वारा प्रतिफल के रूप में जारी किया गया | 315.14 | 219.47 | 534.61 |
| (ई) शेयरों की आंशिक पात्रता के बदले नकद | 0.26 | 0.24 | 0.50 |
| (एफ) समायोजन (शुरुआती बैलेंस शीट के अनुसार शेष सामंजस्य प्रभाव) | | | 253.29 |
| अंतर अंतरित एफ = (सी-(डी+ई+एफ)) | | | 9,268.29 |

The amalgamation has been accounted under the "pooling of interest" method of AS-14 issued by the Institute of Chartered Accountants of India on "Accounting for Amalgamations", and as per the approved Scheme of Amalgamation to record amalgamation of erstwhile Oriental Bank of Commerce and erstwhile United Bank of India with the Bank w.e.f. April 01, 2020.

All assets and liabilities (including contingent liabilities), duties and obligations of transferor Bank have been be recorded in the books of account of Transferee bank at their existing carrying amounts and in the same form as on April 01, 2020, except for adjustments to bring uniformity of accounting policies as required under AS-14.

The net assets taken over on amalgamation are as under:

**Rs. in crores**

| Details of Assets taken over | e-OBC | e-UNI | Total |
|---|---|---|---|
| Cash and Balances with RBI | 10,432.37 | 4,852.96 | 15,285.33 |
| Balance with banks and Money at Call and Short Notice | 5,713.92 | 8,724.68 | 14,438.60 |
| Investments | 72,938.99 | 58,636.92 | 131,575.91 |
| Advances | 157,888.39 | 67,330.21 | 225,218.60 |
| Fixed Assets | 2,443.05 | 1,418.49 | 3,861.54 |
| Other Assets | 18,763.90 | 11,839.09 | 30,602.99 |
| **Total Assets (A)** | **268,180.62** | **152,802.35** | **420,982.97** |
| **Liabilities taken over** | | | |
| Reserves and Surplus | 15,168.88 | -2,160.70 | 13,008.18 |
| Deposits | 230,108.22 | 137,614.60 | 367,722.82 |
| Borrowings | 14,016.31 | 2,270.09 | 16,286.40 |
| Other Liabilities and Provisions | 7,675.18 | 6,233.70 | 13,908.88 |
| **Total Liabilities (B)** | **266,968.59** | **143,957.69** | **410,926.28** |
| **Net Assets taken over C = (A-B)** | **1,212.03** | **8,844.66** | **10,056.69** |
| Less : | | | |
| (D) 2,67,30,63,327 shares of face value of Rs. 2 each issued by PNB as consideration | 315.14 | 219.47 | 534.61 |
| (E) Cash in lieu of fractional entitlement of shares | 0.26 | 0.24 | 0.50 |
| (F) Adjustments (Residual harmonization impacts as per opening Balance Sheet) | | | 253.29 |
| Difference transferred F = (C-(D+E+F)) | | | 9,268.29 |

तदनुसार, समामेलन करने वाले बैंकों की निवल आस्तियों और समामेलक बैंकों के शेयरधारकों को जारी किए गए शेयरों की राशि के बीच 9,268.29 करोड़ रुपये (समायोजन को घटाकर) के अंतर को समामेलन समायोजन आरक्षित निधि के रूप में मान्यता दी गई है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पूर्ववर्ती यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लेनदेन शामिल हैं, जिनका बैंक के साथ 1 अप्रैल 2020 को विलय कर दिया गया है और इसलिए 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के आंकड़े 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के साथ तुलनीय नहीं हैं।

2.1 समेकित वित्तीय विवरणियाँ तैयार करते समय 5 अनुषंगी, 15 सहयोगी (जो मूल पंजाब नैशनल बैंक के साथ, समूह का गठन करते हैं), पर विचार किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :

| क्र.सं. | अनुषंगी कंपनी का नाम | देश का नाम जहाँ कम्पनी निगमित है | निम्नलिखित तिथियों को धारित मताधिकार का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| 1. | पीएनबी गिल्टस लिमिटेड$# | भारत | 74.07 | 74.07 |
| 2. | पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनैशनल) लिमिटेड यूके$ | यूनाईटेड किंगडम | 100.00 | 100.00 |
| 3. | पीएनबी इनवेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड$ | भारत | 100.00 | 100.00 |
| 4. | ड्रुक पीएनबी बैंक लि. भूटान | भूटान | 51.00 | 51.00 |
| 5. | पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसिज लि.$& | भारत | 100.00 | – |

$पीएनबी समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़ों को लिया गया है।

#कम्पनियों की वित्तीय विवरणियाँ, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखा-परीक्षा पूरी होने और उनकी रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन हैं।

&16.03.2021 को शामिल किया गया। 06.04.2021 को पूँजी दी गई।

**2.2. समेकित वित्तीय विवरणियों में निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं पर विचार किया गया है : (% में )**

| क्र. सं. | सहयोगी संस्था | देश का नाम जहाँ कम्पनी निगमित है | निम्नलिखित तिथि को स्वामित्व प्रतिशत का अनुपात | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| 1 | दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक पटना | भारत | 35.00 | 35.00 |
| 2. | सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक$ | भारत | 35.00 | 35.00 |
| 3. | हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी$ | भारत | 35.00 | 35.00 |
| 4. | पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला$ | भारत | 35.00 | 35.00 |

Accordingly, the difference of Rs.9,268.29 Crore (net-off adjustments) between the net assets of amalgamating banks and the amount of shares issued to shareholders of the amalgamating banks has been recognized as Amalgamation Adjustment Reserve.

Standalone Financial Statement for the year ended 31 March 2021 includes operations of erstwhile Oriental Bank of Commerce and erstwhile United Bank of India which are amalgamated with the Bank w.e.f. 1 April 2020 and hence the figures for year ended 31 March 2021 are not comparable with corresponding year ended 31 March 2020.

2.1. The 5 Subsidiaries and 15 Associates (which along with Punjab National Bank, the parent, constitute the Group) are considered in the preparation of the consolidated financial statements are as under:

| Sl. No. | Name of the Subsidiary Company | Country of incorporation | In % Voting power held as at | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| 1. | PNB Gilts Limited$# | India | 74.07 | 74.07 |
| 2. | Punjab National Bank (International) Ltd.UK$ | United Kingdom | 100.00 | 100.00 |
| 3. | PNB Investment Services Ltd.$ | India | 100.00 | 100.00 |
| 4. | Druk PNB Bank Ltd. Bhutan | Bhutan | 51.00 | 51.00 |
| 5. | PNB Cards and Services Ltd$& | India | 100.00 | |

$Un-Audited Financials have been taken while preparing consolidated financial statements of PNB group.

#The financial statements of the company is subject to Supplementary Audit by the Comptroller & Audit General of India, under the Companies Act, 2013 and receipt of their report.

& Incorporated on 16.03.2021. The Capital was infused on 06.04.2021

**2.2. Associates considered in consolidated financial statements are as under: (in %)**

| Sl. No. | Associates | Country of incorpora-tion | Proportion of ownership percentage as at | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| 1. | Dakshin Bihar Gramin Bank,Patna$ | India | 35.00 | 35.00 |
| 2. | Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak$ | India | 35.00 | 35.00 |
| 3. | Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi$ | India | 35.00 | 35.00 |
| 4. | Punjab Gramin Bank, Kapurthala$ | India | 35.00 | 35.00 |

| क्र. सं. | सहयोगी संस्था | देश का नाम जहाँ कम्पनी निगमित है | निम्नलिखित तिथि को स्वामित्व प्रतिशत का अनुपात | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| 5. | प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद$ | भारत | 35.00 | 35.00 |
| 6. | असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी$ | भारत | 35.00 | 35.00 |
| 7. | बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल$ | भारत | 35.00 | 35.00 |
| 8. | मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल$ | भारत | 35.00 | 35.00 |
| 9. | त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला$ | भारत | 35.00 | 35.00 |
| 10. | पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. | भारत | 35.00 | 30.00 |
| 11. | जेएससी (टेंगरी बैंक), एल्माटी, कज़ाखिस्तान$ | कज़ाखिसतान | 41.64 | 41.64 |
| 12. | पीएनबी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड | भारत | 32.64 | 32.65 |
| 13. | केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.# | भारत | 23.00 | 0.00 |
| 14. | इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रकशन कं.लि. | भारत | 20.90 | 9.00 |
| 15. | एवरेस्ट बैंक लिमिटेड$** | नेपाल | 20.03 | 20.03 |

@ पीएनबी ने ब्रांड इक्विटी के रूप में रु700.48/- पर विचार करते हुए पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 30% की भागीदारी का अधिग्रहण किया है।

$पीएनबी समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय गैर लेखा-परीक्षित वित्त लिया गया है।

^एएफआर ने जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस 18.09.2020 से रद्द कर दिया। अस्थायी प्रशासक ने 28 सितंबर 2020 को जेएससी टेंगरी बैंक की परिसमापन प्रक्रिया के लिए मुकदमा दायर किया है। 15.02.2021 को, अपील न्यायालय द्वारा जेएससी टेंगरी बैंक के परिसमापन पर निर्णय लागू हुआ। 19.02.2021 को, टेंगरी बैंक के परिसमापन आयोग ने बैंक के परिसमापन की जानकारी प्रकाशित की।

#समामेलन के बाद, 01.04.2020 से केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पीएनबी के सहयोगी बन गए हैं।

*पूर्ववती पीएनबी 1.0, ई-ओबीसी और ई-यूएनआई ने इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईएसएआरसी) में क्रमशः 9%, 1.90% और 10% का निवेश किया था। विलय के बाद, 01.04.2020 से आईएसएआरसी को पीएनबी के एक सहयोगी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान में पीएनबी 2.0 की 20.90% की शेयरधारिता है।

**एवरेस्ट बैंक लिमिटेड का लेखांकन वर्ष हमारे बैंक से भिन्न है।

| Sl. No. | Associates | Country of incorpora-tion | Proportion of ownership percentage as at | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| 5. | Prathama UP Gramin Bank, Moradabad$ | India | 35.00 | 35.00 |
| 6. | Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati$ | India | 35.00 | 35.00 |
| 7. | Bangiya Gramin Vikas Bank, West Bengal$ | India | 35.00 | 35.00 |
| 8. | Manipur Rural Bank, Imphal$ | India | 35.00 | 35.00 |
| 9. | Tripura Gramin Bank, Agartala$ | India | 35.00 | 35.00 |
| 10. | PNB Metlife India Insurance Company Ltd @ | India | 30.00 | 30.00 |
| 11. | JSC (Tengri Bank), Almaty, Kazakhstan$ ^ | Kazakhstan | 41.64 | 41.64 |
| 12. | PNB Housing Finance Limited$ | India | 32.64 | 32.65 |
| 13. | Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd. # | India | 23.00 | 0.00 |
| 14. | India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.$* | India | 20.90 | 9.00 |
| 15. | Everest Bank Ltd.$ ** | Nepal | 20.03 | 20.03 |

$Un-Audited Financials have been taken while preparing consolidated financial statements of PNB group.

@PNB has acquired 30% stake in PNB MetLife India Insurance Company Ltd at consideration of Rs. 700.48 as brand equity.

^AFR revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020. Temporary Administrator has filed law suit for liquidation process of JSC Tengri Bank on 28th September 2020. On 15.02.2021, the decision on liquidation of JSC Tengri Bank came into force by the Appeal Court. On 19.02.2021, the Liquidation commission of Tengri Bank published information of liquidation of the Bank.

#After amalgamation, Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd become an associate of PNB w.e.f. 01.04.2020.

*Earlier PNB 1.0, e-OBC and e-UNI has investment of 9%, 1.90% and 10% respectively in India SME Asset Reconstruction Co. Ltd (ISARC). Post-merger, ISARC has been classified as an associate of PNB w.e.f. 01.04.2020. PNB 2.0 is having shareholding of 20.90% as on date.

**Everest Bank Ltd. follows accounting year different from that of the Parent.

3.1 **पूँजी आरक्षित निधिधसाख का विवरण निम्नलिखित है :-**

**( रु. करोड़ में )**

| **विवरण** | **31.03.2021** | **31.03.2020** |
|---|---|---|
| साख | 0.24 | 0.24 |
| आरक्षित पूँजी | 74.45 | 66.77 |
| साख (शुद्ध) | 0.00 | 0.00 |
| **समेकन पर आरक्षित पूँजी** | **74.21** | **66.53** |

3.2 **टीयर-। और टीयर-।। पूँजी के रूप में जुटाए गए बेमियादी बंधपत्र/ गौण उधार:**

**( रु. करोड़ में )**

| **विवरण** | **31.03.2021** | **31.03.2020** |
|---|---|---|
| वर्ष के दौरान लोअर टीयर-।। पूँजी के रूप में जुटाई गई गौण ऋण की राशि | 3994.00 | 1500.00 |
| वर्ष के दौरान अपर टीयर-।। पूँजी के रूप में जुटाई गई गौण ऋण की राशि | 0.00 | 0.00 |
| वर्ष के दौरान टीयर-। पूँजी के रूप में जुटाए गए बेमियादी बंधपत्रों की राशि | 0.00 | 0.00 |

3.3 **समूह की पूँजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-III के अनुसार) निम्नलिखित है :**

| विवरण | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| सामान्य इक्विटी टीयर। पूंजी अनुपात (%) (बेसल।।।) (%) | 10.89% | 10.98% |
| टीयर-1 पूंजी अनुपात (%) (बेसल।।।) (%) | 11.80% | 12.23% |
| टीयर-2 पूंजी अनुपात (%) (बेसल।।।) (%) | 2.84% | 2.27% |
| **कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) (बेसल।।।) (%)** | **14.64%** | **14.50%** |

आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. DBR.No.BP.BC.83/21.06.201 2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के माध्यम से सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना के उद्देश्य से बैंकों को आरक्षित निधि के पुनर्मूल्यन, विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व और आस्थगित कर आस्तियों पर विचार करने के लिए विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में इस विकल्प का प्रयोग किया है।

4. **लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण**

4.1 **लेखा मानक-5 अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखांकन नीति में परिवर्तन**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों को लेखांकन नीतियों और कार्यप्रणालियों का पालन करते हुए तैयार किया गया है, जैसा कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एनपीए खातों में वसूली के विनियोग को छोड़कर, वार्षिक वित्तीय विवरणों में पालन किया गया है।

31 मार्च, 2020 के बाद, बैंक ने अपनी एनपीए खातों में वसूली के विनियोग के लिए अपनी लेखा नीति को वसूली के विनियोग की पूर्ववर्ती नीति जिसमें पहले प्रभारों के विरुद्ध वसूली फिर मूल अग्रिम

3.1 **The break-up of Capital Reserve/Goodwill is as follows: -**

**(Amount in Rs Crore)**

| **Particulars** | **31.03.2021** | **31.03.2020** |
|---|---|---|
| Goodwill | 0.24 | 0.24 |
| Capital Reserves | 74.45 | 66.77 |
| Goodwill (Net) | 0.00 | 0.00 |
| Capital Reserve on Consolidation | 74.21 | 66.53 |

3.2 **Perpetual bonds/sub-ordinated debt raised as Tier I and Tier II Capital:**

**(Amount in Rs Crore)**

| **Particulars** | **31.03.2021** | **31.03.2020** |
|---|---|---|
| Amount of sub-ordinated debt raised as Lower Tier-II Capital during the period | 3994.00 | 1500.00 |
| Amount of sub-ordinated debt raised as Upper Tier-II Capital during the period | 0.00 | 0.00 |
| Amount of perpetual bonds raised as Tier-I Capital during the period | 0.00 | 0.00 |

3.3 **The capital adequacy ratio (as per Basel III) of the bank group is as under:**

| **Particulars** | **31.03.2021** | **31.03.2020** |
|---|---|---|
| Common equity Tier 1 Capital ratio (%) | 10.89% | 10.98% |
| Tier 1 Capital ratio (%) | 11.80% | 12.23% |
| Tier 2 Capital ratio (%) | 2.84% | 2.27% |
| **Total Capital ratio (CRAR) (%)** | **14.64%** | **14.50%** |

RBI vide circular no. DBR.No.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 dated 1st March, 2016 has given discretion to banks to consider Revaluation Reserve, Foreign Currency Translation Reserve and Deferred Tax Asset for purpose of computation of Capital Adequacy as CET-1 capital ratio. The Bank has exercised the option in the above computation.

4. **Disclosures required by Accounting Standards**

4.1 **Accounting Standard - 5 Net Profit or Loss for the period, Prior Period items and Change in Accounting Policy.**

The financial results for the year ended March 31, 2021 have been prepared following the Accounting Policies and practices as those followed in the annual financial statements for the year ended March 31, 2020, except appropriation of recoveries in NPA accounts.

After March 31, 2020, the Bank has changed its accounting policy for appropriation of recovery in NPA accounts from the earlier policy of appropriating recovery first against

राशि तथा दर्ज/अमान्य आय विनियोजित की जाती थी, को नई नीति से प्रतिस्थापित कर दिया है जिसमें पहले प्रभारों के विरुद्ध वसूली फिर मूल के विरुद्ध दर्ज ब्याज/अमान्य ब्याज तथा शेष राशि विनियोजित की जायेगी।

**4.2 लेखा मानक 6 : मूल्यह्रास लेखांकन**

वर्ष में आस्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए किए गए मूल्यह्रास का ब्यौरा

**(रु. करोड़ में)**

| विवरण (आस्ति श्रेणी) | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| परिसर | 159.07 | 95.67 |
| अन्य अचल आस्तियां | 673.35 | 428.35 |
| पट्टे पर आस्तियां | 0.01 | 0.01 |
| कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | 149.80 | 90.41 |
| **जोड़** | **982.23** | **614.44** |

**4.3 लेखा मानक 9 : राजस्व पहचान**

जिस आय को वसूली के आधार पर लेखांकित किया गया है उसे महत्वपूर्ण नहीं माना गया है।

**4.3 लेखा मानक 11 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन :**

विनिमय घट-बढ़ आरक्षित निधि का संचलन :

**(रु. करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 823.79 | 665.57 |
| वर्ष के दौरान जोड़ | 118.55 | 318.90 |
| वर्ष के दौरान घटा | 25.29 | 7.58 |
| अंतिम शेष | 917.05 | 976.89 |

charges recorded then principal advance amount and balance towards recorded/ derecognized income, to the new policy of appropriation of recovery first against the charges recorded, followed by recorded interest/derecognized interest and balance against the principal. This change in accounting policy has resulted in increase in profit before tax by Rs.611.97Crore for year ended March 31, 2021.

**4.2 AS 6 - Depreciation accounting**

Break-up of total depreciation for the year for each class of assets

**(Amount in Rs Crore)**

| Particulars (Class of Assets) | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Premises | 159.07 | 95.67 |
| Other fixed assets | 673.35 | 428.35 |
| Leased assets | 0.01 | 0.01 |
| Computer software | 149.80 | 90.41 |
| **Total** | **982.23** | **614.44** |

**4.3 AS 9 - Revenue Recognition**

The income which has been accounted for on realization basis is not considered to be material.

**4.4 AS 11- Changes in Foreign Exchange rates:**

Movement of Exchange Fluctuation Reserve

**(Amount in Rs Crore)**

| Particulars | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Opening Balance | 823.79 | 665.57 |
| Addition during the year | 118.55 | 318.90 |
| Deduction during the year | 25.29 | 7.58 |
| Closing Balance | 917.05 | 976.89 |

4.5 लेखा मानक 15 (संशोधित) - कर्मचारी लाभ (मूल कम्पनी):

लेखा मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार प्रकटीकरण

लेखांकन नीति के अनुरूप तथा लेखा मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार सेवायोजन के लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

परिभाषित लाभ योजना

तालिका I. - प्रधान बीमांकिक मान्यता तथा इन मान्यताओं का आधार

| बीमांकिक मान्यता | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-03-2021 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2020 |
| बट्टा दर | 6.85% | 6.90% | 6.55% | 6.45% | 6.55% | 6.45% |
| योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ | 6.85% | 6.90% | 6.55% | 6.45% | लागू नहीं | लागू नहीं |
| वेतन में वृद्धि की दर | - | - | 6.00% | 5.99% | 6.00% | 5.99% |
| महंगाई राहत की वृद्धि दर | 5.80% | 5.80% | - | - | - | - |
| पलायन दर | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |

तालिका II. दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(सभी राशि करोड़ में)

| | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | अवधि के शुरूआत में योजनागत अस्तियों का उचित मूल्य | 29043.14 | 27,743.93 | 3229.08 | 3,282.54 | 1944.29 | 1,844.42 |
| जोड़ें | पूर्ववती ओबीसी और यूएनआई का पीवीओ | 16605.01 | - | 1601.39 | - | 1142.62 | - |
| जोड़ें | ब्याज लागत | 3043.60 | 2,111.94 | 274.85 | 200.56 | 199.11 | 130.03 |
| जोड़ें | चालू सेवा लागत | 508.01 | 286.78 | 252.96 | 162.25 | 212.19 | 125.12 |
| जोड़ें | पूर्व सेवा लागत | - | - | - | - | - | - |
| घटाएं | प्रदत्त लाभ | (2979.81) | (1,743.64) | (697.05) | (561.16) | (646.57) | (352.35) |
| **(ए)** | योजनागत अस्तियों पर बीमांकिक हानि/(लाभ) (मिलान आंकड़ें) | 135.40 | 644.13 | (262.45) | 144.89 | 594.39 | 197.07 |
| | **अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य** | **46355.35** | **29,043.14** | **4398.78** | **3229.08** | **3446.03** | **1944.29** |

तालिका III. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

| | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31-03-2021 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2020 | 31-03-2021* | 31-03-2020 |
| | अवधि के शुरूआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | 29011.95 | 27,472.21 | 3118.63 | 3,085.70 | - | - |
| जोड़ें | पूर्ववर्ती ओबीसी और यूएनआई का उचित मूल्य | 13296.92 | - | 1409.10 | - | 141.89 | - |
| जोड़ें | योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ | 2813.19 | 2,090.75 | 263.49 | 192.41 | 9.36 | - |
| जोड़ें | बैंक द्वारा अंशदान | 4937.20 | 856.96 | 440.24 | 339.24 | 2944.68 | 352.35 |
| घटाएं | प्रदत्त लाभ | (2979.81) | (1,743.64) | (697.05) | (561.16) | (363.48) | (352.35) |
| **(बी)** | दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ) (मिलान आंकड़े) | (347.66) | 335.67 | (32.33) | 62.44 | 47.16 | - |
| | **अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य** | **46731.79** | **29,011.95** | **4502.08** | **3118.63** | **2779.62** | **-** |

### 4.5 AS 15 (Revised) – Employees Benefits (Parent Company):

**DISCLOSURE IN ACCORDANCE WITH AS-15 (R):**

In line with the accounting policy and as per the Accounting Standard – 15(R), the summarized position of employment benefits is as under:

**A. Defined benefit Plans**

**TABLE I - Principal Actuarial Assumptions and the basis of these assumptions**

| Actuarial Assumptions | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| Discount Rate | 6.85% | 6.90% | 6.55% | 6.45% | 6.55% | 6.45% |
| Expected Return on Plan Assets | 6.85% | 6.90% | 6.55% | 6.45% | NA | NA |
| Rate of Escalation In salary | - | - | 6.00% | 5.99% | 6.00% | 5.99% |
| Dearness Relief Escalation Rate | 5.80% | 5.80% | - | - | - | - |
| Attrition Rate | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |

**TABLE II - Changes in Present value of the obligation**

**(ALL AMOUNTS IN CRORES)**

| | | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | Present value of Obligation at the beginning of period | 29043.14 | 27,743.93 | 3229.08 | 3,282.54 | 1944.29 | 1,844.42 |
| Add | PVO of erstwhile OBC & UNI | 16605.01 | - | 1601.39 | - | 1142.62 | - |
| Add: | Interest Cost | 3043.60 | 2,111.94 | 274.85 | 200.56 | 199.11 | 130.03 |
| Add: | Current Service Cost | 508.01 | 286.78 | 252.96 | 162.25 | 212.19 | 125.12 |
| Add: | Past Service Cost | - | - | - | - | - | - |
| Less: | Benefits paid | (2979.81) | (1,743.64) | (697.05) | (561.16) | (646.57) | (352.35) |
| (A) | Actuarial loss / (gain) on obligations (Balancing Figure) | 135.40 | 644.13 | (262.45) | 144.89 | 594.39 | 197.07 |
| | **Present value of Obligation as at the end of the period** | **46355.35** | **29,043.14** | **4398.78** | **3229.08** | **3446.03** | **1944.29** |

**TABLE III - Changes in the FV of the Plan Assets**

| | | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 * | 31.03.2020 |
| | FAIR value of Plan Assets, at the beginning of period | 29011.95 | 27,472.21 | 3118.63 | 3,085.70 | - | - |
| Add | Fair value of erstwhile OBC & UNI | 13296.92 | - | 1409.10 | - | 141.89 | - |
| Add: | Expected return on Plan assets | 2813.19 | 2,090.75 | 263.49 | 192.41 | 9.36 | - |
| Add: | Contributions by Bank | 4937.20 | 856.96 | 440.24 | 339.24 | 2944.68 | 352.35 |
| Less: | Benefits Paid | (2979.81) | (1,743.64) | (697.05) | (561.16) | (363.48) | (352.35) |
| (B) | Actuarial (loss) / gain on Plan Assets (Balancing Figure) | (347.66) | 335.67 | (32.33) | 62.44 | 47.16 | - |
| | **FAIR value of Plan Assets as at the end of the period** | **46731.79** | **29,011.95** | **4502.08** | **3118.63** | **2779.62** | **-** |

**तालिका IV. योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल**

| | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31-03-2021 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2020 |
| | योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल | 2813.19 | 2,090.75 | 263.49 | 192.41 | 9.36 | - |
| जोड़ें | योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (हानि)/लाभ | (347.66) | 335.67 | (32.33) | 62.44 | 47.16 | - |
| | | | | | | | |
| | **योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल** | **2465.53** | **2426.42** | **231.16** | **254.85** | **56.52** | **-** |

**तालिका V.-मान्य शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि**

| | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31-03-2021 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2020 |
| | अवधि के लिए बीमांकिक (हानि)/लाभ दायित्व | (135.40) | (644.13) | 262.45 | (144.89) | (594.39) | (197.07) |
| | अवधि के लिए बीमांकिक (हानि)/लाभ- योजनागत आस्तियों | (347.66) | 335.67 | (32.33) | 62.44 | 47.16 | 0 |
| | अवधि के लिए कुल (लाभ)हानि | 483.06 | 308.46 | (230.12) | 82.45 | 547.23 | 197.07 |
| | **अवधि में मान्य बीमांकिक (लाभ) / हानि** | **483.06** | **308.46** | **(230.12)** | **82.45** | **547.23** | **197.07** |
| | वर्ष के अंत में अमान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**तालिका VI. तुलनपत्र में मान्य राशि**

| | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31-03-2021 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2020 |
| | दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 46355.35 | 29,043.14 | 4398.78 | 3,229.08 | 3446.03 | 1,944.30 |
| घटाएं | योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | 46731.79 | 29,011.95 | 4502.08 | 3,118.63 | 2779.62 | - |
| | अन्तर | (376.44) | 31.19 | (103.30) | 110.45 | 666.41 | 1,944.30 |
| | अमान्य ट्रांजिशनल देयतायें | - | - | - | - | - | - |
| घटाएं | अमान्य पूर्व सेवा लागत - निहित लाभ - आगे ले जाया गया | - | - | - | - | - | - |
| | तुलनपत्र में मान्य देयताएं | (376.44) | 31.19 | (103.30) | 110.45 | 666.41 | 1,944.30 |
| | | | | | | | |
| | एएस-15 आर के परिच्छेद 55 के तहत् निर्धारित नकारात्मक राशि | - | - | - | - | - | - |
| | उपलब्ध प्रतिदाय का वर्तमान मूल्य और भावी अंशदानों में कटौती | - | - | - | - | - | - |
| | **लेखा मानक - 15 (संशोधित) के पैरा 59 (बी) के अनुसार परिणामी आस्तियां** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

### TABLE IV - Actual Return on Plan Assets

| | | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | Expected return on Plan Assets | 2813.19 | 2,090.75 | 263.49 | 192.41 | 9.36 | - |
| Add | Actuarial (loss) / gain on Plan Assets | (347.66) | 335.67 | (32.33) | 62.44 | 47.16 | - |
| | | | | | | | |
| | **Actual Return on Plan Assets** | **2465.53** | **2426.42** | **231.16** | **254.85** | **56.52** | **-** |

### TABLE V - Net Actuarial (Gain) / loss Recognized

| | | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | Actuarial gain / (loss) for the period - Obligations | (135.40) | (644.13) | 262.45 | (144.89) | (594.39) | (197.07) |
| | Actuarial gain / (loss) for the period - Plan Assets | (347.66) | 335.67 | (32.33) | 62.44 | 47.16 | 0 |
| | Total (Gain) / Loss for the period | 483.06 | 308.46 | (230.12) | 82.45 | 547.23 | 197.07 |
| | **Actuarial (gain) or loss recognised in the period** | **483.06** | **308.46** | **(230.12)** | **82.45** | **547.23** | **197.07** |
| | Unrecognised Actuarial (gain) / loss at the end of the year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### TABLE VI - Amount recognized in Balance Sheet

| | | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | Present value of Obligation | 46355.35 | 29,043.14 | 4398.78 | 3,229.08 | 3446.03 | 1,944.30 |
| Less | FAIR value of Plan Assets, | 46731.79 | 29,011.95 | 4502.08 | 3,118.63 | 2779.62 | - |
| | Difference | (376.44) | 31.19 | (103.30) | 110.45 | 666.41 | 1,944.30 |
| | Unrecognised Transitional Liabilty | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Less | Unrecognised Past Service cost - vested benefits - Carried Forward | - | - | - | - | - | - |
| | Liability Recognised in the Balance Sheet | (376.44) | 31.19 | (103.30) | 110.45 | 666.41 | 1,944.30 |
| | | | | | | | |
| | Negative amount determined under Paragraph 55 of AS-15 (R) | - | - | - | - | - | - |
| | Present value of available refunds and reductions in future contributions | - | - | - | - | - | - |
| | **Resulting asset as per Paragraph 59 (b) of AS-15 ( R )** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

तालिका VII. लाभ व हानि खाते में मान्य व्यय

| | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31-03-2021 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2020 |
| | | | | | | | |
| | चालू सेवा लागत | 508.01 | 286.78 | 252.96 | 162.25 | 212.19 | 125.12 |
| जोड़ें | ब्याज लागत | 3043.60 | 2,111.94 | 274.85 | 200.56 | 199.11 | 130.03 |
| घटाएं | योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल | (2813.19) | (2,090.75) | (263.49) | (192.41) | (9.36) | - |
| जोड़ें | वर्ष में मान्य शुद्ध बीमांकित(लाभ) / हानि | 483.06 | 308.46 | (230.12) | 82.45 | 547.23 | 197.07 |
| जोड़ें | पूर्व सेवा लागत- मान्य | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | **लाभ व हानि खाते की विवरणी में मान्य व्यय** | **1221.48** | **616.44** | **34.20** | **252.85** | **949.16** | **452.22** |

तालिका VIII. तुलनपत्र में मान्य होने वाली शुद्ध देयता में उतार-चढ़ाव

| | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **31.03.2021** | **31.03.2020** | **31.03.2021** | **31.03.2020** | **31.03.2021** | **31.03.2020** |
| | प्रारम्भिक शुद्ध देयता | 31.19 | 271.72 | 302.75 | 196.84 | 1944.30 | 1,844.42 |
| जोड़ें | पूर्ववर्ती ओबीसी और यूएनआई की प्रारम्भिक शुद्ध देयता | 3308.09 | - | - | - | 1000.72 | - |
| जोड़ें | व्यय | 1221.48 | 616.44 | 34.20 | 252.85 | 949.16 | 452.22 |
| घटाएं | प्रदत्त अंशदान | (4937.20) | (856.96) | (440.24) | (339.24) | (2944.68) | **(352.35)** |
| घटाएं | कम्पनी द्वारा प्रदत्त लाभ | - | - | - | - | (283.09) | |
| | **अंतिम शुद्ध देयता( चालू अवधि में तुलन-पत्र में मान्य देयता )** | (376.44) | 31.19 | (103.29) | 110.45 | 666.41 | 1,944.30 |

तालिका IX. वर्तमान अवधि के लिए राशि

| | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **31.03.2021** | **31.03.2020** | **31.03.2021** | **31.03.2020** | **31.03.2021** | **31.03.2020** |
| | दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 46355.35 | 29,043.14 | 4398.78 | 3,229.08 | 3446.03 | 1,944.30 |
| | योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | 46731.79 | 29,011.95 | 4502.08 | 3,118.63 | 2779.62 | |
| | अमान्य पूर्व सेवा लागत से पूर्व अधिशेष/(घाटा) | 376.44 | (31.19) | 103.30 | (110.45) | (666.41) | (1,944.30) |
| | योजनागत देयताओं में अनुभाविक समायोजन -(हानि)/लाभ | (1016.12) | 3,982.16 | (243.27) | 37.11 | 744.92 | **161.94** |
| | **योजनागत आस्तियों में अनुभाविक समायोजन-( हानि )धलाभ** | **347.66** | **(335.67)** | **32.33** | **(62.44)** | **(47.16)** | **-** |

### TABLE VII - Expense to be recognized in Profit and loss Account

| | | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | | | | | | | |
| | Current Service Cost | 508.01 | 286.78 | 252.96 | 162.25 | 212.19 | 125.12 |
| Add: | Interest cost | 3043.60 | 2,111.94 | 274.85 | 200.56 | 199.11 | 130.03 |
| Less: | Expected return on Plan assets | (2813.19) | (2,090.75) | (263.49) | (192.41) | (9.36) | - |
| Add: | Net Actuarial (gain) / loss recognized in year | 483.06 | 308.46 | (230.12) | 82.45 | 547.23 | 197.07 |
| Add: | Past Service Cost-recognized | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | **Expenses recognized in the statement of profit and loss** | **1221.48** | **616.44** | **34.20** | **252.85** | **949.16** | **452.22** |

### TABLE VIII- Movement in Net Liability to be recognized in Balance Sheet

| | | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | Opening Net Liability | 31.19 | 271.72 | 302.75 | 196.84 | 1944.30 | 1,844.42 |
| Add | Opening Net liability of Erstwhile OBC & UNI | 3308.09 | - | - | - | 1000.72 | - |
| Add: | Expense | 1221.48 | 616.44 | 34.20 | 252.85 | 949.16 | 452.22 |
| Less: | Contributions Paid | (4937.20) | (856.96) | (440.24) | (339.24) | (2944.68) | **(352.35)** |
| Less: | Benefits paid by the company | - | - | - | - | (283.09) | |
| | **Closing Net Liability (Liability recognized in B/S in current period)** | (376.44) | 31.19 | (103.29) | 110.45 | 666.41 | 1,944.30 |

### TABLE IX -Amount for the current Period

| | | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | Present value of Obligation | 46355.35 | 29,043.14 | 4398.78 | 3,229.08 | 3446.03 | 1,944.30 |
| | FAIR value of Plan Assets | 46731.79 | 29,011.95 | 4502.08 | 3,118.63 | 2779.62 | |
| | Surplus / (Deficit) before unrecognized past service cost | 376.44 | (31.19) | 103.30 | (110.45) | (666.41) | (1,944.30) |
| | Experience Adjustments in Plan Liabilities -(loss) / Gain | (1016.12) | 3,982.16 | (243.27) | 37.11 | 744.92 | **161.94** |
| | **Experience Adjustments in Plan Assets (loss) / gain** | **347.66** | **(335.67)** | **32.33** | **(62.44)** | **(47.16)** | **-** |

**तालिका X. योजनागत आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजनागत आस्तियों का प्रतिशत)**

(प्रतिशत में)

| | | पेंशन | | उपदान | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **31.03.2021** | **31.03.2020** | **31.03.2021** | **31.03.2020** |
| | भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ | 3.78% | 6.23% | 8.00% | 11.00% |
| | राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ | 13.91% | 23.24% | 13.00% | 21.00% |
| | उच्च किस्म के कॉर्पोरेट बॉण्ड | 5.67% | 6.84% | 3.00% | 3.00% |
| | सूचीबद्ध कम्पनियों के इक्विटी शेयर | 0.60% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
| | संपत्ति | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | विशेष जमा योजनाएं | 5.50% | 8.19% | 7.00% | 10.00% |
| | बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ | 59.94% | 39.50% | 54.00% | 38.00% |
| | अन्य - बैंक जमाराशियां और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) | 10.60% | 15.76% | 15.00% | 17.00% |
| | **जोड़** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** |

**तालिका XI. आगामी वर्ष के दौरान एंटरप्राईज़ के अंशदान का श्रेष्ठतम अनुमान**

| | | पेंशन (निधिक) | | उपदान (निधिक) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **31.03.2022** | **31.03.2021** | **31.03.2022** | **31.03.2021** |
| | **आगामी वर्ष के दौरान बैंक के अंशदान का श्रेष्ठतम अनुमान** | 2720.00 | 860.00 | 10.00 | 190.00 |

**तालिका XII. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)**

| विवरण | नहीं ली गई आकस्मिक छुट्टी सहित बीमारी की छुट्टी (गैर निधिक) | | छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिक) | | सिलवर जुबली बोनस (गैर निधिक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **31.03.2021** | **31.03.2020** | **31.03.2021** | **31.03.2020** | **31.03.2021** | **31.03.2020** |
| दायित्व का वर्तमान मूल्य | 71.73 | 75.33 | 217.68 | 213.74 | 15.91 | 9.15 |
| ट्रांजिशनल देयता का प्रारम्भिक शेष | - | - | - | - | - | - |
| वर्ष के दौरान मान्य ट्रांजिशनल देयता | - | - | - | - | - | - |
| ट्रांजिशनल देयता का अंतिम शेष | - | - | - | - | - | - |
| **तुलनपत्र में मान्य देयता** | 71.73 | 75.33 | 217.68 | 213.74 | 15.91 | 9.15 |

| विवरण | धारणा का आधार |
|---|---|
| बट्टा दर | दायित्वों की अनुमानित अवधि और दूसरी शर्तों के अनुरुप सरकारी बंध पत्रों (एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित) पर तुलन पत्र की तिथि को बाजार प्राप्तियों के सन्दर्भ के अनुसार बट्टा दर निर्धारित की गयी है। |
| योजनागत आस्तियों पर प्रतिफल की संभावित दर | यह माना गया है कि पेंशन और उपदान से संबंधित योजनागत परिसंपत्तियों पर क्रमश: 6.85% और 6.55% प्रति वर्ष की दर से रिटर्न प्राप्त होगा। |
| वेतनवृद्धि दर (एसईआर) | आईबीए द्वारा प्रदान किए गए व्यापक मार्गदर्शन के आधार पर, बैंक के लिए एसईआर 6.00% (अधिकतम 6.00% की कुल वेतन वृद्धि के साथ मूल वेतन वृद्धि 2.8% और डीए वृद्धि 5.8% प्रति वर्ष) लिया गया है। |
| पलायन दर | पिछले अनुभव और स्वैच्छिक आहरण से संबंधित अनुमानित भावी अनुभव के संदर्भ में पलायन दर 1% मानी गयी है। |

**परिभाषित अंशदान योजना :**

"बैंक ने अंशदान योजना परिभाषित की है जोकि 1.04.2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होती है। यह योजना पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अंतर्गत एनपीएस ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित है। एनपीएस के लिए राष्ट्रीय सिक्योरिटी डिपाजिटरी लि. को केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

अंशदान का विवरण इस प्रकार है: 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान = रु747.67 करोड़ [बैंक+कर्मचारी अंशदान] (पिछले वर्ष रु391.68 करोड़ (बैंक+कर्मचारी अंशदान)

### TABLE X -Major Categories of Plan Assets (as percentage of Total Plan Assets)

**In Percentage)**

| | | PENSION | | GRATUITY | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **31.03.2021** | **31.03.2020** | **31.03.2021** | **31.03.2020** |
| | Government Of India Securities | 3.78% | 6.23% | 8.00% | 11.00% |
| | State Govt Securities | 13.91% | 23.24% | 13.00% | 21.00% |
| | High Quality Corporate Bonds | 5.67% | 6.84% | 3.00% | 3.00% |
| | Equity Shares of listed companies | 0.60% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
| | Property | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | Special deposit scheme | 5.50% | 8.19% | 7.00% | 10.00% |
| | Funds managed by Insurer | 59.94% | 39.50% | 54.00% | 38.00% |
| | Other- Bank Deposits and CDs | 10.60% | 15.76% | 15.00% | 17.00% |
| | **TOTAL** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** |

### TABLE XI -ENTERPRISE'S BEST ESTIMATE OF CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR

| | | Pension (Funded) | | Gratuity (Funded) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **31.03.2022** | **31.03.2021** | **31.03.2022** | **31.03.2021** |
| | **Bank's best estimate of Contribution during next year** | 2720.00 | 860.00 | 10.00 | 190.00 |

### TABLE XII- Other Long Term employee benefits (Unfunded)

| Particulars | Sick Leave & Un availed Casual leave (Unfunded) | | Leave Fare concession (unfunded) | | Silver Jubiliee Bonus (unfunded) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **31.03.2021** | **31.03.2020** | **31.03.2021** | **31.03.2020** | **31.03.2021** | **31.03.2020** |
| Present Value of Obligation | 71.73 | 75.33 | 217.68 | 213.74 | 15.91 | 9.15 |
| Opening Balance of Transitional Liability | - | - | - | - | - | - |
| Transitional Liability recogized in the year | - | - | - | - | - | - |
| Closing Balance Of Transitional Liability | - | - | - | - | - | - |
| **Liability Recognized in balance Sheet** | 71.73 | 75.33 | 217.68 | 213.74 | 15.91 | 9.15 |

| Particulars | Basis of assumption |
|---|---|
| Discount Rate | Discount Rate has been determined by reference to market yields at the balance Sheet date on Government bonds (published by FBIL) of term consistent with currency and estimated term of the obligations. |
| Expected Rate of Return on Plan Assets | It is assumed that return on the plan assets pertaining to the pension and gratuity fund will be 6.85% and 6.55% pa respectively. |
| Salary Escalation Rate (SER) | Based on the broad guidance provided by IBA, SER for the bank has been taken at 6.0% (Basic Pay increase of 2.8% and DA increase of 5.8% pa with overall salary escalation of 6.0%) |
| Attrition Rate | Attrition rate is assumed at 1% taken with reference to past experience and expected future experience related to voluntary withdrawals. |

**Defined Contribution Plans:-**

“The Bank has Defined Contribution Plan applicable to all categories of employees joining the Bank on or after 01.04.2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS.

The details of contribution is as under:-

During the financial year ended March 31, 2021= ₹747.67 Crores [Bank + Employee contribution] (Previous year: ₹391.68 Crores (Bank + Employee contribution)

4.6 लेखांकन मानक -17 खंडवार रिपोर्टिंग

खंडवार पहचान

I. प्राथमिक (व्यावसायिक खंड):

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं: -

i. ट्रेजरी

ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो एवं विदेशी मुद्रा अनुबंधों और व्युत्पन्न अनुबंधों में व्यापार शामिल है। ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रूप से व्यापार परिचालन से लाभ या हानि और निवेश पोर्टफोलिया पर ब्याज से प्राप्त आय के शुल्क शामिल हैं।

ii. कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग

आरबीआई के दिशा-निर्देश डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.81/21.04.018/2006-07 दिनांक 18 अप्रैल 2007, के अनुसार कॉरपोरेट/होलसेल बैंकिंग खंड में रु. 5.00 करोड़ और उससे अधिक के एक्सपोजर वाले उधारकर्ताओं की उधार संबंधी गतिविधियाँ शामिल हैं।

iii. खुदरा बैंकिंग

खुदरा बैंकिंग खंड में रु. 5.00 करोड़ से कम के एक्सपोजर वाले उधारकर्ता शामिल हैं।

iv. उपरोक्त (i) से (iii) के तहत वर्गीकृत नहीं किए गए अन्य बैंकिंग परिचालन खंडों को इस प्राथमिक खंड के तहत वर्गीकृत किया गया है।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

i) घरेलू परिचालन - भारत में परिचालन करने वाली शाखाएं/कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत से बाहर परिचालन करने वाली शाखाएं/कार्यालय एवं भारत में परिचालन करने वाली विदेशी बैंकिंग संस्थाएं।

IV. आबंटन का आधार:

ब्याज से प्राप्त आय का आबंटन विभिन्न खंडों से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर किया जाता है।

थोक बैंकिंग/खुदरा बैंकिंग खंड/अन्य बैंकिंग खंड द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होने वाले व्यय आबंटित किए जाते हैं।

प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी की गणना उस विशेष खंड की आस्तियों और देयताओं के आधार पर की जाती है।

बैंक के पास कुछ सामान्य आस्तियां और देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए विनियोजित नहीं किया जा सकता है, और उन्हें गैर-आवंटित माना जाता है।

भाग क: व्यवसाय खंड

(रु. करोड़ में)

| क्रम सं. | विवरण | 31.03.2021 को समाप्त पिछला वर्ष लेखापरीक्षित | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष लेखापरीक्षित' |
|---|---|---|---|
| | | (समेकित) | (समेकित) |
| i. | खंडवार राजस्वा | | |
| | क) ट्रेजरी | 32582.98 | 20435.79 |
| | ख) कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग | 31966.43 | 23804.09 |
| | ग) रिटेल बैंकिंग | 26399.59 | 18833.66 |
| | घ) अन्य बैंकिंग परिचालन | 4041.84 | 1232.59 |
| | कुल | 94990.84 | 64306.13 |

4.6 Accounting Standard – 17 Segment Reporting

Segment Identification

I. Primary (Business Segment):

The following are the primary segments of the Bank:-

i. Treasury

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking

As per the RBI guidelines DBOD.No.BP.BC.81/21.04.018/2006-07 dated 18th April 2007, the Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of Rs. 5.00 Crores and above.

iii. Retail Banking

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than Rs. 5.00 Crores.

iv. Other Banking Operations Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment

II Secondary (Geographical Segment)

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India.

IV. Basis of allocation:

The interest income is allocated on the basis of actual interest received from different segments

Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment/other banking segment.

Capital employed for each segment is calculated based on the assets and liabilities of that particular segment.

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

PART A: BUSINESS SEGMENTS

(Amount in Rs Crore)

| Sl. No. | Particulars | | Year ended 31.03.2021 Audited | Previous Year ended 31.03.2020 Audited* |
|---|---|---|---|---|
| | | | (Consolidated) | (Consolidated) |
| i. | Segment Revenue | | | |
| | a) | Treasury | 32582.98 | 20435.79 |
| | b) | Corporate/Wholesale Banking | 31966.43 | 23804.09 |
| | c) | Retail Banking | 26399.59 | 18833.66 |
| | d) | Other Banking Operations | 4041.84 | 1232.59 |
| | Total | | 94990.84 | 64306.13 |

| ii. | खंडवार परिणाम | | |
|---|---|---|---|
| | क) ट्रेजरी | 10190.68 | 6410.22 |
| | ख) कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग | -7201.52 | -6155.78 |
| | ग) रिटेल बैंकिंग | 4045.64 | 2837.16 |
| | घ) अन्य बैंकिंग परिचालन | 1085.79 | 276.55 |
| | **कुल** | **8120.59** | **3368.15** |
| iii. | गैर-आवंटित व्यय | 4336.14 | 2541.13 |
| iv. | परिचालन लाभ | 23670.50 | 15158.16 |
| v. | कर हेतु प्रावधान | 1632.03 | 463.68 |
| vi. | असाधारण मदें | 0.00 | 0.00 |
| vii. | सहायक संस्थाओं में शेयरों का अर्जन (शुद्ध) | 542.17 | 121.59 |
| viii. | अल्पांश हित | 132.62 | 46.48 |
| ix. | शुद्ध लाभ | 2561.97 | 438.45 |
| | **अन्य सूचना:** | | |
| x. | **खंडवार आस्तियाँ** | | |
| | क) ट्रेज़री | 442311.31 | 279995.12 |
| | ख) कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग | 516525.16 | 367919.80 |
| | ग) रिटेल बैंकिंग | 247594.08 | 158122.52 |
| | घ) अन्य बैंकिंग परिचालन | 27449.67 | 16159.32 |
| | **उप जोड़** | 1233880.22 | 822196.76 |
| | **ङ) गैर- आवंटित देयताएं** | 45844.84 | 29260.49 |
| | **कुल आस्तियाँ** | **1279725.06** | **851457.25** |
| xi. | **खंडवार देयताएं** | | |
| | क) ट्रेज़री | 422469.79 | 266348.87 |
| | ख) कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग | 497345.55 | 351437.50 |
| | ग) रिटेल बैंकिंग | 241048.52 | 154690.40 |
| | घ) अन्य बैंकिंग परिचालन | 25806.53 | 14713.67 |
| | **उप जोड़** | **1186670.39** | **787190.44** |
| | **ङ) गैर-आवंटित देयताएं** | 520.35 | 390.45 |
| | **कुल देयताएं** | **1187190.74** | **787580.89** |
| xii. | **पूंजीगत नियोजन** | | |
| | क) ट्रेजरी | 19841.52 | 13646.25 |
| | ख) कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग | **19179.61** | 16482.30 |
| | ग) रिटेल बैंकिंग | 6545.56 | 3432.12 |
| | घ) अन्य बैंकिंग परिचालन | 1643.14 | 1445.65 |
| | **उप जोड़** | **47209.83** | **35006.32** |
| | **ङ) गैर-आवंटित देयताएं** | 45324.49 | 28870.04 |
| | **कुल पूंजीगत नियोजन** | **92534.32** | **63876.36** |

## भाग ख: भौगोलिक खंड

| क्र. सं. | विवरण | | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष लेखापरीक्षित | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष लेखापरीक्षित |
|---|---|---|---|---|
| | | | (समेकित) | (समेकित) |
| 1. | राजस्व | | | |
| | क | घरेलू | 93797.80 | 62546.51 |
| | ख | अंतर्राष्ट्रीय | 1193.04 | 1759.62 |
| | **कुल** | | **94990.84** | **64306.13** |
| 2. | आस्तियां | | | |
| | क | **घरेलू** | 1225016.02 | 805551.54 |
| | ख | **अंतर्राष्ट्रीय** | 54709.04 | 45905.71 |
| | **कुल** | | **1279725.06** | **851457.25** |

| ii. | **Segment Results** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | a) | Treasury | 10190.68 | 6410.22 |
| | b) | Corporate/Wholesale Banking | -7201.52 | -6155.78 |
| | c) | Retail Banking | 4045.64 | 2837.16 |
| | d) | Other Banking Operations | 1085.79 | 276.55 |
| | **Total** | | **8120.59** | **3368.15** |
| iii. | Unallocated Expenses | | 4336.14 | 2541.13 |
| iv. | Operating Profit | | 23670.50 | 15158.16 |
| v. | Provision for Tax | | 1632.03 | 463.68 |
| vi. | Extraordinary Items | | 0.00 | 0.00 |
| vii. | Share of Earnings in Associates (Net) | | 542.17 | 121.59 |
| viii. | Minority Interest | | 132.62 | 46.48 |
| ix. | Net Profit | | **2561.97** | **438.45** |
| | **Other Information:** | | | |
| x. | **Segment Assets** | | | |
| | a) | Treasury | 442311.31 | 279995.12 |
| | b) | Corporate/Wholesale Banking | 516525.16 | 367919.80 |
| | c) | Retail Banking | 247594.08 | 158122.52 |
| | d) | Other Banking Operations | 27449.67 | 16159.32 |
| | **Sub Total** | | 1233880.22 | 822196.76 |
| | **e)** | **Unallocated Assets** | 45844.84 | 29260.49 |
| | **Total Assets** | | **1279725.06** | **851457.25** |
| xi. | **Segment Liabilities** | | | |
| | a) | Treasury | 422469.79 | 266348.87 |
| | b) | Corporate/Wholesale Banking | 497345.55 | 351437.50 |
| | c) | Retail Banking | 241048.52 | 154690.40 |
| | d) | Other Banking Operations | 25806.53 | 14713.67 |
| | **Sub Total** | | **1186670.39** | **787190.44** |
| | **e)** | **Unallocated Liabilities** | 520.35 | 390.45 |
| | **Total Liabilities** | | **1187190.74** | **787580.89** |
| xii. | **Capital Employed** | | | |
| | a) | Treasury | 19841.52 | 13646.25 |
| | b) | Corporate/Wholesale Banking | 19179.61 | 16482.30 |
| | c) | Retail Banking | 6545.56 | 3432.12 |
| | d) | Other Banking Operations | 1643.14 | 1445.65 |
| | **Sub Total** | | **47209.83** | **35006.32** |
| | **e)** | **Unallocated Liabilities** | 45324.49 | 28870.04 |
| | **Total Capital Employed** | | **92534.32** | **63876.36** |

## PART B: GEOGRAPHICAL SEGMENTS

| Sl. No | Particulars | | Year ended 31.03.2021 Audited | Previous Year ended 31.03.2020 Audited* |
|---|---|---|---|---|
| | | | (Consolidated) | (Consolidated) |
| 1. | Revenue | | | |
| | a) | Domestic | 93797.80 | 62546.51 |
| | b) | International | 1193.04 | 1759.62 |
| | **Total** | | **94990.84** | **64306.13** |
| 2. | Assets | | | |
| | a) | Domestic | **1225016.02** | **805551.54** |
| | b) | International | **54709.04** | **45905.71** |
| | **Total** | | **1279725.06** | **851457.25** |

नोट:

1. खंडवार देयताएं उनकी संबंधित खंड आस्तियों के अनुपात में वितरित की गई हैं।
2. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुन: समूहित/पुन: श्रेणीबद्ध किया गया है।

*पूर्व समामेलन अवधि के समेकित बैंक वित्तीय से संबंधित आंकड़ें है, इसलिए उत्तरवर्ती समामेलन वित्तीय के साथ तुलनीय नहीं है।

**4.7 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक - 18 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण-**

**(मूल कम्पनी)**

**संबंधित पार्टियों के नाम तथा बैंक के साथ उनके संबंध**

**मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) :**

i) श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ii) डॉ. राजेश कुमार यदुवंशी, कार्यपालक निदेशक, 08.10.2020 तक
iii) श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक
iv) श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक
v) श्री अज्ञेय कुमार आजाद, कार्यपालक निदेशक, 30.04.2021 तक
vi) श्री स्वरुप कुमार साहा, 10.03.2021 से

**अनुषंगियाँ :**

i) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
ii) पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड, यू.के
iii) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड.
iv) ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान
v) पीएनबी कार्ड्स एवं सर्विसेज लिमिटेड*

&16.03.2021 को शामिल की गई । पूंजी 06.04.2021 को सम्मिलित की गयी थी

**सहयोगी संस्थाएं**

i. पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि@
ii. जेएससी (टेंगरी बैंक) अल्माटी, कजाकिस्तान^
iii. पीएनबी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड
iv. कैनरा एचएसबीसी ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड#
v. इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड*
vi. दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
vii. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मण्डी
viii. पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
ix. सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
x. प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद
xi. आसाम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
xii. बंगिय ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल
xiii. मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल
xiv. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला
xv. एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल

Note:

1. Segment Liabilities are distributed in the ratio of their respective Segment Assets.
2. Figures of the previous period have been re-grouped / re-classified wherever necessary.

   *Figures are related to Consolidated Bank's financials for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financials.

**4.7 Disclosure of Related Parties as per AS –18 issued by ICAI**

**(Parent Company)**

**Names of the related parties and their relationship with the Bank:**

**Key Management Personnel (KMP):**

i) Shri CH S S Mallikarjuna Rao, Managing Director & CEO
ii) Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi, Executive Director, up to 08.10.2020
iii) Shri Sanjay Kumar, Executive Director
iv) Shri Vijay Dube, Executive Director
v) Shri Agyey Kumar Azad, Executive Director, up to 30.04.2021
vi) Shri Swarup Kumar Saha, w.e.f. 10.03.2021

**Subsidiaries:**

i) PNB Gilts Limited
ii) Punjab National Bank (International) Ltd.UK
iii) PNB Investment Services Ltd.
iv) Druk PNB Bank Ltd. Bhutan
v) PNB Cards and Services Ltd &
& Incorporated on 16.03.2021. The Capital was infused on 06.04.2021

**Associates:**

i) PNB Metlife India Insurance Company Ltd@
ii) JSC (Tengri Bank), Almaty, Kazakhstan^
iii) PNB Housing Finance Limited
iv) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.#
v) India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.*
vi) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna
vii) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi
viii) Punjab Gramin Bank, Kapurthala
ix) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak
x) Prathama UP Gramin Bank, Moradabad
xi) Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati
xii) Bangiya Gramin Vikas Bank, West Bengal
xiii) Manipur Rural Bank, Imphal
xiv) Tripura Gramin Bank, Agartala
xv) Everest Bank Limited, Kathmandu, Nepal

@पीएनबी ने ब्रांड इक्विटी के रूप में रु 700.48/- पर विचार करते हुए पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।

^एएफआर ने 18.09.2020 से जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस जारी किया है। अस्थायी प्रशासक ने 28 सितंबर 2020 को जेएससी टेंगरी बैंक की परिसमापन प्रक्रिया के लिए मुकदमा दायर किया है। अपील न्यायालय द्वारा 15.02.2021 को जेएससी टेंगरी बैंक के परिसमापन का निर्णय लागू हुआ। 19.02.2021 को, टेंगरी बैंक के परिसमापन आयोग ने बैंक के परिसमापन की सूचना प्रकाशित की।

#समामेलन के पश्चात् कैनरा एचएसबीसी ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 01.04.2020 से पीएनबी की सहयोगी हो गयी है।

*पूर्व में पीएनबी 1.0, ईओबीसी एवं ईयूएनआई ने इण्डिया एसएमई आस्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड (आईएसएआरसी) में क्रमशः 9%, 1.90% और 10% का निवेश किया था। विलय के बाद, 01.04.2020 से आईएसएआरसी पीएनबी की एक सहायक के रूप में वर्गीकृत की गई है। पीएनबी 2.0 इस तिथि से 20.90% की शेयर धारिता रख रहा है।

@PNB has acquired 30% stake in PNB Metlife India Insurance Company Ltd at consideration of Rs 700.48 as brand equity.

^AFR revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020. Temporary Administrator has filed law suit for liquidation process of JSC Tengri Bank on 28th September 2020. On 15.02.2021, the decision on liquidation of JSC Tengri Bank came into force by the Appeal Court. On 19.02.2021, the Liquidation commission of Tengri Bank published information of liquidation of the Bank.

#After amalgamation Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd become an associate of PNB w.e.f. 01.04.2020.

*Earlier PNB 1.0, eOBC and eUNI had investment of 9%, 1.90% and 10% respectively in India SME Asset Reconstruction Co. Ltd (ISARC). Post-merger, ISARC has been classified as an associate of PNB w.e.f. 01.04.2020. PNB 2.0 is having share holding of 20.90% as on date.

## संबंधित पार्टियों से लेन-देन'

(रु. लाख में)

| मदें/संबंधित पार्टी | मूल** (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार ) | | अनुषंगियां ** | | सहयोगी/संयुक्त उद्यम | | मुख्य प्रबंधन कार्मिक | | मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020-21 | अधिकतम बकाया राशि | 2020-21 | अधिकतम बकाया राशि | 2020-21 | अधिकतम बकाया राशि | 2020-21 | अधिकतम बकाया राशि | 2020-21 | अधिकतम बकाया राशि | 2020-21 | अधिकतम बकाया राशि |
| पारिश्रमिक | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | 3.45 | - | - | - | 3.45 | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | (1.89) | - | - | - | (1.89) | - |
| उधार | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| जमाराशि | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 754.11 | 2168.76 | - | - | - | - | 754.11 | 2168.76 |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (2685.54) | - | - | - | - | - | (2685.54) | - |
| जमाराशियों | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 384.19 | 384.19 | - | - | - | - | 384.19 | 384.19 |
| का नियोजन | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (151.33) | (151.33) | - | - | - | - | (151.33) | (151.33) |
| अग्रिम (आईबीपीसी उधारें | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 7500.00 | 7501.00 | - | - | - | - | 7500.00 | 7501.00 |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (6080.00) | - | - | - | - | - | (6080.00) | - |
| अग्रिम (आईबीपीसी | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 7500.00 | 7501.00 | - | - | - | - | 7500.00 | 7501.00 |
| लेंडिंग) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (6080.00) | - | - | - | - | - | (6080.00) | - |
| अग्रिम (अन्य) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 1937.14 | 1949.64 | - | - | - | - | 1937.14 | 1949.64 |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (2011.17) | (2024.10) | - | - | - | - | (2011.17) | (2024.10) |
| निवेश | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 1873.77 | 1873.77 | - | - | - | - | 1873.77 | 1873.77 |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (525.32) | - | - | - | - | - | (525.32) | - |
| डिबेंचरों में निवेश | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| गैर निधिक प्रतिबद्धता | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पट्टादायी/ एचपी व्यवस्था का लाभ लिया | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पट्टादायी/ एचपी व्यवस्था प्रदान किया | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अचल आस्तियों की खरीद | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अचल आस्तियों की बिक्री | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| जमा पर प्रदत ब्याज | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 7.47 | 7.47 | - | - | - | - | 7.47 | 7.47 |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (16.83) | - | - | - | - | - | (16.83) | - |
| आईबीपीसी पर प्रदत्त | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 495.51 | 495.51 | - | - | - | - | 495.51 | 495.51 |
| ब्याज | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (373.81) | - | - | - | - | - | (373.81) | - |
| अन्य प्रदत्त ब्याज | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| आईबीपीसी पर प्राप्त | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 426.68 | 426.68 | - | - | - | - | 426.68 | 426.68 |
| ब्याज | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (347.11) | - | - | - | - | - | (347.11) | - |
| अन्य प्राप्त ब्याज (ऋण पर ब्याज वसूल किया गया) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 18.67 | - | - | - | - | - | 18.67 | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (20.47) | - | - | - | - | - | (20.47) | - |
| सेवाओं को प्राप्त | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| करना | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| सेवाओं का प्रतिपादन | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| प्रबंधन संविदाएं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| प्राप्त लाभांश | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (69.64) | - | - | - | - | - | (69.64) | - |
| बैंक प्रभार | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| प्राप्त कमीशन | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| बॉन्ड पर प्रदत्त ब्याज | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 4.76 | 4.76 | | | | | 4.76 | 4.76 |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | | | | | | |
| अन्य आय | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 21.29 | - | | | | | 21.29 | - |
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (43.90) | - | | | | | (43.90) | - |

**अनुषंगियों और कुछ सहयोगी संस्थाओं के साथ हुए लेनदेन का प्रकटीकरण लेखा मानक - 18 ''सम्बन्धित पार्टी प्रकटीकरण'' के पैरा 9 के मद्देनजर नहीं किया गया है जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को उनकी ऐसी अन्य सम्बन्धित पार्टियों से लेनदेन में से किसी से सम्बन्धित सूचना देने से छूट देता है जो राज्य द्वारा नियंत्रित हों।

इसके अलावा, लेखा मानक 18 के पैरा 5 के संदर्भ में, बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति में लेन-देन का खुलासा नहीं किया गया है, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार शामिल हैं।

**Transactions with Related Parties:**

**(Amount in ₹Crores)**

| Items/ Related Party | Parent** (as per ownership or control) | | Subsidiaries** | | Associates/ Joint ventures | | Key Management Personnel | | Relatives of Key Management Personnel | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020-21 | Maximum amount outstanding | 2020-21 | Maximum amount outstanding | 2020-21 | Maximum amount outstanding | 2020-21 | Maximum amount outstanding | 2020-21 | Maximum amount outstanding | 2020-21 | Maximum amount outstanding |
| Remuneration | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | 3.45 | - | - | - | 3.45 | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | (1.89) | - | - | - | (1.89) | - |
| Borrowings | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deposits | N.A | N.A | N.A | N.A | 754.11 | 2168.76 | - | - | - | - | 754.11 | 2168.76 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (2685.54) | - | - | - | - | - | (2685.54) | - |
| Placement of Deposits | N.A | N.A | N.A | N.A | 384.19 | 384.19 | - | - | - | - | 384.19 | 384.19 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (151.33) | (151.33) | - | - | - | - | (151.33) | (151.33) |
| Advances (IBPC borrowings) | N.A | N.A | N.A | N.A | 7500.00 | 7501.00 | - | - | - | - | 7500.00 | 7501.00 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (6080.00) | - | - | - | - | - | (6080.00) | - |
| Advances (IBPC lending) | N.A | N.A | N.A | N.A | 7500.00 | 7501.00 | - | - | - | - | 7500.00 | 7501.00 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (6080.00) | - | - | - | - | - | (6080.00) | - |
| Advances (Others) | N.A | N.A | N.A | N.A | 1937.14 | 1949.64 | - | - | - | - | 1937.14 | 1949.64 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (2011.17) | (2024.10) | - | - | - | - | (2011.17) | (2024.10) |
| Investments | N.A | N.A | N.A | N.A | 1873.77 | 1873.77 | - | - | - | - | 1873.77 | 1873.77 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (525.32) | - | - | - | - | - | (525.32) | - |
| Investments in Debentures | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non funded Commitments | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leasing/ HP arrangements availed | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leasing/ HP arrangements provided | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Purchase of fixed** assets | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sale of Fixed Assets | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest paid on Deposits | N.A | N.A | N.A | N.A | 7.47 | 7.47 | - | - | - | - | 7.47 | 7.47 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (16.83) | - | - | - | - | - | (16.83) | - |
| Interest Paid on IBPC | N.A | N.A | N.A | N.A | 495.51 | 495.51 | - | - | - | - | 495.51 | 495.51 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (373.81) | - | - | - | - | - | (373.81) | - |
| Interest Paid Others | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest received on IBPC | N.A | N.A | N.A | N.A | 426.68 | 426.68 | - | - | - | - | 426.68 | 426.68 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (347.11) | - | - | - | - | - | (347.11) | - |
| Interest received Others (Loan Interest Recovered) | N.A | N.A | N.A | N.A | 18.67 | - | - | - | - | - | 18.67 | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (20.47) | - | - | - | - | - | (20.47) | - |
| Receiving of Services | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| Rendering of Services | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| Management contracts | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| Dividend received | N.A | N.A | N.A | N.A | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (69.64) | - | - | - | - | - | (69.64) | - |
| Bank Charges | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| Commission Received | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| Interest Paid on Bonds | N.A | N.A | N.A | N.A | 4.76 | 4.76 | | | | | 4.76 | 4.76 |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | - | - | | | | | | |
| Other Income | N.A | N.A | N.A | N.A | 21.29 | - | | | | | 21.29 | - |
| | N.A | N.A | N.A | N.A | (43.90) | - | | | | | (43.90) | - |

**The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of para-9 of AS-18 'Related Party Disclosure', which exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also state controlled.

Further, in terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

नोटः–

i. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनः समूहित/पुनः श्रेणीबद्ध किया गया है।

ii. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

iii. पिछले वर्ष के आंकड़े पूर्व-समामेलन अवधि के लिए एकल बैंक के वित्तीय से संबंधित हैं, इसलिए उत्तरवर्ती समामेलन वित्तीय के साथ तुलनीय नहीं हैं।

**4.8 लेखा मानक एएस -19 पट्टे ( मूल कंपनी )**

| | |
|---|---|
| i. | परिचालन पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर शामिल होते हैं, जो कि बैंक के विकल्प पर सामान्य रूप से हर 5 वें वर्ष के अंत में नवीकरणीय होते हैं। |
| ii. | परिचालन पट्टे के लिए लाभ एवं हानि खाते में चिन्हित की गई पट्टा भुगतान की राशि रु790.74 करोड़ है। |
| iii. | उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.03.2021 तक गैर-रद्द करने योग्य पट्टा : शून्य |

**4.9 लेखा मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन**

**( रु. करोड़ में )**

| विवरण | | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| प्रति शेयर अर्जन | बेसिक | 2.64 | 0.80 |
| | ह्रासित | 2.64 | 0.80 |
| कर के पश्चात् न्यूमरेटर के रूप में उपजोड़ की गई राशि (रु0 करोड़ में) | | 2561.97 | 438.45 |
| शेयरों का अंकित मूल्य | | रु 2.00प्रत्येक | रु 2.00प्रत्येक |
| हर (डिनोमिनेटर) के रूप में उपजोड़ किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | | 9705896011 | 5460952184 |

**4.10 आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:**

**( रु. करोड़ में )**

| विवरण | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| **आस्थगित कर आस्तियाँ** | | |
| अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | 25408.71 | 19596.40 |
| छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान | 1227.01 | 756.03 |
| पेंशन व उपदान के लिए प्रावधान | 0.07 | 0.07 |
| कर योग्य हानि (आगे ले जाया गया) | 1335.75 | 0.00 |
| अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास | 0.29 | 0.00 |
| अन्य आकस्मिकताएँ | 237.78 | 189.52 |
| **कुल** | **28209.61** | **20542.02** |
| **आस्थगित कर देयताएं** | | |
| अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास | -164.13 | -26.21 |
| आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती | 1135.37 | 266.51 |
| अन्य | 216.91 | 237.98 |
| **कुल** | **1188.15** | **478.28** |
| **आस्थगित कर आस्तियाँ/ ( देयता ) - शुद्ध** | **27021.46** | **20063.74** |

Note:-

I. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

II. Figures in the bracket wherever given relates to previous year.

III. Figures of previous year relates to standalone Bank's financials for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financials

**4.8. Accounting Standard AS -19 Lease (Parent Company)**

| | |
|---|---|
| i. | Operating lease primarily comprise office premises, which are renewable at the option of the bank normally at the end of every 5th years. |
| ii. | Amount of lease payment recognized in P & L Account for operating lease is ₹790.74Crores. |
| iii. | As per information available, Non-cancellable lease as on 31.03.2021: Nil |

**4.9 AS 20 - Earnings Per Share**

**(Amount in ₹ Cr**

| Particulars | | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| Earnings per Share | Basic | 2.64 | 0.80 |
| | Diluted | 2.64 | 0.80 |
| Amount used as numerator Profit after tax (Rs. In Crore) | | 2561.97 | 438.45 |
| Nominal value of shares | | Rs.2.00 each | Rs.2.00 each |
| Weighted average number of equity shares used as the denominator | | 9705896011 | 5460952184 |

**4.10 Major components of deferred tax assets and liability are set out below:**

**(Amount in Rs Crore)**

| Particulars | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| **Deferred Tax Assets** | | |
| Provision for bad & doubtful debts | 25408.71 | 19596.40 |
| Provision for leave encashment | 1227.01 | 756.03 |
| Provision for Pension & Gratuity | 0.07 | 0.07 |
| Taxable Loss (Carried Forward) | 1335.75 | 0.00 |
| Depreciation on fixed assets | 0.29 | 0.00 |
| Others Contingencies | 237.78 | 189.52 |
| **Total** | **28209.61** | **20542.02** |
| **Deferred Tax Liabilities** | | |
| Depreciation on fixed assets | -164.13 | -26.21 |
| Deduction u/s 36(1)(viii)of Income- tax Act,1961 | 1135.37 | 266.51 |
| Others | 216.91 | 237.98 |
| **Total** | **1188.15** | **478.28** |
| **Deferred Tax Assets/ (Liability) – Net** | **27021.46** | **20063.74** |

**4.11 लेखा मानक 28 – आस्तियों की अपसामान्यता (इम्पेयरमेंट)**

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा हिस्सा 'वित्तीय आस्तियों' का है जिनपर लेखा मानक 28 "आस्तियों की अपसामान्यता" लागू नहीं होती है। बैंक की राय में इसकी आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) की उक्त मानक की शर्त के अधीन अपेक्षित मान्यता हेतु 31.03.2021 को किसी महत्वपूर्ण सीमा तक अपसामान्यता नहीं है।

**4.12 लेखा मानक 29 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ :**

**i. देयताओं के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव***

**(रु. करोड़ में)**

| विवरण | वेतन समझौते के अधीन वेतन बकाया | कानूनी मामले/ आकस्मिकताएँ |
|---|---|---|
| 1 अप्रैल, 2020 को शेष | 911.91<br>(713.72) | 29.35<br>(25.01) |
| अवधि के दौरान उपलब्ध कराया गया | 2026.41<br>(515.95) | 48.95<br>(6.17) |
| अवधि के दौरान प्रयुक्त राशियां | 2316.96<br>(317.76) | 0.23<br>(0.00) |
| अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि | 577.36<br>(0.00) | 3.87<br>(1.83) |
| **31.03.2021 को शेष** | **44.00<br>(911.91)** | **74.20<br>(29.35)** |
| बहिर्गमन/अनिश्चितता का समय | वास्तविक भुगतान पर | निपटान/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन |
| | वास्तविक भुगतान पर | निपटान/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन |

*अन्य के लिए प्रावधान को छोड़कर

**ii. लाभ व हानि खाते में व्यय शीर्ष के अन्तर्गत दिखाए गए "प्रावधानों व आकस्मिकताओं" का विवरण निम्नलिखित है:**

**(रु. करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | 599.20 | -368.07 |
| अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान | 17462.42 | 14715.78 |
| अनर्जक आस्तियों के लिए फ्लोटिंग प्रावधान (भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रावधानीकरण मानदण्डों से अधिक) | 0.00 | 0.00 |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | 1214.8 | 73.46 |
| आयकर के लिए किया गया प्रावधान (एफबीटी तथा संपति कर सहित) | 1629.93 | 463.67 |
| अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं | 612.14 | -90.01 |
| **कुल** | **21518.07** | **14794.83** |

**4.11 AS 28 - Impairment of Assets**

A substantial portion of the bank's assets comprises 'financial assets' to which Accounting Standard 28 'Impairment of Assets' is Not Applicable. In the opinion of the bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) to any material extent as at 31.03.2021 requiring recognition in terms of the said standard.

**4.12 AS 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

**(i) Movement of provisions for liabilities ***

**(Amount in Rs Crore)**

| Particulars | Salary arrears under negotiation | Legal cases/ contingencies |
|---|---|---|
| Balance as at 1st April 2020 | 911.91<br>(713.72) | 29.35<br>(25.01) |
| Provided during the year | 2026.41<br>(515.95) | 48.95<br>(6.17) |
| Amounts used during the year | 2316.96<br>(317.76) | 0.23<br>(0.00) |
| Reversed during the year | 577.36<br>(0.00) | 3.87<br>(1.83) |
| **Balance as at 31.03.2021** | **44.00<br>(911.91)** | **74.20<br>(29.35)** |
| Timing of outflow/ uncertainties | On actual Payment | Outflow on settlement / crystallization |
| | On actual Payment | Outflow on settlement / crystallization |

* Excluding provisions for others.

**ii Break-up of "Provisions and Contingencies" shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account is as follows:**

**(Amount in Rs Crore)**

| Particulars | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Provisions for depreciation on investment | 599.20 | -368.07 |
| Provision towards NPAs | 17462.42 | 14715.78 |
| Floating provisions for NPAs (over and above RBI provisioning norms) | 0.00 | 0.00 |
| Provision towards Standard Assets | 1214.38 | 73.46 |
| Provision made towards Income-tax (including FBT & Wealth Tax ) | 1629.93 | 463.67 |
| Other Provisions & Contingencies | 612.14 | -90.01 |
| **Total** | **21518.07** | **14794.83** |

4.13 अस्थायी प्रावधानों का विवरण निम्नलिखित है:

(रु. करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| प्रारम्भिक शेष | 360.25 | 360.25 |
| वर्ष के दौरान किये गये फ्लोटिंग प्रावधान की मात्रा | 24.12 | 0.00 |
| वर्ष के दौरान आहरण (ड्रा डाउन) की राशि और उद्देश्य | 384.37 | 0.00 |
| अन्तिम शेष | शून्य | 360.25 |

4.14 आकस्मिक देयताओं पर अनुसूची 12 देखें

ऐसी देयताएं न्यायालय/विवाचन/न्यायालय से बाहर समझौतों, अपीलों के निपटान तथा माँगी गयी राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तों, संबद्ध पार्टियों द्वारा की गयी तथा उठायी गयी माँगों पर क्रमशः आधारित हैं। ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

4.15 बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र का प्रकटीकरण

"बैंक ने यूनाइटेड किंगडम में नियंत्रक प्रूडेंसियल विनायमक प्राधिकरण (पीआरए) को एक चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है जिसमें इस बात का आश्वासन दिया गया है कि बैंक अपनी अनुषंगी पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनैशनल) लिमिटेड, यूके को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा ताकि वह देय होने पर अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताएं पूरी कर सके।"

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक ने कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है अत: चुकौती आश्वासन पत्र के तहत कोई संचयी वित्तीय दायित्व नहीं है ।

यूनाइटेड किंगडम में नियंत्रक प्रूडेंसियल विनायमक प्राधिकरण (पीआरए) ने अपने पत्र दिनांक 02.09.2015 के द्वारा बैंक को "वाच सूची" में रखा गया है। कोई विशिष्ट प्रतिबन्ध या दण्ड नहीं है। पीआरए ने अपने पत्र दिनांक 12.02.2021 के माध्यम से पीएनबीआईएल को "वाच सूची" से बाहर कर दिया है।

5. प्रकटीकरण लीवरेज अनुपात: पूंजीगत उपाय और एक्सपोजर उपाय के साथ लीवरेज अनुपात का खुलासा किया जाना है।

(रु. करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| पूंजी उपाय | 61880.63 | 51523.00 |
| एक्सपोजर उपाय | लीवरेज अनुपात की गणना के लिए कुल एक्सपोजर = 1369438.76 | लीवरेज अनुपात की गणना के लिए कुल एक्सपोजर =885278 |
| लीवरेज अनुपात (%) | 4.52% | 5.82% |

6. कोविड-19 महामारी भारत सहित कई देशों में फैल रही है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण अस्थिरता और वैश्विक और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। भारत सरकार ने मार्च 2020 से लॉकडाउन उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की। इस तरह के लॉकडाउन को विभिन्न सरकारों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में व्याप्त स्थिति के आधार पर विभिन्न समय पर गतिविधियों के लिए हटा दिया गया और फिर से

4.13 Break-up of Floating Provisions is as follows:

(Amount in ₹ Crore)

| Particulars | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Opening balance | 360.25 | 360.25 |
| Quantum of floating provisions made during the year | 24.12 | 0.00 |
| Purpose and amount of draw down made during the year | 384.37 | 0.00 |
| Closing balance | NIL | 360.25 |

4.14 Refer Schedule-12 on Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of Court/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, and the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively. No reimbursement is expected in such cases.

4.15 Disclosure of Letter of Comfort (LoC) issued by Bank

"The Bank has issued a Letter of Comfort to Prudential Regulation Authority (PRA), the regulator in United Kingdom, committing that the bank shall provide financial support to its subsidiary, Punjab National Bank (International) Ltd., UK so that it meets its financial commitments as and when they fall due".

Apart from the above, the Bank has not issued any Letter of Comfort and therefore, there are no cumulative financial obligations under Letter of Comfort.

The Prudential Regulatory Authority (PRA), regulator of UK, has vide its letter dated 02.09.2015 put the Bank under 'watch list'. There were no specific restrictions or penalties. PRA vide its letter dated 12.02.2021 has removed PNBIL from its 'watch list'.

5. Disclosure Leverage Ratio: Capital measure and the Exposure measure along with Leverage Ratio:

(Amount in Rs Crore)

| Particulars | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Capital measure | 61880.63 | 51523.00 |
| Exposure measure | Total Exposure for the calculation of Leverage ratio= 1369438.76 | Total Exposure for the calculation of Leverage ratio=885278 |
| Leverage Ratio (%) | 4.52% | 5.82% |

6. COVID - 19 pandemic continues to spread across several countries including India resulting in a significant volatility in Global as well as Indian financial markets and a significant decline in global and local economic activities. The Govt. of India announced a series of lock down measures from March 2020 onwards. Such lockdowns were lifted and re-imposed for activities by various governments at various points of time depending on the situation prevailing in

लगाया गया। कोविड 19 महामारी की मौजूदा दूसरी लहर में, जहाँ भी भारत में नए मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहां इसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय/क्षेत्रीय लॉकडाउन उपायों को फिर से लागू किया गया है।

स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और बैंक, निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। कोविड -19 महामारी बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जो अन्य बातों, टीकाकरण अभियान की सफलता सहित अत्यधिक अनिश्चित हैं। बैंक के लिए प्रमुख चिन्हित की गई चुनौतियाँ नकदी प्रवाह और विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र के क्षीण से उत्पन्न होंगी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंक सभी मोर्चों पर खुद को तैयार कर रहा है।

7. आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2015-16/376 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. 92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18.04.2016 के अनुसार प्रावधान मानदंडों में संशोधन के कारण धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधान:

**( रु. करोड़ में )**

| श्रेणी | 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी की संख्या | 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी में शामिल राशि | 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा | वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की मात्रा |
|---|---|---|---|---|
| उधारकर्ता | 153@ | 10872.49 | 4083.88 | 1013.10 |
| गैर- उधारकर्ता धोखाधड़ी | 561# | 75.02 | 54.99 | - |
| **कुल** | **714** | **10947.51** | **4138.87** | **1013.10** |

@153 खातों में से, 13 खाते पुराने धोखाधड़ी मामले के है और रु854. 49 करोड़ की वृद्धि की गई है और अनुकूलीकरण के कारण आरबीआई को अपडेट किया गया है।

#561 खातों में से, 1 खाता पुराने धोखाधड़ी मामले का है और रु18.00 करोड़ की वृद्धि की गई है और अनुकूलीकरण के कारण आरबीआई को अपडेट किया गया है।

8. **I.** जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकडें पुन: समूहित/ पुन: व्यवस्थित/ पुन: वर्गीकृत किए गए हैं।

**II.** जहाँ भी आंकडे प्रकोष्ठ में दिए गए है (मद सं. 4.5: लेखा मानक 15- कर्मचारी लाभ को छोड़कर), वे पिछले वर्ष से सम्बन्धित हैं।

**III.** पिछले वर्ष के आंकड़े पूर्व-समामेलन अवधि के लिए एकल बैंक के वित्तीय से संबंधित हैं, इसलिए उत्तरवर्ती समामेलन वित्तीय के साथ तुलनीय नहीं हैं।

their respective jurisdictions. The current second wave of COVID 19 pandemic, wherever the number of new cases have increased significantly in India, has resulted in re-imposition of localized/regional lockdown measures in various parts of the country.

The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on ongoing basis. The extent to which the Covid-19 pandemic will impact the Bank's results will depend on future developments, which are highly uncertain including among other things, the success of vaccination drive. The major identified challenges for the Bank would arise from eroding cash flows and extended working capital cycles. The Bank is gearing itself on all the fronts to meet these challenges.

7. Provisioning pertaining to fraud accounts due to amendment in provisioning norms as per RBI Circular no. RBI/2015-16/376 DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/ 2015-16 dated 18.04.2016:

(₹ in Crores)

| Category | Number of Frauds reported during the Financial Year ended 31.03.2021 | Amount involved in fraud reported during the Financial Year ended 31.03.2021 | Quantum of provision made during the Financial Year ended 31.03.2021 | Quantum of unamortized provision debited from 'other reserve' as at the end of the year |
|---|---|---|---|---|
| Borrowal | 153@ | 10872.49 | 4083.88 | 1013.10 |
| Non-Borrowal Frauds | 561# | 75.02 | 54.99 | - |
| **Total** | **714** | **10947.51** | **4138.87** | **1013.10** |

@Out of 153 accounts, 13 accounts are old fraud cases & ₹854.49Crores have been enhanced & updated to RBI due to harmonization.

# Out of 561 accounts, 1 account is old fraud case & ₹18.00Crores have been enhanced & updated to RBI due to harmonization.

8. **I.** Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

**II.** Figures in the bracket wherever given (except Item no. 4.5: Accounting Standard 15 - Employees Benefits) relates to previous year.

**III.** Figures of previous year are related to Consolidated Bank's financials for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financials.

# पंजाब नैशनल बैंक का 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
# PUNJAB NATIONAL BANK - STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| | विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| क.<br>**A.** | परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह<br>**Cash Flow from Operating Activities** | | | |
| | कर के पश्चात निवल लाभ<br>Net Profit after Tax | | 25619702 | 4384500 |
| | कर के लिए प्रावधान<br>Provision for Tax | | 16320302 | 4636800 |
| (I) | कर से पूर्व निवल लाभ<br>**Net Profit before taxes** | (i) | **41940004** | **9021300** |
| (II) | निम्नलिखित के लिए समायोजन :<br>**Adjustments for:** | | | |
| | अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास<br>Depreciation on fixed assets | | 9822322 | 6144400 |
| | निवेश [निवल] पर मूल्यह्रास/(जारी)<br>Depreciation/(Release) on Investments [net] | | 6595551 | (3667300) |
| | अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान<br>Provisions for non performing assets | | 174030417 | 147157800 |
| | मानक आस्तियों पर प्रावधान<br>Provision on Standard Assets | | 12806722 | 734600 |
| | अन्य प्रावधान (निवल)<br>Other Provision (net) | | 5682442 | (900100) |
| | असोसिएट्स में उपार्जन का शेयर<br>Share of earning in Associates | | (5421613) | (1216000) |
| | अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री से लाभ/हानि<br>Profit / Loss on sale of Fixed Assets (net) | | 127377 | (416700) |
| | बॉण्डों पर प्रदत्त ब्याज<br>Interest paid on Bonds | | 19928701 | 11762000 |
| | **कुल Sub Total** | **(ii)** | **223571919** | **159598700** |
| | परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ<br>**Operating Profit before Changes in Operating Assets and Liabilities** | **(i+ii)** | **265511923** | **168620000** |
| (III) | परिचालन आस्तियों व देयाताओं में निवल परिवर्तन के लिए समायोजन<br>**Adjustment for net change in Operating Assets and Liabilities** | | | |
| | निवेशों में ह्रास/(वृद्धि)<br>Decrease / (Increase) in Investments | | (196744006) | (427158300) |
| | अग्रिमों में ह्रास/(वृद्धि)<br>Decrease / (Increase) in Advances | | 48786421 | (292433900) |
| | अन्य परिसंपत्तियों में ह्रास/(वृद्धि)<br>Decrease / (Increase) in Other Assets | | (64185379) | (1760800) |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| | विवरण<br>Particulars | | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| | जमा राशियों में वृद्धि/(ह्रास)<br>Increase / (Decrease) in Deposits | | 357461845 | 283801900 |
| | उधारों में वृद्धि/(ह्रास)<br>Increase / (Decrease) in Borrowings | | (300057713) | 168746700 |
| | अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि/(ह्रास)<br>Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions | | (95234583) | (5765000) |
| | | **(iii)** | **(249973415)** | **(274569400)** |
| | परिचालनों से उत्पन्न नकदी<br>**Cash generated from Operations** | **(i+ii+iii)** | **15538508** | **(105949400)** |
| | प्रदत प्रत्यक्ष कर (प्रतिदेय राशि को घटाकर)<br>Direct Taxes paid (net off Refund) | | (3143186) | (21981000) |
| क.<br>A. | परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी<br>**Net Cash from Operating Activities** | **(A)** | **12395322** | **(127930400)** |
| ख.<br>B | निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त)<br>**Cash Flow from/(used in) Investing Activities** | | | |
| | अचल आस्तियों की खरीद(बिक्री का शुद्ध)<br>Purchase of Fixed Assets (net of Sales) | | (7868387) | (3383300) |
| | निवेश कार्यकलापों मे प्रयुक्त निवल नकदी<br>**Net Cash used in Investing Activities** | **(B)** | **(7868387)** | **(3383300)** |
| ग.<br>C. | वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (प्रयुक्त)<br>**Cash flow from Financing Activities** | | | |
| | शेयर पूंजी/शेयर आवेदन राशि/शेयर प्रीमियम<br>Share Capital/Share Application Money/Share Premium | | 37773263 | 160910000 |
| | जारी/बॉण्डों का (मोचन)<br>Issue/(Redemption) of Bonds | | 35051057 | (11902300) |
| | लाभांश का भुगतान (लाभांश पर कर सहित)<br>Payment of Dividends ( incl.tax on Dividend) | | 0 | (300100) |
| | बॉण्डों पर प्रदत्त ब्याज<br>Interest paid on Bonds | | (19928701) | (13526000) |
| | समामेलन के परिणामस्वरूप आंशिक पात्रता के लिए ई-ओबीसी और ई-यूएनआई के शेयरधारक को नकद भुगतान<br>Cash paid to Shareholder of e-OBC & e-UNI towards fractional entitlement consequent to amalgamation | | (5012) | 0 |
| | अल्पसंख्यक हित में वृद्धि/(ह्रास)<br>Increase/ (Decrease) in Minority Interest | | 1261029 | 729900 |
| | वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी<br>**Net Cash from Financing Activities** | **(C)** | **54151636** | **135911500** |
| घ.<br>D. | समामेलन से प्राप्त नकदी और नकदी तुल्य<br>**Cash and Cash Equivalents received on account of amalgamation** | **(D)** | 297108220 | 0 |
| ड.<br>E. | नकदी तथा नकदी तुल्यों मे निवल परिवर्तन<br>**Net Change in Cash and Cash Equivalents** | **(A+B+C+D)** | **355786791** | **4597800** |

(₹ 000 को छोड़ दिया गया है) (₹ 000 omitted)

| विवरण<br>Particulars | 31.03.2021 को<br>As on 31.03.2021 | 31.03.2020 को<br>As on 31.03.2020 |
|---|---|---|
| वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी तुल्य<br>Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year | | |
| नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष<br>Cash and Balances with Reserve Bank of India | 386037900 | 323383200 |
| बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर प्राप्य धन<br>Balances with Banks & Money at Call & Short Notice | 391519600 | 449576500 |
| | **777557500** | **772959700** |
| वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य<br>**Cash and Cash Equivalents at the end of the year** | | |
| नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष<br>Cash and Balances with Reserve Bank of India | 442672702 | 386037900 |
| बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर प्राप्य धन<br>Balances with Banks & Money at Call & Short Notice | 690671589 | 391519600 |
| | **1133344291** | **777557500** |

**टिप्पणियाँ**
**Notes :-**

1 प्रदत्त प्रत्यक्ष करों (वापसी का निवल) को परिचालन कार्यकलापों से उद्धत माना गया है तथा इन्हें निवेश तथा वित्तीयन कार्यकलापों के मध्य विभक्त नहीं किया गया है।
Direct taxes paid (net off refund) are treated as arising from operating activities and are not bifurcated between investing and financing activities.

2 कोष्ठक में दिए गए सभी आंकडें 'नकदी बाह्य प्रवाह' दर्शाते हैं
All figures in bracket represents “Cash Out Flow”

3 31.03.2020 के आंकड़े समामेलन से पूर्व पंजाब नैशनल बैंक के समेकित आंकडें हैं, इसलिए 31.03.2021 के समामेलन के बाद के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनीय नहीं हैं
Figures of 31.03.2020 are related to consolidated pre amalgamated Punjab National Bank, hence not comparable with post amalgamation financials of 31.03.2021.

4 पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर पुन: समूहित किया गया है।
Figures of previous period have been regrouped wherever considered necessary to conform current period classification.

**पी के वार्ष्णेय**
**P K VARSHNEY**
**सहायक महाप्रबंधक**
**ASSISTANT GENERAL MANAGER**

**आर के खीची**
**R K KHICHI**
**उप महाप्रबंधक**
**DEPUTY GENERAL MANAGER**

**प्रवीण कुमार शर्मा**
**PRAVEEN KUMAR SHARMA**
**महाप्रबंधक**
**GENERAL MANAGER**

**डी के जैन**
**D K JAIN**
**मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ**
**CHIEF GENERAL MANAGER & CFO**

**स्वरूप कुमार साहा**
**SWARUP KUMAR SAHA**
**कार्यपालक निदेशक**
**EXECUTIVE DIRECTOR**

**विजय दुबे**
**VIJAY DUBE**
**कार्यपालक निदेशक**
**EXECUTIVE DIRECTOR**

**संजय कुमार**
**SANJAY KUMAR**
**कार्यपालक निदेशक**
**EXECUTIVE DIRECTOR**

सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव
CH. S.S. MALLIKARJUNA RAO
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
MANAGING DIRECTOR & CEO

पंकज जैन
PANKAJ JAIN
निदेशक
DIRECTOR

विवेक अग्रवाल
VIVEK AGGARWAL
निदेशक
DIRECTOR

डॉ. आशा भंडारकर
Dr. ASHA BHANDARKER
निदेशक
DIRECTOR

गौतम गुहा
GAUTAM GUHA
निदेशक
DIRECTOR

हमारी इस तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
**As per our report of even date**

कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
For S N Dhawan & Co. LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 000050एन/एन500045
FRN: 000050N/N500045

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
CA Surinder Kr. Khattar
भागीदार
Partner
( सदस्य सं. 084993 )
(M.No. 084993)
स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi

कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी
For M K Aggarwal & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 001411एन
FRN: 001411N

सनदी लेखाकार अतुल अग्रवाल
CA Atul Aggarwal
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 099374 )
(M.No. 099374)
स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi

कृते ए जॉन मोरिस एंड कम्पनी
For A John Moris & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 007220एस
FRN:007220S

सनदी लेखाकार जी कुमार
CA G Kumar
भागीदार
Partner
( सदस्य सं. 023082 )
(M.No. 023082)
स्थान : चेन्नई
Place: Chennai

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
For S R Goyal & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 001537सी
FRN: 001537C

सनदी लेखाकार अजय अटोलिया
CA Ajay Atolia
भागीदार
Partner
( सदस्य सं. 077201 )
(M.No. 077201)
स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi

कृते पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स
For PSMG & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 008567सी
FRN: 008567C

सनदी लेखाकार संदीप जैन
CA Sandeep Jain
भागीदार
Partner
( सदस्य सं. 077281 )
(M.No. 077281)
स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi

दिनांक : 04/06/2021
Date : 04/06/2021
स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi

## स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

### पंजाब नैशनल बैंक के सदस्यों के लिए

### समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

### अभिमत

1. हमने 31 मार्च 2021 को पंजाब नैशनल बैंक ("बैंक"), इसकी अनुषंगियों (मूल और इसकी अनुषंगियों को एक साथ "समूह" कहा जाता है), और सहायक कंपनियों की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाते और समेकित नकदी प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार और इसके साथ संलग्न अन्य व्याख्यात्मक जानकारी की लेखा परीक्षा की है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

    i. हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 4 जून, 2021 के माध्यम से हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई पंजाब नैशनल बैंक (बैंक) की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियाँ;

    ii. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा 01 अनुषंगी और 02 सहायक कंपनियों की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियाँ और;

    iii. 03 अनुषंगियों और 13 सहायक कंपनियों के गैर लेखा परीक्षित खाते।

2. हमारी राय में और हमारी सवीत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार एवं अनुषंगियों और सहायक कंपनियों की अलग-अलग वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई अनुषंगियों/सहायक कंपनियों की गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियाँ और अन्य वित्तीय जानकारी पर हमारे विचार के आधार पर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंक के लिए अपेक्षित तरीके से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करती हैं और आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:

    क. समेकित तुलन पत्र, इस पर दिए गए नोट्स के साथ पठित, सभी आवश्यक विवरणों सहित एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और सही प्रकार से बनाया गया है ताकि 31 मार्च, 2021 को बैंक के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा सके;

    ख. समेकित लाभ और हानि खाता, इस पर दिए गए नोट के साथ पठित, लाभ का सही शेष दर्शाता है; तथा

    ग. उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण, नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

### अभिमत का आधार

3. हमने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानकों (एस ए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियाँ आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ खंड में वर्णित की गई हैं। भारत में समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम समूह से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

### To the Members of Punjab National Bank

### Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

### Opinion

1. We have audited the attached Consolidated Financial Statements of Punjab National Bank ("the Bank"), its subsidiaries (the parent and its subsidiaries together referred to as "the group"), and associates as at 31 March 2021, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information annexed thereto, in which the following are incorporated:

    i. Audited Financial Statements of Punjab National Bank (the Bank), audited by us, vide our audit report dated 4 June 2021;

    ii. Audited Financial Statements of 01 Subsidiary and 02 Associates, audited by other auditors; and

    iii. Unaudited accounts of 03 Subsidiaries and 13 Associates.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on separate financial statements of subsidiaries and associates, the unaudited financial statements and the other financial information of subsidiaries/ associates as furnished by the management the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (the 'Act') in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and :

    a. the Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair view of Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31 March, 2021;

    b. the Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit; and

    c. the Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

### Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements' section of our report. We are independent of the Group in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidate Financial Statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

## प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

**4.** प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। ये मामले वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के सन्दर्भ में समग्र रूप से देखे गए और उन पर अपना मत बनाने में, हमने इन मामलों पर अलग मत नहीं दिया है। हमने अपनी रिपोर्ट में वर्णित किए जाने हेतु महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निम्न वर्णित मामलों को निर्धारित किया है।

| मुख्य लेखा-परीक्षा मामले | लेखा-परीक्षा में कैसे हमारे मामले को दर्शाया गया है। |
|---|---|
| <u>अग्रिम-वर्गीकरण और प्रावधानीकरण</u><br><br>(लेखांकन नीति संख्या 5 के साथ पठित, समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 9 का संदर्भ लें)<br><br>अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार इन पर प्रावधान किया गया है। आस्ति वर्गीकरण, आय निर्धारण और प्रावधानीकरण कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) द्वारा किया गया है। विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत एनपीए के प्रावधानीकरण की सीमा मुख्य रूप से इसकी अवधि अन्तर्निहित प्रतिभूति की वसूली योग्यता पर आधारित है।<br><br>विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित उपयोग या प्रतिभूति के गलत मूल्य निर्धारण की स्थिति में, क्योंकि प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण में उच्च स्तर का अनुमान और निर्णय शामिल होता है, अग्रिमों का वहन मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से वस्तुत: गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, और वित्तीय विवरणों में अग्रिमों की राशि के महत्व को देखते हुए अग्रिमों का वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण को हमारी लेखा-परीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है। | हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आस्तियों के वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्र, दिशा-निर्देश और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश एवं निदेश और बैंक के आंतरिक निर्देश और प्रक्रियाएं सम्मिलित की गई और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गया।<br><br>• अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया गया और समझा गया।<br><br>• डिजाइन और कार्यान्वयन के साथ-साथ प्रासंगिक नियंत्रणों के संचालनात्मक प्रभावशीलता की परीक्षण जाँच की गई, जिसमें अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया के संयोजन की जांच भी शामिल है।<br><br>• किसी भी अग्रिम खाते में अतिदेय, असंतोषजनक संचालन या कमजोरी का पता लगाने के लिए, बड़े और दबावग्रस्त अग्रिमों की जांच के आधार पर प्रलेखनों, परिचालन/प्रदर्शन और अग्रिम खातों की निगरानी हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं/संबंधित प्रभागों के संबंध में आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्गीकरण की जांच की समीक्षा की गई। शाखा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में, हमने उनकी रिपोर्टों पर भरोसा किया है।<br><br>इसके अतिरिक्त हमने परीक्षण जांच के आधार पर किसी प्रतिकूल विशेषताओं/टिप्पणियों वाले अग्रिमों का पता लगाने के लिए ऋण लेखा-परीक्षा, निरीक्षण लेखा-परीक्षा, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा, नियामक लेखा-परीक्षा की रिपोर्टों की समीक्षा की है और बैंक सिस्टम से जारी रिपोर्ट की समीक्षा की।<br><br>हमारा परिणाम:<br><br>लेनदेनों के महत्व को देखते हुए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के परिणाम उचित और संतोषजनक पाए गए। |

## Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

| Key Audit Matters | How our matter was addressed in the audit |
|---|---|
| <u>Advances – classification and provisioning</u><br><br>(Refer Schedule 9 to the Consolidated Financial Statements, read with the Accounting Policy No.5)<br><br>The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The asset classification, income recognition and provisioning is done by Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security.<br><br>In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in the financial statements the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit. | Our audit approach included an understanding of the Bank's software, circulars, guidelines and directives of the Reserve Bank of India and the Bank's internal instructions and procedures in respect of the assets classification and its provisioning and adopted the following audit procedures:<br><br>• Evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the Relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.<br><br>• Test checked the design and implementation as well as operational effectiveness of relevant controls, including involvement of manual process in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances<br><br>• Reviewed the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, examination of classification as per prudential norms of the RBI, in respect of the branches / relevant divisions audited by us. In respect of the branches audited by the branch statutory auditors, we have placed reliance on their reports.<br><br>Further we have reviewed on test check basis the reports of the credit audit, inspection audit, risk based internal audit, concurrent audit, regulatory audit to ascertain the advances having any adverse features / comments, and reviewed the reports generated from the Bank's system.<br><br>Our Results:<br><br>The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality of the transactions |

| | |
|---|---|
| <u>निवेश – मूल्यांकन, और गैर-निष्पादित निवेशों के लिए पहचान एवं प्रावधान</u><br><br>(लेखांकन नीति संख्या 4 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 का संदर्भ लें)<br><br>बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियां, बांड्स, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति रसीदों और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां में निवेश शामिल है, जिन्हें परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।<br><br>निवेशों का मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान (एनपीआई) और आय का तद्नुसार गैर-निर्धारण तथा उस पर प्रावधान, आरबीआई के संबंधित परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। उपरोक्त प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाए, जिसमें एफबीआईएल दरों, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरों, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों, म्यूचुअल फंड के मामले में एनएवी (NAV) और प्रतिभूति रसीदों आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़े/सूचना का संग्रह शामिल है।कुछ निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित होते हैं जिनमें अंतर्निहित धारणाओं सहित सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणों पर आधारित मूल्यांकन के लिए मूल्य का निर्धारण आदि शामिल होते हैं। इसलिए, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित की गई कीमत सही द्योतक न होकर, आज तक के निवेशों का एक निष्पक्ष निर्धारण हो सकती है। इसलिए निवेश के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे वित्तीय विवरणों में निवेश की राशि के महत्व को देखते हुए, उक्त को हमारी लेखापरीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा का मामला माना गया है। | भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में डिजाइन की समीक्षा व जाँच, कार्यान्वयन, आंतरिक नियंत्रण का परिचालन प्रभाव और मूल्यांकन से संबंधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, वर्गीकरण, निवेशों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान/अवमूल्यन शामिल है ।<br><br>• हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा और मूल्यांकन की।<br>• निवेश के चयनित नमूने के लिए (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर निवेश की सभी श्रेणियों को कवर करते हुए) हमने आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ शुद्धता और अनुपालन की जाँच की।<br>• हमने एनपीआई की पहचान, और आय के अनुकूल परिवर्तन और प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का आंकलन और मूल्यांकन किया।<br><br>हमारा परिणाम:<br><br>महत्व को देखते हुए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के परिणाम उचित और संतोषजनक पाए गए। |

| | |
|---|---|
| <u>Investments – valuation, and identification and provisioning for Non-Performing Investments</u><br><br>(Refer Schedule 8 to the Consolidated Financial Statements, read with the Accounting Policy No.4)<br><br>Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trade.<br><br>Valuation of Investments, identification of Non-performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. The valuation of each category (type) of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of mutual funds & security receipts etc. Certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. Hence, the price discovered for the valuation of these Investments may not be the true representative but only a fair assessment of the Investments as on date. Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements the same has been considered as Key Audit Matter in our audit. | Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, implementation, operating effectiveness of internal controls and audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments as per RBI guidelines<br><br>• We reviewed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments.<br>• For selected sample of investments (covering all categories of investments based on nature of security) we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions.<br>• We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision.<br><br>Our Results:<br><br>The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality. |

| | |
|---|---|
| सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का आंकलन:<br><br>आईटी, आईआरएसी मानदंडों सहित आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई विभिन्न रिपोर्टों, लेनदेनों की रिकॉर्डिंग के संबंध में नियंत्रण रखता है।<br><br>नियामकों आदि के लिए अन्य अनुपालन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है।इस तरह की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर और अन्य संबद्ध प्रणालियों की प्रभावी कार्यप्रणाली पर निर्भर है।<br><br>हमने इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना है, क्योंकि नियंत्रण में कोई भी चूक, सत्यापन विफलताओं, गलत इनपुट डेटा और डेटा के गलत निष्कर्षण के परिणामस्वरूप प्रबंधन और विनियामकों को डेटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है। | हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में ये शामिल हैं: –<br><br>• विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कोडिंग प्रणाली को समझना<br><br>• सिस्टम में डेटा की फीडिंग को समझना और बैंक में मौजूदा आईटी प्रणाली से वित्तीय जानकारी और स्टेटमेंट निकालना।<br><br>• बैंक के विनियमों/नीति में किसी भी बदलाव के लिए उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जाँच करना।<br><br>• सिस्टम द्वारा नमूना आधार पर जनरेट रिपोर्टों की समीक्षा करना।<br><br>हमारा परिणाम<br><br>हालांकि, सिस्टम को सिस्टम से इनपुट/आउटपुट डेटा में आ रही कमियों को नियंत्रित करने की क्षमता मजबूत करने की आवश्यकता है |
| **मुकदमेबाजी और आकस्मिक देयताएँ**<br><br>प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकनतथा बैंक पर अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।<br><br>बैंक का मूल्यांकन, मामले के तथ्य, उनके स्वयं के निर्णय, पूर्व अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह,जहाँ भी आवश्यक मानी जाती है, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र को अत्यधिक प्रभावित कर सकते हैं।<br><br>हमने उपर्युक्त क्षेत्र को मुकदमों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसे कानून की व्याख्या में निर्णय को लागू करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा विचाराधीन विषय-वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण करने और संबंधित कानून के निर्णय/व्याख्या पर केंद्रित की गई थी। | हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल थे:-<br><br>कर मुकदमों और आकस्मिक देयताओं की वर्तमान स्थिति को जानना;<br><br>विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों से प्राप्त आदेशों और/या संचार की जांच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना<br><br>प्रस्तुत किए गए आधारों के संदर्भ में विचाराधीन विषय और उसमें उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सलाह के गुणदोष का मूल्यांकन; तथा<br><br>जहां भी आवश्यक हो, कानूनी और कर सलाहकारों की राय पर भरोसा किया जाता है। |

| | |
|---|---|
| <u>Assessment of Information Technology (IT):</u><br><br>IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms.<br><br>Other compliances to regulators etc is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems.<br><br>We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators. | Our audit approach included:-<br><br>• Understanding the coding system adopted by the bank for various categories of customers.<br><br>• Understanding the feeding of the data in the system and going through the extraction of the financial information and statements from the IT system existing in the Bank.<br><br>• Checking of the user requirements for any changes in the regulations/ policy of the bank.<br><br>• Reviewed the reports generated by the system on sample basis.<br><br>Our Result<br><br>However, the system needs to be strengthened for its efficacy to control persisting deficiencies of input/ output data from the system |
| **Litigation & Contingent Liabilities**<br><br>Assessment of Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes and various other claims filed by other parties upon the Bank not acknowledged as debts.<br><br>The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and the Balance Sheet.<br><br>We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of litigations which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved. | Our audit approach included :-<br><br>• Going through the current status of the tax litigations and contingent liabilities;<br><br>• Examining the orders and/or communication received from various Tax Authorities/ Judicial forums and follow up action thereon;<br><br>• Evaluating the merits of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice; and<br><br>Wherever required, reliance is placed on the opinion of legal and tax consultants. |

**महत्वपूर्ण मामले**

5. हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क. एनपीए खातों में वसूली के विनियोग की लेखांकन नीति में परिवर्तन के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 4.1 ।

ख. समेकित वित्तीय परिणामों के साथ-साथ नोट सं.6, जोकि नोवल कोरोना वायरस (कोविड19) के प्रकोप के कारण फैली अनिश्चितताओं और प्रबंधन द्वारा किए गए बैंक के व्यावसायिक कार्यो पर इसके प्रभाव के मूल्यांकन का वर्णन करता है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।

**वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी**

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारियों के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निगमित अभिशासन रिपोर्ट शामिल है (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जो हमने अनुलग्नक, यदि कोई हो, सहित इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट तथा निदेशकों की रिपोर्ट की तिथि से पहले प्राप्त की है, जिसे उस तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारियाँ एवं बासेल III के तहत पीलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं हैं और हम इस बारे में किसी भी रूप में आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं/नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते हुए, विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमने इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर कार्यनिष्पादन किया है, तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी के तथ्य गलत हैं, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

जब हम इसके अनुलग्नक सहित, यदि कोई है, निदेशक रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई भौतिक रूप से गलत बयान है, तो हमें इस मामले को शासन प्रभारियों को सूचित करना होगा।

**समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा शासन प्रभारियों के उत्तरदायित्व**

7. बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों सहित आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं। इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए

**Emphasis of Matter**

5. We draw attention to following:

   a. Note No. 4.1 of the consolidated financial statements regarding change in accounting policy of appropriation of recovery in NPA accounts.

   b. Note No. 6 to the consolidated financial statement, which describes the uncertainties due to outbreak of novel corona virus (COVID 19) and the management's assessment of its impact on the business operations of the Bank.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

**Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon**

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), which we obtained prior to the date of this auditor's report, and Directors' Report, including annexures, if any, thereon, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report, including annexure, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

**Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements**

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design,

प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव करना भी शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कार्यशील संस्था के रूप में बैंक की क्षमता का आंकलन करने प्रकटीकरण, यथा लागू, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले और लेखांकन का प्रचलित रूप का उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो बैंक को समाप्त करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, के लिए उत्तरदायी है।

**वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व**

8. हमारा उद्देश्य इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण पूर्णतः भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी सम्मति भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा सदैव किसी महत्वपूर्ण सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा जब यह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि, व्यक्तिगत या समग्र रूप से, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए (SAs) के अनुसार एक लेखापरीक्षा के खंड के रूप में, हम व्यवसायी निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में व्यवसायी संदेहवाद को बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरणों के जोखिम पहचानते और उनका आंकलन करते हैं कि, क्या वे धोखाधडी या त्रुटि के कारण है, इन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करें और कार्रवाई करें, तथा लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करें जो हमारे विचार को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अभिभाविता शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की जा सके।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के कार्यशील संस्था के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना तथा, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, कि क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक की गतिशील संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, हमें अपनी

implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our

राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से बैंक गतिशील संस्था के रूप में जारी नहीं रह सकता है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन तथा घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम शासन प्रभारियों के साथ अन्य मामलों सहित, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध विस्तार तथा समयसीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिसमें आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया गया हो के संबंध में चर्चा करते हैं, जो लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई हों।

हम उन शासन प्रभारियों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में उनके साथ संवाद करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा उपाय जहां भी लागू हो, पर प्रभाव डालने के लिए उचित माने जा सकते हैं।

शासन प्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के संबंध में कोई सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करते या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हमने यह पाया हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले को सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक हित के लाभ पर भारी पड़ सकते हैं।

### अन्य मामले

9. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारियाँ शामिल हैं:

   - 1 अनुषंगी अर्थात ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड जिसकी वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2021 को रु.1844.86 करोड़ की कुल आस्तियाँ तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल रु.124.69 करोड़ का राजस्व दर्शाती है, की लेखा-परीक्षा इसके संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय पूरी तरह से उक्त लेखापरीक्षक की रिपोर्टो पर आधारित हैं।

   - 02 घरेलू सहायक कंपनियां जिनके वित्तीय परिणामों/विवरणों में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रु.52.09 करोड़ का कर देने के पश्चात् शुद्ध लाभ में समूह का हिस्सा शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनके वित्तीय परिणाम/वित्तीय विवरण, अन्य वित्तीय जानकारियों की लेखा-परीक्षा इसके संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और हमारी राय पूरी तरह से उक्त लेखापरीक्षकों की रिपोटों पर आधारित है।

10. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारियाँ शामिल हैं:

   - 3 अनुषंगियाँ अर्थात (i) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (ii) पंजाब

conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

### Other Matter

9. The accompanying Consolidated Financial Statements includes the audited financial statements and other financial information, in respect of:

   - 1 subsidiary viz. Druk PNB Bank Limited whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 1844.86 crore as at 31 March 2021 and, total revenues of Rs. 124.69 crore, for the year ended on that date have been audited by its respective independent auditor whose reports have been furnished to us, and our opinion is based solely on the reports of the said auditor.

   - 02 domestic associates whose financial results/statements include Group's share of net profit after tax of Rs. 52.09 crore for the year ended 31 March 2021 respectively, as considered in the Consolidated Financial Statements whose financial results/financial statements, other financial information have been audited by their respective independent auditors whose audit reports have been furnished, and our opinion is based solely on the reports of the said auditors.

10. The accompanying Consolidated Financial Statements includes the unaudited financial results/statements and other unaudited financial information, in respect of:

   - 03 subsidiaries viz. (i) PNB Gilts Limited (ii)

नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लि. (iii) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड जिनकी वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2021 को रु.18489.36 करोड़ की कुल आस्तियाँ तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु.1350.05 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाती है, बैंक प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

- 12 घरेलू सहायक कंपनियां तथा विदेशी सहायक कंपनी जिनके वित्तीय परिणामों/विवरणों में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रु.541.83 करोड़ के कर पश्चात् शुद्ध लाभ में समूह का हिस्सा शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनके वित्तीय परिणाम/वित्तीय विवरण, अन्य वित्तीय जानकारियां बैंक प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

हमारी राय में और निदेशक मंडल द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

**11.** जैसा कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 के नोट नं. 1 में बताया गया है, पूर्ववती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पूर्ववती यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जिनका समामेलन 1 अप्रैल 2020 से बैंक के साथ कर दिया गया है, के परिचालन शामिल हैं तथा इसीलिए 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के आंकड़े 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के साथ तुलनीय और अनुरूप नहीं हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में विवरणी पर हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।

**अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

**12.** बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन पत्र एवं लाभ और हानि खाता तैयार किया गया है;

**13.** उक्त 5 से 10 परिच्छेद में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की आवश्यकतानुसार और इसके अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख. बैंक के लेन-देन, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं;और

ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणों को हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाया गया है;और

घ. हमने ऐसा कोई वित्तीय लेन-देन या मामला नहीं देखा है जिसका बैंक के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

**14.** हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमारी राय में, बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित खाता-बहियां यथोचित रूप से रखी हैं, जैसाकि यह हमारी उन बहियों की जांच से प्रकट होता है और हमारे द्वारा विजिट नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त की गई हैं;

Punjab National Bank (International) Ltd. and (iii) PNB Investment Services Limited whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 18489.36 crore as at 31 March, 2021 and, total revenues of Rs. 1350.05 crore, for the year ended on that date have been furnished by the management of the Bank.

- 12 domestic associates and 01 foreign associate whose financial results/ statements include Group's share of net profit after tax of Rs. 541.83 crore for the year ended 31 March 2021 respectively, as considered in the Consolidated Financial Statements whose financial results/financial statements, other financial information have been furnished by the management of the Bank.

In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Board of Directors, these financial statements/financial results / financial information are not material to the Group.

**11.** As stated in Note no. 1 of the Schedule 18 of the Consolidated Financial Statement for the year ended 31 March 2021 includes operations of erstwhile Oriental Bank of Commerce and erstwhile United Bank of India which are amalgamated with the Bank w.e.f. 1 April 2020 and hence the figures for year ended 31 March 2021 are not comparable with corresponding year ended 31 March 2020.

Our opinion on the Statement is not modified in respect of the above matters.

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

**12.** The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

**13.** Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 10 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank;

c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit; and

d. We have not observed any financial transaction or matter which has adverse effect on the functioning of the bank.

**14.** We further report that:

a. in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

ख. इस रिपोर्ट द्वारा देखे गए तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह की विवरणियाँ, लेखा बही के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाती हैं;

ग. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा पर्याप्त ध्यान रखा गया है; और

घ. हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करता है जब तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते।

**15.** "आरबीआई द्वारा 19.05.2020 को जारी उत्तरवर्ती पत्र के साथ पठित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से सांविधिक लेखा-परीक्षकों के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों" पर जारी पत्र संख्या डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019- 20 दिनांक 17 मार्च, 2020, के द्वारा आवश्यकतानुसार, हम उपरोक्त पत्र के परिच्छेद 2 में निर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार आगे रिपोर्ट करते हैं:

क. हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण, आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं, जिस सीमा तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते।

ख. वित्तीय लेनदेनों या मामलों पर ऐसा कोई विचार या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

ग. चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।

घ. खातों के रखरखाव और बैंक के उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई शर्त, रोक या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

ड. वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समेकित वित्तीय विवरण पर लागू नहीं होते हैं।

b. the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

c. the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

**15.** As required by letter No. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a. In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b. There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.

c. As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualification from being a director of the bank under sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Bank.

d. There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith of the Bank.

e. The Bank's internal financial controls over financial reporting is not applicable on the Consolidated Financial Statement.

| | | |
|---|---|---|
| कृते एस.एन. धवन एंड कं एलएलपी<br>सनदी लेखाकार<br>एफआरएन 000050एन/ एन500045 | कृते एमके अग्रवाल एंड कं.<br>सनदी लेखाकार<br>एफआरएन 001411एन | कृते ए जॉन मोरिस एंड कं.<br>सनदी लेखाकार<br>एफआरएन 007220एस |
| सनदी लेखाकार सुरिंदर कु. खट्टर<br>भागीदार<br>(सदस्य सं.084993)<br>यूडीआईएन: 21084993 एएएसीएल5806<br>स्थान: नई दिल्ली | सनदी लेखाकार अतुल अग्रवाल<br>भागीदार<br>(सदस्य सं.099374)<br>यूडीआईएन: 21099374 एएएईडी9954<br>स्थान: नई दिल्ली | सनदी लेखाकार जी कुमार<br>भागीदार<br>(सदस्य सं.023082)<br>यूडीआईएन: 21023082 एएएपीएल4841<br>स्थान: चेन्नई |

| | | |
|---|---|---|
| For S.N. Dhawan & Co LLP<br>Chartered Accountants<br>FRN 000050N/ N500045 | For M K Aggarwal & Co.<br>Chartered Accountants<br>FRN 001411N | For A John Moris & Co.<br>Chartered Accountants<br>FRN 007220S |
| CA Surinder Kr. Khattar<br>Partner<br>(M.NO.084993)<br>UDIN : 21084993 AAAACL5806<br>Place: New Delhi | CA Atul Aggarwal<br>Partner<br>(M.NO. 099374)<br>UDIN: 21099374 AAAAED9954<br>Place: New Delhi | CA G Kumar<br>Partner<br>(M.NO.023082)<br>UDIN: 21023082 AAAAPL4841<br>Place: Chennai |

कृते एस आर गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन:001537सी

कृते पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 008567सी

सनदी लेखाकार अजय अटोलिया
भागीदार
(सदस्य सं. 077201)
यूडीआईएन: 21077201 एएएएएवी9492
स्थान: नई दिल्ली

सनदी लेखाकार संदीप जैन
भागीदार
(सदस्य सं. 077281)
यूडीआईएन: 21077281 एएएएआईक्यू5825
स्थान: नई दिल्ली

**दिनांक: जून 04, 2021**

For S R Goyal & Co.
Chartered Accountants
FRN:001537C

For PSMG & Associates
Chartered Accountants
FRN: 008567C

CA Ajay Atolia
Partner
(M.NO. 077201)
UDIN: 21077201 AAAAAV9492
Place: New Delhi

CA Sandeep Jain
Partner
(M.NO. 077281)
UDIN: 21077281 AAAAIQ5825
Place: New Delhi

**Date: June 04, 2021**

माननीय डॉ. हर्ष वर्धन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री, निर्माण भवन, नई दिल्ली में अखिल भारतीय सीएसआर अभियान का शुभारंभ करते हुए।
बाएं से दाएं: डॉ. आर. के. यदुवंशी, कार्यपालक निदेशक, श्री. सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव, प्रबंध-निदेशक एवं सीईओ, माननीय डॉ. हर्ष वर्धन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री, और श्री. बी. एन. मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक.

Inauguration of All India CSR Campaign by Dr. Harsh Vardhan, Hon'ble Minister of Science and Technology, Health and Family Welfare and Earth Sciences from Nirman Bhavan, New Delhi
**From Left to right:** Dr. R. K. Yaduvanshi, Executive Director, Shri. CH. S. S. Mallikarjuna Rao, MD & CEO, Dr. Harsh Vardhan, Hon'ble Minister of Science and Technology, Health and Family Welfare and Earth Sciences and Shri. B.N. Mishra, CGM.

श्री. सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव, प्रबंध-निदेशक एवं सीईओ (दाएं)
माननीय श्री. कौशलेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार, का पीएनबी प्रधान कार्यालय द्वारका, नई दिल्ली में स्वागत करते हुए।

Shri. CH. S. S. Mallikarjuna Rao, MD & CEO (Right) welcoming Shri. Kaushalendra Singh Patel, Hon'ble Member National Commission for Backward Classes, Government of India, at PNB Head office Dwarka, New Delhi

pnb

Oriental

United

बढ़ें साथ मिलकर

मुख्य कार्यालय: प्लॉट सं.4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075
Head Office: Plot No.4, Sector - 10, Dwarka, New Delhi - 110 075

Follow us on:

pnbindia www.pnbindia.in